सप्तम माला, 15 December 1980

लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

Fourth-Session

(सातवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय-सूची

अंक 20, सोमवार, 15 दिसम्बर, 1980/24 अग्रहायण, 1902 (शक)

विषय		
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या 397, से 399, 401, 403 और 404	...	1-19
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या 400, 402, और 405 से 418	...	19-32
अतारांकित प्रश्न संख्या 3732 से 3790, 3792 से 3869 और 3871, से 3931	...	32-156
स्थगन प्रस्तावों आदि के बारे में	...	157-158
मारुति लि० सम्बन्धी कतिपय जानकारी के बारे में विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना के सम्बन्ध में घोषणा	...	158-159
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	159-165
लोक लेखा समिति के विवरण	...	165
राज्य सभा से संदेश	...	165
लोक लेखा समिति		
पहला, सातवाँ और नौवा प्रतिवेदन	...	166
प्राक्कलन सिमिति		
दूसरा प्रतिवेदन	...	166
सभा से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति		
दूसरा प्रतिवेदन	...	166

किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

श्री एल० आई० ब्रेजनेव की यात्रा के सम्बन्ध में

मन्त्री के वक्तव्य के बारे में घोषणा ... 166-167

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

1980-81 में भारत का व्यापार घाटा

जी० एम० बनातवाला ... 167-170

श्री प्रणब मुखर्जी ... 173-178

श्री हरिकेश बहादुर ... 178-179

श्री राजेश कुमार सिंह ...

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) दिल्ली में अन्तर्राज्यीय बस अड्डा के निकट यमुना नदी पर एक पुल का निर्माण

श्री एच. के. एल. भगत ... 179-180

(दो) जीवन बीमा निगम के कार्यकरण पर ईरा सेझियान समिति का प्रदिवेदन

श्री आर० के० महालगी ... 180

(तीन) राजस्थान में पीने के पानी की समस्या

श्री दौलतराम सारण ... 180-181

(चार) बिहार में कोया और लाख उत्पादकों की समस्यायें

श्री एन० ई० होरो ... 181

(पांच) रेलों में चोरी और डकैती की घटनाओं में वृद्धि

श्री अशोक गहलोत ... 181-182

(छः) बिहार में सीमेंट की भारी कमी

श्री कृष्ण प्रताप सिंह ... 182

(सात) भारत सरकार द्वारा मैट्रा सिनेमागृह का प्रबन्ध अपने हाथ में लिए जाने के बारे में

श्री नारायण चौबे ... 182-183

राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक

विचार किये जाने का प्रस्ताव

श्री रवीन्द्र वर्मा ... 184-189

श्री मोहनलाल सुखाड़िया ... 189-193

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् ... 193-195, 195-200
श्री वसंत साठे ... 200-203
श्री सी० टी० दंडपाणि ... 203-207
श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत ... 207-211
श्री विजय कुमार यादव ... 211-213
श्री ईरा अनबारासु ... 213-216
श्री एन० के शेजवलकर ... 216-219
श्री जगन्नाथ राकेश ... 219-222
श्री आर० एन० राव ... 222-224
श्री राम प्यारे पनिका ... 224-227
श्री त्रिदिव चौधरी ... 227-228
श्री जी० एम० बनातवाला ... 236-238
श्री सी० चिन्ना स्वामी ... 236-242
श्री चित्त बसु ... 242-245
श्री चन्द्रपाल सिंह ... 245-247
श्री जैलसिंह ... 247-255
श्री अटल बिहारी बाजपेयी ... 255-263
(खण्ड 2) ... 274-282

श्री एल० आई० ब्रेजनेव की राजकीय यात्रा के बारे में वक्तव्य

श्रीमती इन्दिरा गांधी ... 195-198

आधे घंटे की चर्चा

कोटा परमाणु विद्युत केन्द्र के बन्द किए जाने के बारे में

श्री वृद्धि चन्द्र जैन ... 228-231
सी० पी० एन० सिंह ... 231-235
श्री कमला मिश्र मधुकर ... 232-233
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर ... 233-235

लोक सभा

सोमवार, 15 दिसम्बर, 1980/24 अग्रहायण, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चीनी उद्योग द्वारा गन्ना उत्पादकों को बोनस

*397. श्री पी. राजगोपाल नायडू : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग ने वर्ष 1979-80 में 100 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन गन्ना उत्पादकों को बोनस दिया जा गा जिन्होंने कारखानों को गन्ना सप्लाई किया था ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) : 'हानि' अथवा 'लाभ' विषयक प्रश्न के बारे में केवल वास्तविक वित्तीय परिणामों अर्थात् संबंधित चीनी कारखानों द्वारा सांविधिक रूप से तैयार किए गए वार्षिक लेखों से ही जानकारी प्राप्त होगी । सरकार के खाद्य विभाग में इन लेखों पर निगरानी नहीं रखी जाती है । वास्तविक लागत और प्राप्तियाँ प्रत्येक यूनिट में भिन्न-भिन्न होती हैं । सरकार द्वारा लेवी मूल्य निर्धारण के प्रयोजन हेतु अपनाए गए कुछेक सिद्धांतों के अनुसार जोनल आधार पर औसत उत्पादन लागत का हिसाब लगाया जाता है । इस आधार पर और मुक्त बिक्री की चीनी की बिक्री से प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए, कुल मिलाकर उद्योग के लिए 1979-80 मौसम के उत्पादन हेतु गन्ने के न्यूनतम मूल्य पर उत्पादन लागत (सामान्य लाभ सहित) पर अतिरिक्त प्राप्ति अनुमानत: लगभग 40/-रुपये प्रति क्विंटल बैठती है । गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अनुसार, 50 : 50 के आधार पर अतिरिक्त प्राप्ति प्राप्तियों को शेयर करने की बाद उद्योग को लगभग 39 लाख मीटरी टन चीनी के उत्पादन पर अनुमानत. लगभग 20/-रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से अतिरिक्त प्राप्तियाँ मिलनी हैं ।

(ख) गन्ना (नियत्रण) आदेश, 1966 के खण्ड क के अन्तर्गत गन्ना उत्पादक सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य से यूनिट की उत्पादन लागत पर

लेवी और मुक्त बिक्री की चीनी की बिक्री से अतिरिक्त प्राप्तियों को फैक्ट्रियों के साथ 50 : 50 के आधार पर शेयर करेंगे। गन्ना उत्पादक गन्ने के सांविधिक मूल्य के अलावा उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित गन्ने के अतिरिक्त मूल्य (न कि बोनस) के हकदार होंगे। प्रत्येक मिल को गन्ना उत्पादकों को जो और राशि देनी होगी वह इस बात पर निर्भर करेगी कि मौसम के दौरान दिए गए गन्ने के मूल्य की राशि किस सीमा तक अधिसूचित न्यूनतम मूल्य और इन प्रावधानों के अधीन देय अतिरिक्त मूल्य से कम पड़ती है।

श्री पी. राजगोपाल नायडू : जो भी मन्त्री महोदय ने कहा है वह लागत के बारे में है। अत: किसानों को बोनस दिया जाना चाहिए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार बोनस देने के लिए तैयार है अथवा नहीं :

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : मुझे यह नहीं मालूम कि बोनस का क्या अर्थ है। यह अतिरिक्त प्राप्तियों के माध्यम से अतिरिक्त लाभ में हिस्सा बटाना है अर्थात् भार्गव सूत्र के आधार पर इसे कारखानों और किसानों में बाँटना है। इसके अतरिक्त बोनस देने सम्बन्धी कोई योजना नहीं है।

श्री पी. राजगोपाल नायडू गन्ना-उत्पादकों में बहुत ही रोष है। उन्हें लागत एक ही समय में देनी होती है। इस सूत्र के कारण उन्हें अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अत: उन्हें लागत एक ही बार में दी जानी चाहिए और लाभ में भी उनका अंश होता है, उन्हें बोनस दिया जाना चाहिए। क्या सरकार उसके लिए तैयार है ?

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : जी नहीं, महोदय। मेरा विचार है यह सम्भव नहीं है। क्योंकि उत्पादन की लागत का पता चीनी के मौसम तथा कारखानों द्वारा गन्ना पिराई की समाप्ति पर ही चलेगा। जहां तक गन्ना उत्पादकों को अधिक मूल्य देने का सम्बन्ध है, उन्हें इस समय सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक मूल्यों से भी अधिक मूल्य प्राप्त हो रहे हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, राशन की चीनी और खुले बाजार की चीनी के दाम में बढ़ोत्तरी के कारण मिल मालिकों को काफी मुनाफा हुआ है। क्या सरकार को जानकारी है कि काफी मुनाफा कमाने के बावजूद मिल मालिकों पर गन्ना उत्पादकों का बकाया देय है ? यदि यह सही है तो क्या सरकार उन मिलों को निर्देश देगी ताकि किसानों को अपने गन्ने का बकाया मिल सके और वे आगे खेती कर सकें।

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : जहाँ तक मुझे मालूम है कारखानों द्वारा अतिरिक्त वसूली के कारण बकाया राशि देय नहीं है। अत: भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता है।

अध्यक्ष महोदय : वे पुराने एरियर्स की बात करते हैं। कहते हैं कि फायदा ज्यादा हुआ है तो बकाया जल्दी क्यों नहीं दिया जाता है।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : मैं उस देय बकाया राशि की बात कर रहा हूँ जिसका उन्होंने पहले गन्ना सप्लाई किया था।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, अभी शुगर फैक्टरीज गन्ने का भाव तय नहीं कर रही हैं और गन्ना लेने की बात कर रही हैं। जिससे किसानों में अनिश्चितता की

स्थिति बनी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि किसानों को असमंजस की स्थिति में न डालकर, कब तक गन्ने की निश्चित कीमत बताने की कृपा करेंगी ?

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : मैं समझा नहीं।

श्री शिव कुमार सिंह ठाकुर : मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, प्रो. दंडवते। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो. दंडवते का नाम पुकारा है।

प्रो. मधु दंडवते : मेरा विचार है कि मन्त्री महोदय अपने मूल उत्तर में इधर उधर की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 'मैं नहीं जानता कि बोनस की वास्तविक परिभाषा क्या की जाये।' तत्पश्चात् उन्होंने कहा है : जब कानून के अनुसार अर्थात् नियन्त्रण अधिनियम के अनुसार भी अतिरिक्त वसूली होती है तो उसे आधा-आधा बांटा जाता है। अतिरिक्त प्राप्तियां कितनी होती हैं, उन्होंने उस सम्बन्ध में भी बता दिया है। उन्होंने यह कहा है कि यह प्राप्तियां प्रति क्विंटल 20 रुपये है। इसके अनुसार और इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि अनेक विभागों ने 'उत्पादकता से जुड़ा बोनस' सिद्धांत को अपना लिया है, वास्तव में इस सिद्धांत को संगठित औद्योगिक श्रमिकों के मामले में लागू किया जाता है, इस सिद्धांत को यहां पर लागू क्यों नहीं किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय, आप तो किसानों के हम दर्द हैं। आप उस सिद्धांत को गन्ना उत्पादकों के मामले में लागू क्यों नहीं कराते हैं ? और इसे गन्ना उत्पादकों के सम्बन्ध में लागू करने पर विचार क्यों नहीं किया जाता है क्योंकि वास्तव में अतिरिक्त प्राप्तियां 20 रुपये प्रति क्विंटल हैं ? इसे उन्होंने अपने उत्तर में स्वीकार किया है।

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : कारखानों को कच्चा माल सप्लाई करने वाले कारबाना श्रमिक तथा उत्पादक, यह दोनों अलग-अलग श्रेणियां हैं। किन्तु एक प्रकार से इस सिद्धांत को मार्गदर्शक सूत्र के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है और इसी आधार पर यदि अनुमानित लाभ से अतिरिक्त लाभ होता है तो अतिरिक्त प्राप्तियों को कारखानों और गन्ना उत्पादकों में समान रूप से बांट दिया जाता है। किन्तु वास्तविक आँकड़ों का तभी पता चलेगा जब कारखानों का लेखापरीक्षण हो जाएगा और उन्हें राज्यों को भेज दिया जायेगा और उनके सन्तुलन पत्रों की जांच की जाएगी और गन्ना उत्पादकों को अतिरिक्त भुगतान का प्रश्न भी तभी उठेगा। किन्तु जैसा कि सामान्य तौर पर यह देखा गया है, गन्ने के लिए दिये गये मूल्य सांविधिक न्यूनतम मूल्यों से इतने अधिक हैं कि किसानों को देने को शेष कुछ नहीं बचेगा। यह सब अधिक मूल्यों के रूप में दिया जा रहा है जोकि कारखाने गन्ना पेरने के समय ही दे देते हैं।

प्रो. मधु दंडवते : चीनी मिल में उत्पादकता भी सप्लाई किये गये गन्ने की किस्म पर और गन्ने से प्राप्त पर निर्भर करती है। अतः जब उत्पादकता पर ध्यान दिया जाता है तो किस्म पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न 398 लिया जायेगा।

तमिलनाडु में मशीनीकृत नौकाओं के निर्माण के लिए राज सहायता

* 398. **श्री एन. डेनिस :** क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस गैर-सरकारी उद्योग का ब्यौरा क्या है जिसे वर्ष 1977-78 1978-79 और 1979-80 के दौरान तमिलनाडु में मशीनीकृत नौकाओं के निर्माण के लिए सीधे और तमिलनाडु राज्य के वित्त निगम के माध्यम से केन्द्रीय राज सहायता दी गई है;

(ख) इस बात की जांच करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि उक्त राज सहायता का उपयोजन के लिए ही किया जाता है; और

(ग) मशीनीकृत नौकाएं बनाने वाली वर्तमान फर्मों के कार्यकरण के बारे में की गई जांच का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.वी. स्वामीनाथन) : (क) इन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में यंत्रीकृत मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए कोई केन्द्रीय राज सहायता नहीं दी गई थी।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं होता।

श्री एन. डेनिस : मछली पकड़ने वाले बहुत ही पिछड़ी दशा में हैं। वे परम्परागत उपकरणों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे वे मछली पकड़ने के वर्तमान तरीकों के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकते। अत: इस पेशे के सुधार के हित में तथा गरीब मछली पकड़ने वालों की आर्थिक दशा के हित में भी क्या सरकार यंत्र चालित नावों के निर्माण को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार की राज सहायता देने के लिये अनुदान देगी ? क्या इस सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है ?

श्री आर. वी. स्वामीनाथन : राज्य सरकार इन छोटी-छोटी यंत्रचालित नावों के लिए राज सहायता दे रही है। वे कुल निवेश की गई धनराशि का 10 प्रतिशत दे रही है और केन्द्रीय सरकार इस पर कोई राज सहायता नहीं दे रही है।

श्री एन. डेनिस : क्या सरकार तमिलनाडु में यंत्रचालित नावों के निर्माण की एक परियोजना स्थापित करने के लिए कदम उठायेगी ? यदि हां, तो क्या वे उन स्थानों को बतायेंगे जहां ऐसी परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी ?

श्री आर. वी. स्वामीनाथन : उन्होंने अच्छा सुझाव दिया है। इस सुझाव पर सरकार विचार करेगी।

श्री सी. टी. दण्डपाणि : मंत्री महोदय ने जो तमिलनाडु के हैं, अभी-अभी बताया है कि केन्द्रीय सरकार कोई राज सहायता नहीं दे रही है। इन नावों का समुद्र में मछली पकड़ने के लिए प्रयोग किया जा रहा है और ये विदेशी मुद्रा की भारी राशि कमा रहे हैं। क्या केन्द्रीय सरकार के समक्ष ऐसा प्रस्ताव है जिसमें राज्य सरकारों को राज सहायता और अन्य सहायता के रूप में भारी रकम देकर उन्हें इस सम्बन्ध में प्रोत्साहित किया जाये। ताकि इस प्रकार की यंत्र चालित नावों का निर्माण किया जा सके और इनका गहरे समुद्र में मछली पकड़ने तथा अन्य कामों के लिए उपयोग किया जा सके ? क्या उनके पास ऐसा प्रस्ताव है ?

श्री आर. वी. स्वामीनाथन : जिस प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है वह है छोटी नावों के बारे में, जिनका प्रयोग क्षेत्रीय समुद्र में मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। माननीय सदस्य मछली पकड़ने के जलपोत के बारे में जानने के इच्छुक हैं। इस सम्बन्ध में दूसरा प्रश्न आ रहा है।

श्री सी. टी. दण्डपाणि : मैं जानता हूं कि जलपोत नाव से भिन्न है।

श्री आर. वी. स्वामीनाथन : बड़ी नावों के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है। फिर भी इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : इस प्रश्न का सम्बन्ध किसी क्षेत्र से है जिसके लिए यंत्रचालित नावों के निर्माण के लिए कुछ केन्द्रीय राज सहायता देने का प्रस्ताव है। यह केवल जलपोतों और मछली पकड़ने की नावों का ही प्रश्न नहीं है। जहां भी जन हित ग्रस्त है, क्या सरकार उस मामले पर विचार करेगी ? उदाहरण के लिए तमिलनाडु में विवेकानन्द एक स्मारक में यात्रियों को लाने ले जाने के लिए यंत्रचालित नावों के उपलब्ध न होने के कारण पहुंचना कठिन हो गया है और इससे भारी कठिनाई हो रही है। क्या मंत्री महोदय को इस समस्या की जानकारी है और क्या इसका कोई समाधान है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न देखिए। यही कारण है कि मैंने आपको बोलने की अनुमति दी है।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्रसिंह राव) : प्रश्न राज सहायता के बारे में है और हमने इसका उत्तर दे दिया है। मछली पकड़ने की नावें वास्तव में यात्रियों को एक स्मारक तक ले जाने के लिए नहीं हैं (व्यवधान)। प्रश्न यंत्रचालित मछली पकड़ने की नावों के बारे में है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया : अत: मैं अपना प्रश्न वापस लेता हूँ।

इनलैंड फिशरीज प्रोजेक्ट

* 399. श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक नवम्बर, 1980 के अंग्रेजी दैनिक 'नागपुर टाइम्स' में 'इनलैंड फिशरीज प्रोजेक्ट बाई मार्च नैक्सट्' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो यह परियोजना कब आरम्भ होगी;

(ग) उत्तर प्रदेश में आगामी पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार 'फिश सीड हैचरी कम्पलैक्स' कहां बनाये जायेंगे;

(घ) इस परियोजना में कुल कितनी राशि खर्च किये जाने का विचार है; और

(ङ) भारत सरकार द्वारा कितना निवेश किया जायेगा और अन्य एजेंसियों द्वारा जो भारत में तथा भारत सरकार के बाहर स्थित हैं, कितना निवेश किया जायेगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ।

(ख) यह परियोजना 1 अप्रैल, 1980 से शुरू हो चुकी है।

(ग) इस परियोजना में '4 फिश सीड हेचरियों' की स्थापना करने की व्यवस्था की गई है। उनके स्थान के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(घ) 37 90 करोड़ रुपये ।

(ङ) भारत सरकार का हिस्सा 7.91 करोड़ रुपये होगा, राज्य सरकार का हिस्सा 15.96 करोड़ रुपये होगा और कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम का 14.03 करोड़ रुपये होगा । विश्व बैंक 17.2 करोड़ रुपये की सहायता ऋण के रूप में देगा, जिसे परियोजना की लागत के लिए कृषि पुनर्वित्त विकास निगम/राज्य सरकार के हिस्से के रूप में दिखाया गया है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि इसके ऊपर कुछ दिनों से काम शुरू हो गया है और साथ ही साथ यह भी कहा है कि कुछ जगहों का निर्णय नहीं हुआ है । मैं जानना चाहता हूं कि किस-किस जगह पर यह का शुरू हुआ है ?

श्री आर. वी. स्वामीनाथन : बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 'हैचरीज' स्थापित करने का फैसला किया गया है । ये कहां लगाए जाएं इसका फैसला राज्य स्वय करेंगे । राज्य इसको अन्तिम रूप दे रहे हैं । उनका प्रतिवेदन मिलने पर उन पर विचार किया जाएगा ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद : मैं यह जानना चाहता हूँ कि अब तक किस जगह पर खर्चा हुआ है कहां खर्चा हुआ और कैसे हुआ है ?

श्री आर. वी. स्वामीनाथन : जहां तक मैं जानता हूं कोई खर्च नहीं किया गया है । यह अभी प्रारम्भिक अवस्था में है । इसे शीघ्र लगाया जाएगा । इसे कहाँ लगाया जाएगा, यह राज्यों पर छोड़ दिया गया है । राज्य इनको अन्तिम रूप दे रहे हैं और शीघ्र ही रिपोर्ट भेजेंगे । इसे शीघ्र अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : मान्यवर, पहली अप्रैल से यह चालू किया है ।

अध्यक्ष महोदय : आप तीसरा सवाल नहीं कर सकते ।

श्री बापूसाहेब परुलेकर : उत्तर में कहा गया है कि परियोजना पहली अप्रैल, 1980 से आरम्भ हो चुकी है । नौ महीने बीत चुके हैं, पर मंत्री जी कहते हैं कि स्थान का फैसला नही हुआ है । तो फिर (क) यह कहने का क्या तात्पर्य है कि परियोजना पहली अप्रैल, 1980 से आरम्भ हो चुकी है, (ख) क्या परियोजना के स्थान के बारे में कोई मानदण्ड निश्चित किये गये हैं, और (ग) महाराष्ट्र को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया और क्या सरकार महाराष्ट्र में रत्नगिरि में परियोजना लगाने के प्रश्न पर विचार करेगी जहां से करोड़ों रुपये मूल्य की मछली निर्यात की जा रही हैं, क्या सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेंगी ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निमाण तथा सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : ये परियोजनाएं वस्तुत: राज्यों द्वारा तैयार की गई हैं। इन पर जो खर्च होगा उसकी पूर्ति विश्व बैंक करेगा । भारत सरकार ने अपने हिस्से का 7.91 करोड़ रुपया देने का निर्णय कर लिया है । कुछ धन राज्य स्वयं भी जुटाएंगे । शेष पैसा बाहर से आना है । पांच राज्यो ने इस विषय में करार कर लिए हैं और यदि महाराष्ट्र राज्य आगे नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं । बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल पाँच राज्यों ने यह परियोजना शुरू की है । इन्हीं पाँच राज्यों के अन्तर्देशीय मत्स्य-पालन विकास में काफी रुचि दिखाई है और इस समय इनका उत्पादन

भी काफी है। हम इन राज्यों के उत्पादन को और अधिक बढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए हमने इन राज्यों के प्रस्ताव स्वीकार किए हैं।

आलू का मूल्य सूचकांक तथा उसका उत्पादन

401. श्री कृष्ण चन्द्र हालदार : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) आलू का थोक मूल्य सूचकांक 1979-80-100 07 (आधार 1970-71) के औसत के मुकाबले में कितना है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष आलू का कितना उत्पादन हुआ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निमाण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) अप्रैल से नवम्बर, 1980 तक की अवधी के दौरान आलूओं का औसत थोक मूल्य सूचकांक 209.1 था जबकि 1979-80 (अप्रैल-मार्च) के दौरान यह 100.7 था।

(ख) आलू का अखिल भारतीय उत्पादन का अनुमान 1976-77 में 71.71 लाख मीटरी टन, 1977-78 में 81.35 लाख मीटरी टन तथा 1978-79 में 101.25 लाख मीटरी टन लगाया गया था। 1979-80 से सम्बंधित ठीक ठीक अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। तथापि, प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार 95 से 90 लाख मीटरी टन तक का उत्पादन होने की सम्भावना है।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : मंत्री महोदय, ने अपने उत्तर के (ख) भाग में बताया है कि 'वर्ष 1979-80 के ठीक ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं हुये है। वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो जाता है और अब तक 8 महीने का समय व्यतीत हो गया हैं परन्तु अभी तक आलू के वास्तविक उत्पादन सम्बन्धी वर्ष 1979-80 के आँकड़े उपलब्ध नहीं हुये है। इससे यह पता चलता है कि कृषि मंत्री ने इन प्रश्नों के बारे में कैसी उदासीनता प्रदर्शित की है। श्रीमान जी क्या यह ठीक है कि चूकि उत्पादकों की लाभप्रद मूल्य प्राप्त नहीं हुये हैं, इसलिए आलू का उत्पादन 25 प्रतिशत कम हुआ है ? अत: फसल का मौसम आरम्भ होने पर सरकार उत्पादकों के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निमाण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : जैसा कि मेरे सहयोगी द्वारा बताया गया है, इसके अनुमान उपलब्ध करवा दिये गये है। परन्तु राज्यों से वास्तविक ब्यौरा प्राप्त करने में समय लगता है क्योंकि राज्यों को यह आँकड़े फार्म, ब्लाक तथा जिला कृषि कार्यालयों से एकत्रित करने होते है। केवल दो ही महीन के समय में यह सब आंकड़े एकत्रित करना सम्भव नहीं होता। अत: यह सम्पूर्ण प्रक्रिया होती है और हमने जितनी जल्दी हो सका है, यह फार्म आँकडे एकत्रित करने का प्रयास किया है। परन्तु केवल यही नहीं, हमने प्रत्येक फार्म तथा उसकी प्रत्येक उपज के आँकड़े एकत्रित करने का प्रयास किया है और उसमें हमने इस, मुर्गी पालन तथा उनके द्वारा दिये गये अण्डों आदि तक को भी इन आकड़ों में शामिल कर लिया है। मैं सदस्य महोदय के साथ इस बात पर सहमत हूं कि इस समय को कम किया जा सकता है। हम इस ओर ध्यान देंगे।। पहले दिये गये आरम्भिक अनुमानों के अनुसार यह उत्पादन 85 और 90 लाख टन के बीच है और हमें आशा है कि इसमें और वृद्धि होगी और यह बढ़ कर 100 लाख टन तक हो सकता है। परन्तु हमारे आलू के उत्पादन में बहुत वृद्धि हो

रही है। बाजार में वर्तमान मूल्य पूर्णतया संतोषजनक है। इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब मूल्यों में गिरावट आयेगी तो उन्हें स्थिर रखने के लिए सरकार निश्चय ही कदम उठायेगी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के अन्तिम भाग का उत्तर नहीं दिया है। अपना दूसरा प्रश्न पूछने से पूर्व मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं। आलू के थोक तथा खुदरा दामों में बहुत अन्तर है और जिस क्षेत्र में इसका उत्पादन होता है तथा जिस क्षेत्र में इसकी खपत की जाती है, इन दोनों के मूल्यों में, परिवहन पर होने वाले खर्चे को दृष्टिगत रखने के बावजूद भी काफी बड़ा अन्तर है। शीतागार में रखने पर इसका मूल्य काफी बढ़ जाता है। शीतागारों के मालिक तथा व्यापारी कृत्रिम अभाव उत्पन्न कर देते हैं। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार वसूली तथा वितरण सम्बन्धी उचित व्यवस्था आरम्भ करने का है जिससे कि उपभोक्ताओं को आलू सस्ते दामो पर उपलब्ध हो सके तथा उत्पादकों को भी उसका लाभप्रद मूल्य प्राप्त हो सके ? आलू के दामों में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए क्या सरकार का विचार शीतागारों का राष्ट्रीयकरण करने का है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : कृषि उत्पादकों के सम्बन्ध में प्रायः ऐसा देखा गया है कि उनके मूल्य उस समय प्रायः कम होते हैं जबकि मौसम की फसल बाजार में आती है और बाद में उनके मूल्य काफी बढ़ जाते हैं तथा सब्जियों तथा जल्दी खराब हो जाने वाली अन्य उपजो पर यह बात विशेष रूप से लागू होती है और इसका लाभ बिचौलियों तथा व्यापारियों को होता है। हम अपने सहकारी विपणन संगठनों को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रहे हैं। हम इस क्षेत्र में उपभोक्ता आन्दोलन को भी बलशाली बनाने का प्रयत्न कर रहे है। हम जो कुछ भी कर सकते हैं, कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य के साथ इस बात पर सहमत हूँ कि सरकार को इस दिशा में और अधिक कार्यवाही करनी चाहिये जिससे कि उपभोक्ता को वर्ष भर यह कृषि उपज उपयुक्त मूल्य दर उपलब्ध होती रहे।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं आप से संरक्षण की आशा करता हूं। उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि सरकार इसमें आगे कार्यवाही करेगी। मैं ठोस उत्तर की अपेक्षा करता हूँ। शीतागारों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी मेरे प्रश्न का इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया है।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : उन्होंने शीतागारों के राष्ट्रीयकरण के बारे में पूछा था। जैसाकि माननीय सदस्य को मालूम ही है, हमारे पास शीतागारों की कमी है और हम शीतागारों की क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहते हैं।

श्री रामगोपाल तिवारी : चूंकि आलू खराब हो जाने वाला उत्पाद है अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि आलू के कुल उत्पादन से कितनी मात्रा ऐसी है जो खराब हो गई है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं यह बता सकने की स्थिति में नहीं हूं कि कितनी मात्रा खराब हो गई है और कितनी मात्रा ली गई है। इसे अलग प्रश्न के रूप में पूछा जाना चाहिये और फिर भी इसका उत्तर देना काफी कठिन होगा।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करना सम्भव नहीं होगा। अगला प्रश्न लीजिये।

श्री आर. के. महालगी : इन्होंने उपभोक्ता आन्दोलन के सम्बन्ध में भी कुछ कहा था। मैं इसके बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप कल के बारे में अलग से प्रश्न पूछ सकते हैं इसमें कोई तथ्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री ए. के. राय का प्रश्न संख्या 403।

श्री ए० के० राय : प्रश्न संख्या 403। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। यह बहुत ही साधारण तथा सीधा सादा प्रश्न है। इसका उत्तर मैंने सूचना कार्यालय में पढ़ा था जिसमें बताया गया था कि जानकारी एकत्रित की जा रही है और उसे समापटल पर रख दिया जायेगा। अभी जब कि मैं कुछ कहने जा रहा था तो मुझे एक व्यापक सूची दे दी गई है। मैं नहीं समझता कि इसके अन्य सदस्यों को अपने अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार से अनुपूरक प्रश्नों को पूछने का अवसर समाप्त कर दिया गया है। अचानक सदस्य भला अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं ?

श्री आर. के. महालगी : प्रश्न को रोक लिया जाना चाहिए।

श्री ए. के. राय : यह पर्यावरण भूविज्ञान सम्बन्धी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उत्तर पुनःरीक्षित है।

श्री ए. के. राय : परन्तु मुझे तो यह केवल एक ही मिनट पहले मिला है।

श्री वीरेन्द्रसिंह राव : यदि सदस्य महोदय कोई प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें यह भी मालूम होता है कि उन पर किस प्रकार के अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इसे पढ़ लीजिये। हम इसे बाद में ले लेंगे या फिर यदि चाहे तो वह इसे पढ़ सकते हैं।

श्री ए. के. राय : वह इसे पढ़ दें।

इंडियन स्कूल आफ माइन्स

*403. **श्री ए. के. राय :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय 'इण्डियन स्कूल आफ माइन्स' धनबाद में कौन-कौन सी बड़ी अनुसंधान योजनायें और विकास संबधी परियोजनायें चल रही हैं और उनके लिए वर्ष 1980-81 के लिए कितनी धनराशि दी गई है;

(ख) क्या पर्यावरण भूविज्ञान के सम्बन्ध में विशेषत: बाँधों और जलशयों में गाद जमा होने से रोकने के लिए, जिसके बारे में इण्डियन स्कूल आफ माइन्स में अनुसंधान हो रहा है, कोई योजना है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उससे सम्बन्धित अनुसंधान को प्रोत्साहन देने का है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी० चव्हाण) : (क) वर्ष 1980-81 के लिए स्वीकृत राशि सहित इस स्कूल में चल रही प्रमुख अनुसंधान परियोजना विवरण-I में दी गई है, जो सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ख) से (घ) इस स्कूल में प्रयुक्त भू-विज्ञान विभाग के अन्तर्गत पर्यावरणात्मक भू-विज्ञान सम्बन्धी निम्नलिखित दो अनुसंधान परियोजनाएं चालू हैं :—

1. जिला धनबाद (एक आई. एस. एम. परियोजना) का पर्यावरणात्मक भू-विज्ञान।

2. (कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के सहयोग से) भागीरथी/हुगली नदियों का समेकित तलहट-विज्ञान तथा जल-विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन।

दो अनुसंधान परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण-2 में दिये गये हैं जो सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण-1

चल रही प्रमुख अनुसंधान प्रयोजनाएं

अनुसंधान परियोजना	किसके द्वारा चलाई जा रही हैं	1980-81 के लिए स्वीकृत राशि।
1. चट्टानों के टूटने की समस्याओं की जाँच करना।	ऊर्जा मंत्रालय (सी. एच. पी. डी. आई.) राँची।	8,00,000/-रुपये
2. हीट फलों का अध्ययन।	ऊर्जा मंत्रालय (सी. एच. पी. डी. आई.) राँची।	*
3. भारतीय कोल सीवन की कार्यक्षमता का मूल्यांकन	ऊर्जा मंत्रालय (सी. एच. पी. डी. आई.) राँची।	*
4. कन्ट्रोल आफ ग्राउन्ड बिहेवियर मूवमैंट एराउंड एक्ट्रेशन पेरीमीटर	ऊर्जा मंत्रालय (सी. एच. पी. डी. आई. राँची)*	
5. एसेसमेंट आफ सर्फेस मूवमेंट ड्यू टू मिनरल एचस्ट्रेक्शन	ऊर्जा मंत्रालय (सी. एच. पी. डी. आई. राँची)*	
6. स्टेबिलिटी आफ स्लोप्स इन ओपन पिट माइन्स	ऊर्जा मन्त्रालय (सी. एच. पी. डी. आई. राँची)*	
7. मीथेन एमीशन एंड ड्राईनेज	ऊर्जा मन्त्रालय (सी. एच. पी. डी. आई. राँची)*	
8. डीसल्फाराइजेशन आफ हाई सल्फर्स असम कोल्स बाई बैक्ट्रोयिल मीन्स	ऊर्जा मन्त्रालय (सी. एच. पी. डी. आई. राँची)	*
9. बेनीफिकेशन आफ ली ग्रेड डिपाजिट्स आफ चाइना क्ले एंड दीयर इंडस्ट्रीयल यूटीलाइजेशन	एस. एंड टी.	रु. 2,06,000/-
10. प्रिलिमिनरी सर्वे आफ लीचिंग आफ सल्फाइड ओर्स बाई बेक्टेरियल मींस	एस. एंड टी.	रु. 90,000/-

11.	डिटेल्ड ज्योलोजिकल, ज्यूकेमिकल इन्वेस्टीमेशंस आन पसत्फाईड ओर बाडीज एंड एसोसिटिड राक्स इस मोसाबोनी राखा सेक्शन	एस. एंड टी.	रु. 1, 19,000/-
12.	स्टडी आफ ग्राउंड बिहोवियर इन कापर डिपाजिट्स वाई पोस्ट-पिलर मैथड एट मोसाबोनी-सूर्द माइन्स आफ हिन्दुस्तान कापर लिमिटिड, घाट शिला-बिहार	एस. एंड टी.	रु. 68,000/-रु.
13.	डेवलपमेंट आफ ए मल्ट्री-फ्रीक्वेन्सी इलेक्ट्री मैगनेटिक प्रासपीक्टिंग इक्वीपमेंट ।	इलेक्ट कम्पनी	*
14.	इंटर प्रटेशन आफ एयरबोर्न जियोफिजिकल एयरोनौमिक डेट आफ इलाहाबाद, सोर रीवर एंड भरत पुर एरिया (क्षेत्र)	डी. एस. टी.	×
15	इलेक्ट्रानिक्स इन्सटरूमैंटेशन मेन पावर ट्रेनिंग प्रोजोकट	इलेक्ट्रानिक आयोग	1,50,000/-रु.
16.	कारोजन प्रिवेन्सन आफ अण्डर ग्राउण्ड माइनिंग इक्वीपमेंट एंड असेसरीज	वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद	22,000/-रु.
17.	आइल अग्लोमैरेशन	वही	37,000/-रु.
18.	फीजिविल्टी स्टडी आफ फोटो टाइप माडल डिवैल्पमैंट आफ वी. एल. एफ. कम्यूनिकेशन सिस्टम फार माइनिंग अप्लीकेशन (कलेवोरेशन प्रोजैक्ट अडर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर)	इलैक्ट्रानिक आयोग	×
19.	अप्टीमाइजेसन आफ कोल फलोइंग सरकिटस वैटर रिकवरी आफ फिससिज फराम कोल बाशरी एंड रियूज आफ वाटर ।	पी. एच. पी. डी. आई.	50,000/-रु.
20.	करेक्ट्राइजेसन आफ हैवी मिडिया साइक्लोन ।	डी. एस. टी.	5,00,400/-रु-

* दर्शाता है "संस्वीकृति प्राप्त नहीं हुई"

21. सर्विलैंस आफ ग्राउंड कट्रोल पैरामीटर इन मकैनिकल लांबवाल मा निंग	इलाक्ट्रानिक आयोग	2,40,000/रु.
22. स्ट्क्चरल एंड लियोजाजिकल अनेलिसिस आफ सिह भोम-छोटा नागपुर वाई लैंड सेट यूनीसटी	भारतीय स्पेस एंड रिसर्च संगठन	×
23. माइल इन्डोनमैंट प्रोजेक्ट	एम. ओ. आई. एल. ब्याज आय लगभग	13.5000/-रु.
24. मिनरलाइजेशन आफ सुरिवन्दा अल्ट्रामाफिक बैल	डी. एस. टी.	×

विवरण-2

1. जिला धनबाद का पर्यावरणात्मक भू-विज्ञान

इस परियोजना का उद्देश्य धनबाद (औद्योगिक) भू-विज्ञान, मौसम खनिज तथा ऊर्जा साधनों, इजीनियरी भू-विज्ञान और सम्बद्ध तथ्यों के विभिन्न ब्यौरों को एक सचित्र तथा ग्राफिक प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था करना है ताकि जिले के प्रभावी तथा सुव्यवस्थित के लिए तत्काल और दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जा सकें। और विकासात्मक धन का लाभदायक ढग से उपयोग किया जा सके। जल साधनों पर विशेष बल दिया जाना है ताकि जिले के प्रभावी तथा सुव्यवस्थित विकास के लिए तत्काल और दीर्घकालिक योजनाएं बनाई जा सकें। और विकासात्मक धन का लाभदायक ढंग से उपयोग किया जा सके। जल साधनों पर विशेष बल दिया जाना है ताकि पीने और सिंचाई के लिए पानी आसानी से उपलब्ध हो सके।

2. भागीरथी हुगली नदी प्रणाली का समेकित तलछटी विज्ञान सम्बन्धी और जल-विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन

भारतीय खनिज स्कूल भागीरथी-हुगली नदी का एक समेकित तलछट विज्ञान सम्बन्धी और जल-विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन करने के लिए उक्त परियोजना के लिये कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को सहयोग प्रदान कर रहा है ताकि नदी अजय तथा जलाँगी के तलछट क्षेत्र की जाँच की जा सके।

श्री ए.के. राय : ऐसा करके वह अन्य अनुपूरक प्रश्न पूछने के अवसर कम कर रहे है। अब मैं अपने अनुपूरक प्रश्न पूछता हूं।

मैंने पर्यावरण भूविज्ञान के अनुसंधान तथा विकास कार्य पर विशेष रूप से बल दिया है। आपको मालूम ही है कि कार्बन के रसायन से कार्बनिक पदार्थ बनता है और सिलिकन के रसायन से भूविज्ञान बनता है। जब यह दोनों मिल जाती है तो उससे पर्यावरण भूविज्ञान बन जाता है। आपको मालूम ही है कि सिविल इन्जीनियरिंग पर अधिक बल देने से हमारे देश की सम्पूर्ण स्थान-विज्ञान पर कम भाव पड़ा है। आज भूक्षरण के कारण हमारे देश की 190 लाख हैक्टर भूमि, आधुनिक अयतन लगभग मरुस्थल बन गई है और लगभग 60 0 टन मिट्टी का क्षरण हो रहा है जिसमें 28 लाख टन नाइट्रोजन तथा 380 लाख टन पोटाशियम है। इसका तात्पर्य यह

हुआ कि हमारे उर्वरक कारखानों द्वारा जो कुछ भी पैदा किया जा रहा है हम उससे कहीं अधिक पर्यावरण भूविज्ञान की अवहेलना करके गंवा रहे है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह न केवल इस सन्दर्भ में अपितु सम्पूर्ण देश में पर्यावरण भूविज्ञान की महत्वा को दृष्टिगत रखते हुये उसके सन्दर्भ में हो रहे अनुसंधान तथा विकास कार्यों के बारे में सम्पूर्ण सदन को सूचित करेगी ?

श्री एम. बी. चव्हाण : माननीय सदस्य द्वारा जो चिंता व्यक्त की गई है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ, परन्तु वह जिस विषय का उल्लेख कर रहे है उसका अध्ययन राज्य सरकारों के सिंचाई विभाग द्वारा किया जाता है। अतः जब तक राज्य सरकारों से यह जानकारी प्राप्त न हो जाये कि वह उस प्रकार का अध्ययन करवा रहे हैं या नहीं जिसकी कि सदस्य महोदय अपेक्षा कर रहे हैं, तब तक मैं इसके सम्बन्ध में विशेष कुछ नहीं कह सकता कि इस सम्बन्ध में किस प्रकार का अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य आरम्भ किया जाएगा।

श्री ए.के. राय : कुछ समय पूर्व मैंने भारतीय खानों के स्कूल के निदेशक के साथ पत्र-व्यवहार किया था। मैंने कुछ वरिष्ठ प्रोफेसरों के साथ विचार-विमर्श भी किया था। वे सभी यह चाहते हैं। मैं विशेष रूप से गाद की समस्या पर बल देना चाहता हूँ। धनवाद जिले में भी हमारे पास आय है। हर वर्ष उनमें गाद भर जाती है और वहाँ बाढ आती है। उसके बारे में उन्होंने कुछ अनसंधान कार्य किया है। इसी प्रकार भगीरथी तथा हुगली नदी की गोद के बारे में भी अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। यह महत्वपूर्ण है। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय द्वारा सिंचाई वरथी तथा विशेष रूप से हिमालय के क्षेत्र तथा छोटा भागलपुर क्षेत्र में व्याप्त गाद की समस्या के बारे में अनुसंधान कार्य करने के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न मुख्य प्रश्न की परिद्धि में नहीं आता।

श्री ए.के. राय : मैंने इसके बारे में विशेष रूप से पूछा है। आप कृपया मेरे प्रश्न के रखा भाग को पढ़िये। इसमें कहा गया है :

"क्या पर्यावरण भूविज्ञान के सम्बन्ध में विशेषतः बाओं और जलाशयों में गाद जमा होने से रोकने के लिए, जिसके बारे में इन्डियन स्कूल आफ माइन्स में अनुसंधान हो रहा है, कोई योजना है।"

मैं केवल शौक्षिक या काल्पनिक प्रश्न नहीं पूछना हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसका उत्तर देना चाहते हैं ?

श्री एस. बी. चव्हाण : जहाँ तक सिंचाई बाधों में अवसाहन तथा गोद आदि भरने का सम्बन्ध है, इनके बारे में अनुसंधान कार्य सम्बद्ध राज्य सरकारों को सिंचाई अनुसंधान संस्थानों द्वारा किया जाता है। परन्तु यदि सदस्य महोदय का तात्पर्य किसी भिन्न ऐसे अध्ययन से है जो कि सिंचाई अनुसंधान संस्थान द्वारा न किया जा रहा हो अर्थात् कोई ऐसा अध्ययन जिस में कि भू-विज्ञान तथा अवसादन के विभिन्न सम्बन्धों के बारे अनुसंधान किया जा सके, तो ऐसे पहलू पर धनवाद संस्थान द्वारा विचार किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में उत्पादकों द्वारा मिलों को गन्ने की सप्लाई बन्द किया जाना

*404. **श्री बी.बी. देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों द्वारा मिलों को गन्ने की सप्लाई बन्द करने का निर्णय करने से गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है;

(ख) यदि हाँ, तो यह निर्णय कब किय गया;

(ग) क्या उन्होंने 30 रुपये प्रति क्विन्टल से कम लेने से इन्कार कर दिया है;

(घ) क्या इससे चीनी मिल ठप्प हो गई है;

(ङ) यदि हाँ, तो क्या यह प्रवृति अन्य राज्यों में भी फैल गयी है;

(च) क्या इस निर्णय से देश में चीनी उत्पादन पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(छ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निमाण मंत्रालय में उप मत्री (कुमारी कमला कुमारी) : (क) से (छ) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सरकार ने पहले कई एक अवसरों पर यह विचार व्यक्त किया था और वह उन्हें दोहराना चाहेगी कि गन्ना उत्पादकों द्वारा शुरू किया गया आन्दोलन जोकि शुरू-शुरू में महाराष्ट्र में प्रारम्भ किया गया था और बाद में जिसे उत्तर प्रदेश के कुछेक क्षेत्रों में भी शुरु किया गया है, आवश्यक रूप से राजनीतिक स्वरूप का है । उत्तर प्रदेश में यह आन्दोलन 7 दिसम्बर, 1980 को शुरू किया गया था जिसके दौरान यह मांग की गई थी कि चीनी मिलों को गन्ना सप्लाई करने वाले गन्ना उत्पादकों को गन्ने का 30/-रुपये प्रति क्विन्टल से कम मूल्य नही मिलना चाहिए । इस आन्दोलन का पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कुछेक चीनी फैक्ट्रियों पर केवल आंशिक रूप से ही प्रभाव पड़ा है । उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों में स्थिति पश्चिम उत्तर प्रदेश की 9 चीनी मिलों को छोड़ कर, कुल मिलाकर राज्य में गन्ने की सप्लाई तथा चीनी के उत्पादन की समूची स्थिति सतोषजनक है । इन 9 मिलों में से भी 8 मिलें आंशिक रूप से चल रही है और वे आन्दोलन के कारण बद नहीं हुई हैं । इस संबध में यह महत्वपूर्ण बात है कि 30-11-80 तक उत्तर प्रदेश की चीनी फैक्ट्रियों ने 92,000 मीटरी टन चीनी का उत्पादन किया है जबकि गत वर्ष उसी तारीख तक केवल 83,000 मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था । 7 दिसम्बर, 1980 तक राज्य की 89 फैक्ट्रियों में से 79 फैक्ट्रियों ने उत्पादन कार्य शुरू किया है जबकि गत वर्ष उसी तारीख तक 74 फैक्ट्रियों ने कार्य शुरू किया था । बाद में इस संख्या में और भी वृद्धि हुई है और 81 फैक्ट्रियों ने कार्य शुरू किया है । इस वर्ष देश में चीनी के उत्पादन की कुल मिलाकर स्थिति की प्रवृत्ति उत्साहवर्धक ही है । वर्तमान वर्ष के दौरान 30.11 80 तक चीनी का कुल उत्पादन लगभग 4.41 लाख मीटरी टन हुआ है जबकि गत वर्ष उसी अवधि के दौरान 2.95 लाख मीटरी टन का उत्पादन हुआ था । 7-12-80 तक देश में 213 कारखानों ने पिराई कार्य शुरु किया था जबकि गत वर्ष उसी तारीख तक 209 फैक्ट्रियों ने कार्य शुरु किया था । इससे स्पष्ट होता है कि आन्दोलन का कारखानों के कार्य तथा चीनी की कुल उत्पादन से सम्बन्धित स्थिति पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है ।

सरकार को विश्वास है कि वे समझदारी से काम लेंगे और आन्दोलन को समाप्त कर देंगे और ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने देंगे जिससे कानून और व्यवस्था की स्थिति [illegible] हो जाए। विदित हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए सभी तरह की सावधानी बरत रही है।

श्री बी.वी. देसाई : सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य में उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन की केवल पिछले वर्ष से तुलना की गई है। इसमें कहा गया है कि जबकि 30-11-79 को उत्पादन 83,000 टन था तथा 30.10.80 को 92,000 टन हो गया। मंत्री महोदय उत्पादन में इस थोड़ी सी वृद्धि से संतुष्ट हैं। परन्तु उन्होंने 30.11.78 और 30.11.77 के आँकड़े नहीं बताये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह पिछले वर्ष के आँकड़े संकेत है। क्योंकि पिछले वर्ष चीनी मिलों का कार्य हमारे देश में अच्छा नहीं रहा इसीलिए हमें कठिनाई आई। इसलिए मैं इन दो वर्षों के तुलनात्मक आँकड़े चाहता हूं। दूसरे प्रश्न संख्या 397 का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय ने बताया कि कृषकों एवं गन्ना उत्पादकों को भारी मूल्य दिये जा चुके है परन्तु 5 अथवा 6 रुपए के उत्पादन लागत की चीनी को वे 15 अथवा 20 रुपए की दर से बेच रहें है जोकि बहुत बड़ा लाभ है जबकि मंत्री महोदय ने बताया था कि लाभ बहुत कम रहा जिसे कि गन्ना उत्पादकों के साथ बाँटा जा सके। क्या यह सच है कि इस तथ्य के कारण कि वे थोड़ी भाग भी छोड़ने को तैयार नहीं, बेशक मार्गव कमेटी रिपोर्ट में बराबर-बराबर बटवारे की बात की गई थी, गन्ना आज मिलों में आ नहीं रहा। क्या मैं जान सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या मूल्य दिया जा रहा।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : उत्तर प्रदेश में भिन्न-भिन्न मिलों के लिये मूल्य अलग-अलग है। प्रत्येक मिल में तथा अलग-अलग स्थानों में गन्ना खरीदने के तरीके भी अलग-अलग हैं ? कुछ मिलों को माल गेट पर मिल जाता है और कुछ मिलों को किसानों के पास जाकर उनसे खरीद करनी होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधान मंत्री के परामर्श पर चीनी मिलों को सलाह दी कि 8.5 प्रतिशत उपलब्धि पर 16 रुपये की कीमत दी जाये। परन्तु मुझे पता चला है कि मिलें गन्ने के लिए 20 रुपयें क्विंटल की दर से दे रही है। कुछ मिलें बहुत ऊँचे दर दे रही हैं।

दूसरा प्रश्न जो माननीय सदस्य ने पूछा था, मूल प्रश्न से संगत नहीं है, उसमें तुलना केवल पिछले वर्ष के साथ ही नहीं की गई अपितु दो पिछले वर्ष के साथ की गई है। इसी से प्रकट हो जाता है कि इस समय स्थिति अधिक संतोष जनक है। जैसा कि मैं उत्तर में बता चुका हूं इस वर्ष 30 नवम्बर तक हमने 4.41 लाख टन चीनी का उत्पादन किया। पिछले वर्ष इसी अवधि में केवल 2.95 लाख अथवा लगभग 3 लाख टन का उत्पादन हुआ था। इससे पूर्व के वर्ष में उत्पादन 3.95 लाख टन, 4 लाख टन से थोड़ा कम हुआ था, जब कि अब यह 4.5 लाख टन है।

मिलों के कार्यकरण में भी उन्नति हुई है। 7 दिसम्बर 1980 को देश भर में 213 फैक्ट्रियाँ कार्यरत थीं। परन्तु पिछले वर्ष उनकी संख्या 209 ही थी मैटर उससे पहले वर्ष 230 थी। उत्तर प्रदेश में जिसके बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है 8 दिसम्बर 1978 को 71 मिलें कार्यरत थी। इस वर्ष उनकी संख्या 79 अर्थात् 8 अधिक है। पिछले वर्ष भी 74 मिलें

कार्यरत थीं। मैं अन्य राज्य के बारे में भी आंकड़े बता सकता हूं परन्तु प्रश्न में वे पूछे नहीं गये।

जैसा कि मैं अपने उत्तर में सविस्तार बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश की मिलों पर आंदोलन का अधिक प्रभाव नहीं है। दौराला की एक मिल को छोड़ कर सभी कार्यरत हैं। आठ मिलें मासिक रूप से प्रभावित हैं जिन्हें गन्ने के अभाव में एक दो दिन के लिए कार्य बन्द करना पड़ता है। स्थिति उतनी खराब नहीं है जितनी कि आंदोलन के समर्थक बना रहे हैं।

श्री बी.वी. देसाई : मंत्री महोदय द्वारा की गई तुलना का सम्बन्ध पूरे देश से है। बेशक मिलों की संख्या आज अधिक है परन्तु वे आंशिक रूप से कार्य कर रही हैं। मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इसे राजनीतिक रूप मानकर भूल कर रहे हैं जब कि आन्दोलन आर्थिक है। यह उसी प्रकार है कि किसी कुत्ते को मारने के लिए उसे पागल कुत्ता बना दिया जाता है। वह इसे राजनीतिक आन्दोलन कह कर उन्हें वंचित रखना चाहते हैं। क्या मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान देते हुए कि आन्दोलन राजनीतिक न होकर आर्थिक है, अपनी राय बदलने को तैयार है? मेरा उनसे निवेदन है कि अपने निर्णय को तब तक के लिए लम्बित न रखे जब तक की गन्ने का मौसम समाप्त हो जाता है। इस बारे में हमें आत्म संतुष्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि जो अधिक मिलें कार्यरत हैं वे मालिक रूप से कार्य कर रही हैं। जब गन्ना उपलब्ध होता है तब वे कार्य करती हैं जब नहीं होता तब कार्य नहीं करती। कर्नाटक में एक बड़ी मिल बंद पड़ी थी अभी तक भी चालू नहीं हुई। कम से कम अगले मौसम में स्थिति सुधरनी चाहिए। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस मामले में उत्तर प्रदेश में तथा अन्यत्र भी हस्तक्षेप करें ताकि उन्हें उचित मूल्य मिल सके। उन्हें इस सम्बन्ध में अपनी राय बदल कर उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव : मुझे खुशी है कि श्री देसाई ने मंत्री महोदय को ठीक राय दी है कि किसानों के साथ अनुचित व्यवहार न करें। मैं कहना चाहता हूं कि आन्दोलन का मूल कारण राजनीतिक न होकर सरकार का रवैया है जो किसानों के प्रति अत्यन्त असहानुभूति पूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। मंत्री महोदय ने आन्दोलन को राजनीतिक बताया है। उन्होंने इसे राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित बताया है। मुझे यह कहने का पूरा अधिकार है कि यह आन्दोलन सरकार के असहानुभूति पूर्ण रवैये का परिणाम है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछें।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। सरकार का असहानुभूति पूर्ण रवैया अत्यन्त स्पष्ट है। प्रधान मंत्री तथा मुख्य मंत्री ने 16 रुपये की दर से कीमत देने का परामर्श दिया है जबकि मिलें स्वत: ही 20 रुपये की दर से अदायगी कर रही हैं। इसी से प्रकट हो जाता है कि सरकार का रवैया असहानुभूति पूर्ण तथा अवास्तविक है। मेरा अभिप्राय है कि मंत्री महोदय को आत्म तुष्ट नहीं होना चाहिए तथा उन्हें परिस्थिति की विवहताओं से लाभ नहीं उठाना चाहिए। आप भी किसान हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछें ।

श्री चन्द्रजीत यादव : किसानों को गेहूं बोने के लिए अपने खेत खाली करने हैं। इसलिए विवशता से उन्हें चीनी मिलों को गन्ना देना पड़ रहा है। परन्तु यदि यह स्थिति नहीं सुधरती, यदि उन्होंने 25 से 30 रुपये प्रति क्विंटल का न्यूनतम मूल्य मांगा है तथा सरकार उन्हें यह मूल्य नहीं दिला पाती तो उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ेगा तथा जनता को कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार वस्तुपरक रवैया अपनायेगी जब कि ऋशर भी 22 से 25 रुपये की दर से अदायगी कर रहे हैं। जब वे दे सकते हैं तो क्या सरकार मिलों को परामर्श देगी कि गन्ना उत्पादकों को 25-30 रुपये की दर से अदायगी की जाये।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : श्री चन्द्रजीत यादव ने मेरे अभिप्राय को नहीं समझा, मैंने कहा था कि सरकार ने परामर्श दिया है कि 8.5 प्रतिशत की उपलब्धि की दर पर 16 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाये तथा उसके आधार पर मूल्य 19 से 20 रुपये बैठता है। महाराष्ट्र में भी 20 रुपये बैठता है। इसलिये यह मूल्य हमारे परामर्श के अनुसार ही दिया जा रहा है। माननीय सदस्य को अपनी राय पर स्थिर रहने का अधिकार है। निःसन्देह यदि मेरे मित्र सभा में इस बात को स्वीकार कर लें कि आन्दोलन राजनीतिक दृष्टि से चलाया जा रहा है तो वह राजनीतिक नेता नहीं कहला सकते।

जहां तक उस सरकार का सम्बन्ध है, हम किसानों के प्रति अत्यन्त सहानुभूति रखते हैं। उनकी सरकार से कई गुणा अधिक सहानुभूति-पूर्ण है। श्रीमान, मैं स्वयं सस्त रवैया नहीं अपनाता परन्तु जब तक मेरी मांग के सम्बन्ध में सतुष्टि न हो जाये मैं अपनी राय नहीं बदल सकता। यदि आप मुझे समझा सकते हैं, तो ठीक है। (व्यवधान)

श्री राजेश पाइलट : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मंत्री महोदय ने माना है आन्दोलन के पीछे निहित स्वार्थी तत्व हैं क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ राजनीतिक हितों से प्रेरित जनता विरोधी कार्यवाहियों को दबाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है जिन्होंने किसानों तथा बहुत से और वर्गों को भड़काया है तथा वर्तमान सरकार के लिए समस्यायें पैदा की हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछें।

श्री राजेश पाइलट : मेरा प्रश्न है, सरकार ने क्या कार्यवाही की है। मेरे प्रश्न का (ख) भाग है। क्या यह सच नहीं है कुछ ऐसी पुलिस रिपोर्टें दर्ज की गई है जिनके अनुसार लोक दल जैसी किसान विरोधी पार्टियों द्वारा किसानों को गन्ना मिलों में ले जाने से रोका गया है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : कुछ किसानों के विरुद्ध जो गन्ना मिलों को ले जाना चाहते थे, हिंसात्मक कार्यवाही की गई। ऐसे मामले समाचारों में छपे हैं कि लोगों ने लोगों के ट्रेक्टरों पर गन्ना ला रहे किसानों को रोकने का यत्न किया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें रोकने की चेष्टा मत करें।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मेरे मित्र श्री राजेश का कथन सच है कि कुछ राजनीतिक कार्य-कर्त्ता निरन्तर प्रयत्न कर रहे हैं कि गन्ना मिलों को न मिले, जो कि निश्चय ही राष्ट्रीय हित के विरुद्ध है।

जहाँ तक इस सरकार का सम्बन्ध है । हम किसानों के प्रति सहानुभूति का रवैया अपना रहे हैं । हम नहीं मानते कि किसान सीधे लोग हैं तथा उन्हें सरलता से गुमराह किया जा सकता है । इसलिए हम किसानों के विरुद्ध कोई कड़ी कार्यवाही नहीं करना चाहते । (व्यवधान) जहां तक हमारी नियों का प्रश्न है हम आन्दोलन का राजनीतिक समाधान चाहते हैं, हम किसानों को वास्तविक स्थिति समझाना चाहते हैं तथा हमें विश्वास है कि वे हमारी बात सुनेंगे । (व्यवधान) श्री बीजू पटनायक, आप उन्हें और गुमराह नहीं कर पायेंगे । (व्यवधान)

श्री बीजू पटनायक : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मिलों की संख्या बताते हुए बड़ी आशाजनक स्थिति बताई है कि सभी मिलें कार्यरत हैं । पिछले महीने उन्होंने मिल मालिकों को लेवी मूल्य में 25% वृद्धि की अनुमति दी । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि यदि मिलें कार्यरत हैं तथा हमने लेवी मूल्य 3.50 रुपये तय किया तथा खुली बिक्री के लिए 6.30 रुपये निर्धारित किया, तब खुली बिक्री की चीनी लोगों को उपलब्ध क्यों नहीं होती । (व्यवधान) ऐसे बातूनी मन्त्री को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था । (व्यवधान) आज बाजार भाव 12 और 20 रुपये प्रति किलो है । चीनी 'उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध क्यों की जाती और राज्यों को चीनी क्यों नहीं मिल पाती, मध्यम श्रेणी के लोगों को चीनी क्यों नहीं मिल पाती ? तब भी वह कहते हैं सभी मिलें कार्यरत हैं । उन्होंने यह दर्शाने के लिए आंकड़े दिये हैं कि अधिकतम उत्पादन हो रहा है तथा उन्होंने मूल्य निर्धारित कर दिया है । तब मूल्य दुगुने क्यों हो गये हैं ? और उन मूल्यों के आधार पर किसानों को 30 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अदायगी क्या उचित नहीं है । यदि चीनी 10 अथवा 12 रुपये और 3.50 रुपये की दर से बिकती है, तब गन्ने का मूल्य 30 रुपये क्यों नहीं रखा जाता है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : श्रीमान, लेवी चीनी का मूल्य सरकार मनमाने ढंग से तय नहीं करती । परन्तु उसके लिये एक सूत्र निर्धारित है । इसके लिये बी. आई. सी. पी. से भी परामर्श किया जाता है तथा टैरिफ आयोग द्वारा भी कुछ मानदण्ड तथा सूत्र निर्धारित किये हैं' इन सभी के आधार पर 3.50 रुपये का मूल्य निर्धारित किया गया है और यह सब इसीलिए किया गया है कि मिलें गन्ने का अधिक मूल्य किसानों को दे पायें ? मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूँ की बाजार में चीनी उपलब्ध नहीं है । बाजार में चीनी है तथा उसका वितरण उचित मूल्य की दुकानों पर होता है । श्रीमान, मूल्यों में पर्याप्त कमी हो गई है ।

एक माननीय सदस्य : 3.30 रुपये प्रति किलो ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : 3.50 लेवी चीनी का मूल्य है, परन्तु खुले बाजार में चीनी 7 या या 8 रुपये किलो बिक रही है । (व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : सुपर बाजार में चीनी 10 रुपये प्रति किलो बिक रही है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने तो अखबार में पढ़ा था । (व्यवधान)

श्री बीरेन्द्रसिंह राव : दिल्ली एक महानगर है, आमतौर पर दिल्ली के बाजारों में चीनी का मूल्य बाहर छोटे शहरों तथा चीनी उत्पादक क्षेत्रों से अधिक है, परन्तु जहाँ तक मैं जानता हूँ दिल्ली में भी मूल्य 8 रुपये से अधिक नहीं है । कल अथवा परसों मेरे घर के लिए चीनी 8 रुपये किलो की दर से खरीदी गई । (व्यवधान)

यदि मूल्य नहीं घटे तो इसके जिम्मेदार मेरे मित्र वहाँ पर हैं ? वे अभाव का वातावरण पैदा कर यह कह रहें हैं कि चीनी का उत्पादन कम होगा । वे मूल्यों को अधिक रख रहे हैं। सरकार उसे कम करना चाहती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतें

*400. **श्री काली चरण शर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध लगातार ऐसी ही शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि वे घूस लेते हैं, खाद्यानों में मिलावट करते हैं और व्यपारियों को खाद्यान्नों की सप्लाई करते समय खाद्यान्नों को तोलने से भी मना करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबन्ध में स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निमाण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि मध्य प्रदेश में कार्यरत निगम के कर्मचारियों के विरुद्ध कभी-कभी शिकायतें प्राप्त होती रहती है जिनमें घूस लेने,, स्टाक के दुर्विनियोजन और ठीक तरह से न तोलने आदि के बारे में आरोप लगाये गये होते हैं ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम ने शिकायतों की जांच करने और क्षेत्र में अपने कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन की अचानक जाँच करने के लिए विशेष स्क्वाड गठित किये हैं । इन स्क्वाडों की रिपोर्टों की जाँच की जाती है और जहाँ आवश्यक होता है वहाँ कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाती है ।

श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ मछली पकड़ने के बारे में करार

402. **श्री ए. नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने अरब सागर और हिन्द महासागर में मछली पकड़ने के बारे में श्रीलंका और पाकिस्तान के साथ कोई करार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) (क) और (ख) भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में समुद्रवर्ती सीमाओं और सम्बन्धित मामलों पर 23 मार्च, 1976 को हस्ताक्षर हुए करार के सदर्भ में, भारत सरकार ने श्रीलका के साथ मछली पकड़ने के संदर्भ में समझौता किया था । अन्य बातों के साथ-साथ यह बात भी स्वीकार की गई थी कि श्रीलंका के अधिक से अधिक 6 मत्स्य जलयान, जिन्हें विधिवत भारत सरकार द्वारा लाइसेंस दिया गया है, वागडे बैंक क्षेत्र में 14 जनवरी, 1980 को समाप्त होने वाली तीन वर्षों की अवधि के दौरान मछली पकड़ने का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा यह बात भी स्वीकार की गई थी कि इनके द्वारा किसी भी एक वर्ष में पकड़ी जाने वाली मछलियों की मात्रा 2000 मीटरी टन से अधिक नहीं होगी ।

पाकिस्तान के साथ मछली पकड़ने के बारे में कोई करार नहीं हुआ है।

धान की वसूली

*405. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने सभी क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रकों को अधिकार दिया है कि यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि धान में नमी है तो किसान को धान के प्रति क्विन्टल निर्धारित वसूली मूल्य से 5 रुपये कम अदा करें;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों को धान के प्रति क्विन्टल निर्धारित मूल्य से सदैव 5 रुपये कम मिलते रहेंगे;

(ग) क्या चावल मिलों को ऐसे आदेश हैं कि यदि धान प्रति क्विन्टल 5 किलोग्राम कम हो तो भी वे उसे स्वीकार करें और इस बारे में निर्धारित अनुपात के अनुसार चावल की वसूली दें; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) और (ख) हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश, जोकि धान/चावल की वसूली करते हैं और उसे केन्द्रीय पूल में देते हैं, से प्राप्त सूचनानुसार यह विदित होता है कि केवल उत्तर प्रदेश ने ही 15 नवम्बर तक 5/-रुपये प्रति क्विन्टल की दर पर और 15 दिसम्बर तक 3/-रुपये प्रति क्विन्टल की दर पर नमी के कारण समान दर पर कटौती करने विषयक अनुदेश जारी किए थे। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार ये आदेश किसानों पर कटौतियाँ लगाने हेतु धान में नमी की प्रतिशतता का हिसाब लगाने में वसूली अधिकारियों के विवेकाधिकार को समाप्त करने के उद्देश्य से जारी किए गए थे। इन कटौतियों को 3 दिसम्बर, 1980 से समाप्त कर दिया गया है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश दिए हैं कि यदि धान के प्रत्येक बोरे में 500 ग्राम तक की कमी पायी जाती है तब मिल मालिक यह परिकल्पना करते हुए कि यह अन्तर सामान्य स्वरूप का है, पूरे वजन के लिए पावती देंगे।

राजस्थान में गंदी बस्तियों का हटाया जाना और ग्रामीण आवास

*406. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राजस्थान के लिए गंदी बस्तियों को हटाने और ग्रामीण आवास संबन्धी कार्यक्रम हेतु कुल कितनी धनराशि के आवंटन का प्रस्ताव है; और

(ख) योजना के प्रथम तीन वर्षों के लिए कुल कितनी धनराशि दी जा चुकी है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना में, राजस्थान सरकार के ग्रामीण आवास-मकान स्थल विकास/झोपड़ी-मकान निर्माण से सम्बन्धित योजना के लिये 475 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव किया है। नगरीय गन्दी बस्ती पर्यावरणीय सुधार योजना के लिये भी योजना में 300 लाख रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है। गन्दी बस्ती सफाई के लिए किसी भी प्रावधान का प्रस्ताव नहीं है। राजस्थान की छठी योजना का आकार अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

(ख) ग्रामीण आवास-मकान स्थल विकास/झोपड़ी-मकान निर्माण से संबन्धित योजना पर वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान क्रमश: 7.97 लाख रुपये और 24.99 लाख रुपये खर्च किये गये। चालू वर्ष के दौरान योजना पर किया जाने वाला प्रत्याशित खर्च 75 लाख रुपये है। 1978-79 और 1979-80 के दौरान नगरीय गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार की योजना पर क्रमश: 40 रुपये और 62 लाख रुपये खर्च किये गये। चालू वर्ष के दौरान इस योजना पर प्रत्याशित व्यय 60 लाख रुपये है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का भेड़ सम्बन्धी जांच प्रतिवेदन

*407. श्री लहना सिंह तुर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के भेड़ जाँच प्रतिवेदन (दिनांक 13 अक्तूबर, 1980 का इंडियन ऐक्सप्रेस) को देखा है और यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई हैं ; और

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में व्यापक कुप्रबन्ध को देखते हुए सरकार का विचार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के मुख्यालय और उसके अधीन अन्य संस्थाओं विशेष कर आई. ए. आर. आई., आई. वी. आर. आई. एन. डी. आर. आई. तथा सुअर, भेड़ बकरी, मुर्गीपालन और मत्स्य पालनका काम करने वाले अन्य एककों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की जाँच कराने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां, श्रीमन्। इस सिमिति की रिपोर्ट का अभी तक केवल भाग-I प्राप्त हुआ है। रिपोर्ट के दूसरे भाग की अभी तक प्रतीक्षा है। रिपोर्ट (भाग-I) के निष्कर्ष पर अभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में जाँच की जा रही है।

(ख) यह कथन सही नहीं है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में व्यापक कुप्रबन्ध है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् एक बड़ा संगठन है जिसमें 31 केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान तथा 150 से अधिक अन्य केन्द्र/उप केन्द्र हैं। जब कभी आवश्यकता होती है तो समय समय पर सामान्य प्रक्रिया के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही तथा विभागीय जाँच पड़ताल की जाती है। इस समय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय और उसके अधीन अन्य संस्थानों जैसे आई.ए.आर.आई. आई.वी.आर.आई., एन.डी.आर.आई. तथा सूअर, भेड़, बकरी, मुर्गीपालन तथा मत्स्य पालन का काम करने वाले अन्य एककों के संबंध में ऐसी कोई जाँच करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है जैसा हवाला उपरोक्त (क) में दिया गया है।

चीनी मिलों के लिए गन्ना

*408. श्री अशोक गहलोत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 के दौरान चीनी का कितनी मात्रा में उत्पादन होने की आशा है;

(ख) क्या इस वर्ष चीनी मिलों को कुल गन्ना-उत्पादन का केवल 40 प्रतिशत भाग ही मिलने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कोई प्रभावी कदम उठायेगी कि चीनी मिलों को गन्ना उत्पादन का 60 प्रतिशत भाग मिले;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी रूप-रेखा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) हालांकि चीनी के उत्पादन के किसी प्रकार के पक्के अनुमानों के बारे में बताना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन आशा है कि वर्तमान संकेतों के अनुसार 1980-81 में कुल उत्पादन गत वर्ष की तुलना में अधिक होगा और उत्पादन 52-54 लाख मीटरी टन हो सकता है।

(ख) और (ग) सामान्यतया गन्ने के कुल उत्पादन का लगभग 30 से 35 प्रतिशत निवति पात्र प्रक्रिया द्वारा चीनी का उत्पादन करने, लगभग 12 प्रतिशत बीज और चूसने के लिए तथा शेष मात्रा का गुड़ और खण्डसारी तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न प्रयोजनों के लिए गन्ने के इस्तेमाल करने की प्रतिशतता प्रत्येक वर्ष भिन्न-भिन्न होती है। 1977-78 में जब चीनी का रिकार्ड उत्पादन हुआ था उस वर्ष में भी चीनी फैक्ट्रियों ने गन्ने के कुल उत्पादन का केवल लगभग 39 प्रतिशत गन्ना ही इस्तेमाल किया था। अतः यह आशा करना कि गन्ने के इस्तेमाल के तरीके में भारी परिवर्तन कर दिए जाएँ ताकि चीनी मिलों की गन्ने की पैदावार का 60 प्रतिशत गन्ना मिल सके, अव्यवहारिक होगा।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

चावल और गेहूं की नई किस्म

*409. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सस्थान द्वारा गत दो वर्षों के दौरान चावल और गेहूँ की नई किस्में विकसित की गई हैं; और

(ख) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का विचार नई चावल-बीज तकनीक के जरिये कोई प्रायोगिक परियोजना आरम्भ करने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां, श्रीमान। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नयी दिल्ली ने जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है, विगत दो वर्षों में गेहूं की 16 अधिक उपज देने वाली रोग रोधी किस्मों का विकास किया है। ये किस्में देश की निम्नलिखित विभिन्न कृषि जलवायु पट्टियों के लिए उपयुक्त हैं :

उत्तरी मैदानी पट्टी	एच.डी.2204, एच.डी. 2177, एच.डी. 2281, सी.पी.ए.एन. 1676
पूर्वी मैदान	एच.पी. 1102, एच.पी. 1209, एच.डब्ल्यू. 135
मध्य पट्टी	एच.डी. 4530, एच.डी. 2278, एच.आई. 784
प्रायद्वीपीय पट्टी	एच.डी. 2189, सी.सी. 464, एच.डब्ल्यू. 657
दक्षिणी पहाड़ी पट्टी	एच.डब्ल्यू. 517, एच.डी. 2135
उत्तरी पहाड़ी पट्टी	एच. 586

चावल का प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रम केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक, अखिल भारतीय समन्वित चावल प्रायोजना केन्द्र, हैदराबाद और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नयी दिल्ली में प्रगति पर है।

विगत दो वर्षों के दौरान, केन्द्रीय चावल अनुसधान संस्थान, कटक, ने चावल की पांच किस्मों का विकास किया है, जिनके नाम हैं—पल्लवी, सत्तारी, इंदिरा, सामालेयी और रामाकृष्णा। इन सभी किस्मों को आमतौर से बोने के लिए उड़ीसा राज्य के कृषि विभाग ने जारी किया है। इसके अलावा, केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक ने निचले स्थानों के लिए उपयुक्त सी.आर. 1009, सी.आर. 1016, सी.आर. 1018 और सी.आर. 1030 जैसी अधिक उपज देने वाली किस्मों का भी विकास किया है। अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार प्रायोजना केन्द्र हैदराबाद ने स्वरनाधन, सस्यश्री और अनामिका नाम की तीन चावल की किस्मों का विकास किया है जिनमें उपज की अधिक संभावना है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का बहु-फसली संस्थान है, ने विगत दो वर्षों में चावल की सात किस्मों को जारी किया है, जिनके नाम हैं :

पूसा-150, पूसा-167, पूसा-37, पूसा 44-33, पूसा 169, पूसा 205 और पूसा-186 जो अगेती पकती हैं, अधिक उपज देती हैं और उम्दा दाने की गुणवत्ता रखती हैं।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा विकसित गेहूँ और चावल की अधिक उपज देने वाली किस्मों की जांच कृषि विभाग के अनेक विभागों द्वारा विशेषज्ञ परीक्षणों द्वारा, विभिन्न राज्यों में कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित "मिनी किट" परीक्षणों द्वारा तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों तथा कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदर्शन परीक्षणों द्वारा किया जाता है, साथ ही परिचालन अनुसंधान प्रायोजना क्षेत्रों में इनकी सफलता का प्रदर्शन किसानों को अपनाने के लिए किया जाता है। उत्पादन कार्यक्रमों के समर्थन में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इन अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रजनक बीज कार्यक्रम आयोजित और संचालित करती है। प्रजनक बीज का आगे संवर्धन राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा किसानों को देने के लिए बुनियादी बीज तथा प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत किया जाता है।

कपास के उत्पादन में कमी

410. **श्री तारिक अनवर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में कपास का उत्पादन घट रहा है और मांग बढ़ती जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार कपास उत्पादकों को यह सुनिश्चित करने के लिये कतिपय प्रोत्साहन देने का है कि देश में कपास के उत्पादन में कमी न आए;

(ग) कपास-उत्पादकों को उनके उत्पाद का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि कपास उत्पादकों को पहले इसलिये भारी हानि उठानी पड़ी थी, क्योंकि सरकारी एजेन्सी ने कपास की खरीद नहीं की थी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी नहीं। सामान्यतया, हाल के वर्षों में कपास के उत्पादन तथा मांग दोनों में ही वृद्धि हुई है। केवल 1980-81 में ही, विश्व उत्पादन के प्रारम्भिक अनुमानों के मुताबिक गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में कुछ गिरावट आई है।

(ख) भारत सरकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित सघन कपास जिला कार्यक्रम के तहत कपास उत्पादकों को (1) प्रभावित बीज; (2) पौध रक्षक उपकरणों; (3) प्रदर्शन; तथा (4) हवाई एवं भूमि पर छिड़काव की प्रचालन लागत पर राज सहायता के रूप में पहले से ही प्रोत्साहन प्रदान कर रही है।

(ग) निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) कपास का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करना।

(2) कपास के विपणन में भारतीय कपास निगम तथा सहकारी समितियों के कार्य क्षेत्र को बढ़ाना।

(घ) जी नहीं।

छठी योजना के दौरान भूमि सुधार उपायों का कार्यान्वयन

*411. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छठी योजना के दौरान विभिन्न भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन के लिये कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने का है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भूमि सुधार का कार्य एक राज्यीय विषय है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार ने उक्त सुधारों को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए राज्यों से अनुरोध किया है और उन क्षेत्रों का उल्लेख किया है जहाँ राष्ट्रीय नीति तथा मार्गदर्शी निदेशों के प्रकाश में उपचारात्मक कार्यवाही की जानी चाहिये;

(घ) यदि हाँ, तो क्या केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में हुई प्रगति से सन्तुष्ट है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या इस बारे में कोई विशेष अभियान चलाया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) आशा है कि अधिकतम सीमा से अधिकांश फालतू भूमि को छठी योजना के अन्त तक वितरित कर दिया जाएगा। तथापि, इस प्रकार की भूमि के वितरण हेतु तथा अन्य भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वन के लिए समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करना सम्भव नहीं है क्योंकि कानून के अन्तर्गत निर्णय के लिए मामले लम्बे समय तक पड़े रह सकते हैं और समय-समय पर नये मामले सामने आ सकते हैं।

(ख) जी हाँ।

(ग) जी हाँ।

(घ) व (ङ) क्योंकि परिस्थितियाँ एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न होती हैं अतः प्रत्येक राज्य में भूमि सुधारों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने हेतु एक जैसे मापदण्डों को लागू करना कठिन है। कुल मिलाकर प्रगति असंतोषजनक नहीं समझी जा सकती लेकिन भारत सरकार ने कार्यान्वयन की गति में सुधार लाने हेतु राज्य सरकारों से बार-बार अनुरोध किया है।

इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ एडवान्सड स्टडीज, शिमला

*412. **श्री जर्नादन पुजारी :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन इंस्टीट्यूट आफ एडवान्सड स्टडीज, शिमला के कार्यकारी निदेशक ने सरकार से संस्थान को एक 'राष्ट्रीय संस्थान', का दर्जा दिये जाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फार्म उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक फसल देने वाले बीजों की सप्लाई

413. **श्री कुंभा राम आर्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें फार्म उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से छोटे-छोटे थैलों में, नये और अधिक फसल देने वाले बीज निशुल्क सप्लाई किये गये हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य को उनकी कितनी मात्रा सप्लाई की गई है; और

(ग) बीजों की इस सप्लाई से कितने किसान लाभान्वित हुए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मन्त्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

फसल	राज्य	सप्लाई किये गये मिनिकिटों की संख्या (1980-81)	सप्लाई की गई बीज की मात्रा (क्विंटल) (1980-81)	लाभान्वित किसानों की संख्या
1	2	3	4	5
1. धान	1. आन्ध्र प्रदेश	5860	117.20	5860
	2. अरुणाचल प्रदेश	240	4.80	240
	3. असम	1600	35.00	1600
	4. बिहार	2820	71.40	2820
	5. गुजरात	650	29.50	650
	6. हरियाणा	900	18.00	900
	7. हिमाचल प्रदेश	400	8.00	400
	8. जम्मू और कश्मीर	162	5.64	162
	9. कर्नाटक	1305	26.10	1305
	10. केरल	855	17.10	1855
	11. मध्य प्रदेश	10250	437.50	10250
	12. महाराष्ट्र	5875	117.50	5875
	13. मणीपुर	4500	90.00	4500
	14. नागालैंड	100	2.00	100

1	2	3	4	5
	15. उड़ीसा	602	11.04	602
	16. पंजाब	44	0.88	44
	17. राजस्थान	436	9.80	436
	18. सिक्कम	200	4.00	200
	19. तमिलनाडु	860	32.80	860
	20. उत्तर प्रदेश	650	16.00	650
	21. पश्चिम बंगाल	15100	302.00	15100
	22. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	80	1.60	80
	23. गोआ	180	9.00	180
	24. पांडीचेरी	250	5.00	250
	25. दण्डकारण्य परियोजना	500	10.00	500
	योग-1	54419	1385.86	54419
2.	गेहूँ			
	1. गुजरात	400	20.00	400
	2. हरियाणा	600	30.00	600
	3. हिमाचल प्रदेश	120	4.80	120
	4. जम्मू और कश्मीर	280	13.20	280
	5. मध्य प्रदेश	600	30.00	600
	6. पंजाब	600	30.00	600
	7. राजस्थान	1368	68.40	1368
	8. उत्तर प्रदेश	1500	73.00	1500
	9. पश्चिम बंगाल	200	10.00	200
	10. दिल्ली	100	5.00	100
	योग-2	5768	284.40	5768
3.	जौ			
	1. हरियाणा	30	4.00	30
	2. पंजाब	20	2.50	20
	3. राजस्थान	55	7.25	55
	4. उत्तर प्रदेश	35	4.75	35
	5. दिल्ली	20	2 50	20
	योग-3	160	21.00	160

1	2	3	4	5
4.	मक्का			
	1. आंध्र प्रदेश	20	0.40	20
	2. बिहार	100	2.00	100
	3. कर्नाटक	10	0.20	10
	4. उड़ीसा	10	0.20	10
	5. राजस्थान	10	0.20	10
	6. तमिलनाडु	5	0.10	5
	7. उत्तर प्रदेश	20	0.40	20
	योग-4	175	3.50	175
5.	ज्वार			
	1. आंध्र प्रदेश	1100	16.50	1100
	2. बिहार	30	0.40	30
	3. गुजरात	700	10.50	700
	4. कर्नाटक	700	8.00	700
	5. महाराष्ट्र	2300	31.30	2300
	6. मध्य प्रदेश	1500	22.50	1500
	7. उड़ीसा	20	0.30	20
	8. राजस्थान	750	10.85	750
	9. तमिलनाडु	150	1.50	150
	10. उत्तर प्रदेश	530	7.95	530
	11. मिजोरम	10	0.15	10
	योग-5	7790	109.95	7790
6.	बाजरा			
	1. आंध्र प्रदेश	950	80.87	950
	2. बिहार	30	0.28	30
	3. गुजरात	1750	16.63	1750
	4. हरियाणा	500	4.62	500
	5. जम्मू तथा काश्मीर	15	0.13	15
	6. कर्नाटक	540	5.05	540
	7. महाराष्ट्र	1500	14.25	1500
	8. मध्य प्रदेश	400	3.75	400

1	2	3	4	5
	9. उड़ीसा	30	0.28	30
	10. पंजाब	200	1.87	200
	11. राजस्थान	2100	20.25	2100
	12. तमिलनाडु	320	3.07	320
	13. उत्तर प्रदेश	866	8.16	866
	14. दिल्ली	30	0 28	30
	15. मिजोरम	10	0.08	10
	16. पांडेचेरी	10	0.08	10
	योग-6	9251	87.65	9251
7.	रागी			
	1. आंध्र प्रदेश	400	3.50	400
	2. बिहार	100	0.75	100
	3. गुजरात	70	0.52	70
	4. कर्नाटक	800	6.00	800
	5. महाराष्ट्र	150	1.03	150
	6. मध्य प्रदेश	100	0.75	100
	7. उड़ीसा	440	3.02	440
	8. पंजाब	10	0.05	10
	9. तमिलनाडु	400	3.50	400
	10. उत्तर प्रदेश	200	1.50	200
	11. अरुणाचल प्रदेश	10	0.05	10
	12. दादर और नगर हवेली	10	0.07	10
	13. गोवा दमन और दीव	10	0.08	10
	योग-7	2700	20.82	2700
8.	छोटे कद			
	1. आंध्र प्रदेश	10	0.07	10
	2. असम	1	0.01	1
	3. बिहार	40	0.20	40
	4. गुजरात	5	0.04	5
	5. हिमाचल प्रदेश	10	0.05	10
	6. कर्नाटक	6	0.04	6

1	2	3	4	5
	7. महाराष्ट्र	95	0.50	95
	8. मध्य प्रदेश	54	0.32	54
	9. तमिलनाडु	130	0.79	130
	10. उत्तर प्रदेश	20	0.15	20
	12. पश्चिम बंगाल	15	0.11	15
	योग-8	386	2.28	386
	कुल योग :	80,649	1,915.46	80,649

ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

* 414. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज में व्याप्त वर्तमान आर्थिक असन्तुलन से उत्पन्न शिक्षा स्तर में विषमता को दूर करने तथा नगरीय क्षेत्रों की भाँति ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी केन्द्रीय विद्यालय खोलकर वहां पब्लिक स्कूल जैसी शिक्षा प्रदान करने के लिए किसी योजना पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रुपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो पब्लिक स्कूलों जैसी शिक्षा देने के प्रबन्ध यदि नगरीय क्षेत्रों में हो सकते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्यों नहीं हो सकते ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) शहरी क्षेत्रों के सभी स्कूल पब्लिक स्कूल नहीं हैं। केवल वे ही स्कूल 'पब्लिक स्कूलों' के रूप में जाने जाते है जो भारतीय पब्लिक स्कूल सम्मेलन के सदस्य हैं। देश में केवल 50 के करीब ऐसे स्कूल हैं।

2. केन्द्रीय विद्यालय पब्लिक स्कूल नहीं हैं। केन्द्रीय विद्यालय मुख्य रूप से स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लाभ के लिए खोले जाते हैं। इस मानदन्ड के आधार पर उनका स्थान निर्धारण इस बात पर ध्यान दिए बिना ही किया जाता है कि वह क्षेत्र ग्रामीण है अथवा शहरी। वे क्षेत्र विशेष में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं खोले जाते हैं।

3. सरकार विभिन्न उपायों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए प्रयास कर रही है।

विदेशी मत्स्य नौकाओं द्वारा समुद्री ससाधनों का अत्यधिक लाभ उठाया जाना

415. **श्री दिग्विजय सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि चार्टर्ड विदेशी मत्स्य नौकाओं द्वारा अपनाई जा रही मत्स्य ग्रहण तकनीक से हमारी जलीय सीमा के समुद्री संसाधनों का अत्यधिक लाभ उठाया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार उनके संचालन पर प्रतिबन्ध लगाने की सोच रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार समुद्री पारिस्थितिक समता को बनाये रखने के लिए उनके संचालन को नियमित करने तथा उन पर नियंत्रण रखने की क्या योजना बना रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी चार्टर्ड जलयान बाटम ट्रालिंग कर रहे हैं। विदेशी चार्टर्ड जलयानों की कुल संख्या 78 थी। किन्तु इस समय कार्य कर रहे जलयानों की संख्या 10 से कम है। सरकार का विदेशी चार्टर्ड जलयानों के संचालन पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई विचार नहीं है। फिर भी, विदेशी मत्स्यन जलयानों को चार्टर करने के लिए एक नई नीति तैयार की गई है। इस नीति के अन्तर्गत, अन्य प्रावधानों के साथ यह व्यवस्था है कि चार्टर्ड जलयान हमारी क्षेत्रीय जलसीमा से बाहर ही कार्य करेंगे।

अविकानगर, राजस्थान स्थित केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन संस्थान का निदेशक

*416. **श्री हरिकेश बहादुर**। क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अविकानगर, राजस्थान स्थित केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन संस्थान का निदेशक इस पद के लिये अर्हता प्राप्त है;

(ख) क्या यह सच है कि सुविख्यात पशु विशेषज्ञों की श्री ज्योतिर्मय बसु की अध्यक्षता में बनी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है जिसमें उपरोक्त संस्थान के दोषपूर्ण कार्यकरण और उसमें हो रहे कदाचारों का निरनुमोदन किया गया है जिसके कारण उसे हानी हो रही है। और

(ग) यदि हाँ, तो सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) यह सच है कि ज्योतिमय बसु की अध्यक्षता में "केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर तथा भेड़ प्रजनन फार्म, ताल में भेड़ों की मृत्यु दर अधिक होने के बारे में" बनी समिति ने रिपोर्ट का भाग-1 प्रस्तुत किया है। समिति ने कुछ अनियमितताओं के बारे में बताया है परन्तु अन्तिम दृष्टिकोण केवल तभी बनाया जा सकता है जब समिति की पूरी रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी तथा उसकी जांच कर ली जायेगी।

(ग) इस अवस्था में प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता।

समुद्री तूफानों और भूकम्पों से प्रभावित न होने वाले मकान

*417. **श्री के० प्रधानी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी अनुसंधान संस्थान अथवा किसी अन्य संगठन द्वारा विभिन्न प्रकार के मकानों पर पड़ने वाले समुद्री तूफानों के प्रभाव के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने ऐसी संस्थाओं से इस प्रकार के मकानों के डिजाइन और तत्सम्बन्धी अन्य आंकड़े प्राप्त किये हैं जो तूफानों और भूकम्पों के प्रभाव को रोक सकें ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ। संरचनात्मक इंजीनियरी अनुसंधान केन्द्र, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारतीय मानक संस्थान तथा विश्वविद्यालयों के कतिपय विभागों जैसे कई अभिकरणों और संस्थानों द्वारा कुछ अध्ययन किये गये हैं।

(ख) भारतीय मानक संस्थान द्वारा निकाले गये राष्ट्रीय भवन निर्माण कोड को तैयार करने में समुद्री तूफानों और भूकम्पों के प्रभाव को रोकने के लिये अनुसंधान संस्थानों में उपलब्ध मकानों के आँकड़ों और डिजाइनों से लाभ उठाया गया है।

'आल इंडिया यूनिवर्सिटी एम्पलाईज फेडरेशन' की मांगें

*418. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या शिक्षा और समाज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालयों में काम कर रहे कर्मचारियों के फेडरेशनों से गठित 'आल इंडिया यूनिवर्सिटी एम्पलाईज कफेडरेशन' कई वर्षों से अपनी माँगों के समर्थन में आँदोलन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इसने सरकार को एक 22-सूत्री माँग-पत्र प्रस्तुत किया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस०वी० चव्हाण) : (क) और (ख) 22 सूत्री एक माँग-पत्र सहित 'कंफेडरेशन' से दिनाँक 10 नवम्बर, 1980 का एक पत्र प्राप्त हुआ था।

(ग) विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

(घ) देश में सभी विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमानों, भत्तों और अन्य सेवा-शर्तों में एक रुपता लाने का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

10 नवम्बर, 1980 को अखिल भारतीय विश्वविद्यालय कर्मचारी कंफेडरेशन से प्राप्त माँग-पत्र में निम्नलिखित माँगे दी गई हैं :

(1) आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन के सिद्धाँत पर अध्ययन कार्य में नहीं लगे हुए कर्मचारियों के लिये समान अखिल भारतीय वेतनमान और ऐसे वेतनमान प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में संशोधन।

(2) जीवन निर्वाह सूचकाँक से सम्बद्ध मंहगाई भत्ते का भुगतान।

(3) पूर्ण लोकतंत्रीय और ट्रेड यूनियन अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए अध्ययन कार्य में नहीं लगे हुए कर्मचारियों के लिए समान अखिल भारतीय सेवा नियम बनाना।

(4) सीनेट, सिंडीकेट आदि में अध्यापन कार्य में नहीं लगे हुये कर्मचारियों के चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रावधान को सुनिश्चित करते हुये विश्वविद्यालय अधिनियमों को लोकतन्त्र बनाना।

(5) विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू करना।

(6) आवासीय क्वार्टरों का निर्माण।

(7) भवन-निर्माण के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना।

(8) सेवा-निवृत्त लाभ शुरू करना।

(9) आकस्मिक कर्मचारियों की सेवा को नियमित करना।

(10) ग्रुप बीमा योजना का प्रावधान ।

(11) बढ़ा हुआ समयोपरि भत्ता ।

(12) उपर्युक्त स्टाफ की भर्ती ।

(13) शिक्षकों और छात्रों के लिए निर्धारित पद्धति के आधार पर कल्याण योजनाएं शुरू करना ।

(14) केन्द्रीय सरकार की पद्धति पर चिकित्सा उपचार के लिए सुविधाएँ और चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति ।

(15) वरीयता के आधार पर शासकीय पदों पर पदोन्नति ।

(16) शिकायतों के शीघ्र निपटारे के लिए शिकायत प्रक्रिया लागू करना ।

(17) उच्च अध्ययनों के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था ।

(18) उन लोगों को जिनके भविष्य में पदोन्नति के अवर नहीं हैं 20% विशेष वेतन ।

(19) यूनियनों के लिए कार्यालय के स्थान तथा अन्य सहायता की व्यवस्था ।

(20) यूनियन के सदस्यों के लिए विशेष अवकाश और यात्रा-भत्ता ।

(21) सभी के लिए बोनस ।

(22) ट्रेड यूनियन और प्रजातांत्रिक आंदोलनों में भाग लेने के लिये कोई दण्ड न देना ।

जल संसाधन मंडल, बरहामपुर में रिक्त पदों को भरना

3732. **श्री रेणुपद दास :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जल आयोग के अन्तर्गत जल संसाधन मंडल बरहमपुर (पश्चिम बंगाल) में विभिन्न श्रेणियो में रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कदम उठाये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या संबंधित प्राधिकारी को निदेश दिया गया है या नहीं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जल संसाधन डिवीजन केन्द्रीय जल उद्योग, बरहामपुर, पश्चिम बगाल में समुह 'ग' तथा 'घ' के कुछ पद रिक्त हैं । आयोग के विभिन्न जल संसाधन डिवीजनों का पुनर्गठन किया जा रहा है और पदों/स्टाफ का पुन: आबंटन किया जा रहा है । पुन: आबंटन के पूर्ण होने पर, यदि कोई स्थान रिक्त होगा तो उसे भर दिया जाएगा ।

वजीर नगर कलोनी, नई दिल्ली का विकास

3733. **श्री धर्मदास शास्त्री :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में डिफेंस कालोनी के ब्लाक 'बी' के सामने वजीर नगर कालोनी को, पूर्ववती दिल्ली सुधार न्यास ने नई दिल्ली दक्षिणी नगर विस्तार योजना (भाग-एक) के अधीन वर्ष 1959 में स्वीकृत किया था और कतिपय नक्शों को भी पास किया था;

(ख) यदि हाँ, तो संबन्धित प्राधिकरण द्वारा कितने नक्शे मंजूर कर लिये गये हैं; और

(ग) क्या वजीर नगर में अब नक्शे मंजूर किये जा रहे हैं, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोटा में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश को लागू किया जाना

3734. **श्री चतुर्भुज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के कोटा जिले में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश को लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन लोगों की कुल संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध उसे उपयोग में लाया गया है और किस प्रकार के आरोपों के सम्बन्ध में इसे उपयोग में लाया गया है;

(ग) क्या कोटा जिले में कुछ व्यक्तियों को कथित चीनी के घोटाले के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है जबकि उसी मामले में कुछ व्यक्तियों को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 317 के अन्तर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामिण पुनर्निमाण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जैसा कि राज्य सरकार ने सूचित किया है, इसे राजस्थान राज्य में इस्तेमाल नहीं किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

हरिजनों को डी.डी. ए. प्लाट

3735. **श्री ए.सी. दास** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बस्ती नेरेहगढ़ एस्टेट के हरिजनों ने अपने प्लाटों के नियमन के लिए डी.डी.ए. को अनेक अभ्यावेदन दिये हैं ;

(ख) उन्होंने भूमि पर कब से कब्जा किया है; और

(ग) क्या डी.डी.ए- ने इन प्लाटों को अनुसूचित जातियों के सदस्यों को पट्टे (लीज) पर देने का निर्णय किया है; और

(घ) प्लाटों को किस दर पर पट्टे पर दिया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) उन्होंने 1-1-1958 से लेकर भिन्न-भिन्न तिथियों में भूमि पर कब्जा किया।

(ग) जी, अभी तक नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विद्यालय अध्यापक सहकारी आवास निर्माण समिति लि०. दिल्ली के सम्बन्ध में पंच निर्णय पंचाट

3736. **श्री चन्द्र पाल शैलानी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्यालय अध्यापक सहकारी आवास निर्माण समिति लि० दिल्ली के बहुत अधिक संख्या में सदस्यों ने पंचनिर्णय पंचाट को लागू करवाने के लिए सितम्बर, 1980 में सहकारी समितियाँ, दिल्ली के रजिस्ट्रार को आवेदन किया था;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विद्यालय अध्यापक सहकारी आवास-निर्माण

सामन्त, दिल्ली के सदस्यों, एजेन्टों और नौकरों द्वारा जुलाई, 1979 से सितम्बर, 1880 के बीच बहुत बड़ी संख्या में फाइल किये गये पंचनिर्णय मामलों को सहकारी समितियाँ, दिल्ली के रजिस्ट्रार के आगे प्रारम्भिक सुनवाई के लिये भी पेश नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो पदाधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है और इस बारे में अब क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। सहकारी समितियों के पंजीकार ने सूचित किया है कि पंच निर्णय पंचाट की प्रतिलिपियों के लिये 3 अनुरोध प्राप्त हुये थे और वे सप्लाई कर दी गई थी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) जुलाई, 1979 और सितम्बर, 1980 के बीच पंच निर्णय के 4 मामले प्राप्त हुये थे और सहकारी समिति अधिनियम की धारा 60 (3) के अधीन विवाद का निर्णय करने के लिए सहकारी समितियों के पंजीकार द्वारा तारीखें निश्चित कर दी गई हैं।

काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में स्पेक्ट्रो मीटर

3737. **श्री निहालसिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के लिए 'मास स्पैक्ट्रोमीटर' कब खरीदा गया था और उसकी कीमत क्या है और उस स्पैक्ट्रोमीटर पर किये गये अनुसन्धान कार्य का ब्यौरा क्या है और यदि कोई अनुसन्धान कार्य नहीं किया गया था तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) इस स्पैक्ट्रोमीटर को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय स्पैक्ट्रास कापी लेबोरेटरी में क्यों नहीं रखा गया जबकि इसकी देश भर में सबसे अच्छी स्पैक्ट्रास कापी लेबोरेटरी है; और

(ग) क्या सरकार देश में उन अन्य विश्वविद्यालयों के बारे में, जिनको केन्द्रीय सरकार द्वारा मास स्पैक्ट्रोमीटर दिये गये हैं और जिनका समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है, जानकारी एकत्र करेगी ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा मार्च, 1976 में स्थित मानचेस्टर की मैसर्स क्राटोस से 12,70,100 रुपये की लागत पर एक मास स्पेक्ट्रोमीटर खरीदा गया था। यह स्पेक्ट्रोमीटर एक केन्द्रीय उपकरण सुविधा के रूप में खरीदा गया था, न कि किसी विशेष विभाग के लिए। केन्द्रीय उत्कृष्ट उपकरण प्रयोगशाला के लिये किसी प्रकार के पृथक भवन के न होने के कारण इस स्पेक्ट्रोमीटर को रसायन इन्जीनियरी विभाग में उपलब्ध स्थान पर लगाया गया था। भेजने वाली फर्म द्वारा बारम्बार दौरा किये जाने के बाद स्पेक्ट्रोमीटर को मार्च, 1980 में चालू किया गया था। तब से इस स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से विभिन्न विभागों से प्राप्त रसायन नमूनों का विश्लेषण और दृष्टक नमूना भरण (विजुअल सैम्पलिंग) किया जा रहा है।

(ग) सरकार द्वारा दी गई धनराशि में से खरीदे गये मास स्पेक्ट्रोमीटर की प्रयोग प्रणाली से सम्बन्धित सूचना सरकार ने एकत्र नहीं की है। स्पेक्ट्रोमीटर के कुप्रयोग के यदि कुछ प्रमाण सरकार के ध्यान में लाये गये तो सरकार उनकी जाँच करेगी।

चीनी कारखानों का आधुनिकीकरण

3738. आचार्य भगवान देव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय चीनी की कितनी उत्पादन क्षमता है;

(ख) इसे बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं;

(ग) क्या चीनी कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए भी कोई कार्यक्रम आरम्भ किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो देश के सभी चीनी कारखानों का आधुनिकीकरण कब तक हो जाने की सम्भावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) देश में चीनी उद्योग की वर्तमान स्थापित वार्षिक चीनी उत्पादन क्षमता 61 38 लाख मीटरी टन है।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

1. सरकार ने 4-7-1980 को एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान नई चीनी फैक्ट्रियाँ स्थापित करने के मार्गदर्शी सिद्धांत बताए गए हैं।

2 सरकार ने 4, अक्तूबर, 1980 को चीनी उद्योग के लिए संशोधित प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है जिसमें ऊंची पूंजी लागत पर पूरी की गई नई चीनी फैक्ट्रियों और परियोजनाओं को अतिरिक्त मुक्त बिक्री की चीनी और उत्पादन शुल्क में राहत के रूप में प्रोत्साहन की व्यवस्था की गई है।

(ग) और (घ) सरकार ने चीनी मिलों का आधुनिकीकरण करने के सुगम ऋण देने हेतु वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से एक योजना शुरू की है। आधुनिकीकरण तथा पुनर्वास निधि बनाने के लिए उत्पादित चीनी पर 50 रुपये प्रति टन का उपकर भी लगाया जाना है। चीनी फैक्ट्रियाँ इन योजनाओं का काफी समय तक सोपानवार ढंग से लाभ उठा सकती हैं और इन परिस्थितियों को देखते हुए कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कोई ठीक-ठीक समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

विदेशी मत्स्य नौकाओं का निरीक्षण

3739. श्री डी. पी. जदेवा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारतीय कम्पनियों द्वारा चार्टर्ड सभी विदेशी मत्स्य नौकाओं का निरीक्षण करने का प्राधिकार है;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष 1979 और 1980 में सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा चार्टर्ड मत्स्य नौकाओं का किये गये सभी निरीक्षणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तटीय क्षेत्रों आदि में कम राशि के बिल बनाने और मछली पकड़ने के सन्दर्भ में किन्हीं अनियमितताओं का पता चला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूरा ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ।

(ख) से (घ) ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिए जाएंगे।

नेपाल द्वारा गोदार में कमला नदी पर बांध

3740, **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार ने गोदार में कमला नदी पर कोई बांध बनाया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गोदार बांध के परिणामस्वरूप पश्चिमी और पूर्वी कमला नहरों के सूख जाने का खतरा है;

(ग) क्या नेपाल द्वारा उपर्युक्त गोदार बांध का निर्माण भारत द्वारा सीसपुर में बहुद्देश्यीय बाँध न बनाए जाने और कमला तटबंधों का विस्तार जयनगर से आगे नेपाल में मोरचार्या तक न किये जाने के कारण किया गया है, यदि नहीं, तो उपर्युक्त बातों के बारे में वास्तविक स्थिति क्या है; और

(घ) क्या कमला और बागड़ी नदियों के बारे में इन मुद्दों पर नेपाल के साथ कोई विस्तृत बातचीत की गई है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) अगस्त, 1980 में नेपाली प्रतिनिधिमंडल के साथ हुए विचार-विमर्श के दौरान, बिहार सरकार के प्रतिनिधियों ने यह बताया था कि यह पता चला है कि नेपाल में कमला को ऊपरी पहुँचों में नेपाल द्वारा एक बाँध और बराज का निर्माण किया जा रहा है। अन्ततः यह सहमति हुई कि भविष्य में जब कभी नेपाल ऐसी स्कीमों को प्रारम्भ करेगा जो दो दोनों देशों को प्रभावित करती हों, तो उनके बारे में नेपाल आँकड़े देगा और ऐसी स्कीमों से संबंधित आंकड़ों और ब्यौरों का परस्पर विनियम करेगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निम्न आय वर्ग के पंजीयकों को प्लाटों का आबंटन

3741. **श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1975 में 100 रुपए की पंजीकरण फीस की अदायगी पर दिल्ली में निम्न आय वर्ग और मध्य आय वर्ग के प्लाटों के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र माँगे थे;

(ख) क्या लाटरी निकाले जाने के बाद सभी असफल आवेदकों को पंजीकरण की राशि वापस कर दी गई थी और बाद में 1977 में निम्न आय वर्ग के सभी उक्त आवेदकों को व्यक्तिगत पत्र भेज कर निम्न आय वर्ग प्लाटों के आबंटन के लिए पुनः पंजीकरण राशि जमा कराने को कहा गया था;

(ग) क्या उन सभी आवेदकों को, जिन्होंने पंजीकरण राशि पुनः जमा कराई थी, निम्न आय वर्ग के प्लाट आवंटित कर दिए गए हैं;

(घ) क्या मध्य आय वर्ग के असफल रहने वाले उम्मीदवारों को पंजीकरण धनराशि पुनः जमा कराने की कोई पेशकश नहीं की गई थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसी कोई पेशकश क्यों नहीं की गई थी और क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिल्ली में विभिन्न वर्गों के लिए प्लाट बेचने की हाल की योजना को देखते हुए मध्य आय वर्ग के उक्त असफल आवेदकों को प्लाटों की पेशकश करने का कोई प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) जी, हां। निम्न आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1975 में दो बार आवेदन आमंत्रित किए थे। पहले फरवरी में तथा फिर अगस्त में पहली स्कीम के लिए बयाना धनराशि निम्न आय वर्ग के लिए 500/-रुपये थी तथा मध्यम आय वर्ग के लिए 1000/-रुपये तथा दूसरी स्कीम के लिए बयाना धन के रूप में मूल्य के 50 प्रतिशित की राशि मांगी गई थी।

(ख) जी, हां। असफल आवेदकों को बयाना धन वापस ले लेने के लिए कहा गया था। दूसरी स्कीम के निम्न आय वर्ग के असफल आवेदकों से 1977 में 1000/-रुपये का बयाना धन पुनः जमा करने के लिए पृथक-पृथक रूप से अनुरोध किया गया था। यदि उन्होंने इस निर्णय के अनुसार कि उन्हें प्लाट दिए जायेंगे अपना बयाना धन वापस ले लिया था।

(ग) जी, हाँ। परन्तु केवल वही आवेदक जो कि उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में समावेशित है।

(घ) जी, हां। दूसरी स्कीम में मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में कोई भी आवेदक असफल नहीं रहा।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भवन व्यय में अनियमितताओं की जांच के लिए समिति

3742. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भवन व्यय में अनियमितताओं की जाँच करने वाले जांच आयोग ने मामले में और अधिक व्यापक जाँच की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्त पोषित भवन परियोजनाओं की कथित अनियमितताओ से सम्बन्धित एक सदस्यीय-जांच समिति के निष्कर्षों को आगे की जांच हेतु केन्द्री जाँच ब्योरो को सौंपा गया था। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने जुलाई 1979 में कुछ मामलों को दर्ज किया था और इनकी जाँच की जा रही है।

कांडला पत्तन पर बेकार बैठे कर्मचारी

3743. **श्री समर मुखर्जी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला पत्तन पर बैक्यूवेटर मशीनों में लगे लगभग 216 कर्मचारी पिछले चार महीने से बेकार बैठे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन बेकार बैठे कर्मचारियों को पत्तन द्वारा इस समय चलाये जा रहे मैराइन अनलोडर, पर काम में न लगाये जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम ने सूचित किया है कि कांडला पोर्ट ट्रस्ट ने कांडला में 1965-66 में शुरू किए अनाजों को उतारने के अभियान के बारे में लगभग 300 कुशल, अर्ध कुशल और अकुशल कामगारों की भर्ती की थी। इस समयावधि के दौरान इस बन्दरगाह पर अनाज के आने-जाने की गति पर निर्भर करते हुए काम का भार भिन्न-भिन्न रहा है। पिछले लगभग तीन वर्षों के दौरान अनाज के आने-जाने की मात्रा में पर्याप्त कमी हुई है। सोवियत रूस को खाद्यान्नों का निर्यात करने विषयक कार्य को मशीनों (विपरीत दिशा में चालित) का इस्तेमाल कर हैंडल करने का प्रास्ताव था लेकिन इसका बन्दरगाह और डाक कामगारों द्वारा विरोध किया गया। इस बीच कामगारों को गाँधी धाम में निर्यात करने योग्य खाद्यान्नों का नेमी रूप से रख-रखाव करने, मशीनों से निकासी कार्य करने और भण्डारण तथा रख-रखाव से सम्बन्धित गतिविधियों के लिए लगाया गया था। कृषि विभाग द्वारा स्थापित किए गए मैरीन अनलोडर इन्सटालेशन को परिचालन और रख-रखाव के लिए कांडला पोर्ट ट्रस्ट को सौंपा गया था। वैक्यूवेटर असिशन स्टाक को मूलत: कांडला पोर्ट ट्रस्ट द्वारा भर्ती किया गया था और उसे खाद्य विभाग को स्थानान्तरित किया गया था और खाद्य विभाग ने उसे 1973 में भारतीय खाद्य निगम को स्थानान्तरित कर दिया था। कृषि मंत्रालय के साथ हुए अलग करार के अधीन, कांडला पोर्ट ट्रस्ट ने मैरीर अनलीडर इन्सटालेशन के परिचालन और रख-रखाव के लिए पहले ही स्टाफ की भर्ती कर ली है। कांडला पोर्ट ट्रस्ट प्राधिकारियों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध कुछेक स्टाफ की सेवाओं का भी प्रयोग करें लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है। भारतीय खाद्य निगम उस स्टाफ, जिनको पूर्णतया इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, के बारे में प्रोत्साहनों सहित एक स्वेच्छिक रिटायरमेंट योजना तैयार कर रहा है।

शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए नियतन

3.44. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** :

श्री फूल चन्द वर्मा : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) खेर आयोग की सिफारिशों के अनुसार शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए केन्द्रीय बजट में 10 प्रतिशत नियत न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान, राज्यों के बजटों में, राज्यवार तथा वर्ष वार कितने प्रतिशत नियतन किया गया ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. वी. चव्हाण) : (क) खेर समिति ने कोई 30 वर्ष पूर्व यह सिफारिश की थी। राष्ट्रीय नीति संकल्प, 1978 में यह उल्लेख किया गया है : 'लक्ष्य यह होना चाहिए कि शिक्षा में (पूजी) निवेश को धीरे-धीरे बढ़ाया जाये ताकि राष्ट्रीय आय के 6 प्रतिशत के खर्च का वर्तमान स्तर प्रतिशतता के रूप में अंश राष्ट्रीय आय का 3.7 है। साधनों की कमी के कारण राष्ट्रीय नीति संकल्प में निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचना सम्भव नहीं हो पाया है।

(ख) राज्यों के गजट में पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षा पर हुए खर्च की प्रतिशतता का विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) राज्य	1978-79 (बजट प्राक्कलन)		1979-80 (बजट प्राक्कलन)		1980-81 (बजट प्राक्कलन)	
	कुल राज्य बजट का शिक्षा विभागों द्वारा शिक्षा पर आवंटन की प्रतिशतता	कुल राज्य बजट का सभी विभागों द्वारा शिक्षा पर आवंटन की प्रतिशतता	कुल राज्य बजट का शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा पर आबटन की प्रतिशतता	कुल राज्य बजट का सभी विभागों द्वारा शिक्षा पर आवंटन की प्रतिशतता	कुल राज्य बजट का सभी विभागों द्वारा शिक्षा पर आवंटन की प्रतिशतता	कुल राज्य बजट सभी विभागों द्वारा शिक्षा पर आबंटन की प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश	20 8	25.2	20.1	25.4	19.6	25.2
2. असम	23.1	25.7	25.4	27-9	25.5	27.8
3. विहार	27.3	31.2	27.8	31.3	26.2	29.4
4. गुजरात	23.0	27.6	21.4	25.2	18.8	23.5
5. हरियाणा	16.6	21.0	16.5	20.9	15.7	19.9
6. हिमाचल प्रदेश	20.9	23.7	19.6	22.9	23.0	25.5
7. जम्मू व काश्मीर	13.6	15.5	15.6	19.7	15.4	18.9
8. कर्नाटक	21.5	25 1	18.7	24.3	17.5	21.9
9. केरल	34.8	38.9	35.0	38.7	35.1	39.5
10. मध्य प्रदेश	19.6	24.2	17.7	22.7	16.9	18.4
11. महाराष्ट्र	18.3	21.4	20.4	24.9	18.5	22.1

1	2	3	4	5	6	7
12. मणिपुर	13.6	17.6	17.0	21.3	20.2	22.9
13. मेघालय	14.9	16.9	14.7	16.1	15.7	17.9
14. नागालैंड	13.2	14.2	12.8	14 9	13 6	14.9
15. उड़ीसा	20.6	23.8	20.6	23.4	20.0	21.5
16. पंजाब	21.5	27.0	21.0	26.9	20.8	25.5
17. राजस्थान	21.5	24.2	21-0	29.8	20.2	22.5
18. सिक्किम	7.7	10.1	9.4	12 1	9.8	11.9
19. तमिलनाडु	23.8	28:4	24.2	30.5	23.3	28.2
20. त्रिपुरा	19.7	21.6	17.1	18.6	16.8	19.1
21. उत्तर प्रदेश	2.18	26.3	20·8	26.3	22.1	26.0
22. पश्चिम बंगाल	22.6	24.8	22.8	26.5	22.6	25.9
कुल-क	21.7	25.5	21.6	26.3	20.8	24.5
संघ शासित प्रदेश-ख						
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	12.4	13.0	11.9	12.5	12.9	14.2
24. अरुणाचल प्रदेश	7.2	10.0	7.8	9.8	8.3	10.9
25. चंडीगढ़	28.0	30.1	26.8	29.0	24.4	26.4

1	2	3	4	5	6	7
26. दादरा तथा नागर हवेली	23.7	27.9	21.8	25.1	22.5	27.2
27. दिल्ली	37.9	40.7	35.7.	39.0	34.3	37.6
28. गोवा, दमन और द्वीव	24.7	28.2	21.8	26.0	24.3	28.7
29. लक्ष द्वीप	19.6	20.5	22.0	22.6	16.8	17.5
30. मिजोरम	13.1	14.1	13.3	14.2	12.9	14.5
31. पांडिचेरी	20.0	24.1	19.1	21.6	18.6	22.1
कुल-ख :	25.3	27.8	23.3	25.8	23.2	26.1
कुल योग	21.8	25.6	22.3	26.3	20.9	24.5

* यह सूचना राजस्व लेखे से सम्बन्धित है और यह राज्य योजनासत वार्षिक बजट पर आधारित है।

गोआ, दमन और दीव में सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को चयन ग्रेड

3745. **प्रो. मधु दंडवते :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा और सामज कल्याण मंत्रालय ने अपने परिपत्र दिनांक 26 नवंम्बर, 1971 के माध्यम से निदेश दिया है कि सभी संघ राज्य क्षेत्रों के केन्द्रीय विद्यालयों सहित सभी स्कूलों में अध्यापकों को चयन ग्रेड दिये जायें;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह सच है कि इस निदेश को गोआ, दमण और दीव के सहायता-प्राप्त स्कूलों के मामले में क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) गोआ, दमण और दीव के सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को चयन ग्रेड कब तक दे दिये जायेंगे ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. वी. चव्हाण) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) गोआ, दमन और दीव प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, प्रवरण ग्रेड के कार्यान्वयन के आदेश 21 सितम्बर, 1973 को जारी किए गए थे। इन आदेशों को बहुत से शिक्षकों से अभ्यावेदन प्राप्त होने के कारण आस्थगित रखा गया था। इसी दौरान, अखिल गोवा माध्यमिक स्कूल शिक्षा संगठन के अभ्यावेदन पर, समयबद्ध प्रवरण ग्रेडों को लागू करने के प्रश्न पर विचार किया गया और उसे अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रक्रिया के कारण, सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रवरण ग्रेडों के कार्यान्वयन में देरी हो गई। तथापि, अब इस प्रश्न पर प्रशासन सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

थाने जिला डाकघर की "अल्प बचत" के लिए किए गए कार्य के लिए पारितोषिक

3746. **श्री आर.के. महालगी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थाने जिला डाक घर (महाराष्ट्र) को गत तीन वर्षों के दौरान "अल्प बचत" में उसके निष्पादन के लिए पुरस्कृत किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो पुरस्कार का वर्ष और राशि कितनी है;

(ग) इस पुरस्कार की राशि को उपयोग में लाने के मार्ग-निदेश क्या है;

(घ) क्या कथित पुरस्कार की समस्त राशि का उपयोग कर लिया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तत्संबन्धी क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ।

(ख) 1978-99 वर्ष के दौरान, थाने जिले डाकघरों को राष्ट्रीय बचत में उनके निष्पादन के लिए थाने जिले के जिलाधीश ने 10,000/-रुपये (केवल दस हजार रुपये) देकर पुरस्कृत किया था।

(ग) इस राशि का उपयोग राष्ट्रीय बचत कार्य हेतु अतिरिक्त स्थान उपलब्ध कराने, जनता अथवा स्टाफ के लिये फर्नीचर, जनता, बचत एजेंटों तथा स्टाफ के लिए प्रतीक्षालय तथा पेयजल की व्यवस्था करने हेतु ही किया जाना था।

(घ) यह पूरी राशि थाने जिले के 90 डाकघरों में पेयजल की व्यवस्था करने में खर्च की गई थी। उन्हें पानी इकठ्ठा करने हेतु स्टेनलैस स्टील के वर्तन पानी पीने के लिए गिलास सप्लाई किये गए थे .

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लि. बसन्त विहार, नई दिल्ली

3747 **श्री एम.एम. कृष्ण** : क्या निर्माण और आवास मंत्री सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड वसन्त विहार, नई दिल्ली के बारे में 9 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 51 के उत्तर के सबन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कर्मचारी सहकारी गृह निर्माण समिति लि., वसन्त विहार, नई दिल्ली के विरुद्ध वसन्त विहार में अरिरिक्त प्लाटों के आवंटन जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या 15 (167) 155 एल. एण्ड एच.डी.डी.ए.भी. एस. दिनांक 10 सितम्बर, 1970 में निर्धारित किया गया है, से मिली राशि में से 10 लाख रुपये के बढ़े हुए मुआवजे की राशि घटाने की शर्त पूरी न करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या 82 अतिरिक्त प्लाट काटने की अनुमति को निरसन करने का विचार हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) शान्ति निकेतन के एलाटियों की बढ़े हुए इस मुआवजे के संबंध में किस प्रकार प्रतिपूर्ति करने का विचार है क्योंकि शान्ति निकेतन में छोड़ा गया दरित क्षेत्र मास्टर प्लान में निर्धारित स्टेण्डर्ड से अधिक है ?

ससदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नरायण सिंह) : (क) यह सोसायटी का आन्तरिक विवाद होने के कारण, इस सोसायटी और शान्ति निकेतन एसोसिएशन को यह सलाह दी गई थी कि वे इस मामले में सहकारी समितियों के पजीकार से सम्पर्क करें।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि 82 अतिरिक्त प्लाट काटने की अनुमति को रद्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दिल्ली प्रशासन ने निर्णय लिया था कि बढ़ाया गया मुआवजा शान्ति निकेतन के प्लाट आवंटितियों द्वारा देय है और इसे उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है। इस मामले में दायर रिट को खारिज कर दिया गया था।

शिक्षा निदेशक, अन्डमान द्वारा पुस्तकालय के लिये पुस्तकों की खरीद

3748. **श्री ई. बालानन्दन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्डमान प्रशासन के शिक्षा निदेशक ने मैसर्स मौडर्न बुक डिपो, कलकत्ता से बड़ी संख्या में पुस्तकालय के लिए पुस्तकें खरीदी;

(ख) क्या सतर्कता विभाग द्वारा जांच की जा रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी तथ्य क्या हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. वी. चव्हाण) : (क) से (ग) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, शिक्षा विभाग ने, मैसर्स मोडर्न बुक डिपो, कलकत्ता से वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979.80 के दौरान, क्रमश: 4971/-रुपए, 25174

रुपए तथा 18552/-रुपये मूल्य की पुस्तकालय पुस्तकें खरीद की थी। नकली नाम वाली एक शिकायत के आधार पर, वर्ष 1978-79 के दौरान की गई खरीद के सम्बन्ध में एक सतर्कता जांच चल रही है।

मिजोरम में मजदूरी की अदायगी न किया जाना

3749. **डा. आर. रोथूआमा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मिजोरम सरकार को बार-बार अभ्यावेदन देने के बावजूद रेंजावल जिले के भीतर "सियालसुकरेंज" के सभी वाहिनी कर्मचारियों को 1968-1969 में रेंजावल से थेनजावल रोड तक के वाहिनी निर्माणकार्यों के लिए कोई अदायगी नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे संबन्धित मजदूरी की अदायगी करने के लिए कोई उपचारात्मक उपाय किये गये थे या करने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार सभी वाहिनी कर्मचारियों को मजदूरी की अदायगी करने के लिए कदम उठायेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) मिजोरम प्रशासन से रिपोर्ट मंगाई गई है। रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर सरकार मामले पर विचार करेगी।

बिहार में चीनी कारखानों का आधुनिकीकरण

3750 **श्री एन. ई. होरो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्य राज्यों की तुलना में बिहार के चीनी कारखानों का आधुनिकीकरण नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (ग) बिहार के अधिकांश चीनी कारखानों जिनमें से अधिकांश कारखाने लगभग 40 वर्ष पूर्व स्थापित किए गए थे, का सुव्यवस्थित ढंग से आधुनिकीकरण अथवा पुनर्वासन नहीं किया गया है। सरकार केन्द्रीय वित्तीय संस्थानो के माध्यम से ऐसी फैक्ट्रियों, जिनकी अलाभकारी क्षमता है और जिनकी मशीनरी पुरानी है, की सहायता करने के लिए एक सुगम ऋण योजना को कार्यान्वित कर रही है। लेकिन इस सहायता को प्राप्त करने विषयक प्रगति मुख्यत: सुगम ऋण योजना की कुछेक शर्तों को पूरा करने की तथाकथित कठिनाइयों के कारण अपर्याप्त है।

भारत में पढ़ रहे विदेशी छात्रों को छात्रवृति

3751. **सी अर्जुन सेठी** : क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने विदेशी छात्रों को भारत सरकार द्वारा छात्रवृति दी गई है और इस समय देश में विभिन्न कालेजों में पढ़ रहे हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इन छात्रवृतियों पर कुल कितनी राशि का व्यय किया जा रहा है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अन्दमान द्वीपसमूह का छतम सौ मिल्स

3752. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह के वन—विभाग का छतम सौ मिल्स भारी घाटे में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान उसे कितना घाटा हुआ ?

(ग) छतम सौ मिल्स में आठ घन्टे की उत्पादन क्षमता कितनी है और गत तीन वर्षों के दौरान उसमें वास्तविक उत्पादन कितना हुआ है ?

(घ) क्या सरकार धीरे-धीरे श्रमिकों की संख्या घटाती जा रही है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ङ) क्या सरकार इस मिल तथा वहाँ श्रमिकों की भलाई के लिये इस आरा मिल को वन—विभाग से पृथक करने पर विचार करेगी; और यदि नहीं, तो क्यों नहीं; और

(च) क्या सरकार का विचार आर्थिक सक्षमता के लिये इस मिल में आधुनिक उपकरण लगा कर इसका आधुनिकीकरण करने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) यह विभागीय आरा मिल है जिसके लिए लाभ तथा हानि सम्बन्धी लेखा अलग से नहीं रखा जाता है। अतः वर्षवार आँकड़े देना संभव नहीं है।

(ग) इसकी अधिष्ठापित क्षमता 8 घंटे में 22 घन मीटर की है। गत 3 वर्ष का वर्षवार वास्तविक उत्पादन निम्नलिखित रहा है :

1977-78	6790 घन मीटर
1978-79	9713 घन मीटर
1979-80	9050 घन मीटर

(घ) जी, नहीं।

(ङ) तथा (च) इस समय इस प्रकार के पृथककरण के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। फिर भी, मिल को आधुनिक बनाने का प्रस्ताव है और कुछ नये उपस्कर खरीदकर लगाये गए हैं। मिल के कार्य करने की प्रणाली के आधुनिकीकरण तथा सुधार का कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक समिति भी स्थापित की गई है।

कलकत्ता महानगर क्षेत्र की परिवहन समस्यायें

3753. **श्री चित्त बसु** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता महानगर क्षेत्र की परिवहन समस्या का इस बीच गहन अध्ययन कर लिया है ?

(ख) यदि हां, तो समस्या का स्वरूप क्या है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम अब तक उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है तथा लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कर्नाटक को आवास निर्माण के लिए धनराशि

3754. **श्री जी०वाई० कृष्णन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने क करेंगे कि :

(क) कर्नाटक सरकार ने अपनी विभिन्न आवास योजनाओं के लिए वर्ष 197 लिये केन्द्र सरकार से कितनी धनराशि के ऋण की मांग की थी; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्य के लिये उस सरकार को कितनी धनरा गई थी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क (ख) केन्द्रीय क्षेत्र, "बागान कर्मचारियों की सहायता प्राप्त आवास योजना" के अन्तर्गत, राज्य सरकार ने 35,500 रुपये के ऋण की मांग की थी, परन्तु 1979-80 के दौरान सरकार द्वारा उन्हें कोई राशि नहीं दी गई क्योंकि उनके पास पिछले वर्षों के बिना खर्चा ऋण बकाया पड़े थे ।

अन्य आवास योजनाएँ जिनका कार्यान्वयन कर्नाटक सरकार द्वारा किया जा राज्य क्षेत्र में हैं जो केन्द्रीय सरकार के 'समेकित ऋणों और समेकित अनुदानों' के आती हैं ।

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन कनेक्शन

3755. **श्री मुकन्द मण्डल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में टेलीफोन कनैक्शनों की कुल संख्या कितनी है; और

(ख) क्या टेलीफोन की बिगड़ती हुई सेवा के कारण राज्य के लोग अपने टेल कनैक्शन कटवा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) 30-9-80 तक पश्चिम में कुल टेलीफोन कनेक्शनों की सख्या 2,03,144 है ।

(ख) जी नहीं ।

कृषि भूमि पर अनधिकृत निर्माण

3756. **श्री केशवराव पारधी** :

श्री निहाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाहरी दिल्ली में पंखा रोड के निकट नसीरपुर गाँव की भूमि का बहुत बड़ा भाग छोटे-छोटे प्लाटों में विभक्त कर दिया गया है और अनधिकृत हस्तांरित कर दिया गया अथवा बेच दिया गया है और उस पर अनधिकृत निर्माण गया है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि इस गांव के बीच से होती हुई मायापुरी औद्य को पालम से जोड़ने वाली चौड़ी सड़क के निर्माण की योजना थी;

(ग) यदि हाँ, तो कृषि भूमि को छोटे प्लाटों में विभक्त करने और उन्हें अनधि से बेचने के लिए उत्तरदायी सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई प्रस्ताव है और क्या यह जमींदार दिल्ली नगर निगम अथवा दिल्ली महानगर परिषद् क रहा है; और

(घ) प्रस्तावित सड़क का निर्माण कार्य कब शुरू किया जाएगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(घ) ऊपर भाग (ख) के उत्तर को देखते हुये प्रश्न ही नहीं उठता ।

टेकड़ा और दरजंज मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये महानदी जल का बंटवा

3757. **श्री के.पी. सिंह देव** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेकड़ा और दरजंज मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये महानदी बटवारे के लिये उड़ीसा सरकार से एक प्रस्ताव मिला है ?

(ख) यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) उड़ीसा स महानदी के जल को टेकरा और देरजंग मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए व्यपवर्तित कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा नहीं होते ।

जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) जिले की अलीपुर द्वार टेलीफोन एक्सचेंज द्वारा द गई सेवायें

3358. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के अलीपुरद्वार उप मंडल के डाकघ प्रतिमाह कितना राजस्व कमाया गया है ?

(ख) अलीपुरद्वार उपमंडल में ब्लाक वार कितने टेलीफोन एक्सचेंज हैं औ एक्सचेंज में टेलीफोनों की संख्या कितनी है ?

(ग) इस उप मंडल में टेलीफोन सेवाओं की दशा में सुधार लाने के लिए व उठाए जा रहे हैं ?

(घ) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में पूरे जलपाईगुड़ी उप मंडल में अधिकांशतः खराब पड़े रहते हैं और उनको ठीक कराने के लिये कुछ असाधारण क पड़ते हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो टेलीफोन धारकों की शिकायतें दूर करने के लिए क्या कद रहे हैं और प्रस्तावित कदमों का ब्योरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जिस सीमा तक सूचना उपलब्ध है एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

(ख) ब्लाक-वार टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या और प्रत्येक एक्सचेंज कार्यालय में टेलीफोनों की संख्या इस प्रकार है :

ब्लाक का नाम	ब्लाक में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंज	चालू कनेक्शन
1. अलीपुर दौर ब्लाक सं० 1 2. अलीपुर दौर ब्लाक सं० 2	अलीपुर दौर	307
3. फलाक्ता	फलाक्ता	46
	बीरपारा	143
4. कलछिनी	कलछिनी	77
5. कुमार ग्राम	कुमारग्राम	15
6. मदारीहाट	मदारीहाट	10

(ग) (1) उप मंडल में सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में अतिरिक्त पावर सप्लाई प्रदान करने के लिये कार्यवाई की जा रही है ।

(2) सेवा की विश्वसनीयता में सुधार लाने के लिए छोटे स्वचल एक्सचेंजों और उनके उद्गम एक्सचेंजों के बीच अतिरिक्त जंक्शन लाइन प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

(3) लम्बी दूरी की कालों हेतु स्थायी माध्यम प्रदान करने के लिए कूच-बिहार और हाशीमारा के बीच एक नया सूक्ष्मतरंग लिंक स्थापित किया जा रहा है ।

(घ) और (ङ) जी नहीं । तथापि बिजली खराब होने के कारण इस क्षेत्र में टेलीफोन सेवायें लंबी अवधि तक प्रभावित रहीं । 1980 के नवम्बर माह के दौरान पावर की स्थिति में सुधार हुआ है । सभी एक्सेचेंजों में अतिरिक्त पावर सप्लाई प्रदान करने के लिए कार्यवाई की जा रही है जैसा कि ऊपर (ग) (1) में बतलाया गया है ।

राजस्थान को लेवी चीनी का नियतन

3759. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जनवरी से अक्तूबर, 1980 तक राजस्थान को कितनी मात्रा में लेवी चीनी का नियतन किया; और

(ख) राजस्थान में उक्त अवधि के दौरान भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य श्रोतों से कितनी मात्रा में चीनी सप्लाई की गई और उपभोक्ताओं को वितरित की गई ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जनवरी से अक्तूबर, 1980 तक के प्रत्येक महीने के दौरान उचित दर की दुकानों के माध्यम से घरेलू उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए राजस्थान सरकार को 12,757 मीटरी टन लेवी चीनी का मासिक कोटा आवंटित किया गया है ।

(ख) भारतीय खाद्य निगम राजस्थान सरकार को लेवी चीनी की सप्लाई नहीं करता

है। क्योंकि राज्य सरकार फैक्ट्री से आवंटित चीनी उठाने और उचित दर की दुकानों से उसके वितरण करने की व्यवस्था स्वयं कर रही है इसलिए राज्य के उपभोक्ताओं में वितरित लेवी चीनी की मात्रा के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

बाढ़ को रोकने के लिए किया गया कार्य

3760. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा बाढ़ रोकने के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान किये गए कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : बाढ़ नियन्त्रण राज्य-विषय है और बाढ़ नियंत्रण, जल निकास और कटावरोधी स्कीमों को योजना बनाने, अन्वेषण करने और उनका कार्यान्वयन करने की जिम्मवारी पूर्णतया राज्य सरकारों की है। पिछले तीन वर्षों में बाढ़ नियन्त्रण कार्यों पर किया गया व्यय और उनसे लाभान्वित क्षेत्र निम्न प्रकार हैं :

		लाभान्वित क्षेत्र
1977-78	112.80 करोड़ रुपये	6.37 लाख हैक्टेयर
1978-79	171.98 करोड़ रुपये	6.00 लाख हैक्टेयर
1979-80	156.49 करोड़ रुपये (प्रत्याशित)	5.22 लाख हैक्टेयर

राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान बाढ़ नियन्त्रण कार्यक्रम के मुख्य घटकों के बारे में हुई भौतिक उपलब्धि निम्न प्रकार है :—

	1977-78	1978-79	1979-80
1. निर्मित तट बंधों की लम्बाई किलोमीटर में	464	545	458
2. जल निकास चैनलों की लम्बाई किलोमीटर में	1346	1484	586
3. जितने शहरों को सुरक्षा प्रदान की गई।	8	19	17

गेहूं का रक्षित भंडार

3761. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सरकार के पास गेहूं का रक्षित भंडार कितना है;

(ख) पंजाब को कितनी मात्रा में गेहूं आवंटित किया गया और वास्तव में कितनी मात्रा में सप्लाई किया गया तथा इसकी माँग कितनी थी;

(ग) क्या सर्दी में होनी वाली वर्षा के न होने को ध्यान में रखते हुए रबी की फसल की संभावना बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का विचार उनके गेहूं के रक्षित भंडार को काफी अच्छा बनाने और बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) सभी सरकारी एजेंसियों के पास 1-11-1980 को गेहूँ का स्टाक 63.9 लाख मीटरी टन था।

(ख) चालू वर्ष में जनवरी से दिसम्बर, 1980 तक पंजाब सरकार ने 674 हजार मीटरी टन गेहूं मांगी थी लेकिन उन्हें केन्द्रीय भण्डार से 529 हजार मीटरी टन गेहूँ आबटित की गई थी। राज्य सरकार द्वारा 31 अक्तूबर 1980 तक उठाई गई गेहूं की मात्रा 292 हजार मीटरी टन थी।

(ग) 1980-81 में रबी गेहूँ के सम्भावी उत्पादन का अनुमान बताना बहुत जल्दबाजी होगी।

(घ) गेहूं का स्टाक बचाने की दृष्टि से राज्यों को केन्द्रीय भडारण से गेहूं का आबंटन युक्ति-युक्त कर दिया गया है। इस नीति के परिणामस्वरुप, गेहूं की निकासी के पेटर्न की दृष्टि में गेहूं के आबंटन में कटौती कर दी गई है और गेहूं के बदले अधिक चावल आवटित किया जा रहा है।

अपम इन्द्रवती परियोजना की अनुमानित लागत और अब तक का खर्च

3762. **श्री रास बिहारी :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अपर इन्द्रवती परियोजना से कितने हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जानी है और कितने मेगावाट बिजली पैदा की जायेगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : अपर इन्द्रावती बहुप्रयोजनी परियोजना में 1.85 लाख हैक्टेयर की वार्षिक सिंचाई और 100 प्रतिशत भार-अनुपात पर 227 मेगावाट विद्युत के उत्पादन की परिकल्पना की गई है।

छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल की गई कोरापुट की मध्यम सिंचाई परियोजनाएं

3763. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के जिला कोरापुट की उन मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें क्रियान्वयन के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है;

(ख) क्या उस राज्य ने उन परियोजनाओं का पूरी तरह सर्वेक्षण कर लिया है और परियोजना प्रतिवेदन तैयार कर लिया है तथा स्वीकृति के लिए उनके मत्रालय को भेजा गया है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या उनके मंत्रालय ने इन परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (घ) उड़ीसा के कोरापुट जिले को तीन मध्यम सिंचाई परियोजनाओं नामश: बडानाला, लिलोवाडी-कानो-जोडी और हातीमुन्डा को छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) में शामिल कर लिया गया है।

इन स्कीमों में से, केवल बडानाला परियोजना को ही परियोजना-रिपोर्ट प्राप्त हुई है और योजना आयोग को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा उस पर विचार किया गया है और उसे स्वीकार्य पाया गया है। योजना आयोग का अनुमोदन अभी दिया जाना है।

अन्य दो स्कीमों की परियोजना-रिपोर्टें अभी केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकारण द्वारा दक्षिणी दिल्ली में भूमि का अधिग्रहण

3764. **श्री भीखा भाई :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में दक्षिणी दिल्ली में बहुत अधिक भूमि अधिग्रहीत की है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का विचार इस भूमि को किस उपयोग में लाने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार अधिग्रहीत किये गये भूखण्डों को निर्धारित दरों पर निम्न आय और मध्यम आय वर्ग के अन्तर्गत आने वाले लोगों को देने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में लगभग 840 बीघे भूमि अर्जित की है।

(ख) अर्जित भूमि को दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए उपयोग में लाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) इस प्रकार से अर्जित की गई भूमि की बिक्री सरकार द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार की जाती है।

दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा सहकारी ग्रुप आवास समितियों को भूमि का आबंटन

3765. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :**

श्री सतीश अग्रवाल : क्या निर्माण और आवास मन्त्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली में सहकारी ग्रुप आवास समितियों को भूमि का आवंटन के बारे में दिनांक 16 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न सं० 873 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पंजीकृत सहकारी ग्रुप आवास समितियों को भूमि का आबंटन करने के बारे में योजना तैयार कर ली है;

(ख) उक्त समितियों को भूमि का आबंटन कब तक किये जाने की आशा है; और

(ग) यदि हाँ, तो उनसे भूमि की कितनी लागत ली जायेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस सम्बन्ध में निकट भविष्य में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। भूमि की कीमत तय नहीं की गई है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अध्यापकों का स्थायीकरण

3766. **श्री आर.आर. भोले :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन अपनी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति और अन्य कर्मचारियों के स्थायीकरण मामले में भारत सरकार की नीति और आदेशों का अनुसरण कर रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो दो वर्ष से अधिक की सेवा वाले जैसा इसके अपने शिक्षा संहिता में

कहा गया है, उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया और तत्संबन्धी क्या कारण है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) जी, हाँ।

(ख) संगठन की शिक्षा संहिता में किसी भी पद के लिए दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि निर्धारित की गई है। कर्मचारियों को दो वर्ष बाद केवल इसीलिए स्थायी नहीं किया जाता है कि उन्होंने परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। उन्हें केवल तभी स्थायी किया जा सकता है जब उनके लिए स्थायी पद उपलब्ध हों, जिन पर उन्हें स्थायी किया जाना है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण-पत्रों में शुद्धि

3767. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली के कितने मौलिक उच्चतर माध्यमिक (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम) प्रमाणपत्र 1 अक्तूबर, 1979 से मार्च, 1980 की अवधि के दौरान नाम आदि से संबन्धित शुद्धियां कराने के लिये बोर्ड को भेजे गये थे और इस कार्य के लिये फीस के रूप में कितनी राशि एकत्र की गई;

(ख) इन में से कितने प्रमाणपत्र कार्यालय से खोये हुए अथवा गुमशुदा पाये गये तथा उनको ढूंढने के लिये क्या कार्यवाही की गई,

(ग) क्या यह भी सच है कि कार्यालय द्वारा इन प्रमाण पत्रों के गुम कर दिये जाने के बाद नये प्रमाणपत्र जारी करने के लिये उम्मीदवारों से फीस ली गई;

(घ) इसके क्या कारण हैं कि प्रमाणपत्र बोर्ड के कार्यालय द्वारा गुम कर दिये जाने पर नये मौलिक प्रमाण-पत्र क्यों जारी नहीं किये गये; और

(ङ) क्या उक्त खोये अथवा गुमशुदा मौलिक प्रमाणपत्रों के दुरूपयोग के विरुद्ध कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (3-वर्षीय पाठ्यक्रम) के 12 मूल प्रमाणपत्र नाम आदि सही करने के लिए 1-10-1979 से 31-3-1980 तक की अवधि के दौरान प्राप्त हुये थे जिनके संबन्ध में उम्मीदवारों ने अपने आवेदन पत्रों में गलत प्रविष्टियां भर दी थी। इसके लिए 10 रुपये प्रति प्रमाणपत्र शुल्क लिया गया था।

(ख) उम्मीदवारों द्वारा मूल प्रमाणपत्र बोर्ड को सौंप दिए जाते हैं और इनको रद्द करने के बाद प्रविष्टियाँ सही करके डुप्लीकेट पमाणपत्र जारी कर दिए जाते हैं। कुमारी सुमन राघेलाल जिसने 19.7 में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा अनुक्रमांक 71629 से उत्तीर्ण की थी, का एक प्रमाणपत्र खो गया था। इस संबन्ध में आवश्यक जाँच कर ली गई है।

(ग) किसी प्रमाणपत्र को सही करने तथा डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नियमों के अनुसार शुल्क लिया जाता है।

(घ) मूल प्रमाण-पत्रों को सही करने के लिए भेजे जाने पर डुप्लीकेट प्रमाण-पत्र, मूल प्रमाण-पत्र रद्द करने के बाद, जारी किये जाते हैं।

(ङ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह पुष्टि की है कि खोए हुए प्रमाण-पत्रों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उचित एहतियाती कदम उठाए गए हैं।

ऐतिहासिक समारकों का सौन्दर्यीकरण

3768. **श्री भोलूराम जैन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महरौली के निकट के क्षेत्र तथा इसके पर्यावरण के विकास के लिये वहाँ पर विभिन्न समारकों के रख-रखाव और उनके सौन्दर्यीकरण का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) महरौली और उसके आस-पास के स्मारक जिन्हें सुरक्षित राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है, उनकी परिक्षण की आवश्यकताओं के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा समय-समय पर उनका अनुरक्षण तथा मरम्मत की जा रही है। आवश्यक संरचनात्मक मरम्मत पूरी हो जाने के बाद इन सुरक्षित स्मारकों का निकट भविष्य में सौंदर्यकरण किये जाने का विचार है।

"डी.डी. ए. लैंड रजिस्ट्रेशन अगेन" दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि के लिये पंजीकरण फिर से आरम्भ शीर्षक से समाचार

3769. **श्री सतीश अग्रवाल** :

प्रो. अजित कुमार मेहता : क्या निर्माण और आवास मंत्री दिनांक 31 जुलाई, 1980 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "डी.डी.ए. लैण्ड रजिस्ट्रेशन अगेन" "दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि का पंजीकरण फिर से आरम्भ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार के सन्दर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पंजीकरण के आधार पर भू-खण्डों के आवंटन के लिए योजना तैयार कर ली है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त योजना की घोषणा कब तक होने की आशा है;

(ग) पहली किश्त में कितने प्लाट दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) प्लाटों का आकार क्या है, उनकी अनुमानित लागत क्या है और वे किस क्षेत्र में देने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है अभी किसी भी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

महिलाओं को दुधारू पशु खरीदने के लिए अनुदान

3770. **श्री मोती भाई आर. चौधरी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा विधवाओं, परित्यकताओं तथा निर्धन महिलाओं को डेयरी परियोजना के अन्तर्गत दुधारू पशु खरीदने के लिये अनुदान/ऋण देने की योजना को अब छोड़ दिया गया है, यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) इस योजना के अन्तगत पिछले तीन वर्षों के दौरान दिये गये ऋणों/अनुदानों का ब्यौरा क्या है और कितनी महिलाओं को पशुओं की खरीद के लिये ये राशि प्राप्त हुई;

(ग क्या निर्धन महिलाओं को रोजगार देने की इस योजना को पुनः आरम्भ किया जायेगा;

(घ) इस योजना में क्या मुख्य राहतें/उपलबन्ध सम्मिलित हैं; और

(ङ) क्या पशु की खरीद पर लगने वाली अधिक राशि को देखते हुए इस योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण/अनुदान की राशि में वृद्धि की जायेगी ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं :

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) यह योजना चालू है।

(घ) एक स्वयंसवी संगठन को प्रत्येक डेयरी एकक के लिए 20,870 रुपए का अनुदान दिया जाता है। प्रत्येक लाभप्राप्तकर्त्ता को इस में से मवेसी खरीदने के लिए 3900 रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण तथा कार्यपूंजी के लिए 350 रुपए का अनुदान दिया जाता है। ऋण 50 रुपए की मासिक किश्तों में वसूल किया जाता है।

(ङ) मवेशी खरीदने के लिए राशि 2,000 रुपए से बढ़ा कर 3,000 रुपए तथा कार्य पूंजी के लिए राशि 230 रुपए से बढ़ा कर 350 रुपये कर दी गई है।

विवरण

महिलाओं को मवेशी खरीदने के लिए अनुदान के सम्बन्ध में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत डेयरी एककों के लिए 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के दौरान दिए गए अनुदानों का राज्यवार बटवारा दर्शाने वाला विवरण।

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश का नाम	1977-78 मंजूर की गई घनराशि (रुपएलाखों में)	1977-78 लाभांवित महिलाओं की संख्या	1978-79 मंजूर की गई घनराशि (रुपएलाखों में)	1978-79 लाभांवित महिलाओं की संख्या	1979-80 मंजूर की गई घनराशि (रुपएलाखों में)	1979-80 लाभांवित महिलाओं की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	29.23	1210	4.00	145	3.73	135
2.	असम	1.10	40	056	20	0.56	20
3	बिहार	2.35	85	11.05	410	—	
4.	गुजरात	0.95	35	15.10	565	13.48	515
5.	हरियाणा	—	—	—	—	0.27	10
6.	हिमाचल प्रदेश	0.27	10	—	—	0·88	33
7.	जम्मू और कश्मीर	—	—	0.40	15	1.74	65
8	कर्नाटक	2.07	75	2.49	90	2.37	85

9. केरल	5.23	190	6.54	240	4.53	165
10. मध्य प्रदेश	—	—	—	—	0.28	10
11. महाराष्ट्र	5.18	191	4.05	150	9.72	365
12. मनीपुर	0.80	30	1.95	72	2.65	96
13. मेघालय	0.42	15	0.14	5	—	—
14. नागालैंड	—	—	0.27	10	0.42	15
15. उड़ीसा	1.54	85	8.67	317	5.32	240
16. पजाब	0.53	20	2.67	100	4.23	158
17. राजस्थान	0.40	15	0.40	15	1.47	55
18. सिक्किम	—	—	—	—	—	—
19. तामिलनाडु	27.04	970	13.13	456	7.31	250
20. त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—
21. उत्तर प्रदेश	4.04	138	42.03	14.95	6.12	225
22. पश्चिम बंगाल	—	—	11.16	400	6.14	440
23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4 27	160	0.27	10	6.14	230
24. अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
25. चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—
26. गोआ, दमन और द्वीप			0.14	5	0.40	15
27. दिल्ली	0.48	18	—	—	—	—
28. लक्ष्यद्वीप	—	—	—	—	—	—
29. मिजोरम	—	—	—	—	—	—
30. पांडिचेरी	2.10	75	—	—	1.40	50
जोड़	88.02	3372	125.02	4920	79.16	3177

मिलों के लिए गन्ना

3771. श्री एस.ए. दोराई सेबस्तियन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ने का उत्पादन करने वाले राज्यों में गुड़ निर्माताओं द्वारा गन्ने की खरीद 16 रुपये प्रति क्विंटल के निर्धारित मूल्य के विरुद्ध उत्पादकों के घर से 30 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से की जाती है ?

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार चीनी मिलों को गन्ने की सप्लाई किस प्रकार सुनिश्चित करने का है; और

(ग) गुड़ पर चूंकि कोई उत्पादन शुल्क नहीं है अतः सरकार द्वारा 14 रु॰ प्रति क्विंटल की अतिरिक्त राशि को गुड़ निर्माताओं से किस प्रकार वसूल करने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (ग) चालू गन्ना पेराई मौसम 1980-81 के लिए केन्द्रीय सरकार ने चीनी

फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत की रिकवरी पर 13.00 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। फैक्ट्रियों की अधिक मूल्य देने की क्षमता को ध्यान में रखते हुए, प्रधान मंत्री ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया था कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी फैक्ट्रियाँ 16.00 रुपये प्रति क्विंटल के न्यूनतम वास्तविक मूल्य का भुगतान करें। इसके उत्तर में, अधिकाँश राज्यों की फैक्ट्रियां निर्धारित सांविधिक न्यूनतम मूल्य की अपेक्षा काफी अधिक मूल्य दे रही हैं। निस्संदेह यह सही है कि विशेषकर उत्तर प्रदेश में गुड़ निर्माताओं द्वारा गन्ने के ऊंचे मूल्य की पेशकश की जा रही है लेकिन मिलों द्वारा दिए जा रहे लाभकारी मूल्य और मिलों द्वारा प्रायः अतिरिक्त राशि, जो कि भार्गव फार्मूला के अधीन गन्ने के अतिरिक्त मूल्य के रूप में शेयर की जाती है, के फलस्वरूप गन्ना उत्पादकों को मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना सप्लाई करने के लिये राजी होना चाहिए। क्योंकि गुड़ अनियंत्रित कुटीर उद्योग क्षेत्र में है इसलिए गन्ने के दिये गये अतिरिक्त मूल्य को रोकना किसी भी हालत में न तो व्यवहार्य है, न ही आवश्यक।

पश्चिम बंगाल और असम में कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए योजना

3772. **डा. गोलम याजदानी :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल और असम राज्यों के लिए कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में सरकार की क्या योजनायें हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बाबेश्वर राम) : विवरण के रूप में एक सूची संलग्न है।

विवरण

केन्द्रीय अथवा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना/कार्यक्रम का नाम	क्या इनमें से चल रही है (हाँ) अथवा नहीं (नहीं)		केन्द्रीय/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना/ कार्यक्रम।
	पश्चिम बंगाल	असम	
1	2	3	4	5
1. कृषि विषयक योजनायें			
i कृषि विस्तार तथा प्रशिक्षण			
कृषि, पशुपालन तथा बागबानी आदि के राज्य विभागों में कार्य कर रहे राज्य, प्रभाग तथा जिला-स्तर के अधिकारियों की व्यावसायिक सक्षमता को सुधारना।	हाँ	हाँ	केन्द्रीय
शिक्षिकाओं तथा मुख्य सेविकाओं हेतु संकेन्द्रित विषय-वस्तु पुनश्चर्या पाठ्यक्रम।	हाँ	हाँ	”
बी.एस.सी. डिग्री तक के उच्च प्रशिक्षण हेतु ग्राम सेविकाओं को वजीफा	हाँ	हाँ	”

1	2	3	4	5
महिला कार्मिकों के लिए उच्च प्रशिक्षण		हाँ	हाँ	केन्द्रीय
देश में तथा देश के बाहर प्रगतिशील किसानों का आदान-प्रदान ।		हाँ	हाँ	"
(2) कृषि साँख्यिकी				
सिचाई साँख्यिकी में सुधार		हाँ	हाँ	"
कृषि संगणना		हाँ	हाँ	"
कृषि विषयक आर्थिक अनुसंधान		हाँ	हाँ	"
प्रमुख फसलों की खेती की लागत का अध्ययन करने हेतु व्यापक योजना ।		हाँ	हाँ	"
केरल, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल में कृषि साँख्यिकी को एकत्र करने के लिए एजेंसी की स्थापना ।		हाँ	नहीं	केन्द्र द्वारा प्रायोजित
फसल साँख्यिकी में सुधार		हाँ	हाँ	"
क्षेत्र के अनुमानों की समय पर सूचना देना तथा मुख्य फसलों का उत्पादन ।		नहीं	हाँ	"
(3) बीज विकास				
प्रजनक तथा बुनियादी बीज इकाईयों की स्थापना हेतु एन.एस.सी. को सहायक अनुदान		हाँ	हाँ	केन्द्रीय
प्रशिक्षण हेतु एन.एस.सी. को सहायक अनुदान तथा एन.एस.पी. के अन्तर्गत तकनीकी सहायता		हाँ	हाँ	"
कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से एन.एस.सी. द्वारा मूल बीजों का उत्पादन		हाँ	हाँ	"
(4) पौध संरक्षण				
जैविक तरीकों से कीड़ों, नाशी कीडो और अपतृणों पर नियन्त्रण		नहीं	हाँ	केन्द्रीय क्षेत्र
नाशी कीडों और रोग की निगरानी		हाँ	हाँ	"
पौध संगरोध सुविधाओं का विस्तार		हाँ	हाँ	"
स्थानीय क्षेत्रों में नाशी-कीड़ों तथा कृषि महत्व के रोगों पर नियंत्रण तथा उनका उन्मूलन जिनमें अपतृणों पर नियंत्रण भी शामिल है ।		हाँ	हाँ	केन्द्र द्वारा प्रायोजित
(5) कृषि उपकरण तथा मशीनरी				
कृषि-सेवा उद्यमियों का प्रशिक्षण		हाँ	हाँ	केन्द्रीय

1	2	3	4	5
	(6) फसल-अभिमुखी कार्यक्रम			
	खाद्यान्न फसलों हेतु लघु कार्यक्रम	हाँ	नहीं	केन्द्रीय
	जिला गहन कपास कार्यक्रम	हाँ	हाँ	केन्द्र द्वारा प्रायोजित
	गहन तिलहन कार्यक्रम	हाँ	हाँ	केन्द्र द्वारा प्रायोजित
	जिला गहन पटसन कार्यक्रम	हाँ	हाँ	केन्द्र द्वारा प्रायोजित
	दालों का विकास	हाँ	हाँ	केन्द्र द्वारा प्रायोजित
	(7) भूमि तथा जल संरक्षण			
	नदी घाटी परियोजना तटवर्ती क्षेत्रों में भूमि संरक्षण	हाँ	हाँ	केन्द्र द्वारा प्रायोजित
	अम्लीय तथा क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बनाना	नहीं	हाँ	,,
	(8) पशु-पालन			
	पशु संगरोध एवं प्रमाणीकरण सेवाएँ	हाँ	हाँ	केन्द्रीय
	चारा उत्पादन एवं प्रदर्शन के क्षेत्रीय स्थल	हाँ	हाँ	,,
	सन्तति परीक्षण	नहीं	हाँ	,,
	पशुप्लेग का उन्मूलन	हाँ	हाँ	केन्द्र द्वारा प्रायोजित
	खुर तथा मुख रोग नियन्त्रण कार्यक्रम	हाँ	हाँ	,,
	(9) डेरी विकास			
	आपरेशन फ्लड-2	हाँ	हाँ	केन्द्रीय
	(10) मत्स्य पालन			
	मत्स्य पालन बन्दरगाहों का तटवर्ती इंजीनियरिंग परियोजना का निवेश से पहले सर्वेक्षण।	हाँ	नहीं	केन्द्रीय
	मुख्य बन्दरगाहों पर मत्स्य जलयान के अवतरण तथा स्थल की सुविधाएँ	हाँ	नहीं	केन्द्रीय
	विश्व बैंक सहायता से अन्तर्देशीय मत्स्यपालन परियोजना के बारे में तकनीकी सहायता घटक के अन्तर्गत जलाशय मछलियों की प्रायोगिक परियोजना।	हाँ	नहीं	केन्द्रीय
	जल-संवर्धन का विकास—एफ.एफ.डी.ए.	नहीं	हाँ	केन्द्र द्वारा प्रायोजित
	छोटे बन्दरगाहों पर मछलियाँ पकड़ने के जलयानों हेतु अवतरण तथा स्थल की सुविधाएँ।	हाँ	नहीं	,,
	समुद्रवर्ती राज्यों में झींगा अडज उत्पत्तिशालाओं और झींगा फार्मिंग की स्थापना का तीव्र कार्यक्रम।	हाँ	नहीं	,,

1	2	3	4	5
(11) वानिकी				
भारत में वन सर्वेक्षण		नहीं	हाँ	केन्द्रीय
लागिंग प्रशिक्षण केन्द्र परियोजना		नहीं	हाँ	केन्द्रीय
लाख की खेती		नहीं	हाँ	केन्द्रीय
राष्ट्रीय पार्कों और मृग-वनों का प्रबन्ध		नहीं	हां	केन्द्र द्वारा प्रायोजित
हिमालय में भूमि-जल तथा वृक्ष संरक्षण		हाँ	हाँ	केन्द्र द्वारा प्रायोजित
परियोजना टाइगर		हाँ	हाँ	"
(12) ऋण				
केन्द्रीय भूमि विकास बैंकों का सामान्य | विशेष ऋण-पत्रों में निवेश लगाना		हाँ	हाँ	केन्द्रीय
कृषि ऋण स्थिरीकरण निधि		हाँ	हाँ	केन्द्र द्वारा प्रायोजित
पुनर्गठित आधार स्तरीय ऋण संस्थाओं हेतु संवर्ग निधि को केन्द्रीय सहायता।		हाँ	हाँ	केन्द्रीय
(13) सहकारिता				
अपविकसित राज्यों में सहकारी विपणन, विधायन, भण्डारण आदि (1) विपणन और (2) विधायन।		हाँ	हाँ	केन्द्र द्वारा प्रायोजित
(14) अन्य योजनायें				
चुने क्षेत्रों में कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम		हाँ	हाँ	केन्द्र द्वारा प्रायोजित
गंगा घाटी में बाढ़ नियन्त्रण हेतु समन्वित कार्यवाही योजना		हाँ	नहीं	"
भूमि तथा सतही जल संस्था को मजबूत बनाना (लघु सिंचाई)		हाँ	नहीं	"
उत्पादकों के स्तर पर ग्रेडिंग केन्द्रों की स्थापना		हाँ	नहीं	"
कलकत्ता में खाद्य तेलों और पिसे मसालों की अनिवार्य ग्रेडिंग		हां	नहीं	"
आदिवासी/पर्वतीय तथा पिछड़े इलाकों में ग्रामीण बाजारों और थोक बाजारों की योजना		हाँ	नहीं	"
भूरे टिड्डे पर नियंत्रण		हाँ	नहीं	"
गेहूँ के खेत में फालन माइनर का नियंत्रण		हाँ	नहीं	"
2. ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम/योजनायें				
समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम		हाँ	हाँ	केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

1	2	3	4	5
	लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम (केवल 1-10-1980 तक ही)	हाँ	हाँ	केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम
	सूखा ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	हाँ	नहीं	,,
	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	हाँ	हाँ	,,
	चुने विनियमित बाजारों/ग्रामीण बाजारों का विकास	हाँ	हाँ	,,
	ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रीड की स्थापना	हाँ	हाँ	,,
	भूमि की आवास सीमा के लागू करने के परिणामस्वरूप अधिशो से फालतू भूमि के नये धारकों को वित्तीय सहायता।	हाँ	हाँ	,,
	युवकों के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण	हाँ	हाँ	,,
	विशेष पशुधन विकास कार्यक्रम	हाँ	हाँ	,,

दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के कार्यकरण में सुधार करना :

3773. **श्री सनत कुमार मण्डल :**

डा. ए. यू. आजमी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में दिल्ली टेलीफोन डिस्ट्रिक्ट के कार्यकरण में सुधार करने हेतु कदम उठाये हैं;

(ख) क्या सरकार उन सभी कनिष्ट इंजीनियरों/सहायक इंजीनियरों/डिविजनल इन्जीनियरों का स्थानान्तरण करके, जोकि एक ही एक्सचेंज में तीन वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं, विशेषतया उन नाजुक एक्सचेंजों में जो कि व्यापारिक केन्द्रों की जरूरत पूरी करते हैं; आपरेशनल एक्सचेंजों में समूचे ढाँचे को शीघ्र ही सुधारने पर विचार करेगी; यदि नहीं, तो क्यों नहीं;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि बड़ी संख्या में सहायक इन्जीनियर/डिविजनल इन्जीनियर/निदेशक 5 वर्ष से भी अधिक समय जिसमें डाक व तार महानिदेशालय में कार्यरत रहने की अवधि भी शामिल है, दिल्ली में ही तैनात हैं;

(घ) क्या इनमें से अधिकाँश अधिकारी दिल्ली टेलीफोनस के माध्यम के डाक व तार महानिदेशालय में स्थान पा जाते हैं क्योंकि उक्त विभाग की महानिदेशालय के साथ निकटता है; और

(ङ) क्या सरकार उक्त अधिकारियों की तैनाती बदलते रहने और उनके स्थान पर दिल्ली के बाहर से अधिक प्रतिभाशाली तथा कार्यकुशल व्यक्ति लाने और दिल्ली टेलीफोन्स को देश में अन्य प्रणालियों के लिए एक आदर्श प्रणाली बनाने पर विचार करेगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री कार्तिक उरांव (क) जी हाँ। यह प्रक्रिया बराबर चलती रहती है।

(ख) नियमों के अधीन तथा लोक सेवा के हित में जहाँ तक संभव होगा कर्मचारियों को बारी-बारी से बदलने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

(ग) जी हाँ।

(घ) जी नहीं, डाक-तार महानिदेशालय में पदों पर भर्ता दिया जाता है और उन पदों को भरने का मानदन्ड वरिष्ठता एवं उपयुक्तता है।

(ङ) कर्मचारियों को बारी-बारी बदलने सहित सभी आवश्यक कार्यवाई पर विचार किया जाएगा।

केरल तट पर मत्स्य पत्तन

3774. श्री ए. ए. रहीम : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में मत्स्य पत्तन कितने है;

(ख) उनके विकास के लिये केरल को क्या वित्तीय सहायता दी गई है और अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या सरकार को अनजेगों में मत्स्य पत्तन के लिये केरल सरकार से कोई प्रस्ताव हुआ है ?

कृषि तथा ग्रामिण पुनर्निमाण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री आर. वी. स्वामीनाथन : (क) भारत सरकार ने एक मुख्य मत्स्यन पत्तन तथा 6 छोटे मत्स्यन पत्तनों की स्वीकृति दी है।

(ख) कोचीन मुख्य बन्दरगाह स्थित मत्स्यन पत्तन के लिये 409.15 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी। पत्तन का अधिकतर कार्य पूरा हो चुका है तथा मत्स्यन नौकाओं द्वारा इसका प्रयोग किया जा रहा है।

छोटे मत्स्यन पत्तन की योजना तथा माल उतारने और जहाज ठहराने की सुविधा से संबंधित योजना के तहत भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित राशि स्वीकृत की गई है :—

	नाम	स्वीकृत की गई राशि (लाख रुपये में)
1.	पोनानी	7.50
2.	बालिनपत्तनम	13.06
3.	बेपोरे	3.91
4.	कन्नानौर	29.66
5.	विजिजाम (फेज 1)	173.00
6.	कासरगोडे	13.44

कन्नानौर तथा कासरगोडे के अलावा अन्य पत्तन कार्य कर रहे है।

(ग) जी नहीं।

दादरा और नागर हवेली में आवास निर्माण

3775. श्री उत्तम भाई एच. पटेल : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघशासित क्षेत्र दादरा और नागर हवेली में (1) भूमिहीन मजदूरों तथा किसानों (2) अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों, (3) कमजोर वर्गों और (4) आदिवासियों के लिये वर्ष 1978, 1979 और 1980 के दौरान कितने मकान बनाये गये हैं और 1981 तथा 1982 के दौरान कितने मकान बनाये जाने की आशा है;

(ख) प्रत्येक मामले में ऐसे मकानों के लिए क्या लम्बाई, ऊंचाई और चौड़ाई निर्धारित है; और

(ग) प्रत्येक वर्ष के लिए तथा उपर्युक्त लोगों की प्रत्येक श्रेणी के लिये कितनी धनराशि नियत/आबंटित की गई थी ?

संसदीय कार्य तथा (निर्माण और आवास मन्त्री श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दादर तथा नागर हवेली प्रशासन ने सूचित किया है कि 1978 के दौरान सभी 4 श्रेणियों के लिए एक साथ 50 मकान बनाये गये थे और 1979 तथा 1980 के दौरान कोई मकान नहीं बनाये गये तथा 1981 और 1982 प्रत्येक वर्ष के दौरान दस-दस मकान बनाए जाने की सम्भावना है।

(ख) इन मकानों की लम्बाई 8 मीटर ऊंचाई 2.20 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है।

(ग) दादर तथा नागर हवेली प्रशासन ने इस प्रयोजन के लिए 1978-79 में 3 लाख रुपये 1979-80 में 2 लाख रुपये तथा 1980-81 में 50 लाख रुपये का नियतन किया था तथा 1981-82 के दौरान 1 लाख रुपये के नियतन का प्रस्ताव किया है।

कर्नाटक में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र

3776. **श्री टी. आर. रामना** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में गत तीन वर्षों के दौरान कुल कितने राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र खोले गये;

(ख) उक्त अवधि में उन केन्द्रों में कितने व्यस्कों ने प्रवेश लिया;

(ग) कितने व्यक्ति कुछ सीमा तक शिक्षित हो गये; और

(घ) प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार के लिये अब किस योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है और योजना को सफल बनाने के लिए क्या किया जा रहा है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ग) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

वर्ष	खोले गए केन्द्रों की संख्या	दाखिल किए गए प्रौढ़ों की संख्या	साक्षर किए गए प्रौढ़ों की संख्या
1977-78	4940	113322	14461
1978-79	6402	151499	12717
1979-80	7762	231957	43241 अस्थायी
योग :	19104	496778	70219

(घ) : सरकारी एजेंसियों के माध्यम से शुरू किए गए प्रौढ़ शिक्षा कार्यकलापों को 1979-80 के स्तर पर कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की एक व्यापक समीक्षा की गई है। समीक्षा समिति की सिफारिशों की जाँच की जा रही है।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा ली गई परीक्षाएं

3777. **श्री जयपाल सिंह कश्यप : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा हिन्दी के साथ-साथ इतिहास, भूगोल, गणित, अंग्रेजी और अन्य विषयों में भी परीक्षायें ली जाती हैं और वहाँ से सफल घोषित किये गये विद्यार्थी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों तथा सरकारी सेवा में प्रवेश पा सकते हैं;

(ख) क्या सम्मेलन की परीक्षाओं को केवल उनके हिन्दी स्तर के लिए ही मान्यता दी गई है और यदि हां, तो सम्मेलन द्वारा दूसरी विषयों की परीक्षा लिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या जो विद्यार्थी अब तक इन परीक्षाओं को पास कर चुके हैं उनके मामलों पर विचार किया जाएगा और क्या उन्हें दूसरे शैक्षणिक संस्थानों में अपना अध्ययन जारी रखने तथा कर्मचारी चयन आयोग तथा संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठने की तथा साथ ही सरकारी नौकरी में पात्रता प्राप्त करने की अनुमति दे दी जाएगी ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में उचित मूल्य वितरण योजना के अन्तर्गत खुले बाजार में बिकने वाली चीनी की बिक्री का बन्द किया जाना

3778. **श्री माधव राव सिंधिया : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में उचित मूल्य वितरण योजना से चीनी वापस ले ली है तथा खुले बाजार में बिकने वाली चीनी को खुले बाजार में बेचने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो उचित मूल्य वितरण योजना में वापसी की तारीख (अर्थात् 15 नवम्बर, 1980) को 'चैनल' में कितनी चीनी थी और इसमें से कितनी चीनी खुले बाजार में दे दी गई और कितनी लेवी चीनी स्टाक के लिये दी गई; और

(ग) उचित मूल्य वितरण योजना से चीनी वापस लिए जाने के क्या कारण हैं और अनधिकृत ढंग से उसे खुले बाजार में दिए जाने की रोकथाम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) सम्भवतया स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना जो कि पहली सितम्बर से 15 नवम्बर, 1980 तक की अवधि के दौरान मुक्त बिक्री की चीनी का वितरण करने हेतु लागू की गई थी और जिसके अधीन दिल्ली प्रशासन के सुपर बाजार, दिल्ली उपभोक्ता सहकारी थोक स्टोरज, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति आदि के माध्यम से राशन के कार्डधारियों

को तथा अधिकृत निजी थोक लाइसेंसधारियों के माध्यम से बल्क उपभोक्ताओं में चीनी वितरित की थी, के बारे में सूचना माँगी गई है।

16-11-80 से उपर्युक्त योजना को समाप्त कर देने से दिल्ली प्रशासन ने गैर-लेवी चीनी का वितरण करने का कार्य समाप्त कर दिया है। इस तारीख से बिक्री हेतु निर्मुक्त की गई गैर-लेवी चीनी दोहरी मूल्य नीति के अधीन नीति विधयक उपाय के रूप में सारे देश में प्राइवेट माध्यमों द्वारा खुले बाजार में बेचने के लिए है।

(ख)और (ग) 16-11-80 से जिस समय स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना को हटा दिया गया था, तब चीनी का थोक/खुदरा वितरण करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा प्राधिकृत विभिन्न एजेंसियों के पास 1150 मी. टन चीनी रह गई थी। निजी थोक एजेंसियों के पास गैर-लेवी चीनी का कोई स्टाक नहीं बचा था और न ही कोई चीनी खुले बाजार में बिक्री के लिए अथवा न ही लेवी चीनी के स्टाक के लिए दी गई थी तथापि, शादियों के प्रयोजनों हेतु तथा छात्रवासों, अस्पतालों आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा पूर्ति विभाग द्वारा जारी किए गए परमिटों के प्रति शेष स्टाक से चीनी का वितरण किया जा रहा है। अनधिकृत रूप से चीनी देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय कृषि कर्मचारी संघ

3779. **श्री आनन्द पाठक : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार को भारतीय कृषि कर्मचारी संघ से कोई माँग-पत्र प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो मांगों का स्वरूप क्या है और क्या सरकार ने इन माँगों को स्वीकार करने का निर्णय लिया है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय कृषि कर्मच री संघ को मान्यता प्रदान कर दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और क्या सरकार का विचार उसे मान्यता प्रदान करने का है?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) माँगों और उन पर किए गए निर्णयों को दर्शाने वाला एक वक्तव्य वितरण के रूप में संलग्न है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी हैं जिसके अन्तर्गत परिषद के मुख्यालय पर तथा इसके अनुसंधान संस्थानों, दोनों में संयुक्त कर्मचारी परिषद कार्य कर रही हैं। एक केन्द्रीय संयुक्त कर्मचारी परिषद भी हैं जिसमें मुख्यालय तथा संस्थानों के प्रतिनिधि हैं। सेवाओं तथा कल्याण के उन मामलों पर इन परिषदों में विचार किया जाता है जो नीति के सामान्य मामलों से सम्बन्धित हों। कर्मचारियों की व्यक्तिगत शिकायतों को दूर करने के लिए परिषद के मुख्यालय तथा इसके संस्थानों में भी शिकायत कक्ष विद्यमान हैं। इसलिए भारतीय कृषि कर्मचारी संघ को मान्यता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

भारतीय कृषि कर्मचारी संघ की मांगों और उस पर लिए गए निर्णय दर्शाने वाला वक्तव्य

मांगों का स्वरूप	किया गया निर्णय
1. दिनांक 5-3-79 से 13-4- 9 तक की हड़ताल की अवधि के लिए कर्मचारियों को वेतन की अदायगी ।	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सपोर्टिंग स्टाफ (वर्ग 'घ') ने 5-3-79 को हड़ताल प्रारंभ की थी और यह हड़ताल दि० 13-4-79 को समाप्त हो गई । इस सम्बन्ध में वर्तमान नीतियों और निर्देशनों के अनुसारण में हड़ताल की अवधि को 'छूट दिवस' (डाइज-नोन) के रुप में माना गया और इसलिए हड़ताली कर्मचारियों को इस अवधि के लिए कोई अदायगी नहीं की गई ।
2. रु. 200-250 और रु. 210-290 के वेतन-मानों का एकल वेतनमान रु. 210-290 में विलयन ।	जिन मांगों के लिए हड़ताल की गई थी उनमें से एक मांग दो वेतनमानों का एक में विलयन करने की भी थी । इस पर विचार किया जा सकता था बशर्ते कि संघ द्वारा अन्य मांगें वापस ले ली जाती । क्योंकि अन्य मांगें वापस नहीं ली गई अत: दो वेतनमानों का विलय एक में करने की स्वीकृति नहीं दी गई ।
3. सपोर्टिंग स्टाफ(वर्ग 'घ') के लिए रु. 260-430 का सैलेक्शन ग्रेड शुरु करना ।	रु. 260-430 का वेतनमान, जिसे भारतीय कृषि कर्मचारी संघ सपोर्टिंग स्टाफ के लिए सैलेक्शन ग्रेड के रूप में चाहता है, वह केन्द्रीय सरकार में श्रेणी-III (वर्ग 'ग') का वेतनमान है और केन्द्रीय सरकार में श्रेणी-II/के लिए स्वीकृत नहीं है । क्योंकि इस सम्बन्ध में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत-सरकार के नियमों का आवश्यक संशोधन सहित अनुसरण करती है अत: इसको नहीं स्वीकार किया जा सकता ।
4. पदोन्नतियों के प्रयोजन के लिए पाँच-वर्षीय मूल्यांकन ।	सपोर्टिंग स्टाफ के लिए निम्नलिखित पाँच ग्रेड उपलब्ध हैं :— ग्रेड-I—रु. 196-232 ग्रेड-II—रु. 200-250 ग्रेड-III—रु. 210-290 ग्रेड-IV—रु. 225-308 इसलिए संस्थानों के कर्मचारियो के लिए एक

मांगों का स्वरूप	किया गया निर्णय
	ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति करने के अवसर हैं। विभिन्न ग्रेडों की संख्या 8:4.2:1 के अनुपात में निश्चित की गई है। वर्ग 'घ' का पांच-वर्षीय मूल्यांकन भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के प्रशासनिक और सहायक स्टाफ के लिए स्वीकार्य नहीं है, और ना ही इससे मिलते-जुलते स्टाफ के लिए केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत भी उपलब्ध है। इन सुविधा की स्वीकृति से इससे मिलते-जुलते केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आने वाले स्टाफ पर इसकी प्रतिक्रिया होगी।
5. सपोर्टिंग स्टाफ के लिए टैरीकोट के कपड़े की वर्दी।	इस सम्बन्ध में परिषद केन्द्र सरकार के नियमों और परिपाटियों का अनुसारण करती है और तदनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय पर तथा इसके संस्थानों में वर्ग 'घ' के कर्मचारियों को खादी की वर्दी दी जाती है।
6. भारतीय कर्मचारी संघ की मान्यता।	इसका उत्तर इस प्रश्न के 'घ' भाग में दिया गया है।
7. चप्पल और जूतों के जोड़ों की वार्षिक सप्लाई।	इस मांग को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने पूरा कर दिया है।
8. टी—1 के पदों का सपोर्टिंग स्टाफ की पदोन्नतियों द्वारा वरिष्ठता के आधार पर तथा बिना शैक्षिक योग्यता के हवाले के भरा जाना।	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत तकनीकी सेवाओं के सेवा नियमों में टी—1 की 20% रिक्तियों को ऐसे सपोर्टिंग स्टाफ में से 'चयन' के माध्यम से भरने का प्रावधान है जो सम्बन्धित ट्रेड/क्षेत्र में 5 वर्षों के अनुभव सहित मैट्रिकुलेशन की अथवा सम्बन्धित ट्रेड में एक वर्षीय प्रमाणपत्र सहित मैट्रिकुलेशन की निर्धारित योग्यता रखता हो। ग्रेड टी—1 में शेष 80% रिक्तियां सीधी भर्ती से भरी जाती हैं जिनके लिए रोजगार कार्यालयों द्वारा नामित उम्मीदवारों के साथ निर्धारित योग्यताएं रखने वाले विभागीय उम्मीदवार भी प्रतियोगिता में भाग लेने के अधिकारी हैं। सेवा नियमों में निर्धारित योग्यताओं में छूट नहीं दी जाती।

मांगों का स्वरूप	अनुदानों की मांगें
9. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थानों के समस्त कर्मचारियों को बोनस	दूसरे मामलों की तरह से ही परिषद केन्द्र सरकार की पद्धति का अनुसरण करती है। केन्द्र सरकार के समस्त कर्मचारियों को अभी तक बोनस उपलब्ध नहीं है।
10. सपोर्टिंग स्टाफ के लिए कनिष्ठ लिपिकों के पदों में पदोन्नति कोटा बढ़ाना।	केन्द्र सरकार की पद्धति पर आधारित भर्ती नियमों में रु. 260-400 के वेतनमान में कनिष्ठ लिपिकों के 10% पदों को सपोर्टिंग स्टाफ से भरने का प्रावधान है। लिपिक ग्रेड में सपोर्टिंग स्टाफ का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के प्रश्न की जांच समाकलित प्रशासनिक सेवा पर सुजान सिंह उप समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए की जायेगी जो हाल ही में प्रस्तुत की गई है।

अधिग्रहीत भूमि की सार्वजनिक निलामी द्वारा बिक्री

3780. **श्री मधुसूदन वायरले :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास मन्त्रालय द्वारा विस्थापित व्यक्तियों 12 अगस्त, 1959 को सार्वजनिक निलामी द्वारा तत्कालीन वेस्ट डेक्स रोड, विश्वास नगर, शाहदरा में बेची गई भूमि का दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अधिग्रहण कर लिया है;

(ख) क्या इन विस्थापित व्यक्तियों को अधिग्रहीत भूमि के बदले मुआवजा, वैकल्पिक प्लाट दिये गये हैं; और

(ग) य द नहीं, तो क्यों और मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) यह सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली के सहायता प्राप्त विद्यालयों में उप प्रधानाचार्य के पद

3781. **श्री के. अर्जुन :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन स्कूलों के नाम और पते क्या हैं जहां वर्ष 1979-80 और 1980-81 के दौरान उपप्रधानाचार्य के पद मंजूर हुए हैं;

(ख) उन सहायता प्राप्त स्कूलों के नाम और पता क्या है जिन्होंने न वर्षों के दौरान उपप्रधानाचार्य के पदों के लिये आवेदन किया था लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं दी गई थी; और

(ग) वर्ष 1980-81 के लिए पदों के निर्धारण के विरुद्ध विद्यालयों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर क्या कार्यवाही गई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) ऐसे स्कूलों के नाम और पते निम्नलिखित हैं :—

1. विद्या ज्ञान मन्दिर, सीनियर माध्यमिक स्कूल, पहाड़ी धीरज ।
2. जैन कन्या सीनियर माध्यमिक स्कूल, घरमपुरा ।
3. एल. डी. जैन कन्या सीनियर माध्यमिक स्कूल, पहाड़ गंज ।
4. आर्य कन्या सीनियर माध्यमिक स्कूल, तेलीवाड़ा ।
5. आर. ए. गीता माध्यमिक स्कूल, शंकरनगर ।
6. एस. डी. उच्चतर माध्यमिक स्कूल, शाहदरा ।
7. दाउ दयाल सीनियर माध्यमिक स्कूल, नया बाँस; दिल्ली ।

(ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1980-81 से उपप्रधानाचार्य के एक पद के सृजन के लिए एस. डी. उच्चतर माध्यमिक स्कूल से केवल एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था । अनुरोध की जाँच की गई और यह पाया गया कि स्कूल में दाखिल छात्रों की संख्या निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सम्बन्धित पद के सृजन का औचित्य सिद्ध नहीं करती ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लेटों में बढ़े हुए मूल्य

3782. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हाल ही में घोषित 10,000 फ्लेटों के लिए जनता कम आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग के फ्लेटों के मूल्यों में 33-40 प्रतिशत की वृद्धि कर दी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दो वर्ष पूर्व तैयार किये फ्लेटों को अब ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है;

(घ) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण को इन फ्लेटों की बिक्री से होने वाले लाभ में सबसे कम लाभ मिल रहा है; यदि हाँ, तो उसका प्रतिशत कितना है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि इन मकानों को खरीदने वाले कम आय वर्ग के लोगों को उनके रुपये के बराबर चीज मिलनी चाहिये; और

(च) यदि हाँ, तो इस बारे में प्राधिकरण ने क्या कदम उठाये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मार्च, 1980 में आवंटन के लिए दिये गये फ्लैटों के मूल्य की जब तुलना की गई तो नवम्बर, 1980 में दिये गये फ्लैटों के मूल्य में ऐसी कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) जी, हाँ

(च) दिल्ली विकास प्राधिकरण को आवश्यक अनुदेश दिए गये हैं ।

केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ की माँगें

3783. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ ने सरकार को एक ज्ञापन दिया है जिसमें उनकी सेवा की शर्तों में सुधार की माँग की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी मांगें क्या हैं और उन्हें पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) तथा (ख) जी, हां। अखिल भारतीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ से उनकी सेवा शर्तों मे सुधार करने के सम्बन्ध में एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। ज्ञापन में दी गई मुख्य मांगें हैं संघ को मान्यता प्रदान करना, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना, पदोन्नति के बेहतर अवसर, वेतन मानों में संशोधन, संगठन के कर्मचारीयों को के. स. स्वा. योजना की सुविधाएं प्रदान करना, युक्ति मूलक स्थानान्तरण नीति की घोषणा, पूरे 50 दिनों की अवकाश अवधि मंजूर करना तथा अध्यापकों को तीन दिन पहले बुलाने की प्रथा को समाप्त करना, वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों को समय पर पूरा करना, प्रिंसिपलों की चयन पद्धति में सुधार करना, प्रवरण ग्रेड प्रदान करना आदि इनमें से कुछ मांगों पर विचार किया जा चुका है और उन्हें स्वीकार कर लिया गया है तथा अन्य माँगों की जांच की जा रही है।

'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदलना।

3784. श्री राम लाल राही : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदलने के लिए किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यदि 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत निकट भविष्य में निर्मित की जाने वाली कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों में बदलने के लिये तात्कालिक कार्यवाही नहीं की गई तो देश को करोड़ों रुपये की हानि होगी और श्रमिक भी बेकार हो जायेंगे और

(ग) यदि हां, तो इस हानि को रोकने के लिए कब तक प्रयास किये जायेंगे ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) (क) से (ग) काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अन्तर्गत यह अनिवार्य शर्त है कि राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों द्वारा इस कार्यक्रम के अधीन सृजित सभी परिसम्पत्तियाँ स्थायी स्वरूप की होनी चाहिए। जहाँ तक ग्रामिण सड़कों का सम्बन्ध है, उन्हें स्थायी बनाने के पहलू पर विशेष रूप से बल दिया गया है। सड़कों तथा अन्य निर्माण कार्यों को स्थायी बनाने के लिए अपेक्षित सामग्री की खरीद हेतु नकद अनुदान अब राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को दिए जा रहे हैं। चालू वर्ष के लिए राज्यों को इस प्रयोजन हेतु 70 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। राज्य सरकारों से कार्यक्रम के अन्तर्गत पहले निर्मित की गई सड़कों को स्थायी बनाने के लिए भी अपने निजी स्रोतों से निधियां जुटाने की प्रत्याशा की गई है।

नेहरू प्लेस, नई दिल्ली में कमर्शियल प्लॉट

3785. श्री धर्मदास शास्त्री : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के विभिन्न प्रापर्टी डिलरों ने कैसे और किस हैसियत से नेहरू प्लेस के दो 'टावर-प्लाटों' की निलामी से पूर्व ही उनके कमर्शियल फ्लटों की बुकिंग शुरू कर दी है और इसके लिए, यह समझा जाता है कि उन्होंने कई करोड़ रुपयों की भारी राशि एकत्रित कर ली है;

(ख) क्या सरकार भूमि के निलामी से प्राप्त होने वाले अनुमानित मूल्य को लेकर इन दो 'टावर प्लाटों' पर निर्माण करने के बाद स्वयं वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत कमर्शियल फ्लटों को 'प्रथम आओ प्रथम पाओ' के आधार पर पंजीयन शुरू करके बेचेगी; और

(ग) क्या उपरोक्त 'क' भाग के उत्तर को देखते हुए सरकार का विचार इस पूरे मामले पर पुनर्विचार कर और उक्त सुझाव के आधार पर कोई निर्णय लेने तक ऐसी नीलामियों को रद्द करने अथवा स्थगित करने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि इन बुकिंगों के बारे में उनकी कोई स्वीकृत अनुमोदन नहीं है। उन्हें प्रापर्टी डीलरों द्वारा एकत्रित की गई राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) जी, नहीं। नीति के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किये गये वाणिज्यक प्लाटों को नीलामी द्वारा बेचा जाता है। नेहरू प्लेस में दो वाणिज्यक टावर प्लाट बेचे गए हैं।

(ग) सरकार द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार इन प्लाटों को बेचा गया था। अतः नीलामियों को रद्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

बिड़ला इनटीट्यूट आफ टेक्नालोजी, मेसरा (राँची) को औषध विज्ञानों में अवर स्नातक का पाठयक्रमों के लिए अनुदान

3786. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बिड़ला इनटीट्यूट आफ टेक्नालोजी, मेसरा (रांची) को औषध विज्ञानों में अवर स्नातक पाठ्क्रमों के लिए अनुदान मंजूर कर रहे हैं, जबकि यह पाठ्क्रम राँची विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और ए. आई. सी. टी. ई. की अनुमति के बिना शुरू किये गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्स्टीट्यूट को अब तक मंजूर किये गये अनुदानों का वर्षवार ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान, मेसरा (राँची) ने विश्वविद्यालय के कुलपति को स्वीकृति से, औषध-विज्ञान में एक अवर-स्नातक पाठ्क्रम प्रारम्भ किया। पाठ्क्रम को 1974 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने भी अनुमोदित कर दिया था। परन्तु न तो केन्द्रीय सरकार ने और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रयोजन के लिए सस्थान को कोई अनुदान दिया है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों द्वारा समर्थन मूल्यों पर खरीद

3787. **श्री आर. वाई घोरपाडे** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न कृषि वस्तुओं के समर्थन मूल्य इस लिए निर्धारित किये जाते हैं कि सरकार किसानों से, यदि बाजार मूल्य से मूल्य गिर जाते हैं, वस्तुओं की खरीद ले; और

(ख) समर्थन मूल्य से मूल्य गिर जाने पर कितने राज्यों ने गत तीन वर्षों में किसानों को समर्थन मूल्य दिय है और वस्तुएं खरीदी हैं और किन राज्यों ने समर्थन मूल्य नहीं दिया ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) (क) जी, हां ।

(ख) उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की, जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान मूल्य समर्थन कार्यों के अन्तर्गत गेहूं/धान/मोटे अनाजों की खरीद की एक सूची नीचे दी गई है ।

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गुजरात
5. हरियाणा
6. हिमाचल प्रदेश
7. जम्मू व कश्मीर
8. मध्य प्रदेश
9. महाराष्ट्र
10. मणिपुर
11. पंजाब
12. राजस्थान
13. तमिलनाडु
14. त्रिपुरा
15. उत्तर प्रदेश
16. पश्चिम बंगाल
17. अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह
18. अरुणाचल प्रदेश
19. चन्डीगढ़
20. दिल्ली
21. गोवा, दमन तथा दीव
22. पाण्डिचेरी

कपास के सम्बन्ध में विपणन समर्थन मुख्यरूप से भारतीय कपास निगम द्वारा दिया जा रहा है । महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ भी एकाधिकार अधिप्राप्ति योजना के अन्तर्गत राज्य में कपास के उत्पादन की सम्पूर्ण मात्रा गारन्टी मूल्यों पर खरीद रहा है । गुजरात तथा कुछ अन्य राज्यों में सहकारी विपणन संघ या समितियां भी कपास की खरीद कर रही हैं । पटसन के सम्बन्ध में विपणन समर्थन मुख्य रूप से भारतीय पटसन निगम द्वारा दिया जाता है । सोयाबीन, प्याज तथा दालों के लिए विपणन समर्थन सुविधायें राष्ट्रीय कृषि सहकारी भी विपणन संघ द्वारा दी जा रही हैं । प्याज के सम्बन्ध में, महाराष्ट्र सरकार भी विपणन समर्थन कार्यों की व्यवस्था कर रही है ।

भारतीय खाद्य निगम के देवास (मध्य प्रदेश) स्थित गोदामों से चीनी की चोरबाजार में बिक्री

3788. **श्री फूलचन्द्र वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के देवास (मध्य प्रदेश) स्थित गोदामों से बड़ी मात्रा में चीनी की चोर-बाजार में बिक्री की जाती है;

(ख) क्या पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच आरम्भ कर दी है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. बी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग

3889. **श्री मूल चन्द्र डागा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शैक्षिक संस्थाओं में रैगिंग को रोकने के लिए कुछ उपाय किये हैं;

(क) क्या बिड़ला विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान पिलानी में रैगिंग से श्री नरेन्द्र कुमार जैन की मृत्यु हो गई थी;

(ग) यदि हाँ, तो जाँच के बाद दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) यह पता नहीं लगा है कि श्री नरेन्द्र कुमार जैन की मृत्यु रैगिंग से हुई थी। मामले की अभी पुलिस जांच कर रही है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जल-प्रबन्ध को समवर्ती विषय बनाया जाना

3790. **श्री के. मालन्ना** :

श्री छोतुभाई गामित :

श्री केशवराव पारधी : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह देश को नदी सम्पदा के विकास तथा उपयोग तथा जल प्रबन्ध को संविधान के अन्तर्गत समवर्ती विषय बनाये जाने के पक्ष में है;

(ख) यदि हाँ तो इस बारे में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकारों की इस बारे में सलाह ली गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या किसी राज्य सरकार ने अपनी असहमति प्रकट की है; और

(ङ) यदि हां तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और उनके असहमति के कारण क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जल को संविधान की समवर्ती सूची में लाने के प्रश्न की जांच की जा रही है।

(ग) से (ङ) ये सवाल पैदा नहीं होते।

विवेकानन्द राक मेमोरियल के लिए नौका सेवा

3792. श्री कर्ण सिंह :
श्री एम. रामन्ना राय :
श्री वी.एस. विजय राघवन :
श्री गिरिधर गोमांगो :
श्री आर.के. महालगी :
श्री नवन किशोर शर्मा : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विवेकानन्द राक मेमोरियल' के लिए नौका सेवा शीघ्र ही शुरू की जाएगी;

(ख) क्या इससे इस अद्वितीय मन्दिर के लिए पर्यटक यातायात पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है कि उपरोक्त मेमोरियल के लिए नौका सेवायें जारी रहें ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सीता कोल) : (क) से (ग) तमिलनाडु राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और इसे पटल पर रख दिया जाएगी।

मलजल निकास

3793. श्री जैदुल बशर : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहकारी आवास निर्माण समितियों का एक प्रतिनिधि मंडल उनकी कालोनियों से मलजल निकास के मामलों में पेश आ रही कठिनाई के संबंध में दिल्ली के उपराज्यपाल से मिला था; और

(ख) यदि हाँ, तो कार्य पूरा होने में विलंब के क्या कारण हैं और इस बारे में क्या उपाय किए जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) उपराज्यपाल के कार्यालय ने सूचित किया है कि जो शिकायतनामा या सहकारी आवास निर्माण समिति उपराज्यपाल को मिली थी उनके नाम विशेष के अभाव में इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती।

किरायेदारी कानूनों का स्वरूप

3794. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान गत 9 अक्तूबर, के स्टेटसमैन में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया हैं कि "इण्डियन जनरल आफ शोशलनेलाजी" द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार दिल्ली की निचली अदालतों में लंबित मामलों में से 80 प्रतिशत सिविल मामले और 30 प्रतिशत अपराधिक मामले सामान्यत मकान मालिक और किरायेदारों के बीच विवादों से सम्बन्धित होते हैं और इन विवादों का कारण है हमारे किरायेदारी कानूनों का स्वरूप;

(ख) इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है, और उक्त कानूनों के वे विशिष्ठ उपबन्ध कौन से हैं जो इन विवादों का कारण बनते हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया और कार्यवाही क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) तथा (ग) इस सम्बन्ध में संबन्धित प्राधिकरणों से ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं ।

कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड का गठन

3795. **श्रीमती गीता मुखर्जी** :

श्री अजय बिश्वास : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि मंत्री के दो नामजद व्यक्तियों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड में शामिल करने के लिए उक्त बोर्ड के गठन में परिवर्तन किया गया ;

(ख) क्या ऐसा करना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सोसाइटी के नियम और उपनियमों के अनुकूल है;

(ग) क्या इस परिवर्तन को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासक निकाय की स्वीकृति प्राप्त है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (घ) कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल के गठन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है । कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मंडल के अध्यक्ष विभिन्न पदों के चयन करने के लिए चयन समितियों का गठन करते हैं । इन चयन समितियों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रतिनिधियों और कृषि वैज्ञानिक नियुक्त मण्डल के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति के अतिरिक्त सम्बन्धित शाखा के विशेषज्ञ होते हैं ।। लोक सभा की प्राक्कलन समिति द्वारा अपनी 35वीं रिपोर्ट में दी गयी सिफारिशों पर, हाल ही में कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल के कार्य-कलापों में अनेक सुधार किये गये हैं । कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल के अध्यक्ष के परामर्श तथा सरकार की स्वीकृति से किये गये परिवर्तनों में से एक यह है कि रु० 2000-2500 और इससे अपर के वेतनमानों के वैज्ञानिक पदों के लिए चयन समितियों में कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल के अध्यक्ष द्वारा नामित दो विशेषज्ञ तथा महानिदेशक द्वारा प्रस्तुत विख्यात और उपयुक्त विशेषज्ञों के पेनल में से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित दो विशेषज्ञ रहेगें । इसके अलावा, प्रत्येक चयन समिति में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक प्रतिनिधि रहेगा, जैसा कि नियमों में प्रावधान है। चयन समिति के गठन में यह परिवर्तन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के नियमों तथा विनियमों के अनुसरण में है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के शासी निकाय द्वारा अनुमोदित है ।

कृषि सेवा केन्द्र

3796. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** क्या : कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पिछड़े जिलों में कृषि सेवा केन्द्रों को खोलने और उन्हें पाँच वर्ष तक अनुदान देते रहने की एक योजना बनाई थी;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कृषि सेवा केन्द्रों को 5 वर्ष तक अनुदान दिया गया है;

(ग) मध्य प्रदेश के कई कृषि सेवा केन्द्रों को केवल तीन वर्ष तक ही अनुदान दिए जाने के क्या कारण हैं और क्या मध्य प्रदेश के उन कृषि सेवा केन्द्रों को बाकी दो वर्ष का और अनुदान देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिन्हें दो वर्ष का अनुदान नहीं दिया गया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि कृषि सेवा केन्द्र सम्बन्धी योजना सफल नहीं रही है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या उसके कारणों का पता लगाया गया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निमाण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) केन्द्रीय सरकार ने सारे देश में, न कि केवल पिछड़े जिलों में, कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना की योजना तैयार की थी। योजना के तहत केवल तीन वर्षों के लिए अनुदान देने का प्रस्ताव था।

(ख) कार्यान्वयन के दौरान कुछ भूलों के कारण, कुछ कृषि सेवा केन्द्रों को पांच वर्षों के लिए अनुदान दिया गया। इस गलती का पता लगाया गया था और राज्य कृषि उद्योग निगमों को अधिक भुगतान की वसूली के लिए अनुदेश दिए गए थे। कृषि उद्योग निगमों के लिए निर्मुक्त की जाने वाली धनराशि में से कटौती करके पहले ही वसूलियाँ की गई हैं।

(ग) उपरोक्त (ख) को दृष्टिगत रखते हुए, किसी कृषि सेवा केन्द्र को पांच वर्षों के लिए अनुदान देने का प्रश्न ही नहीं होता। इसके अतिरिक्त, 1979 में संसाधनों सहित कई केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं को राज्यों को हस्तांतरित करने के सम्बध में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, इस योजना को राज्य क्षेत्र में हस्तांतरित कर दिया गया है।

(घ) जी नहीं। केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से पता चला है कि औसतन लगभग 75 प्रतिशत केन्द्र लाभ पर चल रहे हैं और किसानों को उपयोगी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उद्यमकर्त्ताओं को स्व-रोजगार और अन्य व्यक्तियों को रोजगार तथा किसानों को सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्यों को पर्याप्त तौर पर प्राप्त कर लिया गया है। इस समय लगभग 2900 कृषि सेवा केन्द्र काय कर रहे हैं।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्न ही नहीं होता।

मौर्य होटल के पीछे झुग्गी कालोनी

3797. **श्री पी. के. कोडियन** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मौर्य होटल के पीछे झुग्गी कालोनी के लगभग एक हजार निवासी, उनकी छोटी सी कालोनी में आग लग जाने के कारण उसके पूरी तरह नष्ट हो जाने से बेघर हो गये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन गरीब लोगों को कोई वित्तीय सहायता दी थी;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) अतिरिक्त जिलाधीश, दिल्ली ने सूचित किया है कि 17-11-80 को आग से लगभग 300 झुग्गियाँ जल गयीं थीं जिससे निवासी अस्थायी तौर पर बेघर हो गये थे।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने प्रत्येक प्रभावित परिवार को 300 रुपये की अनुग्रहपूर्वक राहत स्वीकृत की थी।

अखिल भारतीय चीनी और गन्ना बोर्ड का गठन :

3798. **श्री बालासाहिब विखेपाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय गन्ना विकास परिषद से कोई ऐसी माँग प्राप्त हुई है कि 'अखिल भारतीय चीनी और गन्ना बोर्ड' अथवा 'राष्ट्रीय चीनी प्राधिकरण' नाम से निर्णय लेने वाली एक उच्च स्तरीय संस्था का गठन किया जाए जिसे चीनी की समस्याओं पर विचार करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंप दिया जाए; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार इस प्रकार की संस्था को स्थापित करने का है और यदि हाँ, तो इसके सदस्य कौन-कौन होंगे तथा इसका कार्य-क्षेत्र क्या होगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निमाण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ।

(ख) इस मामले पर भारत सरकार विचार कर रही है।

इंडियन स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टेडीज

3799. **श्री जगपाल सिंह** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के संदर्भ में भारत के हित में इंडियन स्कूल आफ इन्टरनेशल स्टेडीज द्वारा अध्ययन किये जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने के लिए इंडियन स्कूल आफ इंटरनेशनल स्टेडीज से कोई नया प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उसके स्कूल आफ इन्टरनेशलन स्टेडीज द्वारा किये जा रहे या किये जाने वाले विश्व के अन्य हिस्सों से सम्बन्धित अधिकतर अध्ययन हमारे देश के हित में हैं क्योंकि उनसे उन देशों द्वारा उनके समाने आने वाली समस्याओं को सुलझाने तथा विकास को समझने में मदद मिलेगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भूमिगत जल की खोज तथा उसका उपयोग

3800. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमिगत जल की खोज तथा उसके उपयोग के बारे में कोई योजना तैयार की है;

(ख) क्या सरकार इस प्रयोजना के लिए एक निगम स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, वर्तमान प्रयासों की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा क्या और कार्यवाही करने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) केन्द्रीय भूगत जल बोर्ड देश के भूगत जल संसाधनों की खोज, मूल्यांकन, वैज्ञानिक प्रबन्ध और विनियमन से संबंधित मामलों में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्षस्थ एजेन्सी है। यह भूगत जल संसाधनों का राष्ट्रव्यापी स्तर पर सुनियोजित सर्वेक्षण करता है। यह बोर्ड भूगत जल क्षमता को आँकने के लिए देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय आधार पर क्षेत्रीय जल भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और अन्वेषणात्मक खुदाई का कार्य करता है। क्षेत्रीय जल-भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अन्तर्गत बोर्ड ने मार्च, 1980 तक सर्वेक्षण किए जाने वाले 28.70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में से अब तक 16.10 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वेक्षण कर लिया है। लगभग 4000 'बोर होल्स' की खुदाई भी की गई है।

1980-85 की योजना-अवधि के दौरान, ऐसे सर्वेक्षणों के अन्तर्गत 6.60 लाख वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्र का सर्वेक्षण लिए जाने का प्रस्ताव है और बाकी क्षेत्र का सर्वेक्षण 1990 तक पूरा किए जाने का प्रस्ताव है। अगली योजना के दौरान 2500 'बोर होल्स' की खुदाई करने का प्रस्ताव है।

(ख) केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों के लिए तथा राज्य के कुछ क्षेत्रों में, जहाँ भूगत जल क्षमता बहुत अधिक है परन्तु अन्वेषण-कार्य पिछड़ा हुआ है, राज्यों के प्रयत्नों की अनुपूर्ति करने के लिए भी वाणिज्यिक आधार पर सभी प्रकार का अन्वेषणात्मक खुदाई कार्य करने, सिंचाई पेय जल और औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादक नलकूप/कुओं का निर्माण करने के लिए एक केन्द्रीय भूगत जल निगम की स्थापना करने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार करर ही है। परंतु यह निगम केन्द्रीय भूगत जल बोर्ड का स्थान नहीं लेगा जो अपना आधारभूत और सुनियोजित जल-भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण और पुन मूल्यांकन संबंधी सर्वेक्षण, प्रशिक्षण, विस्तार तथा अन्य कार्य करता रहेगा।

(ग) देश के भूगत जल संसाधनों के विकास से संबंधित कार्य और तेजी से करने के लिए केन्द्रीय भूगत जल बोर्ड को उपयुक्त रूप से सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है।

सिंचाई मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा अनुमोदित जल संसाधनों के विकास संबन्धी योजना

3801. **श्री ए. टी. पाटिल :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल संसाधनों के विकास के लिए एक योजना बनाई है और क्या बंगलौर में 21 नवम्बर, 1980 को आयोजित राज्यों के सिंचाई मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा इसका अनुमोदन किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस जल योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने जल संसाधनों के विकास के एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की रूप रेखा तैयार की है जिसमें विभिन्न नदियों पर, जहाँ संभव हो इष्टतम जल-भण्डारों का निर्माण करने तथा एक दूसरे को जोड़ने वाले लिंक का निर्माण करके जल की कमी वाले क्षेत्रों में इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त जल का ट्रांसफर करने की परिकल्पना की गई है। इस कार्य हेतु आवश्यक सर्वेक्षण और अन्वेषण करने के बाद, इस योजना के ब्यौरे को राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। इस वर्ष नवम्बर में बंगलौर में हुए राज्यों के सिंचाई मंत्रियों के पाँचवें सम्मेलन में एक संकल्प पारित किया गया जिसमें राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की रूपरेखा तैयार करने में भारत सरकार द्वारा की गई कार्यवाई की सराहना की गई थी तथा यह सिफारिश की गई थी कि केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वह विभिन्न जल संचयन-व व्यपवर्तन स्थानों का आवश्यक सर्वेक्षण और अन्वेषण करने तथा विभिन्न नदी बेसिनों में जल के इष्टतम उपयोग से संबंधित अध्ययन करने के लिए कार्यवाही करे। सम्मेलन ने राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया था कि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा हाथ में लिये जाने वाले उपर्युक्त कार्य में पूरा सहयोग और सहायता दें। लेकिन केरल के प्रतिनिधि ने इस संकल्प के बारे में कुछ असहमति प्रकट की थी।

उर्वरकों के मूल्य

3802. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयातित तथा देश में उत्पादित उर्वरकों के पृथक-पृथक 1966 से 1980 तक के वर्ष वार खुदरा मूल्य क्या हैं;

(ख) किसानों को 1966 से 1980 तक वर्ष-वार बजट में कुल कितनी राज सहायता दी गयी; और

(ग) एशिया, अफ्रीका तथा लातिनी अमरीका के प्रत्येक देश में रसायनिक उर्वरकों के खुदरा मूल्य क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले तीन उर्वरकों, अर्थात यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट तथा म्यूरेट आफ पोटाश के बारे में अपेक्षित जानकारी विवरण-1 में दी गई है।

(ख) भारत सरकार द्वारा आयातित तथा देश में उत्पादित दोनों उर्वरकों के लिए उपार्जित आधार पर राज सहायता दिखाने के लिए कोई एकमात्र खाता तैयार नहीं किया जाता है। सरकारी खातों में निवल घाटे के रूप में दिखाई गई बजट सम्बन्धी राज सहायता जो आयातित उर्वरकों के लिए वर्षानुवर्ष से नकद आधार पर तैयार की जाती है, देश के उत्पादित फास्फेटिक उर्वरकों पर राज सहायता, तथा पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मन्त्रालय द्वारा प्रशासित अवधारण मूल्य योजना के अन्तर्गत आने वाले देश में उत्पादित उर्वरकों पर दी जाने वाली राज सहायता का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

(ग) यूरिया, डाई अमोनियम फास्फेट तथा म्यूरेट आफ पोटाश के खुदरा मूल्यों से

सम्बन्धित जानकारी नवीनतम प्रकाशित प्रलेखों (जिसमें सम्बन्धित क्षेत्रों के अधिकतर देश आते हैं) से संकलित करके विवरण-3 में दी गई है। शेष देशों के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

विवरण-I

1966-67 से 1979-80 के वर्षों के दौरान उर्वरकों के खुदरा मूल्य

(रुपये प्रति मीटरी टन)

वर्ष	यूरिया	डी. ए. पी.		एम. ओ. पी.
	आयातिय तथा देशी	आयातित	देश में उत्पादित	आयातित (100 कि. ग्रा. पैकिंग)
1	2	3	4	5
1965-67	680	830	+	440
1967-68	840	1095		485
1968-69	860	1095		485
1969-70	943	1217		523
1970-71	943	1217		523
1971-72	923	1217		523
1972-73	959	1246		543
	(1)	(1)		(1)
1973-74	959 / 1050	1246 / 1335		543 / 670
	(2)	(2)		(2)
1974-75	1050 / 2000	1335 / 3005		670 / 220
	(3) (4)	(3) (8)		(3) (8) (4)
1975-76	2000/1850/1750	3005/2805/2600		1220/1170/1085/900
	(5)	(9)		(5)
1976-77	1750 / 1650	2600 / 2200	2210	90 / 795
	(6)			
1977-78	1650 / 15.0	2210	2210	795
	(7)	(7)	(7)	
1978-79	1550 / 1450	2210 / 2200	2210 / 2200	795
1979-80	1450	2200	2200	795
8-6-1980	2000	3050	3050	1090

(1) 10-10-1973 से (2) 1-6-1974 से (3) 18-7-1975 से (4) 16-3-1976 से (5) 8-2-1977 से (6) 12-10-077 से (7) 10-3-1979 से (8) 1-12-1978 से (9) 20-4-1976 से।

टिप्पणी (1) यूरिया के खुदरा मूल्य कानूनी रूप से नियन्त्रित किये जाते हैं।

(2) एम.ओ.पी. का उत्पादन देश में नहीं होता है। 50 कि. ग्रा. पैकिंग का मूल्य 100 कि. ग्रा. पैकिंग के मूल्य से 10 रुपये प्रति मीटरी टन अधिक है।

+ सरकार द्वारा फास्फेटिक उर्वरकों के मूल्य कानूनी तौर से नियंत्रित नहीं किये जाते हैं। फिर भी, एक अनौपचारिक नियत्रण 16-3-1976 अर्थात् पी. 2 ओ. 5 के प्रति मीटरी टन पर 1250 रुपए की दर से फास्फेटिक उर्वरक पर राजसहायता देने की योजना शुरू करने के बाद लागू किया गया था। फास्फेटिक उर्वरकों के मूल्यों पर कानूनी नियंत्रण 2-2-1979 से लागू हुआ था।

विवरण-2

उर्वरकों पर बजट सम्बन्धी राज सहायता

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	पूल खाते में निवल घाटे के रूप में दर्शायी गई आयातित उर्वरकों पर बजट सम्बन्धी राज सहायता	देशी उर्वरकों पर राज सहायता अवधारण मूल्य योजना के अन्तर्गत	पी.$_2$ ओ.$_5$ संबंधी राज सहायता (पी.$_2$ ओ.$_5$ की प्रति मी. टन 1250/-रु.)	कुल
1	2	3	4	5
1966-67	59.09	—	—	59 09
1967-68	30 36	—	—	30.36
1968-69	42.87	—	—	42.87
1969-70	30 41	—	—	30-41
1970-71	(—) 3.25	—	—	(—) 3.25
1971-72	(—)30.53	—	—	(—)20 53
1972-73	5.46	—	—	5.46
1973-74	60.12	—	—	60 12
1974-75	351.42	—	—	351.42
1975-76	242.44	—	—	242 44
1976-77	52.47	—	50 79	112.26
1977-78	(—)45.01 (क)	24.88	82.52	61.49 (क)
1978-79	120.07 (ख)	83.32	88.85	292.24 (ख)
1979-80	281.80	297.37	24.50	602.67

(क) 29-2-76 को मालिकाना आधार पर भारतीय खाद्य निगम को हस्तांतरित उर्वरकों की लागत पर 205.09 करोड़ रुपये की वसूली के कारण प्राप्त अधिशेष।

(ख) 29-2-76 को भारतीय खाद्य निगम को हस्तांतरिय उर्वरकों की लागत की वसूली के कारण घाटा 49.24 करोड़ रुपये कम हो गया है।

विवरण-3

भारत में और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के कुछ देशों में किसानों द्वारा अदा किये गये उर्वरकों के मूल्य

(अमरीकी डालर में)

देश	प्रति मीटरी टन पोषकतत्व		प्रति मीटरी टन उत्पाद
	यूरिया (एन)	म्यूरियेट आफ पोटाश (45 प्रतिशत से अधिक के$_2$0	डी. आई. अमोनियम फास्फेट (एन: पी: के: 18:46:0)
1	2	3	4
एशिया			
भारत	401	156	258*
अफगानिस्तान	483	उ. न.	254
बंगलादेश	231	118	उ. न.
बर्मा	115***	147***	उ. न.
साईप्रेस	432	उ. न.	उ. न.
इण्डोनेशिया	375	उ. न.	217
ईरान	271	उ. न.	170
इराक	169*	उ. न.	उ. न.
इजराइल	433	69	उ. न.
जापान	496	293	उ. न.
जोर्डन	उ. न.	उ. न.	उ. न.
कोरिया गणराज्य	549	145	128**
कुवैत	392	उ. न.	519***
मलेशिया	353	176	उ. न.
नेपाल	419	207	उ. न.
ओमात	522**	उ. न.	उ. न.
पाकिस्तान	298	उ. न.	145
फिलीपीन्स	446* *	231***	उ. न.
सऊदी अरब	209	उ. न.	उ. न.
सिंगापुर	357	123	उ. न.
श्रीलंका	248	उ. न.	उ. न.
सीरिया	उ. न.	उ. न.	213**

थाईलैण्ड	366	2 0	उ. न.
टर्की	285	119	145***
संयुक्त अरब अमीरात	उ. न.	उ. न.	उ. न.
यमन अरब गणराज्य	650	उ. न.	उ. न.
अफ्रीका			
बेनिन	254	उ. न.	उ. न.
बुरुंदी	531	259	उ. न.
कैमेरुन	324	5.0	उ. न.
केप वरदे	372	उ. न.	उ. न.
मिस्र	248	154	उ. न.
घाना	218*	58*	उ. न.
आईवरी कोस्ट	481***	223***	उ. न.
कीनिया	579	318	296
मैडागास्कर	537	261	उ. न.
मलावी	512	उ. न.	उ. न.
माली	431**	उ. न.	205**
मारीशस	उ. न.	205	उ. न.
मोरक्को	274	96	उ. न.
नाइजर	309	203	उ. न.
नाइजीरिया	135	उ. न.	उ. न.
रियूनियन	449*	137**	उ. न.
रवानदा	176*	395**	उ. न.
सेनेगल	179***	उ. न.	उ. न.
सियारा लियोन	449	उ. न.	उ. न.
साउथ अफ्रीका	579	256	217
तजानिया	494	237	उ. न.
टाँगो	135	102	उ. न.
तुनीशिया	उ. न.	388**	उ. न.
उगाँडा	387***	256***	उ. न.
अपर वोल्टा	1266*	उ. न.	उ. न.
जेरे वर	772***	उ. न.	उ. न.
जाम्बिया	371	152	उ. न.
लेटिन अमेरिका			
एल सलवाडोर	622**	उ. न.	उ. न.
गुएटमाला	318**	128**	उ. न.
मेक्सिको	189	106*	उ. न.
निकारागुआ	458	उ. न.	230

पनामा	522	317	उ. न.
ब्राजील	526	242	उ. न.
चिली	356	उ. न.	224
कोलम्बिया	631	465***	उ. न.
		(20-45 के$_2$ ओ)	
इक्वेडर	556	207	310
पेरू	312	154	163
उरुगुए	471	248	578**
वेनजुयेला	222**	165**	उ. न.

(उ. न.=उपलब्ध नहीं)

स्रोत : एफ. ए. ओ. फर्टिलाइजर इयर बुक, 1978 ने इन मूल्यों की सूचना नहीं दी है। भारत में 1977-78 के दौरान विद्यमान मूल्यों को अमेरिकी डालर में परिवर्तित कर दिया है, तथा विनियन की उसी दर का प्रयोग किया है जो एफ ए. ओ. इयर बुक में दी गई है।

(*=1974-75, **=1975-76; ***= 976-77)

औरोविले के सम्बन्ध में कुलकर्णी का प्रतिवेदन

3803. **श्री कुसुम कृष्ण मूर्ती** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औरोविले का वर्तमान अनुमानित मूल्य क्या है; और

(ख) औरोविले के संबन्ध में विदेश कुलकर्णी के प्रतिवेदन के निष्कर्ष क्या हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. वी. चव्हाण) : (क) एक सांस्कृतिक स्वरूप का नगर होने की वजह से आरोविल की महिमा का मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

(ख) रिपोर्ट के निम्नलिखित दो मुख्य निष्कर्ष थे;

(1) यह कि अरविन्द सोसाइटी के प्रबन्ध में गम्भीर अनियमितताओं, निधियों के दुरुपयोग और इनको अन्य प्रयोजनों के लिए खर्च करने की घटनाओं के बारे में पहले की शंका की पुष्टी की गई ; और

(2) यह कि स्थिति को देखते हुए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करने की आवश्यकता है और इसमें समय गंवाना जनहित में नहीं होगा। समिति की रिपोर्ट संसद के पुस्तकालय में रख दी गई है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत वैज्ञानिकों के लिए बेहतर वेतनमानों के लिए अभ्यावेदन

3804. **श्री ए. के. साहा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और केन्द्रीय मिट्टी तथा लवण अनुसधान संस्थान के 15 वरिष्ठ वैज्ञानिक हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक से मिले हैं;

और उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के विभागाध्यक्षों की तुलना में जिन्हें बेहतर वेतनमानों की सिफारिश की गई है, अपने साथ किए गए भेदभाव के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है, और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निमाण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान तथा केन्द्रीय मुद्रा लवणता अनुसंधान संस्थान, करनाल के कुछ प्रभागाध्यक्षों ने हाल ही में भारतीय कृषि अनुसधान परिषद के महानिदेशक से मुलाकात की थी तथा उन्होंने यह अभ्यावेदन दिया कि उनका वेतनमान रु० 1800-2250 में संशोधित कर देना चाहिए जैसाकि भारतीय कृषि अनुसधान संस्थान के प्रभागाध्यक्षों के मामले में करने का प्रस्ताव है। महानिदेशक ने उन्हें यह स्पष्ट किया कि वह प्रस्ताव विशेषतया उन प्रभागाध्यक्षों के सम्बन्ध में विलम्बित है जबकि आपने पहले के संशोधित रु० 1300-1600 के वेतनमानों के अतिरिक्त रु० 150/-प्रतिमाह प्रशिक्षण भत्ता पा रहे थे और यदि उनके पास प्रभागाध्यक्षों के वर्तमान ग्रेडों से सम्बन्धित कोई सुझाव है तो उन पर अलग से विचार किया जा सकता है।

बसन्त बिहार में कम गहरी नीव पर बने मकान

3805. **श्री रामप्यारे पनिका** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बसन्त बिहार, नई दिल्ली में कुछ मकान मर्ती वाली भूमि पर कम गहरी नींव पर बनाये गये हैं और इसके परिणामस्वरूप इस प्रकार की असुरक्षित और खतरनाक इमारतों के समीप प्लाटों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मंजूर किये गये नक्शे के अनुसार मकान नहीं बनाये जा सकते;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार के दोषपूर्ण निर्माण के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है, और

(घ) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने के कारण उन प्लाटधारियों की समस्या हल करने का है, जिनका निर्माण कार्य 6 वर्ष से अधिक समय से रूका पड़ा है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि केवल एक शिकायत 1975 में प्राप्त हुई है;

(ग) प्लाट नं. ए16/9 बसन्त बिहार के मालिक ने यह अभ्यावेदन दिया था कि प्लाट नं. ए16/10 में मकान भरान की गई मिट्टी पर कम गहरी नींव पर बनाया गया है और इसकी नींव का झुकाव उसके प्लाट की ओर है इसलिए उसके मकान का निर्माण रुक गया है। प्लाट नं. ए16/10 के मालिक को नींव को भरान की गई मिट्टी से और नीची करके और नींव को तथा बाहरी दीवार को मजबूत करके ठीक करने को कहा गया था। चूंकि उसने ठीक करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किए है, इसलिए उसको मकान पूर्णता का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है और उसकी उप-पट्टेदारी समाप्त कर दी गई है।

(घ) प्लाट नं. ए16/9 के मालिक को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सलाह दी थी कि यदि वह अपने नक्शे में इस प्रकार संशोधन करना चाहे कि वह संलग्न मकान को न छूए और

वह प्लाट नं. ए16/10 की ओर सेटबैक छोड़ना चाहे तो वह निर्माण कार्य को आगे कर सकता है।

बिहार के उपजाऊ परन्तु बारहों मास सूखाग्रस्त रहने वाले क्षेत्रों के लिए सिंचाई योजना

3806. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नालंदा जिला, पटना जिले के भागों, भोजपुर रोहतास, गया, मुंगेर और नवादा जिलों सहित दक्षिण बिहार के बारहों मास सुखाग्रस्त रहने वाले परन्तु उपजाऊ क्षेत्रों के लिए अब तक कोई सिंचाई योजना तैयार नहीं की गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि नवादा जिले को, जहां निर्यात के लिए बहुत मांग वाला सबसे अच्छी किस्म का बासमती चावल पैदा होता है दुर्भाग्यवश मानसून पर ही निर्भर रहना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में सूखे की गंभीर समस्या को हल करने के लिए इन जिलों में खरीफ की फसल की सिंचाई के लिए मंहाने, पुनपुन, पनचाने आदि जैसी बरसाती नदियों का लाभ उठाने के लिए सिंचाई योजनायें आरम्भ करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें बिहार के नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, गया, मुंगेर तथा नवादा जिलों को लाभ देने वाली सिंचाई स्कीमों का ब्यौरा दिया गया है। पटना जिले को लाभ देने वाली कोई स्कीम केन्द्र में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) नालन्दा जिले को लाभ देने वाली निम्नलिखित तीन स्कीमों का क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है :-

स्कीम का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	लाभ (हजार हैक्टेयर)
1. उदरस्थान	281.90	24.89
2. पाइमर	10.70	8.09
3. जोवे जलाशय	8.52	3.24

(ग) और (घ) मोहाने जलाशय स्कीम को बिहार सरकार द्वारा संशोधित किया जा रहा है। पुनपुन और पनचाने नदियों के जल को उपयोग में लाने का कोई प्रस्ताव बिहार सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

बिहार के नालन्दा, भोजपुर, रोहतास, गया, मुंगेर तथा नवादा जिलों के लाभ के लिए बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित स्कीमों की सूची

क्रम सं०	स्कीम का नाम	लाभान्वित जिला	अनुमानित लागत (लाख रुपये)	लाभ (हजार हैक्टेयर)	अनुमोदन के बारे में स्थिति
	एक वृहद स्कीमें				
1.	सोन उच्च स्तरीय नहर	रोहतास औरंगाबाद	4459	161	अनुमोदित

1	2	3	4	5	6
2.	दुर्गावती जलाशय	रोहतास	2530.00	36.42	अनुमोदित
3.	बरनार जलाशय	मुंगेर	803	22.67	अनुमोदित
4.	अपर कियूल जलाशय	मुंगेर	806.69	14.16	अनुमोदित
5.	डकरानाला पम्प नहर (चरण एक)	मुंगेर	843.24	17.34	अनुमोदित
6.	वाणसागर	भोजपुर रोहतास	2250	एम. ए.	अनुमोदित
7.	तिलैया धावर व्यपवर्तन	गया	2682.32	56.275	अनुमोदित नहीं
8.	जमनिया पम्प नहर	रोहतास	2154.70	26.73	अनुमोदित नहीं
9.	अपर सकरी जलाशय स्कीम	मुंगेर नवादा हजारीबाग	5975.23	58 280	अनुमोदित नहीं
10.	मोहाने जलाशय स्कीम	गया	2774.00	39.00	अनुमोदित नहीं
	दो-मध्यम स्कीमें				
1.	नकटी जलाशय	मुंगेर	70.85	2.83	अनुमोदित
2.	उदरस्थान	गया, नालन्दा	281.90	24.89	अनुमोदित
3.	पाइमर बराज	नालन्दा	10 70	8 00	अनुमोदित
4.	जोवे जलाशय	नालन्दा	8.52	3.24	अनुमोदित
5.	अजन (कुकुरझाप) जलाशय	मुंगेर	141.60	3.16	अनुमोदित
6.	सूरजगढ़ पम्प नहर	मुंगेर	112.32	3.10	अनुमोदित
7.	गंगा पम्प नहर, चौसा	भोजपुर	68.85	6.5	अनुमोदित
8.	फुलवाड़िया जलाशय	नवादा	485.14	9.71	अनुमोदित
9.	वटुआ अपर नाला स्कीम	मुंगेर	90.54	0.055	अनुमोदित
10.	डकरानाल पम्प नहर चरण-दो	मुंगेर	314.75	4.02	अनुमोदित नहीं
11.	सिधवर्णी जलाशय स्कीम	मुंगेर	537.82	10.26	अनुमोदित नहीं
12.	मुसाखण्ड	रोहतास	केन्द्रीय जल आयोग में परियोजना-रिपोर्ट प्राप्त नही		
13.	पोताम्बरपुर सिंचाई स्कीम	गया	केन्द्रीय जल आयोग में परियोजना-रिपोर्ट प्राप्त नही		
14.	करपनाशा पम्प नहर	रोहतास	केन्द्रीय जल आयोग में परियोजना-रिपोर्ट प्राप्त नहीं		
	तीन-आधुनिकीकरण स्कीमें				
1.	दुर्गावती नहर प्रणाली का पुनर्रुपण और आधुनिकीकरण	रोहतास	1246.00	17.00	अनुमोदित नहीं
2.	करमनाशा नहर का पुनर्रुपण	रोहतास	704.00	एम. ए.	अनुमोदित नहीं

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा सार्वजनिक शौचालयों का रख-रखाव

3807. **श्री चित्त महाटा :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका दुर्गन्धयुक्त शौचालयों तथा पिछवाड़ों की गन्दी गालियों का रख-रखाव उचित ढंग से नहीं कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस सम्बन्ध में सरकार का विचार और आगे क्या कार्यवाही करने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना के अंतर्गत चीनी की बिक्री

3808. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार चीनी कारखानों से 450 रुपये प्रति क्विंटल की दर से चीनी खरीदती है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि उसमें उत्पादन शुल्क, भाड़ा और अन्य खर्चे जोड़ने के बाद जनता को चीनी 540 रु० प्रति क्विंटल की दर से बेची जाती है; और

(ग) उपभोक्ताओं को खुले बाजार में 6 0-650 रुपय प्रति क्विंटल की दर से चीनी बेचे जाने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (ग) स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना, जो कि पहली सितम्बर से 15 नवम्बर, 1980 तक की अवधि में 2½ महीनों के दौरान लागू थी, के अधीन चीनी कारखानों ने स्वैच्छिक रूप से 450/- रुपये प्रति क्विंटल के मूल्य, जिसमें उत्पादन शुल्क शामिल नहीं है, पर राज्य सरकारों के नामितों को मुक्त बिक्री की चीनी का कोटा सुपुर्द किया था। राज्य सरकारों ने उत्पादन शुल्क, परिवहन और वास्तव में किये गये खर्चों, थोक और खुदरा आदि व्यापारियों के लिए लाभों को मिलाकर देशी और आयातित दोनो प्रकार की चीनी की लागत का हिसाब लगाने के बाद उस चीनी और साथ-साथ आयातित चीनी को उपभोक्ताओं के विभिन्न वर्गों में वितरित करने के लिए व्यवस्था की थी। एकीकृत खुदरा मूल्य प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न थे और वे अधिकांश राज्यों में 6/-रुपये प्रति किलो के आस-पास थे। यह योजना 15-12-80 को समाप्त हो गई है।

दिल्ली के पालीटेक्नीक विद्यार्थियों द्वारा हड़ताल

3809. **श्री नारायण चौबे :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सभी बाल पालीटेक्नीकों के विद्यार्थी दिनांक 17 नवम्बर, 1980 से हड़ताल पर हैं ?

(ख) यदि हाँ, तो हड़ताल के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा छात्रों के साथ बात-चीत करने तथा हड़ताल का हल ढूंढ़ने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं। छात्र 3 नवम्बर 1980 और 27 नवम्बर, 1980 के बीच हड़ताल पर थे।

(ख) हड़ताल में जाने से सम्बन्धित छात्रों की प्रमुख माँगें संलग्न विवरण में हैं।

(ग) छात्रों ने स्वेच्छा से 27-11-1980 से अपनी हड़ताल समाप्त कर दी थी।

विवरण

मांगें :

1. स्वर्गीय श्री आशुतोष कौशिक की प्रतिमा तृतीय बाल राजकीय पालीटेक्नीक, दिल्ली में स्थापित की जाय।

2. पूसा पालीटेक्नीक के तीन छात्रों के निलम्बन आदेश को वापिस लिया जाय।

3. बहिष्कृत छात्रों की सजा कम होनी चाहिये क्योंकि यह उनके भविष्य को काफी नुकसान पहुँचाता है।

4. पालीटेक्नीक छात्रों के लिए दिल्ली में अंश-कालिक डिग्री कालेज खोले जाने चाहियें। इसे पिछले वर्ष स्वीकृति दी गई थी।

5. अन्तर-पालीटेक्नीक राज्य खेल-कूद शुरू होने चाहियें।

6. चालू प्रणाली नियम और विनियम बदलने चाहिय।

7. आटो इंजीनियरी पास करने पर छात्रों को मैकेनिकल इन्जीनियरी (एक वर्षीय डिप्लोमा) में इसके विपरीत प्रवेश मिलना चाहिए।

8. जी.बी. पंत पालीटेकनीक के होस्टल भवन को खाली किया जाय और पूसा और आशुतोष पालीटेकनीक के लिए नये होस्टल होने चाहियें।

9. मुद्रण प्रौद्योगिकी में उत्तर-डिप्लोमा।

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शनों की बहाली

3810. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में डाक और तार महानिदेशालय द्वारा एक वर्ष पूर्व काट दिये गये टेलीफोन कनेक्शनों में से कितने टेलीफोन कनेक्शन चालू वर्ष में बहाल किये गये हैं ?

(ख) क्या डाक और तार महानिदेशालय के आदेशों के बाद अब तक सभी टेलीफोन कनेक्शन लगा दिये गये हैं/बहाल कर दिये गये हैं; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि टेलीफोन प्रयोक्ताओं ने इस आशय के बारे में एक शिकायत भेजी है; यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) डाक-तार महानिदेशालय द्वारा उत्तर प्रदेश दूरसंचार सर्किल में चालू वर्ष के दौरान कोई टेलीफोन बहाल नहीं किया गया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

अण्डमान प्रशासन के एक कृषि विभाग अधिकारी द्वारा चलाई जा रही रसायन की फर्म

3811. **श्री समर मुखर्जी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान प्रशासन के कृषि विभाग का कोई अधिकारी सरकारी भंडार से रसायनों और अन्य वस्तुओं को भिजवाकर पोर्ट ब्लेयर में रसायनों से सम्बन्धित फर्म चला रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई थी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

केरल स्थित "सेव ग्रैन आफिस" का दर्जा बढ़ाया जाना

3812. **श्री वी०एस० विजय राघवन :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल स्थित "सेव ग्रैन आफिस" का दर्जा बढ़ाकर क्षेत्रीय कार्यालय करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस आशय का कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय कृषि अनुसधान परिषद का कार्यकरण

3813. **श्री अजय विश्वास :**

श्री बी. डी. सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 3 अक्टूबर, 1980 के "स्टेट्समेन" में छपे समाचार के अनुसार कृषि वैज्ञानिक भर्ती बोर्ड के चेयरमैन ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में सन्देह व्यक्त किया है;

(ख) क्या शासक निकाय द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विभिन्न अनुसंधान संस्थानों की 5 वर्षीय उपलब्धि जाँच करवाई है और यदि हां, तो अब तक की गई उपलब्धि जांचों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन उपलब्धि जांच समिति की रिपोर्टों पर सरकार ने क्या अनुवर्ती कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वैज्ञानिक उपलब्धियों के सम्बन्ध में संदेह प्रकट नहीं किया जिस तरह से समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। समाचार पत्रों की रिपोर्ट कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल के अध्यक्ष डा. एच. आर. अराकेरी द्वारा महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को लिखे गये पत्र में उनके निजी विचारों पर आधारित थी जो कि उन्होंने 1977 में समाप्त होने वाली अवधि के दौरान वैज्ञानिकों की

योग्यता पदोन्नति के सम्बन्ध में अनुभव किया था। वस्तुतः यह पत्र अनिवार्य रूप से अन्दरूनी वितरण और विचार विमर्श के लिए था। अध्यक्ष, कृषि वैज्ञानिक नियुक्ति मण्डल के सुझावों को परिषद के संस्थानों के निदेशकों को परिचालित किया गया। साथ ही उसकी प्रतियां परिषद के मुख्यालय में उप-महानिदेशकों और सहायक महानिदेशकों को उनकी टिप्पणी के लिए दे दी। इस पत्र में अन्तिम राय कायम करने और कार्यक्रम तय करने हेतु निकट भविष्य में परिषद के संस्थानों के निदेशकों के सम्मेलन में विचार किया जायेगा।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

परिषद में सस्थानों को परिषद के पुर्नगठन के समय पर 1966 में स्थानांतरित किया गया था जबकि परिषद के अन्तर्गत उन्होंने पांच वर्ष की अवधि तक काम किया और उनकी उपलब्धियो की लेखा परीक्षा होनी थी। उपलब्धियों की लेखा परीक्षा समिति के लिए पहला कार्यक्रम 1970 में तैयार किया गया और 1971-74 के दौरान तीन वर्षों मे 22 सस्थानों की उपलब्धियों की लेखा परीक्षा की गई।

दूसरे चरण में 1977 में 5 अनुसधान संस्थानो के लिए उनको उपलब्धियों की लेखा परीक्षा के लिए समितियों का गठन किया गया। 1980 के दौरान संशोधित संदर्शिका के अनुसार 14 उपलब्धि लेखा परीक्षा समितियों का गठन किया गया। अन्य छः अनुसंधान संस्थानों के लिए अनुसधान उपलब्धि लेखा परीक्षा समितियों के गठन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और आदेश जारी करने हेतु उस पर सदस्यों की सहमति प्राप्त की जा रही है।

(ग) प्रथम कार्यक्रम के अनुसार लेखा परीक्षा समितियों की रिपोर्टों पर विचार कर लिया गया है और विशिष्ट सुझाव सस्थानों को कार्यान्वयन के लिए भेजे जा चुके हैं।

दूसरे कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित उपलब्ध लेखा परीक्षा समितियों की रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। यह रिपोर्टें जब मिल जायेंगी तब शासी निकाय के सामने प्रस्तुत की जाएगी और उसके बाद सिफारिशों पर कार्यवाही की जाएगी।

विदेशी चार्टर्ड मत्स्य नौकाओं में प्रशिक्षण

3814. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार भारतीय व्यक्तियों को चार्टर्ड विदेशी मत्स्य नौकाओं में प्रशिक्षण प्राप्त करना होता है;

(ख) यदि हां, तो चार्टर्ड प्रत्येक नौका पर भारतीय व्यक्तियों को दिये गये प्रशिक्षण का ब्यौरा क्या है, कितने व्यक्ति प्रशिक्षित हुए, प्रशिक्षण की अवधि तथा उन्हें किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया; और

(ग) जिन भारतीय कम्पनियों से वे सम्बद्ध हैं उनके नाम क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 210 भारतीयों को चार्टर्ड जलयानों में प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण की अवधि कम्पनियों के चार्टर परिचालन की अवधि के अनुसार भिन्न-भिन्न अर्थात् 10 माह से 15 माह तक थी। उन्हें मत्स्यन तकनीकों और मछलियां पाए जाने वाले स्थानों का पता लगाने,

मत्स्य परिसंस्करण, मत्स्यन गियर की संभाल और परिचालन आदि में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षणार्थी मुख्य भूमि और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह दोनों स्थानों से लिए गए थे। ये कार्मिक विभिन्न श्रेणियों के थे। इनमें से कुछ के पास मत्स्यन औद्योगिकी में डिप्लोमा था, कुछ लोगों ने केन्द्रिय मात्स्यकी नौपरिवहन और इन्जीनीयरी प्रशिक्षण संस्थान अथवा राज्य प्रशिक्षण केन्द्रों में सस्थागत प्रशिक्षण पूरा किया था। कुछ गैर-पंजीकृत जलयानों को चलाने में अनुभव प्राप्त परम्परागत मछुये और भूतपूर्व नौसेना के कार्मिक थे।

(ग) (1) केलवेक्स इन्टरनेशनल लिमिटेड।

(2) टाटा आयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड।

(3) गोल्डन हिन्द शिपिंग (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड।

(4) युनिवर्सल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड।

पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन का विकास

3815. **श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कोष ने पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन परियोजना विकास के लिए 14.7 करोड़ रुपये का ऋण देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें कुल कितना व्यय होगा;

(ग) परियोजना के कब तक आरम्भ होने की संभावना है और क्या किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(घ) यह कब तक पूरा होगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी, हाँ।

(ख) 31.8 करोड़ रुपये।

(ग) करार पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। करार पर हस्ताक्षर होने के बाद परियोजना के शुरू होने की संभावना है।

(घ) सम्भावित परियोजना के पूर्ण होने की तिथि 31 दिसम्बर, 1985 है।

दुग्ध पशुपालन के सम्बन्ध में सर्वेक्षण

3816. **श्री के. ए. राजन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दुग्ध पशुपालन के संबंध में एक विशेष पैट्रिआॅट सर्वेक्षण (2 नवम्बर, 1980) तथा (आपरेशन फ्लड) के कार्य निष्पादन संबंधी "स्पाट लाइट" लेख और "ई.ई.सी. डेरी एण्ड नो वून" और "यूरोप्स सप्लायर्स इण्डियाज वार्डन" शीर्षक वाले लेखों से पता चले गंभीर खतरनाक तथ्यों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार इसे और अन्य खतरनाक समाचारों को देखते हुए डेरी और तिलहन परियोजनाओं के संबंध में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड/भारतीय डेरी निगम के कार्यकरण की भारतीय अर्थशास्त्रियों द्वारा गहराई से और निष्पक्ष जाँच के आदेश देने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) :

(क) भारत में डेरी विकास के संबंध में "स्पेशल पैट्रिओट" सर्वेक्षण में प्रकाशित लेख पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है।

(ख) लेख में दी गयी महत्वपूर्ण टिप्पणियां तथ्यों के अनुरूप नहीं हैं; अत सरकार जाँच करने की कोई आवश्यकता नहीं समझती है। आपरेशन फ्लड परियोजना साधारणतया सफल रही है। तथापि, आपरेशन फ्लड परियोजना का अन्तिम मूल्यांकन, 1981 के प्रारम्भ में विशेषज्ञों के एक दल द्वारा किया जायेगा।

सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में कृषि पशुओं को बचाने के लिए कार्यवाही योजना

3817. **श्री के. राममूर्ति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूखा ग्रस्थ राज्यों में कृषि में काम आने वाले पशुओं को बचाने के लिए कार्यान्वित की जाने वाली कार्यवाही योजना, जिसमें विभिन्न पैकेज प्लान शामिल हैं, का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस कार्यवाही योजना को कार्यान्वित करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) कृषि में काम आने वाले पशुओं को सूखे से बचाने के लिए मन्त्रालय ने सूखाग्रस्त राज्यों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये थे। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में, नाजुक क्षेत्रों में आपात कालीन परिस्थितियों में तत्काल अपनाई जाने वाली विभिन्न पैकेज पद्धतियों का विशेष उल्लेख किया गया था। इन पैकेज पद्धतियों में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित का उद्देश्य था— सूखे चारे, जंगली घास, खराब खाद्यान्न आदि की व्यवस्था करना, विभिन्न उन्नत योजनाओं के जरिये चारे, चारे वाले वृक्षों तथा घास की सूखा प्रतिरोधी किस्मों की खेती करना, स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना, आकस्मिक योजनायें तैयार करना, पशु शिविर स्थापित करना तथा पीने के पानी की व्यवस्था करना।

(ख) सूखा ग्रस्त राज्यों ने अपनी परिस्थितियों के अनुरूप इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अपनाया है।

खेलकूद अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन

3818. **श्री पी. एम. सईद** :

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खेलकूद अध्ययन सम्बन्धी दो सदस्यीय पेनल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या खेलकूद और सभी खेलों में खिलाड़ियों के चयन में राजनीतिक प्रभाव काम करता है;

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार तथा खेलकूद मंत्रालय बनाने पर विचार कर रहा है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) सरकार ने खेलों का अध्ययन करने के लिए ऐसा कोई पैनल नियुक्त नहीं किया है।

(घ) सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) और (च) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

केरल स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पड़ी हुई चीनी के भण्डार का निपटान

3819. **श्री एच० एन० बन्ने गौडा :**

श्री डी० एम० पुत्ते गौडा : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पड़ी जमी हुई/नमी वाली चीनी के भंडारों को बिक्री के लिये दरें आमन्त्रित की गई थी ?

(ख) उसके लिये सफल अधिकतम बोली किस की है और उसके द्वारा उद्धृत की गई दर क्या थी ?

(ग) क्या इस ठेके को पूरा करने के लिये सरकार की स्वीकृति आवश्यक है ?

(घ) यदि हाँ, तो क्या भारतीय खाद्य निगम ने इसके लिए उनके मंत्रालय की स्वीकृति ली है; और

(ङ) इस मामले में की गई अन्तिम कार्यवाही क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : (क) से (ङ) जी हाँ। भारतीय खाद्य निगम ने केरल के अपने गोदामों में पड़ी हुई नमी वाली लेवी चीनी का कुछ स्टाक बेचने के लिए टेण्डर इन्क्वायरी जारी की थी। इस इन्क्वायरी के उत्तर में मैसर्स चैत्र ट्रेडर्स, बंगलौर ने 2901 रुपये प्रति मीटरी टन की अधिकतम दर कोट की थी। इस फर्म को पेश किये गये 317 और 900 बोरों के दो ढेरों में से निगम ने केवल 317 बोरे निर्मुक्त किये थे और 900 बोरे के दूसरे ढेर की निर्मुक्ति को इस कारण से रोक दिया था कि जो दर कोट की गई थी वह 12-9-79 से सरकार द्वारा निर्धारित चीनी के अधिकतम खुदरा मूल्य से मामूली अधिक थी। सम्बन्धित शेष 900 बोरों को निर्मुक्त करने से पहले भारतीय खाद्य निगम ने कानूनी स्थिति के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिये यह मामला केन्द्रीय सरकार के पास भेजा था। 17 दिसम्बर, 1979 से आंशिक नियंत्रण की नीति पुनः लागू होने और मुक्त बिक्री तथा लेवी प्रणाली फिर से लागू होने के फलस्वरूप परिस्थितियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। भारतीय खाद्य निगम ने शेष स्टाक को बेचने के लिए फिर से टेण्डर आमन्त्रित किए हैं और उन्हें 18 दिसम्बर, 1980 को खोला जाएगा।

राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई जल विकास की योजनाओं की रूप रेखा

3820. **श्री के. टी. कोसलराम** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने अपने क्षेत्रों की वर्तमान तथा सम्भावी जल आवश्यकताओं को दर्शाते हुए जल विकास की योजनाओं की रूपरेखा को सितम्बर, 1980 तक हर हालत में दे देने का वायदा किया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये हैं और ऐसी प्रारूप योजनाओं की प्रमुख बातें क्या हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जल संसाधन विकास के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रायद्वीय नदी विकास घटक के सम्बन्ध में जून, 1980 में राज्यों के सिंचाई सचिवों और मुख्य इंजीनियरों के साथ जो विचार-विमर्श हुआ था, उसमें राज्य सरकारों ने यह स्वीकार किया था कि वे सितम्बर, 1980 के अन्त तक मास्टर योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत कर देंगे।

(ख) अभी तक किसी राज्य सरकार ने सरकार को अपनी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत नहीं की है।

ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड में डिप्लोमा क्राफ्ट्समैन

3821 **श्री के. लक्कप्पा : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड में डिप्लोमा क्राफ्ट्समैन सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के बराबर है;

(ख) क्या ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड में डिप्लोमा क्राफ्ट्समैन (वर्ष 1960 से पूर्व जारी) अब औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दिये गये ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड में प्रमाण-पत्र के बराबर समझा जाता है और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हाँ। श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत महानिदेशक, पुनर्वास तथा रोजगार द्वारा प्रौढ़ सिविलियन योजना के अन्तर्गत फरवरी 1959 से पहले प्रदान किये गये ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड में क्राफ्टमैन डिप्लोमा की, श्रम मंत्रालय द्वारा व्यावसायिक ट्रेड में प्रशिक्षण के लिए गठित राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद के तत्वावधान में प्रदान किये जाने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के ड्राफ्टमैन सिविल में राष्ट्रीय ट्रेड सर्टिफिकेट के समकक्ष मान्यता प्राप्त हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये गये ब्लाक

3822. **श्री हरिहर सोरन : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1979-80 में उड़ीसा के कितने ब्लाक लाये गये हैं।

(ख) रोजगारोन्मुख आँचलिक योजना और प्राथमिक सर्वेक्षण के लिये कितने ब्लाकों का चयन किया गया है; और

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत क्योंझर जिले के ऐसे कितने ब्लाकों का चयन किया गया है और इस योजना के अन्तर्गत कितने जनजातीय तथा गैर जनजातीय लोगों को लाभ पहुँचा है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) वर्ष 1979-80 में उड़ीसा में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 131 खंड लाये गये हैं।

(ख) वर्ष 1979-80 में उड़ीसा में पूर्ण रोजगार हेतु क्षेत्रीय योजना और प्राथमिक सर्वेक्षण के लिए 17 खंडों का चयन किया गया है।

(ग) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत क्योंझर जिले में 2 खंडों का चयन किया गया था। तथापि, पूर्ण रोजगार हेतु क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत इस जिले में किसी खंड का चयन नहीं किया गया था क्योंकि इस जिले के सभी खंडों को लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा चुका है। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम तथा लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम के अन्तर्गत क्योंझर जिले में आदिवासी तथा गैर-आदिवासी लाभ भोगियों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम तथा लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम के अन्तर्गत क्योंझर जिले में आदिवासी तथा गैर-आदिवासी लाभ भोगियों की संख्या

क्योंझर जिला

कार्यक्रम का नाम	लाभभोगियों की संख्या					
	1978-79		1979-80		1980-81 जून, 1980 तक	
	अनु.सू. जाति	अनु. जनजाति	अनु.सू.जाति	अनु. जनजाति	अनु. जाति	अनु. जनजाति
1	2	3	4	5	6	7
1. समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम	*		417	605	65	222
2. लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम	14741**		18027**		1849**	

* जिलावार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति लाभभोगियो की संख्या दर्शाता है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

डाक तथा तार विभाग में आपरेटिंग तथा डाक वितरक कर्मचारियों की कमी

3823. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकघरों में शार्टरों, डाकियों तथा अन्य काम करने वालों की संख्या पर्याप्त न होने के कारण तथा समयोपरि भत्ते के प्रश्न पर तथा असंतोषजनक व्याप्त होने के कारण कार्यालयों से डाक की निकासी तथा पत्रों तथा अन्य प्रकार की डाक सामग्री का वितरण रुका रहता है तथा 'तीव्र डाक सेवा' के अन्तर्गत आने वाले डाकघरों के बीच भी पत्रों के प्रेषण में अत्याधिक विलम्ब होता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे ही कारणों से अर्थात् आपरेटिंग कर्मचारियों और डाकियों की कमी की वजह से कई तार-घरों में तारों के प्रेषण और वितरण में भी विलम्ब होता है और टेलीफोन और दूरसंचार सेवाएं काफी अस्त व्यस्त रहती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) से (ग) जी नहीं। अप्रत्याशित परिस्थितियों में ही नहीं इस प्रकार की घटना हुई होगी कि कर्मचारियों की कमी के कारण विलम्ब हुआ हो।

डाकघरों में छंटाईकारों, वितरण चपरासी तथा अन्य कार्य करने वाले कर्मचारियों की पर्याप्तता के बारे में विभाग में निरंतर विचार किया जाता है।

रेल डाक सेवा कार्यालयों तथा अनुभागों में कर्मचारियों की मंजूरी वहां संचालित यातायात के आधार पर की जाती है। तथापि अतिरिक्त जनशक्ति यानी कर्मचारियों की कुछ विशेष कार्यालयों में यातायात में वृद्धि के कारण मांग हो सकती है। यदि यातायात में वृद्धि बरकरार रहती है तथा स्थाई प्रकार की होती है तो अतिरिक्त कर्मचारियों की मजूरी दे दी जाती है। चूंकि यातायात में वृद्धि अस्थाई तथा कदाचित होती है, अतिरिक्त कार्य कर्मचारियों को समयोपरि भत्ता देकर निपटाया जाता है।

दूरसंचार :

जी हां। तारों के पारेषण तथा वितरण में विलंब आंशिक रूप से यातायात के अनुपात की दृष्टि से कर्मचारियों के पूर्ण संख्या में उपलब्ध न होने के कारण हुई। कुछ हद तक टेलीफोन सेवाएं कर्मचारियों की नाम मात्र कमी के कारण प्रभावित हुई थीं। इसके लिए उठाए गए कदम निम्न प्रकार हैं :

1. प्रचालन कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों के संशोधित स्टाफ मानदण्ड विचाराधीन है।

2. प्रशिक्षत तार संकेतकों का अलग से एक अतिरिक्त पूल बनाया जाएगा ताकि खाली जगहें शीघ्र भरी जा सकें।

3. सर्किट उपलब्धता में सुधार हेतु एस+4 डी एक्स उपस्कर का प्रयोग करते हुए आन्तरिक क्षेत्रीय सर्किट उत्तरोत्तर प्रदान किए जा रहे हैं।

4. मोर्स आमनीवस सर्किट पर टर्मिनल को छोड़कर अधिक से अधिक 3 स्टेशनों को अन्तर्वेशित किया जा रहा है ताकि प्रत्येक सर्किट पर भार कम हो सके।

5. और अधिक क्षेत्रीय वितरण कार्यालय खोले जा रहे हैं। तथा उन्हें सीधे केन्द्रीय तारघरों से जोड़ा जा रहा है ताकि तारों के वितरण में विलंब कम हो सके।

6. कर्मचारियों की कमी के कारण उत्पन्न समस्या कम करने के लिए अल्प कालिक कर्मचारियों की नियुक्ति करने तथा लगाए जाने का प्रस्ताव है।

7. पारगमन कम करने के लिए प्रायोगिक जेनटेक्स योजना का विस्तार किए जाने की योजना है।

8. सभी विभागीय तारघरों में अतिरिक्त इंजिन आल्टनेटर प्रदान किए जा रहे हैं ताकि सर्किटों का अधिक से अधिक उपयोग किया जा सके।

9. आपरेटरों के स्थाई पूल से नियुक्तियां+तथा ।

10. प्रचालन कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते में कटौती करने में ढील दी जा रही है ।

सी. एल. यू. एस. ए. के साथ एन. डी. डी. बी. का 'आपरेशन आयल' सीड्स

3824. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 सितम्बर 1980 के 'बिजनेस स्टैंडर्ड' में सी. एल. यू. एस. ए. के साथ एन. डी. डी. बी. के 'आपरेशन आयल सीड्स' उपहारों तथा घाटे में चल रहे भावनगर स्थित खाद्य तेल के कारखाने के अनधिकृत अधिग्रहण के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा तैयार की गई तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत खाद्य तेल और तिलहन उत्पादन व विपणन की पुर्नयव्यवस्था सम्बन्धी परियोजना में अन्य बातों के साथ-साथ तिलहन उत्पादकों के सहकारी संघों द्वारा परिसंस्करण ईकाइयों के अधिग्रहण करने की भी व्यवस्था है, ताकि इस बात का सुनिश्चित हो सके कि तिलहन उत्पादकों को लाभ पहुँचाने हेतु उत्पादन, विपणन और परिसंस्करण में संबंध हो गया है । इस उद्देश्य के अनुसार, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने गुजरात उच्च न्यायालय के 19 दिसम्बर, 1977 के आदेश के आधार पर भावनगर वेजिटेबल प्रोडक्ट लिमिटेड (परिसमापन के अन्तर्गत) की अन्तरिम व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है । इस मामले में न्यायालय द्वारा अन्तिम निर्णय दिये जाने तक इस व्यवस्था की अवधि समय-समय बढ़ाई गई ।

व्हीट कोटा कट में हिट रूरल जाब स्कीम शीर्षक समाचार

3825. **श्री बागुन सुम्बरुई** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 सितम्बर, 1980 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में 'व्हीट कोटा कट में हिट रूरल जाब स्कीम' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों को कहा गया था कि वे गेहूं की बाजए अधिक चावल लें; और

(ग) इस बारे में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है और कितनी क्षति कम की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) जी हाँ । मौजूदा खाद्यान्न स्टाकों की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को अधिकाधिक मात्रा में चावल वटित किया जा रहा है ।

(ग) कुछ राज्यों ने गेहूं की और मात्रा की मांग की है । कार्यक्रम को विशेषकर इसलिए कोई क्षति नहीं हुई है, क्योंकि वस्तु के रूप में मजदूरी की अदायगी किए जाने के लिए

2 किलो ग्राम खाद्यान्नों के आलावा, 1 किलोग्राम खाद्यान्न के मूल्य के बराबर नकद धनराशि भी दी जाती है। इस प्रयोजन के लिये राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को खाद्यान्नों के अलावा नकद निधियाँ आवंटित की गई हैं।

उच्चतर शिक्षा को आंशिक रूप से स्वावलम्बी बनाया जाना

3826. **श्री एम. रामगोपाल रेड्डी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से उच्चतर शिक्षा को आंशिक रूप से स्वावलम्बी बनाने का अनुरोध किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण आवास के लिए बिहार को केन्द्रीय आवास सहायता

3827. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्रामीण मकानों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार को दी गई वित्तीय सहायता का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान बिहार सरकार ने कितने मकान निर्मित किये हैं;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में इस शीर्षक के अन्तर्गत बिहार को आवंटित की गई राशि क्या है; और

(घ) सरकार का विचार बिहार में ग्रामीण मकानों की समस्या कब हल करने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायणसिंह) : (क) से (घ) बिहार में ग्रामीण आवासों के निर्माण सहित सभी सामाजिक आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं और उनके लिए केन्द्रीय सहायता (समेकित ऋणों) और 'समेकित अनुदानों' के रूप में होती है जो किसी योजना विशेष से सम्बद्ध नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कार्य पूर्णतः बिहार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के अन्तर्गत वित्तीय नियतनों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

आन्ध्र प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा के लिए दिया गया धन

3828. **श्री के. ए स्वामी** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) आंध्र प्रदेश राज्य को बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए वर्ष 19.9 और 1980 के दौरान कितनी राशि दी गई है; और

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोदावरी नदी के किनारे स्थित पोलावरम शहर की सुरक्षा के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्यों हेतु विशेष वित्तीय सहायता दिए जाने की तत्काल आवश्यकता है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) आंध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में से प्रत्येक वर्ष के लिए आंध्र प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए 485 लाख रुपये की व्यवस्था की है।

(ख) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पोलावरम नगर सुरक्षा स्कीम तैयार की गई है जिस पर 15.74 लाख रुपये की लागत आने का अनुमान है। इसे छठी योजना अवधि में क्रियान्वयन के लिए हाथ में लिया जाना है।

सरकार के पास विचाराधीन पड़ी हुई उड़ीसा की सिंचाई परियोजनाएं

3829. श्री नित्यानन्द मिश्र : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सिंचाई परियोजनाओं संबंधी अनेक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन पड़े हैं;

(ख) उनमें से कितनी परियोजनाओं का वित्तपोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाने का प्रस्ताव है और कितना परिव्यय होगा; और

(ग) ऐसी कितनी परियोजनाएं पश्चिम उड़ीसा में क्रियान्वित की जायेंगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) उड़ीसा सरकार से निम्नलिखित परियोजनाएं योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुई हैं :

वृहद

1. भीमकुंड बहूद्देश्यीय
2. गालूडीह
3. स्वर्णरेखा सिंचाई
4. आनन्दपुर बराज का नहरीकरण-चरण एक
5. समकोई
6. इब सिंचाई
7. महानदी चित्रोत्पला द्वीप सिंचाई परियोजना

मध्यम

1. बड़ानाला
2. कंसवहल
3. देरजंग

इनमें से बड़ानाला परियोजना को इस बीच योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। योजना आयोग द्वारा अब अनुमोदन दिया जाना है।

समकोई परियोजना के बारे में केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तरों की जांच केन्द्रीय जल आयोग में की जा रही है। बाकी सभी स्कीमें, केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर दिए जाने के लिए उड़ीसा सरकार के पास पड़ी है।

(ख) और (ग) दो मध्यम परियोजनाओं नामशः बड़ानाला और कंसवहल को विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा उपलब्ध की जा रही ऋण-सहायता के अन्तर्गत शामिल

करने का प्रस्ताव है। इन दो परियोजनाओं को उड़ीसा के पश्चिमी भाग में क्रियान्वित किया जाना है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का आबंटन

3830. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्होंने मध्य वर्ग के आबंटन के लिए 1972 में दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास अपने नाम पंजीकृत कराए थे परन्तु अभी तक जिन्हें फ्लैट आवंटित नहीं किए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य वर्ग के फ्लैटों की उस समय प्रस्तावित कीमत 35,00/- रुपये थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि मध्य आय वर्ग के फ्लैटों की इस समय कीमत 1 लाख रुपये के लगभग है और कुछ क्षेत्रों में इससे भी अधिक है और सरकारी कर्मचारी के लिए उसे खरीदना संभव नहीं है क्योंकि वह उतनी राशि का ऋण नहीं प्राप्त कर सकता;

(घ) क्या ऐसे व्यक्तियों को, जिन्होंने मध्य आय वर्ग के फ्लैटों के आबंटन के लिए अपने नाम 1972 में पंजीकृत कराये थे, फ्लाट आबटन करने का है ताकि वे अपने साधनों के अनुरूप मकान का निर्माण करा सकें; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ऐसे व्यक्तियों की संख्या लगभग 439 है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि हाल ही में दिये गये मध्यम आय ग्रुप के एक फ्लैट की विक्रय लागत 65,000/-रुपये से लेकर 1,08,000/-रुपये के मध्य है एक सरकारी कर्मचारी को अधिकतम गृह निर्माण अग्रिम 70,000/-रुपये या फ्लैट की लागत (भूमि की कीमत को छोड़कर) या आवेदक के वेतन का 75 गुणा अथवा उसकी पुनर्भुगतान क्षमता, इनमें जो भी कम हो, अनुमेय है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस समय ऐसी कोई योजना नहीं है।

(ङ) ये व्यक्ति अपनी पसन्द के क्षेत्र विशेष में फ्लैट के आवंटन के कारण अधिकांशत: प्रतीक्षा कर रहे हैं।

आन्ध्र विश्वविद्यालय को भू-इन्जीनियरी अनुसंधान प्रयोगशालाएं

3831. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कोष से आन्ध्र विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष कितना धन आवंटित किया जाता है;

(ख) आन्ध्र विश्वविद्यालय द्वारा भू-इन्जीनियरी अनुसंधान प्रयोगशालाओं पर कितना व्यय किया जाता है;

(ग) क्या इस प्रयोगशाला के कार्यकरण में विभिन्न कंदाचारों आदि के बारे में कोई शिकायतें मिली है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार कथित खामियों को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि भू-इन्जीनियरी अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा खर्च किये जाने वाले धन पर अधिक निगरानी रखी जाये ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) (क) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों को समस्त योजना अवधि के लिए विकास अनुदान स्वीकृत करता है, किसी एक वर्ष की अवधि के लिए नहीं। 1974-75 से लेकर पिछले प्रत्येक पांच वर्ष के दौरान आयोग द्वारा आन्ध्र विश्वविद्यालय को दिए गये अनुदान की राशि क्रमश: 60.43 लाख रु०, 76.61 लाख रु०, 76.49 लाख रु०, 95.28 लाख रु०, और 118.82 लाख रु०, है।

(ख) : आन्ध्र विश्वविद्यालय इन्जीनियरी कालेज के सिविल इन्जीनियरी विभाग के भू-इन्जीनियरी अनुभाग का अनुरक्षण संबन्धी व्यय आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों से पूरा किया जाता है। पाँचवी योजना अवधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रोफेसर के एक पद और तकनीकी सहायक के दो पद तथा इस अनुभाग के लिए 5,000/-रु० के फुटकर व्यय से सम्बन्धित एक वार्षिक अनुदान स्वीकृति किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार ये पद भर लिए गये हैं। इसके अतिरिक्त आयोग ने भू-इन्जीनियरी अनुभाग सहित सिविल इन्जीनियरी विभाग के उपस्कर के लिए 9.53 लाख रु० तथा पुस्तकों और पत्रिकाओं के लिए 2.06 लाख रु० का एक अनुदान स्वीकृत किया था।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) : प्रश्न नहीं उठता।

चीनी का उत्पादन

3832. **श्री राजेश कुमार सिंह :**

श्रीमती सुशीला गोपालन :

श्री भोगेन्द्र झा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1980 के पहले पखवाड़े में वर्ष 1979-80 के मौसम की इसी अवधि की तुलना में चीनी का उत्पादन काफी कम हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : क) और (ख) : 1980-81 मौसम में अक्तूबर के प्रथम पखवाड़े में 5 000 मीटरी टन चीनी का उत्पादन हुआ था जबकि 1979-80 मौसम की उसी अवधि में 8,000 मीटरी टन का उत्पादन हुआ था उपर्युक्त पखवाड़े के दौरान उत्पादन में मामूली कमी इस कारण हुई थी कि 15 अक्तूबर तक 1979-80 मौसम में 9 कारखाने कार्य कर रहे थे जबकि 1980-81 मौसम में केवल 4 कारखाने कार्य कर रहे थे। क्योंकि चीनी मौसम पहली अक्तूबर से शुरू होता है, अक्तूबर के प्रथम पखवाड़े

में उत्पादन हमेशा बहुत ही कम होता है और उसका कुल मिलाकर मौसम में उत्पादन की प्रवृत्ति और सम्भावनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 1980-81 मौसम में 30 नवम्बर तक चीनी का उत्पादन 4.41 लाख मीटरी टन के स्तर पर पहले ही पहुँच चुका है जबकि 1979-80 मौसम में उसी तारीख तक उत्पादन 2.91 लाख मीटरी टन हुआ था।

विकास के लिए आवर्तक निधि

3833. **श्री तारिक अनवर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों के विकास के लिये योजना आयोग द्वारा दी गई आवर्तक निधि को गत दो वर्षों के दौरान किस प्रकार इस्तेमाल किया गया है, और

(ख) इस निधि से आरंभ किये गये निर्माण कार्यों का ब्यौरा क्या है और उन बस्तियों के नाम क्या हैं जहां ये निर्माण कार्य आरंभ किये गये हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सरकार ने ऐसी किसी आवर्तन निधि की मंजूरी नहीं दी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सहायक अध्यापक के विरुद्ध जांच

3834. **श्री जार्ज फर्नांडिस** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सहायक अध्यापक श्री जमील अहमद सिद्दीकी के विरुद्ध लगाये गये गबन आदि के आरोप की जांच के लिए 1976 में एक जांच समिति गठित की गई थी;

(ख) क्या यह सच है कि जाँच समिति ने अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी है;

(ग) क्या यह भी एक तथ्य है प्राचार्य के लिए वरिष्ठ व्यक्तियों के दावों को नजरअंदाज कर श्री जमील अहमद सिद्दीकी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सिटी हाई स्कूल में। अक्तूबर, 1980 से प्राचार्य नियुक्त कर दिया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो जांच समिति द्वारा अब तक रिपोर्ट न देने के क्या कारण हैं; और

(ङ) वरिष्ठ व्यक्तियों के दावों को नजर अंदाज करते हुए श्री सिद्दीकी को अलीगढ़/-मुस्लिम विश्वविद्यालय सिटी हाई स्कूल का प्राचार्य नियुक्त करने के क्या कारण हैं विशेषकर जबकि उन्हें उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से अभी आरोप-मुक्त नहीं किया गया है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. वी. चव्हाण) (क) : जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) और (ङ) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालत द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार श्री जमील अहमद, सिद्दीकी को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सिटी हाई स्कूल में। अक्तूबर 1980 से स्कूल में उनकी वरिष्ठता के आधार पर अस्थाई तौर पर जब तक कि चयन समिति द्वारा पद पर नियमित नियुक्ति नहीं की जाती, प्रिंसिपल के रूप में नियुक्त किया गया।

(घ) सम्बन्धित दस्तावेजों का उपलब्ध न होना, सबूत के संचयन आदि जैसे कुछ

प्रशासनिक कठिनाईयों के कारण कुछ देरी हुई थी। आशा है कि समिति अपना कार्य शीघ्र पूरा कर देगी।

जहाँगीरपुरी दिल्ली में धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्लाटों का आवटन

3835. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पंजीकृत निकायों को धार्मिक उद्देश्यों के लिए प्लाट मंजूर करने में उनके मन्त्रालय की भूमिका क्या है और जहाँगीरपुरी, दिल्ली में ऐसे प्लाट आवंटित करने का अधिकार किसको दिया गया है,

(ख) जहाँगीरपुरी, दिल्ली में ऐसे कितने प्लाट नियत किये गये हैं, कितने और किन को आवंटित किये गये हैं और कितने खाली पड़े हैं और कितने प्लाटों पर अनधिकृत रूप से कब्जा है,

(ग) क्या यह सच है कि श्री सनातन धर्म मन्दिर सभा (पंजीकृत), "ए" ब्लाक, जहाँगीरपुरी, दिल्ली को भूमि के आवटन का मामला अनिर्णीत पड़ा है और सरकार ने गत दो वर्षों से कोई निर्णय नहीं किया है, और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं और सभा को प्लाट आवंटित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) धार्मिक प्रयोजनों के लिए भूमि आवटन करने के लिए सरकार ने मार्ग निर्देशन निर्धारित किये हुए हैं। जहाँगीरपुरी में धार्मिक प्रयोजनों के लिए प्लाट का आवंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली के उपराज्यपाल के अनुमोदन से किया जाना है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि जहांगीरपुरी के लिए विन्यास नक्शों के अनुसार धार्मिक सस्थानों के लिए 7 प्लाट उदिष्ट थे। 5 स्थलों का सार्वजनिक सेवाओं के लिए उपयोग किया गया है। एक स्थल को रिहायशी प्लाटों के विकास के लिए उपयोग किया गया है, और शेष प्लाट को गुजराती नव निर्माण समाज ने मन्दिर के निर्माण के लिये उपयोग कर लिया है।

(ग) तथा (घ) :—दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस संस्थान ने अभी तक औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया है।

गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए विश्व बैंक की सहायता

3836. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्तियों को हटाने के लिए वर्ष 1977, 1978 और 1979 के दौरान विश्व बैंक से कोई सहायता ली गई है;

(ख) क्या वर्ष 1980 में किसी नयी सहायता के लिये अनुरोध किया गया है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है,

(ग) इस अनुदान को प्रत्येक राज्य में किस प्रकार वितरित किया गया है,

(घ) क्या किसी राज्य ने इस अनुदान का उपयोग नहीं किया है और यदि हाँ, तो उनके नाम क्या हैं, और

(ङ) क्या किसी राज्य को इस अनुदान को गन्दी बस्तियों को हटाने के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने की अनुमति दी गई है;

ससदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) : जी, नहीं।

(ग), से (ङ) : प्रश्न ही नहीं उठता।

स्कूलों द्वारा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाना

3837. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों कालेजों, स्कूलों अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाये जा रहे अन्य शिक्षा संस्थानों में 26 जनवरी, 15 अगस्त, 30 जनवरी, 14 नवम्बर, जैसे राष्ट्रीय दिवस मनाये जाते हैं और क्या उन्हें मनाने के बारे में सभी सबंधित प्राधिकारियों को सरकारी अनुदेश जारी कर दिए गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करती है कि इन दिवसों को वस्तुत: मनाया जाता है : यदि हां, तो इसकी पुष्टि के लिए किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है।

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) और (ख) : 26 जनवरी, और 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय दिवस गृह-मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों की सरकारी/प्रशासनों को जारी की गई स्थायी हिदायतों के अनुसार सारे देश में बहुत अच्छी तरह मनाए जाते हैं। भारत के स्वतत्रता संग्राम में जिन लोगों ने अपना जीवन न्योछावर किया था उनकी याद में : 30 जनवरी के दिन को दो मिनट का मौन धारण करने के लिए भी गृह मंत्रालय ने हिदायतें जारी की हैं। इन हिदायतों को कार्यान्वित करना सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। जहाँ तक केन्द्रीय विद्यालयों का सम्बन्ध है, कार्यान्वियन की जाँच वास्तविक निरीक्षणों और विद्यालयों द्वारा रखे गये रिकार्डों के माध्यम से की जाती है।

तमिलनाडु में गेहूं के उत्पादों की कमी

3838. **श्री सी. चिन्नस्वामी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि तामिलनाडु में गेहूं के उत्पादों की भारी कमी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) : जी हां। गेहूं के उत्पादों की कुछ कमी के बारे में सूचना प्राप्त हुई है। तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु नागरिक पूर्ति निगम और सहकारी समितियां, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरतें पूरी करते हैं, से अनुरोध किया है कि वे गेहूँ के उत्पादों का

अधिक मात्रा में वितरण करें। इसके अलावा, क्योंकि गेहूं के उत्पादों के संचलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, व्यापारी अन्य राज्यों से तमिलनाडु में खपत करने हेतु किसी भी मात्रा का संचलन करने में स्वतंत्र हैं।

महिलाओं के लिए होस्टल

3839. **श्री रामअवध : क्या निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के बड़े शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल बनाने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) आवास राज्य विषय होने से नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए होस्टलों का निर्माण राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। आवास तथा नगर विकास के राज्य मंत्रियों ने कलकत्ता में दिसम्बर, 1976 में हुए अपने सम्मेलन में यह सिफारिश की थी कि होस्टल निर्माण का एक चरणबद्ध कार्यक्रम बनाने के लिए राज्य सरकारों को विभिन्न शहरों और कस्बों में नौकरी करने वाली महिलाओं की होस्टल की आवश्यकता का मूल्यांकन करना चाहिये। सम्मेलन की सिफारिश को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रचालित किया गया था।

सेवा निवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को आवास

3840. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री टी. एस. नेगी :

श्री ओस्कर फर्नान्डीज :

श्री बालासाहिबविखे पाटिल :

श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल :

डा. बसन्त कुमार पंडित :

श्री दयाराम शाक्य :

श्री रामविलास पासवान : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** सेवा निवृत होने वाले सरकारी कर्मचारियों के बच्चों को सरकारी आवास के बारे में 23 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न सख्या 1738 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में अन्तिम निर्णय इस बीच ले लिया गया है;

(ख) यदि हा, तो क्या; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा शीघ्रतापूर्वक इस मामले में अन्तिम निर्णय लिए जाने में क्या रुकावटें हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) यह मामला विचाराधीन है और इस पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिये जाने की आशा है।

लखीमपुर खेड़ी जिले में सम्पूर्णानगर में सहकारी चीनी मिल की स्थापना करना

3841. **श्रीमती उषा वर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखीमपुर खेड़ी जिले में सम्पूर्णानगर में एक सहकारी चीनी मिल की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई महीने पूर्व भेजा गया था राज्य सरकार ने इसकी सिफारिश की थी लेकिन इस चीनी मिल की स्थापना के लिए अब तक अनुमति नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां तो उसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो इस चीनी मिल की स्थापना के लिए एक लाइसेंस कब तक दिया जायेगा; और

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिफारिश की गई 1250 टन प्रतिदिन की पेराई क्षमता वाली सम्पूर्णानगर क्षेत्र में सहकारी क्षत्र में एक चीनी मिल की स्थापना के लिए लाइसेंस देने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (ग) : जी हां। लखीमपुर खेड़ी जिले में स्थित सम्पूर्णानगर में 1250 मीटरी टन प्रतिदिन की क्षमता की सहकारी चीनी मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभिस्थावित किया गया है। प्रस्तावित कारखाने को स्थापित करने की व्यवहार्यता के बारे में सरकार जाँच कर रही है। इस मिल को स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाए अथवा नहीं, यह बात गन्ने की उपलब्धता और अन्य संगत बातों के संदर्भ में परियोजना की व्यवहार्यता और सक्षमता सिद्ध होने पर निर्भर करेगी।

दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए आयु सीमा बढ़ाया जाना

3842. **श्री कल्पनाथ सोनकर :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय में महिला प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए आयु सीमा 30 वर्ष से बढ़ाकर 40 वर्ष कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो पुरुष प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए आयु सीमा न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. वी. चव्हाण) : (क) और (ख) : दिल्ली के स्कूलों में, शिक्षकों के विभिन्न पदों पर भर्ती करने से सम्बन्धित भर्ती नियमों के अन्तर्गत, निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में, सभी महिला उम्मीदवारों के संबंध में 10 वर्ष की सामान्य ढील दे दी गई है। यह ढील इस आधार पर दी गई है कि बहुत सी महिलायें अपने विवाहित जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में कार्य नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को उनकी छोटी आयु में अधिक समय देना पड़ता है और फिर उनके पतियों के स्थानान्तरण प्रायः होते रहते हैं। पुरुष शिक्षकों के मामले में ऐसा नहीं है।

जल में होने वाले रोग

3843. **श्री राजेश पायलट :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पर्यावरण इन्जीनीयरिंग अनुसंधान संस्थान द्वारा पेय-जल में अवशिष्ट क्लोरीन का अनुमान लगाने हेतु क्लोरिनीकरण मापने के लिए बनाया गया उपकरण देश में सभी 5,80,000 गांवों में उपलब्ध किया गया था;

(ख) यदि नहीं- तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे योजनायें तैयार करते समय उक्त उपकरण के लिए व्यवस्था रखें और क्या इस उपकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा निधि से "वृहद योजना" की क्रियान्वित के लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धित ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा पेयजल को साफ करने के लिए कितनी धनराशि व्यय की जा रही है और इस परीक्षण पर कितना व्यय किया गया है कि क्या पानी का उचित मात्रा में क्लोरिनीकरण हुआ है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) पानी में अवशिष्ट क्लोरीन का पता लगाने के लिए ऐसे ही अन्य उपकरण हैं। इसके अलावा, हैण्डपम्प लगे हुए बहुत से भूमिगत जल स्रोत है जो कि स्वच्छ हैं। अतः उनमें क्लोरीन नहीं मिलाया जाता। ऐसे मामलों में इस उपकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ग) तथा (घ) : निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित जलपूर्ति तथा शोधन (1976) मैनुअल के अध्याय "निस्संक्रामक" के अन्तर्गत क्लोरीन अवशिष्टों को पता लगाने तथा क्लोरीन के स्तरों की भी प्रक्रिया दी गई है। राज्य के लोक स्वास्थ्य इन्जीनीयरी विभाग तथा पालिकायें इसका अनुपालन कर रही हैं। वृहद योजना की क्रियान्विति के अन्तर्गत यूनीसैफ से इस उपकरण के लिए कोई सहायता नहीं माँगी गई है।

(ङ) केन्द्र के पास राज्यों द्वारा इस पर किए गए व्यय की कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह राज्यों द्वारा कार्यान्वित की गई स्कीमों के अनुरक्षण तथा प्रचालन के अधीन किए गए व्यय का भाग है।

राजभाषा के बारे में सरकार की नीति के उचित कार्यान्वयन के लिये वर्तमान प्रबन्ध

3844. **श्री बी. डी. सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजभाषा के बारे में केन्द्रीय सरकार की नीति के उचित कार्यान्वयन के लिए सिंचाई विभाग और इसके सम्बद्ध कार्यालयों में वर्तमान प्रबंध क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत विभिन्न कार्यालयों में "हिन्दी अधिकारी" के पद के भर्ती नियम अलग अलग हैं और सर्वप्रथम व्यक्तियों को अल्पकालिक आधार पर भर्ती किया जाता है और बाद में उचित चयन किये बिना ही वे वर्षों तक बने रहते हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि सी.डब्ल्यू.सी. का हिन्दी अनुवाद कार्य इस कार्य के लिए रखे गए अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षित नहीं किया जा रहा है और हिन्दी अनुभाग को दो स्थानों में विभाजित किया गया है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) और (ग) का उत्तर साकारात्मक है तो हिन्दी अधिकारियों की भर्ती के लिए इन पदों को दीर्घकालिक आधार पर भरने और कार्य के ठीक प्रकार से संचालन के लिए योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) संघ सरकार को राजभाषा नीति के क्रियान्वयन से सम्बन्धित कार्य को देखने के लिए, सिंचाई मंत्रालय (खास) और उसके एकमेव सम्बद्ध कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग, में एक एक हिन्दी एकक है।

(ख) चूंकि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी अधिकारियों के पदों के भर्ती नियम तैयार करने का मामला न्यायालय के विचाराधीन है और प्रस्तावित केन्द्रीय हिन्दी संवर्ग के बनने तक मत्रालयों/विभागों में, जिनमें सिंचाई मंत्रालय और उसका सम्बद्ध कार्यालय केन्द्रीय जल आयोग भी शामिल है, हिन्दी अधिकारियों के पदों को तदर्थ आधार पर भरा जा रहा है और इन पदों पर की गई नियुक्तियों को एक वर्ष के बाद संघ लोक सेवा आयोग के अनुमोदन से जारी रखा जाता है। मंत्रालय (खास) और केन्द्रीय जल आयोग के अलावा, दो अधीनस्थ कार्यालयों नामशः केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला, पुणे और गगा बेसिन जल संसाधन संगठन में भी हिन्दी अधिकारी का एक-एक पद है। इन दोनों उपर्युक्त अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी अधिकारियों के पदों के भर्ती नियम एक-समान हैं। गगा बेसिन जल संसाधन संगठन में भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दिये जाने तक हिन्दी अधिकारी के पद को तदर्थ आधार पर भरा गया था। केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसधानशाला, का पद अभी रिक्त है।

(ग) जी, नहीं। केन्दीय जल आयोग में. संघ सरकार को राजभाषा नीति के क्रियान्वयन का, जिसमें अनुवाद से सम्बन्धित कार्य भी शामिल है, कार्यभार कुल मिलाकर हिन्दी अधिकारी के अन्तर्गत है।

(घ) दोनों अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी अधिकारियों के पदों की भर्ती नियमों के अनुसार नियमित आधार पर भरा जाएगा, जिन्हें अब अन्तिम रूप दिया जा चुका है। मंत्रालय और केन्द्रीय जल आयोग में तदर्थ प्रबन्धों को, प्रस्तावित केन्द्रीय संवर्ग के बनने तक, राजभाषा विभाग के अनुदेशों के अनुसार, जारी रखा जाएगा।

गढ़वाल जिले में खुदाई

3845. **श्री टी.एस. नेगी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास द्वारा गढ़वाल जिले में किस तरह की खुदाई की गई है और इन योजनाओं की मुख्य उपलब्धियां क्या हैं; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ऐसे खुदाई कार्यों को क्या प्रोत्साहन दे रही है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा गढ़वाल जिले में कोई खुदाई नहीं की गई है। हाँ, जिला टेहरी के रानीहाट में खुदाई की गई थी जिसमें 6वीं-5वीं ईसा शताब्दी पूर्व से लेकर प्रारम्भिक मध्यकाल के अवशेष मिले हैं। इसके अतिरिक्त, इस विश्वविद्यालय ने मोरध्वज, जिला बिजनौर में भी खुदाई की है जहां कुषाण काल से सम्बन्धित एक मन्दिर के अवशेष मिले हैं।

(ख) ग्रामिण सर्वेक्षण योजना के अन्तर्गत गढ़वाल विश्वविद्यालय को खुदाई अ अन्वेषण के लिए अनुमोदित-प्रतिमानों के आधार पर अनुदान दिया गया है।

भारत में "केयर" का कार्यक्रम

3846. **श्री हनान मोल्लाह :**

श्री ए. के. बालन : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृ करेंगे कि :

(क) अमरीकी कारपोरेशन "केयर इक" ने भारत में किस वर्ष में कार्य शुरू किया था;

(ख) "केयर" ने सबसे पहले भारत के किस राज्य में कार्य शुरू किया;

(ग) क्या "केयर के कार्यक्रम के ढंग के बारे में "केयर" तथा राज्य सरकारों के बी किसी समय कोई करार हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. वी. चव्हाण) : (क) भारत सरकार के साथ किए गए एक करार के अन्तर्गत 'केयर' ने 1960 में भारत में कार्य करना शुरू किया था।

(ख) दिल्ली।

(ग) और (घ) राज्यों में केयर कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा अनुमोदित तथा राज्य सरकारों और केयर द्वारा स्वीकृत उपबन्धों की सूची द्वारा नियन्त्रित है। इन उपबन्धों में व्यवस्था की गई है कि केयर राज्यों को स्वीकृत मात्रा में खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराएगा तथा राज्यों ने वे खाद्य पदार्थ निर्धारित पद्धति से पात्र लाभ प्राप्तकर्ताओं को वितरित करना स्वीकार किया। एक उपबन्ध यह भी है कि केयर द्वारा सम्बन्धित राज्य में तथा भारत में अपने कार्यों के लिए किए गए कुछ खर्चों की अदाएगी की जायेगी।

संचार मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए मकान

3847. **श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सूदूर पहाड़ी क्षेत्रों में संचार विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों की आवास संबंधी कठिनाइयों को दूर करने के लिए उनके लिए मकानों का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : डाक-तार विभाग सहित इस समय संचार मंत्रालय में लगभग 5% विभागीय मकान उपलब्ध हैं। इस स्थिति को सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालाँकि, साधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। 1985 तक इस उपलब्धता को लगभग 10% तक बढ़ाने का अन्तरिम प्रस्ताव है। इन कुल लक्ष्यों के अन्तर्गत अन्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं को समनुरूप पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्रों को वरीयता दी जा रही है।

कीटनाशक दवाओं को लघु पैमाने पर फार्मूला बनाना

3848. **डा. ए. कलानिधि :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजीयन और संदेहों को दूर करने के मामले में केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड ने विगत 2 से 3 वर्षों में अधिकांश लघु पैमाने पर फार्मूला तैयार करने वालों के प्रति उदासीनता का रुख अपनाया है जिससे एकाधिकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि कीटनाशक तैयार करने वाले उद्योग का बड़ा भाग रुग्ण सूची के अन्तर्गत आता है; और

(ग) क्या सरकार का विचार पंजीयन हेतु लम्बित आवेदनों पर निर्णय लेने के लिये समय बद्ध कार्यक्रम निर्धारित करने का है और स्थानापन्न पंजीयनों को उन्ही शर्तों पर जारी करने का है जैसा कि पहले से ही जारी किए गए लाइसेंसों पर लागू की गई थी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निमाण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. बी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड, पंजीयन सम्बन्धी कोई कार्य नहीं करता है। यह कार्य पृथक रूप से गठित सांविधिक पंजीयन समिति के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरकार ने विभिन्न प्रकार के पुराने लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये समीक्षा करनी शुरू कर दी है।

उत्तर प्रदेश में गुड़ उत्पादकों को गन्ने की बिक्री के लिए करार

3849. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा गुड़ उत्पादकों को 20 रुपये से 24 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ना वेचन के लिए करार किया गया है; और

(ख) क्या सरकार द्वारा गन्ने का उचित बाजार भाव निर्धारित न करने के कारण सभी चीनी मिलें बन्द नहीं हो जायेंगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) सरकार ने वर्तमान वर्ष के दौरान फैक्ट्रियों द्वारा देय गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य गत वर्ष के 12.50 रुपये की तुलना में 13.00 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। फैक्ट्रियों को गन्ने का अधिक मूल्य देने की क्षमता को देखते हुए, प्रधान मंत्री ने राज्य सरकारों को भी ये परामर्श दिया है कि वे गन्ने का न्यूनतम मूल्य 16.00 रुपये प्रति क्विंटल दिलवाना सुनिश्चि करें। तदनुसार, उत्तर प्रदेश सरकार की सलाह पर उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रियाँ गन्ना उत्पादकों को वास्तव में 20/-रुपये प्रति क्विंटल के आस-पास गन्ने का मूल्य दे रही है जो कि लाभकारी मूल्य समझा जाता है और वह चीनी मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ने की पूर्ति करने हेतु किसानों के लिए प्रोत्साहन के रुप में कार्य करेगा।

दिल्ली विकास प्राविकरण द्वारा लाटरी डाल कर प्लाटों का आबंटन

3850. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुछ ही समय पूर्व दिल्ली में मध्य आय वर्ग को लाटरी के माध्यम से 84 वर्ग मीटर के प्लाट आबंटित किये हैं;

(ख) ऐसे कितने प्लाट आवंटित किये गये हैं, और किन क्षेत्रों में आबंटित किए गये हैं;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस बीच अलाटियों से प्लाटों का पूरा मूल्य वसूल कर लिया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि उन क्षेत्रों में, जहाँ ये प्लाट आबंटित किये गये हैं;

(ङ) यदि हाँ, तो विकास कार्य पूरा होने से पहले प्लाटों का आवंटन किये जाने का क्या कारण है;

ससदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ। किन्तु ये प्लाट निम्न आय वर्ग के लोगों को आवंटित किए गए हैं और न कि मध्यम आय वर्ग के लोगों को।

(ख) ऐसे 402 प्लाटों का आवंटन 16.9.80 को लाटरी निकाल कर किया गया था और पीतमपुरा रिहाशी योजना में 27.10.80 को 371 प्लाटों का आवंटन किया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तथा (ङ) भूमि का विकास एक निरन्तर प्रक्रिया है और यह पहले से ही चालू है।

दूरसंचार उपकरणों का आयात

3851. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश से दूरसंचार उपकरणों का आयात करने के लिए सरकार द्वारा किसी करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) और (ख) सरकार द्वारा इस प्रकार के किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गये हैं। तथापि समय-समय पर दूरसंचार उपस्कर जैसे टेलीफोन एक्सचेंज, टेलेक्स एक्सचेंज परीक्षण उपस्कर आदि के लिए क्रय आदेश विभिन्न विदेशी फर्मों को इनकी खरीद हेतु दिये जाते हैं।

महाराष्ट्र की और अधिक इन्जीनियरिंग तथा मेडिकल संस्थाओं को खोले जाने की मांग

3852. **श्री आर. एस. माने** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने और अधिक इन्जीनियरिंग मेडिकल और पौलीटेक्निक कालेजों/संस्थाओं के खोले जाने की माँग की;

(ख) क्या सरकार उपरोक्त संस्थाओं और कालेजों की संख्या में वृद्धि करने सम्बन्धी इस राज्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई कार्यवाही कर रही है; और

(ग) यदि हाँ, तो कब तक ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने, महाराष्ट्र में विभिन्न केन्द्रों पर और अधिक इन्जीनियरी कालेज तथा पालिटेक्निक स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) और (ग) प्रस्ताव विचाराधीन हैं। अंतिम निर्णय लेने में कुछ समय लग सकता है क्योंकि प्रस्ताव की जाँच विभिन्न स्तरों पर होती है।

बिहार में राष्ट्रीय कृषि फार्म की स्थापना

3853. **श्री डी. एल. बैठा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार का विचार बिहार में एक बड़ा राष्ट्रीय कृषि फार्म स्थापित करने का है जिसके लिए कुछ वर्ष पहले बिहार राज्य सरकार से काफी बड़ा क्षेत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था ?

(ख) क्या यह भी सच है कि पुर्णिया जिले में जलालगढ़ और फौरवसगंज के बीच पचास हजार एकड़ से भी अधिक भूमि बेकार पड़ी हुई है जिसका उपयोग प्रस्तावित राष्ट्रीय कृषि फार्म के लिए किया जा सकता है, और

(ग) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उक्त प्रस्ताव पर नये सिरे से विचार करने और वहाँ फार्म की स्थापना करने का है, और यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) (क) जी नहीं। केन्द्रीय सरकार का इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) सरकार महसूस करती है कि नये फार्म खोलने से पहले भारतीय राज्य फार्म निगम के मौजूदा फार्मों को ठोस आधार प्रदान करना उचित होगा।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के गैर-अध्यापक कर्मचारियों के लिए चयन ग्रेड

3854. **श्री जय नारायण रौत :** क्या शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को अपने कुछ गैर-अध्यापक कर्मचारियों से ऐसे वर्गों में चयन ग्रेड लागू किये जाने के बारे में अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें यह ग्रेड इस समय लागू नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बहुत से वर्गों में पदोन्नति माध्यम तथा चयन ग्रेड योजनायें लागू हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, प्रवरण ग्रेड लागू करने के लिए केवल एक सुरक्षा अधिकारी का अभ्यावेदन विश्वविद्यालय के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) श्रेणी IV पदों और तकनीकी पदों के अन्य 31 वर्गों के लिए प्रवरण ग्रेड की व्यवस्था है जिनके लिए आम तौर पर पदोन्नति के कोई अवसर नहीं है। अन्य पदों के मामले में अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने की शर्त पर पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं, उदाहरण के तौर पर योग्यता/अनुभव आदि।

पुराने टेलीफोन एक्सचेंज उपकरणों का बदला जाना

3855. **श्री ईरा अनबारासु :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान पुराने टेलीफोन एक्सचेंज उपकरणों को बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या मद्रास के निकट पूनामली टेलीफोन एक्सचेंज में "फ्रिज" एक्सचेंज उपकरण बदलने की कोई विशिष्ट योजना है;

(ग) क्या यह सच है कि 'फ्रिज" उपकरण जो अम्बाट्टूर में वर्ष 1967 में विघटित कर दिया गया था, पूनामली में लगा दिया गया है; और

(घ) क्या सरकार पूनामली में क्रासबार एक्सचेंज प्रणाली आरम्भ करने पर विचार करेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) पूनामली एक्सचेंज में नया उपस्कर 1963-64 में संस्थापित किया गया था और उसको बदलना अभी मुनासिब नहीं है। फिर भी, रेड हिल्स और एन्नौर एक्सचेंजों के उस नये उपस्कर का प्रयोग करते हुए जिले 1963-64 तथा उसके बाद लगाया गया था, इस एक्सचेंज को मौजूदा किराये के भवन से नये विभागीय भवन में स्थानान्तरित कर देने का प्रस्ताव है।

(घ) जी नहीं।

गन्ने की बकाया राशि

3856. श्री आर. पी. गायकवाड :

श्री दौलत राम सारणी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्ने की अदायगी की बहुत अधिक राशियाँ चीनी मिलों पर बकाया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकारी एवं सहकारी क्षेत्र की प्रत्येक मिल की ओर कितनी राशि बकाया है और ये राशियाँ कब से बकाया हैं; और

(ग) समय पर अदायगी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जैसा कि चीनी फैक्ट्रियों ने अपनी सांविधिक विवरणियों में बताया है, उनके पास 31 अक्तूबर, 1980 तक गन्ने के मूल्य की कुल बकाया राशि 13.54 करोड़ रुपये बाकी है जबकि पिछले वर्ष उसी तारीख को 24.79 करोड़ रुपये की राशि बाकी थी।

(ख) सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र की प्रत्येक चीनी फैक्ट्री के पास गन्ने के मूल्य के बकायों की राशि और इन बकायों का मौसम-वार ब्यौरा देने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) गन्ने के बकायों की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और राज्य सरकारों से बकायों का शीघ्र भुगतान करवाने के लिए कहा जाता है। उन मामलों, जहाँ पिछले मौसम के लिए देय कुल मूल्य के 10 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से बकाया राशि अधिक हो जाती है, में चीनी उपक्रम (प्रबन्ध ग्रहण) अधिनियम, 1978 के अधीन भी आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

विवरण

सरकारी और सहकारी क्षेत्रों की फैक्ट्रियों के नाम और 31-10-1980 को उनके पास पड़ी गन्ने के मूल्य की बकाया राशि (चीनी फैक्ट्रियों द्वारा दी गई सूचनानुसार)

फैक्ट्री	31-10-80 को लाख रुपयों में गन्ने के मूल्य की बकाया राशि				
	79-80 मौसम	78-79 मौसम	77-78 और पहले के मौसम	जोड़	कैफियत
(क) सरकारी क्षेत्र					
उत्तर प्रदेश					
1. मोहीउद्दीनपुर	0.58	0.20	5.84	6.62	
2. सखोटी टाँडा	—	6.92	—	6.92	22.10.80 को

1	2	3	4	5	6	7
3.	बिजनौर	—	3.97	4.61	8.58	
4.	अमरोहा	—	1.20	18.18	19.38	
5.	राजा बुलन्द	—	6.63	60.28	66.91	
6.	जारवाल रोड	—	0.24	13.26	13.50	
7.	डियामंड	—	2.69	0.41	3.10	
8.	खड्डा	—	—	0.20	0.29	
9.	रामकोला (एम के)	—	—	2.11	2.11	
10.	नदगंज	0.21	0.02	—	0.23	22-10-80 को
11.	दारापुर	0.07	0.07	—	0.14	
	बिहार					
12.	सीतलपुर	0.11	0.12	13 88	14.11	
13.	रयाम	1.05	0.09	3.13	1.27	
14.	लोहाट	0.29	0.10	25.21	25.60	
15.	साकरी	0.01	—	12.27	12.28	
16.	समस्तीपुर	0.11	0.24	0.21	0.56	
17.	बनमंखी	0.71	0.18	0.36	1.25	
18.	बिहटा	0.02	—	28.44	28.46	
19.	वरसाली गंज	0.06	0.14	0.18	0.38	
20.	गुरारू	—	0.09	0.11	0.20	
	पंश्चिमी बंगाल					
21.	अहमदपुर	0.02	0.64	1.53	2.19	
	राजस्थान					
22.	श्री गंगा नगर	0.02	0.01	0.02	0.05	
	कर्नाटक					
23.	मंडिया	66.58	0.19	4.65	71.42	
24.	गंगावती	1.46	0.88	—	2.34	
	आंध्र प्रदेश					
25.	शंकर नगर	—	—	0.28	0.28	
	तमिलनाडु					
26.	पेरामबलूर	0.01	—	—	0.01	

1	2	3	4	5	6	7
	(ख) सहकारी क्षेत्र					
	उत्तर प्रदेश					
1.	अनूप शहर	0.06	0.25	—	0 31	
2.	हरदुआ गज	0.90	0.95	0.32	2.17	
3.	रमोला	0.56	—	—	0.56	
4.	ननोटा	0.05	—	—	0.05	
5.	विसालपुर	0.08	—	—	0 08	
6.	कायम गंज	0.52	3.16	2.23	5.91	
7.	नदेशी	0.42	0.39	—	0.81	
8.	वदायूँ	—	3.60	—	3.60	
9.	काशी	4.63	1.91	0.36	6.90	
10.	रसरा	0.04	—	—	0.04	22-10-80 को
11.	आजमगढ़	0.17	3.42	0.55	4.14	
	असम					
12.	वारावमन गांव	0.11	0.07	0.55	0.73	
	पंजाब					
13.	मोरिंडा	0.10	0.05	0.02	0.17	
14.	मोगपुर	0.17	0.06	0.23	0.46	
	हरियाणा					
15.	रोहतक	0.01	0.92	—	0.93	
16.	पानीपत	0.09	2.89	1.77	4.75	
17.	करनाल	0.02	0.16	0.10	0.28	
18.	सोनीपत	0.48	0.42	—	0.90	
	राजस्थान					
19.	किशोरापाटन	—	0.03	0.38	0.41	22-10-80 को
	मध्य प्रदेश					
20.	मोरैना	0.02	—	—	0.02	
	उड़ीसा					
21.	असका	0.03	—	0.07	0.10	
22.	बरागढ़	0.87	—	0.02	0.89	
	महाराष्ट्र					
23.	निफाद	—	0.44	0.75	1.19	

1 2	3	4	5	6	7
24. गनेश नगर	—	0.30	14.47	14.86	
25. श्रीगौंडा	—	0.24	0.26	0.50	
26. नीरा	0.52	0.57	2.20	3.29	
27. कोपर गाँव	5.46	—	—	5.46	
28. साँगली	2.91	—	—	2.91	
29. इचालकरंजी	15.28	0.46	2.36	18.10	
30. भोगवती	10.61	0.20	0.15	10.96	22-10-80 को
31. संगमनेर	2.70	—	—	2.70	22-10-80 को
32. कलमवार	0.40	0.17	1.22	1.79	22-10-80 को
33. थूर	—	—	0.34	0.34	
34. पजारखां	2.43	—	—	2.43	
35. भूज	0.36	2.90	0.88	4.14	
36. विश्वास	—	0.18	0.83	1.01	
37. जीजामाता	0.74	6.23	—	6.97	
38. वसन्त	0.40	0.42	—	0.82	
39. किल्लारी	2.90	—	0.01	2.91	
40. सिल्लोद	1.47	1.77	0.58	3.22	
41. ईगिरकाडा	—	0.20	0.10	0.30	
42. दौलत	0.64	0.76	0.41	1.81	
43. फैजपुर	—	0.05	0.28	0.33	
44. कदवा	—	0.15	—	0.15	
45. भद्र काली	1.21	—	—	1.21	
46. सोनाई	3.34	—	—	3.34	
47. काडा	0.50	—	—	0.50	
48. परसोदा	0.27	—	—	0.27	22-10-80 को
गुजरात					
49. ऊना	0.73	0.09	0.14	0.96	
50. चलथान	—	29.40	—	29.40	30-9-80 को
51, दोरांजी	—	—	22.12	22.12	अधिसूचित गन्ने के मूल्य के बारे में शून्य सूचना दी गई।
52. मरोली	10.21	—	—	10.21	
53. तलाला	3.26	—	—	3.26	15-10-80 को
54. वलसाद	47.65	5.56	—	48.21	22-10-80 को

1	2	3	4	5	6	7
	कर्नाटक					
55.	सँकेश्वर	7.47	—	—	7.47	
56.	कम्पली	9.89	0.59	6.67	17.15	
57.	पाँडवपुरा	11.78	—	0.32	12.10	
58.	विदार	0.08	0.02	0.12	0.22	
59.	मालाप्रभा	—	6.80	—	6.80	
60.	वाणिविलासा	0.04	0.12	0.01	0.17	
61.	कालेगल	0.10	0.19	0.10	0.39	
62.	रायबाग	—	0.43	—	0.43	
63.	मद्रा	0.16	0.02	—	0.18	
	केरल					
64.	मन्नाम	—	21.42	19.99	41.41	
	आन्ध्र प्रदेश					
65.	अनकापल्ली	0.01	0.03	0.13	0.17	
66.	टुनी	0.54	—	—	0.54	
67.	भीमडोली	—	—	6.75	6.75	
68.	कुडडप्पा	—	—	1.28	1.28	
	तमिलनाडु					
69.	अम्बूर	—	—	0.22	0.22	
70.	सालेम	0.41	0.01	0.14	0.56	
71.	तिरुपत्तूर	0.05	—	—	0.05 22-10-80 को	

नोट :—इनमें उन फैक्ट्रियों के नाम शामिल नहीं हैं जिन्होंने कोई बकाया राशि नहीं बताई है ।

'सिंगल एजेंसी फार रूरल ग्रोथ' शीर्षक समाचार

3857. **श्री एस. के. सिंह** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'इंडियन एक्सप्रेस', दिनांक 12 नवम्बर, 1980 में 'सिंगल एजेन्सी सेट अप फार रूरल ग्रोथ' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी एजेंसियों की स्थापना करने के क्या कारण हैं;

(ग) नई बनाई गई एजेंसियाँ ग्रामीण स्थितियों को किस सीमा तक सुधार सकेंगी; और

(घ) सरकार ने देश में उन सड़कों आदि के समुचित रखरखाव के लिए कितनी धनराशि

निर्धारित की है जो वर्षा काल में टूट गई थी जिसके कारण गांव मुख्य मंडी केन्द्रों से अलग हो गये थे ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हाँ ।

(ख) जब लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जैसे ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रमों को शुरू किया गया था, उस समय सरकार ने इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत जिला-स्तरीय एजेंसियाँ स्थापित की थी । समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम जिसमें लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम को मिला दिया गया है को शुरू करते समय उन सभी जिलों जिनमें ऐसी एजेंसियाँ मौजूद नहीं थी, में वर्तमान लघु कृषक विकास एजेंसी प्रतिमान पर जिला स्तरीय ग्रामीण विकास एजेंसियाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया था । जहाँ लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम मशीनरी उपलब्ध है वहाँ समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम को उसी मशीनरी द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा । अन्य जिलों में समन्वित ग्राम विकास कायक्रम के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए लघु कृषक विकास एजेंसी के अनुरूप एजेंसियाँ स्थापित की जा रही हैं । इन एजेंसियों के अध्यक्ष जिला समाहर्ता/उपायुक्त होते हैं इन एजेंसियों में एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जिसे आमतौर पर परियोजना निदेशक कहते हैं और उनमें पर्याप्त तकनीकी तथा प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग भी होता है । समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की लागत जिसमें इन जिला स्तरीय एजेंसियों की लागत भी शामिल है, का केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर-बराबर आधार पर वहन किया जाता है । चूंकि समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम जैसे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में पूरा ध्यान निर्धनता को कम करने पर केन्द्रित किया गया है इसलिये गरीब ग्रामीणों के निमित्त सभी कार्यक्रमों के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु प्रभावकारी समन्वय तथा प्रशासनिक नियन्त्रण सुलभ करने के लिये जिला स्तर पर एक अकेली ग्रामीण विकास एजेंसी का सृजन करना अनिवार्य समझा गया है ।

(ग) स्थानीय संस्थाओं, बैंकों आदि के सहयोग से यह आशा की जाती है कि ये एजेंसियाँ ग्रामीण स्थितियों को सुधारने में कारगर होंगी ।

(घ) इस मंत्रालय द्वारा इस प्रयोजन हेतु कोई निधियाँ निर्धारित नहीं की गई हैं ।

रोजगारोन्मुक शिक्षा सम्बन्धी समिति

3858. **श्री सुभाष यादव** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के उपाय सुझाने के लिए शिक्षा क्षेत्र से सम्बन्धित व्यक्तियों को एक समिति नियुक्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस बारे में कोई निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. वी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

शीतल पेय पदार्थों के निर्माताओं द्वारा चीनी के कोटे का दुरुपयोग

3859. श्री पीयूष तिरकी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैम्पा कोला तथा थम्सअप जैसे शीतल लोकप्रिय पेय पदार्थों के निर्माताओं को चीनी का कोटा शीघ्र मिलता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को शिकायतें मिली हैं कि इन कम्पनियों द्वारा चीनी काले बाजार में बेची जाती है;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए इन कम्पनियों पर सरकार का क्या नियंत्रण है कि चीनी का वास्तविक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाये;

(ङ) सरकार इन कम्पनियों को इनके उत्पादों के मूल्य बढ़ाने की अनुमति किस आधार पर देती है; और

(च) क्या सरकार का विचार इस प्रकार बढ़ाई गई कीमतों का पुनरीक्षण करने तथा उन्हें पूर्व स्तर पर लाने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) कैम्पा कोला आदि के निर्माता एवं ड्रिंक्स कं० और-थम्स-अप के निर्माता पारले बेवरेजेज आदि के 'बाटलर्न' को पहली सितम्बर से 15 नवम्बर, 1980 की अवधि, जब स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना लागू थी, के दौरान 841 मीटरी टन और 918 मीटरी टन मुक्त बिक्री की चीनी आवंटित की गई थी। पिछले 3 वर्षों के दौरान, कोई अन्य चीनी आवंटित नहीं की गई थी।

(ग) ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(घ) और (ङ) जहाँ तक पहली सितम्बर से 15 नवम्बर, 1980 के दौरान 'बल्क' उपभोक्ताओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे आवंटित की गई मुक्त बिक्री की चीनी की मात्रा का सम्बन्ध है, सम्बन्धित राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों को यह परामर्श देते हुए सूचना भेज दी गई थी कि वे इन निर्माताओं के तैयार उत्पादों पर निगरानी रखें।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि स्वैच्छिक मूल्य विनियमन योजना, जिसके अधीन राज्य सरकारों/'बल्क' उपभोक्ताओं को मुक्त बिक्री की चीनी आवंटित की गई थी, 1-9-1980 से 15-11-1980 तक केवल 2½ महीने के लिए लागू थी और 15-11-1980 को उक्त योजना की समाप्ति के बाद, ऐसे कोई आवंटन नहीं किये जा रहे हैं। क्योंकि उक्त योजना के अधीन यहाँ तक कि मुक्त बिक्री की चीनी भी निर्धारित मूल्यों पर नियन्त्रित माध्यमों से वितरित करने के लिए सरकार द्वारा अधिग्रहण की जाती थी इसलिए उक्त अवधि के दौरान व्यक्तिगत तथा 'बल्क' उपभोक्ताओं की चीनी की आवश्यकताएं पूरी करना आवश्यक था। संबंधित राज्य सरकारें अपने मुक्त बिक्री की चीनी के कोटे से व्यक्तिगत उपभोक्ताओं तथा होटल, हलवाई, कैन्टीन, आदि और लघु क्षेत्र के सभी 'बल्क' उपभोक्ताओं की चीनी की आवश्यकताओं को पूरा करती थी जबकि कुछ चुनींदा उद्योगों जिनके उत्पाद एक राज्य से अधिक राज्यों की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, मे डी. जी. टी. डी. के यहाँ पंजीकृत बड़े/मध्यम पैमाने के बल्क उपभोक्ताओं की आवश्यकता को केन्द्रीय सरकार मुक्त बिक्री की चीनी का सीधे आवंटन कर पूरा करती थी।

गीता पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

3860. **श्री राजेश कुमार सिंह :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोधपुर में अन्तर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में विवरण क्या है; और

(ग) इस कार्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय और अन्य सहायता का विवरण क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जोधपुर विश्वविद्यालय से यह पता लगा है कि जोधपुर में किसी गैर-सरकारी एजेन्सी द्वारा एक अन्तर्राष्ट्रीय गीता सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तथापि, इस सम्बन्ध में और ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए मकान

3861. **श्री अनादि चरण दास :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए मकानों के निर्माण के लिए धन आबटित करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उड़ीसा में कितने मकानों का निर्माण किये जाने का विचार है; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ग के अन्त तक कटक जिले के कितने आदिवासियों तथा हरिजनों को मकानों का आवंटन किया जायेगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) उड़ीसा में क्रियान्वित की जा रही आवास योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं और उनके लिए केन्द्रीय सरकार की सहायता 'समेकित अनुदानों' और 'समेकित' ऋणों' के रूप में होती है जो किसी योजना विशेष से सम्बद्ध नहीं होती ।

उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि 1980-81 के दौरान उड़ीसा राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित गृह स्थान विहीन लोगों के लिए एक हजार मकान बनाने के लिए 15 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है ।

(ग) उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कटक जिले में गृहस्थान विहीनों जिनमें अधिकांशतः आदिवासी और हरिजन हैं, को वितरणार्थ 75 मकान बनाये जाने का प्रस्ताव है ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को भूमि पट्टे पर देने सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांत

3862. **श्री अनादि चरण दास** क्या : **ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के पास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को, जो पाँच वर्ष की अधिक अवधि से भूमि पर कब्जा किये हुए हैं; भूमि पट्टे पर देने के लिए राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धांत भेजने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या किसी राज्य ने अपने स्वय के प्रयासों से ऐसे प्रस्ताव को कार्यान्वित किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) भारत सरकार के पास इस मामले में कोई मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करने का प्रस्ताव नहीं है । सरकारी भूमि को पट्टे पर देना तथा अनधिकृत हस्क्षेप करने वालों के साथ अनापत्तिपूर्ण अतिक्रमणों का निपटान करना पूर्णरूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है और वे इन मामलों का निपटान अपने नियमों और कानूनों के अनुसार करते हैं । भारत सरकार के पास उपलब्ध सूचना से यह प्रतीत होता है कि यद्यपि राज्य सरकारें भूमि-हीनों को भूमि देने में उदार नीति का अनुसरण करती हैं फिर भी उनकी योजनाओं के ब्यौरे स्थानीय हालातों को देखते हुए काफी भिन्न हैं । अनापत्तिपूर्ण अतिक्रमणों को तय करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख भी सभी राज्यों में एक जैसी नहीं है ।

इण्डियन स्कूल आफ माइन्स में शिकायतों सम्बन्धी समिति

3863. **श्री ए. के. राय** : क्या **शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धनबाद स्थित इण्डियन स्कूल आफ माइन्स के शिकायतों सम्बन्धी कोई समिति कार्य कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं और गत एक वर्ष के दौरान किस-किस तारीख को उसकी बैठकें हुई;

(ग) क्या ऐसा कोई नियम है कि इस समिति की दो महीने में कम से कम एक बैठक अवश्य होनी चाहिए;

(घ) यदि हाँ, तो क्या उक्त नियम का पालन किया गया और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या शिकायतों संबधी समिति की विगत बैठक में किये गये निर्णयों को क्रियान्वित किया गया; आदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) क्या इस समिति के कार्यकरण के बारे में इसकेचे यरमैन तथा सचिव के बीच कोई विवाद है; यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस०वी० चव्हाण) : (क) जी, हाँ ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) नियमानुसार समिति की बैठक सामान्यत: दो महीने में एक बार होगी ।

(घ) संलग्न विवरण में उल्लिखित अन्तिम बैठकों के बाद शिकायत समितियों की कोई बैठक नहीं हुई है । संस्थान के अनुसार कोई नई शिकायत विचार के लिए प्राप्त नहीं हुई है ।

(ङ) जी, हाँ। निर्णयों पर कार्यवाई की जा चुकी है/शुरू कर दी गई है।

(च) जी, नहीं।

विवरण

(क) अध्यापकों के लिये शिकायत समिति के सदस्यों के नाम (23-8-1979 को गठित) :

प्रो. एस. श्रीनिवासन	अध्यक्ष	
प्रो. आर. के. वर्मा	सदस्य	
प्रो. टी. सी. राव	सदस्य	
प्रो. ए. के. घोष	सदस्य	अध्यापक समुदाय द्वारा निर्वाचित
डा. बी. पी. पाँडेय	सदस्य	
मेजर एस. पी. वर्मा (रजिस्ट्रार)	सदस्य	
मेजर डी. एन. भट्टाचार्जी (उप रजिस्ट्रार)	सचिव	

(ख) गेर-अध्यापन स्टाफ के लिए शिकायत समिति के सदस्यों के नाम (23-5-1979 को गठित) :

प्रो. डी. के. सिन्हा	अध्यक्ष	
मेजर एस. पी. वर्मा (रजिस्ट्रार)	सदस्य	
मेजर डी. एन. भट्टाचार्जी (उप रजिस्ट्रार/सामान्य	सदस्य	
श्री एच. एन. सिन्हा (उप रजिस्ट्रार/लेखा	सदस्य	
श्री बी. डी. सिंह	सदस्य	संबंधित वर्गों अर्थात् लिपिकीय समर्थक, तकनीकी और अधीनस्थ स्टाफ द्वारा निर्वाचित।
श्री पी. एस. मुखर्जी	सदस्य	
श्री बी. एन. पाठक	सदस्य	
श्री एस. के. मण्डल (सहायक रजिस्ट्रार)	सचिव	

पिछले एक वर्ष में समितियों के बैठकों की तारीखें

	अध्यापकों के लिए शिकायत समिति	गैर-अध्यापन स्टाफ के लिये शिकायत समिति
पहली बैठक	23-8-1979	8-8-1979
दूसरी बैठक	18-10-1979	12-9-1979
तीसरी बैठक	15-11-1979	15-2-1980
चौथी बैठक	29-11-1979	15-2-1980

इण्डियन स्कूल आफ साइन्स के कार्यकरी बोर्ड की बैठकें

3864. **श्री ए. के. राय** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन स्कूल आफ माइन्स (धनवाद) के कार्यकारी बोर्ड की बैठकें पिछले तीन सालों में किस-किस तारीख को हुई;

(ख) क्या कार्यकारी बोर्ड की पिछली बैठक के सभी महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वित कर दिए गए है; यदि हाँ, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों से कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि कार्यकारी बोर्ड की नियमानुसार तीन मास की अवधि में बैठक नहीं होती और पिछली बैठक के निर्णयों को कार्यान्वित नहीं किया गया; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) 22-3-1977, 8-7-1977, 23-9-1977, 12-1-1978, 15-4-1978, 13-7-1978, 6-3-1979, 10-8-1979, 23-11-1979, 21-3-1980 और 16-9-1980 ।

(ख) सभी निर्णयों पर कार्रवाई की गई/प्रारम्भ की गई है और सदा की भांति स्थिति की रिपोर्ट कार्यकारी बोर्ड की अगली बैठक में दे दी जायेगी ।

(ग) प्रत्येक तीसरे महीने कार्यकारी बोर्ड की बैठक न होने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ! तथापि, पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों कार्यान्वित न किए जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा ये निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि जहाँ तक हो सके प्रत्येक तीसरे महीने में बैठक आयोजित की जानी चाहिए ।

इण्डियन स्कूल आफ माइन्स की महापरिषद की बैठकें

3865. **श्री ए. के. राय** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन स्कूल आफ माइन्स (धनवाद) की महापरिषद की गत तीन वर्षों के दौरान कब-कब बैठकें हुई;

(ख) क्या यह सच है कि नियमों के अनुसार इण्डियन स्कूल माइन्स की महापरिषद की बैठक एक वर्ष में कम से कम एक बार होनी चाहिए; और

(ग) क्या इस नियम का उल्लंघन किया जा रहा है यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) 5-11-1977

6-9-1978, 25-8-1979, (अगली बैठक 31-12-1980 को होगी)

(ख) जी, हाँ ।

(ग) जी, नहीं ।

इण्डियन स्कूल आफ माइंस के कार्यकारी बोर्ड में नियुक्त अध्यापकों के प्रतिनिधियों की ओर से प्रत्युत्तर

3866. **श्री समर मुखर्जी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इंडियन स्कूल आफ माइन्स धनबाद के कार्यकारी बोर्ड में नियुक्त अध्यापकों के प्रतिनिधियों की ओर से दिनाँक 28 अक्तूबर, 1980 का प्रत्युत्तर मिला है;

(ख) यदि हां तो उक्त प्रत्युत्तर की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उक्त प्रत्युत्तर में उठाये गये मुद्दों पर सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रत्युत्तर का सारांश यह है कि तथ्यों का पता लगाने वाली समिति ने, जिसने स्कूल के निदेशक के विरुद्ध आरोपों की जाँच की थी, अपना कार्य उपयुक्त ढंग से नहीं किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि सरकार प्रत्युत्तर में उठाये गये मुद्दों से सहमत नहीं है।

अण्डमान प्रशासन के शिक्षा विभाग द्वारा खरीद

3867. **श्री समर मुखर्जी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान प्रशासन के शिक्षा विभाग ने वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान फर्नीचर तथा वैज्ञानिक उपकरणों की केन्द्रीयकृत खरीद का तरीका अपनाया और लाखों रुपये कम दिये;

(ख) क्या उचित सप्लाई की गई और फर्म को भुगतान किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, हाँ।

(ख) अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अच्छी हालत में वस्तुयें प्राप्त होने के बाद फर्म को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भुगतान किए गए थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निशुल्क पुस्तकें दिए जाने के लिए राज्यों को केन्द्रीय अनुदान

3868. **श्री के. प्रधानी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जिनमें गत तीन वर्षों के दौरान निर्धन विद्यार्थियों को पुस्तकें निशुल्क दिए जाने के लिए केन्द्र सरकार ने अनुदान दिए हैं;

(ख) इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने क्या प्रक्रिया अपनाई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को इस प्रकार का कितना अनुदान दिया गया ?

शिक्षा तथा समाज कयाण मंत्री (श्री एस. वी. चव्हाण) : (क) गरीब छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें मुहैया करने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उड़ीसा में समेकित बाल कल्याण कार्यक्रम

3869. **श्री के. प्रधानी** : क्या शिक्षा और सामाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 और वर्ष 1979-80 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित समेकित बाल कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए उड़ीसा को आवंटित की गई धनराशि कितनी है;

(ख) उड़ीसा राज्य में इस अवधि के दौरान इस कार्यक्रम में कुल कितने लाभ प्राप्त करने वाले बच्चों को शामिल किया गया है; और

(ग) जिला कोरापुट के कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) उड़ीसा राज्य सरकार को वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम को चलाने के लिए दिए गए अनुदान निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	दी गई धनराशि
1978-79	12,81,340.00 रुपए
1979-80	21,89,700.00 रुपए

(ख) समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत 0-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों और माताओं को समेकित रूप में सेवायें प्रदान की जाती हैं । उड़ीसा में समेकित बाल विकास परियोजना में वर्ष 1978-79 और वर्ष 1979-80 के दौरान प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार पूरक पोषाहार और स्कूल-पूर्व शिक्षा पाने वाले बच्चों की संख्या नीचे दर्शाई गई है :—

वर्ष	सेवाएं		
	पूरक पोषाहार बच्चे 0-6 वर्ष	गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताएं	बच्चों (3-6 वर्ष) के स्कूल पूर्व शिक्षा
1978-79	6,301	961	1,583
1979-80	21,370	3,461	10,125

(ग) जिला कोरापुट में 1978-79 में मंजूर की गई बाल विकास सेवा परियोजना, कोट्टन्गी मार्च, 1980 में चलने लगी तथा वहाँ 0-6 वर्ष के आयु वर्ग में 5,260 बच्चों को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है और 3-6 वर्ष आयु वर्ग में 1,400 बच्चों को स्कूल-पूर्व शिक्षा दी जाती है ।

समेकित ग्रामीण विकास योजना

3871. **श्री के. प्रधानी** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा चलाई गई समेकित ग्रामीण विकास योजना का विस्तार उड़ीसा के सभी 314 खंडों में कर दिया गया है;

(ख) उनका मंत्रालय उड़ीसा राज्य को इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 1980-81 के लिए कितनी राशि देना चाहता है;

(ग) सरकार ने छोटे तथा सीमान्त किसानों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों तथा कोरापुट जिले के ओरली गाँव को कितनी राजकीय सहायता देने का निर्णय किया है; और

(घ) उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी, हाँ।

(ख) समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 के दौरान उड़ीसा के लिए आवंटित धनराशि में केन्द्रीय सरकार का अंश 785.00 लाख रुपये हैं। उड़ीसा सरकार द्वारा कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु अपने योगदान के रूप में बराबर की धनराशि का आवंटन किया जाना है।

(ग) व (घ) छोटे किसानों को सुलभ किया गया उपदान आर्थिक निवेश की लागत का 25 प्रतिशत है। सीमांत किसानों तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों हेतु उपदान का प्रतिशत $33\frac{1}{3}$ है। अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित छोटे किसान भी 25 प्रतिशत उपदान पाने के पात्र हैं। अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित सीमान्त किसान तथा भूमिहीन कृषि श्रमिक $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत के उपदान पाने के पात्र हैं। अनुसूचित जनजाति के छोटे तथा सीमान्त किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों को निवेश की लागत के 50 प्रतिशत की दर से उपदान सुलभ किया जाता है। उपदान की उपर्युक्त दरें सभी गाँवों जिनमें केरापुट जिले का ओरली गाँव भी शामिल है, के लिए लागू होती हैं। आबंटन खंडवार किए जाते हैं, न कि ग्रामवार किये जाते हैं।

बटर आयल की खपत और उसका आयात

3872. **श्री छीतू भाई गामित : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा देश में बटर आयल की राज्य-वार खपत का मूल्यांकन कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसकी कमी को पूरा करने के लिए सरकार इसे विदेशों से आयात कर रही है; और

(घ) इस मामले में देश को आत्म-निर्भर बनाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (घ) बटर आयल जो कि घी के समान होता है, देशी उत्पाद नहीं है। इसका आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सीमित मात्रा में उपहार के रूप में आयात किया जा रहा है और इसकी विभिन्न दुग्ध योजनाओं को उनकी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार कमी के मौसम के दौरान तरल दूध बनाने में दूध की चिकनाई के रूप में इस्तेमाल

करने के लिए आपूर्ति की जा रही है। आशा है देश में आपरेशन फ्लड-2 सहित विभिन्न डेरी विकास योजनाओं के माध्यम से दुग्ध बसा का उत्पादन बढ़ जायेगा।

गुजरात को सप्लाई किया गया गेहूं

3873. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों के दौरान केन्द्रीय पूल से गुजरात को सप्लाई किये गये गेहूं की मात्रा क्या है ?

(ख) गुजरात सरकार की मांग कितनी है; और

(ग) गुजरात में उचित दर की दुकानों में यह गेहूं किस दर पर बेचा जा रहा है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निमाण मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री आर॰ वी॰ स्वामीनाथन) : (क) और (ख) केन्द्रीय भण्डार से पिछले छः महीनों के दौरान गुजरात सरकार की गेहूं की माँग आवटन और इसकी पूर्ति का ब्यौरा नीचे दिया जाता है :

(हजार मीटरी टन)

मास	मांग		आवटन		पूर्ति	
	*सा. वि.	मिलें	सा. वि.	मिलें	सा. वि.	मिलें
मई, 1980	10.0	16.5	10.0	16.5	5.0	15.6
जून, 1980	5.0	16.5	5.0	16.5	4.9	10.5
जुलाई, 1980	5.0	16.5	5.0	16.5	3.8	6.6
अगस्त, 1980	10.0	16.5	10.0	7.96	10.9	17.2
सितम्बर, 1980	20.0	16.5	10.0	7.96	10.8	10.8
अक्तूबर, 1980	20.0	16.5	4.0	10 5	5.6	10.3

(ग) 1.35 रुपये प्रति किलो की दर पर।

*सा. वि. से अभिप्राय सार्वजनिक वितरण प्रणाली है।

कृषि विश्वविद्यालय के पास बेकार पड़े इलेक्ट्रोनिक्स पुर्जे

3874. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि विश्वविद्यालयों के पास बेकार पड़े इलैक्ट्रानिक्स पुर्जों के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का इन उपकरणों का उपयोग करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. बी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। सरकार ने कोई ऐसा अध्ययन नहीं किया है किन्तु इलैक्ट्रानिक कमीशन के चेयरमैन द्वारा वर्ष 1976 में गठित एक तकनीकी पेनल ने रिपोर्ट दी थी कि उपलब्ध इलैक्ट्रानिक उपकरणों के 30 से 35 प्रतिशत के बीच उपकरण निष्क्रय पड़े हैं। तथापि,

इस कथन को निष्क्रय पड़े उपकरणों का विवरण देकर प्रमाणित नहीं किया गया था। इस समिति का अवलोकन था कि ये उपकरण विभिन्न कारणों से निष्क्रय पड़े हैं, जिनमें गलत चयन, अपूर्ण संरक्षण, चलाने के ज्ञान का अभाव, अपर्याप्त रख-रखाव, तथा फालतू पुर्जों की अनुपलब्धता सम्मिलित हैं।

(ग) सरकार सूक्ष्म इलैक्ट्रानिक उपकरणों के उपयुक्त रख-रखाव तथा मरम्मत की आवश्यकता से पूरी तरह से अवगत है और चौथी पंच-वर्षीय योजना से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उपकरणों की मरम्मत तथा रख-रखाव के लिए कृषि विश्वविद्यालयों को उपकरण कक्ष स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया था।

वन्य जीवन तथा प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंध पर परिव्यय

3875. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना में वन्य जीवन तथा प्राकृतिक क्षेत्रों के प्रबन्ध पर 13 करोड़ रुपये के परिव्यय में से अधिकतर राशि का व्यय प्राकृतिक क्षेत्रों, राष्ट्रीय पार्कों तथा पशु-पक्षी शरण स्थलियों पर किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक राज्य को कितनी राशि का आवंटन किये जाने की सभावना है और वहाँ पर कौन-कौन से पार्कों तथा वन्य जीवन शरणास्थलियों का विकास किया जाना है;

(ग) क्या सरकार का विचार कर्नाटक राज्य में वन्य जीवन की विपुल सभाव्यता को देखते हुये राज्य में प्रस्तावित वन्य-जीवन प्रबन्ध संस्थान की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो अन्य किन स्थानों पर विचार किया जा रहा है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) छठी योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। वन्य प्राणी से संबन्धित केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं पर 12.10 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव है।

(ख) चूंकि छठी योजना को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए किसी राज्य के लिए आवंटित की जाने वाली राशि के बारे में बताना संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सहायता तब निर्मुक्त की जाती है, जब संबंधित राज्य बराबर शेयर प्रदान करे।

(ग) तथा (घ) प्रस्तावित वन्य प्राणि प्रबंध संस्थान के स्थान निर्धारण के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला का भविष्य

3876. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान शिमला के भविष्य के बारे में इस बीच निर्णय किया है, यदि हाँ, तो क्या;

(ख) क्या अध्ययन की समूची पाठ्यचर्या में आमूलचूल परिवर्तन किया जायेगा और उसे ये सिरे से बनाया जायेगा; यदि हाँ, तो किस ढंग से ?

(ग) सरकार को उक्त संस्थान के दर्जे उसे बनाये रखने और स्थान के बारे में अंतिम रूप से निर्णय करने में कितना समय लगेगा; और

(घ) इस समय संस्थान का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है तथा इसके रख-रखाव पर प्रति वर्ष अनुमानत: कितना व्यय किया जा रहा है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) सरकार ने निर्णय किया है कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान अपना काम जारी रखेगा। बशर्ते कि यह अपने कार्यक्रमों तथा कार्यों का पुनर्गठन करे। संस्थान के स्थान सहित, इसकी पुन: संरचना और पुनर्गठन के ब्यौरों की सिफारिश करने के लिए सितम्बर, 1980 में एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गयी है। समिति का काम हो रहा है।

(घ) संस्थान के विजिटिंग फैलोज ने अपना कार्यकाल समाप्त होने तक अपना काम जारी रखा। इस समय संस्थान में तीन फलो हैं। संस्थान का प्रशासनिक स्टाफ तैनात है। राष्ट्रपति निवास कंप्लेक्स के रख-रखाव सहित संस्थान का पिछले दो वर्षों के दौरान वार्षिक खर्च लगभग 20.00 लाख रुपये रहा है।

भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों को पंजाब से दिल्ली के बीच रेल में ढुलाई के दौरान चोरी

3877. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के लाखों रुपये के खाद्यान्नों को विशेष रेल गाड़ियों द्वारा पंजाब से दिल्ली लाते समय चोरी हो गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी गेहूँ चुराई गई और क्या चोरी करने के ढंग की कोई जांच की गई; यदि हाँ, तो इसका परिणाम क्या रहा; और

(ग) रास्ते में इस प्रकार की चोरी को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) पंजाब में स्थित एक्स-पट्टी, रूप नगर/कोराली से बुक की गई गेहूं से लदी दो विशेष गाड़ियाँ 3 और 4 नवम्बर, 1980 को दिल्ली के सब्जी मण्डी रेलवे स्टेशन पर पहुँचीं थीं लेकिन उनमें लदी पूर्ण बोरियों में असामान्य रूप से कमी पाई गई और कुछेक बोरियों में आंशिक रूप से कमी पाई गई थी।

(ख) कुल मिलाकर, इन दोनों गाड़ियों में लगभग 1485 क्विंटल की कुल कमी पायी गई थी। कमी के कारणों की जाँच विषयक कार्य प्रगति पर है। कमी के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी और जाँच का कार्य पूरा करने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

(ग) इस मामले के बारे में लदान एजेंसी "मार्कफेड" पंजाब तथा भारतीय खाद्य निगम के सम्बन्धित प्राधिकारियों को पहले ही सूचित किया जा चुका है। उनसे कहा गया है कि वे इस मामले की जांच करें और प्रभावी पग उठाएँ ताकि भविष्य में इस प्रकार की कमी पुन: न होने पाये।

दिल्ली के स्कूलों में नलकूपों की व्यवस्था

3878. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के किन-किन गवर्नमेंट हायर सेकेण्डरी स्कूलों में छात्रों के लिये पेयजल हेतु नलकूप लगाये गये हैं और प्रत्येक मामले में इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि खर्च की गई है;

(ख) उक्त नलकूप चालू किये जाने के लिये कब तैयार किये गये थे और क्या उनको चालू कर दिया गया है;

(ग) उन स्कूलों के नाम क्या हैं जहां नलकूप लगाये गये हैं परन्तु चालू नहीं किये जा रहे हैं; और

(घ) ये नलकूप किन कारणों से नहीं चलाये जा रहे हैं तथा ये कब तक चालू हो जायेंगे ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली के स्कूलों में शिक्षकों की कमी

3879. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की कुल संख्या कितनी है ?

(ख) ऐसे कितने स्कूल हैं जिनमें गत वर्ष से शिक्षकों की निरन्तर कमी बनी हुई है और ऐसे प्रत्येक स्कूल में कितने शिक्षकों की कमी है;

(ग) स्कूलवार शिक्षकों की वर्तमान मंजूर शुदा संख्या कितनी है;

(घ) इस कमी को दूर न करने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा यह कमी कब तक पूरी की जायेगी और शिक्षकों की इस कमी के परिणामस्वरूप छात्रों को हुई हानि को सरकार किस तरीके से पूरा करेगी ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

मिजोरम में तकनीकी कालेज की स्थापना

3880. **डा. आर. रोथुवामा** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिजोरम में कोई भी तकनीकी कालेज बिल्कुल न होने को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में आरंभ किये गये इसके विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्यों में राज्य की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की दृष्टि से कृषि, मेडिकल अथवा वन जैसे किसी तकनीकी कालेज की स्थापना करने का है;

(ख) क्या राज्य ने इस मामले में केन्द्र को कोई व्यापक योजनायें अथवा प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(ग) यदि हाँ, तो कब; और

(घ) यदि नहीं, तो राज्य के भौगोलिक दृष्टि से अलग थलग पड़ जाने को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार मिजोरम के तीन जिलों में कम से कम तीन भिन्न तकनीकी कालेज स्थापित करने पर विचार करेगी ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं। सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार को राज्य से इस संबन्ध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) सरकार, राज्य से प्रस्ताव प्राप्त होने पर मिजोरम में तकनीकी संस्थान स्थापित करने के संबन्ध में, उपयुक्त स्तर पर विचार करेगी।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूप के कर्मचारीयों के लिए पदोन्नति के अवसर

3881. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह में बहुत बड़ी संख्या में सहायक बढ़इयों को बिना वेतन के बढ़इयों का काम करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो पदोन्नति-अवरोध को समाप्त करने और उनके लिए पदोन्नति के अवसर बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार तीसरे वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार उन्हें चयन ग्रेड देने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों नहीं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। कोई सहायक कारपेन्टर, कारपेन्टर की ड्यूटी नहीं कर रहा है। अतः लाभ देने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तृतीय वेतन आयोग ने टिप्पणी की है कि "कर्मशाला कर्मचारियों के लिए नान फंक्शनल सिलैक्शन ग्रेड रखना असाधारण है। फिलहाल, कोई सिलैक्शन ग्रेड देने का प्रस्ताव नहीं सोचा गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उद्योग के प्रौढ़ श्रमिकों में निरक्षरता का अध्ययन

3882. **जी० बाई कृष्णन** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न उद्योगों में कार्य कर रहे श्रमिकों में प्रौढ़ निरक्षरता के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में श्रमिकों के लिये प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है और उसके लिये कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा 1964 में गठित एक नामिका ने, पाँच औद्योगिक क्षेत्रों में, लगे हुए श्रमिकों में साक्षरता का एक नमूना अध्ययन किया था इसके बाद इस विषय पर कोई विशिष्ठ अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि, केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड ने प्रौढ़ साक्षरता कक्षायें शुरू करने के लिए

अपने क्षेत्रीय केन्द्रों के अन्तर्गत आने वाला औद्योगिक इकाईयों में प्रारम्भिक जांच की थी। बोर्ड ने, अपने 1980-81 के बजट में, खनन, बागान तथा अन्य उद्योगों में 1200 कार्यात्मक प्रौढ़ साक्षरता कक्षाओं के लिए 3.90 लाख रुपये का आवटन किया है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों, श्रमिक विद्यापीठों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं के माध्यक से, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत भी श्रमिकों को साक्षर बनाया जाता है।

सागरपुर कालोनी, पालम, दिल्ली

3883. **श्री केशव राव पारधी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1977 में आम चुनावों के समय दिल्ली विकास प्राधिकरण और नगर निगम के बाहरी दिल्ली के पालम क्षेत्र में सागरपुर कालोनी की रेजिडेंट्स एसोशिएशन को पत्र लिखे थे कि इस कालोनी को भूमि का उपयोग मकानों के लिये किया जा सकता है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद इस पत्र को वापस ले लिया गया था और क्या दिल्ली नगर निगम ने इस कालोनी का कोई सर्वेक्षण किया था ताकि इसे मंजूर किया जा सके और वहाँ के निवासियों को मूल नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराई जा सके; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त कालोनी को मूल नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए पत्र को वापस लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि सागरपुर कालोनी का वास्तविक सर्वेक्षण दिल्ली नगर निगम द्वारा 1978-79 के वर्ष में किया गया था।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत अनधिकृत कालोनियों में यह कुछ मूल नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था कर रहा है परन्तु इन कालोनियों का विकास इस विषयक नीति के अनुसार उनके नियमितीकरण के बाद किया जायेगा।

दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालयों के काम के घंटे

3884 **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों के काम के घंटों को दिल्ली प्रशासन के स्कूलों के काम के घंटों के बराबर करने के बारे में निर्णय किया गया है, और

(ख यदि हाँ, तो निर्णय को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत और श्रीलंका के मत्स्य समुदाय के बीच तनातनी

3885. **श्री एन. डेनिस** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में श्रीलंका और भारत के मत्स्य समुदायों के बीच तनातनी की जानकारी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस क्षेत्र में सामान्य सम्बन्धों और शान्तिपूर्ण वातावरण को बहाल करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. बी. स्वामीनाथन) : (क) भारत सरकार ने श्रीलंका तथा भारत के मत्स्य समुदायों के बीच तनातनी के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

नेहरू प्लेस नई दिल्ली में एक भूखण्ड की बिक्री

3886 **श्री चतुर्भुज** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने गत 5 अगस्त, को नेहरू प्लेस में दो भूखण्ड 10.25 करोड़ रु० में नीलाम किये,

(ख) क्या यह भी सच है कि ये मूल्य उन मूल्यों के दूगने से भी अधिक है जो दो तीन वर्ष पहले थे; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी, हाँ।

(ग) नेहरू प्लेस में मूल्य की वृद्धि का एक कारण यह है कि अब इस कामप्लेक्स का विकास हो गया है और प्रायः सभी अनिवार्य सेवाएं उपलब्ध हैं। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने वाणिज्यिक स्थानों के विकास के लिये अपनी गतिविधियाँ तेज कर दी हैं।

खांडसारी एककों से मन्डी कर

3887. **श्री पी. राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाँडसारी चीनी कारखानों से मंडी कर वसूल किया जा रहा है;

(ख) क्या इस कर को समाप्त करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) क्या किसी अध्ययन दल ने, जिसने खाँडसारी चीनी की उत्पादन लागत और अन्य सम्बद्ध समस्याओं पर विचार किया है; मंडी कर समाप्त करने के लिये सिफारिश की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निमाण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) खण्डसारी चीनी उद्योग को राज्य सरकारों द्वारा लाइसेंस दिए जाते हैं और उनके द्वारा ही उनको विनियमित किया जाता है। केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचनानुसार उत्तर प्रदेश राज्य में खाण्डारी चीनी पर मडी कर लगाया गया है।

(ख) और (ग) भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अध्ययन दल, जिसने खण्डसारी चीनी की उत्पादन लागत और अन्य संगत समस्याओं के बारे में अध्ययन किया था, को खाण्डसारी

उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन के आधार पर अध्यक्ष [illegible]
मंडी कर से छूट देने की सिफारिश की है।

गुडगांव में प्लाटों के मूल्यों में की गई वृद्धि को वापस लेना

3888. डा. **वसंत कुमार पंडित** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें जुलाई 1980 में एक संसद-सदस्य का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने गुड़गांव में, आबंटन के 12 वर्ष बाद, प्लाटों के मूल्यों में शतप्रतिशत वृद्धी कर दी है,

(ख) क्या उन्होंने इस मामले की जाँच करवाने और तथ्य प्राप्त करने का आश्वासन दिया था,

(ग) क्या अब तक उन्हें अब वे तथ्य प्राप्त हो गए हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं और उनकी जाँच के परिणाम क्या हैं, और

(घ) क्या इस वृद्धि को वापस लेने के लिए उनका हरियाणा सरकार को लिखने का विचार है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) : जी, हाँ।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) : इस मामले में राज्य सरकार को लिख दिया गया है और उनके उत्तर की प्रतीक्षा है।

उड़ीसा में उर्वरकों का स्टाक तथा मांग

3889. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में निजी, सहकारी तथा सरकारी क्षेत्रों (केन्द्रीय तथा राज्य) द्वारा दिनांक 30 जून, 1980 तक स्टाक में कितनी स्वदेशी तथा आयातित रासायनिक उर्वरक की मात्रा रखी गई थी और उसकी इस्तेमाल किये जाने की अवधि कब तक की है;

(ख) उपरोक्त क्षेत्रों में अलग-अलग स्टाक में कितनी-कितनी उर्वरक 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष और 5 वर्ष से अधिक समय से पड़ा है और प्रत्येक के मामले में इस्तेमाल की मियाद क्या-क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा राज्य में ऐसा स्टाक कम मांग के कारण अथवा अधिक आवंटन के कारण पड़ा हुआ है जिससे पौधे पोषक के रूप में राष्ट्रीय सम्पदा और विदेशी मुद्रा की बर्बादी हो रही है; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मामले को ठीक करने के लिए पूरे मामले की तत्काल समीक्षा करेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (घ) : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

3890. **श्री निहाल सिंह :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विश्व सगठन की ओर से भारत में 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को नि:शुल्क भोजन और शिक्षा प्रदान करने तथा विकलांग और अनाथ बच्चों एंव कमजोर वर्गों के बच्चों को विशेष सहायता देने के लिए कोई सहायता कार्यक्रम आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्यक्रम किन राज्यों में कियान्वित किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी सहायता दी गई है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) : (क) और (ख) :—किसी विश्व संगठन की सहायता से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को नि:शुल्क भोजन और शिक्षा का कोई कार्यक्रम शुरू नहीं किया गया है ।

फिर भी बच्चों के लिए कुछ अन्य कार्यक्रम हैं, जिनके अन्तर्गत भोजन भी दिया जाता है। ये हैं :—समेकित बाल विकास सेवा, विशेष पोषाहार कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम बाल-बाड़ी पोषाहार कार्यक्रम, कामकाजी और बीमारी माताओं के बच्चों के शिशु केन्द्र इत्यादि। इनमें दो कार्यक्रमों अर्थात् 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों तथा गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम तथा स्कूलों के बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम को सयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम और "केयर" नामक एक अमेरीकन एजेंसी से आंशिक सहायता मिलती है ।

मत्स्य ग्रहण उद्योग का विस्तार करने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत पड़ने वाले गृहों को रियायत दिया जाना

3891. **डा. डी. पी. जदेजा :** क्या कृषि मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 17 अगस्त, 1980 के "सन्डे स्टैन्डर्ड" में प्रकाशित इस समाचार की पुष्टि की है जिसमें कहा गया है कि सरकार ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत पड़ने वाले गृहों को उनके द्वारा मत्स्य ग्रहण उद्योग में प्रवेश किए जाने तथा उसका प्रसार किए जाने के लिए कुछ रियायतें देने की पेशकश की है,

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार के प्रवेश से भारत का वर्तमान मत्स्य ग्रहण उद्योग समाप्त हो जायेगा, और

(ग) चूंकि मत्स्य ग्रहण के क्षेत्रों की निर्धारित सीमा पर पुलिस का पहरा नहीं लगाया जा सकता है इसलिए सरकार मत्स्य ग्रहण उद्योग में लगे सभी भारतीयों को इन बड़े गृहों से किस प्रकार बचायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं होता ।

छठी योजना के दौरान छोटे तथा मध्यम नगरों का विकास

3892. **श्री श्री छोतुभाई गामित :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना में छोटे तथा मध्यम नगरों के विकास की प्रस्तावित योजना के अधीन देश में 200 छोटे तथा मध्यम नगरों का विकास करने का निर्णय लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए गांवों का चुनाव करने के लिए राज्यवार क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ ।

(ख) : छोटे एवं मध्यम नगरों के स्वीकृत विकास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना की सीमा के अन्तर्गत ग्राम नहीं आते ।

पाकिस्तान को गायों की तस्करी

3893. **श्री अशोक गहलोत :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों से पाकिस्तान को चोरी छिपे गायों का निर्यात किये जाने की जानकारी है;

(ख) क्या इन गायों की तस्करी वहां उनके मारे जाने के उद्देश्यों से की जा रही है;

(ग) क्या इससे देश में अच्छी नस्ल की गायों की संख्या कम हो गयी है;

(घ) क्या सरकार का गायों के इस प्रकार से किए जा रहे निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) : जी हाँ ।

(ख) पाकिस्तान के साथ लगी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पार से इस बात की कोई सूचना प्राप्त नहीं हो सकती कि गायों की तस्करी किस प्रयोजन के लिए की जाती है ।

(ग) भारत में पशुओं की भारी संख्या है तथा सम्बन्धित सरकारी एजेंसियों द्वारा तस्करी निरोधी सघन उपायों की वजह से इनकी बहुत ही सीमित मात्रा में तस्करी होती है । इसलिए देश में अच्छी नस्ल की गायों की उपलब्धि पर इसका नाममात्र का प्रभाव पड़ता है ।

(घ) वध के लिए गायों के निर्यात पर पहले से ही प्रतिबंध है तथा चोरी छिपे निर्यात करना गैर-कानूनी और दण्डनीय है ।

(ङ) तथा (च) प्रश्न ही नहीं होता ।

"अधिक पेड़ उगाओ" अभियान :

3894. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अधिक पेड़ उगाओ" को उत्तरोत्तर अभियान चलाने के लिए कृषि मन्त्रालय के विशेषज्ञों की कोई बैठक हुई थी :

(ख) क्या राष्ट्रीय कृषि आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यों को वन विकास निगम स्थापित करने चाहिए : और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में कितनी प्रगति हुई है'

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के आधार पर अब तक 16 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, अन्डमान, और निकोबार द्वीपसमूह और अरुणाचल प्रदेश में वन और बागान विकास निगमों की स्थापना की जा चुकी है।

मैक्सिकन मत्स्य नौकाएं

3895. **श्री डी. पी. जदेजा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवहन विकास निधि समिति किस लाभकारी अनुमान के आधार पर आयातित मैक्सिकन मत्स्य नौकाओं के लिए धन देती हैं;

(ख) प्रत्येक मैक्सिकन मत्स्य नौका का ब्यौरा क्या है और यह कितनी मछली पकड़ सकेगी और धनराशि के लिये उनके आवेदन पत्रों में दिये गये ब्यौरे के अनुसार इन मैक्सिकन मत्स्य नौकाओं के लिये धन देने के समय कितनी बिक्री होने की सम्भावना थी; और

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त अनुमानों की स्वीकृति दे दी है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) विभिन्न कम्पनियों द्वारा दिये गये लाभ संबंधी अनुमान, ट्रालरों पर किये जाने वाले पूंजी निवेश के 20 प्रतिशत से 36 प्रतिशत तक होते हैं।

(ख) अनुमानत: 400 से 500 मीटरी टन तक मछली पकड़ने की सभावना होती है तथा इसका बिक्री मूल्य 32 लाख रुपये से 33 लाख रुपये तक होता है।

(ग) इस मत्रालय ने अनुमानों की जाँच करके जहाजरानी विकास निधि समिति से समुचित सिफारिशें कीं।

आयातित मत्स्य नौकायें

3896. **श्री डी. पी. जदेजा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन विकास निधि समिति के पास आयातित मत्स्य नौकाओं को वित्त-पोषित करने के आवेदन लम्बित पड़े हैं;

(ख) क्या इन प्रस्तावों को कृषि मंत्रालय द्वारा अनुशासित किया गया था; और

(ग) एक बार में पकड़ी जाने वाली मच्छलियों की प्रत्याशित मात्रा, किस्म और प्रत्याशित बिक्री में विशेष संदर्भ में इसकी व्यवहार्यता में अध्ययन और मितव्ययता, और लाभ देयता का क्या अनुमान है जिसके आधार पर इन नौकाओं को वित्तपोषित किये जाने पर विचार किया जा रहा है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) नौवहन विकास निधि समिति के पास आयातित मत्स्यन नौकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में कोई आवेदन पत्र बकाया नहीं पड़ा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

मत्स्य ग्रहण नौकाओं का आयात

3897. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मत्स्य ग्रहण नौकाओं को आयात करने पर विचार कर रही है;

(ख) कितनी नौकाओं को आयात किया जायेगा और उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी;

(ग) क्या गार्डन रीच जहाज निर्माण कारखाने के चेयरमैन ने नौकाओं के आयात किये जाने का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) सरकार ने 60 जलयानों का आयात करने के लिये जून, 1977 में एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी।

(ख) अभी तक केवल दो पुराने जलयान आयात किये गये हैं, जिनका मूल्य 47.47 लाख रुपये है। उदार ऋण की सुविधाओं की पुनर्व्यवस्था हो जाने पर ही जलयानों की संख्या और इस कार्य में लगने वाली विदेशी मुद्रा की स्पष्ट स्थिति का पता चलेगा।

(ग) गार्डन रीच शिपयार्ड के अध्यक्ष से हमें ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता।

विभिन्न प्राचीन मंदिरों के पुनरुद्धार के लिए आबंटन

3898. **श्री अनादि चरण दास** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्राचीन मंदिरों के पुनरुद्धार, मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिये कुछ धनराशि आवंटित करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाये जाने के लिये उड़ीसा के कितने प्राचीन मंदिरों का पता लगाया गया है; और

(ग) क्या पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करने हेतु जैपुर के प्रसिद्ध विराज मंदिर की मरम्मत करने और उसे सुन्दर बनाने के लिए धनराशि आवटित करने का कोई प्रस्ताव उनके मंत्रालय के विचाराधीन है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालत्र में राज्य मत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण केवल उन स्मारकों, जिनमें मंदिर भी सम्मिलित हैं, के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए जिम्मेदार है, जो प्राचीन संस्मारक और पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1958 के अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित किये गये हैं। तदनुसार केवल इस प्रकार के स्मारकों की ही मरम्मत, आदि के लिए धनराशियाँ आवंटित की जाती है। उन स्मारकों की

देख-रेख, जो राष्ट्रीय महत्व के नहीं हैं, संबन्धित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है और वे इन स्मारकों के अनुरक्षण के लिए धनराशि की व्यवस्था करती है। उड़ीसा में राष्ट्रीय महत्व के 37 मंदिर (जिनमें मुख्य मंदिरों के परिवेश में बने सहायक मंदिर सम्मिलित नहीं हैं) केन्द्रीय संरक्षण में है।

(ग) यह मंदिर केन्द्रीय संरक्षण में नहीं है, इसलिए इसके लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है।

गोडावण (ग्रेट इंडिया बस्टर्ड) की नस्ल समाप्त होने का खतरा

3899. **डा. बसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ल्ड पीजेंट एसोसियेशन और द इंटरनेशनल यूनियन फार कंजरवेशन आफ नेचर, इंटरनेशनल वाईल्ड लाइफ फंड और विभिन्न अन्य संस्थाओं ने गोडावण (ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड) की नस्ल समाप्त होने के खतरे की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है; और

(ख) वर्ष 1969 से प्रत्येक वर्ष देश में कुल कितने गोडावण पक्षी थे ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ।

(ख) अब तक ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड की संख्या के बारे में कोई क्रमबद्ध सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

चीनी के उत्पादकों द्वारा चीनी की कीमतों में वृद्धि की मांग

3900. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीनी के उत्पादकों द्वारा चीनी की कीमतों में वृद्धि की माँग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : 1980-81 के उत्पादन के लिये चीनी कारखानों को देय लेवी चीनी के निकासी मूल्यों का सरकार द्वारा औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति जिसने चीनी के लागत ढाँचे की जाँच की थी और जिसने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर, 1980 में प्रस्तुत की थी, की सिफारिशों को ध्यान में रखने के बाद हाल ही में निर्धारित किया गया है। अतः पहले से निर्धारित किये गये चीनी के मूल्यों में वृद्धि करने का कोई विचार नहीं है।

दिल्ली में चीनी की आवश्यकता

3901 **श्री कुसुम कृष्णमूर्ति** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान दिल्ली में कितनी चीनी की आवश्यकता है और उसका मूल्य क्या है;

(ख) राष्ट्रीय आवश्यकता और दिल्ली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सप्लाई की मात्रा में क्रमशः कितनी कमी है; और

(ग) नियंत्रित बाजार और खुले बाजार में चीनी के प्रति किलोग्राम मूल्य में औसतन कितना अन्तर है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) दिल्ली प्रशासन को उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिए 1304

मीटरी टन लेवी चीनी का मासिक कोटा दिया जा रहा है और इसके अलावा, सीमा सुरक्षा दल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस दल के लिए भी थोड़ी मात्रा में अवंटन किए जा रहे हैं। अतः अप्रैल से नवम्बर, 1980 तक दिल्ली को आवंटित लेवी चीनी की कुल मात्रा 42,625.8 मीटरी टन बैठती है और 2.85 रुपये प्रति किलो, जोकि उस अवधि के दौरान खुदरा मूल्य था, के हिसाब से इसका मूल्य 12,14,83,530 रुपये बैठता है। दिसम्बर, 1980 से मार्च, 1981 तक दिल्ली को लगभग 21,306 मीटरी टन लेवी चीनी की आवश्यकता है और 3.50 रुपये प्रति किलो के खुदरा मूल्य पर इसका मूल्य, जोकि 1-12-1980 से लागू है, 7,45,71,000 रुपये बैठता है। अतः वित्तीय वर्ष 1980-81 के लिए दिल्ली की लेवी चीनी की कुल आवश्यकता 63,931.8 मीटर टन बैठती है और इसका मूल्य 19'60,54,530 रुपये बैठता है।

जहां तक मुक्त बिक्री की चीनी का संबन्ध है, मांग तथा पूर्ति और समय-समय पर चल रहे मूल्यों के अनुसार इसकी खपत बदलती रहती है। अतः दिल्ली के लिये मुक्त बिक्री की चीनी की आवश्यकता और उसके मूल्य के बारे में बताना संभव नहीं है।

(ख) चीनी पर 17 दिसम्बर, 1979 से आंशिक नियंत्रण लागू करने से विभिन्न राज्यों को लेवी चीनी के कोटे उनके उन कोटों के आधार पर बहाल कर दिये गये हैं जोकि उन्हें 16-8-1978 को चीनी पर से नियंत्रण हटाने के तुरन्त पहले की आंशिक नियंत्रण की अवधि के दौरान मिल रहे थे। लेवी चीनी के इन राज्यवार मासिक कोटों की कुल मात्रा 2.71 लाख मीटरी टन बैठती है जोकि आन्तरिक खपत के लिये प्रति मास निर्मुक्त की जा रही है और वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान लेवी चीनी की उक्त मात्रा की निर्मुक्ति में किसी कमी की प्रत्याशा नहीं की जाती है।

(ग) पहली दिसम्बर, 1980 से 3.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लेवी चीनी वितरित की जा रही है। माँग तथा पूर्ति की स्थिति के अनुसार खुले बाजार में मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्य समय-समय पर बदलते रहते हैं और प्रमुख मंडियों में वर्तमान खुदरा मूल्य 7.50 रुपये/8.00 रुपये प्रति किलो के आस-पास हैं।

आंध्र प्रदेश से चावल का निर्यात

3902. **श्री पी. राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आंध्र प्रदेश से इस वर्ष कितने चावल का निर्यात किया जाना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार निगम को 1980-81 के दौरान कुल 0,000 मी० टन गैर बासमती चावल का निर्यात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

खन्डसारी चीनी कारखानों से बिक्री कर की वसूली

3903. **श्री पी राजगोपाल नायडू** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन शुल्क समाप्त किये जाने के बाद खंडसारी चीनी कारखानों से चीनी पर बिक्री कर वसूल किया जाता है;

(ख) यदि हाँ, तो विभिन्न राज्यों में कितने प्रतिशत बिक्री कर की वसूली की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) खण्डसारी पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, जिसे 1-1-1979 को पूर्णतया समाप्त कर दिया गया था, को 29 अक्तूबर 1979 से फिर से लागू कर दिया गया था और इसलिए राज्यों द्वारा खंडसारी पर कोई बिक्री कर नहीं लगाया जाता है।

मद्रास में टैगोर स्मारक भवन के लिए केन्द्रीय सहायता

3904. **श्री एन. डेनिस** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैगोर स्मारक भवन का, जिसके लिये तमिलनाडु सरकार ने मद्रास में ग्रीसा रोड पर कोचीन एस्टेट मैदान में भूमि आवंटित की थी निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है;

(ख) क्या इस स्मारक के निर्माण के लिए कोई केन्द्रीय अनुदान दिया गया है; और

(ग) भारत के महाकवि के इस स्मारक का निर्माण पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का विवरण क्या है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ई. ई. सी. एन्ड लाइकली फार सोयाबीन प्रोजेक्ट

3905. **श्री मौहम्मद असरार अहमद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15-11-1980 के 'स्टेट्समेन' समाचार पत्र में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन. सी. डी. सी.) की सोयाबीन परियोजना पर यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मूल्याकन दल के ई. ई. सी. एंड लाइकली फार सोयाबीन प्रोजेक्ट शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सहायता का पूर्ण विवरण क्या है और इस सहायता को कब तक तथा किस हद तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी, हाँ।

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश, जो सोयाबीन उगाने वाले प्रमुख राज्य हैं, में एक समेकित सोयाबीन परियोजना की स्थापना की जानी है। इस परियोजना के अन्तर्गत सहकारी क्षेत्र में सोयाबीन परिसंस्करण की 4 यूनिटें मध्यप्रदेश में और ऐसी ही एक यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित की जायेगी। इसके लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय से मिलने वाली सहायता की राशि 17.40 करोड़ रुपये आंकी गई है जो परियोजना की कुल लागत का लगभग 50 प्रतिशत है। सहायता की कुल राशि में से 13.50 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश की परियोजनाओं के लिए और 3.90 करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश की परियोजना के लिए होंगे। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के एक मूल्यांकन दल द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्टों का मूल्यांकन किया जा चुका है। सहायता की शर्तों के बारे में बात-चीत चल रही है। योजना के क्रियान्वयन के लिए करार पर दिसम्बर, 1980 के अन्त तक अन्तिम रूप से निर्णय हो जाने की सम्भावना है। परियोजना के आरम्भ होने के दिन से, मध्यप्रदेश में इसके पाँच वर्ष और उत्तर प्रदेश में दो वर्ष की अवधि में पूरा हो जाने की सम्भावना है।

भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्यान्नों का स्टाक और उनको हुई क्षति

3906. **श्री काली चरण शर्मा :** क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में भारतीय खाद्य निगम के भण्डारों में उन खाद्यान्नों की कितनी मात्रा है जो कि 2 से 5 वर्ष पुराने हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम के खाद्यान्नों की राज्यवार तथा वर्ग वार कितनी मात्रा नष्ट हुई अथवा उपयोग के काबिल नहीं रही; और

(ग) इस अवधि के दौरान खाद्यान्नों के क्षतिग्रस्त हो जाने के लिए कितने अधिकारियों को उत्तरदायी पाया गया और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मत्रालय में राज्य मत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु में पेय जल के लिए कावेरी के जल की सप्लाई

3907. **श्री ए. नीलालोहिया दासन नाडार :**

श्री ईरा अनबरासू :

श्री एन. डेनिस : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने मद्रास शहर को त्रिची जिले के लालगुडी स्थान से कावेरी नदी का जल प्रदान करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने मद्रास को सप्लाई करने हेतु लालगुडी से कावेरी जल का उपयोग करने के कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार को विचारार्थ भेजे हैं;

(ग) तमिलनाडु सरकार द्वारा मद्रास के लिए आंध्र प्रदेश से कृष्णा नदी का जल उपलब्ध करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) ये मामले इस समय कार्यवाही के किन चरणों में हैं ?

ससदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में विश्व बैंक से सहायता लेने के लिए मद्रास शहर के लिए कावेरी जल पूर्ति नहर परियोजना पर एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(ग) और (घ) इस मत्रालय को यह मालूम नहीं है कि कृष्णा के जल को प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं।

इंडियन स्कूल आफ माइन्स के बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी

3908. **श्री ए. के. राय :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन स्कूल आफ माइन्स धनबाद के कार्यकारी बोर्ड में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कार्यकारी अधिकारियों का प्रभुत्व है;

(ख) क्या कार्यकारी बोर्ड का चैयरमैन गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठान का अधिकारी भी होता है;

(ग) क्या उक्त बोर्ड में शिक्षाविदों के अभाव के कारण संस्था को शैक्षणिक समस्याओं के समाधान में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती है; और

(घ) क्या कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूम में शिक्षाविद लगाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) क्योंकि बोर्ड में पर्याप्त शिक्षाविद है इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जब तक वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त नहीं होता तब तक प्रश्न ही नहीं उठता।

रतुआ मुक्त गेहूं के लिए नया सिद्धान्त

3909. **श्री बी. बी. देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विशेषज्ञों ने गेहूं की रतुआ मुक्त किस्म तैयार करने में सहायता करने हेतु. नया सिद्धान्त प्रतिपादित किया है;

(ख) यदि हां, तो नये सिद्धाँत का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सिद्धान्त को कब तक व्यावहारिक उपयोग में लाया जायेगा; और

(घ) यह कहाँ तक उपयोगी होगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. बी. स्वामीनाथन) : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) गेहूं उत्पादन कार्यक्रम की सफलता द्वारा होने वाली महामारी और रोग के विरुद्ध लगातार निगरानी रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। भारत में गेहूं के मुख्य रोगों का कारण तीन रतुआ कवक हैं जिनके नाम हैं—काला रतुआ, भूरा रतुआ तथा पीला रतुआ। रतुआ रोगों के सक्रमण के दो केन्द्रों का पता लगा लिया गया है, एक तो दक्षिणी पहाड़ियाँ हैं जो काले और भूरे रतुए का संक्रमण बनाती हैं तथा दूसरा उत्तरी हिमालय है जो भूरे रतुए के साथ-साथ पीले रतुए का भी केन्द्र स्थल है।

नयी नीति की मुख्य विशेषताएं हैं, (I) रोग रोधी किस्मों का विकास, (II) मूल रोग के केन्द्रों, जैसे कि दक्षिणी पहाड़ियाँ और उत्तरी भारत में हिमालय अत्यन्त रोग रोधी किस्मों का विकास करके रोग को नियन्त्रित करना जिससे कि रोग की व्यापकता को स्रोत से ही नियन्त्रित किया जा सके, (III) किसानों के खेतों में ही रोग को नियन्त्रित करने के लिए आनुवंशिक रूप से अलग-अलग किस्मों को जारी करना तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए बहु-पंक्तियाँ जारी करना।

(ग) इस सम्बन्ध में निर्धारित नीति पहले से ही अमल में लायी जा रही है।

(घ) रोगों को नियन्त्रित करने की नीतियों को अपना कर रतुए से होने वाली हानि को बहुत हद तक कम करना संभव हो सकेगा, जो गेहूं की मुख्य पट्टी पर प्रभाव डालता है तथा रतुए की महामारी की जोखिम को कम करने में और गेहूं उत्पादन में स्थापित्व लाने में सहायता हो सकेगी।

चीनी की कमी

3910. **श्री बी. वी. देसाई :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को विश्वास है और आशा है कि पेराई का मौसम आरम्भ होते ही चीनी की वर्तमान कमी समाप्त हो जाएगी;

(ख) क्या यह सच है कि इस मौसम में गन्ने का उत्पादन 14.50 करोड़ टन तक पहुँचने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो गत वर्ष गन्ने का उत्पादन कितना हुआ था; और

(घ) चीनी के बारे में सही स्थिति कब तक स्पष्ट हो जायेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) सरकार द्वारा आन्तरिक खपत के लिए प्रत्येक मास 2.71 लाख मीटरी टन लेवी चीनी का सामान्य मासिक कोटा निर्मुक्त किया जा रहा है। इसके अलावा, पर्याप्त मात्रा में चीनी मुक्त बिक्री के लिए भी निर्मुक्त की जा रही है; सितम्बर से नवम्बर, 1980 तक के पिछले तीनों महीनों के लिए 1.35 से 1.65 लाख मीटरी टन के रेंज में चीनी निर्मुक्त की गई थी और दिसम्बर, 1980 में 1.40 लाख मीटरी टन की मात्रा निर्मुक्त की गई थी।

(ख) वर्तमान मौसम के लिए गन्ने की पैदावार के अन्तिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, आशा है कि 1980-81 मौसम में गन्ने का उत्पादन 1979-80 मौसम में हुए उत्पादन से अधिक होगा और वह 1500 से 1550 लाख मीटरी टन के आस-पास हो सकता है।

(ग) 1280 लाख मीटरी टन।

(घ) वर्तमान मौसम 1980-81 में 30-11-1980 तक चीनी का उत्पादन 4.41 लाख मीटरी टन हुआ है जबकि 1979-80 मौसम में उसी तारीख तक 2.91 लाख मीटरी टन का उत्पादन हुआ था। वर्तमान अनुमानों के अनुसार, आशा है कि 1980-81 मौसम में लगभग 52 से 54 लाख मीटरी टन का कुल उत्पादन होगा। तथापि, उत्पादन के बारे में स्पष्ट स्थिति की जानकारी फरवरी-मार्च, 1981 में किसी समय मिल पाएगी।

धान की वसूली

3911. **श्री बी. वी. देसाई :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसान सामान्य किस्म के धान के लिए प्रति क्विंटल 105 रुपये के वसूली मूल्य से और धान में नमी के बारे में भारतीय खाद्य निगम द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध से असंतुष्ट है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने नवम्बर, 1980 के मध्य तक कुल कितनी वसूली की थी;

(ग) किस राज्य से सबसे अधिक वसूली हुई थी;

(घ) क्या धान के उचित भंडारण के लिए, पर्याप्त उपाय किये गये हैं;

(ङ) क्या उनके मंत्रालय ने किसानों द्वारा मंडी में बेचे जाने वाले धान में नमी की मात्रा के बारे में विशिष्टियों में ढील देने की माँग को नामंजूर कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) कुल मिलाकर, सरकार द्वारा निर्धारित किये गये धान के वसूली मूल्यों और नमी आदि के बारे में सरकार द्वारा निर्धारित की गई विनिर्दिष्टियों के सम्बन्ध में किसानों की प्रतिक्रिया अनुकूल ही है। भारतीय खाद्य निगम भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई विनिर्दिष्टियों का अनुसरण करता है .

(ख) 26.79 लाख मीटरी टन जब कि पिछले वर्ष उसी अवधि के दौरान 15.65 लाख मीटरी टन थी।

(ग) पंजाब।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी नहीं। धान में नमी-तत्व की सीमा को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 29-10-80 से 20 प्रतिशत कर दिया गया है।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

"हुड्को" द्वारा वित्त-पोषित आवास परियोजनायें

3912. **श्री बी. वी. देसाई :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास तथा नगरीय विकास निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान 74 करोड़ रुपये की लागत की परियोजना पर दो लाख से अधिक ग्रामीण मकानों के लिए वित्त-पोषण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त लागत में से कुल कितने ऋण का वचन दिया गया है;

(ग) क्या "हुडको" द्वारा मंजूर की गई 47 योजनायें विभिन्न राज्यों में सैंकड़ों गाँवों में प्रसारित की गई थी;

(घ) यदि हाँ, तो किन-किन राज्यों में;

(ङ) क्या कर्नाटक में एलाटी को दिये गये प्रति यूनिट मकान की कुल लागत 4000 रुपये प्रति यूनिट थी;

(च) क्या ऐसा राज्य सरकार द्वारा मुफ्त आवंटित भूमि के कारण हुआ था; और

(छ) छठी पचवर्षीय योजना के दौरान ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत कितने मकान दिये जायेंगे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) आवास तथा नगर विकास निगम ने 1977-78, 1978-79 तथा 1979-80 और 1980-81 (अप्रैल-अक्तूबर, 1980) के दौरान 2.55 लाख से अधिक ग्रामीण आवास के निर्माण के लिये 84 करोड़ रुपये की परियोजनायें स्वीकृत की हैं।

(ख) हुडको द्वारा उपर्युक्त परियोजनाओं के लिये उपर्युक्त अवधि में कुल ऋण वचन बद्धतायें 34.37 करोड़ रुपये की योजनायें स्वीकृत की हैं।

(ग) हुडको ने विभिन्न राज्यों में 100 गांवों से अधिक में फैली 47 योजनायें स्वीकृत की हैं।

(घ) राज्यों के नाम ये हैं :

आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब और पश्चिम बंगाल।

(ङ) कर्नाटक राज्य के लिए स्वीकृत ग्रामीण आवास में भूमि के मूल्य को शामिल न करके प्रति एकक निर्माण की लागत स्वीकृत योजनाओं में यथा नियोजित 2619 रुपये से 3525 रुपये के बीच भिन्न-भिन्न हैं।

(च) राज्य में हुडको द्वारा इमदादी ग्रामीण आवास के लिये भूमि का आवंटन कर्नाटक सरकार द्वारा किया गया था।

(छ) 1980-85 के दौरान, हुडको ने विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण आवास के लिये 150 करोड़ रुपये से अधिक की ऋण-राशि स्वीकृत करने के लिये एक कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है।

आयोजना, अनुसंधान, मूल्यांकन तथा निगरानी डिवीजन का कार्यकरण और कर्मचारियों की संख्या

3913. **श्री दया राम शाक्य : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाज कल्याण मंत्रालय के आयोजना, अनुसंधान, मूल्यांकन तथा निगरानी डिवीजन के क्या-क्या कृत्य हैं तथा उसमें कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

(ख) क्या यह सच है कि आयोजना, अनुसंधान मूल्यांकन तथा निगरानी डिवीजन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने गत दो वर्षों के दौरान फील्ड के किसी कार्यक्रम का दौरा नहीं किया है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो गत दो वर्षों के दौरान कितने शहरों, नगरों का दौरा किया है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. वी. चव्हाण) : (क) आयोजना, अनुसंधान, मूल्यांकन तथा निगरानी डिवीजन के कृत्य मुख्यातया ये हैं : (1) आयोजना और योजना समन्वय, (2) अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययनों का प्रयोजन, (3) आँकड़ों का संकलन, (4) डाकुमेन्टेशन और प्रकाशन तथा (5) सामाजिक कार्य शिक्षा और प्रशिक्षण।

इस डिवीजन के टेक्नीकल कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 29 है। (बच्चों के सम्बन्ध में आँकड़ों के संकलन की दो-वर्षीय परियोजना जिस के लिये यूनिसेफ से सहायता मिलती है इसमें शामिल नहीं हैं)।

(ख) जी, नहीं।

(ग) 1979 और 1980 में जिन शहरों/नगरों का दौरा किया गया, उनके नाम हैं : आगरा, इलाहाबाद, बंगलौर, बम्बई, कलकत्ता, दलमउ, फिरोजाबाद, जयपुर, जोधपुर, लखनऊ, पानाजी, उदयपुर और वाराणसी।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के भवन के किरायेदारों को उस पट्टे पर देने की सुविधा

3914. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली ने रीगल भवन, कनाट सर्कस, नई दिल्ली का एक भाग खरीद लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कोई ऐसी शर्त है जिसके अन्तर्गत खरीदे गये भवन का एक तल बहुत कम किराये पर दिया गया है और किरायेदार को आगे उप पट्टे पर दिये जाने की सुविधा दी गई है जो काफी लाभ कमाता है; और

(ग) पूरे तथ्य क्या हैं और तत्सम्बन्धी क्या कारण है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन ने रीगल भवन के अहाते संख्या 24, 47 से 49 तथा 70 को खरीदा था। इस भवन को खरीदने के लिए बातचीत करते समय इसके मालिक सरदार दलजीत सिंह ने इसकी कीमत 10 लाख रुपये माँगी थी लेकिन बाद में वे 6.00 लाख रुपये पर सहमत हो गये थे बशर्ते कि अहाता संख्या 47-49 को इसके तत्कालीन किरायेदार दिल्ली प्रशासन द्वारा खाली किये जाने पर उनकी पत्नी श्रीमती अमरजीत कौर को किराये पर दिया जाए। घटाई गई कीमत को देखते हुये खादी कमीशन ने यह शर्त मान ली थी जिसके परिणाम स्वरूप 4 लाख रुपये की बचत हुई। जैसी कि अहातों की खरीद के समय सहमति हुई थी और खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन तथा सरदार दलजीत सिंह की पत्नी श्रीमती अमरजीत कौर के बीच हुए करार की शर्तों के अनुसार खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन रीगल भवन (पश्चिम) की पहली मंजिल पर अहाता संख्या 47 से 49 को अथवा इसके बदले में दूसरी मंजिल पर पूरे फ्लैट संख्या 70 को किराये पर देने पर सहमत हो गया था।

खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन ने अहाता संख्या 70 को 266) रुपये मासिक के किराये पर श्रीमती अमरजीत कौर को दे दिया था क्योंकि अहाता संख्या 47-49 को खादी ग्रामोद्योग भवन के उपयोग के लिए अधिक उपयोगी पाया गया था। किरायेदार श्रीमती अमरजीत कौर न खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन से इन अहातों को उप किराये पर देने के लिए किराएदारी तथा नगरपालिका अधिनियम के अनुसार अनुमति माँगी थी। कमीशन ने खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा श्रीमती कौर को किराये पर दिये गये अहातों को उप-किराये पर देने की अनुमति दे दी थी बशर्ते कि दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम तथा अन्य लागू कानूनों तथा नियमों का कड़ाई से पालन किया जाये और किराये पर लिये गये स्थान का प्रयोग केवल कार्यालय के लिए किया जाये न कि आवासीय प्रयोजन के लिए। इसके अलावा, यह भी अनुबन्ध किया गया था कि किराये पर देने से पहले किरायेदार अपने आशय तथा उप-किरायेदार के ब्यौरे अर्थात् उसके व्यापार आदि के सम्बन्ध में लिखित रूप में सूचित करेगा। खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन को किसी भी पार्टी को इस प्रकार के उप-किराये पर दिये जाने का विरोध करने का अधिकार होगा यदि इस प्रकार के उप-किराये पर देने से उसी भवन में स्थित खादी तथा ग्रामोद्योग भवन में चल रहे व्यापार पर दुष्प्रभाव अथवा बाधा पहुँचती है। खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन श्रीमती अमरजीत कौर को किराये पर दिये गये अहातों के एक भाग को मैसर्स इन्डियन ओवरसीज बैंक, इन्डियन बैंक अथवा किसी अन्य अनुसूचित बैंक को उपर्युक्त शर्तों के अनुसार उप-किराये पर

देने पर सहमत हो गया था । श्रीमती अमरजीत कौर ने अपने अधिकार में लिए गए अहातों के एक भाग को इन्डियन ओवरसीज बैंक को किराये पर दे दिया है। तथापि, यह मालूम हुआ है कि उन्होंने अहातों को उप-किराये पर देते समय खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा लगाई गई शर्तों का उल्लंघन किया था । अतः उनके विरुद्ध दिल्ली किराया नियंत्रक के पास मुकदमा दायर किया गया है ।

वन्य पशु-पक्षियों की सुरक्षा तथा परिरक्षण

3915. **श्री अशोक गहलोत** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वन्य पशु-पक्षियों तथा साथ ही प्राकृतिक सम्पत्ति की सुरक्षा तथा परिरक्षण के लिये अपनाये जा रहे उदासीन रवैये की जानकारी है;

(ख) क्या देश में वन्य पशु-पक्षियों और प्राकृतिक सम्पत्ति को नष्ट किया जा रहा है जिसके परिणाम स्वरूप इन सम्पत्तियों में काफी कमी हो गई है;

(ग) क्या इन सम्पत्तियों के नष्ट किये जाने पर रोक लगाने के लिए सरकार कोई कार्यवाही कर रही है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (ङ) प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं होता कि माननीय सदस्य किस के उदासीन रवैए' का उल्लेख कर रहे है । जहाँ तक भारत सरकार का संबंध है, यह वन्य-प्राणियों और उनके वास स्थलों की सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में पूरी तरह सजग है । इस दिशा में सब से महत्वपूर्ण कदम 1972 में वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम का लागू किया जाना है । नागालैण्ड और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों को छोड़कर यह अधिनियम सभी राज्यों में लागू है। जम्मू एवं कश्मीर में 1979 में केन्द्रीय अधिनियम के अनुरूप एक अधिनियम बनाया है, जबकि नागालैण्ड सरकार द्वारा वन्य-प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 को लागू किये जाने की संभावना है। इस अधिनियम के समुचित तौर पर लागू करने के लिए अधिकांश राज्यों ने सियम बनाए हैं, जिसमें वन्यप्राणियों के संरक्षण के प्रावधानों का किसी प्रकार का उल्लघन करने पर सख्त सजा की व्यवस्था है ।

2. चूंकि इस कानून का क्रियान्वयन राज्यों के हाथ में हैं, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों और केन्द्र शासित क्षेत्रों से कानूनी प्रावधानों को समुचित तौर पर दृढ़ता से लागू करने के लिये इस मामले पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध कर रही है । राज्यों में वन्यप्राणी संगठनों के सुदृढ़ीकरण के लिये भी मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं, जिन पर वन्यप्राणि रक्षण और संरक्षण का प्रत्यक्ष दायित्व है । प्रधान मन्त्री ने भी सभी राज्यों के मुख्य मन्त्रियों को इस मामले को व्यक्तिगत तौर पर और तुरन्त ध्यान की आवश्यकता पर बल देते हुए लिखा है । केन्द्रीय सरकार चुने हुए राष्ट्रीय उद्यानों और आश्रय स्थलों के विकास के लिये वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है ।

3. देश के वनों का, जो कि हमारी सर्वाधिक मूल्यवान प्राकृतिक सम्पदा है और हमारे

वन्यप्राणियों के लिये प्राकृतिक वास-स्थल है, रक्षा के लिये हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है जिसके तहत किसी वन्य क्षेत्र को गैर वानिकी प्रयोग में लाने से पहले केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति अनिवार्य है। यह आवश्यक तौर पर हमारी प्राकृतिक वन सम्पदा की सुरक्षा और संरक्षण में मदद देगा।

4. पारिस्थिति की और पर्यावरण से सम्बन्धित समस्त कार्य करने के लिये हाल ही में एक नये पर्यावरण विभाग का गठन किया गया है। यह विभाग पारिस्थिति की और पर्यावरण पर प्रभाव डालने वाले मामलों से सम्बन्धित समस्त अन्य एजेंसियों और विभागों की गतिविधियों का प्रबोधन करेगा।

5. संरक्षण और पर्यावरण की समस्याओं के संबन्ध में लोगों को शिक्षित करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। आशा है कि इसके भी दीर्घकालिक लाभ होंगे।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन कार्य वापिस लिया जाना

3916. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से यह अनुरोध किया गया है कि वह राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद से पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन कार्य वापिस ले ले और इसे गैर-सरकारी प्रकाशकों को दे दे; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पर्ल द्वीप में पड़े हुए पेडूक वृक्ष के लट्ठे

3917 **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पर्ल द्वीप में "बिम्को" द्वारा निष्पादित कीमती पेडूक वृक्ष के बड़ी संख्या में लट्ठे पर्ल द्वीप में पड़े हुए हैं और सड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी मात्रा कितनी है और वे कब से पड़े हुए हैं और इन्हें क्यों नहीं बेचा गया है; और

(ग) प्रदेश में पेडूक के लट्ठों को बेचने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) केवल लगभग 11000 घन मीटर लट्ठे बिना प्रयोग के पड़े हुए हैं। यह लकड़ी 1979-80 में तथा चालू वर्ष में तैयार किए गए छोटे डिब्बों से निष्पादित की गई है। यह सही नहीं है कि यह लकड़ी सड़ रही है।

(ग) सरकार की नीति सरकारी आरा मिलों में विभागीय परिवर्तन हेतु पट्टाधारियों से सभी पेडूक लट्ठों को अपने हाथ में लेने की है। इस परिवर्तन के पश्चात लकड़ी रेलवे को भेजी जाती है तथा बची हुई लकड़ी विभिन्न सरकारी विभागों तथा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ती करती है।

"टेलीकम्यूनिकेशनन्ज कन्सलटैन्ट्स इन्डिया लि० डील विद जैपणीज फर्म" शीर्षक से समाचार

3918. **श्री शिव कुमार सिंह :**

श्री पी. एम. सईद :

श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ती : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 नवम्बर, 1980 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "टेलीकम्यूनिकेशनन्ज कन्सलटैन्ट्स इंडिया लि० डील विद जैपनीज फर्मस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो टेलीकम्यूनिकेशन्ज कन्सलटैन्ट्स इंडिया लि० की उन कमियों का ब्यौरा क्या है जिनके कारण वे जापान के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमथ हैं और उनके कार्य-करण तथा क्षमता में सुधार के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ताकि वे किसी भी विदेशी देश से प्रतिस्पर्धा कर सकें; और

(ग) क्या इस बारे में टी. सी. आई. एल. और जापानी फार्मों के बीच कोई समझौता हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और अन्य देशों के नाम क्या हैं जहाँ टी. सी. आई. एल, यह कार्य शुरू करेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कार्तिक उरांव) : (क) जी हाँ।

(ख) टेलीकम्यूनिकेशन्श कंसलटैन्ट्स इन्डिया लि० (जो संचार मंत्रालय, डाक तार बोर्ड के अधीन है। डाक तार विभाग के सम्बन्ध में साधन उपलब्ध करता है तथा सुविज्ञता तैयार करता है। टेली. कन्स० इन्डिया लि० इस समय विदेशों में मुख्यतया तीन प्रकार के क्रियाकलापों में संलग्न है।

(1) सभी प्रकार की दूरसंचार सेवाओं के सम्बन्ध में सलाह देना

(2) दूरसंचार उपस्कर तथा जालकार्य की संस्थापना, अनुरक्षण तथा प्रचालन में सहयोग करना

(3) टर्न की परियोजनाएं।

जब विदेशी दूरसंचार प्रशासनों द्वारा विश्वशनीय टेंडर आमंत्रित किए जाते हैं तब टेली. कन्स. इन्डिया लि० कार्य हेतु बोली लगाता है। यह विचारणीय है कि टेली. कन्स. इन्डिया लि० एक मंत्रणा कम्पनी है जो केवल दो वर्ष पुरानी है। इसे विदेश की मल्टी नेशनल कम्पनीयों के साथ मुकाबला करना पड़ता है जो न केवल तकनीकी दृष्टि से विकसित है अपितु उनकी अर्थव्यवस्था जापान आदि देशों जैसी सुदृढ़ है अतः हमारे देश में प्रशिक्षित तथा विज्ञ जनशक्ति की मंत्रणा कार्य का तकनीकी माँगों का निर्यात हेतु आवश्यकता है, हमारे पास विदेशी वर्ष की परियोजनाओं आदि की माँगों का पूरा करने के लिए निर्यात हेतु उपस्कर की कमी है। अतः यह पता लगना व्यवहारिक,हित में होंगा कि बोली में किसी के साथ मिलकर शामिल हुआ जाए अथवा एक ठेके के रूप में ठेकेदार या मुख्य विदेशी ठेकेदार के बतौर ,ताकि टेंडर प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव आर्थिक दृष्टि से आकर्षक हो।

(ग) ईराक में माइक्रोवेव प्रणाली की संस्थापना के लिए ओ.के.आई. इलेक्ट्रिक कम्पनी जापान से इस प्रकार एक उप ठेका प्राप्त हुआ है था। यह कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया

है। इस कम्पनी के साथ तथा एक दो और कंपनियों के साथ बात चल रही है ताकि इसी प्रकार के करार के साथ तीसरे देश में कार्य प्रारंभ किया जा सके।

केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान के भवनों को खाली किया जाना

3919. **श्री भीखा भाई** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार दिल्ली स्थित अपने भवनों को खाली कराने के लिये केन्द्र सरकार को लिखती रही है,

(ख) यदि हाँ, तो कब तक उक्त भवन खाली करके राजस्थान सरकार को लौटा दिये जायेंगे;

(ग) क्या केन्द्र सरकार कोटा हाउस जोधपुर हाउस तथा बीकानेर हाउस जैसे भवनों का किराया देती रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रोजगार के अवसर बनाने के लिये ग्रामीण उद्योगों का विकास

3920. **श्री सी. चिन्नास्वामी** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोजगार के बहुत से अवसर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर ग्रामीण उद्योगों के विकास का क्या कार्यक्रम है;

(ख) समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार इसके क्रियान्वयन के लिए आरम्भ किए गए विशिष्ट संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा ग्रामिण उद्योगों की विशेषकर तमिलनाडु में, स्थापना करने के लिए क्या भूमिका निभाई जा रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) व (ख) द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्रों में रोजगार के अधिकतम अवसर पैदा करने के उद्देश्य से ग्रामीण उद्योगों, सेवाओं तथा व्यापार के घटक की योजना को फरवरी, 1979 में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक समन्वित ग्राम विकास खंड में प्रतिवर्ष 100 परिवारों को अन्तर्गत लिए जाने का प्रस्ताव है। योजना में उद्यमियों द्वारा छोटे, कुटीर तथा पारिवारिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना करने के लिए व्यवस्था है और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक उद्यमी/कारीगर को 3000 रुपये तक उपादान देने की व्यवस्था है। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और राज्य खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के अन्तर्गत लाए गए 25 ग्रामीण उद्योग में एकक स्थापित करने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता तथा विपणन समर्थन की भी व्यवस्था करते हैं। वर्ष 1979-80 के दौरान खादी तथा ग्रामोद्योगों के सम्बन्ध में उत्पादन 440.01 करोड़ रुपये की सीमा तक था जिसमें 27.53 लाख व्यक्तियों को रोजगार सुलभ किया गया था।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने तमिलनाडु में सूती खादी, सिल्क खादी, कुटी माचिस, ताड़गुड़, ग्रामीण तेल अखाद्य तेल तथा साबुन और ग्रामीण चमड़े के क्षेत्र में कुटी एककों की स्थापना करने के लिए काफी अच्छा काम किया है। वर्ष 1979-80 के दौरा तमिलनाडु में खादी तथा ग्रामोद्योगों के उत्पादन का मूल्य 76.58 करोड़ रुपये था जिसमें 5 ला व्यक्तियों को रोजगार दिया गया था। ग्रामीण उद्योगों, सेवाओं तथा व्यापारिक घटक अन्तर्गत वर्ष 1979-80 के दौरान ग्रामीण उद्योगों के क्षेत्र व तृतीय क्षेत्र में 15045 परिवारों क लाभ पहुँचाया गया जिनमें से 11.33 परिवारों को ग्रामीण उद्योगों में लगाया गया था।

पिछड़े क्षेत्रों में पेय जल के लिए विशेष आबंटन

3921. **श्री रशीद मसूद** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि भारत में लाखों लोगों को पेय जल उपलब्ध नहीं है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश में शिवालिक गिरिपाद के पिछड़े क्षेत्र में विशेषकर पेय जल उपलब्ध कराने के लिए विशेष आबंटन करने का है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राज्य क्षेत्र के संसाधनों से जिनकी प्रतिपूर्ति केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान से करके सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को स्वच्छ पीने का पानी मुहैया करने का लक्ष्य है। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारें योजनाएं तैयार करती हैं और उनका कार्यान्वयन करती हैं तथा इनमें उत्तर प्रदेश के शिवालिक पर्वत की तराई के पिछड़े क्षेत्र के समस्याग्रस्त गांव भी शामिल होंगे।

मद्रास नगर के लिए कृष्णा नदी का जल

3922. **श्री एन. डेनिस** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास नगर के लिए कृष्णा नदी का जल लाने के लिये आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु राज्यों द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) परियोजना के निष्पादन में विलम्ब के कारण क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) मद्रास शहर को जल की सप्लाई के लिये कृष्णा नदी का 15 टी. एम. सी. जल देने के बारे में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों के बीच 28 अक्तूबर, 1977 को एक करार हुआ था। बाद में इस करार का संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अनुसमर्थन कर दिया गया था।

तमिलनाडु सरकार ने अक्तूबर, 1978 में सूचित किया था कि राज्य के अन्दर कृष्णा जल सप्लाई परियोजना के विस्तृत सर्वेक्षण के लिये एक विशेष डिवीजन की चार सब-डिवीजनों और अनुपूरक स्टाफ सहित, स्थापना करने के बारे में स्वीकृति दी गई थी। उस सरकार ने यह भी सूचित किया था कि आन्ध्र प्रदेश क्षेत्र में ऐसा ही काम किया जा रहा है। केन्द्रीय जल

आयोग ने भी तमिलनाडु सरकार से स्कीम की विस्तृत परियोजना-रिपोर्ट तैयार करने तथा संवीक्षा और अनुमोदन के लिये उसे केन्द्रीय सरकार को भेजने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार से विस्तृत परियोजना-रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। सर्वेक्षण कार्य पूरा करने तथा परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम मुख्यत: राज्यों का है।

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा लीबिया में काम पर लगाये गये भारतीय श्रमिक

3923. **श्री ई. बालानन्दन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा लीबिया में काम पर लगाये गये भारतीय श्रमिकों को अपनी शिकायतें पेश करने के लिए प्रबन्धकों ने लीबिया स्थित भारतीय राजदूत से मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी;

(ख) क्या प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों को मजूरी के बकाया उपदान तथा अन्य लाभों की भारी राशियों से वंचित रखा गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या उनको देय राशियों की आदयगी के लिए कोई कदम उठाये गये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के आवंटन में अनियमितताएं

3924. **श्री के. रामामूर्ति** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महत्वपूर्ण व्यक्तियों के सम्बन्धियों और मित्रों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बिना बारी के और फ्लैटों की अनियमित आवंटन के प्रश्न की जांच करने के लिए बनाये गये दल की सदस्यता और विचारणीय विषय क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि हाल की वायुयान दुर्घटना में मरे सिविलियन पायलट की विधवा को मुनीरका में डी. डी. ए. का फ्लैट दिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या यह सुविधा वायुयानों की दुर्घटना में मरने वाले भारतीय वायुसेना के पायलटों के आश्रितों को भी दी जाएगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) ऐसा कोई दल नहीं बनाया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस मामले की जांच की जा रही है।

मैसर्स स्किपर बिल्डर्स, बाराखंभा रोड नई दिल्ली द्वारा भूखण्ड के लिए दी गई बोली

3925. **श्री के. रामामूर्ति** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्ज स्किपर बिल्डर्स, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली ने, जिन्होंने झण्डेवालान में 2400 वर्ग मीटर भूखण्ड के लिये 8·82 करोड़ रुपये की सफल बोली दी थी, नीलामी संबन्धी शर्तों के अनुसार बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 20 प्रतिशत की अदायगी नहीं की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त फर्म द्वारा इस भूखण्ड की कीमत के 20 प्रतिशत की राशि का दिया गया चैक 14 दिन तक भुनाया नहीं गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस भूखण्ड की नीलामी सम्बन्धी नियमों को बदलने के क्या कारण थे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) मैसर्स स्किपर कन्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लि० ने 1,82,91,000.33 रुपये का बैंक ड्राफ्ट तथा 62,83,999.67 रुपये का एक चैक (कुल 2,45,75,000/-रुपये) दिया था । यह राशि 9.82 करोड़ की बोली दी गई राशि के 25 प्रतिशत से कुछ अधिक थी ।

(ख) जी, नहीं । यह चैक उसके अगले दिन ही 9-10-80 को बैंक को प्रस्तुत किया गया था तथा 15-10-80 को रोकड़ ले ली गई थी ।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि चूंकि बोली की वास्तविक राशि की पूर्व कल्पना नहीं की जा सकती है अत: पार्टियां सामान्यत: अन्दाजन बयाना राशि के 25 प्रतिशत के बराबर की राशि के बैंक ड्राफ्ट लाती है । यदि कोई कमी होती है तो दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने वित्त तथा लेखा सदस्य का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने के बाद शेष धन चैक द्वारा प्राप्त करता है ।

केरल में चावल का वितरण बंद किया जाना

3926. **श्री ए. नीलालोहितदसन नाडार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस आशय के समाचार देखे हैं कि केरल में तीन मास के लिए चावल का वितरण बन्द कर दिये जाने की संभावना है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त स्थिति को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या भारत सरकार ने 18 नवम्बर, 1980 के दैनिक 'मलयाला मोनोरामा' में छपे समाचार देखे हैं; और

(घ) उक्त समाचार में वर्णित स्थिति का सामना करने के लिए भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ग) सरकार ने मलयालम मनोरमा में प्रकाशित ऐसे समाचार को देखा है ।

(ख) और (घ) समाचार में प्रकाशित स्थिति सही नहीं है । सरकार केरल को चावल की नियमित पूर्ति करना सुनिश्चित करने के लिये सभी सम्भव उपाय कर रही है । भारतीय खाद्य निगम के पास केरल में 1-11-80 को 78700 मीटरी टन चावल का स्टाक था और नवम्बर, 1980 के दौरान केरल को विभिन्न स्रोतों से कुल 62200 मीटरी टन चावल भेजा गया

था । भारतीय खाद्य निगम ने दिसम्बर, 1980 के लिये एक लाख मीटरी टन चावल भेजने का कार्यक्रम बनाया है ।

किसान सहकारी चीनी लि०, शेखुपुर. उत्तर प्रदेश में निवेश किया गया धन

3927. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसान सहकारी चीनी लि० शेखुपुर, बदायूं (उत्तर प्रदेश) में सार्वजनिक शेयर पूंजी, सरकारी शेयर पूंजी, सरकारी राजसहायता, मिल द्वारा प्रति वर्ष लिये जाने वाली सरकारी ऋणों से अलग-अलग कितनी धन राशि निवेश की गई है;

(ख) मिल को प्रति वर्ष कितनी हानि हुई है और अब तक कुल कितनी हानि हुई है;

(ग) क्या चीनी कारखाने में अपनी पूरी क्षमता से गन्ने की पेराई की है, यदि हाँ, तो प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत गन्ने की पेराई की गई है; और

(घ) पूरी क्षमता से कार्य न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (घ) राज्य सरकार से अभी जानकारी प्राप्त की जानी है ।

किसान सहकारी चीनी लिमिटेड, उत्तर प्रदेश के तुलन पत्र

3928. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसान सहकारी चीनी लिमिटेड, शेखूपुर, बदायूं ने प्रत्येक वर्ष के लिये तुलन-पत्र तैयार किये हैं; और यदि हां, तो कब; और यदि नहीं, तो क्यों नहीं; और क्या उक्त तुलन-पत्र निदेशक-बोर्ड द्वारा अनुमोदित किये गये हैं;

(ख) क्या इसका कारखाने के लेखों की लेखा-परीक्षा की गई है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और यदि लेखा-परीक्षा की गई है तो उसमें की गई आपत्तियाँ दूर कर दी गई हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इस मिल के लिए अधिगृहीत भूमि के मालिकों को उनकी अर्हताओं के अनुसार भर्ती किया गया है; यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (ग) राज्य सरकार से अभी जानकारी प्राप्त की जानी है ।

'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान में आरम्भ किये गये निर्माण कार्य

3929. **श्री अशोक गहलोत** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में वर्ष 1978-79 में 'काम के बदले अनाज' कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने निर्माण कार्य किए गए हैं;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जोधपुर जिले में 3 लाख 80 हजार रुपये की लागत से 76 निर्माण कार्य किए जाने थे जबकि इनमें से 36 निर्माण कार्य बिल्कुल जाली थे;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबन्धी रूपरेखा क्या है और इनमें से कौन से निर्माणकार्य जाली थे;

(घ) क्या सरकार दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) राजस्थान में वर्ष 1978-79 के दौरान काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किए गए निर्माण कार्यों की कुल संख्या 58235 थी । इनमें से वर्ष के दौरान 40832 निर्माण कार्यों को पूरा किया गया था ।

(ख) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सजय गांधी के लिए समाधि :

3930 **श्री चित्त बसु :**

श्री सत्यनारायण जाटिया :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

श्री जगपाल सिंह : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संजय गाँधी विचार मंच की ओर से इस आशय की माँग करते हुए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि संजय गाँधी की याद में सरकारी तौर से एक समाधि उस स्थान पर बनाई जाए जहाँ उनका दहा-संस्कार किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उक्त अभ्यावेद पर कोई निर्णय कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) संजय गाँधी विचार मंच द्वारा पेश किए गए ज्ञापन पर सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है ।

मछली पकड़ने वाली छोटी कम्पनियों के लिए वित्तीय सहायता

3931. **श्रीमती इन्दिरा चेन्नुपत्ति : क्या कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन विकास निधि समिति को अंशत: वित्तपोषित मछली पकड़ने वाली उन छोटी कम्पनियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन्होंने पूरी वित्तीय सहायता के लिए मैक्सिकन मत्स्य नौकाओं का आयात किया था;

(ख) क्या सरकार ने इस बात को देखते हुए कि यह समस्या उनके नियंत्रण से बाहर है उनके अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्ण रूख अपनाया है; और

(ग) सरकार का विचार मैक्सिकन मत्स्य नौकाओं को खरीदने वाली इन छोटी कम्पनियों की सहायता के लिए क्या अन्य कदम उठाने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) उल्लिखित अभ्यावेदन इस मंत्रालय में प्राप्त हो गए हैं ।

(ख) तथा (ग) सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इन कम्पनियों की किस हद तक सहायता की जा सकती है ।

स्थगन प्रस्तावों आदि के बारे में

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक घोषणा करनी है। (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं होगा। मैंने अपनी अनुमति नहीं दी है। जब भी मैं कहता हूं कि "अनुमति नहीं तो इस कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री रामविलास पासवान**

अध्यक्ष महोदय : यह कानून और व्यवस्था की समस्या है। मैंने इसे अनुमति नहीं दी है। आप मेरी बात नहीं सुन सकते और मैं आपकी बात नहीं सुन सकता। मैंने श्री स्वामी को बुलाया है।

डा. सुब्रमण्यम स्वामी (बम्बई, उत्तर-पूर्व) : मैं आपका ध्यान संसद सदस्यों की कार्य निर्देशिका के स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी पृष्ठ 30 की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकृत करने के कोई 30 कारण दिये गये हैं। जब कोई सदस्य किसी समस्या के बारे में बहुत चिंतित अनुभव करे और देखता है कि सभा से बाहर उस विषय की बहुत चर्चा है तो वह स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देता है लेकिन इसे अनुमति नहीं दी जाती। कृपया उस पृष्ठ को देखें। उसमें कहा गया है कि यदि अध्यक्ष महोदय को पूरे तथ्यों का पता न हो.....

अध्यक्ष महोदय : यहां आने से पहले मैं इसे छः बार देख चुका हूं। (व्यवधान)

श्री आरिफ मौहम्मद खान (कानपुर)**

अध्यक्ष महोदय : इसे अनुमति नहीं दी गयी है।

श्री. ई. बालानन्दन (मुकुन्दपुरम) : विश्वविद्यालय अधिकारी अध्यापकों की कई मांगों से सहमत हो गए हैं। लेकिन सरकार बाधा डाल रही है। सरकार को इस बारे में कुछ करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप इसके लिए नियम 377 के अधीन सूचना दे सकते हैं।

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : मुझे आपके कार्यालय ने बताया है कि वित्त मंत्री जी बरोट के विरुद्ध मेरा विशेषाधिकार प्रस्ताव विचाराधीन है। मेरा नियम 225 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 225 के उपबन्धों के अन्तर्गत आप प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। नियमों में इसे विचाराधीन रखने के बारे में कोई भी प्रावधान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : तथ्यों को जाने बिना मैं कैसे निर्णय ले सकता हूं। यह विचाराधीन है।

श्री सोमनाथ चटर्जी**

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

श्री कृष्णदत्त**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिए अनुमति नहीं देता।

श्री धनिक लाल मंडल : हमने जो स्थगन प्रस्ताव दिया था···

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कौन सा ?

श्री धनिक लाल मंडल : स्थगन प्रस्ताव दिया था कि दिल्ली की पुलिस इतनी अक्षम हो गई है···

अध्यक्ष महोदय : वह मंजूर नहीं किया है ।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : दिल्ली में असेम्बली नहीं है और मैट्रोपोलिटिन काउन्सिल भी नहीं है और पाँच-पांच हत्यायें हो रही हैं। इसके बारे में डिसकशन होना चाहिए···

अध्यक्ष महोदय : यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न हैं। इसे स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत नहीं उठाया जा सकता है ।

मारुति लि० संबंधी कतिपय जानकारी के बारे में विशेषाधिकार प्रश्न की सूचना के संबंध में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : 12 दिसम्बर, 1980 को श्री ज्योतिमय बसु ने मारुति लिमिटेड सम्बन्धी कुछ सूचना के बारे में अपने विशेषाधिकार प्रस्ताव के बारे में प्रश्न उठाया था । उन्होंने तथा कुछ अन्य सदस्यों ने मारुति लिमिटेड सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध करने के बारे में भी जोर डाला था ।

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हार्बर) : इनवेंटरी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने यह विचार व्यक्त किया था कि वह मामला विशेषाधिकार प्रश्न के अन्तर्गत नहीं आता और इसे चर्चा के दौरान उठाया जा सकता है जब कुछ सदस्यों द्वारा इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये गये थे. तो मैंने कहा था : मैं इस मामले का पुन: अध्ययन करूंगा । मैं इसकी जांच करूंगा । तब मैं इस पर अपना विनिर्णय दूंगा" ।

उसके बाद मैंने इस मामले का अध्ययन किया था । श्री ज्योतिमय बसु ने 10 दिसम्बर को पुस्तकालय के रेफरेंस सेक्शन को मारुति तथा इसके सहयोगी प्रतिष्ठानों के वर्ष 1973-1980 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा विवरणों की प्रतियाँ उपलब्ध करने के लिए कहा था । उसी दिन रजिस्ट्रार आया कम्पनीज को उस बारे में कहा गया । 12 दिसम्बर, 1980 को पुस्तकालय ने रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज के पास उपलब्ध 1971-72 से 1975-76 के वर्षों के वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त किये ।

श्री ज्योतिमय बसु तथ्य अन्य सम्बन्धित सदस्यों को ग्रंथालय में उपलब्ध इन प्रतिवेदनों के बारे में बताया गया, और ग्रंथालय को शनिवार तथा रविवार को भी खुला रखा गया ।

कुछ सदस्यों ने 12 दिसम्बर, 1980 को सभा में इस बात का उल्लेख किया था और मुझे पत्र भी लिखा था कि सरकार सदस्यों द्वारा मारुति कारखाने के दौरे की व्यवस्था करे (इस पत्र की एक प्रति को मैंने उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री को भेज दिया और राज्य मंत्री से प्राप्त उत्तर की प्रतियाँ उसी दिन सम्बन्धित ग्रुपों के नेताओं को भेज दी गयी ।

एक माननीय सदस्य : क्या तर्क दिया गया ?

अध्यक्ष महोदय : यह तर्क का प्रश्न नहीं है। मैं तर्क से कोई सरोकार नहीं है।

श्री बसु ने एक पत्र में, जिसे मैंने आज प्राप्त किया, कहा है कि इससे सम्बन्धित चर्चा को कारखाने के दौरे तक स्थगित किया जाये। ऐसा न तो कोई नियम है और न ही कोई पूर्वोदहारण है जिसके अन्तर्गत संसद सदस्यों के लिए सभा में किसी विधेयक पर चर्चा करने से पहले कारखाने का दौरा करना अनिवार्य हो। अन्य कार्य के साथ-साथ लोकसभा को दो विधेयकों, अर्थात् नेशनल कम्पनी लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा हस्तांतरण) विधेयक 1980 तथा बंगाल रासायन तथा औषध कार्य लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण तथा हस्तांतरण) विधेयक 1980, पर विचार करने का अवसर मिला और सदस्यों ने इनके बारे में कोई भी दौरे नहीं किए। विधेयक पर उसी रूप में विचार किया जा सकता है जिस रूप में वे कार्यसूची में दर्शाये दिये गये हों।

श्री ज्योतिमय बसु : क्या आप कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलायेंगे ताकि इस पर विचार हो सके ? हम इसे कई बार कर चुके हैं। इससे मंत्री महोदय का साहस बढ़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : कार्य-मत्रणा समिति की बैठक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी।

श्री ज्योतिमय बसु : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति देना या न देना मेरी इच्छा पर निर्भर करता है।

श्री ज्योतिमय बसु : ऐसा पहले भी कई अवसरों पर हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री ज्योतिमय बसु : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति सक्षय है···

अध्यक्ष महोदय : यह अपना समय लेगा। मैं पहले ही कह चुका हूं। (व्यवधान) नहीं, इसे अस्वीकार किया जाता है। (व्यवधान)

श्री स्टीफन।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर और हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की समीक्षायें और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इनके सभा पटल पर रखे जाने में हुए बिलम्ब का कारण बताने वाले विवरण और भारतीय तार (छठा संशोधन) नियम, 1980

संचार मंत्री (श्री सी. एम स्टीफन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(क) (एक) इंडियन टेलीफोन इण्डिस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)।

(दो) इन्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, बगलौर का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ (ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए सख्या एल. टी. —1558/80)।

(ख) (एक) हिन्दुस्तान टेलप्रिन्टर्स लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर्स लिमिटेड, मद्रास का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(2) उपर्युक्त मद (1) के (क) (दो) और (ख) (दो) में उल्लिखित प्रतिवेदनों के हिन्दी संस्करण साथ-साथ न रखे जाने के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-1559/80]

(3) भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा (7) की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (छठा संशोधन) नियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनाँक 22 नवम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 1218 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.-1560/80]

नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 का आदि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के वर्ष 1978-79 तथा रीजनल इंजीनियरिंग कालेज दुर्गापुर के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखे, केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, सरदार वल्लभभाई रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग, सूरत के वर्ष 1978-79 का वार्षिक लेखा, विश्वेशवरैया रीजनल कालेज आफ इंजीनियरिंग, नागपुर, मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, जयपुर और मौलाना आजादकालेज आफ टेक्नोलोजी, भोपाल के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षाएं।

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्री (श्री एस. बी. चव्हाण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.-1561/80]

(2) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, बनारस के वार्षिक लेखें, खण्ड 1 और 2 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.-1562/80]

(3) रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, दुर्गापुर के वर्ष 1977-78 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए एल. टी.-1563/80]

(4) (एक) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) केन्द्रीय तिब्बती विद्यालय प्रशासन, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल .टी.-1564/80]

(5) सरदार वल्लभभाई रीजनल कालेज आफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, सूरत के वर्ष 1978-79 के वार्षिक लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी.1565/80]

(6) (एक) विश्वेशवरैया रीजनल कालेज आफ इन्जीनियरिंग, नागपुर के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) विश्वेशवरैया रीजनल कालेज आफ इन्जीनियरिंग, नागपुर के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी.-1566/80]

(7) (एक) मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, जयपुर के वर्ष 1979-80 (जुलाई, 1979 से जून, 1980) के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) मालवीय रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज, जयपुर के वर्ष 1979-80 (जुलाई, 1979 से जून, 1980) के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी.1567/80]

(8) (एक) मौलाना आजाद कालेज आफ टेक्नोलाजी, भोपाल के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति।

(दो) मोलाना आजाद कालेज आफ टेक्नोलाजी, भोपाल के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल. टी.-1568/80]

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : महोदय, जहाँ तक मद संख्या 3 की बात है, शिक्षा मन्त्री श्री चव्हाण ने नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, नई दिल्ली, बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय और रीजनल इन्जीनियरिंग कालिज, दुर्गापुर के वार्षिक लेखाओं की प्रतियाँ सभा-पटल पर रख दी हैं। इन दस्तावेजों में, सभी तीनों मदों के बारे में वर्ष 1977-78 की रिपोर्टों का उल्लेख किया गया है। इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में जो तीन वर्ष का समय लगा है उसका कारण बताने वाला विवरण भी यदि मंत्री महोदय सभा-पटल पर रख देते तो अधिक अच्छा होता।

अध्यक्ष महोदय : परुलेकर जी एक बात और है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। नियम 305 ग में कहा गया है।

"यदि कोई समस्या नियम 305 ख के उपनियम (i) में उल्लखित किसी विषय पर कोई चर्चा उठाना चाहे तो वह उसे समिति के पास भेजेगा और उसे सदन में नहीं उठायेगा।"

श्री बापू साहिब परुलेकर : यह एक परम्परा है, हम इसका पालन करते रहे हैं। हमें यह पता होना चाहिये कि आखिर क्यों हम इसका पालन करते रहे हैं। इसमें कोई विलम्ब नहीं होना चाहिये। अब से बाद में उन्हें इसे रिकार्ड में रखना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री एस. बी. चव्हाण : विलम्ब के कारणों का विवरण देने वाला पत्र भी तो सभा-पटल पर रख दिया गया है।

डा. सुब्रमणयम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : यह तो बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय से सम्बद्ध मद 3 (2) के बारे में है। मैं यह बता देना चाहता हूँ कि इस संसद के प्रतिनिधि यह देखने के लिए विश्व-विद्यालय न्याय-पीठ में बैठे हुए हैं कि लेखा और अन्य बातें उचित ढंग से चलती रहें। मुझे यह जानकर आघात पहुँचा है; क्योंकि संसद की ओर से मैं स्वयं भी बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय की न्यायपीठ का एक सदस्य रहा हूँ और गत सात वर्ष से बनारस हिन्दू विश्व-विद्यालय न्यायपीठ की एक भी बैठक नहीं हुई है। इस स्थिति को सही किया जाना चाहिये अन्यथा लोगों के प्रति हम अपने उत्तरदायित्व को उचित ढंग से निष्पादित नहीं कर सकेंगे।

लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान दिये गये विभिन्न आश्वासनों आदि पर की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण, दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली तथा दिल्ली नगरीय कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ।

(1) लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) विवरण संख्या 21—चौथा सत्र, 1978	छठी लोक सभा
(दो) विवरण संख्या 15—पाँचवां सत्र, 1978	
(तीन) विवरण संख्या 13—छठा सत्र, 1978	
(चार) विवरण संख्या 16—सातवां सत्र, 1979	
(पाँच) विवरण संख्या 7—आठवाँ सत्र, 1979	
(छः) विवरण संख्या 4—दूसरा सत्र, 1980	सातवीं लोक सभा
(सात) विवरण संख्या 6—तीसरा सत्र, 1980	

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.1569/80]

(2) (एक) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(दो) दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.-1570/80]

(3) (एक) दिल्ली नगरीय कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक लेखे हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) दिल्ली नगरीय कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के लेखों की समीक्षा हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी.-1571/80]

राष्ट्रीय भारी इन्जीनियरिंग सहकारिता लिमिटेड, पुणे और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फैडरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 30-6-79 को समाप्त होने वाले वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षायें, तथा इसमें हुए विलम्ब का कारण बताने वाला एक विवरण, आल इण्डिया फैडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स, लिमिटेड बम्बई का वर्ष 1977 से 1979 तक के वार्षिक प्रतिवेदन और उनकी समीक्षा तथा इन पत्रों के सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब का कारण बताने वाला एक विवरण तथा नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन और समीक्षा।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण और सिंचाई मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव) : मैं निम्नलिखित पत्र समापटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राष्ट्रीय भारी इन्जीनियरिंग सहकारिता लिमिटेड, पुणे का 30 जून, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय भारी इन्जीनियरिंग सहकारिता लिमिटेड, पुणे के 30 जून, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(2) विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी.-1572/80]

(3) (एक) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फैडरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 30 जून, 1979 को समाप्त हुये वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन फैडरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के 30 जून, 1979 को समाप्त हुये वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(4) उपरोक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये, देखिए संख्या एल. टी.-1573/80]

(5) आल इण्डिया फैडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, बम्बई के 30 जून, 1977 को समाप्त हुये वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और लेखापरीक्षित लेखे। [ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल. टी.-1574/80]

(6) आल इण्डिया फैडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, बम्बई के30 जून, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति और लेखा परीक्षित लेखे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी.-1575/80]।

(7) आल इण्डिया फैडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, बम्बई के 30 जून, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति और लेखापरीक्षित लेखे।

(8) आल इण्डिया फैडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, बम्बई के 30 जून, 1979 को समाप्त हुये वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति ।

(9) उपरोक्त (5) से (8) में उल्लखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी.-1576/80] ।

(10) (एक) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति ।

(दो) नेशनल काउंसिल फार कोआपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी.-1577/80] ।

श्री बापू साहिब परूलेकर : मैं मद 5(5) का उल्लेख करना चाहता हूं :

"आल इण्डिया फैडरेशन आफ कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, बम्बई के 30 जून, 1977 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति और लेखापरीक्षित लेखे ।"

तीन वर्ष बीत गये हैं । मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन कब प्राप्त हुआ और तीन वर्ष तक इसे सभापटल पर क्यों नहीं रखा गया और क्या वर्ष 1978-79 का प्रतिवेदन तैयार है या नहीं । मैं यह जानना चाहता हूं कि तीन वर्ष तक का समय लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने के लिए क्यों चाहिये ।

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : अधिकांश विलम्ब तो गत तीन वर्षों के दौरान हुआ ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : जनवरी के बाद की क्या स्थिति है ?

श्री बीरेन्द्र सिंह राव : मैं पता करूंगा । इसे शीघ्र सभा पटल पर रखा जाएगा । यदि कोई विलम्ब हुआ है तो हम इसे कम करेंगे ।

नेशनल काउंसिल आफ साइंस, म्यूजियमस, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन. तथा विलम्ब का कारण बताने वाला एक विवरण, संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 और नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन ।

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) (एक) नेशनल काउंसिल आफ साईन्स, म्यूजियमस, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल काउन्सिल आफ साइंस म्यूजियमस, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) उपरोक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी.-1578/80] ।

(3) (एक) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी.-1579/80] ।

(4) (एक) नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(दो) नेशनल स्कूल आफ ड्रामा, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल. टी.-1581/80] ।

चीनी उद्योग विकास परिषद् का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन .

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : मैं उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 7 की उपधारा (4) के अन्तर्गत चीनी उद्योग विकास परिषद के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी.-1581-80] ।

लोक लेखा समिति के विवरण

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं निम्नलिखित विवरणों के अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निगम कर और आय-कर—एक समीक्षा से सम्बन्धित 61वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के अध्याय I में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय 5 के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरों का विवरण ।

(2) प्रत्यक्ष करों से संबन्धित 14वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) के अध्याय I में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही तथा अध्याय 5 के सम्बन्ध में अन्तिम उत्तरों का विवरण ।

राज्य सभा से सन्देश

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य सम्पादन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 11 दिसम्बर, 980 की अपनी बैठक में पारित बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक, 1980 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है ।"

महोदय मैं राज्य सभा द्वारा पास किया गया बिक्री संवर्धन कर्मचारी (सेवा-शर्तें) संशोधन विधेयक, 1980 सभा पटल पर रखता हूँ ।

लोक लेखा समिति

पहला, सातवां और नवाँ प्रतिवेदन

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) वर्ष 1977-78 के विनियोग लेखाओं (सिविल), (रेलवे), (रक्षा सेवाओं) और (डाक तथा तार) में उल्लिखित स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय तथा वर्ष 1976-77 के स्वीकृत अनुदानों और प्रभारित विनियोगों से अधिक व्यय से सबधित 87वें और 104वें प्रतिवेदनों (छठी लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पहला प्रतिवेदन ।

(2) वाणिज्य मंत्रालय से संबधित अवशोषक रूई के निर्यात के लिये नकद सहायन से सम्बन्धित 108वें प्रतिवेदनों (छठी लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफरिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सातवाँ प्रतिवेदन ।

(3) संचार मत्रालय से संबधित पंचवर्षीय आवर्ती जमा खातों पर की गई अधिक अदायगियों से संबंधित 112वें प्रतिवेदन (छठी लोक सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में नौवाँ प्रतिवेदन ।

प्राक्कलन समिति

दूसरा प्रतिवेदन

श्री एस. बी. पी. पट्टाभिराम राव (राजमुन्द्री) : मैं पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय (पुनर्वास विभाग)— दण्डकारण्य परियोजना—अधिवासियों का पालायन (1978) से सबंधित प्राक्कलन समिति (छठी लोक सभा) के 30वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

सभा से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

दूसरा प्रतिवेदन

श्री पी. वी. जी. राजू (बोबिली) : मैं समा से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री एल. आई. ब्रजनेव की यात्रा के संबंध में प्रधान मन्त्री के वक्तव्य के बारे में घोषणा

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि प्रधान मन्त्री सोवियत संघ की

कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव और सोवियत संघ की सुप्रीम सोवियत के प्रिसिडियम के चैयरमैन श्री एल. आई. ब्रेजनेव की 8 से 11 दिसम्बर, 1980 तक भारत की यात्रा के बारे में आज 2.45 म. प. सभा में एक वक्तव्य देंगी।

डा. सुब्राह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, आपको इस पर एक चर्चा की अनुमति देनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

1980-81 में भारत का व्यापार-घाटा

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मैं वाणिज्य मन्त्री महोदय का ध्यान अविम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :-

"भारत का व्यापार घाटा वित्तीय वर्ष 1980-81 के दौरान 4,000 करोड़ रुपये से अधिक होने का समाचार।"

वाणिज्य तथा इस्पात खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : वर्ष 1977-78 से भारत के व्यापार घाटे की स्थिति बराबर बिगड़ती रही है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से प्रकट होता है :

(करोड़ रुपए में)

	1976-77	1977-78	1978-79	1979-80
निर्यात	5142.25	5404.26	5726.26	6426.86
		(3.1)	(6.0)	(12.2)
आयात	5073.79	6025.29	6814.30	8683.55
		(18.7)	(13.1)	(27.4)
व्यापार शेष	468.46	621.03	1088.04	2256.69

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े यह दर्शाते हैं कि पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है।

1979-80 में जब कि निर्यात में 12.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, आयात में 27.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जिससे 2,256.7 करोड़ रु. का व्यापार घाटा हुआ। 1980-81 की पहली तिमाही में, जिसके नवीनतम अनन्तिम आंकड़े उपलब्ध हैं, निर्यात में लगभग 7 प्रतिशत वृद्धि होने का अनुमान है जब कि इस तिमाही के दौरान आयात पिछले वर्ष की उसी अवधि के आयात के मुकाबले में लगभग 63 प्रतिशत अधिक रहे।

1980-81 की पहली तिमाही में निर्यात में वृद्धि की दर धीमी रही क्योंकि 1979-80 में

सूरे का प्रभाव रहा और अर्थ-व्यवस्था के क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि धीमी रही क्योंकि उस वर्ष कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्रमशः 10 प्रतिशत, 1.5 प्रतिशत और 3 प्रतिशत की कमी आइ। कृषि और औद्योगिक उत्पादन, बिजली की सप्लाई तथा अर्थ-व्यवस्था की अवस्थापना सम्बन्धी अन्य आवश्यकताओं में सुधार और साथ ही निर्यात उत्पादन पर घरेलू बाधाओं को दूर करने के लिये सरकार द्वारा किये गये विभिन्न उपायों तथा निर्यात संवर्धन सम्बन्धी अन्य उपायों को देखते हुए 1980-81 के उत्तरार्ध के लिये बेहतर संभावनाएं प्रतीत होती हैं। ऐसी आशा है कि 7100 करोड़ रु. का 1980-81 का निर्यात लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा और यदि सम्भव हुआ तो इससे अधिक भी निर्यात हो जाएगा।

विश्व व्यापार की धीमी गति, अर्थ-व्यवस्था में मंदी और विदेशों में संरक्षणवादी प्रवृत्तियों के बढ़ने को देखते हुए यह कोई कम उपलब्धि नहीं होगी। हमारी आशावादिता इस बात पर आधारित है कि कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नीति सम्बन्धी हमारी पहल के अनुसार काम करना शुरू कर दिया है। सम्बन्धित निर्यात संवर्धन परिषदों से उपलब्ध आंकड़ों से यह पता चलता है कि 1980-81 की प्रथम छमाही के महीनों के दौरान इन्जीनियरी उत्पादों, साधित खाद्य पदार्थों, बेसिक रसायनों, पटसन उत्पादों, हस्तशिल्प की वस्तुओं और वस्त्र आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 80 से 100 प्रतिशत वृद्धि दर रही है। माननीय सदस्यों को यह जानकर खुशी होगी कि सांताक्रुज और कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्रों से होने वाले निर्यातों से प्रकट होता है कि उनके निर्यात निष्पादन में इससे भी ऊंची वृद्धि दरें रही हैं।

निर्यात में इतनी वृद्धि के बावजूद 1980-81 में मुख्य रूप से पेट्रोलियम और उर्वरकों की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में तीव्र वृद्धि होने के कारण व्यापार घाटा 4000 करोड़ रु. से भी अधिक हो सकता है। पेट्रोलियम की कीमतों में पिछले वर्ष से पहले ही 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो गई है। ऐसा अनुमान है कि 1980-81 के पूर्वार्ध में पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादों का आयात 2,500 करोड़ रुपये से भी अधिक का होगा जब कि 1979-80 के पूरे वर्ष में 3,213 करोड़ रुपये के आयात किये गये थे।

सरकार बढ़ते हुए व्यापार घाटे की सम्भावनाओं पर गम्भीर रूप से चिन्तित है। हाल ही में सरकार ने निर्यात बढ़ाने के लिये कई उपाय किये हैं। इनमें शामिल हैं, "लाइसेंस शुदा क्षमता" के प्रयोजन के लिये निर्यात हेतु उत्पादन को उसमें शामिल न करना और निर्यात उत्पादन के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी के आयात के लिये "प्रधान" अनुकूल व्यवहार देना, सभी शत-प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों को मुक्त व्यापार क्षेत्र जैसा व्यवहार देना, "आटोमेटिक विस्तार" के लिये उद्योगों की सूची का विस्तार करना और महानगरों में स्थित नए उपक्रमों पर लागू किये गये प्रतिबन्धों में निर्यातक एककों के मामले में चयनात्मक आधार पर छूट देना।

सरकार ने निर्यात उत्पादन के लिये अन्तर्निविष्ट साधनों की योजना को भी सुव्यवस्थित कर दिया है ताकि अन्तर्निविष्ट साधनों की उपलब्धि बढ़ सके। उदाहरण के तौर पर 1980-81 के लिये इन्जीनियरी वस्तुओं के निर्यात के लिये इस्पात सम्बन्धी आवश्यकताओं की व्यवस्था पहले ही कर दी गई है। सरकार निर्यातों के लिये अधिक मात्रा में ऋण उपलब्ध करने के लिये और उपाय कर रही है। इसके अलावा जो नया एग्जिम बैंक शीघ्र ही स्थापित किया जाने वाला है उससे निर्यात के लिये वित्तीय अवस्थापनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। विलम्ब की अवधि कम

करने के लिये शुल्क वापसी के दिये जाने की प्रक्रिया को भी सरल एवं कारगर बनाया जा रहा है। साथ-साथ, इस्पात, कोयले, उर्वरक तथा अलौह धातुओं के उत्पादन को बढ़ाने और तेल पूर्वेक्षण तथा उत्पादन की गति को तेज करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। इस प्रकार आयातों पर की गई बचत से व्यापार अन्तराल को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान मिल सकेगा।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, हमें एक गम्भीर रिपोर्ट का समर्थन करने वाला सरकार से एक वक्तव्य मिला है जिसके अनुसार वित्तीय-वर्ष 1980-81 के दौरान भारत का व्यापार घाटा 4000 करोड़ रुपये से बढ़ सकता है। माननीय वाणिज्य मंत्री के साथ मुझे सहानुभूति है क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि वे अपने आपको एक बुरी स्थिति में पाते हैं। निश्चय ही यह दुर्भाग्य है कि जनता पार्टी ने ऐसी अर्थ-व्यवस्था अपने पीछे छोड़ी जो अस्त-व्यस्त थी और वर्तमान सरकार को ऐसी ही अर्थव्यवस्था उत्तराधिकार में मिली।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

भारी मात्रा में धन आने से प्रोत्साहित होकर जनता सरकार ऐसी वस्तुओं का भी आयात करती रही जिनका देश में ही कम लागत पर उत्पादन किया जा सकता था। फिर भी हम उसके सभी पहलुओं पर नहीं जा सकते। मुझे वाणिज्य मंत्री से सहानुभूति है क्योंकि बुनियादी सुविधाओं और उत्पादन के संबंध में अन्य विभागों द्वारा कठिनाइयों का सामना करने के कारण भी वे अशक्त हो गए हैं।

यदि उद्योग पूरी क्षमता से उत्पादन कर सकते हैं तो सीमेंट, उर्वरक आदि का आयात बन्द किया जा सकता है। परन्तु, बिजली, कोयला आदि की कमी के कारण यह संभव नहीं है। इसलिए हम इस विशेष तथ्य को देखते हैं। सरकार से अपनी सहानुभूति व्यक्त करते समय, मुझे माननीय मंत्री द्वारा स्थिति को सुधारने के लिए उठाये जा रहे प्रस्तावित कदमों की प्रशंसा करनी होगी।

फिर भी, मैं संकेत देना चाहूंगा कि सरकार के पक्ष में सन्तोष, अकारण सन्तोष, का थोड़ा अनुभव हो रहा है। सरकार का कहना है कि वर्ष 1980-81 का निर्यात लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा। यह आगे कहती है कि यह छोटी लक्ष्य प्राप्ति नहीं है। इस विशेष बात पर टिप्पणी करने से पहले मुझे कहना होगा, कि यह सरकार के पक्ष में दुखद सन्तोष है। मुझे कहना होगा कि यदि हम अपने देश के निर्यात कार्य-निष्पादन पर दीर्घकालिक दृष्टि डालें तो यह बहुत निराशाजनक तथा खराब स्थिति में है।

निर्यात कार्य-निष्पादन के किसी संकेतक को लेने पर हम देखते हैं कि स्थिति बड़ी निराशाजनक है। उदाहरणार्थ, यदि हम निर्यात की वार्षिक औसत विकास दर को लेते हैं तो पता चलता है कि 1950-60 में जब विश्व की निर्यात विकास दर 6.2 प्रतिशत थी तब भारत की विकास दर नगण्य थी। 1960-70 से, जब विश्व की विकास दर 8.9 प्रतिशत थी तब भारत की विकास दर 3.6 प्रतिशत थी; 1970-74 से जब विश्व की निर्यात विकास दर 27.9 प्रतिशत थी तब भारत की विकास दर 15 प्रतिशत थी; 1974-77 से जब विश्व की निर्यात विकास दर 11.2 प्रतिशत थी तब भारत की विकास दर पहले से बेहतर 13.4 प्रतिशत थी। 1977-78 के लिए

जब विश्व की विकास दर 14.2 प्रतिशत थी तब भारत की विकास दर केवल 4.5 प्रतिशत थी। वास्तव में, 1978 की स्थिति के लिए मैं आपको जिम्मेदार नहीं ठहराता। वह अलग बात है। परन्तु हमारे पास दूसरों को जिम्मेदार ठहराने का घिसा-पिटा उत्तर नहीं होना चाहिए। हमें अपनी स्थिति बतानी होगी कि स्थिति सन्तोषजनक नहीं है या जो भी हो और इस प्रकार का वक्तव्य नहीं देना चाहिए कि यह लक्ष्य प्राप्ति कोई कम नहीं है। श्रीमान्, यदि विश्व व्यापार में भारत के सहयोग को लें तो 1950 में यह 2.2 प्रतिशत था; 1955 में यह 1.4 प्रतिशत थी 1963-64 में यह 1.2 प्रतिशत था; 1970-71 में यह 0.7 प्रतिशत था; 1973-74 में यह 0.6 प्रतिशत था; और 1978 में यह 0.5 प्रतिशत था। यह एक निरन्तर ह्रास है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन के निर्यात प्रतिशत के प्रश्न को लें यो यह 1950-51 में 6.3 प्रतिशत था और इसके बाद के वर्षों में 1970-71 तक यह बिल्कुल वही 6.9 प्रतिशत था।

हमें बताया गया था कि वर्ष 1980-81 के लिए निर्यात लक्ष्य 7,100 करोड़ रुपये था। आज आपने स्वीकार किया कि व्यापार घाटा बढ़ रहा है और यह 4,000 करोड़ रुपये तक हो सकता है। आप आगे कहेंगे कि बढ़ते हुए व्यापार घाटे को देखते हुए आपने कुछ उपाय किये हैं। परन्तु निर्यात को प्रोत्साहन देने वाले इन उपायों के साथ आप केवल यह कहते हैं कि आप अपने पिछले निर्धारित निर्यात लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। बढ़ते व्यापार घाटे को देखते हुए आपको अपने निर्यात लक्ष्य को किंचित संशोधन करना था और इन वर्षों में उठाए गए किंचित अतिरिक्त उपायों से पिछले निर्धारित निर्यात लक्ष्य, 7,100 करोड रुपयों से ज्यादा होना चाहिए था।

अतः, मेरा प्रश्न है : क्या यह सच है कि निर्धारित निर्यात लक्ष्य 7,100 करोड़ रुपये होने के कारण सरकार यह लक्ष्य प्राप्त करना असम्भव समझती है ? क्या यह सच है कि यह सरकार द्वारा निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने में इसकी असफलता नहीं दर्शाती ? क्या यह सच नहीं है कि निर्यात को सुधारने के लिए, बढ़ते व्यापार घाटे को देखते हुए, दी गई अतिरिक्त रियायतें केवल पिछले निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने की ओर अग्रसर हैं, न कि व्यापार घाटे द्वारा उत्पन्न स्थिति से, जिसकी तेल और उर्वरक के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के कारण और बढ़ने की सम्भावना है, से निपटने की ओर अग्रसर है। इसलिए सरकार ने इस स्थिति से निपटने के लिए क्या विशेष कदम उठाए हैं, जो वास्तविक लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही नहीं अपितु तेल और उर्वरकों के ऊंचे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से उत्पन्न कठिनाइयों और परिस्थितियों से निवारण के सबंध में उत्पन्न की गई और जिसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा बढ़ रहा है।

यह घोषणा की गई है कि पूरी तरह निर्यात पर निर्भर निर्यात इकाइयों को उनके निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सभी सुविधाएं दी जाएंगी।

अब मैं कहूंगा कि निर्यात एक खतरनाक व्यापार है। फैशन, प्रवृत्ति और रुचि आदि में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार परिवर्तनशील हैं। अतः कोई भी इकाई (बड़ी या छोटी) निर्यात व्यापार पर 100 प्रतिशत पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकती। प्रत्येक इकाई को कुछ हद तक, अर्थात् 40 प्रतिशत तक, घरेलू व्यापार पर निर्भर रहना पड़ता है जिससे यदि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कोई उतार-चढ़ाव आता है तो उद्योग उस आघात को सह सके।

अतः पूर्णतः निर्यात पर निर्भर निर्यात इकाइयों को दी जाने वाली सुविधाओं के

आश्वासन को 60 प्रतिशत तक निर्यात पर निर्भर रहने वाली निर्यात इकाइयों तक भी बढ़ाने के लिए क्या सरकार सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी ?

यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

सरकार को इस संबंध में क्या आपत्ति क्या है ? यह भी स्पष्ट करना होगा ।

अनततः एक और छोटा सा प्रश्न है जिसके साथ मैं समाप्त करना चाहूंगा । हमारे निर्यात व्यापार में सुधार की निश्चित संभावनाएं हैं । खाड़ी क्षेत्रों में आविर्भाव से हमारे पास अतिरिक्त बाजार है । आजकल कई ऐसे क्षेत्र हैं जो विकसित देशों द्वारा खाली किए जा रहें हैं । इसी तरह निर्यात के संबंध में ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ श्रम प्रधान उद्योग हैं ।

अतः श्रीमान्, हमें बताया जाए कि खाड़ी क्षेत्र तक हमारे निर्यात व्यापार के विकास करने हेतु सरकार इन सम्भावनाओं को इस्तेमाल करने के लिए क्या प्रयत्न कर रही है ? यही मेरे प्रश्न हैं । धन्यवाद ।

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मेरे प्रति माननीय सदस्य ने मेरे प्रति जो सहानुभूति प्रकट की उसकी मैं सराहना करता हूं । वास्तव में, माननीय सदस्य ने स्वय ही इसका संकेत किया और स्वयं ही इसे प्रकट किया कि एक निश्चित अवधि में हम जो करने का प्रयत्न कर रहे हैं उससे बेहतर नहीं कर सकते । परन्तु यदि वे मेरे वक्तव्य की व्याख्या यह कह कर करते हैं कि हम सन्तुष्ट हैं या मेरे वक्तव्य में सन्तुष्टि के लक्षण दिखाई देते हैं । मुझे खेद है कि ऐसा नहीं है । मैं वास्तव में बढ़ते हुए व्यापार अन्तर से बहुत चिंतित हू ।

अब प्रश्न है कि इस अन्तर को कैसे पूरा किया जाए । आखिर देश में सम्पूर्ण आर्थिक कार्य निष्पादन पर ही निर्यात निर्भर करता है । कुछ वस्तुयें ऐसी होनी चाहिए जिसका निर्यात के लिए उत्पादन किया जा सके । अतः यदि सामान्य आर्थिक स्थिति नहीं सुधरती तो निर्यात कार्य सुधारना हमारे लिये असम्भव होगा । फिर भी, पिछले नीति निर्माता···इन बातों से अधिक प्रेरित रहे । परन्तु शायद उनका विचार था कि विदेशी मुद्रा (विशेषकर अदृष्य होने के कारण पहले की भाँति आती रहेगी और हमारे पास विदेशी मुद्रा खर्च के लिये पर्याप्त मात्रा में होगी । इस विचार ने नीति-निर्माताओं को पिछले कुछ वर्षों में प्रभावित किया । अतः उन्होंने निर्यात के विकास पर अधिक ध्यान नहीं दिया । अन्य बातों में, माननीय सदस्य ने स्वय संकेत दिया था कि 1974 से 1977 तक (इन वर्षों में) हमारा निर्यात विकास 25 से 27 प्रतिशत के आस-पास था तथा 1977-78 से 1979-80 तक यह 7 प्रतिशत कम हो गया । जहाँ वर्तमान वर्ष के लक्ष्य का संबन्ध है सबको पता है कि यह पहले ही निश्चित किया जा चुका है । वर्ष 1979-80 के सम्पूर्ण कार्य-निष्पादन की पृष्ठभूमि में मैंने वर्ष 1980-81 का लक्ष्य निर्धारित किया है ।

ये लक्ष्य सम्पूर्ण आर्थिक कार्य-निष्पादन के संदर्भ में निर्धारित किये गये । हमारे लिये लक्ष्य तक पहुँचना सम्भव है । इसे हम समय विशेष के दौरान किये गये निर्यात द्वारा स्पष्ट रूप में देख सकते हैं । वक्तव्य में मैंने बताया है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में विकास लगभग 7 प्रतिशत रहा । परन्तु माननीय सदस्य को यह पता है कि निर्यात का विकास शेष अवधि की अपेक्षा पहली तिमाही में सदा कम ही रहता हो हम पिछली अवधि के कार्य से इसका तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं । इससे हमें एक विचार मिल सकता है । हमें पता चलेगा कि क्या हम विकास दर और लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे । परन्तु फिर भी, मैं सहमत हूँ कि जिस लक्ष्य

तक हम पहुँचेगे वह अपर्याप्त होगा क्योंकि केवल तेल पर ही हमारे निर्यात की कुल आय का 65 प्रतिशत लग जाएगा। माननीय सदस्य समझते होंगे कि हमारे लिए विचारणीय सीमा तक तेल आयात को घटाना असम्भव होगा क्योंकि कृषि कार्यक्रमों को बनाये रहना आवश्यक है, यातायात को बनाये रखना आवश्यक है। सामान्य ईंधन, मिट्टी के तेल के बिना भी हम संभवतः काम नहीं कर सकते। इसलिये, जिस नीति का हमें पालन करना है वह है आयात पर निर्भरता को, जिन क्षेत्रों में भी हम कर सकें कम करना पहले भी मैंने बताया है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। माननीय सदस्य ने स्वय उसके बारे में बताया है। उदाहरण के लिए, यदि हम इस्पात, सीमेंट तथा अल्यूमीनियम जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केवल इन तीन क्षेत्रों में—अपने घरेलू कार्य निष्पादन को सुधार सकें तो हम एक हजार करोड़ रुपए के लगभग की बचत कर सकते हैं और यह सम्भव है। 1976-77 में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारा पर्याप्त उत्पादन था और हम इनमें से थोडा निर्यात भी कर सकें। इसलिए, यदि किसी समय हमारे पास सीमेंट उद्योग में, 240 लाख टन की अधिष्ठापित क्षमता होती है, तो क्षमता उपयोग 90 प्रतिशत होता है, हम ऐसा कर सकते हैं। हम उन क्षेत्रों पर अपनी निर्भरता को कम करने का भरसक प्रयास कर रहे हैं ताकि कुल आयात की मात्रा में इसका स्पष्ट रूप से आभास हो। दूसरा क्षेत्र, निःसंदेह खाद्य तेलों का है। 1971 से 1979 दशक के अन्तिम वर्षों में खाद्य तेलों का हमारा आयात बिल बहुत कम था। यह ज्यादा नहीं था। परन्तु अब यह आयात मिल दस लाख तक हो गया है और यदि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त खाद्यान्न का उत्पादन कर सकते हैं तो खाद्य तेल के क्षेत्र में स्वावलम्बी होने की संभावनः है और वाणिज्य मत्रालय में मेरे साथी इस मामले पर विचार कर रहे हैं। हम निर्यात में अपने कार्य निष्पादन को सुधारने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और इसके साथ ही, यथा संभव क्षेत्रों में आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आत्मसंतोष की कोई गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक पेट्रोलियम और तेल उत्पादों का सम्बन्ध है। हम इनके आयात पर अपनी निर्भरता घटाने में सक्षम नहीं होंगे। उससे हमारा समूचा आर्थिक कार्यक्रम अस्त व्यस्त हो जायेगा। इसलिए, इसका यही विकल्प हो सकता है कि जिन क्षेत्रों में हम निर्यात कर सकते हैं वहाँ और ज्यादा उत्पादन करें और इसकी संभावना है। एक समय ऐसा था जब भारत खाद्यान्न का आयात किया करता था। 1971 से 1979 दसक के मध्य में भी हमें खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता था और जहाँ तक विश्व की मौजूदा भविश्यवाणी का सम्बन्ध है ? अनेक देश खाद्यान्नों के आयातकर्ता होंगे और यदि हम कृषि क्षेत्र में स्वावलम्बी बन सकते हैं तो इस क्षेत्र में भी हम अपना निर्यात बढ़ाने की स्थिति में हो जायेंगे। संभवतः, माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि हम इसी वर्ष लगभग 10 लाख टन चावल का निर्यात करने जा रहे हैं।

श्रीमान जी, माननीय सदस्य द्वारा दूसरा मुद्दा यह उठाया गया है। शत प्रतिशत निर्यात करने वाली इकाइयों को हमारे द्वारा दी जाने वाली छूट के क्या परिणाम हैं और क्या हम कार्य निष्पादन को 100 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर सकते हैं। मेरी कठिनाई यह है कि जब हम इस छूट में कमी करेंगे तो निर्यात के लिए कोई भी पहल नहीं होगी क्योंकि स्वयं भारत में ही सरप्लस मार्केट है और जब भारत में ही उन्हें तैयार बाजार मिल सकता है तो कौन विदेशी बाजार में जाने तथा विश्व बाजार की कठिन प्रतियोगिता का सामना करने की परेशानी मोल

लेगा। इसलिए, जो छूट हमने निर्यात कर्ताओं को दी है वह केवल शतप्रतिशत निर्यात करने वालों को दी जानी चाहिये और यदि यह संभव नहीं होता है तब उसमें कुछ रियायत की जा सकती है। हम 2 प्रतिशत या 3 प्रतिशत या पाँच प्रतिशत की भी कमी करने पर विचार कर सकते हैं। परन्तु जब मैं 60 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों को छूट दूगा तो ये सारी छूट लेने की हकदार वे इकाइयाँ भी होंगी जो निर्बाध व्यापार क्षेत्र में स्थापित हैं। तब निर्यात के लिये कोई प्रोत्साहन नहीं रहेगा क्योंकि उत्पादकों को देश में ही तैयार बाजार मिलेगा और हम अपने देश में निर्यात योग्य अतिरिक्त सामान की बात सोच नहीं सकते। यदि हम एक महत्वपूर्ण सीमा तक व्यापारिक अतर को पूरा करना चाहते हैं और यदि हम अपने आवश्यक आयात बिल को पूरा करने के लिये पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से निर्यात के लिए और अधिक उत्पादन करना चाहिए और उत्पादन का एक भाग निर्यात के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। इसीलिए, 60 प्रतिशत के स्तर पर निर्यातोन्मुखी इकाइयों को वे छूट दिया जाना संभव या वाँछनीय नहीं हो सकता, जो हम 100 प्रतिशत के स्तर पर दे रहे हैं। इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि कुल कार्य निष्पादन क्या होगा और उन रियायतों के प्रति जो हमने दी हैं। क्या प्रतिक्रिया होगी। अभी हमें यह देखना है कि कुछ रियायतें अभी हाल ही में घोषित की गई हैं, उन रियायतों को आत्मसात करने और उनको उस आवश्यकता को पूरा करने के अपने उत्पादन कार्यक्रम समायोजित करने में उद्योगों को कुछ समय लगेगा।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अपनी प्रत्येक असफलता के लिए यह सरकार जनता पार्टी को दोषी ठहराती है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले में तो उन्होंने जनता पार्टी के ऊपर दोषारोपण नहीं किया।

श्री हरिकेश बहादुर : इस मामले में उन्होंने ऐसा किया है। यह एक स्थाई बात है। मैं नहीं जानता कि ऐसा कब तक चलता रहेगा जबकि सारा राष्ट्र जानता है कि उन सभी समस्याओं के लिये, जो आज देश में पैदा हो गई हैं। कौन जिम्मेदार है। इस सरकार की सम्पूर्ण अक्षमता, कुव्यवस्था और भ्रष्टाचार के कारण ही यह स्थिति पैदा हुई है कि हर रोज भारत की व्यापारिक घाटे की स्थिति बिगड़ती जा रही है।

निर्यात निरीक्षण परिषद (एक्सपोर्ट इंसपेक्शन काउंसिल) नाम से जाना जाने वाला एक विभाग है। इस विभाग का कर्त्तव्य है अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में देश की अच्छी छवि प्रस्तुत करना, परन्तु यह विभाग सम्पूर्ण भ्रष्टाचार, कुप्रबन्ध का अड्डा बन गया है। उस विभाग में हर काम गलत हो रहा है और मुझे नहीं मालूम कि माननीय मंत्री उस संबन्ध में क्या कर रहे हैं। हर चीज वर्तमान संगठन द्वारा तहस-नहस की जा रही हैं। वहां का निदेशक एक गैर-तकनीकी व्यक्ति है, यद्यपि वह पद एक तकनीकी रूप से निश्चित किया गया पद है। वह सही तरीके से काम को नहीं देखते; वह स्वयं गलत कामों में शरीक हैं और इस बात की पुष्टि के लिए मैं मंत्री जी को सत्यापन हेतु कुछ उदाहरण दूंगा। वह यह भी कहते हैं कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि माननीय मन्त्री उनका बचाव करते हैं। परन्तु मुझे नहीं मालूम कि यह बात कहाँ तक सही है। यदि निर्यात निरीक्षण परिषद सही तरीके से काम नहीं करती और

वहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त रहता है तो विदेशों के लोग हमारे उत्पादों को नहीं खरीदेंगे। मैं उसे उद्धृत करना चाहूंगा जो 'इकानिमिक एज' में कहा गया है :

"ऐसे समय में जबकि अमेरिका जैसे विकसित देशों सहित अधिकांश देश अपने उत्पादों के लिए ज्यादा से ज्यादा कड़ाई से किस्म नियंत्रण की व्यवस्था कर रहे हैं, तब भारत दूसरा ही रवैया अपनाता लग रहा है···यदि भारत दूसरे देशों द्वारा उत्पादित माल के साथ प्रतियोगिता में असफल रहता है तो इससे न केवल उत्पादक इकाइयों की ही, अपितु संपूर्ण राष्ट्र की प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचती है। जब एक बार इस तरह की क्षति हो जाती है तो खोई साख को फिर से प्राप्त करने में वर्षों लग सकते हैं।"

यह स्थिति है : हमारी किस्म नियंत्रण प्रणाली पूरी तरह निष्क्रिय हो गई है और यह पूरी तरह खराब हो गई है। उदाहरण के लिये, चप्पलों का परेषित माल इटली भेजा गया था और इटली में खरीदारों ने उसे लेने से इन्कार कर दिया और उसे वापस कर दिया गया था। उसके बाद बहुत सी बातें हुई हैं जो इस विभाग में होती रही हैं और वह अधिकारी, जो इसके लिए जिम्मेदार था, स्वय इस विभाग का निदेशक है। जब परेषित माल को बम्बई गोदी में रोक दिया गया था तो निदेशक के विशेष अनुदेशों पर कि चीजें एकदम ठीक हैं, इनको इटली भेजा गया था। मैं नहीं जानता कि क्या उसे किसी मंत्री ने निर्देशित किया था अथवा उसने स्वयं ऐसा किया था अततोगत्वा ये अस्वीकृत कर दी गईं और इटली से वापस भेज दी गईं। उसके बाद उसने 65 लाख रुपए की माँग की अथवा ऐसी ही कोई बात हुई है। उन वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध, जो उस सबके जिम्मेदार थे, कोई कार्यवाही नहीं की गई है। उस खामी के लिये कुछ कनिष्ठ अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। मुझे नहीं मालूम अब क्या हो रहा है। उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। इस मसले को* के समक्ष जो निदेशक है, उठाया गया था परन्तु उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। चूंकि वह स्वयं इसमें शरीक है, वह कनिष्ठ अधिकारियों को परेशान करना चाहता है। यदि इसी तरह की बातें बराबर होती रहीं तो कोई भी किस्म नियत्रण नहीं रहेगा। एक अन्य उदाहरण भी है। कालीन निरीक्षण की प्रमुख योजना लदान से पूर्व होने वाले आवश्यक निरीक्षण से समाप्त कर दी गई थी। इसके क्या कारण थे ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वे गदी किस्म की कुछ कालीनें विदेशों में भेजना चाहते थे। इसी कारण से उन्होंने यह निरीक्षण समाप्त करवा दिया। कुछ प्लेटिनीम कुठालियाँ आयात की गई थीं। वस्तुत: वे स्वर्ण योजना के लिए खरीदी गई थीं। अब उनकी चोरी हो गई है। समझ नहीं आता क्या हो रहा है। माननीय मंत्री को निर्यात निरीक्षण परिषद में हो रहीं इन बातों की छानबीन करनी चाहिए अन्यथा स्थिति में सुधार नहीं किया जा सकता और अंततोगत्वा भारतीय व्यापार को इस तरह का घाटा हमेशा होता रहेगा।

इसके बाद, जूट के माल की किस्म नियंत्रण के लिए एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई थी। अब उसे पूरी तरह बदल दिया गया है। अब सामयिक निरीक्षण जैसी कोई बात की जा रही है। इसकी वजह से जूट तथा जूट उत्पादों की किस्म निरंतर बिगड़ती जा रही है। यदि आप विदेशों को इस तरह की चीजें भेज रहे हैं तो क्या वे दोबारा आपके पास खरीद

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

करने के लिए आयेंगे ? ये बातें हो रही हैं इस विभाग में यह निरीक्षण परीषद इन सब बातों के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। परन्तु उन अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जो इससे सम्बन्धित है और मूल रूप से यह अधिकारी जो यह बता रहा है कि मंत्री, महोदय उन्हें संरक्षण दे रहा है और इसलिये कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब इसी समय यह कहना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय को अपना विभाग ठीक करना चाहिए अन्यथा सभी आरोप जो विशेष अधिकारी या विभाग के विरुद्ध लगाये जा रहे हैं, यह मान लिया जाएगा कि ये सब बातें केवल मंत्री महोदय की मेहरबानियों के कारण हो रही है। मैं इस बारे में इसी समय नहीं कहना चाहता हूं परन्तु निश्चित रूप से कुछ समय के बाद अवश्य कहूंगा। उसकी वजह से मंत्री महोदय पर आरोप लगाये जायेंगे। इसलिये मुझे मंत्री महोदय को इस बात का अवश्य स्मरण करना चाहिए कि उन्हे उस विशेष विभाग के कार्यकरण की अवश्य जाँच करनी चाहिये। जिसका मैं उल्लेख कर चुका हूँ। श्रीमान, मेरा प्रश्न है :

(क) क्या मत्री महोदय इस निर्यात निरीक्षण परिषद के कार्यकरण की जांच करने के लिये संसद सदस्यों की एक समिति का गठन करेंगे; तथा

(ख) इस संगठन में सुधार करने के लिए सरकार का कौन-से उपाय करने का विचार है ताकि उचित किस्म नियंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। ये मेरे प्रश्न हैं।

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : श्रीमान, पहले वे आरोप जो माननीय सदस्य लगा चुका है, यदि उन्होंने मुझे नोटिस दिया होता तो मैंने इन प्रश्नों का उत्तर दे दिया होता और एक व्यक्तिगत अधिकारी के बारे में चर्चा करना उचित नहीं है जब कि व्यापार अन्तर का विषय है। वे सामान्य प्रथा के अनुसार मुझे नोटिस भेज सकते थे और उसके बाद मैं इन प्रश्नों के उत्तर दे देता। मैं किसी को भी संरक्षण नहीं देता हूं। यदि वह संरक्षण नहीं चाहता है परन्तु मुझे मंत्री होने के नाते अपने अधिकारियों को संरक्षण देना होगा बशर्ते कि वे सही काम करते हैं। मुझे यह बात जानना है कि क्या वह भ्रष्ट है अथवा नहीं। आपने इसे पहले ही मुझे भेज दिया होता तो मैं तैयार होकर आया होता।

माननीय सदस्य ने कहा है कि हम घटिया किस्म का जूट भेज रहे हैं। आँकड़ों के अनुसार स्थिति कुछ और है। 42% की वृद्धि है। मुझे प्रश्न का उत्तर देने दो। उन्होंने कहा है क्योंकि हम जूट की किस्म का निरीक्षण नहीं करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी बाजार में घटिया माल निर्यात किया जा रहा है और हमारा बाजार समाप्त हो रहा है। इस वर्ष अप्रैल से, 42% वृद्धि हो रही है, जहाँ तक जूट निर्यात का सम्बन्ध है। यदि मैं माननीय सदस्य के निष्कर्ष को मान लूँ कि हम निरीक्षण न होने के कारण घटिया जूट का निर्यात कर रहे हैं तो घटिया माल जा रहा है। क्या विदेशी क्रेता इतने मूर्ख हैं कि वे हमसे जूट खरीदेंगे, जब कि वे बंगला देश से जूट खरीद सकते हैं जब कि वे अन्य देशों से जूट खरीद सकते हैं ? वृद्धि 42% है।

चप्पलों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से सैंकड़ों प्रेषित माल की गाँठे भेजी जाती हैं। चमड़ा और विभिन्न प्रकार के माल भेजे जाते हैं। यदि माननीय सदस्य किसी विशेष मद के बारे में जानना चाहते हैं तो उन्हें मुझे एक नोटिस भेजना चाहिए। इस शिकायत के बारे में कि मैं यह आरोप दूसरे पर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, के सम्बन्ध में, मैं क्या कर सकता हूँ ? मैं

इसकी जाँच करने के लिये तैयार हूँ। मैं पहले कह चुका हूं "मुझे विशिष्ट शिकायत दीजिए। मैं इसकी जांच करूँगा। मैं निरीक्षण परिषद के कार्यकरण की जांच करूँगा।" परन्तु मैं जानता हूं कि जहां तक निरीक्षण संगठन का सम्बन्ध है उसमें क्या राजनीति चल रही है। मुझे विपक्ष की ओर से भी शिकायतें मिली हैं और उनका कहना है कि जब लदान तैयार होता है तो वे समस्या उत्पन्न कर देते हैं या कुछ विरोध कर देते हैं। अन्यथा वे प्रमाणित नहीं करते हैं कि यह अच्छे किस्म का माल है और लदान न हो सकेगा। पार्टियाँ विदेशी बाजार के लिये आर्डर को गवाँ देंगी और घटिया माल का भी प्रश्न है। सामान रूप से सुपुर्दगी की तिथियों का प्रश्न है। इसलिये, हमको इस किस्म की शिकायतें मिल रही हैं। हम इसमें सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता हूँ और प्रमाणित नहीं करता हूँ कि निरीक्षण पूर्ण रूप से ठीक है। उसमें दोष हैं। हम उनका पता लगाने के लिये प्रयास करेंगे और उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। वह निदेशक या कोई भी व्यक्ति हो सकता है। परन्तु मैं विरुद्ध कार्यवाही करूँगा बशर्ते कि मुझे माननीय सदस्य से जानकारी मिल जानी है।

श्रीमान इस शिकायत के बारे में कि मैं यह दोष दूसरों पर थोपने की कोशिश कर रहा हूँ, के बारे में मैं क्या कर सकता हूँ ? 1976-77 में हमारे पास शुद्ध फालतू माल था। यह कटु सत्य है कि 1976-77 से 1977 तक हमारी 27% वृद्धि दर रही है। 1977-78 और आगे की अवधि से मुझे मालूम होता है कि लाभ का बजाय हमें हानि हो रही है। मैं इसमें मदद नहीं कर सकता हूँ। यह सुखद ही हो सकता है। यह माननीय सदस्य के लिये असुखद भी हो सकता है। परन्तु यह कटु सत्य है।

इसलिये, श्रीमान इस वर्ष यदि 640 करोड रुपये से मैं 710 करोड़ रुपये के लगभग निर्यात कर सकता हूँ तो निश्चित रूप से मैं यह कहूँगा कि मैंने थोड़ा सुधार किया है, उस उम्मीद के अनुसार नहीं लेकिन मैं कुछ कर सका हूँ।

संसद सदस्यों के सुझावों के सम्बन्ध में मैं सदैव उनसे विचार-विमर्श करता रहा हूँ बशर्ते कि उनके पास न केवल निर्यात निरीक्षण संगठन बल्कि बहुत से अन्य संगठनों को सुधारने के लिये के बारे में कोई सुझाव रहे हों। यह अति सवेदन शील विभाग है। वहाँ बहुत लोगों की बात मानी जा सकती है। इसलिए, यदि माननीय सदस्य मुझे कोई सुझाव दे सकते हैं तो मैं इसकी जांच करने तथा इसे क्रियान्वित करने के लिये तैयार हूँ। परन्तु उसके लिये औपचारिक समिति की आवश्यकता नहीं है। परन्तु कार्यकरण को सुधारने के लिये तथा अच्छी छबि बनाने के लिये तथा किसी क्षेत्र में यदि कोई दोष है उसका पता लगाने के लिये मुझे कोई सुझाव देते हैं तो उनका स्वागत है। किसी सुझाव को स्वीकार करने में तथा इसे क्रियान्वित करने में मुझे खुशी होगी। कोई समिति नहीं गठित की जा सकती है, बल्कि अनऔपचारिक सुझाव दिये जा सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : सुझाव औपचारिक हो सकते हैं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : औपचारिक सुझाव अनऔपचारिक ढंग से।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो फर्माया उसमें बहरहाल उन्होंने मान लिया कि चार हजार करोड़ का डेफिसिट हो गया है। हमने तो

चार हजार करोड़ की बात कही है और उन्होंने और अधिक की बात कही है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि पाँच परसेंट निर्यात में वृद्धि हुई है और 63 प्रतिशत की वृद्धि आयात में हुई है यानी माल बाहर भेजा कम और बाहर से मंगाया अधिक।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सर्वे रिपोर्ट आई हैं, डायरेक्टोरेट आफ कामर्शियल इंटेलिजेंस, रिजर्व बैंक और नेशनल कौंसिल आफ एप्लाइड एकोनामिक रिसर्च से, उनकी फीगर्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें उन्होंने कहा है कि आप निर्यात में बीस प्रतिशत का घाटा और करेंगे तथा अन्त में एक दिन जाकर आपका घाटा 82 प्रतिशत हो जाएगा।

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में पेट्रोलियम की खपत के बारे में कहा है, उन्होंने फर्टिलाइजर की खपत के बारे में भी कहा हैं कि उनको बाहर से मंगाने में बहुत खर्चा करना पड़ रहा है और इसी लिए आयात बहुत बढ़ा है। इसके बाद मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि फसल अच्छी होगी, एग्रीकल्चर के लिये पेट्रोलियम पदार्थ की आवश्यकता है इसलिए भी हम इसको मंगा रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने कैसे कह दिया कि एग्रीकल्चर में बढ़ौत्तरी होगी। आपके जो थर्मल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वह वेकार हैं, आपके हाइडल प्रोजेक्ट्स वेकार हैं इसलिए आप एग्रीकल्चर के लिये पेट्रोल और डीजल की खपत करवा रहे हैं। इसीलिए आप पेट्रोल और डीजल बाहर से मंगवा रहे हैं। इसी तरह से खाद्य तेलों का प्रोडक्शन आप नहीं बढ़ायेंगे तो बाहर से आपको मंगाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस एकोनामी को कब चेंज करेंगे। आप इस आर्थिक अवस्था में बदलाव कब लायेंगे ? इस अवस्था को तभी बदला जा सकता है जब कि आर्थिक पहलुओं में जो फोरन एक्सचेंज आप लगाना चाहते हैं वह उसके प्रोडक्शन में लगाया जाए। कीमतों को रोकने के लिए आप आयात करेंगे तो उसके दूरगामी परिणाम क्या होगे ? इसके बारे में आपने चिन्ता की है।

आपने अपने वक्तव्य में एक्सपोर्ट फैसिलिटी की बात भी कही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने काटेज इण्डस्ट्रीज के लागों को, छोटे-छोटे ट्रेडर्स को, जैसे हमारे आगरा में जूते-चप्पल, कार्पेट और मार्बल का काम होता है—ऐसे लोगों के लिए उनको प्रोत्साहन देने के वास्ते जो कानून में आप सरलीकरण करने जा रहे हैं उसमें उनके लिये आपने कोई विशेष ध्यान दिया है या नहीं ?

अभी हमारे भाईसाहब ने बताया, एक** हैं, मैं इसलिए यह रखना चाहता हूं क्योंकि इसका एक्सपोर्ट पर असर पड़ रहा है, ** के कारण 65 लाख की जगह पर भारत सरकार से 90 लाख का भुगतान माँगा जा रहा है। यदि ऐसे अधिकारी होंगे तो एक्सपोर्ट कैसे होगा ? ऐसे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपने क्या कदम उठाये हैं ? एक साहब और हैं एडीशनल डायरेक्टर, एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन कौंसिल में, उनका एप्वाँइंटमेंट गलत तरीके से हुआ है···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादुर द्वारा किये गये उनके एडीशनल डायरेक्टर के नाम का उल्लेख तथा इस माननीय सदस्य का कथन कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं होगा। आप इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल सकते हैं।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री हरिकेश बहादुर : क्यों, श्रीमान ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि आप बोल सकते हैं परन्तु नाम का उल्लेख नहीं कर सकते हो। नहीं, आपको इसे मुझे लिखित में देना चाहिये।

श्री राजेश कुमार सिंह : यह करप्शन का मामला है और यह अखबार की न्यूज है। मैं यह जानना चाहता हूं कि जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के बारे में शिकायतें हैं उनके बारे में यदि आप कहने की अनुमति नहीं देंगे तो वह कैसे सामने ला सकेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने केवल यह कहा कि आपको नाम नहीं लेने चाहिए। आप अभी प्रश्न पूछ सकते हैं।

मेरे कहने का मतलब यह है कि माननीय मंत्री जी कृपया बतायें कि छोटे ट्रेडर्स, छोटे काम करने वाले और कॉटेज इन्डस्ट्री में काम करने वाले, इन लोगों के प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सुविधाओं की रक्षा के लिए, आपने कौन से कदम उठाए हैं और क्या कदम उठाने जा रहे हैं ? इसके साथ ही साथ आप लॉ का भी सरलीकरण करने जा रहे हैं, उसमें भी क्या-क्या कदम आप उठा रहे हैं ?

श्री प्रणब मुखर्जी : माननीय सदस्य ने पहले यह पूछा कि हम छोटे पैमाने के क्षेत्र विशेष-रूप से हथकरघों तथा हस्तशिल्पों तथा अन्य छोटे उत्पादकों के बारे में क्या कर रहे हैं। विभिन्न निर्यात संवर्द्धन परिषदें उन्हें आवश्यक प्रोत्साहन दे रही हैं जिनकी आवश्यकता है परन्तु मैं यह भी महसूस करता हूं कि अभी भी उन्हें सहायता देने के लिए तथा उनकी आयमें सुधार करने के लिये बड़ी गुंजाइश है क्योंकि उनका आय का पर्याप्त भाग बिचौलिया ले रहे हैं। इसलिए, हम लघु उद्योग के लोभ की तीन समस्याओं पर ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं; वे कच्चा माल प्राप्त करने, ऋण तथा विपणन की सुविधा प्राप्त करने की समस्या का सामना कर रहे हैं। हम औद्योगिक व्यवस्था के माध्यम से इन सब तीनों बातों का सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास कर रहे है ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिल सके और हम उन्हें सुव्यवस्थित ढग से लाभ पहुँचा सके। मामले की निरन्तर समीक्षा की जा रही है और हम व्यवस्था को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं।

विभाग में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, जैसा कि मैं पहले श्री हरिकेश के उत्तर में कह चुका हूं कि मैं निश्चित रूप से इसकी जांच करूंगा, अपने अधिकारी के बारे में भी जिनका उन्होंने उल्लेख किया। मैं इसकी जाँच करूंगा और यदि किसी समय या तो संसद सदस्य से या किसी भी व्यक्ति से कोई आरोप मिलेगा तो मैं इसकी जांच करूंगा और कार्यवाही करूंगा।

मैं यह बताने का प्रयास कर रहा था कि हम पट्रोलियम उत्पादों को आयात करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि यहाँ पैट्रोलियम उपभोग प्रायः न्यूनतम है; मुश्किल से 15-16 मिलियन टन हम आयात कर रहे हैं। माननीय सदस्य को मालूम है कि यदि हम डीजल का आयात नहीं कर सकते हैं, यदि हम मिट्टी के तेल उर्वरक आदि का आयात नहीं करते हैं, यदि हम राष्ट्रीय यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं बनाये रखते हैं तो सारी अर्थ व्यवस्था तहस-नहस हो जाएगी। यही कारण है कि मैं कहता हूँ कि पट्रोलियम उत्पादों के आयात को घटाने की गुंजाइश बहुत ही सीमित है। कोई भी नहीं कह सकता है कि पट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों की अन्तिम दर क्या हो जाएगी। एक वर्ष में 100% वृद्धि हुई है। जब कभी ओ. पी. ई. सी. की बैठक होती है

तो तुरन्त हमें परेशानी होनी शुरू हो जाती है। हमें मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है। वास्तव में यह एक गम्भीर समस्या है और इसका समाधान निर्यात से होता है। हमें निर्यात करने के लिए पर्याप्त माल उत्पादन करने चाहिए और हमें निर्यात-आय प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कुछ विकसित देशों में उत्पादन भी हमारे रास्ते में बाधा बन रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, मैं देश का नाम नहीं बताऊँगा।

उन्होंने हमारी अण्डाकार फुटबाल के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया; इस देश में अधिक संख्या में लोग इसके रोजगार पर हैं और हमारी अण्डाकार फुटबाल की विश्व के किसी भाग में निर्मित फुटबाल से प्रतियोगी हो सकती है। परन्तु जो देश इसका आयात कर रहा था वह स्थानीय दबावों के कारण था और उन्होंने भारी शुल्क लगा दिये। हमने इस पर विचार करना आरम्भ कर दिया। हम हथकरघों में इस किस्म की बात के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। एक देश ने जो इन वस्तुओं का आयात करता था इन पर शुल्क लगा दिया क्योंकि उस देश के 10,000 व्यक्ति हथकरघा उत्पादों के व्यापार से सम्बद्ध थे। मैं जब उनसे मिला तो मैंने उनसे कहा कि आप 10,000 लोगों की बात सोच रहे हैं। हमारे यहाँ हथकरघा उद्योग में लगे एक लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे उनका उत्तर था : मुझे अपनी समस्या सुलझानी है। आपके देश की 65 करोड़ जनसंख्या है। आपको लाखों के बारे में सोचना है। पर हमारे यहां की जनसंख्या लाखों में है। इसलिए मुझे हजारों के बारे में सोचना है। इस वातावरण में हमें काम करना पड़ता है। हमारे लिए बाजार ढूंढना हमेशा संभव नहीं होता। हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। कुछ सुधार भी हुआ है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूँ कि इस दिशा में बहुत कुछ करना है। मैं शिकायतों और कमी के बारे में विशेषरूप से चिंतित हूं। यदि कोई माननीय सदस्य यह मेरे ध्यान में लाएगा तो मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि मैं उस पर विचार करूँगा और सुधारात्मक कार्यवाही की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 2 बजकर 5 मिनट म.प. तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बज कर 5 मिनट म.प. तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2 बजकर सात मिनट म.प. पर पुनः समवेत हुई

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम ३७७ के अधीन मामले

(एक) दिल्ली में अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के निकट यमुना नदी पर एक नये पुल का निर्माण

श्री एच. के. एल. भगत (दिल्ली पूर्व) : महोदय, यह दुःख की बात है कि दिल्ली में अन्तर्राज्यीय बस अड्डे के निकट यमुना नदी पर बनाए जाने वाले नए पुल पर अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है हलांकि इसकी स्वीकृति कांग्रेस सरकार ने 1976 में दे दी थी। इसके न बनने से यमुना पार से आने वाले लाखों लोगों को कठिनाई हो रही है। सड़कों पर भीड़ के कारण यातायात रुक जाता है। यह रोज की परेशानी है। इस पुल का निर्माण प्राथमिकता के आधार

पर किया जाना चाहिए यह न केवल दिल्ली और यमुनापार के लोगों के लिए अपितु उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए भी जरूरी है। इस ओर सरकार को तुरन्त ध्यान देना चाहिए। इस पर शीघ्र काम शुरू किया जाये और इसे पूरा करने हेतु एक सम्बद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाये।

(दो) जीवन बीमा निगम के कार्यकरण के बारे में ईरा सेझियान समिति का प्रतिवेदन

श्री आर. के. महालगी (ढाणे) : जीवन बीमा निगम के कार्यकरण की जाँच करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त की गई ईरा सेझियान समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी हैं। समिति ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं और सिफारिशें की हैं। लाखों पालीसीधारी सरकार के इस पर फैसले का इंतजार कर रहे हैं। सामूहिक बीमा योजना काफी लोकप्रिय होगी क्योंकि इसमें असंगठित क्षेत्र के लोगों को बीमे की सहूलियत मिलती है। अतः मैं सरकार से इस रिपोर्ट पर शीघ्र निर्णय लेने या कम से कम कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों पर तुरन्त निर्णय लेने का अनुरोध करता हूँ।

(तीन) राजस्थान में पीने के पानी की समस्या

श्री दौलत राम सारण (चुरु) : राजस्थान के अधिकांश भागों में दो वर्ष से भयंकर अकाल है। कुछ स्थानों में 3-4 वर्ष से अकाल है। यह अकाल वर्षा की कमी के कारण है। वर्षा के अभाव के कारण मनुष्यों और पशुओं के लिए पीने के पानी की गम्भीर समस्या है। राजस्थान के लगभग 34,000 गाँवों में से 24,000 गाँवों में पीने के पानी की कमी है। 11,000 गाँवों में तो पीने योग्य पानी ही नहीं है। वहाँ खारा पानी है, जहरीली अथवा अस्वास्थ्यकर पानी है। लाखों पशु जहरीला पानी पीकर प्रतिवर्ष मर जाते हैं और अस्वास्थ्यकर पानी पीने से अनेक क्षेत्रों में कुबड़ापन आदि असाध्य रोगों से हजारों लोग पीड़ित हैं। पानी के अभाव से पीड़ित इन गाँवों के लोग पाँच से दस मील की दूरी से प्रतिदिन ऊंटों पर पीने के लिए पानी लाते हैं अथवा गाँवों को खाली करके पानी वाले स्थानों पर चले जाते हैं।

केन्द्रीय सरकार की सहायता से राज्य सरकार द्वारा निर्मित ग्राम जल प्रदाय योजनायें ग्रामवासियों और उनके पशुओं को पीने के पानी की सुविधा प्रदान करने में बिल्कुल असफल हैं। ये योजनाएं दोषपूर्ण होने के कारण पूरे पानी की पूर्ति नहीं कर पाती। इन योजनाओं में पिछली जन गणना के आधार पर केवल मनुष्यों के लिए ही पानी का अनुमान लगाया गया है। मनुष्यों की बढ़ी हुई संख्या भी योजना अनुमानों से कहीं अधिक है और पशुओं को तो इन योजनाओं में बिल्कुल ही शुमार नहीं किया गया है। परन्तु ग्रामवासियों की आय के खास साधन पशु ही हैं। लगभग पांच पशु प्रति व्यक्ति का वहाँ औसत है। इनके लिये इन ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं में पानी की व्यवस्था का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। कहा जाता है कि केवल मनुष्यों के लिये ही पानी दिया जा सकता है, परन्तु जिन गाँवों में ये योजनाएं बनाई गई हैं, उनमें पशुओं को पानी पिलाने का अन्य कोई स्रोत नहीं है और इन पशुओं के बिना ये ग्रामवासी जिन्दा नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी आजीविका के ये पशु ही आधार हैं। उनके सामने पानी का संकट जल प्रदाय योजना वाले गाँवों में समाधान के स्थान पर और गम्भीर हो गया है। अनेक योजनाओं के स्रोत ही समाप्त हो गए हैं। कई योजनाओं में सम्मिलित गाँवों तक पानी पहुँचा ही नहीं है, जबकि योजना बने हुए कई वर्ष बीत चुके हैं। अधिकांश योजनाओं में मशीन की खराबी, बिजली

की कमी, डीजल का अभाव या अन्य कारण बता कर ये अनेक दिनों तक बन्द पड़ी रहती हैं। उसके समाधान के लिए बनाई गई दोषपूर्ण ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं में सुधार करके योजना अनुमानों में मनुष्यों की बढ़ी हुई संख्या और पशु संख्या को सम्मिलित करके जल प्रदाय के लिये सही योजनायें बनाई जाएं और पुरानी योजनाओं में इस संशोधन को पूरा करके उन्हें ठीक किया जाए। तभी ये योजनाएं पानी की समस्या का समाधान करने में सफल एवं उपयोगी हो सकती हैं।

मैं आशा करता हूं कि इस गम्भीर समस्या का समाधान किया जाएगा।

(चार) बिहार में कोया और लाख उत्पादकों की समस्यायें

श्री एन. ई. होरो (खूंटी) : छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में लाखों आदिवासी और अन्य कमजोर वर्गों की जनसंख्या रेशम के कीड़े पालने तथा लाख की छड़े तैयार करने का कार्य करती है। यह दोनों मदें निर्यात की वस्तुएं हैं और उस पर देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा कमाई जाती है।

रेशम के कीड़ाकोष तथा लाख को पेड़ों पर उगाया जाता है और यह पेड़ सामान्यतय: सरकारी जंगलों में होते हैं। आदिवासी तथा अन्य जातियों को रेशम के कीड़े पालने की परंपारिक अधिकार है जिसमें वन विभाग हस्तक्षेप नहीं करता है। बिहार में, यह परम्पारिक अधिकार बटाईदारों के अधिकारों के रिकार्ड में इन्ने अधिकारों के रूप में दर्ज किया गया है।

अब बिहार सरकार ने तथा वन विभाग ने कीड़ा पालने तथा लाख बनाने पर प्रतिबन्ध लगा दिये हैं और वह उनके लिये फीस लेते हैं।

रेशम के कीड़ों तथा लाख के आदिवासी तथा अन्य उत्पादकों को वित्तीय हानि का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मंडियों में मूल्यों पर व्यापारियों और बिचौलियों का अधिकार है। अनेक उत्पादकों ने बैंको से ऋण ले रखे हैं और यह ऋण वापस की उन पर बकाया राशि हो गई है। उत्पादकों को अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं और उन्हें रेशम की कीड़ों तथा लाख के उत्पादन को बड़े ही सस्ते मूल्यों पर बेचने के लिये बाध्य होना पड़ता है जिससे उन्हें काफी वित्तीय हानि उठानी पड़ती है।

मैं वाणिज्य मन्त्रालय के इन तथ्यों की ओर ध्यान दिलाता हूं और यह मांग करता हूं :—

1. कि आदिवासी तथा अन्य समुदायों द्वारा सरकारी जंगलों में पेड़ों पर बिना किसी बाधा के रेशम के कीड़े तथा लाख उगाने के उनके परम्परागत अधिकार को उन्हें अविलम्ब पुन: सौंपा जाये : तथा

2. उत्पादकों के लिए रेशम के कीड़ों तथा लाख का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाये ताकि बिचौलियों तथा बेईमान व्यापारियों के हाथों अनेक शोषण को रोका जा सके।

(पांच) रेलों में चोरी और डकैती की घटनाओं में वृद्धि

श्री अशोक गहलोत (जोधपुर) : उपाध्यक्ष जी, रेल गाड़ियों में लूटपाट, चोरियाँ एवं डकैतियों की घटनाएं देश भर में बढ़ती जा रही हैं। यात्रियों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार अमूमन रात्रि के समय होता है। कोच में दरवाजे, खिड़कियां व वेस्टीबुल सिस्टम खराब होने की

वजह एवं लाइट का इन्तजाम पूरी तरह नहीं होने से इन चोरों, लुटेरों व डकैतों को रात्रि के समय बहुत आसानी से रेल यात्री डिब्बों में प्रवेश करने की आसानी रहती है जहाँ वे भय एवं आतंक के बीच यात्रियों का सामान व माल लूट कर ले जाते हैं। इस प्रकार की वारदातें अमूमन रिजर्वेशन कोच में भी होने लगी हैं क्योंकि वेस्टीबुल सिस्टम खराब होने की वजह से ये सामाज विरोधी तत्व कोच के ऊपर से रात्रि के समय दो कोच के बीच उतर जाते हैं एव वेस्टीबुल सिस्टम के दरवाजे से काँच के अन्दर प्रवेश पा जाते हैं एवं फिर यात्रियों को आतंकित करना व लूटपाट कर चले जाना आम बात हो गयी है। यात्रियों की एफ. आई. आर. भी दर्ज नहीं करने के कारण आम लोगों को आशंका है कि इन समाज विरोधी घटकों से जी. आर. पी. व दूर दराज के जिलों की पुलिस की मिली भगत होने के कारण उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है।

रेवाड़ी-लोहार-परवेशपुर पर जहाँ 94 डाउन जोधपुर-दिल्ली की गाड़ी आती है एवं दूसरी गाड़ी का क्रॉसिंग होता है वहां पर ये तत्व अपना कुकृत्य कर दूसरी गाड़ी से चले जाते हैं।

हनुमानगढ़ से 10 किलोमीटर दूर तलवाड़ा झील और टी. वी. स्टेशन के बीच भी गत दिनों अज्ञात सशस्त्र लुटेरों ने पिस्तौल व चाकू दिखला कर रेल में बैठी दो महिलाओं से जेवर व एक आदमी से नकदी व घड़ी छीन ली थी। इसी प्रकार सादूलपुर स्टेशन पर भी डकैती हुई है। इन उपरोक्त डकैतियों से ऐसा लगता है कि यह किसी एक गिरोह का ही कार्य है जो कि इस क्षेत्र में पूरी तरह सक्रिय है एवं आने जाने वाली रेलगाड़ियों में इस प्रकार की वारदातें कर भयमुक्त हो कर चले जाते हैं।

मैं इस सम्बन्ध में रेल मंत्री से माँग करता हूँ कि इस सम्बन्ध में तत्काल ध्यान देकर कड़ी कार्यवाही करें जिसमें यात्रियों में फैल रही असुरक्षा की भावना मिट सके एवं उनके जान माल की हिफाजत पूरी तरह से हो सके।

(छः) बिहार में सीमेंट की भारी कमी

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराज गंज) : उपाध्यक्ष जी, समूचे बिहार में सीमेंट की भारी कमी है और सभी निर्माण कार्य रुके पड़े हैं। यदि शीघ्र ही बिहार में सीमेन्ट की सप्लाई स्थिति में सुधार नहीं किया गया तो स्थिति के और खराब होने की सम्भावना है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि बिहार की और भी तनिक ध्यान दें और शीघ्र वहां सीमेन्ट उपलब्ध कराया जाये जिससे निर्माण कार्य जारी रह सके और मजदूरों को रोजगार मिलता रहे।

(सात) भारत सरकार द्वारा कलकत्ता के मेट्रो सिनेमा गृह का प्रबन्ध अपने हाथ में लिये जाने के बारे में

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : महोदय, कुछ समय पहले सरकार ने कलकत्ता में मेट्रो सिनेमा हाल का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया था। ऐसा प्रमुख रूप से इसलिये किया गया था कि मारय में अमेरीकन मेट्रो गोल्डविन मेयर कम्पनी की शास्वियों की विदेश में किसी स्विस कम्पनी जिसके संस्थापित अटार्नी ने मेट्रो सिनेमा के संचालन के अधिकार का दावा किया है की कथित बिक्री के सम्बन्ध में सन्देह उठाये गये थे। भारत सरकार द्वार इसके प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने सम्बन्धी कार्य तथा उसे अपनी फिल्म वित्त निगम के माध्यम से थोड़े समय के लिये

संचालन की मेट्रो के अमिकों ने तथा जनता ने प्रशंसा की थी। किन्तु तब से कुछ कानूनी कार्यवाही की गई जिसके परिणास्वरूप न्यायालय के अन्तरिम आदेशों के अन्तर्गत फिल्म वित्त निगम को इस मेट्रो सिनेमा के संचालन से रोका गया और मेट्रो के कथित विदेशी क्रेयता के संस्थापित अटार्नी का इस पर नियन्त्रण है। इस बीच, प्रबन्धकों के दमनात्मक प्रकृति के कारण तथा समझौतों के विपरीत अभी हाल में बोनस की अदायगी न करने जैसे दुःखद कारणों से मेट्रो के कर्मचारियों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। यह आवश्यक है कि भारत सरकार कानूनी कार्यवाही को शीघ्र समाप्त करने के लिये दृढ़ कदम उठाये और मेट्रो सिनेमा के प्रबन्ध के सम्बन्ध में निश्चय की स्थिति बनाये। यह भी महत्वपूर्ण है कि उद्योग अधिनियम तथा सरकार के हाथों में अन्य सम्बद्ध दस्तावेजों के अन्तर्गत सरकार जब उचित समझती है तो ऐसे सिनेमा गृहों का प्रबन्ध अपने हाथों में ले सकती है और उनका संचालन स्वंय कर सकती है। ऐसा करना सरकार की घोषित इच्छा के भी अनुरूप होगा कि वह सिने दर्शकों के हितों की सुरक्षा के लिये तथा इस उद्योग को, जिसकी जनता के लिये एक ही समय में मनोरंजन तथा शिक्षा की व्यवस्था करने की व्यापक संभावनाएँ हैं, राष्ट्रीय स्वर देने के लिये एक कानून बनाना चाहती है। इस सम्बन्ध में सूचना और प्रसारण मन्त्री शीघ्र ही एक वक्तव्य दें तथा साथ ही शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक-जारी

विचार किये जाने का प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : समा अब सांविधिक संकल्प और राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक लेगी। श्री रवीन्द्र वर्मा को बुलाने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि विपक्षी दलों के अधिकाँश सभी नेताओं की यह माँग है कि सामान्य चर्चा के लिए आवंटित समय अर्थात, 5 घटे, काफी नहीं है। अतः वे चाहते हैं कि यह समय बढ़ाया जाये। मैं इसके बारे में सरकार से विचार जानना चाहूंगा।

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुब्बैया) : सरकार को समय बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है वशर्ते कि विधेयक पर सभी अवस्थाओं में आज विचार पूरा हो जाये। कार्य मंत्रणा समिति ने आरम्भ में इसके लिए सात घंटे निश्चित किये थे जिसे बढ़ा कर 8 घण्टे किया गया— 5 घंटे सामान्य चर्चा के लिए, 2 घटे खण्डों के लिए और 1 घंटा तीसरे वाँचन के लिए। यदि माननीय सदस्य अधिक समय चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि यह आज पूरा हो जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : सूची से मैं देखता हूं कि वक्ताओं में विपक्ष से 9 सदस्य हैं और सत्ताधारी दल से 20 हैं अतः लगभग 29 सदस्यों को बोलना है। सरकारी पक्ष की ओर से वे समय सीमित नहीं कर रहे हैं। आज के लिए आधा घण्टे की चर्चा भी है और इस विधेयक को पास किया जाना है। आप कितने घंटे इसे बढ़ाना चाहते हैं ? आप अधिक समय चाहते हैं ? और सरकार सहमत है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : किन्तु इस शर्त के साथ नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक शर्त नहीं है यह लेने देने का प्रश्न है। मैं काफी देर तक भी बैठने के लिए तैयार हूँ। आधा घंटे की चर्चा इस विधेयक के पारित होने के बाद आरम्भ की जा सकती है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : आधा घंटे की चर्चा ठीक 5.30 बजे आरम्भ की जानी चाहिये।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : हम इसे दो घटे और बढ़ायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत है तो ऐसा हो सकता है। हम देर तक बैठ सकते हैं। विपक्ष के सदस्यों को यह समझ लेना चाहिए कि हमने पहले ही समय बढ़ाया है। हम इसे बार बार बढ़ा नहीं सकते।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, शुक्रवार को आप जब पीठासीन थें तो क्या हुआ था ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे याद नहीं है। मैं यह तत्काल भूल जाता हूँ। रात को मुझे याद नहीं होता है कि दोपहर में क्या खाया था। हम इस विषय पर आयेंगे। सभा की क्या राय है।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : हम सामान्य चर्चा आज पूरी कर देंगे और कल खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा एक सुझाव है। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपना निर्णय आप पर थोप रहा हूं। हम कोई समय निश्चित नहीं करेंगे। हम चर्चा जारी रखेंगे। प्रधान मत्री 2.45 बजे म. प. एक वक्तव्य देंगी। उसके बाद हम 5-30 बजे म प. तक अपनी चर्चा जारी रखेंगे। फिर आधे घंटे की चर्चा आरम्भ की जायेगी। उसके बाद, हम इसे फिर से आरम्भ करेंगे और देर तक बैठ कर विधेयक को पूरा करेंगे।

श्री जी. एम. बनातवाला : कुछ दूसरों का भी ध्यान कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : हमने यह निर्णय नहीं किया है कि हम समय कितना बढ़ा रहे हैं। हमने सिर्फ यही निर्णय किया है कि चाहे 11 बज जायें हम इसे पूरा करेंगे।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय. इस विधेयक में सरकार को असाधारण शक्तियाँ देने अर्थात् बिना विचारण तथा निर्णय के व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त करने का प्रस्ताव है। सभा के इस पक्ष में कुछ माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को निष्ठुर कहा है। उन्होंने भी जो इस विधेयक के लिए इस शब्द का प्रयोग करने में हिचकिचा रहे थे इसे एक कठोर विधेयक कहा है। यहाँ तक कि उन्होंने जो यह कहने में हिचकिचा रहे थे कि यह विधेयक कानून के विरुद्ध है, कहा है कि इस विधेयक से सत्ता का दुरुपयोग, निरकुशता तथा न्याय की हत्या की सम्भावना है। जब इस किस्म के विधेयक पर सभा विचार करती है जिसमें सरकार को मनमानी शक्तियाँ देने का प्रस्ताव किया गया हो तो इस सभा के लिए इसकी सतर्कता और सावधानी के साथ कड़ी जाँच करना अत्यावश्यक है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनकी यह सभा उपेक्षा नहीं कर सकती है। ये प्रश्न क्या हैं ? ये हैं :

(1) क्या ये शक्तियाँ वास्तव में आवश्यक हैं ? (2) क्या वर्तमान कानूनों द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ अपर्याप्त हैं ? (3) क्या सरकार द्वारा इन अतिरिक्त शक्तियों के अधिग्रहण से इन

समस्याओं का हल हो जायेगा ? (4) क्या कानून को मनमाने पन के खतरे के बिना लागू किया जा सकता है ? (5) क्या शक्ति का दुरुपयोग किये जाने की संभावना है ? (6) क्या इन अविरिक्त शक्तियों के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षण है ? (7) क्या इन अविरिक्त शक्तियों के लिये सरकार पर विश्वास किया जा सकता है ? (8) किस संदर्भ में (व्यवधान) हम इस सभा में एक दूसरे की बात सुनने के लिये हैं। (व्यवधान) मुझे शोर मचा कर चुप नहीं कराया जा सकता (व्यवधान) आज मुझे भ्रमित नहीं किया जा सकता। यदि सच मेरे माननीय मित्र को ठेस पहुँचाता है तो वे उसकी चेतना की उपेक्षा कर सकते हैं। (व्यवधान) कुछ लोग समझते हैं और कुछ लोग व्यवधान पैदा करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वर्मा, कृपया मुझे संबोधित कीजिये।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैंने कहा कि कुछ लोग समझते हैं तो कुछ व्यवधान पैदा करते हैं। (9) किस संदर्भ में सरकार इन शक्तियों को प्राप्त कर रही है ? उस सरकार का रिकार्ड क्या है जो इन शक्तियों को प्राप्त करना चाहती है ? हमारा रवैया इन प्रश्नों के उत्तर पर आधारित होना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि आप आज थोड़े नाराज हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : बिल्कुल नहीं। मैं इस बात का प्रयास कर रहा हूं कि मेरी बात को सुना जाए।

पहला प्रश्न है : क्या ये शक्तियां आवश्यक हैं ? इस अध्यादेश की उद्घोषणा अर्द्ध रात्रि को की गई थी। जो सरकार के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने का नियम सा बन गया है। इस सभा को यह विश्वास दिलाने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि देश की सुरक्षा को तुरन्त कोई खतरा था बाहरी आक्रमण का कोई तुरन्त खतरा नहीं था, आन्तरिक तोड़फोड़ का कोई खतरा नहीं था। निःसन्देह इस विधेयक में राज्य की सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। सरकार के विरुद्ध जनमत तैयार करने तथा आक्रोश प्रकट करने का कानूनी तथा शांति-पूर्वक तरीका तोड़फोड़ नहीं है। यह निश्चित रूप से तोड़फोड़ नहीं है। श्रीमान, जनमत तैयार करना था सरकार की कमजोरियों तथा असफलताओं को प्रकट करने से सार्वजनिक व्यवस्था पर आक्रमण नहीं होता है। परन्तु जब राज्य की सुरक्षा का उल्लेख किया जाता है और मुझे विश्वास है कि दूसरी पक्ष के बहुत से सदस्य उन बातों से सहमत हो जायेंगे जो मैंने स्पष्ट रूप से कही हैं—जब राज्य की सुरक्षा एक व्यक्ति से सम्बद्ध की जाती है और जब एक नया सिद्धांत प्रतिपादित किया जाता है और स्थापित व्यवस्था यह मानना शुरू कर देती है कि व्यक्ति ही राष्ट्र हैं तो राज्य की सुरक्षा' वाक्यांश को अशुभ घातक संदिग्धता के साथ देखा जाता है (व्यवधान) और वह ऐसा रूप ले लेता है जो मूलभूत अधिकारों तथा लोकतांत्रिक प्रणाली के लिये घातक है।

अब मैं इस प्रश्न को लेता हूं कि क्या वर्तमान कानून अपर्याप्त हैं। मेरे माननीय मित्रों, नई दिल्ली से निर्वाचित माननीय सदस्य तथा जादवपुर से निर्वाचि माननीय सदस्य इस प्रश्न पर विस्तृत रूप से तथा प्रभावी ढंग से चर्चा कर चुके हैं। हमारे पास दड प्रक्रिया संहिता की धारायें 108 से 110 तक है, कौफेपोसा, चोरबाजारी, निवारक तथा अनुरक्षण अधिनियम आदि हैं। हमने हाल में दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन किया है। क्या वे निवारक धारा को शक्ति नहीं देते हैं? परन्तु सरकार वास्तव में निवारक कार्यवाही करने के लिये शक्ति प्राप्त नहीं करना चाहती बल्कि वह तो न्यायालय

के समक्ष दोषी सिद्ध करने की जिम्मेवारी से बचना चाहती है। वे साक्ष्य स्थान पर संदेह रखना तथा न्यायपालिका को सन्तुष्टि के स्थान पर कार्यपालिका की खुशी रखना चाहती है। इसलिये यह विधेयक न केवल नागरिक अधिकारों पर हमला है बल्कि न्यायपालिका पर तथा नागरिक को सुरक्षा देने के लिये न्यायपालिका की शक्ति पर भी आक्रमण है।

श्रीमान, क्या इन शक्तियों के अधिग्रहण से उन समस्याओं का समाधान हो जायेगा जिनका उद्देश्यों में उल्लेख है ? साम्प्रदायिक असामंजस्य सामाजिक तनाव औद्योगिक अशांति, ये कुछ सब सामाजिक समस्यायें हैं जो जटिल हैं और जो लम्बे समय से चली आ रही हैं। केवल सामाजिक कार्य से इनका समाधान हो सकता है न कि पुलिस कार्यवाही से।

श्रीमान, क्या शक्तियों का प्रयोग बिना मनमाने पन से होगा ? विधेयक में बिना मुकदमा चलाये बन्दी बनाने की व्यवस्था है। इसमें बिना कारणों के बताये बन्दी बनाने की व्यवस्था है। खण्ड 8 (एक) में कारण बताने की बात की गई है परन्तु खंड 8 (दो) से सरकार कारण बताने के उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाती है। जो एक हाथ से दिया गया है, दूसरे से ले लिया गया है। बोर्ड के गठन के बारे में क्या स्थिति है ? बोर्ड के दो सदस्यों की नियुक्ति उनका समर्थन प्राप्त हो सकने के आधार पर की जा सकती है और जब आप खन्ड 11 (तीन) पर नजर डालते हों तो स्पष्ट हो जाता है कि यदि मतभेद है तो बहुमत से फैसला होगा फिर एक हाथ से जो दिया गया है, दूसरे से ले लिया गया है, जो न चाहते हुए एक हाथ से दिया गया है, दूसरे हाथ से ले लिया गया है। (व्यवधान) बहुमत तैयार किया गया बहुमत है, न कि सही बहुमत··· (व्यवधान)। तब यह कैसे कह सकते हैं कि दुरुपयोग के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षण हैं ? (व्यवधान) ये असहिष्णुता के बीच है जो राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश में बोये गये हैं। इसके बाद आप यह कैसे कह सकते हो · (व्यवधान) माननीय मंत्री को रंगीन दूर दर्शन के बारे में ही सोचना चाहिये।

कोई व्यक्ति यह कैसे कह सकता है कि इन अतिरिक्त शक्तियों के दुरुपयोग के विरुद्ध पर्याप्त सुरण है। इन शक्तियों का दुरुपयोग आपात काल में किया गया था। इन शक्तियों का दुरुपयोग करने की प्रवृति अब भी है, ऐसा करन का प्रलोभन अब भी है। मेरे माननीय मित्र, गृह मन्त्री महोदय ओसकर वाइल्ड को उद्धृत कर सकते हैं और यह कह सकते हैं कि प्रलोभन से बचने का सबसे अच्छा तरीका प्रलोभन में आ जाना है। प्रलोभन में आ जाने का पहले ही पर्याप्त साक्ष्य है। इस सभा में बहुत से माननीय सदस्यो ने यह बताया है और अल्पसंख्यकों के विरुद्ध, छात्रों व किसानों के विरुद्ध तथा अन्य लोगों के विरुद्ध इस अध्यादेश के अत्याधिक दुरुपयोग के खिलाफ आरोप लगाये है।

श्रीमान, वह कौन सा संदर्भ है जिसमें हमें इन शक्तियों के लिये समर्थन देने को कहा गया है। सरकार असफल हो रही है। सरकार लोगों को दिये गये बचनों को पूरा करने में असफल हुई हैं।

मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि हो रही है। आवश्यक वस्तुयें दुर्लभ हो रही हैं। लोगों में असंतोष फैल रहा है और उनका सरकार में विश्वास नहीं रहा है। इस अविश्वास का कारण सरकार की असफला है और विरोधी पक्ष नहीं। मेरे माननीय मित्र श्री स्टीफन का गुस्सा हास्यास्पद है।

हमें यह बताया जाता है कि विपक्ष ने देश की अर्थव्यवस्था तहस-नहस कर दी है; देश का राजनीतिक ढाँचा नष्ट कर दिया है और विपक्ष इस देश की प्रगति में सबसे अधिक बाधक है। वास्तव में विपक्ष अस्तित्व तो केवल इसलिये है कि सरकार अपनी असफलताओं का दोष उसे दे सके।

महोदय, प्रधान मंत्री उस समय विपक्ष के लिये स्वयं एक अलग आचरण संहिता निर्धारित करती हैं जब कि उनका दल विपक्ष में होता है (व्यवधान) आप नहीं जानते कि उनका दल कौन है—(व्यवधान) अब जब कि उनका दल सत्तारूढ़ है तो विपक्ष से एक दूसरी आचरण संहिता की अपेक्षा की जाती है।

महोदय, हमें बताया जाता है कि न्यायपालिका प्रगति के रास्ते में बाधक है, संसदीय प्रणाली न्यायपालिका की तानाशाही के विरुद्ध एक कवच की व्यवस्था करती है, हम प्रतिबद्ध न्यायपालिका, प्रतिबन्ध प्रैस और प्रतिबद्ध नौकरशाही चाहते हैं, शक्तियों का विभाजन एक असंगत सिद्धांत है और लोकतंत्र को बचाने का तरीका एक व्यक्ति के हाथ में शक्ति का केन्द्रीय करण-करना है और उस व्यक्ति को राष्ट्र के बराबर मानना है।

हमें यह बताया जाता है कि लोकतंत्रीय प्रणाली असफलताओं के लिये जिम्मेदार है; यह प्रणाली समाप्त की जानी चाहिये और इसके स्थान पर राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार होनी चाहिये; अब इस सभा में सत्तारूढ़ दल के नेता को आजीवन राष्ट्रपति चुना जाना चाहिये; एक व्यक्ति को राष्ट्र और राज्य के बराबर मानना चाहिये। हमें यह भी बताया जाता है कि आपात-स्थिति को लोगों का समर्थन प्राप्त है, सत्तारूढ़ दल को जो जनादेश मिला है वह आपात स्थिति के लिये है; आपात स्थिति पुन: लागू की जानी चाहिये।

संचार मंत्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : यह किसने कहा ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : अनेक लोगों ने, I मैं इस बात पर आ रहा हूं। आपने स्वयं ऐसा कहा है परन्तु आपके शब्दों को पकड़ा नहीं जा सकता। मैं यह जानता हूँ।

आपात स्थिति को सबसे खुली वकालत मेरे माननीय मित्र श्री एन्थनी ने की है। दुर्भाग्य की बात है कि वह इस समय यहाँ नहीं हैं। इस मामले में उन्होंने सबको मात कर दिया है। यद्यपि हम 30 वर्षों से स्वतन्त्र हैं फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि श्री एन्थनी स्वतंत्रता के वातावरण को पसन्द नहीं करते। वह रौलट एक्ट, शायद माइकल ओ, डायर के समय, आँसुका की लालसा कर रहे हैं। वह आपात स्थिति की लालसा कर रहे हैं, क्योंकि लगभग यही स्थिति ब्रिटिश राज्य में थी।

अब मैं श्री स्टीफन की बात का उत्तर देता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी समझ में आप पहले ही ऐसा कर चुके हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : ऐसा कहा जाता है कि राजनीति तो प्राय: बदमाशों के लिये एक आखिरी आश्रम है। क्या आप समझते हैं कि वह भी इसी तरह के हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसमें आपको भी शामिल कर लिया है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरे माननीय मित्र श्री स्टीफन और माननीय गृह मंत्री ने पिछले दिन बड़ा जोशीला भाषण दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी काम में निष्ठा है और वे कड़ाई

से पेश आना चाहते हैं। श्री स्टीफन मेरे पुराने मित्र हैं। पिछले दिन के उनके भाषण से मुझे उस तुच्छ वकील की बात याद आ जाती है जिसमें केवल प्रदर्शन और शब्दालंकार होता है, जिसमें विचारों की कमी होती है, जिसका पैसे से ही सम्बन्ध होता है और जो विवेक से दूर होता है।

उन्हें यह कहते हुये दुःख होता है कि वह जनता पार्टी के काम को पूरा कर रहे हैं। वह ऐसे महानुभाव हैं जो तथ्यों को छिपाने के लिये मनचाही भाषा का प्रयोग कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : परन्तु अपनी अन्तरात्मा से कोई कुछ नहीं किया सकता है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह सत्य है, परन्तु इस सभा के उस पक्ष में यह है ही कहां।

उन्होंने यह कहने का प्रयास तो किया कि वह निवारक निरोध के सिद्धांत के विरुद्ध हैं, वह यह नहीं चाहते कि यह कानून स्थाई रूप से बना रहे, परन्तु मेरे माननीय मित्र इस विधेयक या दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक में ऐसा कोई खण्ड नहीं लाये हैं जिसमें इन कानूनों की वैधता की अवधि सीमित की गई हो और जिसमें यह सुनिश्चित किया गया हो कि यह कानून स्थाई रूप से नहीं रहेगा। इसलिये वह स्पष्ट बात नहीं कर रहे हैं।

उन्होंने जनता पार्टी पर दोष लगाया और यह कहा कि जनता पार्टी दुविधा में पड़ गई; जनता पार्टी ने एक विधेयक पुरःस्थापित किया और फिर इसने विधेयक वापस ले लिया।

श्री सी. एम. स्टीफन कौन सी जनता पार्टी ?

श्री रवीन्द्र वर्मा . आपको इस तरह से व्यवधान डालना शोभा नहीं देता है। कृपया कुछ अच्छी बात कहें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया विषय पर ही बात करें।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरे भाषण में व्यवधान डाला जा रहा है। यह मेरा दोष नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपका ध्यान हटाने की कोशिश करते हैं। सावधान रहें।

श्री रवीन्द्र वर्मा : जनता पार्टी दुविधा में पड़ी। इसने एक विधेयक भी पेश किया। जनता पार्टी का अपराध यही प्रतीत होता है कि यह जनमत के अनुकूल रही; जब इसे पता लगा कि सभा में, पार्टी में और बाहर इस विधेयक के विरुद्ध मत व्यक्त किया जा रहा है, तो इसने जनमत का सम्मान किया, यह मिथ्या प्रतिष्ठा पर अड़ी नहीं रही परन्तु जनमत के सामने झुक गई और विधेयक वापस ले लिया। जनता पार्टी का सबसे बड़ा अपराध यही है। इसके अतिरिक्त 'आँसुका' के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये सभी लोगों को इसने रिहा कर दिया, 'आँसुका' का कभी प्रयोग नहीं किया और आँसुका को समाप्त कर दिया।

श्री सी. एम. स्टीफन : आपका मंत्रिमंडल इसे यहाँ लाया था।

श्री रवीन्द्र वर्मा : उसी मंत्रिमंडल ने इसे वापस लेने का निर्णय भी लिया था।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अब मैं गृह मन्त्री के बारे में कहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप उनके साथ सीधे बातचीत करेंगे ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : जी नहीं, यह आपके माध्यम से होगी।

वह कभी कभी उस समय सरदार पटेल के बारे में बात करते हैं जब यह उनके अनुकूल

होती है । जब सरदार पटेल ने 1950 में निवारक निरोध विधेयक पेश किया था, तब उन्होंने विधेयक पेश करने के कारण ही नहीं बताये थे, परन्तु यह कहा था :

"मुझे खुशी है कि विधेयक की भलिभाँति आलोचना हुई है, क्योंकि जब किसी विधेयक के माध्यम से किसी नागरिक की स्वतन्त्रता छीनने का प्रयास किया जाये तो इसकी भलीभांति संमीक्षा की जानी चाहिये और इसकी आवश्यकता इस तरह से सिद्ध की जाये कि इस पर किसी को संदेह न रहे । इस तरह के विधेयक को लाना एक प्रिय काम नहीं है । कहीं-कहीं हंसी, मजाक और विनोद की गुंजाइश हो सकती है ।"

शायद उन्होंने यह पूर्वाभास करा दिया था कि 1980 में ऐसी स्थिति आएगी ।

"परन्तु मैं इस सभा को विश्वास दिलाता हूँ कि जब मुझे इस विधेयक को लाने के लिये कहा गया तो मैं दो रात सो नहीं सका ।"

उन्होंने ऐसी कर्कश और हलकी बात कभी नहीं की जैसा सरकारी पक्ष में बैठे महानुभाव आज कर रहे हैं ।

वह (सरदार पटेल) बड़े दुख तथा विनम्रता के साथ बोले थे । वह राजनेता, असाधारण गुणों से सम्पन्न मानव थे । मिट्टी के माधो नहीं थे और शेखी बघारने तथा चाटुकारिता में उनका विश्वास नहीं था ।

आप आपात स्थिति की तथा सत्ता में अपने वापस आने की बात करते हैं, आपने अपनी भावुकता, अपने आँसुओं तथा झूठे वायदों से जनता को बेवकूफ बनाया । आपने कोई सबक नहीं सीखा है । शेखी मत बघारिये । इस देश के लोगों को हमेशा बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता । इस विधेयक को अस्वीकृत किया जाना चाहिये ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जब से इस बिल पर सदन में विचार हुआ, तब से मैं विरोध पक्ष के नेताओं के भाषणों को बहुत गम्भीरतापूर्वक सुनता रहा । लोकतन्त्र के नाम पर और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के नाम पर काफी जोरों से यहां पर बहस की गई कि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता होनी चाहिए, लोकतन्त्र कायम रहना चाहिए, लेकिन लोकतन्त्र को मानने वाले आज जिस प्रकार से देश के अन्दर व्यवहार कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि इस बात को सख्ती से सोचने की आवश्यकता है कि लोकतन्त्र की बात को जब हम सामने रख कर चलना चाहते हैं, तो लोकतंत्र के लिए उपर्युक्त वातावरण बनाना सबकी जिम्मेदारी बन जाती है ।

आज उदाहरण दिया जाता है, अमरीका का, आज उदाहरण दिया जाता है—आन्दोलन का दूसरी जगह जहाँ पर लोकतन्त्र चलता है, लेकिन क्या हम इस बात को मानने से इंकार कर सकते हैं कि जब वहां पर एक चुनाव हो जाता है तो उसके बाद समस्यायें वहाँ भी होती हैं, लेकिन उन समस्याओं को हल करने के लिए वहाँ के सदनों के अन्दर विचार किया जा सकता है, लोकमत वहाँ पर तैयार किया जा सकता है, लेकिन हर प्रश्न को गोलियों का प्रश्न नहीं बना दिया जाता, हिंसा का प्रश्न नहीं बना दिया जाता । लोग आज लोकतन्त्र की बात को कह कर वहां का उदाहरण देकर हमें यह कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी लोकतन्त्र के बारे में उन्हीं आधारों पर विचार किया जाना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, आज सही बात तो यह है कि इस

चुनाव के बाद विरोधी पक्ष चुनाव में हार गया है, पार्टी बिखर गई है, जो कुछ इसका विरोध किया जा रहा है या जो कुछ आन्दोलन किए जा रहे हैं, सच बात तो यह है कि आज उनके मन में एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गया है, और उसका इजहार वे आन्दोलन के जरिए कर रहें हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं—अभी कुछ दिन पहले हमारे बगाल से आने वाले माननीय सदस्य श्री चित्त बसु साहब ने "किसानों को कीमतें ज्यादा मिलनी चाहिए" इसके बारे में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मैं निवेदन करना चाहूंगा—जब गेहूं की कीमत तय करने के लिए मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई गई थी, उस समय बंगाल की सरकार ने 110 रुपया गेहूं का भाव देने के लिए कहा था, उस वक्त उनकी सरकार ने ज्यादा देने के लिए क्यों नहीं कहा ? लेकिन जब आन्दोलन छिड़ गया, तब आप भी इस बात के लिए तैयार हो गए कि हम भी उसमें सहयोग देना चाहते हैं···(व्यवधान)·· जब भी किसानों को ज्यादा देने की बात आई, चाहे गेहूं के लिए हो या चावल के लिए हो—हमेंशा बंगाल सरकार की तरफ से कन्ज्यूमर का ध्यान रखा जाता रहा। किसानों का ध्यान न रख कर खाने पीने की चीजों के दाम न बढ़ाये जायें—इस बात के लिए ही कहा जाता रहा। लेकिन जब आन्दोलन खड़ा होने लगा, तो कहने लगे कि किसानों की चीजों के दाम बढ़ाये जाने चाहिए।

इसी प्रकार से जब यहाँ पर चौधरी चरण सिंह जी की सरकार थी या उसके पहले जब जनता पार्टी की सरकार थी—क्या गन्ने के भाव बढ़ाने से आपको किसी ने रोका था ? आप बतलाइये—कौन मना कर रहा था कि गन्ने के भाव न बढ़ाये जायें या और चीजों के भाव न बढ़ाये जायें ? लेकिन जब आपने देखा कि महाराष्ट्र में आन्दोलन खड़ा हो गया है तो फिर आपने भी कहना शुरू कर दिया कि गन्ने का भाव 30 रुपये होना चाहिये। जहाँ आप लोकतन्त्र की बात कहते हैं—मेहरबानी करके इस बात पर भी निगाह डालिए कि एक तरफ आप कहते हैं कि सरकार कीमतों को नहीं सम्भाल रही है, ला एण्ड आर्डर ठीक नहीं चल रहा है, कम्यूनल सिचुएशन खराब हो रही है, दूसरी तरफ यदि प्रीवेन्टिव डिटेन्शन का कानून लाया जाता है तो आप कहते हैं कि इस कानून को मत लाइये। प्रीवेन्टिव डिटेन्शन का कानून आज पहली बार नहीं आ रहा है, यह पहले भी यहां मौजूद था और जैसाकि पहले कहा जा चुका है सिवाय 2 वर्षों के यह कानून इस देश में हमेंशा मौजूद रहा है। जनता पार्टी भी इस कानून को लाई थी, लेकिन उनको वापस लेना पड़ा, जन-मत विरुद्ध था इस आधार पर वापस नहीं लिया था, बल्कि उनकी अपनी पार्टी बिखरने लगी थी, इसलिये उसको वापस लेना पड़ा था। आज आपका यह कहना कि इसको जनमत के आधार पर वापस लिया था, आपके इस भुलावे में कोई नहीं आ सकता। यदि ऐसा होता तो आपकी कैबिनेट कैसे इस बिल को यहाँ लाने की अनुमति देती।

अब जहाँ तक लोकतन्त्र की बात है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है, जुडीशियरी की बात है—हमारी प्रधान मंत्री जी इस वक्त यहां बैठी हुई हैं—आपकी यह दलील आपके अपने ही लिए बड़ी एम्बेरेसिंग है। इन लोकतंत्र की दुहाई देने वालों ने खुद ही इन्दिरा जी को पकड़कर जेल भेज दिया था···(व्यवधान)···लेकिन दूसरे दिन ही मजिस्ट्रेट ने उनको छोड़ दिया, एक दिन भी ये लोग उन पर मुकद्मा नहीं चला पाए। आज आप व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की बात कह रहे हैं, लेकिन उस समय यह व्यक्तिगत स्वतन्त्रता कहाँ थी ?···(व्यवधान)···

आज आप लोकतन्त्र की दुहाई दे रहे हैं—आप देखिये, चिकमगलूर की जनता ने इन्दिरा

जी को बहुमत के आधार पर चुनकर यहाँ भेजा था, लेकिन आपने अपने बहुमत के आधार पर उनके यहाँ से निष्कासन का प्रस्ताव पास किया था... (व्यवधान)...आपका लोकतंत्र कहाँ गया ?

आप कहते हैं कि इस सरकार को यह अधिकार नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि इसके दिये जाने से व्यक्तिगत स्वतंत्रता खतरे में पड़ जायेगी। मैं निवेदन करूं—1965 से लेकर 1975 तक श्रीमती इन्दिरा गाँधी हिन्दुस्तान की प्रधानमंत्री रहीं—आप मुझे बतलाइये उस काल में किस की व्यक्तिगत स्वतंत्रता समाप्त हो गई ? यह ठीक है कि 1975 के पहले इस देश में कुछ इस तरह के हालात पैदा किये जाने की कोशिश की गई, जिनके कारण मीसा कानून को लाना पड़ा, लेकिन प्रीवेन्टिव डिटेन्शन का कानून तो 10 साल पहले से चला आ रहा था। इससे जूडीशियरी को कहीं भी बार किया गया हो, ऐसी कोई बात इस कानून में नहीं है। आज जब इकानामिक आफेण्डर्स की समस्या और कुछ दूसरी समस्यायें हमारे सामने आईं—तब इस कानून को यहाँ लाना पड़ा। जब ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ यहाँ पर कानून लाया गया था, मुझे याद है जार्ज फर्नान्डिज साहब ने यहाँ स्पीच दी थी और कहा था कि ब्लैक मार्केटियर्स और होर्डर्स के खिलाफ जो कानून लाया जा रहा है, उसके अन्तर्गत राजनीतिज्ञों को पकड़ा जायगा, मैं पूछना चाहता हूं—आप बतलाइये कितने लोगों को उस कानून के अन्तर्गत जेल भेजा गया ? कितनों के खिलाफ कार्यवाही की गई, कितने राजनीतिक व्यक्तियों को बन्द कर दिया गया ? उस वक्त यही कहा गया था कि यह कानून राजनीतिज्ञों के लिए लाया जा रहा है। आज कितने राजनीतिज्ञों के लिए इसको इस्तेमाल किया गया . आज भी यही दलील दी जाती है। इस आर्डीनेन्स को अक्तूबर में जारी किया गया था लेकिन उसके बाद इस आर्डीनेन्स को जनता के विरुद्ध काम में लाने की या दूसरी तरह की ऐसी कोई बात हुई हो, इसका प्रश्न खड़ा नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, असल में मैं समझता हूं कि बहुत से विरोध पक्ष के लोग इस बात की आजादी चाहते हैं कि कोई कानून ऐसा नहीं होना चाहिये जिसमें जिस तरह से चाहो जो काम करो और कोई कार्यवाही न हो। देश में अराजकता फैलाने का अधिकार होना चाहिए और फिर इनको यह कहने का मौका होना चाहिए कि यह सरकार कानून व व्यवस्था को कायम नहीं रख सकी। वह चीज न देश चाहता है और न दूसरे चाहते हैं। चुनाव के मौके पर विरोधी पार्टियों ने जगह जगह पर यह कहा था कि इससे आपकी आजादी कम हो जायेगी, दूसरे अधिकार कम हो जायेंगे। लेकिन सब जानते हैं कि जो आज इस पार्टी को लोगों ने वोट दिया है, वह यह समझकर दिया है कि देश के अन्दर अमन व शान्ति कायम रखी जानी चाहिए और देश को आगे से आगे तेजी से विकास होना चाहिए। आज कहीं पर पावर हाऊसेज में स्ट्राइक है, कहीं पर रेलवे के वैगनों की फैक्ट्री में स्ट्राइक है और कहीं पर और चीजों में रुकावटें डाली जा रही हैं और रेल का चक्का जाम किये जाने जैसी चीजें हो रही हैं। जब सारे देश में ऐसी स्थिति है, तो आप लोग बैठकर, आपस में बातचीत करके इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें। जो वाजिब चीज हो, उसको किया जाए ! आज असम के अन्दर पृथकतावादी आन्दोलन चल रहा है और उड़ीसा के अन्दर भी इसी प्रकार की आवाजें उठाई जा रही हैं, क्या कोई इस बात से इन्कार कर सकता है ? आज उड़ीसा के अन्दर जो आन्दोलन चला, तो ये लोग उसको आगे से आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ हो गये। इससे एक प्रकार की स्थिति और पैदा हो गई

और जानने वाले जानते हैं कि पृथकतावादी ताकतें देश के अन्दर अपना सर उभारने में लगी हुई हैं। इसलिए इस बात की कोशिश की जाती है कि किसी प्रकार से हिंसा का स्वरूप देश के अन्दर पैदा हो। मैं आपसे निवेदन करूं कि आज वास्तव में लोकतंत्र के लिहाज से, मानवाधिकारों के लिहाज से, मैं ऐसी आशा करता हूं कि विरोधी पक्ष के लोग इस बात को लेकर विचार करें कि आज देश में जो कुछ हो रहा है, क्या वह सब लोकतंत्र है ? क्या हर चीज को आप लोकतंत्र मानकर चलेंगे ? आज कोई सरकार हो, चाहे यह सरकार हो और चाहे और दूसरी सरकार हो, हर दृष्टि से विचार करके आप चलें, तभी देश में लोकतंत्र चलेगा। लोकतंत्र तभी चल सकता है जब देश में अराजकता नहीं होगी, देश के अन्दर शान्ति होगी। जो वास्तव में लोकतंत्र को मानने वाले हैं, वे यह नहीं चाहेंगे कि देश में अराजकता हो और पृथकतावादी ताकतों को बढ़ावा मिले। वे ताकतें ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ें, मेरे ख्याल से यह हर कोई नहीं चाहेगा बल्कि वे यह चाहेंगे कि उन ताकतों को आगे बढ़ने न दिया जाए, ज्यादा उभरने न दिया जाए और उन ताकतों को रोका जाए। डेमोक्रेसी तभी बचने वाली है जब देश के अन्दर अराजकता पैदा न हो। आज डेमोक्रेसी को बचाने की बात सिर्फ नारे के तौर पर या दूसरी तरह की अराजकता पैदा करके नहीं की जा सकती। अराजकता की सबसे ज्यादा शिकार अगर कोई होगी, तो वह डेमोक्रेसी होगी. इस बात को ध्यान में रखकर चलना होगा। आज विरोधी पक्ष के लोग लोकतंत्र के लिए यहाँ पर जबानी हमदर्दी जाहिर करते हैं लेकिन दिल से वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, कौन इस बात को नहीं जानता है ?

मैं आप से निवेदन करूं कि हमारे सी. पी. एम के भाइयों ने और कई दूसरे लोगों ने इस बात पर जोर दिया कि यह कानून नहीं होना चाहिए। मैं यह निवेदन करूं कि क्या रूस और चीन के अन्दर भावों के लिए और दूसरी चीजों के लिए कोई हिंसक आन्दोलन करने की इजाजत है। क्या उन देशों में इस चीज की गुंजाइश है कि वे ऐसे मामलों को लेकर आन्दोलन करें लेकिन जब इस देश में यह सवाल खड़ा होता है, तो हमारे सी. पी एम. के भाई किस तरह का व्यवहार करते हैं।...(व्यवधान...)लोकतंत्र में कितना उनका विश्वास है, यह सब जनाने वाले जानते हैं।...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप बीच-बीच में क्यों बोल रहे हैं। इनको अपनी बात कहने दें।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, आज लोकतंत्र की बात कही जाती है। बंगाल के अन्दर कितना लोकतंत्र के आधार पर काम करने वाले हैं, यह बात सामने आ रही है। यह सबको मालूम है कि किस आधार पर उसको काम करना चाहिए। मैं एक बात यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो कानून लाया गया है, यह इस लिहाज से नहीं लाया गया है कि आप लोगों को गिरफ्तार करके रख दिया जाय। सही बात यह है कि आज विरोधी पक्ष में इतनी ताकत ही नहीं है कि इनको गिरफ्तार करने की जरूरत पड़े। यह कोई बहुत ताकतवर होता तब तो जरूरत पड़ती लेकिन अब तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि कोई अधिक ताकत इसमें नहीं है। हमारे विरोधी पक्ष को केवल भय ही सता रहा है और केवल मात्र एक वातावरण बनाने के लिए वे इस तरह के भाषण दे रहे हैं। दिल से वे जानते हैं कि इस कानून के जरिये कोई वाजिब काम वे करेंगे तो उन पर कोई रोक नहीं लगेगी। अगर वे अपने पक्ष में जनमत तैयार करने का काम करेंगे तो उनको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं

होगी। जो पृथक्तावादी ताकतें हैं, जो सामाजिक हितों के खिलाफ कुछ करने वाली ताकते हैं, जो साम्प्रदायिकता भड़काना चाहते हैं या और कोई इस तरह की चीज करते हैं उन पर तो इस कानून को लागू करने की आवश्यकता पड़ेगी वर्ना नहीं पड़ेगी। विरोधी पक्ष वालों को अगर और वक्त मिलता और वे कुछ और समय तक सत्ता में रहते तो मुझे पक्का यकीन है कि वे इससे भी कोई ज्यादा सख्त कानून मीसा की तरह ला कर रहते। मैं क्यों ऐसा कहता हूं ? माननीय अटल विहारी वाजपेयी जी का जो बहुत जोरदार भाषण हुआ है उसको मैंने सुना है। लेकिन उन्हीं की सरकार मध्य प्रदेश में काम करती थी जब वह केन्द्र में थे। उस समय मध्य प्रदेश में मिनी मीसा लागू किया गया। उनको क्या मध्य प्रदेश की सरकार को ऐसा करने से रोकना नहीं चाहिये था ? अगर वह चाहते तो उसको रोक सकते थे। लेकिन उसको रोकने की बात नहीं हुई। उससे भी कम सख्त यह कानून है। उस वक्त तो उनको वह चीज वाजिब लग रही थी लेकिन आज वह कह रहे हैं कि इस कानून को हम क्यों ला रहे हैं और किसके लिए ला रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि नेता ने जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी सौंपी है उसको हम को पूरा करना है इस सरकार के आने के बाद इसकी एक-एक चीज आपको देखनी होगी। पिछली सरकार जब सत्ता में आई तो कई काँग्रेसियों के खिलाफ, प्रधान मंत्री तक के खिलाफ कार्यवाही उसने की लेकिन इस साल भर में कोई भी बदले की भावना से काम नहीं किया गया है। साल भर का इतिहास आपके सामने है। इस साल भर में कोई उस तरीके का काम नहीं किया गया है।

मैं कहना चाहता हूँ कि यह कानून देश के व्यापक हित में लाया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि इसके जरिये देश को नुकसान पहुँचाने वाली जो ताकते हैं उनको रोकने की कोशिश की जाएगी और मजबूती के साथ ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिनको देश में शान्ति स्थापित हो सके।

अध्यक्ष महोदय : शाम 2.45 बजे पर प्रधान मंत्री को वक्तव्य देना था लेकिन अब वक्तव्य सायं 4.15 बजे दिया जाएगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : कारण क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : कारण यह है कि हमें आपको देने के लिए वक्तव्य की प्रतियाँ प्राप्त करनी हैं। मशीन आदि के लिये थोड़े समय की और आवश्यकता है।

श्री चन्द्रजीत यादव : श्रीमान जी, प्रधान मंत्री का वक्तव्य एक गभीर वक्तव्य है। (व्यवधान) मैं केवल यह बात कहना चाहता हूँ कि जब प्रधान मंत्री कोई वक्तव्य देती हैं तो वह अत्यन्त महत्वपूर्ण वक्तव्य होता है। जब समय भी बता दिया गया तो, जब तक कोई अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण कारण हो, इसे स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। इससे अनेक लोगों को असुविधा होती है; हम सभी प्रधान मंत्री का वक्तव्य सुनने के लिये आये हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक बात है। यदि आप प्रधानमंत्री को, बिना प्रतियाँ लिये सुनना चाहते हैं तो ऐसा किया जा सकता है, परन्तु मैं आपको वक्तव्य की प्रतियाँ देना चाहता था।

डा. सुब्रमण्यम स्वामी : मुझे प्राक्कलन समिति की बैठक में भाग लेना है;

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वामी, मैं चाहता था कि सभी सदस्यों को वक्तव्य की प्रति मिल जाए; यही कारण है।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं कोई अन्य बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन प्रधान मंत्री का वक्तव्य एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वक्तव्य है...

अध्यक्ष महोदय : यदि बिना प्रतियां लिये, उनको सुनना चाहते हैं तो वे (प्रधान मंत्री) वक्तव्य दे सकती हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव : उन्हें वक्तव्य देने दीजिये, हम सुनेंगे। हम वक्तव्य सुनने आये हैं, उसे पढ़ने नहीं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, हम यही करेंगे।

श्री उन्नीकृष्णन।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन (बडागरा) : अध्यक्ष महोदय, श्री फ्रेंक एन्थनी से श्री स्टीफन तथा श्री रवीन्द्र वर्मा तक, इस विधेयक ने विभिन्न विचारों और रुचियों वाले सभी समर्थ एवं वाकपटु वक्ताओं को आकर्षित किया है। यह शर्म की या कम से कम कहा जाये तो दुख की बात थी कि सरकारी पक्ष के लोगों ने श्री फ्रेंक एन्थनी द्वारा बताये गये भारतीय इतिहास की सराहना की जिसमें श्री एन्थनी ने भारतीय इतिहास को आदिवासियों को इतिहास बताया, गुरिल्ला युद्ध का इतिहास बताया इसके अलावा और कुछ नहीं। हो सकता है उस दल के लोगों से ऐसी बात होना कोई आश्चर्य की बात नहीं जिन्होंने ऐसा करने हेतु पण्डित जवाहरलाल नेहरू की दूरदर्शिता को तिलाजंली दे दी है।

संचार मंत्री, श्री सी. एम. स्टीफन द्वारा भी जोरदार भाषण दिया गया। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान, जब श्रीमती गाँधी एक बार नहीं अनेक अवसरों पर इस बात को बार-बार कह रही थीं "कि हजारों साल तक अब आपात स्थिति इस देश में नहीं लगाई जायेगी," कि कुछ असाधारण परिस्थितियों के कारण ऐसा करना पड़ा, श्री स्टीफन न केवल आपात् स्थिति की महानताओं का बखान कर रहे थे अपितु यह कह रहे थे, 'हमने कभी क्षमा नहीं माँगी, पश्चाताप नहीं किया।" और उस 'राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक' की अच्छाइयाँ बताते रहे। जिसका मैंने पहले के आने वाले अनिष्ट का सूचक बताया था; 'लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश कर रही हिंसात्मक शक्तियों को दबाने' के एक उपाय के रूप में...

एक माननीय सदस्य : श्री स्टीफन ने ठीक कहा था।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : यदि श्री स्टीफन ने ठीक कहा था; तो यही कारण है कि मुझे इस विधेयक को 'आने वाले अनिष्टके सूचक' के रूप में बताना पड़ा।

मैं जानता हूँ, मेरे पास समय कम है, और मैं इस विधेयक की कुछ मुख्य बातों तक ही अपने आपको सिमित रखूंगा।

इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के कथन से तथाकथित भरी जनादेश के बाद देश में व्याप्त एक भयंकर स्थिति का पता चलता है। इन "उद्देश्यों और कारणों" के अनुसार, सामाजिक तनाव तथा साम्प्रदायिक असंगति में वृद्धि हो रही है, औद्योगिक अशांती में वृद्धि हो रही है, "उग्रवादी गतिविधियों, जिसका उपयोग सत्तारूढ़ दल हर जगह हर ऐसे कार्य के लिये कर रहा है जो वर्तमान व्यवस्था व सरकार के लिये चुनौती हो, में भी वृद्धि हो रही है। मैं नहीं जानता कि क्या यह उस सरकार की स्वीकारोक्ति है जो यह दावा करती है कि उसे न केवल जनादेश प्राप्त है बल्कि पूरा किये जाने के लिए उसके पास एक कार्यक्रम भी है। लेकिन वही

एक प्रश्न है जिससे पता चलता है कि इसके पास न तो कोई दृष्टि है और न ही कोई कार्यक्रम है। पृथकतावादी, साम्प्रदायिक तथा जातिवादी तत्वों सहित तथाकथित समाज तथा राष्ट्रविरोधी तत्वों का सामना करने के लिये ही गृह मंत्री इस विधेयक को लाये हैं। अब मैं उनसे जानना चाहूंगा कि यदि पहले इस निरंकुश कानून को एक अध्यादेश के रूप में लाने की आवश्यकता थी तो अक्तूबर तथा नवम्बर के पहले सप्ताह में कितने चोरबाजारियों तथा अक्तूबर तथा नवम्बर के दूसरे सप्ताह में कितने जमाखोरों को इन्होंने गिरफ्तार किया। सभा को यह जानकारी दी जाये कि अक्तूबर तथा नवम्बर के महीनों में कितने अपराधियों को पकड़ा गया। मैं यह नहीं जानता कि क्या वे अपने मन्त्रालय के निष्कर्षों के बारे में कोई जानकारी रखते हैं। कुछ वर्ष पहले गृह मंत्रालय ने ग्रामीण तनाव के बारे में एक अच्छा अध्ययन किया था और इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि कानून अथवा अधिकार के अभाव में ही तनाव उत्पन्न नहीं होते और दमनकारी कानून ही इसका समाधान नहीं होते। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि भूमि की हिस्सेदारी, कृषिक सम्बन्ध, भूमि सुधारों की कमी आदि-आदि बुनियादि समस्यायें हैं। अब वह···

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मन्त्री को अपना भाषण देना चाहिये···

एक माननीय सदस्य : भाषण के बीच में नहीं।

कुछ माननीय सदस्य : अभी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे बुरा नहीं मानता। आपकी जल्दबाजी के कारण ही मैं उन्हें बुला रहा था।

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : 3 बजकर 15 मिनट पर मुझे आने वाले एक विदेश मंत्री से भेंट करनी है। वक्तव्य या तो अभी होगा या बाद में होगा।

कुछ माननीय सदस्य : हम अभी सुनेंगे।

श्री. के. पी. उन्नीकृष्णन् : मैं सदन के नेता से सहमत हूँ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे यहां बुलया गया। मुझसे सहमत होने का कोई प्रश्न नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रधान मंत्री।

श्री एल० आई० ब्रेजनेव की राजकीय यात्रा के बारे में वक्तव्य

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : सोवियत समाजवादी गणतंत्र सघ के सर्वोच्च सोवियत के अध्यक्ष मण्डल के प्रधान तथा सोवियत-केन्द्रीय समिति के महासचिव श्री लियोनिद ब्रेजनेव ने 8 से 11 दिसम्बर तक भारत की यात्रा की। यह यात्रा भारत तथा रूस दोनों देशों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थी और पिछली मई में बेलग्रेड में हमारे निमंत्रण पर उनका यहां आगमन हुआ। यह यात्रा अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय परिस्थितियों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी। मुझे सोवियत नेता के साथ आपसी हित के विभिन्न मामलों पर विस्तार से बात करने के अनेक अवसर मिले। इस यात्रा के अन्त में हमने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसकी प्रति पहले ही सभा पटल पर रख दी गई है।

हम भारतवासी सोवियत संघ के साथ अपनी मैत्री को महत्वपूर्ण मानते हैं जो कि

स्वतत्रता से भी पहले से चली आ रही है। मैंने मास्को में अक्तूबर क्रांति की 50वीं वर्ष गाँठ के समारोह में भाग लिया। कई साल पहले मेरे पिता भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में इसकी 10 वीं वर्षगांठ के अवसर पर सोवियत संघ गए थे। आज हमारी यह मैत्री बहुपक्षीय है जिससे दोनों देशों की जनता को लाभ पहुँचा है और यह विश्व-शांति तथा स्थायित्व में सहायक रही है। हमारे दोनों देशों की सामाजिक आर्थिक प्रणालियाँ भिन्न हैं, परन्तु विश्व शांति को कायम रखने के लिए हम दोनों समान रूप से बचनबद्ध हैं।

सोवियत राष्ट्रपति एक ऐसे शुभ अवसर पर भारत पधारे जो कि भारत सोवियत आर्थिक सहयोग की रजत जयती का प्रतीक है। राष्ट्रपति ब्रेजनेव भारत के एक पुराने दोस्त हैं और 1961 एवं 1973 में भी वे यहाँ आ चुके हैं। कई माने में वे भारत-सोवियत मैत्री की इमारत के निर्माता हैं। राष्ट्रपति ब्रेजनेव के साथ प्रतिष्ठित लोगों का एक प्रतिनिधि मण्डल भी था जिनमें विदेश मंत्री ग्रोमिको और प्रथम उप-प्रधान मंत्री आखिपोव थे और ये भी हमारे पुराने मित्र हैं।

हमने कई मसलों पर विचार-विमर्श किया जिनमें खासकर सीधे अपने देशों से संबन्धित थे। हम दोनों ही इस बात की आवश्यकता पर सहमत हुए कि पड़ोसी देशों में शांति तथा सहयोग का वातावरण कायम होना चाहिए और सभी संबन्धित राष्ट्रों द्वारा इसके लिए ठोस प्रयास करने चाहिएँ। वास्तव में भारत सोवियत मैत्री किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं है। यह एक ऐसी दोस्ती है जिसे हम दोनों ही बहुत महत्व देते हैं तथा अच्छे पड़ोसी संबन्धों को बनाए रखने के काम में हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत-सोवियत सम्बन्धों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। शब्दों से ज्यादा हमारे काम इस दावे की पुष्टि करते हैं।

द्विपक्षी दृष्टि से हमने दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर मुख्य रूप से विचार-विमर्श किया। आर्थिक और तकनीकी सहयोग पर एक समझौता, जिस पर राष्ट्रपति ब्रेजनेव के साथ मैंने हस्ताक्षर किये, इसका एक ढाँचा प्रस्तुत करता है। सोवियत संघ तीन प्रमुख क्षेत्रों—विद्युत्, कोयला खनन और तेल अनुसंधान—में भारत के साथ सहयोग करने पर राजी हो गया है। फेरस मेटालर्जी के क्षेत्र में परम्परागत सहयोग के अलावा यह विशेषकर भिलाई और बोकारो का विस्तार करने और विशाखापटनम में एक नया संघठित इस्पात कारखाना खोलने के संबन्ध में है। दोनों पक्षों ने कुछ प्रमुख परियोजनाओं का पता लगाया है जिन्हें साधनों की कमी के कारण छठी योजना में शामिल नहीं किया गया था। 520 लाख रूबल-520 करोड़ रुपये से थोड़ा कम—के सोवियत ऋण के हम आभारी हैं—इसे अब अगले 4 से 6 वर्षों में लिया जाएगा। इससे भारत के औद्योगिक साधनों को और बढ़ाने में महत्वपूर्ण सहयोग मिलेगा। इस यात्रा के दौरान तीन और समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए :

1. व्यापार समझौता।
2. चलचित्र के क्षेत्र में सहयोग पर विज्ञाप्ति।
3. वर्ष 1981-82 के लिए सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक विनिमयों का कार्यक्रम।

माननीय सदस्यगण यह सुनकर खुश होंगे कि सोवियत संघ अगले पाँच सालों के लिए भारत को कच्चे तेल की सप्लाई 1.5 लाख टन के वर्तमान स्तर से 2.5 लाख टन प्रति वर्ष तक और तेल पदार्थों की सप्लाई 1.9 लाख टन से 2.25 लाख टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने पर राजी हो

गया है। यह भारत से अतिरिक्त निर्यात के बदले में होगा और इससे हमारे दुतरफा व्यापार में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। हम इस मैत्री भावना की सराहना करते हैं।

हमने अन्तर्राष्ट्रीय संबन्धों पर बातचीत के दौरान विश्व की स्थिति पर सामान्य रूप से चर्चा की और अपने क्षेत्र के मसलों पर कुछ विस्तार से चर्चा की। हिन्दमहासागर तथा ईरान-ईराक के बीच चल रहे युद्ध के बारे में दोनों के विचारों में काफी समानता थी।

राष्ट्रपति ब्रजनेव ने अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के विचारों को पुनः दोहराया जिनसे माननीय सदस्य गण पहले ही परिचित हैं। अपनी तरफ से हमने अपने विचार स्पष्ट कर दिये तथा अपनी गहरी चिन्ता व्यक्त की। अन्य देशों के अन्दरूनी मामलों में किसी प्रकार के भी बाहरी हस्ताक्षेप के प्रति हमने अपना विरोध प्रकट किया, चाहे वह सेनायें भेजकर अथवा घुसपेठ करके किया गया हो। हमने यह भी कहा कि राजनीतिक हल संभव बनाने के लिए इस प्रकार के सभी हस्ताक्षेप रोके जाने चाहिए।

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुये कि दक्षिण पश्चिमी एशिया की समस्याओं तथा अन्य स्थितियों, जहां कहीं भी पैदा हों, के शांतिपूर्ण राजनीतिक हल का कोई विकल्प नहीं है। सोवियत नेता ने यह आशा जाहिर की कि तनाव कम करने तथा शाँतिपूर्ण राजनीतिक हल ढूंढने में भारत अपना रचनात्मक भूमिका अदा करता रहेगा।

हमारे क्षेत्र में निरंतर बढ़ते हुये तनावों तथा संघर्षों से बाहरी ताकतों को इनसे फायदा उठाने का मौका मिला है। हाल ही के वर्षों में देखा गया है कि गैर-तटीय महाशक्तियों द्वारा हिन्द-महासागर में अपनी शक्ति बढ़ाने और मजबूत करने के प्रयास किये जा रहे हैं। मौजूदा अड्डों को मजबूत बनाने और नये अड्डों के बनाने तथा सुविधायें प्राप्त करने के काफी प्रयत्न किये जा रहे हैं। हम स्वयं यह माँग करते रहे हैं कि समस्त हिन्द महासागर को महाशक्तियों से मुक्त रखा जाना चाहिए जिससे यह एक शाँति का क्षेत्र बन सके। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के इस खिलवाड़ में अपने आपको उलझाना एशिया और अफ्रीका के हित में नहीं है जो कि एक नये शीत युद्ध का प्रारंभ प्रतीत होता है। हमने अपनी चिन्ता को स्पष्ट रूप से अपने रूसी मित्रों के समक्ष प्रकट किया जिससे वह भी सहमत थे।

हमने दक्षिण-पश्चिम एशिया की स्थिति को अलग से इस रूप में नहीं देखा है कि इससे कोई एक देश अथवा कुछ देशों का एक गुट प्रभावित होता है। ये तनाव क्षेत्रीय तथा सारी दुनिया की स्थितियों से संबन्धित हैं। महाशक्तियो की यह एक खास जिम्मेदारी है कि वह विश्व स्तर पर सम्बन्धों में सामान्य तथा वास्तविक सुधार लाये और इस संदर्भ में माननीय सदस्यों को सम्बन्धित करते हुये राष्ट्रपति ब्रेजनेव ने जो प्रस्ताव दिये हैं वह रचनात्मक तथा विचारणीय प्रतीत होते हैं।

यूरोप में बढ़ते हुये नये तनावों तथा केन्द्रीय यूरोप की निरस्तीकरण वार्ता में गतिरोध पर रूस के नेताओं ने अपनी स्पष्ट रूप में चिन्ता व्यक्त की। माननीय सदस्यों को याद होगा कि दो महायुद्ध जो मानवजाति की सबसे ज्यादा विध्वंसक लड़ाईयां थी वह यूरोप में ही शुरू हुयी। इसलिए यह आवश्यक है कि यूरोप में शांति कायम रहे। यूरोप में तनाव की कमी की प्रक्रिया से युद्ध के बाद की वास्तविकताओं को स्वीकार करने तथा पारस्परिक विश्वास तथा सहयोग

बढ़ाने में योगदान मिला। हम आशा करते हैं कि इस प्रक्रिया को हाल में जो धक्का लगा, उससे वह उभर पायेगी तथा इसको और मजबूत बना कर विश्व के अन्य क्षेत्रों में इसका विस्तार किया जायेगा।

रूस के राष्ट्रपति की इस यात्रा ने भारत सोवियत सम्बन्धों की शक्ति और क्षमता को और सुदृढ़ करने का एक बहुमूल्य अवसर प्रदान किया है। ये सम्बन्ध विश्वास और पारस्परिक हितों पर आधारित हैं और यही कारण हैं कि ये समय के साथ खरे उतरे हैं। किसी खास मामले में चाहे हमारे विचार भिन्न ही क्यों न हों, हमारी मैत्री बढ़ेगी और विश्वशांति को बनाए रखने तथा मजबूत करने के प्रयास में हम आपस में तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रों के साथ मिलकर सहयोग करते रहेंगे।

राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक-जारी

विचार किये जाने का प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : श्री उन्नीकृष्णन्. अब आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री के.पी. उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : मैं यह कहने का प्रयास कर रहा था कि गृह मंत्री ने सरकार के स्वीकारोक्ति रिकार्ड तथा असफलताओं की एक लम्बी सूची बनायी है, जो इस विधान के उद्देश्यों तथा कारणों में से एक है। मेरा कहना यह है कि उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों के इन तनावों को जड़ों तक पहुँचना चाहिये ? ग्रामीण क्षेत्रों में तनाव क्यों है ? मैं कह रहा था कि इनके मंत्रालय में किसी ने एक अध्ययन किया था जिसमें कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ असमानतायें हैं। हमारे विचार में उन्होंने यही कहा है कि भूमि सुधार अपर्याप्त है, उनकी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लिये कुछ अन्य उपाय भी नहीं कर सके जिसके फलस्वरूप वहाँ कीचड़, गंदगी तथा मुसिबतें हैं। ग्रामीण तनाव के असली कारण ये ही हैं। यही कारण है कि उस तथाकथित 20 सूत्री कार्यक्रम, जिसकी ओर वे बार बार हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, मैं भी अब कृषि सम्बन्धी परिवर्तन के बारे में संकेत है। मैं जानना चाहता हूं कि पिछले चुनाव के बाद उन्होंने तथा उनकी राज्य सरकारों ने इस बारे में क्या कुछ किया है। वे एक इंच भी नहीं बढ़े हैं।

इसी प्रकार इन्होंने पृथकतावादी रवैये सहित कुछ अन्य सामाजिक तत्वों का जिक्र भी किया है। यह सरकार आसाम के बारे में एक मैत्रीपूर्ण हल ढूढने में भी असफल रही है जिसके फलस्वरूप उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिये खतरा बना हुआ है।

सरकार, वह जो काम करें, जिसने काम करने का भी वचन दिया था, अब भी काफी समय से रिक्त पड़े भाषायी अल्पसंख्यक आयुक्त के सवैधानिक पद के लिये किसी व्यक्ति को नहीं ढूंढ पायी है। और फिर भी आप भाषायी अल्प संख्यकों की समस्याओं के बारे में चर्चा करते हैं। यदि इस सरकार के काम करने का तरीका यही है तो उन्हें तनाव के कारण का पता लगाना

चाहिये । अब इन लोगों तथा इनके प्रवक्ताओं के बीच यह कहने की एक प्रथा ही बन गयी है कि विपक्ष प्रजातंत्रीय ढांचे क्यों तोड़फोड़ कर रहा है । पहले तीन महीनों तक वे यह कहते आये हैं कि उनकी असफलताओं का कारण जनता सरकार से प्राप्त विरासत है ।

मैं जनता सरकार के कटु आलोचकों में से एक था और ऐसा होने के नाते मैंने सोचा था कि कुछ मूलभूत तथा बुनियादी परिवर्तन होंगे और राज चलाने तथा काम करने वाली कोई सरकार आयेगी । अब कुछ दिन हुए श्रीमती इन्दिरा गांधी के एक बड़े प्रशंसक मुझे यह बता रहे थे कि मानो आपकी सरकार ऐसी हैं जैसी कि जनता पार्टी की सरकार । यह ऐसा है माना श्रीमती इन्दिरा गाँधी जनता पार्टी में शामिल हो गयीं हों और जनता पार्टी का नेतृत्व कर रही हों । यदि उनके समर्थकों में भी इस तरह का भ्रम है तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । सरकार को यह बताने के लिये काफी कुछ करना होगा कि सरकार काम करने से इनकार कर रही है ।

अब, उन्होंने अपने दृष्टिकोण में कुछ परिवर्तन कर लिया है और यह कहने लगी हैं कि विपक्ष ही तोड़फोड़ करा रहा है । यह भी स्टीफन के भाषण से स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि श्री रवीन्द्र वर्मा ने कहा है कि यह विष से भरा हुआ था । यह एक स्पष्ट नीति सम्बन्धी बयान था कि उसका प्रयोग उनके राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध किया जाऐगा । मुझे आश्चर्य इस बात का है कि सरकार इस विधेयक पर वाद-विवाद के दौरान भाषण देते हुए उनके विभिन्न ब्यानों का कहां तक समर्थन करेगी । उनका कहना है कि विपक्ष ही आन्दोलन कराकर और विधिवत गठित प्राधिकार को चुनौती देकर तोड़फोड़ करा रहा है ।

मैं यह पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष को वास्तव में क्या करना चाहिए ? यदि विपक्ष के पास भड़काने की इतनी शक्ति हो और वह लाखों लोगों को प्रेरित कर सके तो यह सरकार एक दिन भी नहीं चल सकेगी । दुःख की बात तो यह है कि उनके पास इतनी शक्ति नहीं है । वे अव्यवस्थित हैं और रहते हैं और उनका कहना है कि विपक्ष ही संविधान को नष्ट कर रहा है और इसीलिए उन्हें यह विधेयक लाना पड़ा । मैं तो इतना ही कह सकता हूँ और इस विधेयक के पीछे जो उद्देश्य हैं उस पर मुझे दुःख होता है। अब यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह किसके विरुद्ध लाया गया है । यह स्पष्ट रूप से राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध लाया गया है । यह न तो तोड़फोड़ के विरुद्ध और न ही उनके विरुद्ध लाया गया है जो हमारी अर्थव्यवस्था या समाज के अस्तित्व को समाप्त कर रहे हैं ।

महोदय, निवारक निरोध कानून बनाने की बात यह कहकर न्यायोचित नहीं ठहरायी जा सकती कि वे कानून अपर्याप्त हैं । इसका तो और सबूत देना होगा कि अनुपूरक विधान ही वर्तमान कानूनों द्वारा न किए गए कार्यों को पूरा कर सकता है, अन्यथा यह लोकतंत्र के ढांचे को, खतरे में डाल सकते हैं जिसका हमने न केवल अपनी पीढ़ी के अपितु स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले लोगों के लम्बे प्रयासों के परिणाम स्वरूप बड़े अध्यवसाय से निर्माण किया है इसी कारण हमने इस विधेयक का विरोध पुरःस्थापना के समय से ही किया है और मैंने विशेष रूप से यह कहा है कि यह हमारे संवैधानिक लोकतंत्र, कानूनी शासन के हमारे सिद्धांत तथ हमारे आधारभूत नियमों पर, जिन पर लोकतंत्र टिका है, कुठाराघात जाता है ।

महोदय, बेन्जामिन फ्रैंकलिन ने कहा है··· "जो थोड़ी अस्थायी सुरक्षा प्राप्त करने के

लिए आवश्यक स्वतंत्रता का त्याग कर देते हैं वे न तो स्वतंत्रता और न ही सुरक्षा के अधिकारी हैं।" केवल यही ऐसा विधेयक नहीं जिसमें देश की स्थिति के बारे में सत्तारूढ़ दल की राय झलकती है। राष्ट्रीय प्रणाली के बारे में जो बात चल रही है वह भी एक भिन्न रूप में इसी बात की द्योतक है। इसी दलील के सम्बन्ध में यह भी सुझाव दिया गया है कि हमारी शासन प्रणाली बदली जानी चाहिए, कार्यपालिका का स्वरूप बदला जाना चाहिए, और हमें राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनानी चाहिए तथा हमें एक आजीवन राष्ट्रपति चाहिए। इसके अतिरिक्त इस विधेयक के पैशाचिक उद्देश्यों का पता नहीं लगता है। इसी कारण मैंने पहले कहा था कि इस दिशा में यह पहला कदम है। जब आप इस विधेयक में शक्तियों का प्रत्यायोजन इतने बड़े पैमाने पर करेंगे तो इससे कार्यपालिका द्वारा ज्यादतियाँ की जायेंगी। इससे एक ऐसी स्थिति पैदा होगी जबकि अधिक दमन होगा और राज्य की दमनकारी शक्तियों को अधिक बल मिलेगा।

मैं गृह मंत्री को यह याद दिलाकर और उनसे यह कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं कि बल प्रयोग अपने विरोधियों को सशक्त बनाती है, यह अपनी विरोधी स्वयं पैदा करता है और यह अपना विनाश स्वयं करता है। धन्यवाद।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री बसन्त साठे) : महोदय, अपने मित्र श्री रवीन्द्र वर्मा और श्री उन्नीकृष्णन को सुनने के बाद मैं थोड़ा हस्तक्षेप करना चाहता हूं। मैंने यह समझा कि मुझे विरोधी पक्ष के अपने माननीय मित्रों का ध्यान कतिपय बातों की ओर दिलाना चाहिए। सचमुच मैं नहीं समझता कि वे इस विधेयक, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए है, क्यों परेशान या घबराये हुए हैं। मुझे विश्वास है कि कोई भी माननीय सदस्य राष्ट्रीय सुरक्षा के विरुद्ध नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह इस शताब्दी का एक सबसे बड़ा मजाक है।

श्री बसन्त साठे : महोदय, मैं यह नहीं समझता कि क्या वे इस विधेयक के उद्देश्यों का विश्लेषण करेंगे—(क) बाहरी आक्रमण से उत्पन्न खतरे को रोकना और मुझे विश्वास है कि विपक्ष का कोई सदस्य यह नहीं कह सकता कि नहीं, इस देश की बाहरी आक्रमण से रक्षा नहीं की जानी चाहिए।

इसके बाद आन्तरिक सुरक्षा का प्रश्न आता है। मैं अपने माननीय मित्रों से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे राष्ट्रविरोधी कार्यकलापों का समर्थन कर रहे हैं जैसे साम्प्रदायिक हिंसा को अधिक समर्थन दे रहे हैं या वे अन्तर्जातीय झगड़ों का समर्थन कर रहे हैं ? यदि वे ऐसा नहीं करना चाहते तो उनको किसका डर है ?

एक माननीय सदस्य : इसके दुरुपयोग से।

श्री बसन्त साठे : यह एक और पहलू है जिस पर इस विधेयक द्वारा ध्यान दिया जाएगा।

तीसरी बात यह है कि जो चोरबाजारी, तस्करी, जमाखोरी कर रहे हैं और जो आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने से रोक रहे हैं तो क्या आप यह सुझाव दे रहे हैं कि अनाज जैसी आवश्यक वस्तुओं को सूखा पीड़ित क्षेत्रों या उन क्षेत्रों जहाँ अनाज भेजने की आवश्यकता है, में भेजने से रोका जाना चाहिये ? क्या आप इस पर गंभीरता के साथ विचार कर रहे हैं कि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन और उनकी सप्लाई रोकी जानी चाहिए स मैं अपने मित्रों से

पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई संवैधानिक अधिकार हैं ? आप यहां कैसी बातें कर रहे हैं ? क्या आप हमें एक भी अनुच्छेद दिखा सकते हैं जिसमें राजनीतिक दलों के सदस्यों (वे चाहे जिस दल के हों) सहित किसी को भी आने-जाने से रोकने के अधिकार की व्यवस्था हो ? क्या आप गंभीरता के साथ यह दलील दे सकते हैं कि संविधान में निर्वाचित सदस्यों का घेराव करने, उन्हें बच्चों को जलाने या मार डालने या उनके घरों को जलाने की धमकी देकर उन्हें त्यागपत्र देने के लिये विवश करने का अधिकार है ? क्या संविधान में कोई ऐसा अनुच्छेद है जिसमें किसी को रेलों की फिश प्लेटें हटाने का अधिकार दिया गया है। इस तरह के आंदोलनों को आज हम सारे देश में देख रहे हैं जो मेरे मित्रों द्वारा भड़काये जा रहे हैं। क्या यह संवैधानिक है ? क्या संविधान का कोई अनुच्छेद आपको ऐसा कोई अधिकार प्रदान करता है ? क्या ये राष्ट्र विरोधी कार्य नहीं हैं ? क्या आप में से कोई व्यक्ति ऐसे किसी आंदोलन का समर्थन कर रहा है जो इस चीज को प्रोत्साहित करता है ? शांतिपूर्ण आंदोलन, यहाँ तक सत्याग्रह जो गाँधी जी का सिद्धांत है, जिसके अब नये अनुभवी हो रहे हैं। हो सकता है, इसमें मुझे खुशी है। हमें कोई आपत्ति नहीं है और यह कानून अथवा यह विधेयक किसी को प्रभावित नहीं करता है। परन्तु विपक्ष स मेरा अनुरोध यह है कि यदि आप चाहते हैं कि यह देश पनपे तो आप विचार करें। यदि आप चाहते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा हो, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता पर आंच न आये तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि हमारे संविधान में प्रदत्त इन मूलभूत स्वतन्त्रताओं, की रक्षा की जानी चाहिए। अर्थात् हत्याओं, साम्प्रदायिक दंगों, अन्तर्जातीय दंगों, तस्करों, चोरबाजारियों, जमाखोरों, आदि से मुक्ति होनी चाहिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। जब कोई इसे दुरुपयोग किए जाने की संभावना की बात कहता है तो मैं यह सब समझ सकता हूं। परन्तु मुझे यहां स्थिति को समुचित संदर्भ में रखना चाहिए। यहाँ निवारक निरोध विधेयक है जो बिना किसी आरोप के, समीक्षा समिति के सामने पेश करने से पूर्व 8 दिन की अवधि तक न्यायालय में लाये बिना किसी नागरिक की स्वतन्त्रता को छीनता है। इसके बारे में आप सोच सकते हैं कि यह बुरा है।

दूसरी ओर, मान लीजिए आप जानते हैं कि किसी क्षेत्र में अवाँछित तत्व हैं। वे अवाँछित तत्व जानबूझ कर साम्प्रदायिक दंगों को बढ़ावा दे रहे हैं। यदि आप उन्हें रोकना चाहते हैं तो ऐसा इस उपाय को अपनाने पर ही किया जा सकता है। क्या यह किया जाना चाहिए या नहीं। यदि आप इन दंगों को अनुमति देने का खतरा उठाना चाहते हैं तो इसका अर्थ सैंकड़ों को जान गंवाने, सैंकड़ों औरतों और बच्चों को जान से मारने, घरों तथा सम्पत्तियों को लूटने और तबाह करने की अनुमति देना होगा। क्या यह बड़ा खतरा नहीं है ? क्या उन गरीब पुरुषों, औरतों और बच्चों की जान वापस लाई जा सकेंगी ? इन अवाँछनीय तत्त्वों के कारण, उनके इन जघन्य कार्यों को रोकने के लिए, सरकार को निवारक उपाय करने की आप अनुमति देंगे या नहीं ? कौन सा माँग अधिक वांछनीय है ? यहाँ आप कतिपय अवांछनीय तत्वों को जघन्य कार्य करते रहने से रोकना चाहते हैं। कोई भी अपने आपको इस जिम्मेदारी से बचा नहीं सकता। किसी भी राजनीतिक दल को साम्प्रदायिक हिंसा या जातिगत हिंसा को भड़काने का अधिकार नहीं है क्योंकि आप इस या उस राजनीतिक दल से संबन्ध रखते हैं तो क्या यह आपको यह अधिकार देता है कि आप रास्ता बन्द, रेल बन्द या उत्पादन बन्द को प्रोत्साहन देते रहें ?

नहीं । यह रवैया है और मैं पूछता हूं कि यदि आप ऐसे आंदोलनों को न्यायसंगत कहते हैं तो क्या यह संवैधानिक है ? और यदि आप संविधान के विरुद्ध, संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों, राज्य के कानून के खिलाफ कार्य करेंगे तो आप देश के विकास की किस प्रकार आशा कर सकते हैं ? मेरी समझ में नहीं आता कि आपकी क्या आशंका है । पिछले एक वर्ष से, ये सदस्य देश में उत्पादन रोकने के आंदोलनों को बढ़ावा देने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : क्या आप इस तरफ बैठे सदस्यों की ओर संकेत कर रहे हैं ? (व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री वसन्त साठे) : विपक्ष के सभी सदस्य नहीं । मैं सबको नहीं कह रहा हूँ । (व्यवधान)

मैं न्यायसंगत या मांग के दूसरे पक्ष की बात कर रहा हूं । मैं उस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूँ । मैं कह रहा हूं कि यह पूरी तरह से न्यायसंगत हो परन्तु घेराव आदि के रूप में जो आप आंदोलन करना चाहते हैं वह आपत्तिजनक है । क्या आप वे दिन भूल गये ? आप में से कुछ सत्ताधारी दल में···थे और आपको सरकार चलाने का अवसर दिया गया था और आप लोगों पर मुकदमा चलाने में व्यस्त थे और अपना एक अच्छा अवसर गंवा दिया । आपने न केवल श्रीमती गांधी पर, जो संसद सदस्य नहीं थीं, देश में दौरा करने पर पाबन्दी लगाई बल्कि उनकी जन सभाओं में पथराव हुआ और जन साधारण के जलूसों में भी बाधाएं पहुँचायीं । उस समय हम उस ओर निपक्ष में थे । क्या आप एक भी उदाहरण बता सकते हैं कि आपके दल के सत्ता में रहते हमारे नेताओं ने किसी हिंसात्मक कार्यवाई को प्रोत्साहन दिया था । (व्यवधान) आपने नौजवान श्री सजय गाँधी को भी नहीं छोड़ा । आपने उन पर भी लाठी प्रहार किया ।

(व्यवधान)

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरी) : पूना में कांग्रेस-ई के कार्यकर्ताओं ने तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई, की कार की छत पर नाच किया था । क्या यह अहिंसात्मक था ? (व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : श्री संजय गाँधी के नेतृत्व में आपने न्यायालय में हंगामा मचाया··· (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : पश्चिम बंगाल में, कई लोगों की हत्या के लिये सरकार जिम्मेदार है

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाना चाहिये । (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादव पुर) : श्रीमान वे राज्य सरकार पर कुल लोगों की हत्या का आरोप लगा रहे हैं । उन्होंने ऐसा कहा है । (व्यवधान)

श्री वसन्त साठे : मैं एक संशोधन करूंगा । पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी दल कांग्रेस-ई के 200 व्यक्तियों की हत्या के लिये जिम्मेदार है··· (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाएगा ।

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री वसन्त साठे : पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने यह स्वीकार किया है और चार व्यक्तियों को अन्धा किए जाने के मामले में जाँच करने के लिए सहमत हो गए हैं। इससे अधिक आप क्या चाहते हैं ?···(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जाना चाहिए। हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिए। आप मेरी अनुमति के बिना ही बोल रहे हैं। यह रिकार्ड नहीं किया जा रहा है।

श्री वसन्त साठे : किसी को भी श्री मोरार जी देसाई की रक्षा तथा उनकी अहिंसा की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि यह रिकार्ड में है कि जब वे महाराष्ट्र सरकार में थे तो संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को गोली मारने का आदेश दिया था। मेरे मित्र जो महाराष्ट्र में हैं, वे यह जानते हैं। श्री मोरार जी देसाई की यह प्रतिष्ठा है। श्री मोरारजी देसाई की अहिंसा में विश्वास की बात मत कीजिए। यदि विपक्षी दल वास्तव में राष्ट्रीय सुरक्षा में रुचि रखते हैं, यदि वे इस देश की भलाई में रुचि रखते हैं तो मुझे कोई सन्देह नहीं कि गृह मंत्री द्वारा उठाए गए इस अच्छे उपाय का समर्थन करने के अलावा उनके पास और कोई विकल्प नहीं है।

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : चूंकि श्री वसन्त साठे ने अनेक प्रश्न पूछे हैं, इसलिए यदि मुझे अनुमति दें तो मैं भी उनसे एक प्रश्न पूछूं।

यदि इस विधान का प्रयोग समाज विरोधी कार्यकलापों के लिए किया जाता है तो हम उनसे पूरी तरह से सहमत होंगे। परन्तु क्या यह सत्य नहीं है कि जब आँसुका पेश किया गया था तब भी इसी तरह का भाषण दिया गया था। क्या हम नहीं जानते हैं कि जब इसी तरह की दलील दी गई थी। तब श्री जयप्रकाश नारायण जैसे एक महान देश भक्त पर 'आँसुका' के अन्यर्गत कार्यवाही की गई थी। ऐसा पुनः होने की संभावना है।

श्री वसन्त साठे : जहाँ तक श्री जयप्रकाश नारायण का सम्बन्ध है। मैं उनका पूरा सम्मान करता हूं। उन्हें अन्य कार्यकलापों के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया परन्तु उन्हें तो पुलिस को इस देश में विद्रोह करने के लिए भड़काने और गुजरात तथा बिहार में निर्वाचित विधायकों तथा प्रतिनिधियों पर हिंसात्मक कार्यवाही करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करने के कारण गिरफ्तार किया गया था। इसका कारण यह था।

श्री सी. टी. दण्डपाणि (पोल्लाची) : अध्यक्ष महोदय, 22 सितम्बर, 1980 को राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश प्रारुव्यापित किए जाने के बाद हम राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश पर चर्चा कर रहे हैं जो इस विधेयक के रूप में आ रहा है।

महोदय, अनुच्छेद 123 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को दी गई शक्तियों का प्रयोग इस देश में अनेक बार किया गया है। वस्तुतः यह निवारक निरोध अधिनियम और अन्य उपबन्ध भारत में आधिकारिक रूप से 1818 के बंगाल राज्य बन्दी विनियमन अधिनियम के साथ आए।

महोदय, 1947 से लेकर अब तक किसी भी राजनीतिक दल ने अनुच्छेद 123 के अनुसार

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपनी इच्छा से किसी अध्यादेश को लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति को चुनौती नहीं दी। सभी राजनीतिक दलों ने इसे स्वीकार किया है। केवल दुमुक दल ने, जिसने राज्य की स्वायत्तता की माँग की थी, राष्ट्रपति की इन शक्तियों का विरोध किया था। परन्तु दुर्भाग्यवश, वे दल जो अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति की इन शक्तियों के सिद्धांत से सहमत हैं। इस राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक का अब विरोध कर रहे हैं। परन्तु 1979 में जनता पार्टी के गिरने के बाद आम चुनाव हुये। आम चुनाव में लोगों ने इस देश में शासन करने के लिये श्रीमती गाँधी को वोट दिये।

जनता पार्टी के $2\frac{1}{2}$ वर्षों के शासन के बाद लोगों ने सोचा कि श्रीमती गाँधी इस देश में ईमानदारी और लोकतंत्रीय ढंग से शासन करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति होंगी।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

श्रीमान्, कुराल में एक कहावत है 'यह व्यक्ति इस प्रकार सावधानी पुर्वक सोच-विचार कर यह काम करेगा और तब उसे वास्तव में आगे बढ़ने दीजिए।"

एक माननीय सदस्य : यह एक आदमी के बारे में है, किसी औरत के बारे में नहीं।

श्री सी. टी. दंडपाणि : श्रीमान् कई राष्ट्रीय नेता जिन्होंने अपना जीवन स्वतंत्रता के लिए अर्पित कर दिया था, वे बड़े उत्तरदायित्व और विवेक से इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि समुचे देश के हितार्थ स्थिति से निपटने के लिए कुछ असाधारण कार्यकारी उपाय जरूरी हैं। यही कारण था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार बल्लभ भाई पटेल तथा अन्य बड़े नेताओं ने इस प्रकार के विधेयक को आवश्यक समझा।

श्रीमान्, अपनी उम्र के कारण मुझे स्वतन्त्रता संघर्ष में भाग लेने का अवसर नहीं मिला। परन्तु, मैं सदा उन नेताओं का आदर करता हूँ जिन्होंने काँग्रेस दल द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण विचारधारा के लिए अपनी सारी खुशियों का बलिदान कर दिया। ब्रिटिश राज के दौरान इस देश के लिए उनका योगदान बहुत बड़ा था। श्री मोरारजी देसाई तथा श्री चरणसिंह जैसे जीवित नेताओं ने भी स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान राष्ट्र की विशिष्ट सेवाय कीं। इस प्रकार, भारतीय कम्युनिष्ट दल, ने भी, अब वे दो हैं, जो श्रमजीवीयों वर्ग और कामगार वर्ग के संरक्षक हैं, सामान्य जनों की अपनी सेवायें कीं। इसी प्रकार मैं वाजपेयी जी और जनता पार्टी तथा लोकदल के जाने माने नेताओं का भी बहुत आदर करता हूँ। ये सब अनुभवी व्यक्ति हैं। श्री मोरारजी देसाई केन्द्र में कई वर्षों तक मंत्री रहे और फिर प्रधान मंत्री बने। इसी प्रकार श्री चरणसिंह गृह मंत्री, वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री रहे। ये सभी व्यक्ति जानते हैं कि प्रशासन में क्या-क्या कठिनाइयाँ सामने आती हैं।

वास्तव में, लोगों ने जनता पार्टी को इस देश पर 5 वर्षों तक राज्य करने के लिए वोट दिये थे। परन्तु उन्होंने उसे पूरी अवधि के लिए राज्य नहीं करने दिया। उन्होंने जनहित में बीच ही में कार्य भार छोड़ दिया। यदि वे सत्ता में रहते तो मैं नहीं जानता कि इस देश का भविष्य क्या होता ? तथापि, जब वे सत्ता में थे तो इन सभी लोगों ने इस प्रकार के कानून का विरोध नहीं किया। मैं एक छोटे से चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सामान्य व्यक्ति हूं। मुझे इस विधेयक का विरोध क्यों करना चाहिए जबकि देश के इन सभी बड़े नेताओं ने पहले ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। मेरे मित्रों से मेरा यही प्रश्न है।

दूसरे, यह विधेयक संसद के अन्दर और बाहर, वकीलों के मंच में, पूर्वाग्रही प्रेस में तथा अवकाश प्राप्त और हतोत्साहित राजनीतिज्ञों के बीच, विवाद का विषय बन गया है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, यह विधेयक बहुत पहले लायाजाना चाहिये था क्योंकि जैसे ही यह अध्यादेश जारी हुआ, मुझे इसका कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह अध्यादेश बहुत पहले जारी किया जाना चाहिए था। लोगों की इस सरकार से कुछ आशाएं हैं। इसीलिए उन्होंने इस देश पर राज्य करने के लिए श्रीमती गाँधी को वोट दिए।

ऐसे विधेयक जनता राज्य के दौरान 1977 से 1979 में प्रस्तुत किए गए थे। जनता सरकार ने 27 अध्यादेश जारी किए, वे भी संसद-सत्रों से जरा पहले। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। अनिवार्य जमा (संशोधन) अध्यादेश, 1977 लोक सभा सत्र से मात्र 28 दिन पहले जारी किया गया; योग संस्थान अध्यादेश, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, सत्र के शुरू होने से मात्र 17 दिन पहले जारी किया गया और स्मिथ स्टेनी स्ट्रीट कं० लिमिटेड अध्यादेश सत्र से मात्र 44 दिन पहले जारी किया गया। भारतीय लोहा और इस्पात कम्पनी अध्यादेश लोकसभा सत्र आरम्भ होने से मात्र 29 दिन पहले 13.11.1977 को जारी किया गया था। इसी प्रकार कई अध्यादेश सत्र से 6 या 20 दिन पहले जारी किए गए। यह सब किया गया। अतः यह मुद्दा ठीक नहीं है। मित्रों ने कहा कि उन्होंने मध्यप्रदेश में एक अध्यादेश जारी किया जिसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति को 3 महीने तक नजरबन्द रखा जा सकता है यदि राज्य सरकार, जिला दण्डाधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए ऐसी नजरबन्दी आवश्यक है। जम्मू और काश्मीर में भी उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया है। उसे तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई को भेजा गया था। समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ :

> "श्री मोरारजी देसाई ने सुझाव दिया कि नजरबन्दी की अधिकतम अवधि दो वर्ष से कम रखी जाए।"

उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने नजरबन्दी की अवधि की बात की थी। फिर, दूसरे प्रधान मंत्री श्री चरणसिंह ने जो कहा वह इण्डियन एक्सप्रेस में इस प्रकार छपा है :

"श्री चरणसिंह ने एक खतरनाक तर्क दिया कि यदि प्रशासन के पास अपने उत्तरदायित्वों निभाने के लिये उचित कानूनी शक्ति नहीं है, तो इसके फलस्वरूप कुछ नुकसान हो सकेंगे और उसके द्वारा गैर कानूनी तरीके अपनाए जा सकेंगे और कानून का गलत उपयोग हो सकेगा।"

हमारे कम्युनिस्ट मित्र दो या तीन राज्यों में सरकार चला रहे हैं। एक समय उत्तर प्रदेश में, जो देश में सबसे ज्यादा अविश्वासनीय रिकार्ड रखता है, श्री चरणसिंह और सी. बी. गुप्त ने मिलकर एक सप्ताह में 26 अध्यादेश जारी किए थे। 1961 से 1969 के दशक में पश्चिम बंगाल की सयुक्त मोर्चा सरकार ने भी यही किया। राजनीतिक दलों ने सत्ता में आने पर जो किया यह उसका रिकार्ड है।

मेरे राज्य में उन्होंने चार अध्यादेश जारी किए थे। एक कृषकों द्वारा बकाया का भुगतान न करने पर गिरफ्तारी से संबंधित था। एक अध्यादेश हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के बारे में था। मैं अपने कम्युनिस्ट मित्रों से पूछता हूं—आप जब तमिलनाडु में सरकार का समर्थन कर रहे हैं और उसी समय केन्द्रीय सरकार का अध्यादेश जारी करने के लिए विरोध

कर रहे हैं। यह दोहरा मापदण्ड क्यों ? आप तमिलनाडु में एक अध्यादेश का समर्थन करते हैं और यहाँ उसका विरोध करते हैं। क्या इसलिए नहीं कि आप एम.जी.आर. के साथ सहबद्ध हैं और इसलिए यहाँ सरकार का विरोध कर रहे हैं ? ···(व्यवधान)···

एक माननीय सदस्य : आप क्या कह रहे हैं ? हमने बोनस अध्यादेश का समर्थन किया, हम अच्छी बातों का समर्थन करते हैं।

श्री सी. टी. दण्डपाणि : अतः श्रीमान्, मैं इस विधेयक का विरोध करने में कोई सदाशयता नहीं पाता। मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं अभी पांच मिनट में समाप्त करता हूँ। दूसरे अत्यन्त महत्वपूर्ण बात जो कही गई···(व्यवधान)···

सभापति महोदय : आपने 15 मिनट ले लिए हैं।

श्री सी. टी. दण्डपाणि : मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा। अत्यन्त महत्वपूर्ण बात, जो माननीय मंत्री श्री साठे ने भी बतायी, इन दोनों विधेयकों में अन्तर है। कुछ लोग मीसा और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश की तुलना करते हैं। अब वे न्यायालय में जा सकते हैं और कैदी को उसकी नजरबन्दी के कारण बताए जायेंगे।

एक माननीय सदस्य : सभी मामलों में नहीं। कतिपय मामलों में कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। ···(व्यवधान)···

श्री सी. टी. दण्डपाणि : अतः वे न्यायालय अर्थात् सलाहकार बोर्ड में जा सकते हैं, तब सलाहकार बोर्ड निर्णय करेगा। एक प्रकार से इसका दुरुपयोग हो सकता है। जहाँ गैर-काँग्रेसी सरकारें हैं वे यह कहकर इसका दुरुपयोग कर सकती हैं कि 'यह केन्द्रीय कानून है और केन्द्रीय कानून के अनुसार मैं आपको गिरफ्तार करता हूँ, मैं आपको कारावास में डाल रहा हूँ। श्रीमती गांधी के नाम का दुरुपयोग करने के लिए वे ऐसा करेंगे। गैर-काँग्रेसी सरकारें अपने राज्यों में निश्चय ही ऐसा करेंगी। यहाँ सरकार को इस मामले में यह जाँच करनी चाहिए कि इसका दुरुपयोग न हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं। केन्द्र-राज्य संबंध विषय पर कई बातें कही गई हैं। इस विधेयक में कई शक्तियां राज्यों को दी गई हैं। यह ठीक नहीं है। परन्तु मैंने एक समाचार-पत्र में पढ़ा था, जब जनता पार्टी सत्ता में थी तब आचार्य विनोबा भावे गो-बध का विरोध करते रहे। विनोबा जी चाहते थे कि या तो केन्द्र या राज्यों द्वारा कोई कानून लाया जाए। पश्चिम बंगाल और केरल की राज्य सरकारों ने इन्कार कर दिया। तब बिनोबा जी ने अनशन आरम्भ कर दिया। हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने उनसे अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया। उन्होंने अनशन समाप्त कर दिया। परन्तु पश्चिम बंगाल और केरल की सरकारों ने कानून पारित नहीं किया। अतः वे क्या करते ? केन्द्र सरकार ने पश्चिम बंगाल और केरल राज्य सरकारों की इच्छा के विरुद्ध कानून का प्रस्ताव कर दिया। कानून 1979 में 50वें संशोधन के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया। अतः यहाँ केन्द्र राज्य संबंधों का प्रश्न नहीं उठता। समाप्त करने से पहले, हालांकि समय कम है, समाप्त करने से पहले, मैं चाहता हूं। ···(व्यवधान)···

सभापति महोदय : आपने अधिक समय ले लिया है।

श्री सी. टी. दण्डपाणि : श्रीमान्, मेरे दल को 15 मिनट दिए गए हैं।

सभापति महोदय : आपने उससे अधिक समय ले लिया है।

श्री सी. टी. दण्डपाणि : मैं अपना भाषण केवल एक बात कहकर समाप्त करना चाह हूं। लोगों को इस विधेयक से काफी उम्मीदें हैं। मुझे नहीं मालूम कि इस विधेयक से सरक क्या करने जा रही है। क्या वे कार्रवाई करेंगे या नहीं, क्योंकि सरकार ने एक विधेयक आवश्यक वस्तुओं की काला बाजारी रोकने के लिए पहले ही पारित कर दिया है। कई उपा उन्होंने किए हैं परन्तु वे उनका कार्यान्वयन बिलकुल नहीं कर रहे हैं। लोगों को अनाज नह मिल रहा है, उन्हें वस्तुएं सस्ते दामों पर नहीं मिल रही है। अतः इन लोगों के विरुद्ध कड़ कार्यवाई करनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि जमाखोरों, तस्करों और काला बाजारिय पर नियंत्रण रखने के लिए कोई कार्यवाई नहीं की गई तथा उनके विरुद्ध मामलों को इस विधेयक के प्रयोग से तैयार किया जाना चाहिए था।

समाप्त करने से पूर्व, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं।

इस विधेयक को राजनीतिज्ञों के विरुद्ध नहीं लाया गया है। यह बात प्रधान मंत्री ने कही है और गृह मंत्री ने भी सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखा है कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री ने भी मद्रास में इस बात का आश्वासन दिया था कि राजनीतिकों के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, व्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और यह कालाबाजारियों तथा जमाखोरों के लिए है। उन्होंने (प्रधान मत्री) ऐसी बात कही थी। मैंने अपनी बात एक 'कुरल' का उद्धरण देते हुए शुरू की थी और एक दूसरे 'कुरल' को उद्धृत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ :

"कोई निश्चित कदम दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति ही उठा सकता है। दूसरी सभी बातें इसे प्रभावित नहीं करतीं।"

इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : (अल्मोड़ा) सभापति महोदय, आज से दो ही दिन पूर्व इस आर्डिनेंस के ऊपर जिसको बिल के रूप में परिवर्त्तित करने के लिए यहां पर प्रस्तुत किया गया है, मैंने माननीय सदस्य, नई दिल्ली का भाषण सुना। उनके भाषण को सुन कर मुझे ऐसा लगा मानो वह अपनी आत्मा के भय से भयभीत होकर कुछ प्रलाप कर रहें हों, कुछ बिलाप कर रहे हों। आत्मा के भय से भयभीत होने की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि मैं जानता हूं, बुद्धि और विवेक से कोई भी व्यक्ति इस आर्डिनेंस का विरोध नहीं कर सकता। लेकिन जब विवेक बिका हुआ हो, जब आत्मा पर दूसरे का कब्जा हो तो आदमी मजबूर हो जाता है और मैं यह समझता हूं कि माननीय सदस्य, नई दिल्ली इस बात को जानते हैं कि इस विधेयक के ऐक्ट बन जाने से उनकी पार्टी का आधार चरमरा जायेगा क्योंकि इस बात को सारा राष्ट्र जानता है कि माननीय सदस्य, नई दिल्ली की पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी कही जाती है, उसको भारतीय जनता पार्टी बल्द आर. एस. एस. कहा जाय तो ज्यादा उचित होगा और आर. एस. एस. और भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े आधार है ब्लैक-मार्किटियर्स...

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : वल्दियत की बात मत कीजिए, जरा राजनैतिक भाषण कीजिए।

अध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है। क्या बोल रहे हैं आप ? अगर भारतीय जनता पार्टी

की वल्दियत आर. एस. एस. है तो कांग्रेस की वल्दियत एक अंग्रेज है। आप इस तरह का भाषण चाहते हैं इस सदन में ?

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : यदि अच्छा मनुष्य अंग्रेज है तो हमें उसको मानने में कोई इनकार नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : शर्म आनी चाहिए, इस तरह का भाषण करते हैं ?

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : मैं तो मानस पुत्र होने की बात कर रहा हूँ और और आर. एस. एस. का मानस पुत्र तो है ही भारतीय जनता पार्टी। इसको हमने नहीं कहा है जो आप के साथ रहे हैं उन्होंने कहा है और आप उनके साथ सरकार में बड़े लम्बे समय तक रहे हैं। इसलिए आपको इनकार नहीं होना चाहिए।

जो भारतीय जनता पार्टी है उसका आधार है ब्लैक-मार्किटियर और इस बिल से सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को है तो ब्लैक मार्केटियर्स को है, क्योंकि इस बिल को लाने के पीछे सबसे बड़ा मशा है कि ब्लैक-मार्केटियर्स जो इस समाज के लिये सबसे बड़े कलंक हैं जिनसे कि समाज को सबसे बड़ा खतरा है, जो इस देश में मूल्य-वृद्धि के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं उनको कंट्रोल में लाया जाए, उन होर्डर्स को कंट्रोल में लाया जाय जो लोगों के जीवन को अभाव से ग्रस्त कर रहे हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : पार्लियामेंट के मेम्बर श्री ए. के. राय को पकड़ा गया था, वह ब्लैक मार्केटियर हैं ?

श्री हरीश चन्द्र सिंह रावत : उन प्राफिटियर्स को जो ऊंचे-ऊंचे दामों को बढ़ाकर लोगों के जीवन को दूभर करते हैं उनको कंट्रोल में लाया जाय। मैं समझता हूँ कि इस प्रिवेंटिव डिटेंशन के जरिए सरकार की मंशा यह है कि इस तरीके के तत्वों को केवल निरोधात्मक तरीके से 12 महीने के लिए जेल में डाला जाय, उनके मन में भय पैदा किया जाय, मैं तो चाहता हूँ और मैं निवेदन है गृह मंत्री जी से, आज समाज की और वक्त की मांग है कि ऐसे तत्वों को जो समाज का जीवन दूभर किए हुए हैं, जो समाज के सीने पर जोंक की तरह चिपक हुए हैं, जो समाज के नाम पर बदनुमा दाग हैं उनको यदि 12 साल तक भी जेल में डालना पड़ता है तो उसके लिए भी विधेयक उनको लाना चाहिये।

दूसरा खतरा इससे स्मगलर्स को है। स्मगलर्स से भी मुझे ऐसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कुछ निकट का रिश्ता है चाहे जेठमलानी जी के रास्ते से हो या किसी और तरीके से हो मैंने पिछली बार भी इसी सम्मानित सदन में जब ब्लैक मार्केटिंग करने वालों और मूल्य वृद्धि करने वाले लोगों के खिलाफ विधेयक लाया गया था तो उस बहस को मैंने सुना था और उस समय भी इसी प्रकार के इसी से मिलेजुले विचार माननीय सदस्य नई दिल्ली ने इस सदन के सामने प्रस्तुत किये थे। आप पिछले रिकार्ड को उठाकर देख लीजिये, जब भी कभी इस प्रकार का विधेयक लाया गया होगा जिससे कि देश में सुख चैन और अमन आ सके तो उस समय भारतीय जनता पार्टी जोकि पहले जनसंघ थी, उसकी ओर से इसी प्रकार की बातें कही गई होंगी। आज सारा देश इस बात को जानता है कि अगर हमारे देश की एकता को कोई सबसे बड़ा खतरा है तो वह जातिवादी तत्वों से है, साम्प्रदायिक तत्वों से हैं और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले तत्वों से है। इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 1977 में, जब जनता पार्टी

शासन में आई तो उसके बाद 1977-78 में एकदम 230 साम्प्रदायिक दंगे हुये, 1978-79 में दंगे हुये और 1979-80 में 306 दंगे हुये। यदि आप इस पर गम्भीरता से विचार करें तो यह आधिकांशत: उन्हीं क्षेत्र में हुये हैं जहां पर कि जनता पार्टी के जनसंघ घटक के लोग सत्त शामिल थे। अलीगढ़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अलीगढ़ शहर की जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, अटल जी इनकार नहीं कर सकते हैं, वे उनके आर. एस. एस. के सदस्य थे, उनके संघ के सदस्य थे और सरकार ने स्वीकार किया कि उनका हाथ दंगों के पीछे था। इसी प्र से बिहार में कोई थे जिन्होंने जमशेदपुर में दंगे करवाये थे, वह भी इन्हीं की पार्टी के थे ! उ प्रदेश में, बिहार में या जहां भी कहीं इस प्रकार की बातें हुई हैं जहाँ भी कम्यूनल वारदातें हु वहाँ सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का था तो वह भारतीय जनता पार्टी का था। इसका कारण था कि प्रशासन में और दूसरी जगहों पर आपने अपने लोगों को फिट किया हुआ था। मेरा निवे है कि आज जो जातिवाद और धर्म के नाम पर इन्सान के दिल में नफरत पैदा करने वाले लोग उनको नियन्त्रण में लाया जाये नहीं तो इस देश की सामाजिक एकता खण्डित हो जायेगी। य आप यह समझते हैं कि इन लोगों को साधारण रूप से समझा बुझा कर ठीक किया जा सक है तो में इस सम्बन्ध में कबीर दास जी का एक दोहा कहना चाहता हूं :

दाग जो लगा नील का, सौमन साबुन धोय।
लाख जतन पर बेधिये, कागा हंस न होए॥

यदि आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, आर. एस. एस. के लोग या ऐ अन्य साम्प्रदायिक तत्व सुधर जायेंगे तो वे साधारण तौर पर मानने वाले नहीं हैं। यदि उनक नियंत्रण में लाना है तो निश्चित तौर से कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे जिनसे ऐसे तत्वों को कुचला जा सके ताकि देश और समाज की एकता छिन्न-भिन्न न हो।

आप आसाम के उदाहरण को देखें। मैं मानता हूं जिस समय आसाम में आँदोलन की शुरुआत हुई उस समय इसका आर्थिक आधार रहा होगा लेकिन बाद में आर. एस. एस. के लोगों ने वहां के आँदोलन में सक्रिय रूप से प्रवेश किया जिसका दुष्परिणाम आज हम रे सामने है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 1978 से पहले भारतीय जनता पार्टी या आर. एस. एस. का कोई नेता वहां नहीं गया था लेकिन 1978 के बाद आर. एस. एस. के चीफ श्री देवरस साहब वहाँ पर तीन बार गये और उनके एक डिप्टी श्री राजेन्द्र सिंह भी तीन चार बार लम्बे समय तक आसाम में रहे। कई-कई कैम्प इन्होंने वहाँ लगाये, इसलिए भले ही आसाम के आन्दोलन का स्वरुप प्रारम्भ में आर्थिक रहा हो लेकिन बाद में उसका कम्युनल स्वरूप तथा धार्मिक उन्यादी स्वरूप उभर कर सामने आया। आज अल्पसंख्यकों का जीवन वहाँ खतरे में पड़ा हुआ है। और सारे राष्ट्र की आँखें आपकी ओर लगी हुई है। सरकार का कर्त्तव्य है कि वह आर. एस. एस. या जो दूसरे धार्मिक आधार पर काम करने वाले संगठन हैं उन पर प्रतिबंध लगाए। आपने जब आर. एस. एस. पर प्रतिबन्ध लगाया तो इस तरह के जो धार्मिक झगड़े होते हैं, जो साम्प्रदायिक उपद्रव होते हैं, वे नियंत्रण में आये और जब आपने प्रतिबन्ध हटाया तो मुरादाबाद जैसी घटनायें हुईं और यदि आप मुरादाबाद की घटनाओं के तह में जायें, तो निश्चित तौर पर आप पायेंगे कि आर. एस. एस और आर. एस. एस. के साथ मिलकर काम करने वाले संगठनों का उसमें हाथ है।

मान्यवर, मैंने इस सदन में सम्माननीय सदस्य जादवपुर का भाषण भी सुना। मुझे लगा कि सत्ता में रहने और सत्ता से बाहर विरोध पक्ष की भूमिका निभाने के दो विरोधी दायित्वों के बीच उनका व्यक्तित्व बिल्कुल विभाजित था। वे इस बात को भूल गए कि एक तरफ त्रिपुरा में उनकी पार्टी इस तरह का आर्डिनेंस लाकर, सी. पी. सी. को अमेंड करके छः महीने तक किसी भी व्यक्ति को नजरबन्द रख सकती है और दूसरी तरफ यहाँ पर नजरबन्दी के इस अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं—ये दोनों समझ में आने वाली बात नहीं है। मैं जानता हूँ वे पश्चिम बंगाल को एक प्रकार की जागीर समझने लग गये हैं। जब हम कभी पश्चिम बंगाल की गलतियों के विषय में, वहाँ की सरकार की कमजोरियों के विषय में, इस सदन में आवाज उठाते हैं तो सारे मार्कसिस्ट कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग इस तरह से विरोध करते हैं, जैसे कि यह अधिकार हम लोगों को है ही नहीं।

मान्यवर, जब बंगाल के अन्दर उन्होंने हाल ही में बंगाल बन्द का आंदोलन किया, तो उसकी वजह से वहां पर उन्होंने जिस तरीके से केन्द्र को चुनौती देने की बातें कीं, उसको कोई भी सहन नहीं कर सकता है। वहाँ पर इस तरह के आंदोलन की शृंखला सी बन रही है, जिसके जरिए पृथकतावादी शक्तियां सिर उठा रही हैं। चाहे गोरखा-लैंड की बात हो, चाहे झारखण्ड की बात हो—जगह-जगह पृथकतावादी शक्तियाँ सिर रही हैं और ऐसे समय में पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा जिस तरीके से चुनौती दी जा रही है, वह भी एक खतरा है, जिसके बारे में सोचना चाहिए। आज कम्यूनिस्टों के इरादों के विषय में, मार्कसिस्ट कम्यूनिस्ट लोगों के इरादों के विषय में भी हमको सचेष्ट रहने की जरूरत है। आपको इस बात पर बराबर नजर रखनी होगी कि इस तरह की पृथकतावादी ताकतें सिर न उठा सकें और हमारे देश के अन्दर इस तरह की विघटनवादी शक्तियां सिर न उठा सकें। आज जगह-जगह इन लोगों को नियंत्रण में लाने के लिए, मैं समझता हूं कि इस विधेयक से, इस बिल से कोई और बढ़िया बिल नहीं हो सकता है।

मैं समझता हूँ कि इससे राजनीतिक लोगों को भय नहीं होना चाहिए, इससे समाज में काम करने वाले लोगों को भय नहीं होना चाहिए, इससे भय उन लोगों को होना चाहिये जो जनता को मुसीबतों में डालना चाहते हैं। इसलिए किसी भी सरकार का फर्ज है, उत्तरदायित्व है कि जनता को कठिनाइयों में डालने वाले लोगों को, जनता के जीवन को दूभर करने वाले लोगों को, देश की एकता को खण्डित करने वाले लोगों को, समाज की एकता की एकता को खण्डित करने वाले लोगों को, इस बिल के द्वारा कंट्रोल में लायें। मैं समझता हूं कि आपके नेतृत्व में हम ऐसे लोगों को, ऐसे तत्वों को नियंत्रण में लायेंगे और हमारे संविधान के जो निर्माता थे, उन्होंने भी इस बात को बहुत महत्वपूर्ण समझा और वे जानते थे कि इस देश के अन्दर ऐसे लोग भी पैदा हो सकते हैं, जिन लोगों ने महात्मा गाँधी की हत्या की है, तो आगे आने वाले दिनों में हिन्दुस्तान की एकता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने संविधान की धारा-22 में इस प्रकार के प्रोवीजन को रखा। इसीलिए सरदार पटेल से लेकर हर मनीषी, हर वह व्यक्ति जो इस देश की एकता की भलाई के लिए सोचता था। इस प्रकार के निवारक नजरबन्दी विधेयकों को यहाँ लाया।

मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूँ कि वे ऐसे नाजुक समय में ऐसा माकूल विधेयक सदन के सामने लाये हैं जिसमें कि सारा राष्ट्र आपके साथ है और सारा देश आपके साथ है।

माननीय, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया और मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : सभापति जी, इस समय जिस बिल पर इस सदन में विचार हो रहा है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात का है कि जबसे हिन्दुस्तान में कांग्रेस की हुकूमत आई, कई बार इस तरह के बिल यहाँ लाये गये और उनको पास भी कराया गया···

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : देश की भलाई के वास्ते—ऐसा भी बोलिये।

श्री विजय कुमार यादव : भलाई के वास्ते या बुराई के वास्ते—इस वक्त मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं जिस बात को कहना चाहता हूं—उसको समझिये—वोटिंग के समय तो कांग्रेस के सभी लोगों ने उन बिलों का समर्थन किया, लेकिन जब कभी भी उन बिलों को सदन में लाया गया तो शासक पार्टी यानी कांग्रेस पार्टी के अन्दर चन्द ऐसे डेमोक्रेटिक एलीमेंट्स जरूर निकले जिन्होंने हाउस के अन्दर उस बिल का विरोध किया और पार्टी डिस्प्लिन के मातहत बाद में वोटिंग में उन्होंने पक्ष में मत दिया। लेकिन यह पहला मौका है जब कांग्रेस में एक आदमी भी ऐसा नहीं निकला जो इस हाउस में अपनी सच्ची आवाज को प्रकट कर सका या इस बिल का कम से कम इंफार्मली विरोध करता। यह इस बात का सुबूत है कि यह पार्टी जो इस समय शासन में है, वह कांग्रेस नहीं है जिसने आजादी की लडाई लड़ी थी। यह वह कांग्रेस नहीं है जो आजादी के बाद पावर में आई। आज यह कांग्रेस-कांग्रेस न रह कर केवल एक व्यक्ति की पार्टी बन कर रह गई है और वह श्रीमती इंदिरा गांधी की पार्टी है। उनके खिलाफ किसी भी कांग्रेस के आदमी को बोलने की हिम्मत नहीं है—यह स्थिति आज कांग्रेस के अन्दर पैदा हो गई है। जब खुद इस पार्टी के अन्दर डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातन्त्र नहीं है, तो जाहिर बात है कि देश को ये प्रजातन्त्र क्या दे सकेंगे, देश के अन्दर प्रजातन्त्र की हिफाजत क्या कर सकेंगे ?

अब जहाँ तक हमारी कम्यूनिस्ट पार्टी का सवाल है—बहुत सारी बातें यहाँ पर कम्यूनिस्ट पार्टी के बारे में उठाई गई हैं। कम्यूनिस्ट पार्टी का स्टेण्ड इस तरह के कानूनों में बराबर है "कन्सिस्टेन्ट" रहा है। हम लोग बराबर इस तरह के प्रीवेन्टिव डिटेन्शन कानून का विरोध करते रहे हैं। हमारे साठे जी ने कहा—कांग्रेस का एक भी उदाहरण बतला दीजिये जब कि कांग्रेस के लोगों ने हिंसा से काम लिया हो, बल्कि वे हिंसा के लिये विरोधी पार्टियों को दोषी बतला रहे थे। हमको याद है—केरल में जब कम्यूनिस्ट पार्टी की पहली मिनिस्ट्री बनी थी, श्री ई. एम. एस. नम्बूदरीपाद उसके मुख्य मंत्री थे, श्रीमती इन्दिरा गांधी उस समय कांग्रेस की प्रेसीडेन्ट थीं और स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरू उस समय हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री थे। उस समय वहां कांग्रेस पार्टी अपोजीशन में थी। उस पार्टी ने वहाँ पर आंदोलन चलाया था। कांग्रेस के लोगों ने बसों को जलाया, हड़ताल कराई और न मालूम कितने वायलेंस के काम किये थे और बाद में कम्यूनिस्ट पार्टी की उस पहली सरकार को इन्होंने समाप्त कर दिया था। यह इनका पुराना इतिहास है। जनता पार्टी के रिजीम में भी इन कांग्रेस के लोगों ने पूरे हिन्दुस्तान में कलैक्टोरेट्स का, कचहरियों का घेराव किया था। बंगाल में···

सभापति महोदय : आप विधेयक के सम्बन्ध में क्यों नहीं बोलते ? (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : इनसे पहले जो वक्ता बोल रहे थे, वह किस चीज पर बोल रहे थे ? आप ऐसा व्यवहार मत कीजिये ।

श्री आरीफ मोहम्मद खाँ (कानपुर) : उन्होंने यही कहा है कि दिल से बोलिये, ऊपर से मत बोलिये ।

श्री विजय कुमार यादव : जब ये लोग असम की चर्चा करते हैं तो वहाँ पर यातायात अवरुद्ध करने की बात करते हैं । यातायात अवरुद्ध करने के लिये काँग्रेस (आई) के लोगों ने बंगलौर में जो नारा दिया था, उसकी मुखालिफत खुद इस सदन में हम लोगों ने की थी । इसलिए, सभापति जी, कांग्रेस के लोग जो इस बिल को सदन में लाये हैं उनका मकसद वह नहीं है जो वे यहां लोगों के सामने कह रहे हैं । वे कहते हैं कि देश में रायट्स हो रहे हैं, ला एण्ड आर्डर की प्राबलम है । मैं बतलाना चाहता हूँ कि देश के अन्दर बहुत सारे ऐसे कानून मौजूद हैं जैसे कई राज्यों में गुण्डा एक्ट है, जो इलाके हमारे डिस्टर्ब्ड हैं, उनके लिये डिस्टर्ब्ड एरियाज एक्ट बना हुआ है, ब्लैक-मार्केटिंग, होर्डिंग और तस्करी को रोकने के लिये इसी सदन में कानून पास हुआ है । इसके अलावा अभी हाल में सी. आर. पी. सी. में एमेंडमेंट किया है । इतने से भी जब इनको चैन नहीं मिल रहा है तो ये क्या कर रहे हैं ? ये देश के अन्दर प्रेजीडेंशियल टाइप आफ गवर्नमेंट ला करके पूरी सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में केन्द्रित करने की साजिश कर रहे हैं और उसी उद्देश्य को सामने रख कर, उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये देश के अन्दर से डेमोक्रेसी को समाप्त करने के लिये ऐसे विधेयक ला रहे हैं । 10 महीने पहले चुनाव के वक्त जो इन्होंने वायदा किया था, आज उस वायदे को पूरा करने में ये असफल हो रहे हैं और आज देश में एक तूफान उठ रहा है, देश के अन्दर गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और इन तमाम कारणों से किसान का जो उत्पादन है, उसका उसको लाभप्रद मूल्य नहीं मिल रहा है । इस नेशनल सेक्यूरिटी आर्डीनेन्स का डर दिखाकर और इस विधेयक को पास करा कर और अपोजीशन की तरफ उंगली उठा कर अगर यह समझते हैं कि देश के अदर सही सवालों को लेकर जो आंदोलन उठने वाला है, वह इस कानून के जरिये से रुक जाएगा, तो यह इनका एक भ्रम है । इस कानून को लेकर देश में एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा होगा । 1977 में इनको सबक मिल चुका है । यह दूसरी बात है कि यह बहुत जल्द उसको भूल गये हैं । ये कहते हैं कि हम अपोजीशन पार्टीज के खिलाफ इसको लागू नहीं करेंगे । यू. पी. के मुख्य मत्री ने क्या कहा, यह सब जानते हैं । बिहार में श्री ए. के. राय के साथ क्या किया गया ? बहुत सारी बातों का मुख्य मंत्री खुलेआम ऐलान कर रहे हैं ।... (व्यवधान) सी. पी. आई. के बारे में आप क्या समझ रहे हैं । वह जमाना खत्म हो गया है जब सी. पी. आई. ने आपका साथ दिया था । आज सी. पी. आई. आपकी जन-विरोधी नितियों को समाप्त करने में अपनी पूरी ताकत लगा देगी । इसके लिए वह कोई कोई-कसर बाकी नहीं छोड़ेगी । हम वामपंथी ताकतों को संगठित करके जन विरोधी नीतियों को समाप्त करना चाहते हैं । आपने जो यह आर्डीनेन्स जारी किया है, वह लोगों को और खास-तौर से अपोजीशन पार्टी को रोब में लाने के लिये किया है । जब आप उनको धमकियाँ देते हैं या उन पर इल्जाम लगाते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है । एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम आपके खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे लेकिन अगर

इसके विस्तार में जाते हैं तो यह जानते हैं कि अगर आँदोलन होगा, तो इसका इस्तेमाल होगा। आँदोलन तो होगा ही । आज किसान उठ रहा है, मजदूर उठ रहे हैं। आपने जो यह कानून बनाया है, उसमें आप क्या करते हैं। आप कहते हैं कि अगर भारत की सुरक्षा के लिये खतरा होगा, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। इनका कहना यह है कि हमने यह कानून भारत की सुरक्षा के लिये बनाया है लेकिन मैं इस विधेयक की धारा 3 को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ :

"यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार का,—

(क) किसी व्यक्ति के सम्बन्ध में समाधान हो जाता है कि उसे भारत की सुरक्षा, भारत के विदेशी सरकारों के सम्बन्ध या भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है,...

तो वह यह निदेश देते हुये आदेश कर सकेगी कि उस व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया जाए।"

इसके बाद 3 (2) में यह लिखा हुआ है :

"यदि किसी व्यक्ति के संबन्ध में केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि उसे राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से या लोक व्यवस्था बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से या समुदाय के लिये आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से कार्य करने से रोकने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक है तो वह यह निदेश देते हुये आदेश कर सकेगी कि उस व्यक्ति को निरुद्ध कर लिया जाए।"

अब इसका मतलब क्या हुआ। मजदूरों का आंदोलन होता है और वे मजदूर सही सवाल को लेकर हड़ताल करते हैं, जो उनका कान्स्टाट्यूशनल राइट है, तो यह कह कर कि ये आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई में बाधा डाल रहे हैं, उनके ट्रेड यूनियन राइट्स को इस विधेयक के द्वारा छीनना चाहते हैं। और मजदूरों से उनके अधिकारों को छीनना चाहते हैं और आपने पहले भी यह किया है और उसका नतीजा आपको मिला है।

इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और मैं ऐसा समझता हूं कि आज सारे लोग जो उधर बैठे हैं, जो सबके सब इसका समर्थन कर रहे हैं, आपने खुद देखा होगा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इमरजेन्सी के मौके पर आपके कई लोगों को गिरफ्तार किया था। आप इस वक्त तो हाँ में हाँ मिला रहे हैं लेकिन आप में से भी कई लोगों को भी इस बात बात का अहसास बाद में होगा कि हमने गलत काम किया है। हम लोग जेल तो जावेंगे पर हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे लेकिन आपको भी बाद में इसका पता चलेगा कि आपने यह गलत काम किया है। जब आपको भी यह सरकार समी सवाल उठाने के कारण पकड़ कर जेल में डाल देगी।

इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

* **श्री ईरा अनबारासु** (चिंगलपट्टु) : माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक, 1980 और इसके पूर्ववर्ती अध्यादेश का स्वागत करते हुए मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूँ।

मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने विधेयक के सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टिकोण

* तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

सदन के समझ रखे। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने इस बात का आरोप लगाया कि यह विधेयक विरोधियों के गले मे फंदा डालना है। मैं आश्वस्त करना चाहूंगा कि यह उनको परेशान करने के लिये नहीं लाया गया है। यह प्रस्तावित कानून काले बाजारियों, मानव जीवन की कीमत पर धन बटोरने वाले, मिलावट करने वालों तथा जमाखोरों, देश को लूटने वाले समाजविरोधी तथा राष्ट्रविरोधी तत्वों, विद्वेष उभारने वाले लोगों तथा साँप्रदायिक अपराध करने वाले अपराधियों तथा जनता को लूटने वाले एकाधिकारियों तथा व्यापार में हेराफेरी करने वाले लोगों से निपटने के लिये है। मुझे विश्वास है कि विपक्ष के सदस्य यह नहीं चाहेंगे कि सरकार मूकदर्शक बनी रहे परन्तु यह चाहेंगे कि सरकार उन लोगों की विश्वासघाती गतिविधियों को रोकने के लिये, विधि सम्बन्धी कदम उठाए, जो देश की सप्रभुता एव सुरक्षा को तिखी रखना चाहते हैं। कानून का पालन करने वाले नागरिकों को इससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो लोग सही लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुसार राजनीतिक पार्टियों का नेतृत्व कर रहे हैं। वे इस कानून का शिकार नहीं होंगे।

माननीय सदस्य श्री उन्नीकृष्णन ने आवेश में बोलते हुये कहा कि श्रीमती गाँधी स्वयं को सत्ता में बनाए रखने के प्रयोजन से इस विधेयक को पारित कराना चाहती हैं जो उनकी घातक भूमिका है. मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि इस देश की जनता ने श्रीमती गाँधी के समर्थन में अपना बहुमत निर्णय दिया है। जनता ने राष्ट्र के नेतृत्व के लिए श्रीमती गाँधी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है। वे जानते हैं कि एकमात्र श्रीमती गाँधी ही देश को समृद्धि एवं खुशहाली की बुलंदियों पर ले जा सकती हैं। यदि देश की जनता ने दोबारा श्रीमती गांधी को चुना है तो क्या वह (जनता) उनसे यह आशा करती है कि वह देश के शासन की जिम्मेदारी से अपना मुंह मोड लें? केन्द्रीय सरकार इस कर्तव्य से आबद्ध है कि वह समुचित विधायी तथा कार्यपालिका कार्यों से श्रीमती गाँधी में जनता के विश्वास को सच सिद्ध करे।

सरकार द्वारा जो कुछ किया जा रहा है, लगता है विपक्षी दल महज उनका विरोध करने के लिये अपना असंतोष चिल्ला-चिल्ला कर व्यक्त कर रहे हैं। देश की जनता उनकी विघटनकारी भूमिका को देख रही है। यदि वे हमारे देश में लोकतंत्र को अराजकता करने में लगे रहेंगे तो देश की जनता उनकी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करेगी। वे कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में अडगा नहीं बन सकते। मैं उनको चेतावनी दूंगा कि वे अपनी हरकतों से बाज आएं। यह विधेयक हमारे देश के इतिहास में एक सर्वाधिक अच्छे मौके पर लाया गया है। प्राचीन समय में लोगों को देवी शक्तियों के अस्तित्व का भय था और वे अपने द्वारा किये जाने वाले किसी भी अपराध के परिणाम के प्रति आशंकित रहते थे। जब राजनत्रीय व्यवस्था आई, तो उन्हें अपराध करने पर राजा के क्रोध का भय रहता था। अब हमारे यहां लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकार है। लोगों को कानून का पालन करने वाला होना चाहिए और वे स्वयं कानून नहीं बन सकते। जो लोग, राज्यों के कानूनों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें दण्डित किया जाना चाहिये। इस सदन का प्रत्येक व्यक्ति मेरी इस बात से सहमत होगा कि हमारे समाज में एक वर्ग ऐसा है जो कानून की कमियों से लाभ उठाने में दक्ष हो गया है। एक दूसरा वर्ग है जो संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के उपबन्धों को सुनियोजित तरीके से क्षति पहुंचाता है। इस कानून को उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जिनका एकमात्र प्रयोजन है बनाये गये कानूनों में निहित सरकार के उद्देश्यों को पूरा न होने देना।

यहाँ, मैं अपने देश में हुई वकीलों की असाधारण वृद्धि का उल्लेख करूंगा । उनकी कानूनी दक्षता का प्रयोग संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की निन्दा करने में किया जाता है । वे कानून विशेषज्ञ, जो हमारे देश के न्यायालयों की शोभा बढ़ा रहे हैं, इन वकीलों द्वारा कानूनों की निपुण लेकिन चालाकी भरी व्याख्याओं के प्रभाव में आ जाते हैं । वे कानूनों को इस आधार पर, असंवैधानिक मानकर शून्य तथा अक्रत घोषित कर देते हैं । कानून की प्रशंसनीय लक्ष्य वकीलों की भूल-भुलैया भरी दलीलों में खोकर रह जाता है ।

इसी बात से प्रेरित होकर हमारे महाराष्ट्र के हमारे मुख्य मंत्री को यह घोषित करना पडा कि 'लोकतंत्र न्यायपालिका की तानाशाही है ।' संसद, देश की सर्वोच्च निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था है । सामाजिक प्रगति का युग लाने के घोषित लक्ष्यों के लिए यदि संसद द्वारा कानून बनाये जाये और न्यायालय द्वारा ऐसे कानूनों को संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया जाये तो यह स्वाभाविक है कि नए भारत की नेहरू की कल्पना कभी भी साकार नहीं हो सकती । हमने इस देश की जनता को जो वायदे किए हैं कि हम उनके कल्याण के लिए कार्य करेंगे, वे वायदे इस हालत में हम किस तरह पूरा कर सकते हैं ? ऐसी बात नहीं है कि न्यायालय, केवल लोगों के संवैधानिक अधिकारों के दुर्ग हैं । हम सत्ता का एकीकरण चाहते हैं, उसका विभाजन नहीं । हम चाहते हैं प्रतिबद्ध न्यायाधीश, प्रतिबद्ध न्यायालय, किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रतिबद्ध नहीं अपितु समूचे राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध, जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध, राष्ट्र कल्याण के लिए प्रतिबद्ध । हम इस तरह के न्यायाधीश चाहते हैं । जनता चाहती है कि न्यायाधीश उसके हित में काम करें । इस बात को दिमाग में रखना होगा कि कानून, हमारे समाज के किसी वर्ग के समृद्ध होने का साधन बन जाए जनता का कल्याण करने के एक महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में कानूनों को माना जाना चाहिये । यदि एक राजनीतिज्ञ के रूप में समाज विरोधी अथवा राष्ट्र-विरोधी तत्व देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं तो इस तरह के अपराधी को दण्डित किया जाना चाहिये । इन लोगों को गिरफ्तार करने में कोई गलत बात नहीं है ।

हमारे समाज में ऐसे तत्व है जो इस देश की प्रभुसत्ता को पाकिस्तान अथवा चीन को समर्पित करने में नहीं हिचकिचायेंगे । उन्हें जेल में डालने में कौन सी गलत बात है ? यह दलील दी गई है कि इस देश के साधारण कानून इस उद्देश्य को पूरा करने में पर्याप्त हैं । परन्तु यह आम जानकारी की बात है कि साधारण कानूनों का परिणाम टाल-मटोल तथा भारी खर्च भी होता है । उदाहरणार्थ, एक आदमी को कत्ल कर दिया जाता है । और पहले उस कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है । इस आधार पर अपराधी छूट जाता है । आपको मेरे साथ सहमत होना पड़ेगा कि कानून अपराध को बढ़ावा नहीं दे सकता है । न्याय के संरक्षकों पर अपराध के चश्मेदीद गवाह न होने से प्रभाव पड़ता है । समाज इन अभ्यस्त अपराधियों के लिये खेल का मैदान बन जाता है । चर्चाधीन इस प्रकार के कानून से हमारे देश के पीड़ित लोगों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो जाएगा ।

लोकतंत्र में सदैव विपक्षी दलों के राज्यों या केन्द्र में सत्ता में आने के अवसर रहते है । तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा में विपक्षी दल सत्ता में हैं । जब केन्द्र न केवल विधि और व्यवस्था बनाये रखने के लिये बल्कि शान्तिपूर्ण वातावरण बनाये रखने के लिये एक कानून पारित करता है तो विपक्ष शासित राज्य शायद ऐसे कानूनों को क्रियान्वितन करें ।

देश केन्द्र तथा राज्यों में सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली बने रहने के कारण शिकार नहीं बन सकता है। सम्पूर्ण देश में एक समान विधायी प्रयास होना चाहिए। कानून केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के बीच एक विवाद का मामला नहीं हो सकता है।

यह कानून आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने सम्बन्धी अधिनियम की भाँति नहीं है। सरकार को बन्दी के बन्दीकरण के कारण 5 या 10 दिन के अन्दर बताये जाने चाहिए। बन्दी को अपना मामला न्यायालय में ले जाने का भी मौका दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत बन्दी बनाये जाने पर किसी को भी न्यायालय में जाने से नहीं रोका जा रहा है। उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनेकों रिट याचिकायें हैं। किसी को भी उच्चतम न्यायालय जाने से वहीं रोका गया है।

विपक्ष के सदस्य हमारे संविधान में उल्लिखित व्यक्तियों के मूलभूत अधिकारों के हनन की बात कर रहे हैं। उन लोगों के मूलभूत अधिकार क्या हैं जो नितान्त गरीब हैं। क्या विपक्षी दल निरन्तर दरिद्रता में रहने वाला लोगों के लिए ऐसे मूलभूत अधिकार का तर्क देते हैं? हमारी जनसख्या का 70% गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा है।

सत्तारूढ़ किसी सरकार का पवित्र कर्तव्य जनता-जनार्दन की गरीबी समाप्त करना होना चाहिए। तस्करों, जमाखोरों, मिलावटकर्ताओं, चोर-बाजारियों, कर-अपवंचकों तथा सभी इस प्रकार के अन्य लोगों को जो सरकार के आर्थिक कार्यक्रमों को नष्ट करने में अधिकतम हद तक सहयोग देते हैं, समाप्त करने का सरकार का मौलिक कर्तव्य है। एकमात्र आर्थिक कार्यक्रम ही निराश लोगों का उत्थान कर सकते हैं। कोई भी हो चाहे यह राजनैतिक व्यक्ति हो या समाज विरोधी तत्व हो जिसकी गतिविधियाँ लोगों के कल्याण के लिये ऐसे कार्यक्रमों के शीघ्र कार्यान्वियन में बाधा डालती है, उन्हें अवश्य पकड़ा जाना चाहिए। यहां इस बात का उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि मीसा' के अन्तर्गत उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी जो इस देश से फरार रहे। मेरे माननीय मित्र श्री सुब्रमण्यम फरार थे और बाद में आ गये थे। वे 'मीसा' के चंगुल से बच गये थे। मुझे खुशी है कि इस कानून में फरार व्यक्तियों को भी दंड देने की व्यवस्था है।

यह विधेयक बहुत ही उपयुक्त समय पर लाया गया है। यह लोगों के उत्थान के लिये तैयार की गई आर्थिक योजनाओं के सफल कार्यान्वियन के लिए मूल सिद्धान्त होगा। मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं।

श्री एन. के. शेजवलकर (ग्वालियर) : समापति महोदय' मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ और इस अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाले साँविधिक संकल्प का समर्थन करता हूँ। मैं इस तरह के आरोप तथा प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता जो माननीय संसद सदस्यों को शोभा नहीं देते। मैं इस बात को सोचने और समझने के लिए तैयार हूँ कि वे व्यक्ति जो इस अध्यादेश को लाये हैं, गंभीरतापूर्वक तथा ईमानदारी से उनके समक्ष समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। मैं उस पहलू पर विचार कर सकता हूं। जिन समस्याओं का आज ढोंग रचा जा रहा है वे कहते है कि ये मुद्रास्फिति, सम्पूर्ण देश में विधि और व्यवस्था की स्थिति, साम्प्रदायिक दगे हैं— कोई उस भावना को बढ़ावा दे रहा है- आदि आदि। वाद विवाद के दौरान माननीय सदस्यों ने कहा है कि, उन्होंने संकेत दिया है कि वास्तव में कुछ राजनैतिक दल जिम्मेवार हैं और ऐसी

समस्याओं के मुख्य कारण हैं। इसका अप्रत्यक्ष रूप से यह अर्थ है कि इस अध्यादेश का एकमात्र मतलब ऐसे राजनैतिक दलों के सदस्यों को ठीक करना है। कोफेपोसा तथा अन्य कानून समाज विरोधी तत्वों से निपटने के लिये हैं। उस पहलू पर कोई विशेष बल नहीं दिया गया था। मुझे यह कहना चाहिए कि वह इस अध्यादेश को उद्घोषित करने तथा इस विधेयक को लाने के लिए केवल नारा मात्र था। परन्तु वास्तव में असली इरादा ऐसा मालूम होता है कि मानो विपक्ष के सदस्यों को ठीक करना हो। क्या मैं यह निवेदन कर सकता हूँ कि यह ठीक दृष्टिकोण नहीं है ? निःसन्देह मेरे सहयोगियों में से कुछ पहले ही इस प्रस्ताव का विरोध न कर पाने के लिये भी जिम्मेवार हैं। मुझे मालूम है क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं। मेरे कुछ मित्र कहेंगे जैसाकि पहले कहा जा चुका है कि मध्य प्रदेश में, छोटा मीसा लागू था आपने उस समय क्या किया ?···(व्यवधान) अभी प्रतीक्षा करो। वही प्रश्न तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी भाई देसाई ने मुझ से पूछा था और मैंने उन्हें बताया था कि मैंने ऐसे प्रस्ताव का पूर्ण रूप से विरोध किया था और मैं इसके पक्ष में नहीं था। निवारक नजरबन्दी से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। उसके कारण हैं जो मैं संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं। अन्य मित्र भी थे। जब संसद में यह प्रस्ताव रखा गया था तो इसे दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक के रूप में लाया जा रहा था और मैंने इसका पूरी ताकत से विरोध किया था। इसे प्रवर समिति को भेजने का प्रस्ताव था और समिति ने इसका निर्णय करना था। मैंने कहा था कि मैं मौलिक रूप से इस विधेयक का विरोध करता हूं और मैं सहमत नहीं हुआ। आप इसे किसी भी ढंग से कह सकते हैं जैसा आप कहना चाहते हो— चाहे यह दल के भीतर ही विवाद बना हुआ था या कोई भी बात हो जो आप कहना चाहते हो परन्तु मुझे विश्वास है कि बहुत से कर्तव्य निष्ठ व्यक्ति जिन्होंने मेरा समर्थन किया था और अन्य लोग जिनका मैंने समर्थन किया था इस बात को देखने में सफल हुये थे कि निवारक नजरबन्दी विधेयक नहीं आ सका और उसे रोक दिया गया था।

सब बातों के उपरान्त भी एक अधिनियम है। यह किस प्रकार चलाया जाता है ? उदाहरणार्थ आज इन समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या तंत्र है जिस पर सरकार विश्वास कर रही है ? तंत्र पुलिस ही है क्योंकि केवल पुलिस की जानकारी पर मुझे कल को ऐसा व्यक्ति बना दिया जायेगा कि जो विद्रोही गतिविधियों में शामिल हो अथवा मुझे इस प्रकार का आदमी करार दिया जा सकता है जो असामाजिक गतिविधियों में शामिल हो या वह व्यक्ति जो तस्करी करता हो। आखिरकार वह कौन सा तंत्र है जिसकी सूचना के आधार पर ये नजरबन्दी आदेश पास किये जाने हैं। वह तंत्र केवल पुलिस है। इस तरह से मैं इस समय पुलिस संगठन पर प्रहार नहीं करना चाहता हूँ। परन्तु आखिरकार यह प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव रहा है और न्यायमूर्ति मुल्ला ने दस वर्ष पूर्व जब वे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायधीश थे, यह कहा था कि पुलिस क्या करती है और सारे देश में पुलिस बड़े अपराधों के लिए किस प्रकार जिम्मेवार है ?

श्रीमान्, यह करंट 6 दिसम्बर 1980 का अंक है- इसके अतिरिक्त पृष्ठ पर इस प्रकार कहा गया है :

"एक बार अमरीका में किये गये एक विश्लेषण से यह मालूम हुआ था कि पुलिस जन तथा अपराधों में समान अनुपातों में क्रूरता तथा निर्दयता पाई गई थी। फर्क केवल यह था कि

पुलिस जन ने इसे कानून की ओर से लागू किया और अपराधी इसके विरुद्ध था। कानून देने वाले तथा कानून तोड़ने वाले में इस मानसिक स्थिति को किसने पैदा किया था वह अपराध, पशुता, हिंसा, उद्दण्डता तथा समाज के गिरे हुये बर्रा के लोगों के साथ उनकी निरन्तर संगत थी।

पुलिसजन इतनी आसानी से मार सकता था जितनी आसानी से अपराधी मार सकता था। उसे बिना पश्चाताप, अपराध या घृणा के बिना दूसरों को यातना देने की वही क्षमता प्राप्त है जो आम व्यक्ति को प्रभावित करेगी। उसने अपने शिकारों की कल्पना में रहना शुरू कर दिया।

वह उसी सिक्के का दूसरा पहलू बन गया। यह कटु सत्य था। इस विचार पर सबके विरोध प्रकट करने का कारण यह था कि रक्षक को भक्षक नहीं बनना चाहिए।

यही कारण है जिसकी वजह से हम अन्धा करने की मिसालें, मुदरा बलात्कार कांड, वकीलों पर हमला और क्या कुछ नहीं देखते हैं। प्रतिदिन हम ये बातें सुनते हैं और प्रत्येक व्यक्ति इस तथ्य से अच्छी तरह से अवगत है कि पुलिस के रोजमर्रा के कार्यों पर हर रोज किस तरह से आरोप लगाए जाते हैं, उन्हें कैसे बदल दिया जाता है और उन्हें कैसे बना लिया जाता है। उस बात से हर व्यक्ति अवगत है। जो वकील हैं वे इसे जानते हैं और जो पीड़ित हैं तथा अन्यथा जो भी इससे अवगत है। यह तंत्र है जिसके आधार पर यह निवारक नजरबन्दी कानून क्रियान्वित होने जा रहा है।

श्रीमान् मुझे याद है कि इस सभा का एक सदस्य, भूतपूर्व सदस्य, श्री यू. एम. त्रिवेदी उस नजरबन्दी के आदेश मे नजरबन्द किया गया था। जो पारित किया गया था। यह बहुत पहले हुआ था। उस समय तक कारण बताना आवश्यक समझा गया था। आप कृपया यह सोचिये वे क्या कारण थे जो दिय गये थे। उनमें से एक यह था कि उसने टेलीफोन के खम्भे पर चढ़ने का प्रयास किया था और तारों को काटना चाहता था। यदि आप उसे देखें तो वह अब अपंग है और वह अच्छी तरह से चल भी नहीं सकता है। उसके विरुद्ध यह नजरबन्दी आदेश दिया गया था। एक अन्य घटना थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री साठे ने इस बात को माना है कि 65 वर्षीय एक वृद्ध व्यक्ति जो लकवे से पीड़ित था उसे नजरबन्द किया गया था। इसलिए यह अच्छा है कि उसे बार-बार याद किया जाना चाहिए।

श्री एन. के. शेजवलकर : मैं आपको बता सकता हूं। मैं रिकार्ड की जांच कर सकता हूं।

सभापति महोदय : श्री शेजवलकर आपने आठ मिनट का समय ले लिया है और अब आप समाप्त करिए।

श्री एन. के. शेजवलकर : मैं समाप्त करूंगा। आप रिकार्ड की जाँच कर सकते हैं। पं० दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु 1968 में हुई थी और उसकी नजरबन्दी के आदेश 1975 में जारी किए गए थे। पुलिस की रिपोर्ट इस प्रकार की होती है। इस तरीके से निवारक नजरबंदी के आदेश जारी किए जाते हैं।

इसीलिए, श्रीमान्, "एमनेस्टी इन्टरनेशनल" ने इसका विरोध किया और व्यक्तिगत अधिकारों को न्यायालय में ले जाने का पक्ष लिया और उसकी सुरक्षा को सुरक्षित अवश्य रखा जाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि वे किस कारण इस विधेयक को लाये हैं।

क्या यह ठीक है कि इस अध्यादेश या विधेयक के पारित होने पर उनकी सभी कठिनाइयाँ हल हो जायेंगी ? यह अध्यादेश सितम्बर में जारी किया गया था। उसके बाद तीन महीने अक्तूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर व्यतीत हो गये हैं। क्या इस दौरान मूल्यों में कमी हुई है या वह और बढे हैं ? अभी भी कैदियों को अन्धा बनाया जा रहा है और दंगे हो रहे हैं। क्या इसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है ? अभी केवल तीन ही दिन पहले का यह समाचार है कि कुछ मजदूर संघ कार्यकर्ताओं को निवारक नजरबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत जेल भेज देने की धमकी दी गई है। यदि इसका उद्देश्य ठीक करना ही है तो मुझे खेद है कि मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। यह बात 1979 में स्पष्ट रूप से कही गई थी कि इस अधिनियम को लागू नहीं किया जायेगा। मुझे यह समझ नहीं आता कि इसकी क्या आवश्यकता है। ऐसे कारण भी हो सकते हैं जो वह यहाँ नहीं बताना चाहते। इस प्रकार का अध्यादेश या विधेयक लाने से पूर्व उस पर दो बार सोचना चाहिए था। यह कहने में क्या दिक्कत है कि इस विधेयक का उपयोग विरोधी दल वालों या विरोधी दल के सदस्यों को परेशान करने के लिए नहीं किया जाएगा। उन्होंने विधेयक में ही यह स्पष्ट प्रावधान क्यों नहीं कर दिया कि हम विधेयक का उपयोग किसी भी राजनीतिक संगठन या राजनीतिक दल के विरुद्ध नहीं किया जायेगा ? इस सम्बन्ध में वह विधेयक में ही स्पष्ट प्रावधान क्यों नहीं कर देते ? ऐसे लोग हैं जो यह सोचते हैं कि इस विधेयक की मंशा साफ नहीं है। वह ऐसा सोचते हैं। मेरे विचार से इस प्रकार सोचना गलत नहीं है।

इसीलिए श्रीमान जी, मैं अध्यादेश का भरपूर विरोध करता हूं और अनुरोध करता हूं कि अध्यादेश के निरनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए और इस विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाये।

सभापति महोदय : श्री तिवारी उपस्थित नहीं हैं। श्री जगन्नाथ राव।

श्री जगन्नाथ राव (बह्मपुर) : सभापति महोदय, विपक्ष द्वारा दिये गये भाषणों में मुख्य रूप से यही तर्क दिया गया है कि यह एक असाधारण उपाय है जिसके माध्यम से व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को कम किया जा रहा है और इसका उपयोग राजनीतिक कार्यकर्ताओं तथा राजनीतिक दलों के विरुद्ध किया जायेगा।

श्रीमान जी, इसमें संदेह नहीं कि यह एक असाधारण उपाय है। परन्तु जब परिस्थिति असाधारण हो तो उसके लिए उपाय भी असाधारण ही करना पड़ता है। अतः यह विधेयक ऐसे लोगों पर लागू होगा जो भारत की रक्षा या सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध अवश्य ही अपराध करेंगे या आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई आदि के मार्ग में बाधा डालेंगे। इसका उपयोग नियम का पालन करने वाले लोगों के विरुद्ध कभी नहीं किया जायेगा। इसका उपयोग गल्ती करने वाले ऐसे लोगों के विरुद्ध किया जायेगा जो शरारत और तोड़ फोड़ वाली गतिविधियां चलायेंगे तथा जिनके कारण देश के रक्षा प्रयत्नों और उसकी सुरक्षा को खतरा होगा। मुझे यह समझ नहीं आता कि इसके बारे में किसी को क्यों आपत्ति हो सकती है। कानून का सम्मान करने वाले नागरिकों या राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ इसके अन्तर्गत कार्यवाही

नहीं की जाएगी। अतः इस दृष्टि से तो दल में से किसी को यह चिंता नहीं होनी चाहिए कि यह विधेयक जब पारित कर दिया जायेगा तो इसका उपयोग उनके खिलाफ किया जायेगा। श्रीमान् जी, वह आपातकालीन समय की घटनाओं को याद करते हुए यही कहते रहे हैं कि 'आँसुका के अन्तर्गत अनेक इस प्रकार की घटनायें हुई थीं। परन्तु वह इस बात को भूल जाते हैं कि आज किसी प्रकार आपात की स्थिति नहीं है और न ही मौलिक अधिकारों को शुप्रतिल करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा कोई आदेश ही जारी किया गया है। अब किसी भी नजरबन्द को जो अपनी नजरबन्दी को गलत महसूस करे न्यायालय में बड़ी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने की स्वतंत्रता है और विधेयक में इसके अलावा भी अन्य परित्राणों की व्यवस्था है।

श्री वाजपेयी ने हाल ही में कहा था कि दंड प्रक्रिया संहिता अध्यादेश जारी कर देने के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक की क्या आवश्यकता रह जाती है ? उन्हें सम्भवतः यह मालूम नहीं हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 22 सितम्बर, 1980 को जारी किया गया था जबकि दण्ड प्रक्रिया सहिता अध्यादेश उसके अगले दिन जारी किया गया था। दूसरे, दण्ड प्रक्रिया संहिता अध्यादेश केवल उन मामलों और कार्यवाहियों पर लागू होगा जो आपत्तिजनक गतिविधियों में लगे व्यक्तियों और आदतन अपराधियों आदि के खिलाफ दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 108, 109 और 110 के अन्तर्गत दर्ज की जायें। उन्हें अपने अच्छे आचरण के लिए एक प्रतिपूर्ति के साथ या के बिना जमानती बॉड भरना पड़ेगा। उस विधेयक के पारित हो जाने पर भी इस प्रकार की स्थिति से नहीं निपटा जा सकता जिसकी कल्पना इस विचाराधीन विधेयक में की गई है। अतः इस उपाय को करने की आवश्यकता है। यह केवल एक पूरक उपाय है और इसके द्वारा किसी वर्तमान कानून को निरस्त नहीं किया जा रहा है और न ही इसे स्थायी रूप से बनाया जा रहा है।

कुछ सदस्यों द्वारा यह आपत्ति भी की गई है कि कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह उपाय एक अस्थाई उपाय है परन्तु मेरे माननीय मित्रों को यह पता होना चाहिए कि ऐसा किसी भी अधिनियम में नहीं कहा जाता। यह तो केवल उन विशिष्ट परिस्थितियों पर निर्भर करता है जिनके अन्तर्गत उस विशिष्ट उपाय को लागू किया जाता है।

श्री वाजपेयी द्वारा उठाई गई दूसरी आपत्ति यह है कि चूंकि संविधान का 44वां संशोधन अभी तक प्रवृत्त नहीं किया गया है इसलिए इस विधेयक का वह प्रावधान भी वैध नहीं है जिसके ऐसे व्यक्ति का जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के योग्य हों, सलाहकार बोर्ड में नियुक्त करने की व्यवस्था है। इस सन्दर्भ में मैं माननीय मित्र का ध्यान अनुच्छेद 2 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या ऐसे व्यक्तियों का उल्लेख है जो न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश की नियुक्ति के योग्य हैं। यह अनुच्छेद 22 का मूल भाषा है। अतः इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि 44वाँ संशोधन लागू हो गया है या नहीं। इसमें कोई अनियमितता नहीं है कि जो लोग न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता प्राप्त किये हों, वह सलाहकार बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं।

दूसरे उन्होंने यह कहा है कि सलाहकार बोर्ड में बहुमत का निर्णय ही मान्य होगा। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय में भी ऐसा ही होता है। जहाँ तीन सदस्यों के बैंच की नियुक्ति की जाती है। वहां भी बहुमत का निर्णय ही मान्य होता है। यह तो लोकतान्त्रिक सिद्धांत है

और यह सलाहकार बोर्ड पर भी लागू होगा। श्री रवीन्द्र वर्मा ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए वर्तमान कानून ही प्रर्याप्त है। वर्तमान कानूनों को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इस उपाय के अन्तर्गत अविलम्ब कार्यवाही करने की स्थिति की कल्पना की गई है और यदि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही नहीं की जाती जो कि अपराध करने जा रहा है, तो फिर अपराध को होने से रोक पाना सम्भव नहीं होता। श्रीमान जी, यदि हम इस बात की प्रतीक्षा करें कि पहले शरारत पूरी हो जाए, फिर अदालत में उसके खिलाफ कार्यवाही की जाये, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि अपराध तो पहले ही हो गया होगा। अतः इस उपाय को लाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा।

निवारक नजरबंदी सम्बन्धी कानून तो 1950 से हमारी संविधि-संग्रह में चला आ रहा है। जब जनता पार्टी सत्ता में थी तो उस पार्टी की सरकार ने इसके बारे में क्या कहा था? प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने कहा था कि निवारक नजरबंदी अनिवार्य तो है परन्तु वह 'आँसुका' के रूप में नहीं। सम्भवतः उनका सकेत धारा 16क की ओर था जिसमें कहा गया है कि नजरबंदी के कारण नजरबंद को नहीं बताये जाने चाहिये। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक प्रस्तुत करते समय चौधरी चरणसिंह ने भी कहा था कि नजरबंदी का अधिकार सरकार के पास होना ही चाहिए। श्री एच. एस. पटेल जो कि गृह मंत्री थे, उन्होने भी इसका समर्थन किया था। यदि प्रत्येक व्यक्ति कानून के अनुसार चलने लगे तो भविष्य में इस कानून की आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी। परन्तु जब तक वर्तमान स्थिति चल रही है, तब तक इस प्रकार के उपाय को करना अनिवार्य हो जाता है। हम किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहते। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि वह कानून का सम्मान करे तथा अनुशासन में रहे जिससे कि देश प्रगति कर सके। यह कानून हमारी विधान-सभाओं के प्रत्येक सदस्य पर लागू होगा और किसी को भी कानून से ऊपर नहीं माना जा सकता। यदि मैं कोई अपराध करता हूं तो मुझे कानून के अन्तर्गत सजा मिलेगी। यह कानून हम सब पर समान रूप से लागू होता है चाहे हम शासक दल के हों या विरोधी दल में। हमें अनुशासन में रहना चाहिये। यदि अव्यवस्था फैलती है तो हमारा राष्ट्र जीवित नहीं रह सकता। हमें अपनी अपेक्षा अपने राष्ट्र के हित के बारे में अधिक सोचना चाहिये। वे यदि देश के लोग अव्यवस्था उत्पन्न करने लगे तो भला राष्ट्र कैसे जीवित रह सकता है? एक समय ऐसा था कि आज जो सदस्य विरोधी पक्ष में बैठें हैं, उनमें से कुछ सरकार में थे। उन्होंने 1971 में 'आँसुका' का समर्थन किया था। उन्होंने 1975 में किये गये संशोधन का भी समर्थन किया था। परन्तु अब वह विरोधी पक्ष में हैं। मैं सदन को केवल यह स्मरण कराना चाहता हूं कि उनमें से कुछ अब विरोधी पक्ष में हैं। परन्तु अब चूंकि वह विरोधी पक्ष में हैं, इसलिए वह यह समझते हैं कि विरोध करना ही उनका काम है। मैं केवल यही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक दल के व्यक्ति को इस उपाय के बारे में किसी प्रकार की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। श्री सोमनाथ चटर्जी पर 'आंसुका' का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी यह भली-भांति जानते हैं कि इस कानून का उल्लंघन किस प्रकार से किया जाता है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : सरकारी कर्मचारियों, मजदूर संघों तथा कामगारों के अनेक आंदोलनों को दबाया गया है···

श्री जगन्नाथ राव : यह कानून किसी भी प्रकार से शांतिपूर्ण आंदोलनों के खिलाफ नहीं है, इस अधिनियम का उपयोग केवल अशांती उत्पन्न होने पर ही किया जायेगा। तमिलनाडु महाराष्ट्र, पंजाब आदि में ही रहे किसान आंदोलन को ही देखिये। यह जंगल की आग की तरह फैल रहा है। वह रेलवे लाईनों को क्षति पहुँचा रहे हैं। वाहनों आदि को आग लगा रहे हैं क्या यह भी कोई तरीका है। यदि प्रदर्शन शांतीपूर्ण हो, तो उसकी अनुमति दी जा सकती है।

मैं इस कानून का समर्थन करता हूं और सांविधिक संकल्प का विरोध करता हूँ।

श्री आर. एन. राकेश (चैल) : सभापति महोदय, सदन में माननीय गृह मंत्री श्री जैल सिंह जी ने जेलों को भरने का जो विधेयक प्रस्तुत किया है, संज्ञा के अनुसार ही विधेक प्रस्तुत करने के लिये उन्हें बधाई है।

इस विधेयक के तेहत कहा गया है कि यह उनके खिलाफ लागू होगा जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है—ऐसे लोंगों में विदेशी घुसपैठिये भी हो सकते हैं और देश के लोग भी हो सकते हैं। जहाँ तक विदेशी ताकतों का सवाल है—इलाहाबाद, मुरादाबाद, अलीगढ़, गोदरा, कानपुर की हाल की हिंसक घटनाओं के प्रति प्रधान मंत्री जी ने दर्जनों बयान दिये हैं। लेकिन उनका हर बयान एक-दूसरे से इतना बेमेल है कि वे खुद ही नहीं बता सकतीं हैं कि उनका कौन-सा बयान सही है। ऐसी हालत में विदेशी घुसपैठियों का सवाल बेबुनियाद। अब जहां तक उन देशी ताकतों का सवाल है, जिनसे देश की सुरक्षा के लिये खतरा है—इस सम्बन्ध में देश की मौजूद परिस्थितियों पर विचार करना पड़ेगा।

इस हकूमत के दौर में बाँदा, मिलाई, उन्नाव, सीतापुर, डबवाली—ऐसे स्थान हैं जहाँ सैंकड़ों हरिजन-आदिवासी महिलाओं के साथ पुलिस और पी. ए. सी. ने सामुहिक बलात्कार किया है। सचमुच हरिजन-आदिवासियों की लुटती आबरू मुल्क के लिये घातक है, लेकिन अपराधी तो सरकार की ही पुलिस और पी. ए. सी. है। क्या सरकार इस एन. एस. ओ. का प्रयोग अपनी पुलिस और पी. ए. सी. के खिलाफ करेगी ? अर्थात् नहीं, बल्कि उनके खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय उनको नौकरियों में इजाफा देती है।

हाल की इलाहाबाद की घटना में पी. ए. सी. और पुलिस ने 6 नवयुवकों को उनके घर से पकड़ कर चौराहों पर गोलियों से उड़ा कर हत्या कर दी। 1290 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 924 लोगों के घर लूटे गये तथा 70 लाख रुपये का नकद व सामान लूटा गया तथा हाल की मुरादाबाद की घटना के सम्बन्ध में भी अभी तक जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 1979 अबोध बच्चे, स्त्रियाँ और बूड़े एवं जवान मुसलमानों को पुलिस और पी. ए. सी. ने मौत के घाट उतार दिया है। 42 मजिस्दों की पवित्रता को नष्ट किया गया। ढाई करोड़ रुपये की नकद और सम्पत्ति को लूटा गया। 1400 लोगों को प्राण घातक चोटें पहुंचाई गई, 2500 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सबमें मुल्जिम आपकी पी. ए. सी. और पुलिस के लोग थे—क्या इस कानून का प्रयोग उनके खिलाफ होगा ?

देश में 38 करोड़ लोग गरीबी की सीमा के नीचे हैं। उनमें ऐसे भी लोग हैं जो मुश्किल से तीन माह मजदूरी पाते हैं और साल के बाकी 9 महीने साँप, छछून्दर, चूहा, बिल्ली, गीदड़, गिलहरी और घास-पात खाकर अपने को जिन्दा रखते हैं। 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में

एक दिन का काम भी नहीं है। क्या इस कानून का प्रयोग उनकी भलाई के लिये होगा ? य ऐसा होगा, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1971 में भी प्रधान मंत्री जी ने गरीबी मिटाने व

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।

नारा दिया था, लोगों को विश्वास दिलाने के लिये राजे-महाराजाओं के प्रीवी-पर्स को खत्म कः दिया था, लेकिन परिणाम क्या निकला, गरीबी मिटने के बजाय गरीब मिटने लगा और आज जब कि उत्तर प्रदेश में राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह, मध्य प्रदेश में राजा अर्जुन सिंह, हिमाचल में राजा रामलाल, गुजरात में राजा सोलंकी को मुख्य मंत्री बना दिया, चारों तरफ राजे-महाराजे मुख्य मंत्री बन गए तो गरीबों के प्रति यह हमदर्दी कैसे ?

हाल ही में हजारों बे-रोजगारों को बोट क्लब पर रोजी-रोटी की माँग करने पर सरकार ने अपनी पुलिस से भयकर लाठी चार्ज कराया। इससे जाहिर है कि एन. एस. ओ. का इस्तेमाल किस के खिलाफ होगा ? प्रधान मंत्री जी ने अपने निवास स्थान पर अन्धों पर भयंकर लाठी चार्ज कराया और बिहार की सरकार ने कैदियों को अन्धा कर दिया—तो क्या सरकार एन. एस. ओ. का इस्तेमाल अपने ही खिलाफ करेगी ?

गत 21 अगस्त को इलाहाबाद की हिंसक घटनाओं के दौरान मुसलमानों को अपनी गोलियों का निशाना बनाते समय पुलिस-पी. ए. सी. ने ऐलान किया था कि उन्हें मुसलमानों की 60 प्रतिशत संख्या घटानी है। मुरादाबाद में मुसलमानों की संख्या दुगनी हो गई की बात कह कर प्रधान मंत्री ने इलाहाबाद के पुलिस-पी. ए. सी. के ऐलान की ताइद कर दी है जिससे समूचे देश का अल्प संख्यक आतंकित हो गया है—तो क्या इस एन. एस. ओ. का प्रयोग सरकार अपने खिलाफ करेगी ?

मुझे आपत्ति इस बात की है कि यह अध्यादेश संविधान के मूलभूत अनुच्छेदों का बलात्कार करता है। इस अध्यादेश में गिरफ्तार अभियुक्त को सुनवाई के लिये तीन मौके दिये गये हैं—जिला में पुलिस एडवाइजरी बोर्ड, प्रांतीय सरकारें और केन्द्रीय सरकार। ये सबके सब एक्जीक्यूटिव्ज हैं। इसके माने हैं कि संविधान की धाराओं के प्रति इस सरकार की आस्था नहीं है। आई. पी. सी. में इसका विश्वास नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्टस, हाई कोर्टस, और सुप्रीम कोर्टस के जजों में इस सरकार का विश्वास नहीं है—काश, इस सरकार की नीयत साफ होती और अदालत में सामना करने की सरकार में हिम्मत होती। नादिरशाह, चंगेज खाँ, तैमूर लंग और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो और घाना के राष्ट्रपति डा. एन्क्रूमा भी अपने कारनामों के लिए वैसी ही वकालत करते थे जैसे इस कानून के लिए मौजूदा सरकार कर रही है।

सच तो यह है कि सरकार इस विधेयक का सहारा लेकर किसानों की मांग करने वाले किसान नेताओं, छात्रों की माँग करने वाले छात्र नेताओं, रोजी रोटी की माँग करने वाले बेरोजगार नेताओं, मजदूर नेताओं, हरिजन, आदिवासियों, कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ने वाले लोगों, देश के बुद्धजीवी, पत्रकार, वकील, भले ही सरकारी पक्ष में हों पर जो सरकार और पार्टी के मन का काम नहीं करेंगे, उन्हें तथा विरोधी दलों के लोगों को जेलों में भर कर इस देश से लोकतंत्र को समाप्त करके राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार कायम करने की साजिश की जा रही है। इस विधेयक को प्रस्तुत करते हुए माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि

इस एन. एस. ओ. के द्वारा हरिजनों, आदिवासियों की सुरक्षा की जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में बड़े-बड़े भगवान हुए हैं लेकिन कोटि-कोटि दलितों के भगवान, उनका उद्धार करने वाले मात्र बाबा साहेब डा. अम्बेडकर ही हुये हैं, उनके साहित्य पर आपने प्रतिबन्ध लगा दिया, डा. अम्बेडकर के लिटरेचर पर आपने प्रतिबन्ध लगा दिया और उनके भाषणों और किताबों पर आपने प्रतिबन्ध लगा दिया और आज अछूत डा. अम्बेडकर के हाथों का बना हुआ संविधान जो देश में था। उसको लागू है को भी बदल कर आप ब्राह्मणवादी संविधान लादना चाहते हैं और कहते हैं कि हम अछूतों की भलाई कर रहे हैं। अछूत द्वारा बनाये हुये संविधान को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते और इस पर भी आप कहते हैं कि इसमें अछूतों की भलाई होगी। जो भी हो यदि कोई प्रधान मंत्री से राष्ट्रपति बन जाये, तो उसमें कोई सुरखाव के पर नहीं लग जाते, उसके पैरों में घुंघरू नहीं बंध जाते। यह याद रखना चाहिये कि आजीवन राष्ट्रपति बनने वाले डा. सुकर्णो और डा. एन्क्रूमा कहाँ चले गये ? बीसवी सदी में भी ताज धारण करने वाले ईरान के शाह पर जन भावना के खिलाफ जाने पर क्या बीती ? पड़ौसी देश-पाकिस्तान, बंगला देश और बर्मा में राष्ट्रपति शासन है और वहाँ सेना और पुलिस के बल पर हुकूमत चल रही है पर उन देशों की अर्थ-व्यवस्था पहले से भी ज्यादा बिगड़ गई है। लोग कहते हैं "नाच न जाने अंगन टेढ़ा", वह इस सरकार की दलील में देश की जनता ने आपको लोकतंत्र चलाने के लिए बहुमत दिया है। उस लोकतंत्र को चला पाने में केवल आप फेल हुए हैं लेकिन अपोजीशन पार्टीज के लोग देश की जनता लोकतंत्र को चलाने में फेल नहीं हुई है। आप अगर लोकतंत्र को भंग करके इस देश पर नया कानून लादना चाहते हैं, तानाशाही लादना चाहते हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप जनता के विश्वास के साथ विश्वास-घात कर रहे हैं। आप लोकसभा को भंग कीजिए और चुनाव के मैदान में उतरिये, तो आपको अपनी हैसियत मालूम हो जाएगी कि दूध में कितना पानी है ? अन्यथा मैं चाहता हूँ कि गृह मंत्री जी अभी भी समय है, आप इस एन. एस. ओ. को वापस लीजिए नहीं तो इस विधेयक की संज्ञा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की बजाय 'कुर्सी सुरक्षा अधिनियम' दिया जाए। क्योंकि इमरजेंसी ने संजय की पैदायश की थी और एन. एस. ओ. राजीव गाँधी की पैदायश के लिए है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का भरपूर विरोध करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि शासक दल के सभी सदस्य पाँच मिनट लें, तो मैं उन सभी को समय दे सकता हूँ। इस बारे में न तो मैं कुछ कर सकता और न ही आप। इसका निर्णय सभा ही ले सकती है। मैं इसे सभा के निर्णय के लिये छोड़ता हूं।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन में नेशनल रेक्यूरिटी बिल जो पेश हुआ है, यह बहुत ही सामायिक है और लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप है।··· (व्यवधान)··· इस के लिए मैं अपने माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं जो वे यह बिल लाए।

अभी उधर से माननीय राकेश जी बोल रहे थे और वाकई में उन्होंने उन परिस्थितियों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया जो परिस्थितियाँ आज विद्यमान हैं और उनके लिए ही इस बिल की जरूरत है। अगर आप हरिजनों का उद्धार चाहते हैं, अगर आप पिछड़े लोगों का विकास चाहते हैं, अगर आप असमाजिक तत्वों से समाज को बचाना चाहते हैं, तो यह आवश्यक

है कि इस तरह का बिल आए और मैं तो यह कहूंगा कि माननीय होम मिनिस्टर ने जो ऐसा विधेयक पेश किया है, तो उस में उन्होंने कुछ नरमी ही दिखाई है। यह बिल तो कांस्टीट्यूशन का हिस्सा होना चाहिए था। इस बिल में हमारे होम मिनिस्टर साहब ने नर्मी से काम लिया है, कोर्टस वगैरहा में जाने की सुविधाएं दे दी हैं।

जब माननीय अटल जी बोल रहे थे उस समय भी मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश में जब आपके घटक की सरकार थी और सकलेचा मुख्य मन्त्री थे तो वे इस प्रकार के इलाज के नाम से एक मिनि मीसा लाये थे जिसकी कि उस समय बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। लेकिन वे इसी लिए उसे ले कर आये थे जिससे कि हम कांग्रेस के (लोग जो आपके गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे उनकी आवाज को बन्द कर दिया जाए। मैं माननीय अटल जी से कहना चाहता हूं—

बुरा जो खोजन मैं चला बुरा न मिला कोय
जो दिल खोजा आपना मुझ से बुरा न कोय ॥

श्रीमन् अपने शासन काल में इन्होंने बीस महीने तक मीसा को लागू रखा। ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी संशोधन करना चाहते थे और इसलिए चाहते थे कि लोगों के जो गलत काम थे और जिनको कि ये रोक नहीं पा रहे थे क्योंकि इनकी पार्टी में विभिन्न सिद्धांतों के लोग थे और उनकी वजह से इनकी सरकार में एकता नहीं थी। उस कमी से बचने के लिए इस तरह का कानून लाना चाहते थे। हमारे लोक दल के लोग यहाँ नहीं हैं। मैं उन्हें भी बताना चाहता हूं कि वे भी इस में संशोधन लाना चाहते थे ताकि समाज में स्थिति सुधार सकें।

श्रीमन, आज परिस्थितियाँ क्या हैं? आप देखिये, जब से यह नेशनल सिक्योरिटी आर्डिनेंस लाया गया है तब से विरोधी दलों के विचार अखबारों में देखे जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की हड़तालें और आन्दोलन देश में देखे जा रहे हैं। इस सदन में भी विरोधी दल के लोगों ने जो विचार रखे उन्हें भी हम सभी ने सुना। वे विचार क्या हैं? क्या आप समझते हैं कि आपको 1974 में गुजरात जैसा आन्दोलन चलाने की इजाजत दे दी जाए जिसकी कि परिणति बाद में बिहार में हुई? क्या आपको स्वतंत्रता के नाम पर विधायकों से जबर्दस्ती इस्तीफा दिलाने की इजाजत दे दी जाए? क्या आपको स्वतंत्रता के नाम पर कोर्टों का बहिष्कार करने, मिलीट्री और पुलिस को भड़काने और किसानों को भड़का कर "उनसे आन्दोलन करवाने की छूट दे दी जाए? मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके शासक काल में किसानों का गन्ना क्या भाव बिका था? वह 6 रुपये क्विंटल बिका था और बहुत से किसानों को तो अपना गन्ना खेतों में जलाना पड़ा था। आज गन्ना 20 रुपये क्विन्टल बिक रहा है। फिर भी उन्हें आप लोग आन्दोलन करने के लिए भड़का रहे हैं।

इसीलिए हम इस बिल को पास करना चाहते हैं जिससे कि इस प्रकार की अराजकतावादी बातें देश में न हों। आप आप जानते हैं जब से नेशनल सिक्योरिटी आर्डिनेंस आया उसके बाद से हमारे तीन मुख्य मंत्रियों के खिलाफ जो आपके केन्डीडेट खड़े हुये थे उनकी जमानतें जप्त हुई। क्या इस से जनता की भावना का पता नहीं लगता है कि वह क्या चाहती है? जनता इस बात को चाहती है और यह भी चाहती है कि इसको और भी सख्त होना चाहिए।

आज इन्दिरा जी के नेतृत्व में काँग्रेस सत्ता में आयी है वह इसलिए आयी है कि जनता पार्टी के समय में जो ढिलाई बर्ती गयी थी वह अब नहीं बरती जाए और असामाजिक तत्वों के साथ कड़ाई की जाए। यह ताकत श्रीमती इन्दिरा गाँधी में है, उनकी नीतियों में, उनके कार्यक्रमों में और उनकी पार्टी में है।

मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि विरोधी दलों में या किसी और दल में कोई पृथक्तावाद को फैलाता है तो क्या आप उसको पोलिटिकल आदमी कहेंगे ? उसको पोलिटिकल आदमी नहीं माना जाना चाहिए। जो जनता को भड़कावे, छात्रों को स्कूल और कालेज जाने से रोके, मंहगाई बढ़ाने का काम करे उत्पादन को ठप्प करने का काम करे, क्या वह पोलिटिकल आदमी है या अराजकतावादी आदमी है ? यह मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर निश्चित तौर पर कोई पोलिटिकल आदमी या कार्यकर्ता हो तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसे पौलिटिकल कार्यकर्ता को जो पृथकतावादी तत्वों के साथ है और अशान्ति और अमन चैन के विरुद्ध है उसको छोड़ा भी नहीं जाना चाहिए। क्या वे राजनीतिक कार्यकर्ता हैं या वह राजनीतिक पार्टी है ? सदन मैं समझता हूं मुझसे सहमत होगा कि बिल्कुल नहीं है। निश्चित रूप से इस में प्रावधान होना चाहिये कि पोलिटिकल कार्यकर्ता बन्द न हों। लेकिन जब वे असामाजिक कार्यों में लग जाएं, देश में, पृथकतावादी शक्तियों को बढ़ावा दें, देश की अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की कोशिश करें, देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा करें तो फिर मैं उस पर गम्भीरता से विचार करना होगा।

जनता ने हमें भारी समर्थन किया है। हमने जनता के साथ जो वादे किए हैं उनको हमें पूरा करना है। हमें देश में अमन चैन स्थापित करना है, 25 प्वाइन्ट आर्थिक प्रोग्राम को लागू करना है। कुछ लोग हैं जो आन्दोलनों का रास्ता अपनाना चाहते हैं। वे समझते हैं कि 1975 में जो कुछ उन्होंने किया उसको दोहरा कर वे सत्ता में आ जाएंगे ऐसा सोचना उनकी भूल है। इनको मौका मिला था ढाई साल का। लेकिन वे बिखर गए, टूट गए। फिर ये इस तरह का सपना देख रहे हैं और समझते हैं कि इस तरह का कानून आएगा तो फिर इनको वापिस सत्ता में आने का मौका मिलेगा। लेकिन उनका यह सपना पूरा होने वाला नहीं। जनता का हमारी पार्टी में, हमारे नेताओं में, हम में और सबसे बढ़ कर श्रीमती इन्दिरा गाँधी में अटूट विश्वास है। हम को अवश्य ही इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे ताकि जो वादे हम ने किए हैं वे पूरे हो सकें।

हमारे सी. पी. आई. और सी. पी. एम. के भाई किस मुंह से लोकतंत्र की बात करते हैं यह हमारी समझ में नहीं आया है। क्यों ये आन्दोलन करते हैं यह मेरी समझ में नहीं आया है ये तो व्यक्तिगत स्वन्त्रता में विश्वास ही नहीं करते हैं। व्यक्तिगत स्वतन्त्र नाम की कोई चीज रूस या चीन में देखने को नहीं मिलती है। बगाल तक में देखने को नहीं मिलती है। यहां भागलपुर की जेलों में जिन 31 लोगों को ब्लाइन्ड किया गया है उसकी बहुत चर्चा हुई है। सबने उस पर दुख प्रकट किया हैं। राष्ट्र के सभी नेताओं ने किया है। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दुख प्रगट किया है। लेकिन बगाल में जो आप जन अदालतें बनवा रहे हैं और चार चार आदमियों की आँखें फोड़ दी गई है, क्या कानून ऐसा करने की आपको इजाजत देता था। आपके— मुख्य मंत्री ने एक ब्यान में इस बात को स्वीकार किया है। निश्चित रूप से हमारे होम मिनिस्टर साहब को इस तरह की चीजों की इजाजत नहीं देनी चाहिये। किसी को इजाजत नहीं देनी

चाहिये कि वे जनता अदालतें बना सकें और संविधान के विरुद्ध आ कर लोगों की आँखें फोड़ने जैसे काण्ड कर सकें।

यह जो कानून आया है इसका उद्देश्य यह है कि देश की तरक्की हो, देश आगे बढ़े। औद्योगिक उत्पादन को हमें बढ़ावा देना चाहिये। जनता राज के समय औद्योगिक उत्पादन बहुत ज्यादा गिर गया था, दो तीन परसेंट ही रह गया था। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा है कि देश का उत्पादन चाहे वह कृषि का हो, औद्योगिक हो, बिजली का हो, कोयले का हो, हम को बढ़ाना है। छठी योजना में हमने काफी बढ़ा चढ़ा कर और देश की जरूरतो को देखते हुए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। इनको हम को प्राप्त करना है। जो लोग यह चाहते हैं कि देश में अराजकता फैले, आन्दोलनों का जिन्होने सिलसिला शुरू किया है, वे नहीं चाहते हैं कि हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। यदि हम चाहते हैं कि लक्ष्य पूरे हों तो निश्चित रूप से मेरी यह माँग है कि यह चीज नव शैड्यूल्ड का अंग बने हमारे मिनिस्टर साहब का दिल बड़ा नर्म है। वह ढिलाई दिखाते हैं। होम मिनिस्टर को कड़ाई बरतनी चाहिये। सदन और देश की जनता इसको पसन्द करेगी। आज समाज में जो अराजकतावादी तत्व हैं, जो जातीय विवाद छेड़ते हैं, साम्प्रदायिक दंगे जगह जगह करवाते हैं और इस तरह के तत्व को फिर उठा रहे हैं उनको सख्ती से दबाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिये, उनसे सख्ती से निपटा जाना चाहिये। ऐसा करने के लिए सरकार के हाथों में आवश्यक ताकत देना आवश्यक है।

आपने जो मुझे अपने विचार प्रगट करने का मौका दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आपका आभारी हूं।

श्री त्रिदिव चौधरी (बरहामपुर) उपाध्यक्ष महोदय, आज पूरा दिन तथा एक दिन पहले भी हम राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश एवं उसका स्थान लेने वाले विधेयक की प्रशंसा सुनते आ रहे हैं। इस विधेयक के बहुत से पहलुओं पर विचार हुआ है। मैं अध्यादेश एवं विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान शासक दल जोकि $2\frac{1}{2}$-3 वर्षों को छोड़ कर तीन दशकों तक देश पर सत्तारूढ़ रहा है।' इस प्रकार के निवारक निरोधक कानूनों के बिना प्रशासन का भार वहन करने में सक्षम है। परन्तु मैं समझता हूँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं नागरिक लोकतन्त्र का प्रत्येक समर्थक इस विधेयक का सैद्धान्तिक विरोध करेगा। श्रीमान, यह विधेयक अथवा इस प्रकार का कानून विद्यमान रहा है, हमने यह नहीं देखा कि सरकार ने किसी भी बड़ी समस्या को हल किया हो, चाहे वह गरीबी की, बेरोजगारी की अथवा कानून और व्यवस्था के विफल होने की हो। जब सरकार की नितियों के विरुद्ध राजनीतिक आन्दोलन किये जाते हैं तभी इस प्रकार के कानून लाये जाते हैं। हमने देखा कि 1978 से लेकर इस अध्यादेश के आने तक ऐसा कोई कानून नहीं था, परन्तु कुछ भी अनर्थ नहीं हुआ तथा प्रशासन सही रूप से चलता रहा अब मैं देखता हूं कि यह कितनी विचित्र बात है कि जो लोग जनता शासन की हर रोज निन्दा करते नहीं थकते थे, वह भी इस प्रकार के निवारक निरोध कानून को अपनाना चाहते हैं। इस प्रकार जनता पार्टी शासन इस अंश में उन्हें स्वीकार्य है। हमने न केवल आपत्त-स्थिति में अपितु उससे पूर्व भी देखा कि जब कभी भी ये मामले उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में ले जाये गये तब न्यायाधीशों ने यही पाया कि इन कानूनों का दुरुपयोग किया गया है और यदि कार्यकारिणी को लोगों के जीवन और स्वतत्रता बिना कानून की प्रक्रिया अपनाये पर निरंकुश

अधिकार दिया जाता है तो भविष्य में भी उस शक्ति के दुरुपयोग किये जाने की संभावना है। इसीलिए मैं इस विधेयक का मूलरूप में विरोध करता हूं। ऐसे विधेयक को कानूनी रूप नहीं दिया जाना चाहिए। चोर-बाजारी तथा तस्करी रोकने के लिए ऐसा ही कानून पहले से विद्यमान है तथा पूछा जा सकता है कि चोर.बाजारी तस्करी करने वाले कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा क्या इससे चोर-बाजारी तस्करी रुक सकी? बेशक हमें आश्वासन दिया गया है कि इन शक्तियों का उपयोग विपक्ष के विरूद्ध नहीं किया जायेगा परन्तु सरकार समझती है कि स्थिति बिगड़ रही है तथा वे समझते हैं कि लोग उनके विरुद्ध विद्रोह कर उठेंगे इसलिए वे पहले से ही वे शक्तियाँ अर्जित कर रहे हैं। तो भी जब ऐसा जन-आन्दोलन शुरू होता है तब ऐसे उपाए सरकार की रक्षा नहीं कर पायेंगे, जैसे कि आपात-काल के दौरान विपक्ष को दबाने के उपाय किये गये और लाखों लोगों को निवारक निरोध कानून के अन्तर्गत जेलों में डाला गया, तब भी सत्तारूढ़ दल की रक्षा न हो सकी। 1977 में चुनाव हुआ जिसका परिणाम आपके सामने है। इसलिये जन-आन्दोलन का पूर्वानुमान करते हुए इस प्रकार के कठोर कानून न बनाये जायें। इससे यह स्पष्ट है कि सरकार को इस बात की आशंका है। इसका उपयोग साम्प्रदायिक हिंसा को भड़काने वालों के विरुद्ध नहीं होगा जैसे कि श्री बसन्त साठे सिद्ध करने की चेष्टा कर रहे हैं। यह स्पष्ट है कि सरकार का उद्देश्य राजनीतिक है। गृहमंत्री जो भी आश्वासन दें, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इसका उपयोग विपक्ष को दबाने के लिये किया जायेगा। इसीलिए मैं इस विधेयक का पूरी शक्ति से विरोध करता हूँ।

आधे घण्टे की चर्चा

कोटा परमाणु विद्युत केन्द्र के बन्द किये जाने के बारे में

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आधे घण्टे की चर्चा लेंगे। उसके बाद इस विधेयक पर पुनः चर्चा होगी।

प्रो मधुदण्डवते (राजापुर) : मैंने संसदीय कार्य मंत्री से कहा कि कल मध्यान्ह अवकाश को समाप्त कर दिया जाये। यदि हम इसे आज जारी करना चाहें तो मैं समझता हूं कि गृह मंत्री का तथा श्री अटल बिहारी वाजपेई का तथा अन्य कार्यवाही संशोधन इत्यादि 11-12 बजे तक भी समाप्त नहीं हो पायेंगे। अच्छा होगा कि कल मध्याहन अवकाश रद्द कर दिया जाये। कल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं है। अतएव प्रश्न काल के बाद हम इस पर चर्चा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : वह उपस्थित नहीं हैं, उन्हें आने दीजिए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह आध घण्टे की चर्चा 26 नवम्बर, 1980 के अपने स्टार्ड क्वेस्चन के सम्बन्ध में उठा रहा हूँ।

राजस्थान अणु बिजली घर, कोटा की जो स्थिति है, उसके कारण राजस्थान की विद्युत आपूर्ति पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। कोटा का अणु बिजली घर 16 दिसम्बर, 1973 को कामर्शल आपरेशन में आया था। उसके बाद 1974 में 103 डेज का शट-डाउन हुआ और 1975 में 158 डेज का शट-डाउन हुआ। 1976 के फिगर्ज अभी मुझे प्राप्त नहीं हुये हैं। 1977 में 227 डेज और 1978 में 301 डेज के लिए यह बिजली घर बन्द रहा। 1977-78 में स्ट्राइक भी इक

इसका एक कारण था। 1979 में 64 डेज के लिए शट-डाउन हुआ और जनवरी से नवम्बर, 1980 तक 89 डेज के लिए शट-डाउन हुआ।

जहाँ तक प्रतिष्ठापित क्षमता का सम्बन्ध है, इस बिजली घर ने 1973-74 में 24 प्रतिशत, 1974-75 में 38 प्रतिशत, 1976-77 में 54 प्रतिशत, 1977-78 में 9 प्रतिशत और 1978-79 में 23 प्रतिशत कार्य किया। 1979-80 के फिगर्ज मुझे प्राप्त नहीं हुये हैं, लेकिन इस अवधि में उसका कार्य 23 प्रतिशत से कम था।

अगर यह यूनिट अच्छी तरह से कार्य करें, तो वह 40 लाख यूनिट प्रति-दिन देता है। परन्तु तीन महीने में कोई न कोई ऐसा अवसर आ जाता है, जबकि यह यूनिट पन्द्रह बीस दिन खराब रहता है, जिसके कारण वहाँ एक अनिश्चित स्थिति बनी हुई है। मैंने हिसाब लगाया है कि अगर यह बिजली घर 40 लाख यूनिट प्रति-दिन का जनीरेशन करता रहे, तो वह 12,000 मिलियन किलोवाट पर आवर की शक्ति दे सकता है। परन्तु उसने केवल 3,000 मिलियन किलो वाट पर आवर की शक्ति दी है।

इसका मतलब है कि एक चौथाई यानी 25 प्रतिशत शक्ति इसने हमें प्रदान की। अब इसके बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त हुई, मैंने इसके लिए प्रश्न पूछा, 9 जुलाई को भी मैंने अनस्टर्ड प्रश्न पूछा था और अभी जो क्वेश्चन उठाया है उसमें भी मैंने पूछा था. जिसके उत्तर में इसके जो फाल्ट्स बताए हैं वह इस प्रकार हैं :

(1) माडरेट हीट एक्सचेंजों में कुछ ट्यूबों में 'माइक्रो लीकेज', (2) 'टर्बाइन ब्लेडों' की विफलता के कारण वार्षिक रख-रखाव हेतु कार्य रोका जाना, (3) संवेदनशील संरक्षण प्रणाली, (4) वल्वों में माइक्रो लीकेज, (5) राजस्थान ग्रिड व्यवस्था में उतार-चढ़ाव।

इन पांच मुख्य कारणों से इसके अन्दर टेक्निकल डिफेक्ट्स पैदा होते रहते हैं, यांत्रिक त्रुटियाँ होती रहती हैं और इसके कारण एक अनिश्चितता रहती है, अक्सर यह बन्द होता रहता है। राजस्थान के अन्दर इन फर्स्ट ऐटामिक पावर प्लांट पर हम विशेष रूप से निर्भर हैं, सेकेंड अभी आपरेशन में नहीं आया है। हमें यह विश्वास दिलाया गया है कि इसी माह यानी दिसम्बर में वह आपरेशन में आ जाएगा और कामर्शियल आपरेशन में मार्च में आ जायेगा। हमारा यह कहना है कि हम इस पर डिपेंड करते हैं और दूसरे जो हमारे एलेक्ट्रिसिटी के सोर्सेज हैं उसमें हम जल-विद्युत पर निर्भर करते हैं। जल-विद्युत् की स्थिति हमारी बहुत ही सोचनीय है। अभी चम्बल पर गाँधी सागर, राणा प्रताप सागर से हमें 25 लाख यूनिट प्रति दिन बिजली प्राप्त होती है जो कि 60 लाख यूनिट मिलनी चाहिए। अभी पानी का भराव कम होता जा रहा है जिससे आगे चल कर यह और भी कम हो जायेगी। हमें यह सूचना मिली है, हमारे राजस्थान के इंजीनियरों ने बताया है कि इसी महीने के बाद में हमारी स्थिति यह हो जायेगी कि 6 लाख यूनिट प्रति दिन बिजली प्राप्त हो सकेगी। सतपुड़ा से, जो मध्य प्रदेश में है, जो बिजली मिलती है उसमें से मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हमारा शेयर बिलकुल कुछ भी नहीं दे रही है। हमको 16 लाख यूनिट प्रति दिन उससे मिलना चाहिये। उसकी जगह एक भी यूनिट नहीं मिल रही है। भाखरा से 37 लाख यूनिट प्रति दिन बिजली मिल रही है। जब कि हमारी रिक्वायरमेंट 160 लाख यूनिट पर डे की है, अभी उसमें केवल 102 लाख यूनिट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है और यह प्लांट जब बन्द हो जाता है तो हमारी स्थिति यह हो जाती है कि हम 62 लाख यूनिट

पर आ जाते हैं। पिछले साल भी यह स्थिति पैदा हुई और उससे पहले के साल में भी यह स्थिति पैदा हुई। हमारे ऐग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर इसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। करोड़ों रुपये हमारे ऐग्रीकल्चरिस्ट्स के बरबाद हो गये। उनकी फसल बरबाद हो गई। उद्योग-धन्धे समाप्त हो गए और उसके कारण करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। इस साल की यह स्थिति कंट्रोल नहीं की गई और ऐटामिक प्लांट नहीं चलाया गया तो वही हालत होगी क्योंकि जितना विद्युत् हमें चाहिये उसका दो तिहाई विद्युत् हम इस प्लांट से लेते हैं और मुख्य रूप से इस पर निर्भर करते हैं। हम चाहते हैं कि अगर आज कृषि उत्पादन की स्थिति को सुधारना है, उद्योग के उत्पादन को इम्प्रूव करना है तो बिजली की सप्लाई ठीक प्रकार से होनी चाहिये। इस समय राज्य की स्थिति भी बड़ी भयंकर है। भयकर सूखे की स्थिति चल रही है। दो साल से भयंकर सूखा हमारे यहाँ है और हमारे जैसे क्षेत्र में तो चार साल से भयंकर अकाल है। हमारा जो क्षेत्र है बाड़मेर का, वह तो सब से आखिर में आता है, बिजली की हालत खराब होती है तो हमें तो पीने को पानी भी नहीं मिलता। न शहरों में पीने का पानी मिलता है न ग्रामीण क्षेत्रों में मिलता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि मिनिस्टर साहब स्वयं आन दि स्पाट चल कर देखें और जो भी साइंटिस्ट्स काम कर रहे हैं या जो एक्सपर्टस काम कर रहे हैं उनके जरिये जो डिफेक्ट्स है उनको खुद विशेष दिलचस्पी लेकर ठीक करायें।

हमारे क्षेत्र की जो स्थिति खराब हो रही है उससे हमको बचायें और इसके बारे में स्थायी समाधान कोई न कोई किसी तरह का निकालें। हमें सेटिस्फाई करें, आश्वासन दें कि अब यह प्लांट अच्छी तरह से चलता रहेगा। अभी आज यह अच्छा चल रहा है। 40 लाख यूनिट प्रति दिन दे रहा है। मैंने स्थिति की पूरी जानकारी की है। बराबर एक महीने से यह ठीक चल रहा है। यह एक अच्छी बात भी मैं कह रहा हूं क्यों कि अगर सही स्थिति को आपके सामने न रखूं तो वह भी ठीक नहीं है। 11 अक्तूबर को यह खराब हुआ था और 15 दिन लगे थे उसको ठीक करने में। मैं यह चाहूंगा कि यह अनिश्चितता की जो स्थिति है यह आगे न रहे क्योंकि इसके कारण हमारे राजस्थान के अन्दर कृषि और हमारे पीने के पानी जैसी चीजों पर इसका बड़ा भारी असर पड़ता है। और फिर बाद में जब बिजली नहीं मिलती है तो किसानों के लिये डीजल की व्यवस्था करनी पड़ती है। डीजल भी बहुत महंगा है तथा आसानी से मिलता भी नहीं है। इसलिए यह समस्या बड़ी भयंकर बन जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें जो जानकारी मिली है, जैसी कि इण्डियन एक्सप्रेस में न्यूज छपी है कि एटामिक एनर्जी प्लांट में काम करने वाले जो इन्जीनियर्स हैं वे इस्तीफा देकर विदेशों को जा रहे हैं क्योंकि यहाँ उनकी आर्थिक उपलब्धि कम है। इस प्रकार हमारे जो एक्सपर्टस वहाँ पर हैं वे अगर वहां से चले गये तो भी उसका बुरा असर पड़ेगा। वहाँ पर कनाडा से टेक्निकल नाहाऊ मिलता था, अगर कनाडा से सहयोग नहीं मिलता है तो दूसरे देशों के वैज्ञानिकों की सहायता लेकर इस प्लांट को ठीक करने की कोशिश की जानी चाहिए क्योंकि राजस्थान की वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति, राजस्थान के उद्योग और कृषि—सभी कुछ इसके ऊपर निर्भर है।

अतः मैं माननीय मंत्री जी से आश्वासन चाहता हूँ और यह डिमाण्ड करता हूं कि एक्सपार्टस की एक हाई पावर कमेटी बनाई जाये जिसमें एमपीज की भी रखा जाए जोकि वहां

पर जाकर देखे कि उसमें क्या-क्या खामियाँ हैं । वहाँ पर लेवर अनरेस्ट हो या जो भी स्थिति हो उसमें सुधार लाकर राजस्थान की बिजली की व्यवस्था को ठीक किया जाए । आप कहेंगे कि राजस्थान ग्रिड ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम राजस्थान गवर्नमेंट पर भी दबाव डालेंगे । लेकिन इसमें केवल यही एक कारण नहीं है, इसमें दूसरे कारण भी हैं, उन सारे कारणों और आब्सटैकल्स को आप दूर करने की कोशिश करें और हमारी इस समस्या को हल करने का प्रयास करें ।

विज्ञान तथा प्रोद्यौगिकी और इलैक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : माननीय सदस्य इस प्रश्न को एक लम्बे समय से उठाते चले आ रहे हैं और जहां तक राजस्थान में बिजली उत्पादन का सम्बन्ध है हम उनकी समस्या को भली-भाँति समझते हैं । परन्तु महोदय आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि शुरू से ही जबसे यह परमाणु ऊर्जा संयन्त्र चालू हुआ था इसकी कुछ मूलभूत कठिनाइयां थीं । हुआ यह कि निर्माण की अवस्था में हमने केनाडा से सहयोग और सहायता ली थी । उस अवस्था में, आजके परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की तुलना में, केनाडा ने भी पर्याप्त प्रगति नहीं की थी । जब इस इकाई को चालू किया गया था तो ट्रबाइन ब्लैडस में खराबियां थीं । शुरू में ही 1973, 1974 और 1975 में ट्रबाइन ब्लैडस कुछ समस्यायें पैदा कर रही थीं, परन्तु अब मैं सभा को और माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि उन ब्लैडों को पूर्णतया बदलकर उनके स्थान पर रोटार ब्लैडे लगा दी गई हैं । उसके बाद अन्य समस्या यह आई और वह थी मोडरेटर हीट एक्चेन्जरस की । अब देखिए कि संयत्र का यह एक भाग है जहाँ पर कुछ पाइपों द्वारा तरल पदार्थ सप्लाई किया जाता है । हमारा विचार था कि उन विशेष ट्यूबों का जीवन 8 से 9 वर्ष से भी अधिक का होगा, परन्तु 7 वर्ष के भीतर-भीतर ही उनमें खराबी पैदा हो गई, उनमें रिसाव शुरू हो गया । इसको भी ठीक कर दिया गया है । आर. ए. पी. पी.-II में, जो कि इस परमाणु संयंत्र का द्वितीय एकक है, हम यह ध्यान रखे हुए हैं कि ऐसी समस्यायें उसमें न खड़ी हों । आर. ए. पी. पी.-II नाम के इस विशेष संयंत्र की जांच परीक्षा की गई और यह बिल्कुल ठीक काम कर रहा था । इसे बन्द कर दिया गया था, परन्तु 19 दिसम्बर को यह अपना कार्य फिर से शुरू कर देगा । मुझे आशा है कि माननीय सदस्यों के लिए कोटा आर. ए. पी. पी.-I और II का उस समय तक परमाणु-ऊर्जा उत्पादन कष्टप्रद और क्लांतिकर नहीं होगा ।

उन्होंने राजस्थान के कृषकों और उद्योगों में रत लोगों की विभिन्न समस्याओं के बारे में बात की । दुर्भाग्य से यह सारे भारतवर्ष की समस्या है । माननीय सदस्य को भी उत्तरों का पता है और वे उन्हें पढ़ चुके हैं ।

ग्रिड की समस्या भी एक मुख्य अड़चन रही है । शुरू में जब इस संयंत्र को चालू किया गया था तो इसकी बिजली चम्बल प्रणाली तक ही सीमित रही । बाद में ग्रिड में बिजली के बहाव में उतार-चढ़ाव के कारण इसे उत्तरी ग्रिड में भाखड़ा विद्युत प्रणाली के समानान्तर बना दिया गया । उसके बाद इसकी स्थिति में सुधार अवश्य हुआ, परन्तु जैसाकि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है हमारी कुछ तकनीकी समस्यायें थीं और बाद में श्रमिक असन्तोष फैल गया जो अप्रत्यक्ष रूप से एक वर्ष से भी अधिक समय तक चला ।

जहाँ तक इस संयंत्र द्वारा भविष्य में बिजली उत्पादन के बारे में उनकी शंकाओं की

बात है मुझे उन्हें यह सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आर.ए.पी.पी.-II की प्रायोगिक अवस्था की उपलब्धि इसकी क्षमता के 75 प्रतिशत से ऊपर रही है। इसके ग्रिड में सम्मिलित कर लेने के बाद इसकी समरूपता के कारण इस इकाई की बिजली सप्लाई राजस्थान के लिए सस्ती पड़ेगी, जब तक कि इस इकाई को वाणिज्यिक घोषित नहीं कर दिया जाता है।

राजस्थान में पन-बिजली उत्पादन संतोषजनक नहीं रहा है और जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है ऐसा कम वर्षा के कारण हुआ है। ये पन-बिजली घर विशेष उतना उत्पादन नहीं कर सके हैं जितना कि उन्हें करना चाहिये था परन्तु यहां मैं सभा को सूचित कर देना चाहता हूँ कि कोटा का परमाणु बिजली घर उतनी मात्रा में बिजली उत्पादन कर रहा है जितनी यह कर सकता है। पन-बिजलीघरों में पानी की सीमित सप्लाई होने के कारण, हमने यह देखा है कि पानी की कम से कम आवश्यकता का उपयोग किया जाए और संयंत्र अधिकाधिक क्षमता तक काम करें।

माननीय सदस्य ने संयंत्र के बार-बार खराब हो जाने की बात कही है, परन्तु उन्होंने संयंत्र विशेष के कार्य-दिवसों की संख्या पर विचार नहीं किया है। 1977 में कुल 183 दिन ही उत्पादन हुआ था और ग्रिड समस्या के कारण, उपस्कर के खराब हो जाने के कारण, और मानवीय गलतियों के कारण 45 दिन का समय अर्थात् 25 प्रतिशत समय बर्बाद हो गया। 1978 में कुल 102 दिन उत्पादन हुआ और 38 दिन का समय बर्बाद हुआ अर्थात् 37 प्रतिशत समय नष्ट हुआ। 1979 में 365 दिन उत्पादन हुआ और 64 दिन का समय नष्ट हुआ। 1980 में माननीय सदस्य ने इस ओर इंगित किया है कि 89 दिन का समय नष्ट हुआ है, परन्तु इस वर्ष नवम्बर तक संयंत्र 328 दिन चालू रहा।

मैं यह नहीं कहता कि संयंत्र उतनी अच्छी तरह से काम कर रहा है जितना कि उसे करना चाहिए, परन्तु हम हर सम्भव कदम उठा रहे हैं।

मैं माननीय सदस्य का आभारी हूँ कि उन्होंने निरन्तर इस विषय को उठाया। इस संयंत्र की कुछ भी कैसी समस्यायें क्यों न रही हों, मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूँ कि उनका अन्दाजा लगा लिया गया है, परन्तु राजस्थान ग्रिड प्रणाली में सुधार लाकर उसे आधुनिक रूप देना होगा क्योंकि अधिकतम उपभोग के समय ही उसकी सप्लाई में उतार चढ़ाव होता रहता है। यह इस परमाणु संयंत्र के नियन्त्रण से बाहर की बात है।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसको मैंने बड़े गौर से सुना है। मेरी अपनी जानकारी है कि ये पूंजीवादी देश आजाद मुल्कों को जो मशीनरी देते हैं या टेक्नीकल-नो-हाऊ देते हैं—वह तभी देते हैं जब वह उनके यहाँ आउट-डेटेड हो जाती है। यह मशीन आपने कैनाडा से ली हैं—इसलिए मैं जानना चाहता हूं—

(क) क्या समाजवादी मुल्कों के साथ इस मामले में सहयोग करके देश में आणविक बिजली पैदा करने के सम्बन्ध में आपने कोई विचार किया है या नहीं ?

(ख) क्या सरकार ने कोई आणविक बिजली संबंधी राष्ट्रीय नीति तय की है या नहीं ?

(ग) यदि कोई नीति तय की है तो उसके सम्बन्ध में कौनसी कार्यवाही हो रही है ?

(घ) क्या सरकार आणविक बिजली घरों के कार्यों और उनकी प्रणालियों की समय-समय पर कोई समीक्षा करती है या नहीं ? भविष्य में भी ऐसी समीक्षा करने का विचार है या नहीं ?

(ङ) देश के तमाम बिजली उत्पादनों में आणविक बिजली उत्पादन का क्या हिस्सा होगा—क्या इस संबंध में आपने कोई योजना बनाई है ?

(च) अन्तिम प्रश्न—क्या सरकार ने आणविक बिजली-घरों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता की दृष्टि से कोई नीति तय की है या नहीं ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, राजस्थान के परमाणु बिजली घर, कोटा, में 1974 से गड़बड़ चल रही है। यह मैं माननीय सदस्य श्री जैन साहब के अनुसार कह रहा हूं। आपने भी चार सालों के जो आँकड़े दिये हैं। 1977 से 1980 नवम्बर तक, उनके अनुसार 681 दिनों का नुकसान हुआ है। यह बिजली घर में गड़बड़ी की वजह से हुआ है—पर आपने अपने मूल जवाब में उससे इन्कार किया है। इसका मतलब है कि कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं थी, कोई मैकेनिकल गड़बड़ी नहीं थी, तब फिर यह नुकसान कैसे हुआ, आपका बिजली घर 681 दिन कैसे बन्द रहा ? अगर इसके पहले के आँकड़ों को भी जोड़ लिया जाय तो हो सकता है कि एक हजार से ज्यादा दिनों तक बन्द रहा हो। आखिर, इसका कोई न कोई कारण तो होगा ही ? 1974 से लेकर अब तक उन कारणों को दूर क्यों नहीं किया गया, आपके सामने क्या कठिनाई थी कि उनको दूर नहीं कर पा रहे हैं ?

दूसरा प्रश्न—इतने दिनों तक जो इस कारखाने की ऐसी स्थिति रही, इसमें आर्थिक क्षति कितनी उठानी पड़ी—यह तो देश को मालूम होना ही चाहिए, क्योंकि करोड़ों रुपया लगाकर कारखाने को लगाते हैं और आपकी नीतियों और गलतियों की वजह से नुकसान होता है और जनता इनके नुकसानों को बरदाश्त करती है ?

तीसरा प्रश्न—जितने दिन कारखाना बन्द रहा—उन दिनों मजदूरों तथा कर्मचारियों की क्या स्थिति रही ? उनको मिलने वाली सुविधायें तथा तनख्वाह वगैरह आप उनको देते रहे या बकाया है ? यदि बकाया है तो उसको आप कब तक देंगे, यदि बकाया नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : क्यों बकाया है ?

श्री रामावतार शास्त्री : नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि मजदूरों की स्थिति क्या है ? बहुत जगहों पर पूंजीपति लोग ले-आफ कर देते हैं, आपने क्या किया ? ले-आफ किया या बैठा कर तनख्वाह देते रहे ? यदि बकाया है तो कितनी राशि बकाया है और उसका कब तक भुगतान कर देने का विचार रखते हैं ?

श्रीकृष्ण चन्द्र हाल्दार (दुर्गापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री जैन ने राजस्थान की भयानक विद्युत समस्या का और विशेषकर कोटा परमाणु विद्युतघर, इकाई I का उल्लेख विस्तार से किया है। मन्त्री महोदय ने अपने मूल उत्तर में यह कहा है कि 1979 में तकनीकी समस्यायों, उपस्कर की खराबी, मानवीय गलतियों आदि के कारण एकक 64 दिन बन्द रहा। इसी प्रकार 1980 में जनवरी और नवम्बर के बीच यह 89 दिन तक बन्द रहा। मन्त्री महोदय ने अपने मूल

उत्तर में बताया है "स्टेशन की इकाई I आजकल सन्तोषजनक ढंग से काम कर रही है और इसकी कार्य निष्पादकता आदि में आगे और सुधार करने के प्रयास निरन्तर जारी है।" अपने मूल प्रश्न में श्री जैन ने पूछा था कि क्या यान्त्रिक तथा अन्य खराबियाँ पूर्णतया दूर कर दी गई है या नहीं, परन्तु उन्होंने इसका ठीक से उत्तर नहीं दिया हैं निःसन्देह श्री जैन ने विभिन्न वर्षों में निर्धारित उत्पादन का उल्लेख किया था। जहां तक मैंने सुना है 1979 में इसने अपनी स्थापित क्षमता का 23% उत्पादन ही किया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि वर्ष 1980 में, जनवरी से नवम्बर तक, स्थापित क्षमता के कितने प्रतिशत तक उत्पादन हुआ।

मेरे मित्र श्री रामावतार शास्त्री ने पूछा था—और मैं भी पूछना चाहता हूँ—इसके बन्द रहने की अवधि में संयन्त्र को कितनी हानि हुई। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 1979 और 1980 में इसके बन्द रहने की अवधि में औद्योगिक और कृषि उत्पादन में कितनी हानि हुई।

अन्त में, मैं एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। क्या यह देखने के लिए वे उचित कदम उठायेंगे कि वैज्ञानिकों और अभियन्ताओं के साथ उचित व्यवहार किया जाए जिससे वे संयन्त्र को छोड़कर अन्य देशों में न चले जायें।

मैं ये ही मुद्दे उठाना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय तीनों का उत्तर दगे।

श्री सी. पी. एन. सिंह : महोदय, (क) से (छ) आदि आदि तक अनेक प्रश्न पूछे गये थे। मैं अपना उत्तर सम्पूर्ण और विस्तृत बनाने का प्रयास करूंगा और जो कुछ मुझसे छूट जाए यदि माननीय सदस्य वह और कुछ पूछना चाहें तो मैं चाहता हूं कि मुझे याद दिलाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : उत्तर इतना विस्तृत नहीं होना चाहिये जितना कि प्रश्न।

श्री सी. पी. एन. सिंह : नहीं महोदय, मुझे आशा है कि सदस्य इससे संतुष्ट होंगे।

मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि इस संयन्त्र-विशेष को जिन समस्यायों का अनुभव हुआ वे दो प्रकार की रही हैं। माननीय सदस्य का कहना था कि उन्हें बेकार हुआ उपस्कर दिया गया परन्तु इस बात पर मेरा मतभेद है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ इसका ज्ञान हमें कनाडा की एक कम्पनी से मिला और कनाडा की सहायता भी उस अवस्था में मिली थी जब कि वे भी विद्युतोत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा की ओर अग्रसर हो रहे थे।

माननीय सदस्यों ने यह भी पूछा है कि क्या हमने अनेक बैठकें की हैं या तकनीकी ज्ञान आदि आदि के लिये समाजवादी देशों से सम्पर्क स्थापित किया है।

यहां मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि जब 1977 में कनाडा ने इस संयन्त्र को भारी जल देने से मना कर दिया था तो हमने इसे रूस से प्राप्त किया था। समय-समय पर हम प्रयत्न करते हैं और किसी भी ऐसे देश के पास जाते रहते हैं जो इस क्षेत्र में हमारा सहायक और सहयोगी हो सके, जो कि देश की कृषिजन्य और उद्योगीकरण की आवश्यकताओं के लिये बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है।

एक और सदस्य ने स्पष्टतया यह पूछा कि नवम्बर 1980 तक कितनी बिजली का उत्पादन हुआ। उत्पादन 55 प्रतिशत तक रहा। जैसा कि मैंने बताया ऐसा लगता है कि संयन्त्र

काफी बन्द रहा है परन्तु हमें अन्य पहलूओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, यथा उस वर्ष में उस सयन्त्र-विशेष के कार्य दिवसों की संख्या, और यदि यह मान लिया जाये कि वर्ष में संयन्त्र ने दस दिन काम किया और पांच दिन बन्द रहा, जबकि एक वर्ष तक लगातार काम करने पर संयंत्र 20 दिन बन्द रहा और स्वाभाविक रूप से पिछली स्थिति बेहतर है। परन्तु दुर्भाग्य से पहले प्रश्न का उत्तर काम की अवधि को घटा कर दिया गया था और दूसरे प्रश्न में हमने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है जो कि माननीय सदस्य श्री जैन ने पूछा था।

एक और बहुत ही संगत मुद्दा हमारे सामने, श्री रामावतार शास्त्री ने, जो कि श्रमिकों के बड़े चैम्पियन हैं, रखा था। मैं माननीय सदस्य को यह बता देना चाहता हूं कि जैसा कि वे भलिभांति जानते हैं, मजदूरों ने कभी भी अपनी हड़ताल खत्म न की होती, वे लौट कर कभी भी काम पर वापिस नहीं आते, यदि उनकी बात पर ठीक से ध्यान न दिया गया होता। उन पर ध्यान दिया गया और तभी हड़ताल वापिस ली गई थी। और यह हमारे शासन काल में नहीं हुआ था। जब से हम सत्ता में आए हैं मजदूरों में किसी भी प्रकार का असन्तोष नहीं फैला है।

जहां तक उठाई गई हानि का सम्बन्ध है, मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हुँ कि मार्च, 1980 तक व्यवसायिक बिजली उत्पादन करके जो बिजली बेची गई उसकी कीमत लगभग 68 करोड़ रुपए थी, ब्याज और मूल्यह्रास को मिला कर कुल खर्चा 39 करोड़ रुपए था, मूल्यह्रास और ब्याज 39 करोड़ रुपए था।

मैंने शुरू में ही माननीय सदस्य को यह आश्वासन दिया है कि राजस्थान की आवश्यकता इस संयंत्र-विशेष से पूरी की जा रही हैं और जब आर. ए. पी. II भी ग्रिड में चला जायेगा तो हमें पूरा विश्वास है कि राजस्थान की आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी। उसके पश्चात केवल एक ही समस्या का सामना करना पड़ेगा जो कि मेरे विचार से ग्रिड की समस्या है और जब तक उतार-चढ़ावों का समाधान नहीं किया जाता, जैसाकि महाराष्ट्र में होता है तब तक हमें कटौतियां करनी पड़ेंगी और इसी कारणवश परमाणु संयंत्र में बिजली उत्पादन बन्द हो गया, ऐसी बात नहीं है कि संयंत्र ने ठीक ढग से काम करना बन्द कर दिया हो।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : जब संयंत्र बन्द रहा उस अवधि में औद्योगिक और कृषि उत्पादन में कुल कितनी हानि हुई ?

श्री सी. पी. एन. सिंह : उसके लिये मुझे सूचना देनी होगी क्योंकि यह गणना करना बहुत ही कठिन काम है कि कृषि के क्षेत्र में कितनी हानि हुई और औद्योगिक क्षेत्र में कितनी हानि हुई। मैं प्रयास करूंगा।

राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक-जारी

विचार किये जाने के लिये प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम सांविधिक संकल्प तथा विधेयक पर चर्चा शुरू करते हैं। अब एक प्रस्ताव है। मैंने संसदीय कार्य विभाग के राज्य मंत्री के साथ विचार किया था

मैंने उन्हें बताया कि बोलने के लिए विपक्ष के केवल चार सदस्य हैं और उन्होंने कहा कि मैं उन सबको अवसर दे सकता हूँ। वे बड़े उदार है। और वे सत्तारूढ दल के सभी सदस्यों के नाम, जो लगभग 15 हैं, वापस लेने को तैयार हैं। उसके पश्चात् मंत्री महोदय उत्तर देंगे और फिर प्रस्ताव कर्त्ता उत्तर देंगे। तब हम देखेंगे कि हम किस हद तक पहुँचेगे और जब हम उस स्थिति तक पहुच जाते हैं तो हम निर्णय करेंगे (व्यवधान)

श्री बनातवाला।

विपक्ष वाले चाहते थे कि प्रत्येक को अवसर मिलना चाहिए तथा यह स्वीकार कर लिया गया है। मैं आपको अवसर दे रहा हूँ।

प्रो. मधु दण्डवते (राजापुर) : यह प्रस्ताव नहीं था। मैं स्वय संसदीय कार्य मंत्री महोदय के पास गया था और सुझाव दिया था कि यदि सत्तारूढ दल से कोई भी नहीं बोलता है तो भी क्योंकि संशोधन की सख्या अत्याधिक है और फिर गृह-मंत्री महोदय को बोलना है और श्री वाजपेयी को उत्तर देना है, सम्पूर्ण वाद-विवाद 10 या 11 बजे तक चलेगा। इसलिये हमारा प्रस्ताव है, समय निर्धारित कीजिये। उसके बाद गृहमंत्री उत्तर दे सकते हैं और श्री वाजपेयी बेहतर है जवाब कल दें तथा वे मध्याह्न भोजन को छोड़ने के लिये तैयार हैं और कल को कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं होगा।

गृह मन्त्रालय तथा ससदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी. वेंकट सुब्बैय्या) : मेरे भाषण में माननीय सदस्य ने बाधा डाली। सुबह ही मैंने उपाध्यक्ष महोदय को यह स्पष्ट करदिया कि हम सामान्य चर्चा के लिये समय बढ़ाने को तैयार हैं बशर्ते कि विपक्ष विधेयक सम्बन्धी कार्यवाही पूरी कराने में सहयोग दें...(व्यवधान) कार्य मंत्रणा समिति ने तीनों चरणों के लिये 7 घण्टे का समय आबंटित किया था परन्तु अब सामान्य चर्चा में ही हमने $7\frac{1}{2}$ घण्टे का समय लगा लिया है। इसलिये मैं विपक्ष के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे इस विधेयक को पास करने में सरकार का सहयोग दें।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमने समय निर्धारित नहीं किया है। ये चारों माननीय सदस्य बोलेंगे। माननीय मंत्री उत्तर देंगे और श्री वाजपेयी उत्तर देंगे। हम देखेगे कि हम कहाँ तक पहुंचते हैं।

श्री बनातवाला...(व्यवधान)

अब आपको अधिक समय मिल रहा है। श्री बनातवाला। वे भी विपक्ष के सदस्य हैं और जब विपक्ष का सदस्य बोल रहा है तो आप कृपया बैठ जाईये।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : श्रीमान् मैं राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक का विरोध करता हूँ...

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना समय लेंगे ?

श्री जी. एम. बनातवाला : हम समय आने पर देखेंगे। श्रीमान, मैं राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक का विरोध करता हूं। मैं ऐसा किसी विरोध की भावना से नहीं करता हूँ बल्कि सरकार को यह महसूस कराने के लिये राजी कराने के उद्देश्य से करता हूं कि उसकी धारणा गलत है कि निवारक नजरबन्दी हमारे सारे रोगों के लिये राम बाण है। यह धारणा सच्चाई से बहुत परे है।

हमें अपने प्रति सत्यनिष्ठ होना चाहिए और हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक लोकतंत्र के महत्व में कमी करने से कम नहीं है। यह स्वतंत्रता के विरुद्ध अपराध है। मुझे यह करने की आज्ञा दी जाए कि राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक का अभिप्राय भारत की सादी जनता को कार्य पालिका की मन मानियों और उसके रहम और करम पर छोड़ने से अधिक कुछ नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यह राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक न्यायिक प्रक्रिया का उल्लंघन करने के लिये आड़ है। यदि दलील यह है कि न्यायिक प्रक्रिया ऐसी है कि समान विरोधी तत्वों से निपटना मुश्किल हैं तो मेरा इस सभा तथा सरकार से विनम्र निवेदन है कि यह दलील व्यवस्था को सुधारने के लिए है न कि व्यवस्था को समाप्त करने के लिए।

इसलिए श्रीमान, जैसाकि मैंने कहा, कि मेरी कोई भावना विरोध करने की नहीं है। मैं तो इस भ्रम को महसूस करने के लिये सरकार को राजी करने और यह महसूस कराने के लिये खड़ा हुआ हूँ कि यदि सरकार यह समझती है कि, जैसा कि मैंने कहा, निवारक नजरबन्दी सब रोगों के लिये राम बाण है तो यह धारणा गलत है। यदि आन्तरिक गड़बड़ या बाहरी आक्रमण की परिस्थितियाँ रही होती तो हम इस बात को समझ सकते थे : परन्तु ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में भी ऐसी कोई दलील नहीं दी गई है। श्रीमान, सरकार कहती है कि वह दृढ़ता और पक्के इरादे के साथ विधि और व्यवस्था की स्थिति से निपटना चाहती है। मैं अपनी ओर से इस विशेष उद्देश्य में सरकार के साथ हूँ। मुझे यह बात भी अवश्य माननी चाहिए कि कोई ठीक समझने वाला व्यक्ति इस बात से इन्कार नहीं कर सकता है कि देश की वर्तमान स्थिति बहुत चिन्ताजनक है यह बात हम सबको स्वीकार करनी चाहिए कि आज हिंसा का वातावरण बना हुआ है। आवश्यकता इस बात की है कि न्यायोचित ढंग से काम किया जाय और इससे निपटने के लिये हमारा इरादा पक्का है।

परन्तु श्रीमान हमें सारी स्थिति पर भी ध्यान देना होगा। हिंसा वातावरण में है और विधि और व्यवस्था की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। मैं इस अवस्था में इसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूँ। जैसाकि मैंने कहा हमें सम्पूर्ण स्थिति को ध्यान में रखना होगा। हमें कार्यकारी तंत्र, प्रशासनिक तंत्र की किस्म तथा स्वरूप को देखना होगा जिसे हम निवारक नजरबन्दी की बेलगाम शक्ति दे रहे हैं।

श्रीमान, आज यह अकाट्य सत्य है कि प्रशासन राजनैतिक हस्ताक्षेप की कड़ी पकड़ में है। राजनैतिक हस्ताक्षेप है और उससे इंकार नहीं किया जा सकता है। यदि यह स्थिति है तो इस प्रशासन और कार्यपालक को बेलगाम शक्ति या अधिकार नहीं दिया जा सकता है। पुलिस आयोग ने एक प्रश्नावली जारी की जिसके 724 उत्तर प्राप्त हुये थे और वे अधिकांश पुलिस अधिकारियों, प्रशासकों तथा न्यायिक अधिकारियों से आये थे।

श्रीमान, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पुलिस अधिकारियों के उत्तर में भी यह स्वीकार किया गया कि साम्प्रदायिक दंगों पर पुलिस प्रभावी ढंग से निर्पेक्षण नहीं कर सकी और इसका मुख्य कारण राजनैतिक हस्तक्षेप बताया गया था। मैं सभा तथा सरकार का ध्यान उस बात की ओर आकर्षित करना चाहूँगा जो हम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर की पुस्तक 'ट्रीटाईज आन क्रिमिनालाजी, लो एण्ड सोशल चेज' देखते है। मैं उद्धृत करता हूं।

'वास्तव में आपत्तिजनक निवारक नजरबन्दी की असीम शक्ति रिश्वत समेत अनेक बुराईयाँ की जड़ है।"

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : इनको सुनने में उनकी रूचि नहीं है।

श्री जी. एम. बनातवाला : उन्होंने आगे इस प्रकार कहा है। 'यह शक्ति का प्रयोग विपक्ष मूक विरोध आन्दोलनों को दबाने तथा न्यायिक प्रक्रियाओं की अपेक्षा करने के लिये भी किया जाता है।'

श्रीमान, यह श्री वी. आर. कृष्ण अय्यर जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति की टिप्पणी नहीं है। मुझे प्रशासनिक तथा कार्यपालिका के ढाचे की व्याख्या करने हेतु सभा का समय लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्रीमान हम पुलिस के बारे में बात करते हैं और पुलिस आयुक्त को इस विधेय के अन्तर्गत व्यापक शक्तियाँ दी जा रही हैं। आज प्रश्न यह है कि पुलिस कर्मचारियों पर कौन रखे ? जब ऐसी स्थिति है तो बेलगाम शक्तियाँ दी जा रही हैं। माननीय गृहमंत्री ने भी राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक पर विचार करने के अपने प्रस्ताव को पेश करते समय स्वयं यह कहा कि पुलिस तथा प्रशासन तंत्र में साम्प्रदायिक तत्व प्रवेश कर गये हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि ऐसे तत्वों को गत 2-3 वर्षों के दौरान सम्मान मिल चुका है और अब हमें मालूम है कि यह स्थिति है। हमें मालूम है कि बहुत सी परिस्थितियों में प्रशासन ने बड़ा पक्षपातपूर्ण रूप अपनाया है। साम्प्रदायिक दंगों पर चर्चा के दौरान मैंने यहीं इसी सभा में अनेकों उदाहरण दिये थे कि पुलिस अधिकारी स्वयं पक्षपातपूर्ण रूख अपनाये हुये हैं और किस प्रकार से सम्पूर्ण राष्ट्र की आँखों में सम्पूर्ण मुस्लिम समुदाय को एक संदिग्ध समुदाय बनाने के लिये झूठी रिपोर्टें परिचालित कर रहे हैं अब यही प्रशासनिक तंत्र है जिन्हें ये कठोर शक्तियाँ देने का प्रस्ताव है।

श्रीमान मुरादाबाद में भी पुलिस ने भय का वातावरण पैदा कर दिया है निर्दोष व्यक्तियों की भी बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं।

जो लोग दंगों से प्रभावित लोगों के सहायता कार्य में लगे हुये थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। जिन लोगों पर अभियोग चलाया गया उनके वकीलों को कैद कर लिया गया। यह राष्ट्रीय सुरक्षा उपबन्धों का सम्पूर्ण दुरुपयोग है जो हमे खटक रहा है। यदि स्थिति की वास्तविकता इतनी भयंकर है तो मैं सरकार से उन निरंकुश शक्तियों के विषय में दोबारा विचार करने की वकालत करता हूं जिनको सरकार द्वारा हाथ में लेने की बात कही गई हैं।

महोदय, हमें बताया गया था कि कानून और व्यवस्था की स्थिति से निटपने के लिए इन शक्तियों की आवश्यकता है। यह मात्र एक बहाना है—पूर्ण असफलता को छुपाने के लिए कानून की अक्षमता का बहाना है। स्थिति से निपटने के लिए कानून में पर्याप्त उपबन्ध हैं। वर्तमान कानून के उपबन्धों को ईमानदारी, निष्पक्षता तथा इच्छा पूर्वक लागू करने की जरूरत है। जब मैंने कहा कि निवारक निरोध सभी बुराइयों की रामबाण दवा नहीं है तो मैं बताना चाहता हूँ कि निवारक निरोध स्वतन्त्रता के समय से, दो से तीन वर्ष के सिवाय, अस्तित्व में है। परन्तु इस तथ्य के बावजूद कि निवारक निरोधी कानून किसी भी रूप में, सदैव था, तब भी कानून और व्यवस्था की स्थिति निरन्तर बिगड़ती रही। इस तथ्य के बावजूद कि निवारक निरोध के उपबन्ध मौजूद थे फिर भी दंगे अधिक तेज और अधिक विध्वंसक होते गए।

1954 और 1960 के बीच जबकि निवारक निरोधी कानून मौजूद थे, सरकारी आँकड़ों के अनुसार मारे गये लोगों की संख्या 316 थी। अकेले 1967 में 301 लोग मारे गये। सभी निवारक निरोधी कानूनों के बावजूद स्थिति यह है। उल्टे, जैसा मैंने कहा, अल्प संख्यकों को जिनके पास अपेक्षित राजनीतिक हस्ताक्षेप की क्षमता नहीं है, प्रशासन पर अपेक्षित राजनीतिक दबाव नहीं डाल सकते। साम्प्रदायिक ज्यादतियों तथा दंगे सहने पड़े और बाद में पुलिस ने ऐसे उपबन्धों के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही की।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने अन्तिम मुद्दे पर आयें ··

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : इसे और बढ़ाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता···

उपाध्यक्ष महोदय : आपको याद होना चाहिए कि सदस्य स्वयं कह रहे थे कि हमें इसे निर्धारित समय में ही समाप्त कर देना चाहिए।

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : आज की माँग इरादे और इच्छा के प्रति ईमानदारी है। उदाहरणार्थ मैं यह पूछना चाहूंगा : उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जिन्होंने झूठे सिद्धांत का परिचालन किया।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने यह मुरादाबाद की घटनाओं के सम्बन्ध में यही कहा था। आप इसे क्यों दोहराते हैं। अन्तिम मुद्दे पर आइए।

डा. सुब्रमण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्वी) : अनन्तिम मुद्दे से पूर्व वे अन्तिम मुद्दे पर क्यों आयें ?

श्री जी. एम. बनातवाला : उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई जिन्होंने लखनऊ में पी.टी.आई.को यह रिपोर्ट दी कि एक मस्जिद में एक फैक्टरी से 25,000 बम बरामद किये गये ? बाद में उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री ने स्वयं इसका खण्डन किया था। सभा के समक्ष एक अतारांकित प्रश्न आया था और माननीय मंत्री ने कहा था कि मामले की जांच की जा रही है। साम्प्रदायिक दंगों से निपटने के लिए कई सुझाव आए हैं। मैं साम्प्रदायिक दंगे को उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ। 1973 में अल्पसंख्यों सम्बन्धी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी. पेनस का हवाला देता हूँ।

"यदि कोई दंगा 12 घण्टे से अधिक समय तक चलता है तो संबंधित स्थानीय अधिकारी से जवाब-तलब किया जाना चाहिए। यदि इसे 24 घण्टे के भीतर नियन्त्रित नहीं किया जाता तो इसके लिए गृह सचिव, मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिरीक्षक को उत्तरदायी समझा जाना चाहिये। और यदि अहिंसा 48 घण्टे से अधिक जारी रहती है तो इसकी जिम्मेदारी पूर्णतः राज्य सरकार पर होगी।"

महोदय, ये उस पार्टी के सुझाव थे जो आजकल सत्ता में हैं। वे कानून और व्यवस्था की स्थिति द्वारा इन बातों को दृढ़ता तथा निश्चय पूर्वक निपटाना चाहते थे। अब मैं उनका निर्णय उनको प्रस्तुत करता हूं। मैं उनसे पूछता हूं आपके इस निर्णय के क्रियान्वयन के संबन्ध में आपकी दृढ़ता और निश्चय कहाँ गए।

महोदय, आपकी व्याकुलता के सम्मान में मैं समाप्त करूंगा। मैंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत

किया है कि विधेयक को जनमत संग्रह हेतु परिचालित किया जाए। मैं माननीय सभा द्वारा अपने प्रस्ताव को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम आपका समर्थन करेंगे।

श्री जी. एम. बनातवाला : धन्यवाद। महोदय, सत्ताधारी दल के पास समादेश है—सत्ता में आने तथा अपनी नीतियों के क्रियान्वयन का समादेश। परन्तु मैं यह भी कहूँगा कि लोगों द्वारा यह शासनादेश एक बहुत महत्वपूर्ण आधार पर दिया गया है।

डा. सुब्रमण्यम स्वामी : नकारात्मक वोट···

श्री जी. एम. बनातवाला : जनता पार्टी द्वारा लोगों का परित्याग कर दिया गया था। लोगों ने आपको इस ठोस शर्त पर वोट दिया था कि कांग्रेस (ई) आपातकाल लागू करने का सहारा न लेगी।

डा. सुब्रमण्यम स्वामी : हजार वर्षों के लिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भी इसीलिए चुने गए थे।

श्री जी. एम. बनातवाला : इसी शर्त पर आप चुने गये थे कि कांग्रेस (ई) आपातकालीन तरीकों का सहारा न ले और प्रजातन्त्र का दमन न करे। अतः यह शासनादेश कांग्रेस (ई) को दे दिया गया। इसीलिये मैं कहता हूं कि इस विधेयक द्वारा सत्ताधारी दल को दिए गये शासनादेश के पूर्णतः दुरुपयोग कर रहा है संक्षेप में, यह जनता के साथ विश्वासघात है, जनसमूह से विश्वासघात है और इसलिये विशेष इरादे से मैंने यह कहते हुए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि विधेयक को जनसाधारण के सामने जाने दें।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सारा देश एक जुट होकर इस विधेयक विशेष को अस्वीकार करने के लिये उठ खड़ा होगा। अब गृह मंत्री यह न कहने लगें कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश अस्तित्व में था तब दो या तीन उप-चुनाव हुये और ये उप चुनाव इस विधेयक को लाने के पक्ष में जनमत का प्रतीक हैं। साम्यता की कुछ भावना होनी चाहिए। देश में उप-चुनावों को जनमत के समान न माना जाये। मैं इस सभा को जनमत प्राप्त करने के लिए भेजने के लिये कहता हूँ। आइए हम सब लोगों के पास जाएं। लोगों की इच्छा मालूम की जानी चाहिए।

श्री एम. सत्यनारायण राव (करीम नगर) : महोदय, आपने आगे और कितना समय निर्धारित किया है ? आप इस विधेयक पर मतदान कब करवायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तीन वक्ता और हैं।

श्री सी. एम. स्टीफन (गुलबर्गा) : महोदय, कुछ सही पता होना चाहिये कि मतदान कब होगा, कब वाद-विवाद समाप्त होगा। इसका निर्णय पहले होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी तीन वक्ता और हैं। फिर मंत्री महोदय उत्तर देंगे। वे कितना समय लेंगे, मुझे नहीं पता। फिर उन्हें प्रश्नों के भी उत्तर देने होंगे। मैं समझता हूं कि हम 9 बजे तक सब कुछ समाप्त कर लेंगे।

डा. सुब्रमण्यम स्वामी : संशोधनों के बारे में क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : केवल 4 संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : इसे अर्द्धरात्रि में पारित किया जाना चाहिये क्योंकि काले कारनामें अन्धेरे में ही करने ठीक होते हैं।

* **श्री सी. चिन्नास्वामी (गोबिचेट्टिपलयम)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी पार्टी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक, 1980 के समर्थन में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ ।

तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में हिन्दू और मुसलमान युगों से मित्रता और सौहार्द से रहते आए हैं । परन्तु उत्तर भारत में हिन्दू-मुस्लिम दगे आए दिन की बात हो गई हैं । पिछले चार माह से, मुरादाबाद में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सेना और उत्तर प्रदेश की सशस्त्र पुलिस के बावजूद, हिन्दू-मुस्लिम सघर्ष चल रहे हैं । आसाम में, जो पूरे देश में उत्पादित चाय का 40% और देश में उत्पादित तेल का 20 प्रतिशत उत्पादन करता है, छात्र आँदोलन शाँत नहीं हुआ । आसाम की अर्थव्यवस्था डाँवाडोल है क्योंकि तेल, चाय, प्लाईवुड आदि वस्तुओं को राज्य से बाहर जाने नहीं दिया जा रहा है । इसने काफी हद तक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है । कुछ दिन हुये मुझे एक समाचार मिला कि विश्वसनीय आधिकारिक स्रोतों के अनुसार 1979-80 में टैक्स अपवचन लगभग 300 करोड़ रुपये तक था । देश की कर-सम्बन्धी निति पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों का आप अन्दाजा लगा सकते हैं । जमाखोरों, तस्करों और कालाबारियों की हरकतों के कारण आवश्यक वस्तुओं की कमी हो गई है । उनके मूल्य आसमान को छू रहे हैं । कुछ जगहों पर चीनी का भाव 15 रुपये से 20 रुपये प्रति किलो है । इस कानून से हमारे देश में समाज विरोधी और राष्ट्र-विरोधी तत्वों की घृणित कार्यवाईयों को समाप्त किया जाना चाहिये ।

संसद के चुनावों के दौरान, तमिलनाडु के लोगों ने डी. एम. के तथा काँग्रेस (ई) के उम्मीदवारों के पक्ष में अपने मताधिकार का प्रयोग किया । दूसरे शब्दों में उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गाँधी को राष्ट्र की बागडोर सौंपी । छह महीने बाद, जहाँ तक राज्य प्रशासन का सम्बन्ध है, उन्हीं लोगों ने पुरात्यी थालैवर थीरू एम. जी. रामचन्द्रन के नेतृत्व में अपना विश्वास प्रकट किया । यह तमिलनाडु के लोगों की राजनीतिक सजीवता प्रकट करता है । राज्य विधान सभा चुनावों में हारने के कारण विरोधी दल कृषकों, ग्राम अधिकारियों आदि को तमिलनाडु सरकार के विरुद्ध भड़का रहे हैं, जो लोगों के हितार्थ वचनबद्ध है । यह विरोधी दलों की प्रतिशोध की भावना दर्शाती है । यह हमारे मुख्य मंत्री पर चाकू से हमला करने की हद तक पहुंच गई है । इसकी निन्दा की जानी चाहिये । लगता है कि विरोधी दल तमिलनाडु में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने पर तुले हैं ।

कुछ दिन हुये श्री थाजाई करुणानिधि, डी. एम. के. के मेरे मित्र ने यहाँ कहा कि उन कृषकों को जेल में डाल दिया गया जिन्होंने बिजली की बढ़ी हुई दरों का भुगतान करने से इन्कार किया । यह सत्य से बहुत दूर है । थीरू एम. जी. आर. ने कृषकों के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिये आमंत्रित किया जिसके परिणाम स्वरूप, कृषक चालू महीने के देय के साथ-साथ बकाया का भुगतान किश्तों में कर सकते हैं । कृषकों के प्रतिनिधि इस बात से सहमत थे । उनमें से किसी को भी हवालात में रखने के लिये आपातकाल के किसी भी उपबन्ध का प्रयोग नहीं किया गया । भविष्य में भी यह उनके विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जाएगा । श्री करुणानिधि

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रुपातंर ।

ने भी अपने भाषण में कोयम्बतूर कृषि विश्वविद्यालय में उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु चयन के मामले में ए. आई. ए. डी. एम. के. के मंत्रियों की साँठगांठ का हवाला दिया था और कुलपति को स्वतन्त्र रूप से काम करने की इजाजत नहीं दी थी। मैं इस निराधार आरोप का जोरदार खण्डन करता हूँ क्योंकि ए. आई. ए. डी. एम. के. का कोई भी मंत्री इसमें सम्मिलित नहीं है। ए. आई. ए. डी. एम. के. सरकार में किसी भी कालेज में प्रवेश के लिये योग्यता को प्राथमिक आधार माना जाता है।

लोकतन्त्र में सत्ताधारी दल और विरोधी पक्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं। यदि विरोधी पक्ष आँदोलनों में मग्न हो या उसे बढ़ावा देता हो तो लोग उसके शिकार होते हैं। यह कहा जाता है कि हमारी स्वतन्त्रता के दिन से हमने कई सौ करोड़ रुपये की सम्पत्ति के साथसाथ सैंकड़ों मूल्यवान माननीय जीवन भी गंवाए हैं। देश में कानून और व्यवस्था के प्रचालन के साथ हम देश की सुरक्षा को विदेशी धमकी को असफल करने में समर्थ होंगे। राज्यों में कोई भी पार्टी सत्ता में हो, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो या विरोधी पार्टी हो, यदि वह पार्टी राज्य में कानून और व्यवस्था को कायम रखने के लिये अपना अथक प्रयत्न करती है तो केन्द्र द्वारा राज्य को अपना पूरा समर्थन देना चाहिये।

मेरे माननीय मित्र श्री सी. टी. दण्डपाणि ने अपनी यह आशंका व्यक्त की है कि तमिल नाडु में इस कानून का प्रयोग विपक्षी दलों के खिलाफ किया जायगा। मैं जानना चाहूंगा कि उनके नेता श्री के. करुणानिधि इस विधेयक का समर्थन करते हैं अथवा नहीं। मैं उन्हें इस बात का आश्वासन देना चाहूंगा कि तमिलनाडु सरकार द्वारा इस कानून की प्रयोग, जमाखोरों, काले-बाजारियों, तस्करों, करअपवंचकों तथा उन दूसरे समाजविरोधी तत्वों को जिनकी गतिविधियां राज्य सरकार के आर्थिक प्रयासों को निष्फल करती है, गिरफ्तार करने में किया जाएगा और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इस कानून का कभी प्रयोग नहीं किया जाएगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री चित बसु (बारसाट) : महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ क्योंकि इसमें असीम और निरंकुश शक्तियाँ प्रदान की गई है और इसमें निवारक निरोध की व्यवस्था की गई है सिद्धान्ततः मैं इस तरह की निवारक नजरबदी का विरोधी हूं। इस सम्बन्ध में हमें यह स्मरण करना होगा कि सरकार को निवारक नजरबंदी के लिए कानून बनाने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 (4) से प्राप्त हुआ है। अब इस सदन को और समूची जनता को यह बात समझनी है कि अब समय आ गया है जब हमें इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या संविधान के अनुच्छेद 22 (4) को हमारे देश के सविधान में से निकाला जाना चाहिए। क्योंकि संविधान के अनुबच्छेद 22 (4) के विधानमंडलों तथा संसद को निवारक नजरबंदी के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है।

महोदय, सिद्धान्ततः निवारक नजरबंदी लोकतंत्र के प्रतिकूल नहीं है। जहाँ तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, जैसा मैंने पहले उल्लेख किया है, और इस बात को पुनः याद दिलाना है, इस विधेयक में एक अनिश्चितकाल के लिए निवारक नजरबंदी का प्रावधान किया गया है क्योंकि इस विधेयक में एक उपबंध है कि सलाहकार बोर्ड द्वारा पहले विचार की गई नजरबंदी की अवधि पूरी होने के बाद नजरबदी के नए आदेश दिए जा सकते हैं। एक व्यक्ति, जो पहले

से ही नजरबंद है, उसे दोबारा नजरबंद किया जा सकता है और उस प्रयोजन के लिए कोई आधार या प्रमाण नहीं बताया जाएगा। निवारक नजरबंदी के लिए कोई आधार आवश्यक नहीं है। अतः किसी व्यक्ति को अनिश्चितकाल तक नजरबंद किया जा सकता है। विधेयक में इस बात का प्रावधान है कि यदि कार्यपालिका की यह राय है कि लोक हित में कारणों को नहीं बताया जाए तो कारण नहीं बताए जाएंगे। इसी से आप समझ सकते हैं कि यह किस तरह का हानिकारक विधेयक है। इस खण्ड के अंतर्गत आप किसी भी व्यक्ति को सदैव के लिए नजरबन्द कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को तीन महीने के लिए नजरबंद किया गया है। वह उस अवधि को पूरा कर बाहर आता है और आप उसकी नजबंदी के नए आदेश जारी कर देते हैं। वह फिर नजरबंद हो जाता है। और आपको उसकी नजरबंदी को कोई कारण बताने की आवश्यकता दे उस व्यक्ति का क्या अपराध है जिसके लिए उसे नजरबंद किया जा रहा है इस जानकारी को भी लोक हित में बताने की आवश्यकता नहीं। क्या यह लोक हित में है अथवा नहीं, इसका निर्धारण करने के मामले में न्यायालय को कुछ नहीं करना है। नजरबंद व्यक्ति को कुछ नहीं करना है और आपको भी इससे कोई मतलब नहीं। अकेली कार्यपालिका ही इस बात का निर्धारण करती है कि क्या लोक हित में किसी व्यक्ति की नजरबंदी के कारणों को बताया जा सकता है।

इसलिए, इससे और ज्यादा निरंकुश कानून क्या हो सकता है ? किन लोगों के खिलाफ यह निरकुश कानून बनाया गया है ? इस मामले में हमें अत्यन्त स्पष्ट होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि अनेक विपक्षी सदस्यों ने इस विधेयक के आशय को स्पष्ट कर दिया है। इसके इरादों को स्पष्ट कर दिया गया है अर्थात इसका प्रयोग विपक्षयों विरोधियों तथा लोकप्रिय एवं लोकतान्त्रिक आन्दोलनों का दमन करने की दृष्टि से लोकप्रिय एवं लोकतान्त्रिक ताकतों के खिलाफ किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और वह सत्ता में भी हैं। वहां गन्ना उत्पादक आन्दोलन कर रहे हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि उन्हें प्रति क्विंटल 30 रुपये दिए जाने चाहिए। तथा यह एक समाज-विरोधी आन्दोलन है ? क्या यह समाज विरोधी कार्य है ? क्या इस देश में उत्पादकों को अपने उत्पादों के लिए लाभकारी मूल्य की माँग करने का अधिकार नहीं है ? यह बताया गया है कि यह विधेयक, और यह शक्ति उन लोगों के खिलाफ प्रयोग की जाएगी जो समाज विरोधी कार्यों में शामिल हैं। इसका प्रयोग केवल उन लोगों के खिलाफ किया जाएगा जो सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करते हैं। इस शक्ति का प्रयोगजन लोगों के खिलाफ किया जाएगा जो सामाजिक एवं औद्योगिक असंतोष फैलाने में लगे हैं।

इस विधेयक का क्षेत्राधिकार बहुत व्याप्त है। इसे मजदूर संघ कार्यकर्त्ताओं के खिलाफ इस आधार पर लागू किया जा सकता है कि वे औद्योगिक अशान्ति उत्पन्न कर रहे हैं। यह उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में बताया गया है। औद्योगिक अशान्ति तो रहेगी, इस बात को नजरंदाज करने का प्रश्न ही नहीं उठता, वहाँ औद्योगिक अशान्ति है और बनी रहेगी क्योंकि सरकार की नीति श्रमिक विरोधी है। यदि सरकार श्रमिक विरोधी नीति अपनाती है, यदि सरकार मालिकों को मजदूरों का शोषण करने की इजाजत देती है तो श्रमिकों का उसके विरोध

में खड़े होने का अधिकार है। यह एक संवैधानिक अधिकार है और इसे छीना नहीं जा सकता। इस विधेयक द्वारा आप क्या करना चाहते हैं ? आप उस अधिकार को छीनना और आन्दोलन को खामोश करना चाहते हैं, आप चाहते हैं मजदूरों के आन्दोलन न हो।

उपाध्यक्ष महोदय : दुनिया में कोई भी व्यक्ति मजदूर वर्ग को खामोश नहीं कर सकता ···(व्यवधान)

श्री चित बसु : जो कुछ आप कहते हैं, मैं उसे दोहराता हूं; मजदूर वर्ग उठ खडा हो रहा है, उन्हे रोका नहीं जा सकता, किसी भी सरकार द्वारा, उनके आन्दोलनों को खामोश नहीं किया जा सकता, उस सरकार की कितनी भी शक्ति क्यों न हो, कितने भी उसके अधिकार हों और भले ही उसको इस विधेयक में कितनी ही शक्ति क्यों नहीं प्रदान की गई हो··· (व्यवधान) जो कुछ सतारूढ़ पार्टी में होता है, मैं वह बताता हूं। श्री स्टीफन को यह बात जाननी चाहिए। हाल ही में आयोजित हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में कुछ प्रतिनिधियों ने यह प्रश्न उठाया था कि आपात् स्थिति की घोषणा की जानी चाहिए। यह कहा गया था कि राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार की आवश्यकता है। श्री स्टीफन वहां मौजूद थे, प्रधान मंत्री वहां मौजूद थीं मत्रीमण्डल के सदस्य वहां मौजूद थे। उन्होंने इस बात का विरोध नहीं किया। उन्होंने अनुभव किया कि यह मंशा है जिसे खुले तौर पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मच से प्रचारित किया जा रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (आई)

श्री चित्त बसु : हां, अ. भ. कांग्रेस कमेटी (आई) वहां (आई) के अलावा और कुछ नहीं है, चिन्ता क्यों करते हैं। वे कहते हैं कि जनादेश के आधार पर यह बात की जा रही है। यदि अ. भ. कांग्रेस कमेटी (जेड) हो तो मुझे और प्रसन्नता होगी। यह विधेयक आगे आने वाले समय की सूचक है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको चुप कराने की कोशिश कर रहा हूं।

श्री चित्त बसु : मैं समझता हूँ। आप ऐसा न कर पाएंगे; मुझे आशा है, आप मेरे साथ जेल में नजरबद व्यक्ति जैसा व्यवहार नहीं करेंगे। इसलिए, इरादे साफ हैं। यदि आपने इरादे स्पष्ट बता दिए होते तो हमने भी अपने इरादे स्पष्ट कर दिए होते। आपके इरादे चाटुकारिता पर किसी व्यक्ति विशेष के प्रति स्वामीभक्ति के प्रदर्शन पर आधारित हैं। हमारे इरादे, विचारधारा, अपने साहस तथा आपके द्वारा किए जा सकने वाले किसी भी तरह के दमन के खिलाफ संघर्ष करने के दृढ़ निश्चय और विश्वास पर अधारित हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है। इस बात का आस्वासन दिया गया है कि इस विधेयक का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। महोदय मुझे खुशी है कि श्री स्टीफन ने अपने भाषण में आपात् स्थिति की जिम्मेदारी को स्वीकार किया है। मुझे आशा है कि वे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करेंगे···(व्यवधान)···

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा करके वे अपना मंत्री पद खो बैठेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया किसी तरह की व्यक्तिगत छींटाकशी मत करिए (व्यवधान)

श्री चित्त बसु : मुझे आशा है कि वे आपात् स्थिति के दौरान 'मीसा' के दुरुपयोग की जिम्मेदारी को स्वीकार करेंगे। **(व्यवधान)**

श्री चित्त बसु : दिल्ली के एक उच्च पुलिस अधिकारी श्री सुशील कुमार ने 25 जून से 26 जून 1975 की अवधी में 67 नजरबंदी आदेश जारी किए। ऐसा केवल नामों की एक सूची के आधार पर किया गया था। **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : यह पुरानी कहानी है।

श्री चित्त बसु : ये वे लोग थे जिन्हें 'मीसा' के अंतर्गत नजरबंद किए जाने की आवश्यकता थी। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वे प्रस्ताव के प्रस्तुकर्ता हैं, उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। **(व्यवधान)**

श्री चित्त बसु : वे पुलिस के उपमहानिरीक्षक थे। उनसे कोई पूछ ताछ नहीं करने वाला था। नजरबंदी के आदेश करते समय लोगों की इस सूची के अलावा। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री वाजपेयी ने इस सम्बन्ध में पहले ही बोल चुके हैं।

श्री चित्त बसु : 'मीसा' का दुरुपयोग किया गया था। यह सच है कि सरकार की ओर से आश्वासन दिए गए थे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वे हर रोज ऐसा कहते रहते हैं। **(व्यवधान)**

श्री चित्त बसु : महोदय, इसका दुरुपयोग होने जा रहा है। और इसका दुरुपयोग किया जाएगा। और सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए महोदय, यह एक निरंकुश उपाय है, यह अलोकतान्त्रिक है, यह निंदनीय है और इसे पूरी तरह अस्वीकार किया जाना है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री चन्द्रपाल सिंह बोलेंगे। वह अन्तिम वक्ता हैं। वह केवल छः या सात मिनट बोलेंगे। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उनके पास नियत समय का बाकी समय है। तत्पश्चात् मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री चन्द्रपाल सिंह (अमरोहा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम से जो विधेयक प्रस्तुत हो रहा है, उसका विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

इसके साथ ही साथ जैसा आपने कह दिया है कि मैं अन्तिम वक्ता हूं और इसके सम्बन्ध में तर्क-वितर्क दोनों पक्षों को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर दिया गया है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं अपने को माननीय वाजपेयी जी का जो विचार है, जो उन्होंने संशोधन प्रस्तुत किया है। उससे पूरी तरह सम्बद्ध करता हूँ। इसके साथ-साथ मैं कुछ बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वैसे लगता तो यह है कि हम शांती व्यवस्था के नाम पर देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन इसका जो कटु अनुभव हम लोगों को इमरजेंसी पीरियड का हुआ है और मैं क्योंकि खुद भुक्त भोगी हूं, इसलिए इसके बारे में यह कह सकता हूं कि इस में सत्ता का खुला दुरुपयोग होता है और पुलिस-राज बन जाता है। एक सिपाही के हाथ में बहुत बड़े आदमी की हैसियत पहुँच जाती है। हमारे ज्ञानी जैल सिंह जी यहां बैठे हुये हैं

और हमारे जो माननीय सदस्य मुजफ्फर साहब हैं, उन्होंने मुरादाबाद के बारे में यहाँ पर इशारा किया था कि मुरादाबाद में लाखों रुपया पोस्ट आफिस के द्वारा पुलिसमैनों के घर गया। वे यहां पर इस तरह के लम्बे-चौड़े आश्वासन देते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग नहीं होगा लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह आपकी सरकार की जिम्मेवारी है कि ऐसा न हो क्योंकि आप 30 साल से शासन पर बैठे हुए हैं। हम लोग तो दो, तीन साल के लिए बीच में आये थे और चले गये लेकिन आप लोग बड़े जोर-शोर से ज्यादा शक्तियाँ अपने हाथों में लेते रहे हैं और मैं यह बता दूं कि यह चीज आप लोगों की कमजोरी का सूचक है। जब ज्यादा शक्ति चाहिए, तो आप लोग खबरदार हों, होशियार हों कि इसका दुरुपयोग न हो। आप जो यह सारी ताकत ले रहे हैं। तो चारों तरफ आप देखिए क्या हो रहा है। आप कहते हैं कि किसानों को उकसाया जा रहा है और कुछ लोग कह रहे थे कि गैर-किसान किसानों को उकसा रहे हैं। गैर-किसान किसानों को कैसे उकसाएगा ? वह तो आप देख रहे हैं, वह तो आपको पता है। (व्यवधान) पहली रैली तो आपने देख ली है। रैली फिर भी होगी लेकिन रैली का रूप बदल जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मेरा सरकार से यही आग्रह है कि यह जो काला कानून आप ला रहे हैं और इससे पुलिस की ताकत का आप विस्तार करना चाहते हैं, सारी शक्ति आप उसको देना चाहते हैं इससे आपकी बदनियती का पता चलता है। यह पता चलता है कि आपका मन साफ नहीं है। जो विरोधी शक्तिमान बन रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, किसानों में काम करना चाहते हैं, मजदूर और विद्यार्थियों में काम करना चाहते हैं, उनको दबाने का आपने यह तरीका अख्तियार किया है। आप राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उनको दबाना चाहते हैं।

आपको इस पर विचार करना चाहिए और यह देखना चाहिये कि बाबू जगजीवनराम जी भी इमरजेंसी कैसे लाये थे, वे भी सोच-समझ कर लाये थे। आपको इस बारे में सोचना चाहिए। क्या पता कल को आपका भी क्या भविष्य बने ?

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

गृह मंत्री (श्री जैल सिंह) : उपाध्यक्ष जी, इस महत्वपूर्ण बिल पर तीन दिन से विचार होता रहा है और श्रीमान वाजपेयी जी के रिजोल्युशन पर भी साथ साथ विचार होता रहा है। मुझे इस बात की खुशी है कि हर ख्यालात के मेम्बर साहिबान ने अपने विचार खुल कर रखे। मैं समझता हूं कि जब मैंने कंसीडेशन के लिए बिल इंट्रोड्युस किया था उस समय मैंने बिल का मकसद क्या है और उसकी जस्टिफिकेशन मैं विस्तारपूर्वक कह दिया था। मैं उन बातों को दुबारा दोहराना नहीं चाहता।

हमारी तरफ से हमारे दोस्त श्री भगत जी, श्री आरिफ मौहम्मद खाँ, श्री पाणिग्रही, श्री चिरंजीलाल शर्मा और मेरे साथी श्री स्टीफन जी और साथी ने भी इस पर बहुत कुछ प्रकाश डाला है। (व्यवधान)

डिप्टी स्पीकर साहब, यह अच्छा नहीं लगा जब हम ने सब्र और संतोष के साथ इनको सुना और जो चीज आपके मन में आयी वह कह दी तब जो कुछ मैं कह रहा हूं अगर उसको सुनने की शक्ति इनमें न हो तो ऐसा लगता है कि अपोजिशन को डर और खौफ है। मुझे समझ नहीं आता कि इनको इतना डर और खौफ क्यों है ? हम तो बहुत शराफत और संजीदगी से काम कर रहे हैं।

आज भी हमारे दोस्त श्री हरीश रावत, जगन्नाथ राव, साठे जी, सुखाड़िया जी और बहुत से मेरे दोस्त बोले। अगर मैं सब का नाम लूं तो बहुत देर लगेगी। उन सब ने काफी चीजों पर प्रकाश डाला। जो एतराज अपोजिशन की तरफ से आये थे उनका जवाब भी उन्होंने दे दिया। मैं यह महसूस करता हूं कि हमारे इस हाउस के निष्पक्ष मेम्बर जो किसी भी पार्टी के मेम्बर नहीं हैं और जो इस कॉंस्टीट्युशन के बनाने वालों में से हैं, श्री फ्रेंक एथनी उन्होंने बड़े सुलझे हुये तरीके से संविधान के निशाने को समझ कर और वजनदार दलीलों के साथ एक निष्पक्ष रवैया रखते हुए सदन को बताया कि एक डेवलपिंग कंट्री के लिए इस तरह के कानून बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि किन वजूहात के कारण हमारे संविधान के निर्माता ने यह प्रावीजन रखा था, जिससे पार्लियामेंट को अधिकार था कि वह प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट जैसे कानून बना सके।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : उनके भाषण के कुछ हिस्से को कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया था।

श्री जैल सिंह : उनकी स्पीच का कोई पार्ट एक्सपंज भी हो गया हो तब भी जो कीमती विचार हैं वे मिटाये नहीं जा सकते।

उस रोज मैंने कहा था कि आनरेबल मेम्बर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जो हमारे सामने एक प्रस्ताव रखा है, उसका जबाब मैं नहीं दूंगा, मैं आज सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मिस्टर स्टीफन की तकरीर के बाद उनके जवाब की जरूरत नहीं रही, मगर इतना मैं जरूर कहुँगा कि वे एक इटरनेशनल डिप्लोमेट भी हैं, हमारे भारत के विदेश मंत्री रहे हैं, उनकी जो शैली है जुबान की उसकी मैं तारीफ करता हूं, बेशक उसमें कोई दलील हो न हो, मुझे उनकी तकरीर सुनकर यह ख्याल आया कि हमारे हिन्दुस्तान के एक शायर ने कहा है :

इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों से मोह लेता है।
गुफ्तार का गार्जा बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका।
मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने,
मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका।

इसी सदन में बाजपेयी जी 1977 में इस तरफ बैठे हुए थे और इसी तरह का बिल था, जनता पार्टी शासन का बिल भी इसी तरह का था, लेकिन इसमें इतनी शक्ति जरूर थी कि सी. आर. पी. सी. अमेंड करके मीसा को परमनेंनटली लाना चाहते थे, हमारा बिल आरजी तौर का है। पहले केबिनेट में यह जनता पार्टी का अमेंडमेंट बिल आया उसमें बाजपेयी जी, वर्मा जी, मधु दण्डवते जी बैठे थे, इनके सभी मिनिस्टरों ने बड़े जोर से समर्थन किया। मैं दण्डवते जी को दाद देता हू कि कम से कम इन्होंने इतना ख्याल रखा कि उन्हें इस बिल के खिलाफ नहीं बोलना चाहिये, कोई और साथी बोल ले, वे नहीं बोले, मगर मैं यह समझता हूं कि कोई पर्सनेलिटी उभरती है तो उसके साथ कौम···

श्री मधु दण्डवते : मैं यह बतलाना चाहता हूं कि इंट्रोडक्शन के समय मैंने इसका विरोध किया था।

श्री जैल सिंह : हो सकता है, इंट्रोडक्शन के समय आपने कहा हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा कि उस वक्त भी आपने सिर्फ रस्म ही पूरी की थी।

डिप्टी स्पीकर साहब, यह तो विरोधी और ट्रेजरी-बैंचों की बात है, यह तो कायदे-कानून को पूरा करने की बात है। लेकिन जब कोई भी आदमी सोचे कि किसी की इज्जत बढ़ती है चाहे वह विरोधी हो या ट्रेशरी बैंचिज पर बैठा हो तो उससे कौम की इज्जत बढ़ती है। मैं खुश था। मेरे मन में बड़ा फख्र था कि वाजपेयी जी हकीकत पसन्द हैं। उन्होंने विदेश मंत्री के रूप में मैं समझता हूं बहुत अच्छा काम किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू की नीतियों को वे आगे ले गए। काफी उनका योगदान रहा। लेकिन एक बार पता नहीं वह चीन में सोए हुए थे, वहाँ बैठे थे, कि चीन की सरकार ने एक कम्युनिस्ट मुल्क पर हमला कर दिया और उनको अपना टूर प्रोग्राम बीच में छोड़कर वापिस आना पड़ा। मैं किसी बुरी भावना से नहीं कह रहा हूं। आदमी गलती कर सकता है। उनका अंदाजा था कि हमारी अपने पड़ौसी से दोस्ती हो जायेगी। लेकिन वह दोस्ती की भावना उसमें नहीं आई होगी। क्या बात है, मैं इसको छोड़ता हूँ। एक बात बड़े अदब से पूछना चाहता हूं। जब यह बिल आया था, इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ था तब कैबिनेट में इन्होंने हाँ की थी। यह सदन में आ गया। होम मिनिस्टर की तकरीर स्टीफन जी ने पढ़कर सुना दी। प्राइम मिनिस्टर को इन्होंने सुना दी। उस वक्त के ला मिनिस्टर को सुना दी। यहां तक ये पहुँच गए थे। इतनी दूर तक पहुँचने के बाद में इतना ही जानना चाहता हूं कि वह बतायें कि क्या उस वक्त ये सोए हुए थे या अब जब रेजोल्यूशन लाए हैं तब सोए हुए थे। एक बार तो जरूर सोए होंगे। हम रात को भी सोते हैं और दिन में भी कभी कभी सोते हैं। लेकिन काम के वक्त हम नहीं सोते। वाजपेयी जी से मैं पूछना चाहता हूँ और उनके सहयोगियों से भी कि उस बिल को लाने के वक्त ये सोए हुए थे या इस रेजोल्यूशन को लाने के वक्त ? या तो ये उस वक्त गलती पर थे या फिर अब गलती पर हैं। बड़प्पन तो इसमें था कि कह देते कि हम गलती करने लगे थे लेकिन हमने पार्टी को बचाने के लिए, हकूमत को बचाने के लिए दुरुस्त रास्ता अखत्यार कर लिया था। हमारी वह गलती थी। अगर वह इसको कह देते तब तो मैं समझता कि अब आप ठीक कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कहते हैं तो मैं समझता हूं कि आप गलती कर रहे हैं। उस वक्त आप ठीक थे। जनता भी यही समझेगी कि उस वक्त आप पर जिम्मेवारी थी, और जिम्मेवारी जब होती है तो आदमी जो काम करता है उसमें वह गलती कम करता है। इस वास्ते उस वक्त की इनकी बात दुरुस्त थी। मैं बड़े अदब के साथ अर्ज करना चाहता हूं कि आपका प्रस्ताव पास तो होगा नहीं तब चर्चा करने का क्या फायदा होगा ? बजाय इनके कोई और इसको पेश कर देता, इनको या और तीन चार साथियों को यह शोभा नहीं देता था कि वे खुद इस काम को करते क्योंकि ये खुद यही काम कर चुके थे। इनको दिलेरी से काम लेना चाहिए था। अब तो आपने महात्मा गाँधी के समाजवाद को भी मान लिया है। महात्मा जी कहते थे कि गलती मत करो और गलती हो जाए तो मान जाओ। उन्होंने एक बार सत्याग्रह भी वापिस ले लिया था। मैं चाहता हूं कि अब वह इस बात का एहसास करें और इस प्रस्ताव को वापिस ले लें। इससे उनकी बहुत बड़ाई होगी।

अपोजीशन के दोस्तों ने कहा कि दस महीने में सरकार का दावा है कि उसने काफी सुधार किया है और काफी सुधार कर लिया है तो फिर ऐसा बिल लाने की क्या जरूरत थी। जब हमने सुधार कर लिया है तो कहते हैं कि बिल्कुल नहीं हुआ और जब हम बिल लाए हैं तो

कहते हैं कि हो गया है। ग्यारह महीने के समय में जो कुछ हम कर सकते थे किया। मेरा तो यह ख्याल है :

हमाँ मर्द बाशद बाशद सुखन्वर,
न शिकमे दिगर साने दिगर।

मर्द वह चाहिये जो अपनी जवान से और दिल से एक बात करे और उससे मुन्किर न न हो। मैं नहीं चाहता कि मैं पिछले तीन साल के इनके राज की कोई चर्चा करूं और उसका फायदा उठाऊं। लेकिन हकीकत तो हकीकत रहती है। उस वक्त इन्होंने बहुत डरावनापन दिखाया, कमजोरी दिखलाई कि यह बिल लेकर नहीं आए, आगे नहीं बढ़े।

यह इस बिल को न लाने के कारण जो बुराइयाँ पैदा हुई हैं वह इनके जमाने में हुई, हम उनको दबाना चाहते हैं, और कुछ हद तक दबाया है, लेकिन अभी तक मिटी नहीं हैं। इसलिए यह बिल हम किसके हित में लाये हैं, डेमोक्रेसी, गरीबों, मजदूरों और किसानों, बल्कि यों कहिये कि हिन्दुस्तान के लोगों के हित में यह बिल हम लेकर आये हैं।

मैं माननीय मधु दंडवते जी का मशकूर हूं दाद देने के लिए मैं नहीं कहता कैसे हैं, लेकिन जहां कांग्रेस (आई.) के मेम्बरों ने थपकी लगायी वहाँ इन्होंने भी लगा दी। डिप्टी स्पीकर साहब, राजनीति और मजहब की बातें अलाहिदा अलाहिदा होती हैं। नम्रता, और अहंकार से रहित होती हैं। रहम दिल होना यह इन्सान की बहुत अच्छी खूबी है, लेकिन हुक्मरान को इन्साफ करना जरूरी है। अगर वह बदमाशों को नहीं दबा सकते हैं और शरीफ को बचा नहीं सकते, ऐसी हकूमत लोगों के भले का कोई काम नहीं कर सकती और डिप्टी स्पीकर साहब, यह दुनिया का कायदा है कि अक्ल से, हिम्मत से और दिलेरी से राज हो सकता है। अकेले अक्लमंद भी राज नहीं कर सकता, बेवकूफ भी नहीं कर सकता। अगर चालाकी से राज होता तो जंगल का राजा लोमड़ी होती। जंगल का राजा शेर होता है क्योंकि वह बहादुर होता है, डरता नहीं है। यह हकूमत निडर है, इस हकूमत में बल और ताकत है और यह बिल लेकर आपके सामने आयी है।...

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : क्या बहादुर है यह सरकार ? कमजोर है, बहादुर कहाँ है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चौबे जी, जब आपको यथासम्भव ओजस्विता के साथ बोलने का अधिकार है तो उन्हें भी उसी प्रकार बोलने का अधिकार प्राप्त है ...(व्यवधान) उन्होंने आपके प्रहारों को सहन किया है। जब वे आप पर प्रहार करते हैं तो आपको भी सहन करना होगा। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : केवल मात्र प्रश्न यह है कि क्या भारत पर शेर राज्य कर रहे हैं या मानव। हमारे गृहमन्त्री महोदय कह रहे हैं कि भारत पर सिंह राज्य कर रहे हैं।

श्री जैलसिंह : मेरा भाव किसी को बुरा कहने का नहीं है, मैंने तो उदाहरण के रूप में कहा है।

माननीय रामावतार शास्त्री जी की बात समझ में नहीं आयी। यह अपने दोस्तों को

समझायें। वैसा न करके खुद साथ साथ खड़े हो जाते हैं। इतना सुन्दर नाम है इनका रामावतार। यह तो कोई रावणावतार कर सकता है जो आप करते हैं और फ्रीडा फाइटर हैं और बहुत सुलझे हुए पार्लियामेंटेरियन हैं।

यह भी कहा गया है कि सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए ऐसा बिल लेकर आयी है, और यह बिल संविधान के मंशा के खिलाफ है, और यह बिल डेमोक्रेसी के खिलाफ है। डिप्टी स्पीकर साहब। उन दोस्तों से यह कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि हर आदमी अपने विचार, अपने ख्यालात और अपने अकीदे लोगों के सामने पहुँचा सके और उसको कोई ताकतवर आदमी रोक नहीं सकेगा। मगर डेमोक्रेसी का उसूल यह नहीं है कि जो सैक्शन सोसाइटी की ताकत में हो, वह खामोश लोगों की बात सुनने से इन्कार कर दे और उनको कहे कि हमारे लोगों के साथ अपने हाथ उठाओ, अगर हाथ नहीं उठाते, तो तुम्हें मारेंगे, पीटेंगे और सरकार उन गरीबों को बचा न सके, तो उससे डेमोक्रेसी की जड़ें कट जायेंगी।

बागपत की बात यहाँ आयी। पूरे 30 साल की आजादी के बाद भी बागपत में हरिजनों को किसी तरफ भी वोट डालने नहीं दिया गया। क्या हमारे दोस्त यह समझते हैं कि सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेगी ? यह कहाँ की डेमोक्रेसी है कि किसी को घेराव में ले लें और कहें कि तुम्हें नहीं जाने देते, खाना नहीं खाने देते, बैठने नहीं देते ? यह क्या राय बनी ? अगर हम आपकी राय के नहीं, तो हमें नहीं जाने देंगे, यह कहाँ की डेमोक्रेसी है ? अब 4 गुंडे किसी की दुकान पर चले जायें और शरीफ आदमी को कहें कि 10 हजार रुपये दे दो, नहीं तो तुम्हारी दुकान लूटेंगे, ऐसी हालत में अगर उनकी रक्षा नहीं की जाती, उनको प्रोटैक्शन नहीं दी जाती है, तो डेमोक्रेसी कैसे चलेगी ?

मैं कहना चाहता हूं कि यह जो एक्ट बनने वाला है, यह शरीफ आदमियों के पक्ष में है, उनको प्रोटैक्शन देने वाला है और हिन्दुस्तान के 95 परसेंट लोग इस बिल के पक्ष में हैं।

(व्यवधान)

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

लोगों की रोय जानने का बैरोमीटर क्या होगा ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नाट एलाउड।

श्री जेलसिंह : आप जो मर्जी चाहे कहें, यह तो एक घटे या डेढ़ घंटे के बाद पता चल जाएगा। (व्यवधान) आप बैठे, बैठे ही बोलते हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप यहीं कहते हैं कि डेढ़ घटे के बाद पता चल जायेगा। (व्यवधान)

श्री जैलसिंह : स्पीकर साहब, अब्बल तो इन्हें बोलना ही नहीं चाहिए, अगर बोलते भी हैं, तो 3, 4 क्यों इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, ये सलाह करके एक-एक बोलें। (व्यवधान) आगे आ जाइये, तब बताइये क्या कहना है। आपकी बात सुनाई ही नहीं देती। (व्यवधान) यह डेमोक्रेसी की लड़ाई बाजू मारने से या सर मारने से नहीं होती। यह तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई है। (व्यवधान) मैंने सुना नहीं, आप क्या कहते हैं ? (व्यवधान) मैं तो उन आदमियों में से हूं, जो किसी से डरते नहीं हैं और किसी को डराते नहीं हैं। किसी को डराने वाला और किसी से डरने वाला बुजदिल होता है। (व्यवधान)

मैंने बड़े ही सब्र और तहम्मुल से, शान्ति से, इनकी बातें सुनी हैं। अब वे हमारी बातें शान्ति से सुनें। अभी क्लाज-बाई-क्लाज डिसक्शन होना है। माननीय सदस्य उसमें जो कुछ कहना चाहते हैं, वह कह सकते हैं। मैंने यह दावा किया है कि अवाम की सपोर्ट इस बिल के साथ है। माननीय सदस्यों ने कहा है कि ऐसा नहीं है। इसकी जजमेंट बाद में हो जायेगी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यह हाऊस 552 सदस्यों का है या 542 सदस्यों का ?

अध्यक्ष महोदय : 544।

श्री जैलसिंह : 545 का है। इस हाउस में जनता पार्टी, जिसके अब चार टुकड़े हैं, 8 परसेंट है···(व्यवधान)।

श्री सी. एम. स्टीफन : यह तो अभूतपूर्व बात है। सदन में हम जिनका पालन करते हैं, ऐसी बहुत सी परिपाटियां हैं। जब सदन का नेता बोलता है तो हम शान्ति से उसकी बात सुनते हैं; जब विपक्ष का नेता बोलता है तो हम शान्तिपूर्वक उसकी बात सुनते हैं। जब गृहमंत्री महोदय किसी वाद-विवाद का उत्तर दे रहे हों तो यह परिपाटी है कि हम शान्ति से उसकी बात सुनते हैं। इसका उल्लंघन किया जा रहा है। श्री वाजपेयी बोलने वाले हैं तो क्या हम भी ऐसा ही व्यवस्था करें ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सब को अपील करता हूं कि यह प्रथा बिल्कुल ठीक नहीं है। आपका अपना मत है। आपने अपना मत व्यक्त किया है। आपको पूरा अधिकार है। लेकिन वह अधिकार तब रहता है, जब आप किसी दूसरे के अधिकार को भी मान्यता देते हैं। उनके अपने विचार हैं, उनको कहने दीजिए। आप अपने विचार प्रकट कीजिए। आप दूसरे को डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। (व्यवधान) आप फिर बोल रहे हैं। उन्हें उत्तर तो देने दो। आप अपनी बात कह चुके हैं। यह कोई तरीका नहीं है। आप तो सारे समय व्यवधान ही डालते रहे हैं। यह कोई शिष्टाचार नहीं हैं। मैं इस की स्वीकृति नहीं देता हूँ। मैं ऐसा पसन्द नहीं करता हूं।

श्री जैलसिंह : स्पीकर साहब, मैंने दावा किया है। उन्होंने भी दावा किया है। जो इस हाउस में केवल 0.3 परसेंट हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो वह कहते हैं, वह जनता की आवाज है। मैंने उस वक्त किसी को नहीं टोका मुस्लिम लीग वाले कहते हैं कि जनता की आवाज यह है। उनके मेम्बर हाउस में कितने हैं ?—तीन मेम्बर हैं। परसेंटेज क्या बनती है ?—0.51 ये सब मिल कर भी मैजारिटी में नहीं होते हैं। लेकिन सवाल मैजारिटी और माइनारिटी का नहीं है। इनका हक है कि ये अपनी बात कहें, लेकिन अगर मैं उसकी कान्ट्राडिक्शन न करूं, तो मैं अपने फर्ज से कोताही करूंगा।

मैं अब दावे से कहता हूँ कि हिन्दुस्तान के लोग भारी अकलरियत के साथ इस बिल के साथ हैं।···(व्यवधान)···

एक माननीय सदस्य : आपको कोई हक नहीं है ऐसा कहने का।

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात कृपया बैठ जाइये। आप अपनी सीमा से बाहर जा रहे हैं और हर समय व्यवधान खड़ा करते हैं। यह बहुत बुरी बात है।

श्री जैलसिंह : एक बहुत अच्छे पार्लियामेंटेरियन और बहुत अच्छे लीडर की जबान से मैंने सुना कि हम आप की बात पर एतबार नहीं करते हैं। हमें यकीन नहीं आता। हमने बार-

बार कहा कि हम विरोधियों को दबाने के लिए इस बिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे न विरोधियों को खत्म करने के लिए यह बिल बनाया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह तो हमारे लिए बनाया गया···

एक माननीय सदस्य : मिसा में क्या हुआ ?

श्री जैल सिंह : अगर मिसा वाली बात आप के साथ हुई तो जो करना हो कर लेना। मैं कहता हूँ कि यह बिल चोरों के खिलाफ है, लुटेरों के खिलाफ है, लोगों को लूटकर खाने वालों के खिलाफ है, बदअमनी पैदा करने वालों के खिलाफ है, नफरत पैदा करने वालों के खिलाफ है, गरीबो को दबाने वालों के खिलाफ है, माइनारिटीज को दबाने वालों के खिलाफ है, हरिजनों को मारने वालों के खिलाफ है। मेरे यह सारा कुछ कहने के बाबजूद अगर अपने आप को उसी कैटेगरी में गिनते हैं तो मेरे बस की बात नहीं है और मैं अब भी कहता हूं कि यह आरोप बेबुनियाद है, गलत है। मैं कहता हूँ कि चोरों को पकड़ना, डाकुओं को पकड़ना, बदमाशों को पकड़ना, गरीब अवाम की आवाज को बुलन्द करना, उनकी रक्षा करना, उनको दबाने वालों को शिकजे में लाना, हरिजनों को दबाने वालों को सीधा करना इसके लिए अगर यह बिल है और इस से गवर्नमेंट के हाथ मजबूत होते हों तो दबाने वालों की वकालत ये मेरे भाई क्यों करते हैं ? मैं अपने भाइयों से कहता हूँ कि उनकी वकालत न करें, उनको जनता की वकालत करनी चाहिए।···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ए० के० राय क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। गला खराब हो जाएगा आपका।

श्री जैल सिंह : मैं उन से यह कहूगा कि जो ट्रांसलेशन की मशीनरी है उसका इस्तेमाल करें। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं उनके हक में कहता हूं, फिर भी वे भड़कते हैं, जैसे उनकी सीट पर कांटे लगे हुए हों।

मुझे हैरानी हुई, कई दोस्तों ने वकालत इस ढंग से की, आज मैंने बनातवाला की तकरीर को बड़े गौर से सुना। उन्होंने कहा कि सिविल लिबर्टीज और डेमोक्रेसी के खिलाफ यह बिल है। जो भी उनको कहना था उन्होंने कहा। मेरा अपना विचार है कि मुस्लिम लीग हिन्दुस्तान की माइनारिटी को रेप्रेजेन्ट नहीं करती है। आज बनातवाला साहब को अपनी कम्यूनिटी के साथ भी मुहब्बत नहीं है, नाम ही केवल मुस्लिम लीग रखा हुआ है। उन्होंने अपनी वकालत करने की कोशिश की लेकिन मकसद को समझ नहीं सके। गलत बात कह कर वह इस बिल के खिलाफ बोल गए। मैं समझता हूँ कि उनको समझ आनी चाहिये यह बिल तो माइनारिटीज को बचाने के लिए है और नागरिक अधिकार की जो बात है, नागरिक अधिकारों का क्या मतलब होता है—इंडिविड्रअल की डिग्निटी, उसकी स्वतन्त्रा, अपने ख्यालों को प्रचार करने की उसकी स्वतन्त्रा, काम करने की स्वतन्त्रता और यह हमारा विधान है, जिस विधान का नाम उन्होंने लिया, उसके प्रिऐम्बल को जरा माइण्ड में ले आए। याद तो सभी को होगा, आप बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं। उसमें पांच चीजें हैं, जरा गौर से सुनें : सावरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर डेमोक्रैटिक रिपब्लिक (व्यवधान) हिन्दुस्तान के सिटिजन्स के लिए इनको सिक्योर करना है उनकी रक्षा करनी है और आगे चल कर जस्टिस—सोशल, एकोनामिक और पोलिटिकल—देनी है लेकिन कुछ जो ऊपर पोलिटिकल

जस्टिस नहीं देने देते. सोशल जस्टिस नहीं देने देते, एकोनामिक जस्टिस नहीं होने देते, मेरे पास ऐसे सबूत हैं कि एक गरीब आदमी ने जाकर लाइसेन्स लिया तो जोरावर ने जाकर उसको दबाया कि तुम कैसे चला सकते हो, इसको हम चलायेंगे, हमको दे दो। इस तरह से उन्होंने उसका लाइसेन्स ले लिया। अगर पंचायत का मेम्बर कोई हरिजन बन गया तो उस पंचायत के मेम्बर को कहा गया, अरे तुम तो अशुद्ध हो, तुम्हारी जिम्मेवारी नहीं ली जा सकती है। आज देश में जो स्वीपर हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो फैक्टरियां चलाते हैं, उनकी आवाज को आप नहीं सुनते, उनकी आवाज को हमने सुना है। हम उनको सोशल, एकोनामिक और पोलिटिकल जस्टिस देंगे और समाजवाद की बुनियादों को पक्का करेंगे। यह जो विरोध करने वाले हैं ये सर्मायेदाराना जमहूरियत की वकालत करते हैं, ये समाजवाद की बुनियादों के खिलाफ हैं, ये सेक्युलेरिज्म की बुनियाद को मजबूत होने नहीं देना चाहते लेकिन मैं कहता हूं आसमान से बिजलियाँ टूट पड़ें, समुन्दर में तूफान आ जाए, धरती में भूचाल आ जाए, यह सरकार रुकेगी नहीं। अगर हिन्दुस्तान की एकता को बरकरार रखना है, हिन्दुस्तान को बचाना है तो हिन्दुस्तान के गरीब आदमियों की आवाज को सुनना पड़ेगा।

मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आपने जोरदार निन्दा कर दी इस बिल की लेकिन आपने कोई उपाय नहीं बताया कि गरीब आदमी को कैसे बचाया जाए। आपने यह भी नहीं बताया कि दंगे कैसे रोके जायें? आपने यह भी नहीं बताया कि जो कम्युनल और सेसेशनिस्ट आन्दोलन चल रहे हैं, जो लोग हिन्दुस्तान के साथ गद्दारी कर सकते हैं, जो हिन्दुस्तान की एकता को तोड़ना चाहते हैं, जो गरीबों को मारना चाहते हैं, जो कम्युनलिज्म, कास्टीज्म और रीजनलिज्म फैलाना चाहते हैं।

डा० सुब्राहमण्यम स्वामी : महोदय मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय हमें बार-बार कह रहे हैं कि हम काला-बाजारियों के समर्थक हैं···

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

डा० सुब्राहमण्यम स्वामी : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या श्री ए. के. राय काला-बाजारियों की कोटि में आते हैं, चोर हैं, आदि आदि, क्योंकि उनको इस अध्यादेश के अन्तर्गत पकड़ा गया है। नियम 355 के अधीन मुझे उनसे स्पष्टीकरण चाहिये।

श्री जैल सिंह : स्वामी जी तो बड़े समझदार आदमी हैं, देश देशांतर घूमकर आए हैं, हर तरह के दांव-पेंच जानते हैं, उनको यह कैसे लगा कि मैंने उनको ब्लैकमार्केटीया कहा है?

डा० सुब्राहमण्यम स्वामी : मैं तो सदाचारी हूं, मेरा नाम सुब्रमण्यम स्वामी है लेकिन मैं तो श्री ए. के. राय की बात कर रहा हूं जिनको आपने गिरफ्तार किया, क्या वे भी ब्लैक-मार्केटीयर हैं?

श्री जैल सिंह : मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि जितने विरोधी पक्ष में बैठे हुए हैं, मैं सबका आदर करता हूं। इनको ब्लैकमार्केटियर नहीं कहता, अन्धा कराने वाला नहीं कहता, चोर नहीं कहता, ठग नहीं कहता, फिसादी नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, सिर्फ एक बात चाहता हूं कि चोरों की वकालत न करो·· (व्यवधान)···

हमारे मोहतरम मेम्बर जो आखिर में बोले—उन्होंने मुझको कहा—ज्ञानी जी बचो, यह आर्डिनेन्स तुम्हारे ऊपर लगाया जायेगा, जगजीवनराम जी का नाम लेकर कहा। जब इतनी

बात आप गृह मंत्री को कह लें, लेकिन गृह मंत्री अगर राय देना चाहे तो राय भी न लें और स्वामी जी जैसे आदमी खड़े हो जाएं —यह तो ठीक नहीं है···जितनी देर तक सरकार इस देश में ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने के अधिकार प्राप्त नहीं कर लेती, तब तक नागरिक अधिकारों की रक्षा नहीं हो सकती। यह कानून नागरिक अधिकार, सिविल-लिबर्टी अधिकारों की रक्षा करने की गारन्टी होगी और हिन्दुस्तान में हर आदमी, गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर, अपनी आवाज बुलन्द कर सकेगा। एक तरफ एक जुलूस निकला, उसके बाद विरोधियों का भी जुलूस निकला। विरोधियों ने एस डी. एम. को अपना मेमोरेण्डम दिया, जिसने उसको ले लिया। उसके बाद दूसरे लोगों ने उस एस. डी. एम. को पीटा कि तुमने इनका मेमोरेण्डम क्यों लिया। उनको घरों में जाकर दबाया कि तुमने अपने बच्चों को जुलूस में क्यों भेजा, वे हमारे विरोधी हैं, हमारे साथ रहना होगा। मेरे पास ऐसे आदमियों ने आकर मुझसे कहा है—हमारा नाम नहीं लेंगे, मैं इनके साथ इसलिए आता हूं, वरना ये मुझे मार देंगे, डरते हुये आता हूँ। तलाशी होती है तो बरछियां निकलती हैं, छुरियाँ निकलती हैं—ये किस बात के लिए रखी जाती हैं ? किस बात के लिये उनका इस्तेमाल किया जाता है। जब लेक्चर्स किये जाते हैं तो कहा जाता है कि ये लोग जब तक खत्म नहीं होते, भारत की संस्कृति नहीं बच सकती। इन लोगों को मिटाना होगा, इनके ईमान को मिटाना होगा, इनको सीधा करना होगा, इनको पाक करना होगा। मैं खुद नहीं कहता, लेकिन वाजपेयी जी खुद बड़े दुखी है, क्योंकि उनके विचार सैकुलर हैं, फसे हुए हैं दूसरी पार्टी में। आप प्राइवेटली उनसे पूछ लें, बड़ा जद्दोजहद कर रहे हैं, उनको सेकुलर बनाने में। मेरा ख्याल है—बना लेंगे और मुझे खुशी होगी, अगर वह बन जायेंगे।

स्पीकर साहब, अब मैं अपने विरोधी दलों के नेताओं से यह कहूँगा—वाजपेयी जी, अच्छी तरह से जानते हैं कि उनका 'स्टेचूटरी रेजोल्यूशन आर्डिनेन्स के खिलाफ है, इसलिये आर्डिनेन्स जो वैसे ही रिपील हो जायगा, इस प्रस्ताव को पास करवा कर क्या करेंगे ? वोटिंग में भी गुनाह-बेलज्जत होगा, ख्वाम-ख्वाह शकिस्त होगी···इससे क्या फायदा है···

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी और होम मिनिस्टर अगर आपस में फैसला कर लेंगे, तो इस चीज की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री जैल सिंह : माफ कीजिये, आपकी इजाजत से होगा। आपकी मौजूदगी न हो, तो बहुत बार बात कर लेते हैं, क्योंकि सभी हमारे मित्र हैं।

दूसरी बात यह है कि बहुत सी अमेण्डमेन्ट्स आई हैं, लेकिन उनमें से भी अमेण्डमेन्ट ऐसी नहीं है जो एक्सेप्टेबिल हो। इसलिये मैं उनसे कहूंगा कि आखिरकार जो गति होनी है, वह तो उनको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। हिन्दुस्तान के लोगों को पता है, सबको पता चल गया है कि फलां मेम्बर ने यह तकरीर की है, फलां मेम्बर ने यह अमेंडमेंट दी है। ये अमेंडमेंट सारी की सारी मेरे पास हैं और प्रैस वालों को भी मिल गई हैं तथा कुछ छप गई हैं और छप जायेंगी। अपनी कान्स्टीचूयेंसी में ले जाकर कह दें कि मैंने यह···(व्यवधान)···इस हाऊस का टाइम बचाने के लिये और दोस्ती के नाते, अध्यक्ष महोदय, मैं बड़े अदब से अपील करूंगा क्योंकि हम पोलिटिकल पार्टीज कई बार ऐसा करती हैं कि अमेंडमेंट पास हों न हों, हम दे देते हैं। टाइम मिल जाता है, चर्चा हो जाती है कि मैं क्या कहना चाहता था। यह हमको मालूम हो गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, इसलिए वे अमेंडमेंट्स सब वापिस ले ली जायें

और यह नेशनल सिक्योरिटी बिल जो सदन के सामने है, इसको सर्वसम्मति से पास करें।। यह डेमोक्रेसी का रखवाला है, यतीमों का रखवाला है, सैक्युलरिजम का रखवाला है, यह समाजवाद का रखवाला है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय ने अपने भाषण से काफी मनोरंजन किया है, लेकिन जिस मामले पर हम विचार कर रहे हैं, यह थोड़ा गम्भीर मामला है और मैं चाहूँगा···

श्री जैल सिंह : वाजपेयी जी, हर बात को गम्भीरता से कहिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं चाहूँगा कि यह सदन और इस सदन के सदस्य जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, लोगों की आजादी का अपहरण करने से पहले उन्होंने मामले पर, सारे पहलुओं पर विचार करके फैसला किया था, कम से कम इतना सबूत तो देना चाहिए।

अखबारों में हमारा नाम छप जाये, चुनाव क्षेत्र में हम बोले थे, यह हमारे मतदाताओं को पता लग जाये, इसलिए इस सदन में इस विधेयक में संशोधन पेश नहीं किए हैं—सदन की कार्यवाही को हम इतने हल्के ढंग से नहीं लेते हैं। नजरबन्दी कानून का मामला मखौल का मामला नहीं है।

एक माननीय सदस्य : इन्दिरा जी जो निकालते समय ज्ञात नहीं था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी···

इन्दिरा जी को निकालने का फैसला जिन्होंने किया, वे इस बात को नहीं भूले थे कि जब आप राज्य सभा में बहुमत में थे तो आपने डा. सुब्राहमण्यम स्वामी को निकालने का फैसला किया था ·· (**व्यवधान**)··· किस लिये किया था। अध्यक्ष महोदय, अगर टोका-टाकी होगी, तो मैं उसका सामना करने को तैयार हूँ। मैंने इन्दिरा जी को निकाला क्या था, इसलिये नजरबन्दी कानून आ रहा है। चोरों, लुटेरों और बदमाशों का सामना करना है, क्यों इसलिए नजरबन्दी कानून आ रहा है, सैक्यूलरवाद को बचाना है, समाजवाद की रक्षा करनी है, लोकतन्त्र पर आंच आ रही है, उसकी हिफाजत जरूरी है इसलिए नजरबन्दी कानून आ रहा है? अध्यक्ष महोदय, क्या इसका मतलब यह है कि अगर नजरबन्दी कानून नहीं होगा तो चोरों और लुटेरों तथा बदमाशों को पकड़ने का इस सरकार के पास और कोई हथियार नहीं रहेगा? इस देश में सामान्य कानून हैं या नहीं? क्या आपने स्वयं सामान्य कानून को कड़ा करने का फैसला नहीं किया है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आप संशोधन लाए हैं। लोकदल की सरकार जो आपके समर्थन से बनी थी, उन्होंने ब्लैक—मार्केटिंग को रोकने के लिए एक आर्डिनेंस निकाला था। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि यह "ड्रैकोनियन-मेजर" है, क्योंकि उन्हें चुनाव का सामना करना था, जनता से वोट लेने थे। फिर सत्ता में आ गई, तो उस ड्रैकोनियन मेजन को कानून का रूप दे दिया। अब ब्लैक-मार्केटिंग के खिलाफ आपके पास कानून है, नजरबन्दी कानून है।

मेरे मित्र रावत यहाँ बैठे हुए हैं। इन्होने कानून पढा नहीं···

एक माननीय सदस्य : आपने पढ़ा है।

प्रो. मधु दण्डवते : जरूर पढ़ा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, प्रिवेंशन आफ ब्लैक मार्केटिंग एण्ड मेंटीनेन्स आफ एसेंशियल कामोडिटीज एक्ट, 1980 के अन्तर्गत 6 महीनों के लिए नजरबन्द करने का प्रावधान है। कुछ महीनों पहले हम ने इसको पास किया है। आज चोर-बाजारियों से निपटने के लिए नया नजरबन्दी कानून लाने की क्या जरूरत है ? तस्करी के खिलाफ एक कानून पहले से बना हुआ है। कोफीपोसा अमल में लाया जा सकता है। उसके अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है। क्रिमिनल प्रोसेरजर कोड को आपने कड़ा बनाया है। उसमें व्यक्ति की जमानत लेने से मैजिस्ट्रेट मना कर सकता है, जेल भी भेज सकता है। मैं यह समझने में असमर्थ हूँ कि अगर सरकार इस नतीजे पर पहुँची है कि नजरबन्दी कानून के बिना इस देश में न तो जान व माल की और न इज्जत की हिफाजत की जा सकती है और न ही सैक्यूलरइज्म, सोशलिज्म और डैमोक्रेसी को बचाया जा सकता है, तो फिर वह कहने का क्या मतलब है कि देश में एक असाधारण स्थिति पैदा हो गई है। यह बहाना बनाने की क्या जरूरत है कि एक विशेष परिस्थिति का सामना करने के लिए हमने आर्डीनेन्स निकाला है। ऐसा आर्डीनेन्स जारी करने की क्या जरूरत थी। अगर कोई नागरिक भारत के किसी भाग को भारत से अलग करना चाहता है, तो उसके लिए भी कानून है। हम इन्डियन पेनेल कोड में संशोधन कर चुके हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में संशोधन कर चुके हैं और संविधान में संशोधन किये गये हैं। हां, उस में एक बात है कि देश में कानून का राज रहेगा, गिरफ्तार करने वाले को तो जज बनने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। हम कानून का राज चाहते हैं, जंगल का कानून नहीं चाहते, मगर हमारे गृह मंत्री जी कहते हैं कि जंगल का राजा शेर होता हैं, जंगल का राजा लोमड़ी नहीं होती। हम जंगल की बात यहां पर नहीं कर रहे हैं, हम सभ्य समाज की बात कर रहे हैं। अगर राज होगा, तो कानून का राज होगा और शेर की जगह तो सरकस में होगी या हमारे जू में होगी। ज्ञानी जी कह सकते हैं कि उन्होंने तो खाली उदाहरण दिया था, विरोधी दल इतनी जल्दी बुरा क्यों मान जाते हैं। हम ज्ञानी जी का किसी बात का बुरा नहीं मानते, मगर जैसा मैंने अध्यादेश का निरनुमोदन का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा था कि आप के आश्वासन पर हमारा भरोसा नहीं है। ज्ञानी जी 1971 में सदन में नहीं थे। पं. चिरन्जी लाल शर्मा ने अपने भाषणों में एक बात यह कही थी कि बंगला देश की लड़ाई के बाद, मैंने श्रीमती इन्दिरा गांधी को दुर्गा कहा था।

कई माननीय सदस्य : कहा था : (व्यवधान)···

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : नहीं कहा था।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगज) : मैं सदन में था यह आपने कहा।

श्री अटलबिहारी वाजपेयी : मैं कह रहा हूँ कि मैंने कहा था। ···(व्यवधान)··· मैं अपना भाषण दिखा सकता हूँ, मगर यह बहस का मुद्दा नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि 1971 में सारे देश ने राष्ट्रीय संकट का सामना करने के लिए सरकार को नजरबन्द करने का अधिकार दिया। हमने मीसा का कोई विरोध नहीं किया, यही हमारे लिए अफसोस कि बात थी और उसी मीसा में हम गिरफ्तार किये गये। केवल हम ही गिरफ्तार नहीं किये गये बल्कि कांग्रेस पार्टी के भीतर जिन्होंने प्रधान मंत्री से मतभेद प्रकट किया, वे नेता भी नजरबन्दी कानून में बन्द कर दिये गये। इस बार भी वही होगा।

अध्यक्ष महोदय, श्रीमती इंदिरा गांधी ने आश्वासन दिया था कि मीसा राजनीतिक

विरोधियों के खिलाफ काम में नहीं लाया जाएगा। (व्यवधान) जी हाँ, आपके विचार में श्री चन्द्रशेखर राजद्रोही थे, श्री रामधन किसी विदेश के साथ साजिश कर रहे थे। क्या यह हो सकता है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय' मैं कुछ आँकड़े रखना चाहता हूँ। मीसा के अन्तर्गत 29 हजार 795 राजनेताओ को नजरबन्द किया गया। 32 लोक सभा के सदस्य और 17 राज्य सभा के सदस्य बन्द किये गये। क्या ये सब राष्ट्र विरोधी थे? 73 व्यक्ति जो मीसा में जेलों में बंद थे, वे मर गये, उन्हें पेरोल पर छोड़ने से भी मना कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन-सा विदेशी आक्रमण का संकट था? क्या प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी से त्याग पत्र माँगना जुर्म था? (व्यवधान) जो बात कड़वी लगती है वह पुरानी बात है। आप सच्चाई का सामना नहीं कर सकते हैं। हम भुक्तभोगी हैं इसीलिए हम आपके आसवासन पर भरोसा नहीं कर सकते।

गृह मंत्री महोदय ने श्री ए. के. राय की गिरफ्तारी के बारे में एक शब्द नहीं कहा। मुझे आश्चर्य है कि उन्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया जाय? अगर पार्लियामेंट का सेशन नहीं होता तो वे इस समय जेल में सड़ रहे होते। मैं यह भी जानता हूँ कि पार्लियामेंट का सैशन समाप्त होते ही हम में से कुछ लोगों को जेल में बंद करने की साजिश हो रही है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैंने देखा है उन कारणों को जिन कारणों से उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके गिरफ्तार करने के कारण क्या दिये गये हैं? इन की पुरानी गतिविधियाँ आपत्तिजनक हैं इस लिए इन्हें नजरबन्द कर दो। (व्यवधान) यह ठीक उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन सवाल यह है कि पकड़ा क्यों गया है? कि पकड़ा करने का आप भी आपने और छोड़ा भी आपने क्या हक है किसी की भी आजादी के साथ ऐसा खिलवाड़ करने क्या इसी के लिए आप यह बिल लाये हैं।

मुझे ताज्जुब हुआ कि श्री स्टीफन बीच में विवाद में बोले और बड़े जोश से बोले। मगर उन्होने एक बात कही जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान खींचना चाहता हूँ। इस बात की चर्चा करते हुए कि पश्चिम बंगाल और केरल की वामपंथी सरकारें इस काले कानून का उपयोग नहीं करेंगी, श्री स्टीफन ने विचित्र तर्क दिया। उन्होंने कहा कि वे इसलिये इस काले कानून का उपयोग किया गया तो मजिस्ट्रेट उन्हीं के वर्कर्स को पकड़ लेगा। अधिकार दिया जा रहा मजिस्ट्रेट को और मजिस्ट्रेट चलेगा सरकार के आदेश पर और केरल और पश्चिम बंगाल में भी मजिस्ट्रेट पकड़ेगा सी. पी. एम. के वर्करों को।

श्री सी. एम. स्टीफन : आपने उपबन्ध पढ़े नहीं हैं। मजिस्ट्रेट स्वयं कार्यवाही करके राज्य सरकार को रिपोर्ट देता है। आपने कानून का अध्ययन नहीं किया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मजिस्ट्रेट पकड़ सकता है, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन अगर वहां की केरल और पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकारें नहीं चाहती हैं कि नजरबंद किया जाए तो सरकार उन्हें छोड़ देगी। इन्होंने माना है कि पश्चिम बंगाल में या केरल में पकड़ा जाए तो सी० पी० एम० के लोगों को पकड़ा जाये, इन विरोधियों को नहीं पकड़ा जाये जो कलकत्ता की सड़कों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन का नाटक कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सी. एम. स्टीफन : क्या केरल में रा० से० सं० के लोग सक्रिय नहीं है ? केरल में रा० स्व० से० सं० और मार्क्सवादी लड़ रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय, इस बात की बड़ी चर्चा की गई है कि हम शांति-पूर्ण विरोध का समर्थन करते हैं, लोकतन्त्र में लोगों को शान्ति-पूर्ण ढग से अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिये, साथ ही विरोधी दलों पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वे हिंसा भड़का रहे हैं । क्या किसानों से यह कहना कि तुम्हें गन्ने का भाव 30 रुपये क्विंटल मिलना चाहिए, हिंसा भड़काना है ? क्या किसानों से यह कहना कि तुम्हें अपनी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता तो तुम गन्ना मत बेचो···(व्यवधान)···

मैं अभी आपकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा, पहले आप मेरी बात सुनिये । इस बहस में इतने कांग्रेस के मेंबर बोले और उसमें श्री सुखाड़िया भी बोले । उन सबके भाषणों को सुनकर हमारी आशंकाओं की पुष्टि हुई है, हमारे भय मजबूत हुए हैं, हमारे शक इस विश्वास में बदल गये हैं कि समाज-विरोधी तत्वों के खिलाफ यह काला कानून नहीं है, राष्ट्रपति-विरोधी तत्वों के खिलाफ नहीं है, बल्कि आप इस देश में किसी तरह का विरोध बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय, किसान गन्ने का अधिक दाम मांग रहा है, कर्मचारी, मजदूर आंदोलन कर रहे हैं, इसीलिए आपको नजरबन्दी कानून की जरूरत है । नजरबन्दी कानून से जो देश में आर्थिक और सामाजिक तनाव पैदा हो रहे हैं वे दूर नहीं होंगे । कितने लोगों को नजरबन्द करेंगे ? बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस के एक सदस्य ने भी यह नहीं कहा कि एडवाइजरी बोर्ड का जो फैसला बदल दिया गया और इस आधार पर कि नोटिफिकेशन नहीं किया, अगर हमने नहीं किया तो आप कर दीजिए, आप क्यों नहीं करना चाहते ?···(व्यवधान)···फोर्टी फोर अमेंडमेंट पार्लियामेंट में हुआ, स्वीकृत संशोधन का हिस्सा है । संविधान बदला जा चुका है । संसद की इच्छा का आदर होगा कि नहीं ? पार्लियामेंट इस सुप्रीम ।

एक माननीय सदस्य : आप भी तो यही कर रहे थे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : तो हमने जो किया था क्या वही आप करने वाले हैं ? हम आपको ढाई साल में वापिस ले आए क्या आप भी हमें ढाई साल में वापस ले आएंगे ।

···(व्यवधान)···

श्री सी. एम. स्टीफन : उन्होंने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । प्रश्न यह है : आपने और पिछली सरकारों ने इसके सिवाय सभी संशोधनों की सूचना दी है तो, आपने इस संशोधन विशेष की सूचना क्यों नहीं दी ? इससे पता चलता है कि आप निवारक नजरबन्दी के हक में उस रूप में है जिस रूप में यह इसे संविधान में दिया गया था । आपने इस खण्ड की सूचना क्यों नहीं दी ? प्रत्येक दूसरे अवसर पर इसकी सूचना दी गई थी । आपने इस खण्ड-विशेष को अधिसूचित क्यों नहीं किया ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अधिसूचना जारी की जानी चाहिए थी । परन्तु संसद की इच्छा तो संसद द्वारा स्वीकृत संशोधन में प्रकट कर दी गई थी । अधिसूचना जारी करना तो कार्यपालिका का काम है, यदि यह मान लें कि जनता सरकार ने भूल की थी तो आपने अधि-

सूचना जारी क्यों नहीं की (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय इन्होंने भी 44वें संशोधन का समर्थन किया था किन्तु इनका रवैया यह है···

श्री सी. एम. स्टीफन : हम संशोधन नहीं करना चाहते । हमारी यही स्थिति है । आपके संशोधन को अधिसूचित करने की हमारी जिम्मेदारी नहीं है । एक नई संसद बन गई है ।

अध्यक्ष महोदय : वाजपेयी जी को बोलने दीजिए ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : जज को अधिकार नहीं मिलना चाहिये । दस साल तक जो वकील वकील के नाते काम कर चुका है, जो हां में हां मिला सकता है उस पर कृपा का भंडार उंडेल कर उसको एडवाइजरी बोर्ड में बिठाया जा सकता है । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि किसी कांग्रेस के सदस्य ने इस बात की ओर इशारा नहीं किया और क्यों नहीं किया ? कांग्रेस के सदस्य वरिष्ठ यहां बैठे हैं और बोले भी हैं । हर एक ने समर्थन किया है । उन्होंने इस बात को भी इसमें प्रकट नहीं की कि इस अगले कानून का दुरुपयोग भी हो सकता है और दुरुपयोग को रोकना चाहिये । आप असाधारण अधिकार दें तो दुरुपयोग की आशंका रहेगी । मैंने दिल्ली का उदाहरण दिया है लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया ।

श्री एच. के. एल. भगत (पूर्वी दिल्ली) : मैंने दिया है । सिर्फ एक केस को छोड़ कर बाकी सबको एप्रूव किया गया है । लेकिन मैंने उनसे पूछा है कि वह कैबिनेट मिनिस्टर थे । तब क्या उन्होंने इस बिल को सपोर्ट किया था या नहीं ? मध्य प्रदेश में मिनी मीसा भी वापिस नहीं लिया । उनको राइट आफ रिप्लाई है । रिपलाई में वह इसका जवाब दे सकते हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं । मैं इनको चैलंज कर रहा हूँ ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ये मुझे चैलेंज कर रहे हैं । ये एमरजेंसी ले आये यह एक गलती की । इन्होंने देश को जेल खाना बना दिया यह गलती नहीं थी । एक लाख से ज्यादा लोगों को इन्होंने जेलों में बन्द किया । इन्होंने गलती नहीं की । ये कैसे दूध के धुले हुए हैं । आज उधर बैठे हैं और हम से जवाब तलब कर रहे हैं । मैं जवाब दे रहा हूँ । ये चुनाव लड़े ये इस वादे पर और यह आश्वासन देकर कि हम एक हजार साल तक एमरजेंसी नहीं लायेंगे और अब एमरजेंसी का औचित्य ठहराने वाले भाषण दिये जा रहे हैं । स्टीफन साहब क्या कहते हैं ?

"हम काम से मतलब रखते हैं ।" कौन सा काम ? वह अपने दूरभाष विभाग को तो ठीक से चला नहीं सकते और बात करते हैं काम से मतलब की । दूसरे कांग्रेस के मेम्बर कहते हैं और कड़ाई करो । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसी आधार पर आपको लोगों ने समर्थन दिया था ?

गृह मत्री जी कहते हैं कि 95 परसेंट लोग इसके साथ हैं । मैं कहता हूँ कि 95 परसेंट क्यों, सौ परसेंट क्यों नहीं ? शायद आपने एक परसेंट हम लोगों को छोड़ दिया है । लेकिन आप 99 परसेंट का दावा क्यों करते ?

श्री जैल सिंह : हैं तो इतने ही जितने आपने अब बताए हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ज्ञानी जी से बहस कौन कर सकता है ?

श्री जैल सिंह : मैं भूल गया था । चार परसेंट मैंने कम कर दिए थे । इन्होंने ठीक कहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने इतना एमेंडमेंट मान लिया ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ज्ञानी जी इतनी सरलता से इतनी गम्भीर बात कह देते हैं। कि आदमी लाजवाब हो जाता है । क्या कोई बहस करे । शायद ऐसा गृह मंत्री तो भारत ने अभी तक देखा नहीं है और शायद आगे भी देखने को न मिले ।

श्री जैल सिंह : अभी आगे-आगे देखिये होता है क्या ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर 95 परसेंट लोग इसके साथ हैं तो सरकार की यह संशोधन मान लेना चाहिये था कि इस विधेयक को जनता की राय जानने के लिए प्रसारित किया जाए । ये 95 परसेंट की बात करते हैं । फिर भी कहते हैं कि इस सदन में हम इतने हैं और आप खाली इतने हैं । आपने चुनाव में यह मुद्दा उठाया होता—मैं फिर कह रहा हूँ—मगर चुनाव में तो आपने ब्लैक मार्किटीयर्ज के खिलाफ जो आर्डिनेंस था उसकी आलोचना की थी । आपने लोक सभा के चुनाव में यह नहीं कहा था कि हम को चुन कर भेजो, हम सारे कानूनों को ताक पर रख देंगे और बिना मुकदमा चलाए लोगों को जेलों में बन्द करने का अधिकार लेंगे, बिना कारण बताए गिरफ्तार करने का अधिकार लेंगे । आप तो एक हजार बरस तक एमरजेंसी नहीं आएगी यह वादा कर रहे थे । आप तो इमरजेंसी के अपराधों के लिये माफी माँग रहे थे । अब तेवर बदले हुये हैं । आज बहुमत का जोश है । मगर राष्ट्रपति महोदय ने 15 अगस्त को रेडियो पर जो भाषण किया उसकी दो पंक्तियों को याद रखिये 'संसद में और विधान सभाओं में बहुमत प्राप्त करना एक बात है और सारे देश की जनता को साथ लेकर चलना दूसरी बात है' । यह उनका भाषण है आल इण्डिया रेडियो से । एक तरफ 95 प्रतिशत का समर्थन है, यह दावा करना, फिर कहना कि सदन में संशोधन ठुकरा दिया जायेगा । हम जानते हैं कि संशोधन ठुकरा दिया जाएगा । मगर इस काले कानून के खिलाफ हम लडेंगे आखिरी दम तक ।

अध्यक्ष महोदय : एक मामला बहुत जोर से उठाया गया है । जनता सरकार इसी तरह का एक संशोधन लायी थी और माननीय चरण सिंह ने उस समय क्या कहा यह पढ़ कर बताया गया । मुझ से पूछा गया, और पूछने वाले माननीय स्टीफन थे जो 1977 के बाद श्रीमती इंदिरा गाँधी का साथ छोड़ कर चव्हाण साहब साहब के साथ जा रहे थे । यह सारल कार्वडिस की बात करते हैं । यह चले गए थे, लेकिन यह दूसरे दिन वापस आ गये और इसी लिये श्री मोरार जी भाई ने इनके मुंह पर कहा था यू. आर मास्टर डिफेक्टर । इन्होंने जवाब नहीं दिया । यह दिल्ली में आई. एन. टी. यू. सी. के दफ्तर में बैठते थे, वह श्रीमती इन्दिरा गाँधी का फोटो लगा था । 1977 के चुनाव के बाद इन्होंने फोटो हटा दिया था । मैं बहुत सी बातें जानता हूँ, ये जरा ज्यादा बातें न करें । यह सारल कार्वडिस की बात कर रहे हैं । मत्री मंडल में क्या हुआ यह बताने के लिये मुझे बाध्य नहीं किया जा सकता । मंत्री मंडल की कार्यवाही गोपनीय है । श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने गोपनीयता का आवरण लेकर शाह कमीशन के सामने बयान देने से भी इन्कार कर दिया था । लेकिन जब लोक सभा में उस समय के गृह मंत्री, श्री चरण सिंह द्वारा विधेयक पेश हुआ तो पार्टी में विरोध हुआ, पार्लियामेंट के बाहर विरोध हुआ और लोकतंत्र में विश्वास करने वाली एक पार्टी के नाते हमने उस विरोध के सामने सर झुकाया, विधेयक को वापस लिया । माननीय चरण सिंह ने जो भाषण दिया था विधेयक को वापस लेते हुये उसको किसी ने नहीं पड़ा । कैबिनेट के फैसले के हिसाब से उसको वापस लिया गया । अगर कैबिनेट

पेश करने का फैसला करती है तो आप उसका हवाला देंगे। तो क्या वापस करने का फैसला विरोधी दल ने किया था ?

मैं श्री चरण सिंह के बयान का एक अंश उद्धृत करना चाहता हूँ।

"जहां विधेयक में दिए गए संरक्षणों का आमतौर पर स्वागत किया गया है, वहां इस विधेयक के विरुद्ध इस सभा में और सभा से बाहर कतिपय आशकायें व्यक्त की जा रही हैं। चूंकि हम आपात स्थिति का दुःखद अनुभव अभी भी भूले नहीं हैं इसलिए लोगों में यह आशंका होना स्वाभाविक ही है···"

श्री सी. एम. स्टीफन : यह क्या है ?

एक माननीय सदस्य : इस सभा में दिया गया यह श्री चरण सिंह का वक्तव्य है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :···"···कि संरक्षणों के होते हुये भी कार्यपालिका द्वारा निरोधक निरोध की शक्तियों का दुरुपयोग किया जा सकता है। चूंकि मुझे इसका स्वयं अनुभव है इसलिये मैं नहीं कह सकता कि ये आशंकायें निराधार ही हैं। ऐसी भी धारणा है कि लोकतंत्र पुनः कायम करने तथा नागरिक स्वतंत्रताओं पर लगे प्रतिबन्ध हटाने के लिए जनादेश प्राप्त करने के बाद जनता पार्टी को ऐसे असाधारण कानून नहीं बनाने चाहियें। अच्छे लोकतंत्र की सही कसौटी यही है कि सरकार लोकतंत्र के अनुकूल चले। ऐसे मामलों में सरकार का प्रतिष्ठा पर अड़े रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसलिये सरकार ने मामले पर पुनर्विचार किया और 23 दिसम्बर, 1977 को सभा में पुरः स्थापित किये गाप दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1977 को वापस ले लेने का विचार किया है तथा आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम, 1971 को रद्द करने के लिए एक पृथक विधान लाने का प्रस्ताव किया है।"

श्री बसन्त साठे : वाजपेयी जी, कैबिनेट की बात मत कहो, क्या आपने बाहर या अन्य जगह कहीं भी और कभी भी उसका विरोध किया था ? इतना कह दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर साठे जी टेलीवीजन इंटरव्यू करने वाला आदमी मेरे पास भेज दें और वह इंटरव्यू टेलीवीजन पर दिखाने का वादा करें तो मैं इसका भी जवाब दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री बसन्त साठे : यह वायदा करता हूं, आप यहीं कह दें, टेलीवीजन का मैं वादा करता हूं। (व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : ऐसा वायदा मत करो। यह वादा नहीं है। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जनता के राज में विरोधियों के लिये नजरबन्दी कानून का उपयोग नहीं किया गया। विरोधी दल के नाते दिल्ली में अदालतों में गड़बड़ करने की कोशिश की गई। देहरादून में उस समय के विरोधी दल के समर्थक मजिस्ट्रेट की अदालत में घुस गये, नारे लगाये, शोर-शराबा किया, फाइलें फाड़ दीं। (व्यवधान) दिल्ली में जबरदस्ती कनाट प्लेस बन्द कराने की कोशिश की गई, जो विमान को हाई-जैक कर ले जाना चाहते थे, (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, विमान को हाई-जैक करना क्या शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का तरीका है ? विमान को हाई-जैक करने के लिये दुनिया के अनेक देशों में मौत की सजा है, पर

यहां उसे मौत की सजा देने के बजाय कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। (व्यवधान) आज भी कांग्रेस पार्टी जिन प्रदेशों में विरोधी-दल में है, उनमें किसी प्रकार आचरण कर रही है ?

मेरे मित्र श्री रवीन्द्र वर्मा ने ठीक कहा था कि प्रधान मंत्री को आचरण के दो गज चाहियें। जब वह खुद विरोधी दल में थी, उस समय के लिये एक गज चाहिये, और जब हम विरोधी दल में हैं तो दूसरा गज चाहिये !

श्री सी. एम. स्टीफन : आप उस समय क्या कर रहे थे ? (व्यवधान)

वह डायनामाइट नेता जार्ज फर्नान्डीस को स्वीकार करके ऐसा कह रहे हैं। (व्यवधान)

उस मामले का क्या हुआ ? (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : तानाशाही में क्या होता है ? (व्यवधान)

श्री सी. एम. स्टीफन : विमान अपहरण के मामले में क्या हुआ ?

क्या वह दोषी ठहराये गये ? (व्यवधान) क्या वह दोषी ठहराये गए ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांत, शांत।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आचरण का जो मापदण्ड होगा, वह सभी विरोधी दलों पर लागू करना पड़ेगा। वह केवल केन्द्र में नहीं, उन प्रदेशो में भी लागू करना पड़ेगा। जहां इन्दिरा कांग्रेस विरोधी दल में है, लेकिन इस तरह मान-दण्ड बना कर चलने की कोई तैयारी नहीं है। सारी ताकत लगाई जा रही है कानून का उपयोग कर के, और अगर सामान्य कानून पर्याप्त नहीं है तो व्यक्तिगत स्वाधीनता का हनन करके, काले कानून का उपयोग करके जो भी आवाज विरोध में उठती है, उस स्वर को रुद्ध कर दिया जाये, जो भी जन-संतोष की वाणी देता है, उसके सामने जेल का खतरा खड़ा किया जाये।

चीनी के घोटाले में 1,000 करोड़ रुपया कमाया गया। (व्यवधान) जो चीनी 3 रुपये किलो बिकनी चाहिये थी, वह आपके राज्य में 13 रुपये किलो बिकी है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपकी कृपा से।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: एक किलो पर 10 रुपये मुनाफा। यह 10 रुपये किलो का मुनाफा किसकी जेब में गया है ? यह मुनाफा किसान को नहीं मिला है। उपभोक्ता को अधिक कीमत देनी पड़ी है, अगर गन्ना पैदा करने वाला किसान अधिक कीमत मांगता है तो आप उसको दोष नहीं दे सकते। हम मांग करते हैं··· (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप इनको चुप कराइये। मैं इस तरह से नहीं बोल सकता हूँ। जब ज्ञानी जी को टोका जा रहा था, तो आप उस समय बहुत गर्म हो रहे थे। थोड़ी सी गर्मी इस समय भी दिखाइए।

अध्यक्ष महोदय : आर्डर, आर्डर।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इस समय हर वर्ग में असंतोष है। बढ़ती हुई महंगाई, आवश्यक वस्तुओं का अभाव, भ्रष्टाचार का सार्वदेशिक स्वरूप, जन-भावनाओं के अनुरूप कार्यवाही करने की शासन की अक्षमता, ये सब जन-असंतोष को उग्र रूप दे रहे हैं। कोई विरोधी दल लोगों को नहीं भड़का रहा है। क्या आसाम आन्दोलन कोई विरोधी दल कर रहा है ? (व्यवधान) इतने बड़े आन्दोलन का श्रेय लेने के लिए हम तैयार नहीं हैं। आप हमें ऐसा श्रेय मत दीजिए, जिसको हम लेने के लिए तैयार नहीं हैं।

लोग बिगड़ रहे हैं, जनता विरोध के पथ पर जा रही है और इस समय केवल नजरबंदी कानून बना कर परिस्थिति पर काबू नहीं पाया जा सकता है। अगर सरकार केवल कानून के भरोसे रहेगी, तो आर्थिक-सामाजिक तनाव और भी उग्र होंगे। नजरबन्दी कानून में सबसे बड़ा दोष यही है कि मन्त्रियों में आत्म संतोष की भावना पैदा हो जाती है और सरकारी अफसर समझते हैं कि नजरबन्दी कानून है, आदमियों को बन्द कर दिया, स्थिति सुधर जायेगी। मगर ग्यारह महीने हो गये, कोई ठोस कदम सरकार आर्थिक-सामाजिक क्षेत्र में उठा रही है, इसका कोई सुबूत नहीं है। एक के बाद एक कानून, अखबारों को धमकी, न्याय-पालिका को डराने की कोशिश, जजों के स्थानों को खाली रखना, नये जजों को नियुक्त करने में आना-कानी, और सब के ऊपर नजरबंदी कानून। अध्यक्ष महोदय, आपके पास सूचना आयेगी, जब हम होंगे तिहाड़ जेल में। और बुलिटेन पार्ट टू में लिखा जायेगा कि एक के बाद एक विरोधी दल के मेम्बर सरकारी मेहमान बनाये जा रहे हैं यह काला कानून, यह नजरबंदी का कानून, नये साल का नया तोहफा है, जो यह सरकार देने जा रही है। बाहर अन्धेरा बढ़ रहा है और उस अन्धेरे की छाया इस सदन के भीतर भी पड़ रही है।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो हथियार लेने थे, जो अधिकार लेने थे, वे उन्होंने ले लिये। अगर वह योग्य हैं, सक्षम हैं, अगर उनके पास योजना है, अगर उनका लक्ष्य स्पष्ट है, तो उन हथियारों के बल पर शान्ति और व्यवस्था कायम रखते हुए वह देश में बुनियादी परिवर्तन के तकाजे को पूरा कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी परिवर्तन की इनकी इच्छा नहीं है। येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना ही इनकी लालसा है। लेकिन नजरबद करके वह लोगों के गलों का गला नहीं दबा सकते, लोगों की आवाज वो बन्द नहीं कर सकते (व्यवधान) में अपना प्रस्ताव वापस ले लूं, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। ज्ञानी जी, इतिहास लिखा जा रहा है। यह पंजाब की विधान सभा नहीं है, माफ करिये। (व्यवधान) मुझे "पंजाब" का नाम नहीं लेना चाहिए था। मैं उसे वापस लेता हूं। मैं "पंजाब" शब्द को वापस लेना चाहता हूँ। यह विधान सभा नहीं है। (व्यवधान)

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बूटा सिंह) : श्री वाजपेयी को पंजाब विधान सभा के बारे में ऐसी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। पजाब विधान सभा में उनसे योग्य आदमी हैं और वे अच्छे फैसले करते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमने बहस सुनी है। आपने किस तरह के बोलने वाले खड़े किये थे, वे भी हमने देख लिये हैं। गृह मंत्री को भी हमने सुना है। कोई गृह मंत्री विरोध न करने की अपील करते हुए यह नहीं कहता कि अखबारों में आपका नाम छप जाएगा। हम अखबारों में नाम छपवाने के लिए यहां नहीं बोलते हैं। (व्यवधान) आपने गृह मंत्री को नहीं रोका था। (व्यवधान)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : मैं व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठा रहा हूँ। इस सभा का उपयोग विधान सभाओं की आलोचना करने के लिये नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे वापस ले लिया है।

श्री शिवराज वी. पाटिल : यदि माननीय सदस्य ने इसे वापस ले लिया है तो अफसोस का कोई कारण नहीं है ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे आपकी समझ पर अफसोस है । अफसोस का कोई कारण नहीं है ।

श्री शिवराज वी. पाटिल : मैं नम्रता से कहना चाहता हूं कि यहाँ पर एक मेम्बर दूसरे मेम्बर के खिलाफ या दूसरी असेम्बली के खिलाफ इस प्रकार की बात नहीं कर सकते और अगर कोई करता है तो उसकी गलती है···(व्यवधान) ··

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में ये बातें चल सकती हैं कि विरोधी दल के लोग इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं अखबारों में नाम लिखाने के लिए ? हमने उसको मजाक में लिया था । लेकिन ये हमारा मजाक नहीं समझ सकते । हम अपना प्रस्ताव वापस ले लें यह अपील करते हुये गृह मन्त्री महोदय यह कह सकते हैं कि आपके संशोधन छप गये, आप अपने चुनाव क्षेत्र में उनको बांट दीजिएगा ? यह कौन सी संसदीय परम्परा के अनुसार है । क्या यह सदन की गरिमा के अनुकूल है ?···(व्यवधान)···मगर मैं मानता हूँ कि ज्ञानी जी इस सदन में नये हैं और इसलिए उन्हें इस सदन की परम्परा का अनुभव नहीं है । उन्हें ऐसी बात यहां नहीं कहनी चाहिये थी । हमारे लिए यह अखबारों में नाम छपाने का मामला नहीं है । हमारे लिए अपने चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं को बताने का भी सवाल नहीं है कि हमने लोक सभा में यह बोल दिया, हमने यहाँ रस्म अदायगी कर दी । हम यहां रस्म-अदायगी के लिए नहीं बोल रहे हैं । हम बोल रहे हैं अपनी आजादी और देश के हर नागरिक की आजादी को बचाने के लिए और आजादी को बचाने की यह लड़ाई इस सदन में चलेगी तथा शांतिपूर्ण ढंग से इस सदन के बाहर भी चलेगी ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किए गए सांविधिक संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखूंगा । प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 22 सितम्बर 1980 को प्रख्यापित राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश, 1980 (1980 का अध्यादेश संख्या 11) का निरनुमोदन करती है ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

मत-विभाजन संख्या—22 8.26 **म. प.**

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव	चन्द्रपालसिंह, श्री
अग्रवाल, श्री सतीश	चटर्जी, श्री सोमनाथ
बनातवाला, श्री जी. एम.	चतुर्भुज, श्री
बर्मन, श्री पलाश	चौधरी, श्री मोतीभाई आर.
बसु, श्री चित्त	चौधरी, श्री त्रिदिव
भट्टाचार्य, श्री सुशील	चव्हाण, श्री यशवन्तराव
विश्वास, श्री अजय	चौबे, श्री नारायण
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन	चौधरी, श्री सैफुद्दीन

दंडवते, प्रो. मधु
दंडवते, श्रीमती प्रमिला
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री निरेन
घोष गोस्वामी, श्रीमती विमा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हरिकेश बहादुर, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन. ई.
जाटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
कोडियन, श्री पी. के.
लारेंस, श्री एम. एम·
मधुकर, श्री कमला मिश्र
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मेहता, प्रो. अजित कुमार
महालगी, श्री आर. के.
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माइल, श्री
पाल, प्रो. रूप चन्द
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पाठक, श्री आनन्द
राजन, श्री के. ए.
राजदा, श्री रतन सिंह
रियान, श्री बाजू बन
राय, श्री ए. के.
राय, डा. सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन. के.
सूरज भान, श्री
स्वामी, डा. सुब्रह्मण्यम
तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्णन, श्री के. पी.
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वर्मा, श्री रवीन्द्र
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री
अब्बासी, श्री काजी जलील
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस
अंकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी.
अप्पालानायडू, श्री एस. आर. ए. एस.
आजाद, श्री भागवत झा
वाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगत, श्री एच. के. एल.
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भाई, डा. कृपासिन्धु
बीरेन्द्रसिंह राव, श्री
बृजेन्द्रपाल सिंह श्री
बूटासिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चव्हाण, श्री एस. बी.
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश
दामी, श्री अजीत सिंह

दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
दंडपाणि, श्री सी. टी.
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
दुबे, श्री रामनाथ
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी. एन.
गहलोत, श्री अशोक
गोमांगो, श्री गिरिधर
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री निहालसिंह
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कामार्थैया, श्री डी.
कमल नाथ, श्री
कमलाकुमारी, कुमारी
कौल, श्रीमती शीला
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री मलिक एम. एम. ए.
कोसलराम, श्री के. टी.
कृष्ण दत्तर, श्री
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के.
लक्ष्मनन्, श्री जो.
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महावीर प्रसाद, श्री
महाजन, श्री विक्रम
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मोतीलाल सिंह, श्री
मुखोपध्याय, श्री आनन्द गोपाल
नगौना राय, श्री
नायडु, श्री पी. राजगोपाल
नामग्याल, श्री पी.
नन्दी येल्लैया, श्री
नारायण, श्री के. एस.
उराँव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पनिका, श्री राम प्यारे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाटिल, श्री विजय एन.
पट्टाभि रामा राव, श्री एस. वी. पी.
फुलवारिया, श्री विरदा राम
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
पुलय्या, श्री दारुर
पुष्पा देवी सिंह कुमारी
काजी सलीम, श्री
राम, श्री राम स्वरूप
राममूर्ति, श्री के.
राव, श्रीमती वी. राघाबाई आनन्द
राव, श्री एम. एस. संजीवी
राव, श्री एम. सत्यनारायण
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह
रेड्डी, श्री जी, नरसिम्हा
रेड्डी, श्री के. ब्रह्मानन्द
रेड्डी, श्री एम. राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी. वेंकट
रेड्डी, श्री टी. दामोदर
साठे, श्री बसन्त

शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी	सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
शंकरानन्द, श्री बी.	सुखबन्स कौर, श्रीमती
शनमुगम, श्री पी.	तपेश्वरसिंह, श्री
शर्मा, श्री चिरंजीलाल	तारिक अनवर, श्री
शर्मा, श्री काली चरण	तैयब हुसैन, श्री
शर्मा, श्री नवल किशोर	वेंकटरामन, श्री आर.
शर्मा, श्री प्रताप भानु	वेंकट सुब्बया, श्री पी.
शास्त्री, श्री हरि कृष्ण	विजय राघवन, श्री वी. एस.
शिव शंकर, श्री पी.	वीरभद्र सिंह, श्री
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	व्यास, श्री गिरधारी लाल
सिंह देव, श्री के. पी.	यादव, श्री सुभाष चन्द्र
सिन्हा, श्रीमती रमादुलारी	जैल सिंह, श्री
सोरन, श्री हरिहर	जैनुल बसर, श्री
स्टीफन, श्री सी. एम.	

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में—65

विपक्ष में—122

निर्णय नहीं वालों के पक्ष में हुआ ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, क्या आप अपना संशोधन भी मतदान के लिये रखना ही चाहते हैं ?

श्री जी. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : आवाम की राय के लिये तो इन्कार नहीं किया जा सकता है । आवाम उनके साथ हैं ?—दूध का दूध और पानी का पानी—पता चल जायेगा । इसलिए मैं सदन से दरख्वास्त करूंगा कि मेरी इस तरमीम को मंजूर किया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर 20 फरवरी, 1981 तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाय ।" (17)

"कि विधेयक पर 20 अप्रैल, 1981 तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये ।" (18)

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :—

पक्ष में : सर्व श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा, सूर्यनारायण सिंह, लहना सिंह तुर और प्रो. पी. जे. कुरियन;

विपक्ष में : सर्व श्री नारायणदत्त तिवारी, समीनुद्दीन, मधुसूदन, वैराले, ईरा अनबारासु, चन्द्र शेखर सिंह और श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार ।

"कि विधेयक पर 31 मार्च, 1981 तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये।" (50)

"कि विधेयक पर 31 जनवरी, 1981 तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये।" (188)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या : 23 **8. 35 म. प.**

पक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
अग्रवाल, श्री सतीश
बालानन्दन, श्री ई.
बनातवाला, श्री जी. एम.
बर्मन, श्री पलाश
बसुदेव श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्भुज, श्री
चौधरी, श्री त्रिदिव
चव्हाण, श्री यशवन्तराव
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दण्डवते, प्रो. मधु
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री निरेन
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हरिकेश बहादुर, श्री
हुसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन. ई.
जाटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोमेन्द्र
कोडियन, श्री पी. के.
कुरियन, प्रो. पी. जे.
लारेंस, श्री एम. एम.
मधुकर, श्री कमला मिश्र
महटा, श्री चित्त
मैत्रा श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मेहता, प्रो. अजित कुमार
महालगी, श्री आर. के.
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माइल, श्री
पाल, प्रो. रूप चन्द
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पाठक, श्री आनन्द
राजन, श्री के. ए.
राजदा, श्री रतनसिंह
रियान, श्री बाजू बन
राय, श्री ए. के.
राय, डा. सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन. के.
सूरज भान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
स्वामी, डा. सुब्रह्मण्यम

तिरकी, श्री पीयूष
उन्नीकृष्णन, श्री के. पी.
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलील
अहमद, श्री क़मालुद्दीन
अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस
अंकिनीडू, श्री एम.
अप्पालानायडू, श्री एम. आर. ए. एस.
आजाद, श्री भागवत झा
वाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम श्री
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगत, श्री एच. के. एल.
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन
भारद्वाज, श्री परसराम
भोई, डा. कृपासिन्धु
बीरेन्द्र सिंह राव, श्री
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
बूटा सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चव्हाण, एस. बी
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश
दाभी, श्री अजीत सिंह
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
दण्डपाणि, श्री सी. टी.
डोगरा, श्री गिरधारीलाल
दुबे, श्री रामनाथ
ईरा अनबारासु, श्री
फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
गाडगिल, श्री बी. एन.
गोमांगो, श्री गिरिधर
जैन, श्री भीकू राम
जैन, श्री निहाल चन्द
जैन, श्री वृद्धि चन्द्र
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कामक्षैया, श्री डी.
कमल नाथ, श्री
कमलाकुमारी, कुमारी
कौल, श्रीमती शीला
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री मलिक एम. एम. ए.
कोसलराम, श्री के. टी.
कृष्ण दत्त, श्री
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
कुसुम कृष्ण मूर्ति, श्री
लकप्पा, श्री के.
लक्ष्मनन् श्री जी.
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महाबीर प्रसाद, श्री
महाजन, श्री विक्रम
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मिश्र, श्री रामनगीना
मोतीलाल सिंह, श्री
मुखोपध्याय, श्री आनन्द गोपाल
नगीना राय, श्री

नायडू, श्री पी. राजगोपाल
न म याल, श्री पी.
नन्दी येल्लैया, श्री
नारायण, श्री के. एस.
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पनिका, श्री राम प्यारे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाटिल, श्री विजय एन.
पट्टभि रामा राव, श्री एस. वी. पी.
फुलवारिया, श्री विरदा राम
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
पुलय्या, श्री दारुर
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
काजी सलीम, श्री
राम, श्री राम स्वरूप
राममूर्ति, श्री के.
राव, श्रीमती वी. राधाबाई आनन्द
राव, श्री एम. एस. संजीवी
राव, श्री एम. सत्यनारायण
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह
रेड्डी, श्री जी. नरसिम्हा
रेड्डी, श्री के. ब्रह्मानन्द
रेड्डी, श्री एम. राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी. वेंकट
रेड्डी, श्री टी. दामोदर
समीनुद्दीन, श्री
साठे, श्री वसन्त
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा, श्री प्रताप भानु
शर्मा, डा. शंकर दयाल
शास्त्री, श्री हरि कृष्ण
शिव शंकर, श्री पी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सिंह देव श्री के. पी.
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
स्टीफन, श्री सी. एम.
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
सुखबन्स कौर, श्रीमती
तपेश्वर सिंह श्री
तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसैन, श्री
थुंगोन, श्री पी. के.
तिवारी, श्री राम गोपाल
वैराले, श्री मधुसूदन
वेंकटरामन, श्री आर.
वेंकटसुब्बया, श्री पी.
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
यादव, श्री सुभाष चन्द्र
जैल सिंह, श्री
जैनुल बशर, श्री

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन मतविभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में—66

विपक्ष में—127

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ मामलों में निवारक निरोध का और उससे सम्बद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

मत-विभाजन संख्या—24 8.47 म.प.

पक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलील	चक्रधारी सिंह, श्री
अहमद, श्री कमालुद्दीन	चन्द्रशेखर सिंह, श्री
अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस	चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
अकिनीडू, श्री एम.	चव्हाण, श्री एस. बी.
अप्पालानायडू, श्री एस.आर.ए.एस.	चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
आजाद, श्री भागवत झा	चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश
वाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी	दलवीर सिंह, श्री
बालेश्वर राम, श्री	दंडपाणि, श्री सी. टी.
बहेरा, श्री रास बिहारी	डोगरा, श्री गिरधारी लाल
भगत, श्री एच.के.एल.	दुबे, श्री रामनाथ
भगवान देव, आचार्य	ईरा अनबारासु, श्री
भक्त, श्री मनोरंजन	फर्नान्डीस, श्री ओस्कर
भारद्वाज, श्री परसराम	गाडगिल, श्री बी. एन.
भोई डा. कृपासिंधु	गहलोत, श्री अशोक
वीरेन्द्रसिंह राव, श्री	गोमांगो, श्री गिरधर
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर	जैन, श्री भीकू राम
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री	जैन, श्री निहाल चन्द
बूटा सिंह, श्री	जैन, श्री वृद्धि चन्द्र

*(एक) इस मत-विभाजन का परिणाम संशोधन संख्या 17, 18, 50 और 188 पर अलग-अलग लागू होता है ।

(दो) निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में : श्रीमती प्रमिला दंडवते और श्री नारायण चौबे ।

विपक्ष में : सर्वश्री अशोक गहलोत, राजेश पाइलट, श्री सी. चिन्ना स्वामी और नित्या नन्द मिश्र ।

जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कामाक्षैया, श्री डी.
कमल नाथ, श्री
कमला कुमारी, कुमारी
कौल, श्रीमती शीला
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खां, श्री मलिक एम.एम.ए.
कोसलराम, श्री के. टी.
कृष्ण दत्तर, श्री
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
*कुरियन, प्रो. पी. जे.
कुसुम कृष्ण मूर्ति श्री
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महावीर प्रसाद, श्री
महाजन, श्री विक्रम
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मोतीलाल सिंह, श्री
मुखोपध्याय, श्री आनन्द गोपाल
नगीना राय, श्री
नायडू, श्री पी. राजगोपाल
नामग्याल, श्री पी.
नन्दी येल्लैया, श्री
नारायण, श्री के. एस.
उराव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री केदार
पांडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पनिका, श्री रामप्यारे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री शिवराज वी.
पाटिल, श्री विजय एन.
पट्टाभि रामाराव, श्री एस.वी. पी.
फुलवारिया, श्री विरदाराम
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
काजी सलीम, श्री
राम, श्री राम स्वरूप
राममूर्ति, श्री के.
राव, श्रीमती वी. राधाबाई आनन्द
राव, श्री एम. एस. संजीवी
राव, श्री एम. सत्यनारायण
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रावत, श्री हरीश चन्द्र सिंह
रेड्डी, श्री जी. नरसिम्हा
रेड्डी, श्री के. ब्रह्मानन्द
रेड्डी, श्री एम. रामगोपाल
रेड्डी, श्री पी. बेंकट
रेड्डी, श्री टी. दामोदर
समीनुद्दीन, श्री
साठे, श्री बसन्त
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शर्मा, श्री कालीचरण
शर्मा, श्री नवलकिशोर
शर्मा, डा. शंकर दयाल
शास्त्री, श्री हरिकृष्ण
शिव शंकर, श्री पी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सिंह देव, श्री के. पी.

*गलती से पक्ष के लिए मतदान किया।

सिन्हा, श्री रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
स्टीफन, श्री सौ. एम.
सुखाड़िया, श्री मोहनलाल
सुखबन्स कौर, श्रीमती
तपेश्वर सिंह, श्री
तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसैन, श्री
थुंगोन, श्री पी. के.
तिवारी, श्री नारायणदत्त
वैराले, श्री मधुसूदन
वेंकटरामन, श्री आर.
वेंकटसुब्बया, श्री पी.
विजयराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
यादव, श्री सुमापचन्द्र
जैलसिंह, श्री
जैनुल बशर, श्री

विपक्ष में

आचार्य, श्री बसुदेव
अग्रवाल, श्री सतीश
बालानन्दन, श्री ई.
बनातवाला, श्री जी. एम.
बर्मन, श्री पलाश
बसु, श्री चित्त
भट्टाचार्य, श्री सुशील
विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्भुज, श्री
चौधरी, श्री मोतीभाई आर.
चौधरी, श्री त्रिदिब
चव्हाण, श्री यशवन्तराव
चौबे, श्री नारायण
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दंडवते, प्रो. मधु
*दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री निरेन
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गोयल, श्री कृष्ण कुमार
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हालदर, श्री कृष्णचन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हरिकेश बहादुर, श्री
हलदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन. ई.
जाटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
कोडियन, श्री पी. के.
लारेंस, श्री एम. एम.
मधुकर, श्री कमला मिश्र
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मेहता, प्रो. अजित कुमार
महालगी, श्री आर. के.
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माइल, श्री
पाल, प्रो. रूपचन्द
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पाठक, श्री आनन्द

*गलती से विपक्ष के लिए मतदान किया ।

राजन, श्री के. ए.
राजदा, श्री रतनसिंह
रियान, श्री बाजूबन
राय, श्री ए. के.
राय, डा. सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
शास्त्री, श्री रामावतार
शेजवलकर, श्री एन. के.
सूरजभान, श्री
सूर्य नारायण सिंह, श्री
स्वामी, डा. सुब्रह्मण्यम
उन्नीकृष्णन, श्री के. पी.
बाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वर्मा श्री रविन्द्र
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 125

विपक्ष में : 67

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ·

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे ।

खण्ड-2

श्री जो. एम. बनातवाला (पोन्नानी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ ।

पृष्ठ 1, पंक्ति 9

मैं राज्य सरकार के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा का लोप किया जाये । (1)

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरी तरमीम का मकसद साफ जाहिर है कि बिल में मरकजी हुकुमत को नजरबंदी का अख्तियार दिया गया है ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इस बिल के अन्दर नजरबन्दी का अख्तियार रियासती हुकुमत को भी दिया गया है और साथ साथ यह भी कहा जा रहा है कि नजरबन्दी का अख्तियार रियायती हुकुमत के छोटे-मोटे और मातहत अफसरान को भी दिया जाएगा । यह इन्तिहाई का बिले एतराज बात है ।

डिप्टी स्पीकर साहब जब इन्सान की आजादी का सवाल पैदा होता है तो उसकी आजादी के सवाल को मातहत अफसरान के रहमो-करम पर छोड़ देना इन्सानी आजादी का मजाक उड़ाने के बराबर है ।

जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने बार-बार इस एवान में कहा है कि मातहत जो छोटे-मोटे अफसरान हुआ करते हैं मुकामी दबावों के अन्दर आया करते हैं और सियासी दबाव का

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में : सर्व श्री अजीत सिंह दामी, दारुर पुलय्या, प्रताप भानु शर्मा, सी. चिन्ना स्वामी, जी. लक्ष्मनन और अनादि चरण दास,

विपक्ष में : श्रीमती प्रमिला दंडवते, श्री पीयूष तिरकी और प्रो. पी. जे. कुरियन ।

भी उन पर बहुत कुछ असर हुआ करता है। लिहाजा मेरी यह तरमीम है कि कम से कम इन मातहती अफसरान को यह हक नहीं होना चाहिए।

यह हक मातहती अफसरान को पहले हासिल था और उसका नतीजा एक नये जुल्मों-सितम में सरकार की तरफ से हिन्दुस्तान के अन्दर दिखायी दिया। ज्ञानी जैल सिंह जब अपनी जबानी तकरीर कर रहे थे तो उसका नजरे करम मुझ पर भी रहा और चन्द बातें जो मैंने कही थीं, उनका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने अकलियतों का भी जिक्र किया और कहा कि नजर-बंदी का कानून अकलियतों की जान-माल, और उनकी हिफाजत के लिए है।

वे कैसे अकलियतों के दिल की कशिश को समझ सकते हैं। इन गुजिश्ता दिनों में नजर-बन्दी के कानून का इस्तेमाल करके इन अकलियतों पर नये नये जुल्म और सितम ढाये गये हैं। ऐसे जुल्म और सितम ढाये गये हैं कि कोई उनकी मिसाल नहीं मिलेगी। (व्यवधान) डिप्टी स्पीकर साहब मैं कह रहा था—

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, मैं चाहता हूँ कि अब आप केवल संशोधन के बारे में ही बोलो भाषण तो आप पहले ही दे चुके हैं।

श्री जी. एम. बनातवाला : आपको समझने के लिए मैं अंग्रेजी में बोलूँ और ज्ञानी जी को समझाने के लिए मैं उर्दू में बोलूँ.

डिप्टी स्पीकर साहब, सबोर्डिनेट अफसरों की बात हो रही थी। मैं कह रहा था कि उन सबोर्डिनेट आफिसर्स को नजरबंदी का हक नहीं दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप केवल संशोधन पर ही बोलिये।

श्री जी. एम बनातवाला : मैं कभी भी इस एवान के अन्दर प्वाएन्ट से बाहर जाकर नहीं बोला हूँ। मैं कह रहा था कि इन सबोर्डिनेट अफसरान को ये हकूक न दिये जाएं क्योंकि उन्होंने इस हकूक का इस्तेमाल अकलियतों के खिलाफ इस तरह से किया है जिसको कभी अकलियतों ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था।

ख्वाब में भी न सोचा था हमने कभी कि यह आलम भी जमाने पर गुजर जाएगा।
बागवाँ छीन लेंगे लिबासे बहार और फूलों का चेहरा उतर जाएगा।

मेरे कहने का मकसद यह है कि सबोर्डिनेट अफिसर्स ने इस पावर का दबाव में आ कर अन्धाधुन्ध इस्तेमाल किया है। कम से कम यह पावर, यह अख्तियार इन मातहत और सबोर्डिनेट अफसरान को न दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'पृष्ठ 2, पंक्ती 9,
"या राज्य सरकार के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा" का लोप किया जाये। (2)

लोकसभा में मत-विभाजन हुआ

मत विभाजन संख्या 25 8.53 म. प.

पक्ष में

आचार्य श्री बसुदेव
अग्रवाल, श्री सतीश
बालानन्दन, श्री ई०
बनातवाला, श्री जी. एम.
वर्मन, श्री पलाश
भट्टाचार्य, श्री सुशील

विश्वास, श्री अजय
चक्रवर्ती, श्री सत्यासाधन
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चतुर्भुज श्री
चौधरी, श्री मोतीभाई आर.
चौधरी, श्री त्रिदिव
चव्हाण, श्री यशवन्तराव
चौबे, श्री नारायण
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
दडवते, प्रो. मधु
दडवते, श्रीमती प्रमिला
दास, श्री रेणुपद
घोष, श्री निरेन
घोष गोस्वामी, श्रीमती विभा
गिरि, श्री सुधीर
गोयल, श्री कृष्ण कुमार
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र
हन्नान मोल्लाह, श्री
हसदा, श्री मतिलाल
होरो, श्री एन. ई.
जाटिया, श्री सत्यनारायण
झा, श्री भोगेन्द्र
कोडियन, श्री पी. के.
कुरियन, प्रो. पी. जे.
लारेंस, श्री एम. एम.
मधुकर, श्री कमला मिश्र
महाटा, श्री चित्त
मैत्रा, श्री सुनील
मण्डल, श्री मुकुन्द
मण्डल, श्री सनत कुमार
मसुदल हुसैन, श्री सैयद
मेहता, प्रो. अजित कुमार
महालगी, श्री आर. के.
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मोदक, श्री विजय
मोहम्मद इस्माइल, श्री
पाल, प्रो. रूप चन्द
परुलेकर, श्री बापूसाहिब
पाठक, श्री आनन्द
राजन, श्री के. ए.
राजदा, श्री रतनसिंह
रियान, श्री बाजू बन
राय, श्री ए. के.
राय, डा. सरदीश
राय प्रधान, श्री अमर
साहा, श्री अजित कुमार
शास्त्री, श्री रामवतार
शेजवलकर, श्री एन. के.
सूर्य नारायण सिंह, श्री
स्वामी, डा. सुब्रह्मण्यम
उन्नीकृष्णन, श्री के. पी.
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वर्मा, श्री रवीन्द्र
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
यादव, श्री विजय कुमार
जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

अब्बासी, श्री काजी जलील
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अल्लूरी, श्री सुभाष चन्द्र बोस
अकिनीडू प्रसाद राव, श्री पी.
अप्पालानायडू, श्री एस.आर.ए.एस.
आजाद, श्री भागवत झा
वाजपेयी, डा. राजेन्द्र कुमारी
बालेश्वर राम, श्री
बहेरा, श्री रास बिहारी
भगत, श्री एच. के. एल.
भगवान देव, आचार्य
भक्त, श्री मनोरंजन

भारद्वाज, श्री परसराम
भोई, डा. कृपासिन्धु
बीरेन्द्र सिंह राव श्री
ब्रार, श्रीमती गुरबिन्दर कौर
बृजेन्द्रपाल सिंह, श्री
बूटा सिंह, श्री
चक्रधारी सिंह, श्री
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चव्हाण, श्री एस. बी.
चेन्नुपत्ति, श्रीमती विद्या
चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश
दामी, श्री अजीत सिंह
दलबीर सिंह, श्री
दास, श्री अनादि चरण
दंडपाणि, श्री सी.टी.
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
दुबे, श्री रामनाथ
ईरा अनबारासु, श्री
फर्नान्डीस श्र ओस्कर
गाडगिल, श्री बी. एन.
गहलोत, श्री अशोक
गोमांगो, श्री गिरिधर
जैन, श्री मीक राम
जैन, श्री निहाल सिंह
जमीलुर्रहमान, श्री
जेना, श्री चिन्तामणि
झा, श्री कमल नाथ
कामाक्षैया, श्री डी,
कमल नाथ, श्री
कमला कुमारी कुमारी.
कौल, श्रीमती शीला
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
खाँ, श्री मलिक एम. एम. ए.
कोसलराम, श्री के. टी.
कृष्ण दत्तर, श्री
कृष्ण प्रताप सिंह, श्री
लास्कर, श्री निहार रंजन
माधुरी सिंह, श्रीमती
महावीर प्रसाद, श्री
महाजन, श्री विक्रम
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री नित्यानन्द
मोतीलाल सिंह, श्री
मुखोपध्याय, श्री आनन्द गोपाल
नगीना राय, श्री
नायडू, श्री पी. राजगोपाल
नामग्याल, श्री पी.
नन्दी येल्लैया, श्री
नारायण, श्री के. एस.
उरांव, श्री कार्तिक
पांडे, श्री केदार
पाँडे, श्री कृष्णचन्द्र
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि
पनिका, श्री राम प्यारे
पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे
पाटिल, श्री विजय एन.
पट्टाभि रामा राव, श्री एस. वी. पी.
पाइलट, श्री राजेश
पुजारी, श्री जनार्दन
पोटदुखे, श्री शान्ताराम
पुलय्या, श्री दारुर
पुष्पा देवी सिंह, कुमारी
काजी सलीम, श्री
राम, श्री राम स्वरूप
राममूर्ति, श्री के.
राव, श्रीमती वी. राधाबाई आनन्द
राव, श्री एम. एस. संजीवी
राव, श्री एम. सत्यनारायण
राठौर, श्री उत्तम
राउत, श्री भोला
रेड्डी, श्री जी. नरसिम्हा

रेड्डी, श्री के. ब्रह्मानन्द
रेड्डी, श्री एम. राम गोपाल
रेड्डी, श्री पी. वेंकट
रेड्डी, श्री टी. दामोदर
समीनुद्दीन, श्री
साठे, श्री वसन्त
शक्तावत, प्रो. निर्मला कुमारी
शंकरानन्द, श्री बी.
शनमुगम, श्री पी.
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री काली चरण
शर्मा, श्री नवल किशोर
शर्मा श्री प्रताप भानु
शर्मा, डा. शंकर दयाल
शास्त्री, श्री हरि कृष्ण
शिव शंकर, श्री पी.
शिवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
सिंह देव श्री के. पी.
सिन्हा, श्रीमती रामदुलारी
सोरन, श्री हरिहर
स्टीफन, श्री सी. एम.
सुखाड़िया, श्री मोहन लाल
सुखबन्त कौर, श्रीमती
तपेश्वर सिंह, श्री
तारिक अनवर, श्री
तैयब हुसैन, श्री
थुंगोन, श्री पी. के.
तिवारी, श्री नारायण दत्त
वैराले, श्री मधुसूदन
वेंकटरामन, श्री आर.
वेंकटसुब्बया श्री पी.
विजयाराघवन, श्री वी. एस.
वीरभद्र सिंह, श्री
व्यास, श्री गिरधारी लाल
जैल सिंह, श्री
जैनुल बशर, श्री

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 63
विपक्ष में : 122

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

श्री मधु दण्डवते (राजापुर) : इससे पूर्व कि आप आगे बढ़ें···

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे एक घोषणा करनी है। मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि आज सभा की बैठक देर तक चलेगी। संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदस्यों के रात के भोजन की व्यवस्था संसद भवन के कमरा संख्या 73 में कर दी गई है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने घोषणा करनी थी। अब यह आप पर निर्भर करता है।

प्रो. मधु दण्डवते : इससे पूर्व कि हम आगे की कार्यवाही करें—आप स्वयं ही रिकार्ड से देख लीजिये—आपने स्वयं ही संसदीय कार्य मंत्री से कहा था कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि यह किस प्रकार से चल सकता है। श्री बनात वाला से यह पूछा गया था कि, वह कितना समय लेंगे तो उस समय उन्होंने कहा था कि हमें आगे कार्यवाही करके देखेंगे कि यह

* निम्न सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :
पक्ष में : श्रीमती सुशीला गोपालन, श्री चित्त बसु तथा श्री पीयूष तिरकी
विपक्ष में : श्री बुद्धि चन्द जैन।

कैसे चलता है। अतः यह सम्पूर्ण मामला चर्चा पर निर्भर करेगा और आप बाद में यह निर्णय करेंगे कि क्या हम तब तक चर्चा करते रहेंगे जब तक कि यह अध्यादेश अधिनियम का रूप न ले ले या फिर हम इसे अगले दिन जारी रखेंगे। मैंने संसदीय कार्य मंत्री को सुझाव दिया था कि ठीक है, हमें इस पर विचार करना चाहिये। इसके साथ ही मैंने सम्पूर्ण विरोधी दल की ओर से यह निवेदन भी किया था कि हम कुछ देर और तो बैठ सकते हैं परन्तु रात को देर तक नहीं बैठना चाहिये। कल हम मध्याह्न भोजन-काल के समय में भी बैठ कर इस पर अधिक समय पर विचार करने के लिए तैयार हैं। अतः कल इस पर विचार जारी रखा जा सकता है। उन्होंने भी यही कहा था कि इस पर विचार किया जायेगा। आपने भी यही कहा था कि हम देखेंगे कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। आप ही ने मुझसे कहा था कि प्रस्ताव को पारित होने दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूँ कि आज प्रातः जब मैंने यह घोषणा की थी कि इस विधेयक को आज पारित किया जायेगा तो उस समय प्रो. दण्डवते यहाँ नहीं थे।

प्रो. मधु दण्डवते : मैं यहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बाद की बातें हैं। यह कार्यवाही से देखा जा सकता है कि यह सब बाद की बातें हैं। (व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : इनकी तानाशाही प्रवृत्ति यहीं से शुरू हो गई है। हम लोग एलाउ नहीं करेंगे। हाऊस नहीं चलने देंगे। ये डिक्टेटर नहीं बन सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप ने कुछ बातें कही थीं। और मैंने उसके बाद में कहा था कि विधेयक आज निश्चय ही पारित किया जाना है। मैंने यही कहा था। उसके बाद आप मेरे पास आये और आपने बताया कि आप संसदीय कार्य मंत्री के साथ बात-चीत करने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे। मैं रास्ते में नहीं आ रहा। जो घोषणा मैंने कल की थी वह···

···अब हमारा मतदान चल रहा है··· (व्यवधान) अन्ततः सभी संशोधनों पर मतदान तो किया ही जाना है। मुझे विधेयक को पारित करवाने का कार्य तो पूरा करवाना ही है ··

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।" (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री के. पी. उन्नीकृष्णन : यह क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक आज पास किया जाना है।

श्री सी. टी. दण्डपाणि (पोल्लाची) : उपाध्यक्ष महोदय, आप सभा की राय ले लें कि क्या इसे आज पास करें या न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा ! क्या सभा इस पर चर्चा जारी रखना चाहती है।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : हम लोग अलाऊ नहीं करेंगे, हम हाउस को नहीं चलने देंगे। चेयर डिक्टेटर नहीं बन सकती, चेयर का यह काम नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :विधेयक पास किया जाना है जो लोग अल्प मत में हैं वे यह नहीं कह सकते हैं कि इसे पास नहीं किया जाएगा। विपक्ष से केवल एक व्यक्ति ही बोले।

प्रो. मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, इस सभा में हर व्यक्ति अन्य लोगों की ओर से न बोलकर अपनी ओर से ही बोलता है। मैं आपका ध्यान इस बात की ओर दिला रहा हूँ कि पहले जो घोषणा की गई थी—आप लोक सभा के रिकार्ड से अपनी घोषणा देख सकते हैं—मैंने संसदीय कार्य विभाग के मंत्री को यह बताया था कि सारा विपक्ष मध्याह्न भोजन का समय समाप्त करना चाहता है। हमने कहा था कि हम सरकार से सहयोग करने को तैयार हैं परन्तु हम रात में देर तक नहीं बैठ सकते। इसके बाद आपने यह टिप्पणी की। आप रिकार्ड से देख सकते हैं। जब मैंने इस मामले को पुनः उठाया और सारे विपक्ष की ओर मैं बोला तो सारा विपक्ष इस बात से सहमत था कि कल हमारा विचार मध्याह्न भोजन काल में कार्य करने का है। उस समय आपने कहा था कि गृह मंत्री उत्तर देंगे। मैं केवल विपक्ष के सदस्यों को ही बोलने की अनुमति दूंगा। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमें आगे कार्यवाही करने और देखने कि यह किस तरह से चलता है। आपने यही कहा था। हमने यह मान लिया था कि अपने आश्वासन के साथ साथ आप सरकारी पक्ष को भी समझायें कि वे विपक्ष के साथ सहयोग करें। अब सरकारी पक्ष ऐसा दृष्टिकोण अपना रहा है कि वे विपक्ष के सहयोग के बिना चला सकते हैं और मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हम विपक्ष के सहयोग के बिना सभा का काम नहीं चला सकते।

श्री सोमनाथ चटर्जी : (जादवपुर) हम प्रतिदिन यह देख रहे हैं कि उनका विपक्ष से टकराव हो रहा है। आप जानते है कि पिछले शुक्रवार को गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक सम्बन्धी एक प्रस्ताव को किस तरह आने नहीं दिया गया। हमने यह भी देखा कि इसके बाद आधे घंटे की चर्चा पर एक संकल्प को किस तरह अवरुद्ध किया गया। विपक्ष से सहयोग माँगने का उनका यही तरीका है। यदि हमारा यह अनुरोध है तो आपको यह नहीं कहना चाहिए कि विधेयक पास किया जाये। पीठासीन अधिकारी का काम नहीं है। यह समय की इच्छा पर निर्भर करता है।

गृह मत्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकट सुबय्या) : उपाध्यक्ष महोदय, वातावरण शान्त होने के बाद मैं सरकार की स्थिति स्पष्ट करूंगा। कार्य मंत्रणा समिति में 7 घंटे नियत किए गए थे। (व्यवधान)। कृपया मेरी बात सुनिए। मैंने यह बार-बार कहा कि सरकार का इरादा विपक्ष के साथ टकराव करने का नहीं है। हम उनके साथ अधिक से अधिक सहयोग कर रहे हैं। कार्य मंत्रणा समिति द्वारा 7 घंटे नियत किए गये थे। आपने अपने विवेक से यह कहा कि तीनों चरणों के लिए यह अवधि 8 घंटे बढ़ायी जाये। परन्तु पहले चरण में ही $7\frac{1}{2}$ घंटे लग गए हैं। सुबह जब आपने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि हम विपक्ष के साथ सहयोग करने को तैयार है बशर्ते यह विधेयक आज पास हो जाये। निस्सन्देह मैंने यही कहा है। महोदय, हमने यह कहां कहा था कि हमारा विपक्ष से टकराव है ? वे हमें यह कहकर धमकी देते हैं कि आप अपना काम नहीं चला सकेंगे। वे धमकी देना चाहते हैं जबकि सरकार उनके साथ सहयोग कर रही हैं। अतः माननीय सदस्यों से पुनः मेरी यह अपील है कि वे सरकार के साथ सहयोग करें। हम उनके साथ अधिक से अधिक सहयोग कर रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण (सतारा) : मेरी समझ में इस शोर-शराबे से किसी को कोई लाभ नहीं होगा। अब 9 से अधिक बज गए हैं वास्तव में सदस्यों पर कुछ काम का भार है। कल हम फिर 9.00 बजे परामर्शदायी समिति में मिल रहे हैं। यह तो मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की बात है। आप चाहते हैं कि सदस्यों को भलीभांति विचार करने और काम करने के लिए कुछ समय दिया जाये। मैं इस बारे में गृह मंत्री और संसदीय कार्यमंत्री से अनुरोध करूंगा। यह टकराव का प्रश्न नहीं है। यह तो एक दूसरे के साथ सहयोग करने का प्रश्न है। पिछले अनेक वर्षों में स तरह के अनेक अवसर आए हैं और हमने अनेक बार सरकार के साथ सहयोग किया है। हम यह निवेदन कर रहे हैं कि कल हम मध्यान्ह भोजन के समय को समाप्त करने और इस विधेयक को पास करने के लिए आपके साथ सहयोग करने को तैयार हैं। निस्सन्देह हम इसका विरोध करते रहेंगे। इसमें कतई सन्देह नहीं है। परन्तु इस बार हम प्रस्ताव से सहमत होकर कुछ भला काम कर सकते हैं जिससे हम यह विधेयक पास कर सकें। अतः गृहमंत्री और संसदीय कार्य मत्री से मेरा अनुरोध है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, हमें टकराव का वातावरण नहीं बनाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो हम सभा से बहिर्गमन कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट)। महोदय, पीठासीन होकर आप कृपया बहुमत का पक्ष न ले। (व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं तो केवल सभा के बहुमत को मानता हूं। मैं अल्पमत को नहीं मान सकता। श्री इन्द्रजीत गुप्त, मैं यह बिलकुल स्पष्ट कहता हूं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण की अपील पर अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री।

श्री सी. टी. दण्डपाणि : श्री इन्द्रजीत गुप्त की टिप्पणियां सभा की कार्यवाही से निकाल दी जाये। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही पढ़ूंगा।

ससदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : महोदय, आपने देखा है कि हमने कभी कोई ठकराव की बात नहीं चाही है। हम सभा का कार्य बड़े सौहार्दपूर्ण ढग से चला रहे हैं। श्री यशवन्तराव चव्हाण ने अपने विचार व्यक्त किये हैं और मैं विपक्ष के माननीय मदस्यों की भावनाओं को भी जान रहा हू। हम उनकी भावनाओं का सदैव सम्मान करते हैं। वास्तव में हमारी भी अपनी सीमायें हैं और राज्त सभा के पास पर्याप्त कार्य नहीं है। इसलिए, जब किसी विशेष विधेयक के लिए कार्य मंत्रणा समिति में कुछ समय नियत किया जाता है, तो हमें इस बात पर भी ध्यान रखना होता है कि हमने पहले कितना समय ले लिया है। इस विशेष मामले में जो समय नियत किया गया था वह इस पर लगे समय से अधिक है। परन्तु फिर श्री चव्हाण ने अपील की है। मैं नहीं चाहता कि इस तरह की छोटी-छोटी बातों पर कोई मतभेद हो। मैं इन्हें इस अर्थ में छोटी-छोटी बातें ही मानता हूं कि इस तरह के किसी टकराव या इस प्रकार की किसी अन्य बात का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम उनसे हमेशा सहयोग करते आए हैं और हम हमेशा सामजस्य बनाए रखने की कोशिश करते हैं। परन्तु विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों से उस समय यह सुनकर मुझे वास्तव में दुख हुआ जब वे कहते हैं "नहीं, सभा का कार्य नहीं चल सकता।" मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। इस सभा में हमारा दो-तिहाई

बहुमत है। मैंने इस तरह से कोई बात कभी नहीं की। मैं भी एक युवा पुरुष हूँ। परन्तु मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। अतः इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मेरा एक निवेदन है। कल हम मध्यान्ह भोजन के समय और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समय को इसके लिये उपयोग में हैं। हमारी यह कोशिश होगी कि कल 2 बजे तक यह विधेयक पास हो जाये।

कुछ माननीय सदस्य हम सहयोग करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने जो विचार व्यक्त किए हैं वे अध्यक्ष महोदय को बता दि जायेंगे और मामला तय किया जाएगा। (व्यवधान) यदि ध्यानाकर्षण, नियम 377 के अधीन सूचना, आदि के बारे में सभा सहमत हो तो···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है · "कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

9.10 मध्यान्ह पश्चात

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 16 दिसम्बर, 1980/25 अग्रहायण 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

गुप्ता प्रिंटिंग वर्स, 472 पुरानी साइकिल मार्किट दिल्ली-6